त्रयोदश माला, खंड 25, अंक 37

मंगलवार, 14 मई, 2002

24 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 25 में अंक 31 से 40 तक हैं)

No. 53
Date 13/6/2003

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 25, नौवां सत्र, 2002/1924 (शक)]

अंक 37, मंगलवार, 14 मई, 2002/24 वैशाख, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1–2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 681 और 682	2–30
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 683 से 700	31–86
अतारांकित प्रश्न संख्या 7050 से 7279	86–414
सभा पटल पर रखे गए पत्र	414–421
राज्य सभा से संदेश	421
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति	422–423
कार्य मंत्रणा समिति	
सैंतीसवां प्रतिवेदन	423
लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति	
चौथा प्रतिवेदन	424
खाद्य, नागरिक पूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
सत्रहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	424–425
उद्योग संबंधी स्थायी समिति	
उनहत्तरवां से पचहत्तरवां प्रतिवेदन	425
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति	
103वां और 104वां प्रतिवेदन	426
सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित	454–455
(एक) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक	454–455
(दो) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक	455

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले	456–462
(एक) राजस्थान में स्वरूपसर से श्रीगंगानगर के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता	
श्री निहाल चन्द चौहान	456
(दो) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता	
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	456–457
(तीन) हिमाचल प्रदेश में कुल्लू हवाई अड्डे के विस्तार के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
श्री महेश्वर सिंह	457–458
(चार) टाटानगर, खड़गपुर से होकर हावड़ा से बड़बिल तक एक एक्सप्रेस रेल गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता	
श्री लक्ष्मण गिलुवा	458
(पांच) बिहार में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
डा. संजय पासवान	458–459
(छह) उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में बसे बंगाली शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार दिए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	459
(सात) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र में विद्युत गृहों को अच्छी गुणवत्ता के कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री नरेश पुगलिया	459
(आठ) आन्ध्र प्रदेश में नालगोंडा रेलवे स्टेशन पर रेल मेल सर्विस शॉर्टिंग कार्यालय का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी	460
(नौ) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में रामपुर रेलवे क्रासिंग में केबिन तथा फाटक लगाने का कार्य शीघ्र किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रनाथ सिंह	461
(दस) पिछड़े राज्यों के लोगों को मूल सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एक राष्ट्रीय योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री नवल किशोर राय	461

विषय	कॉलम
(ग्यारह) पंजाब में फिल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधान के लिए ए.आर.डब्ल्यू.एस. परियोजना के अन्तर्गत पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती संतोष चौधरी	462
गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति	
नवासीवां प्रतिवेदन	494
पेटेंट (संशोधन) विधेयक	462–494 494–530
विचार करने के लिए प्रस्ताव	462–466
श्री मुरासोली मारन	464–466 515–523
श्री रूपचन्द पाल	466–472
श्री अनादि साहू	472–477
श्री मणिशंकर अय्यर	477–486
श्री सुबोध मोहिते	486–489
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	489–494
श्री खारबेल स्वाइं	494–498
श्री श्यामाचरण शुक्ल	498–502
डा. नीतिश सेनगुप्ता	502–506
श्री सुरेश कुरूप	507–510
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति	511–514
श्री अजय चक्रवर्ती	514–515
खंड 2 से 66 और 1	524–529
पारित करने के लिए प्रस्ताव	530
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
जम्मू जिले में कालूचक में बस यात्रियों और सैनिक शिविर पर आतंकवादी हमला	530–532
श्री लालकृष्ण आडवाणी	530–532
आधे घंटे की चर्चा	
मदरसों का विदेशों द्वारा वित्त पोषण	532–550
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	532–537
श्री खारबेल स्वाइं	538–539
श्री ई. अहमद	540–541

विषय	कॉलम
श्री मोहन रावले	541–542
श्री संतोष मोहन देव	542–543
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	543–544
श्री सुरेश रामराव जाधव	544
श्री सीएच. विद्यासागर राव	545–549
बीमा (संशोधन) विधेयक	550–568
विचार करने के लिए प्रस्ताव	550
श्री किरीट सोमैया	550–560
श्री ए. ब्रह्मनैया	560–562
श्री थावरचन्द गेहलोत	562–565
श्री प्रबोध पण्डा	565–568

लोक सभा

मंगलवार, 14 मई, 2002/24 वैशाख, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे अपने दो पूर्व साथियों श्री विनायक प्रसाद यादव और श्रीमती गायत्री देवी के दु:खद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है।

श्री विनायक प्रसाद यादव छठी लोक सभा के सदस्य थे और उन्होंने 1977 से 1979 तक बिहार के सहरसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

इससे पहले श्री यादव 1967-68 और 1972 से 1974 के दौरान बिहार विधान सभा के सदस्य थे। वह पुन: वर्ष 1985 और 1990 में बिहार विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। उन्होंने वर्ष 1972-74 के दौरान बिहार विधान सभा के प्राक्कलन समिति के संयोजक के रूप में कार्य किया। वह राज्य सरकार में मंत्री भी रहे।

श्री यादव वर्ष 1978-79 के दौरान प्राक्कलन समिति के सदस्य थे।

स्वतंत्रता सेनानी, श्री यादव ने वर्ष 1942 के दौरान 'भारत छोड़ो आंदोलन' में सक्रिय भागीदारी की और वे कई बार जेल भी गए।

श्री यादव एक अधिवक्ता, सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने गरीबों और पद-दलित लोगों के उत्थान के लिए अनवरत कार्य किया। अकादमिक विषयों में रुचि रखने वाले श्री यादव अपने राज्य में कई स्कूल और कॉलेज खोलने में अग्रणी रहे।

श्री विनायक प्रसाद यादव का निधन 74 वर्ष की आयु में 7 जनवरी, 2002 को बिहार के कौशलीपट्टी में हुआ।

श्रीमती गायत्री देवी वर्ष 1980 से 1984 के बीच सातवीं लोक सभा की सदस्य थीं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले श्रीमती गायत्री देवी वर्ष 1969 में और पुन: 1974 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुई थीं।

कर्मठ राजनीतिक कार्यकर्ता श्रीमती गायत्री देवी आर्य समाज, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश महिला एसोसिएशन की अध्यक्ष भी रहीं।

वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती गायत्री देवी ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया और 1930 में जेल भी गईं। वह सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता रहीं, श्रीमती गायत्री देवी ने ग्रामीण महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए अनवरत कार्य किया और अपने पति, और भारत के पूर्व प्रधान मंत्री स्व. चौधरी चरण सिंह को कई कल्याणकारी कार्यों में सक्रिय सहयोग दिया। वह लोगों से मिलती-जुलती थीं। उनकी व्यक्तिगत, सामाजिक और अन्य समस्याएं सुनती थीं और उन्हें हल करने का प्रयास करती थीं।

श्रीमती गायत्री देवी का निधन 97 वर्ष की आयु में 10 मई, 2002 को नई दिल्ली में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा भी संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन

***681. श्री प्रभुनाथ सिंह :**
श्री रघुनाथ झा :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद ग्रामीण जनसंख्या, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के जीवन-स्तर में सुधार नहीं ला पाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 1994-95 से 1998-99 के दौरान इस हेतु मंजूर की गई करोड़ों रुपये की धनराशि व्यय ही नहीं की गई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

हाल के वर्षों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव के मूल्यांकन का पता लगाने के लिए किये गये अध्ययनों से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन की परिस्थितियों में सुधार आने का पता चलता है, जिनमें गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की स्थिति भी शामिल है। गरीबी अनुपात के संबंध में योजना आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये नवीनतम अनुमान के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता में कमी आई है, जो 1993-94 में 37.27 प्रतिशत की तुलना में 1999-2000 में 27.9 प्रतिशत है (30 दिन की अनुस्मरण अवधि के आधार पर)। ग्रामीण जनसंख्या में लगभग 5 करोड़ की वृद्धि होने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या 1993-94 में 24.40 करोड़ की तुलना में 1999-2000 में घटकर 19.32 करोड़ रह गई है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों के संबंध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बताई स्थिति के अनुसार 1994-95 से 1998-99 तक की अवधि के लिए खर्च न हुई निधियों का वर्षवार ब्यौरा नीचे दिये अनुसार है:

वर्ष	राशि (करोड़ रु. में)
1994-95	2385.10
1995-96	4378.16
1996-97	3632.10
1997-98	2372.47
1998-99	2380.51

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कतिपय विनिर्दिष्ट सीमाओं तक खर्च न की गई शेष राशियों को अग्रेषित करने की अनुमति है और अधिक राशि (यदि कोई हो) अनुवर्ती वर्ष के दौरान जारी की गई राशियों में से कम कर दी जाती है। खर्च न हुई शेष राशि के कारण अन्य बातों के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्राधिकारियों द्वारा प्रस्ताव विलम्ब से प्रस्तुत करने से संबद्ध होते हैं जिनके फलस्वरूप निधियां देने में देरी होती है और क्षेत्र स्तर पर कार्य-निष्पादन के लिए समय कम रह जाता है। उल्लेखनीय बात है कि वर्ष 2001-02 के दौरान विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उपलब्ध धन लगभग पूरा का पूरा जारी किया गया था।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, गरीबी रखा से नीचे रह रहे लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार की ओर से प्रति वर्ष विभिन्न मदों में धन आबंटित किया जाता है और जैसी मेरी सूचना है उसके अनुसार वर्ष 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98 और वर्ष 1998-99 में जो राशियां आपके मंत्रालय ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु निर्मुक्त की उसकी 28 प्रतिशत धनराशि साल के अंतिम महीने, यानी मार्च में निर्मुक्त की गई। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह धनराशि जिस प्रयोजन हेतु दी गई क्या उसी पर व्यय की गई या उससे अलग किसी अन्य मद पर व्यय की गई?

मैं मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस संबंध में मंत्रालय की औडिट रिपोर्ट में भी उल्लेख किया गया है कि इन वर्षों में जो धनराशि राज्यों को अंतिम महीने में निर्गत की गई उसका राज्यों में दुरुपयोग हुआ है। क्या आपके ध्यान में आया है कि उस धन का दुरुपयोग हुआ है, यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इसको गंभीरता से लिया है, यदि हां, तो मंत्रालय ने क्या कार्रवाई की है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए मंत्रालय ने अपने स्तर से क्या-क्या पग उठाए हैं?

श्री एम. वैंकय्या नायडू : अध्यक्ष जी, मुझे माफ कीजिए, मेरी समझ में हिन्दी आती है, लेकिन मैं हिन्दी में पूरी तरह से माननीय सदस्य के प्रश्नों का उत्तर (समाधान) नहीं दे सकता हूं। इसलिए मैं उत्तर अंग्रेजी में दे रहा हूं।

[अनुवाद]

महोदय, धनराशि के उपयोग के संबंध में वर्षों से यह परंपरा रही है कि धनराशि दो किस्तों में जारी की जाती है। पहली किस्त नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही जारी कर दी जाती है। जब 60 प्रतिशत की राशि व्यय कर दी जाती है, तब दूसरी किस्त राज्यों को जारी की जाती है। यह तथ्य है – जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है – कि कुछ मामलों में धनराशि मार्च के महीने

में जारी कर दी गई थी और राज्य उसको व्यय करने में समर्थ नहीं थे। वे पहली अप्रैल के बाद से व्यय करते थे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, हाल ही में, सरकार ने मार्च के महीने में कोई भी धनराशि नहीं जारी करने का निर्णय लिया परंतु इस धनराशि को फरवरी महीने में ही जारी कर दिया। यह नई परंपरा है जिसे हमने इसी वर्ष से शुरू किया है। इसका अपना अलग प्रभाव है।

दूसरी बात, जहां तक धनराशि का अन्यत्र उपयोग और दुरूपयोग का संबंध है, न कोई सामान्य प्रवृत्ति और न ही कोई विशिष्ट उदाहरण ही सरकार के ध्यान में आया है। यह सही है कि विभिन्न राज्यों द्वारा कई कारणों से यथेष्ट धनराशि व्यय नहीं की गयी है। लेकिन यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और स्वीकृत धनराशि का 15 प्रतिशत अगले वर्ष तक व्यय करने की अनुमति है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, हमने राज्यों को अगले वर्ष में व्यय करने की अनुमति दे दी है। अगर ऐसा होता है तो वर्ष 1998-99 की 2380 करोड़ रुपये बहुत बड़ी राशि है। लेकिन पहले यह 25 प्रतिशत था, तब इसे घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया था, और धनराशि का समय पर व्यय करने हेतु राज्यों को प्रेरित करने के क्रम में इसे घटाकर 15% कर दिया गया। यही सब चल रहा है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अभी जो उत्तर दिया है, उससे लगता है कि वे भी महसूस करते हैं कि मार्च महीने में जो धन निर्गत किया जाता है, उसका सही ढंग से उपयोग नहीं होता। इस प्रकार उनके मन में कहीं न कहीं यह बात अवश्य है कि इस धन का दुरुपयोग हुआ है। इसीलिए उन्होंने निर्णय किया है कि इस वर्ष से धन फरवरी महीने में निर्मुक्त किया जाएगा।

महोदय, इस प्रकार से जो धन निर्मुक्त किया गया है उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ जरूर हुई है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस गड़बड़ी की जांच कराएंगे? इसके साथ ही साथ मैं उनके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि ग्रामीण इलाकों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। क्या उन्होंने इस बढ़ती हुई जनसंख्या का कोई सर्वेक्षण कराया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की कितनी संख्या बढ़ी और क्या उन्होंने उस बढ़ी हुई संख्या के अनुपात में बजट आबंटन में बढ़ोत्तरी की है, यदि हां, तो कितने प्रतिशत बढ़ोत्तरी की है - मंत्री महोदय की जानकारी के अनुसार उनकी अभी तक कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी है और कितने प्रतिशत आबंटन बढ़ाया गया है?

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, यह सही है कि यदि मार्च के महीने में धनराशि जारी करते हैं, आप मार्च के अंत तक व्यय करने में समर्थ नहीं होंगे। यह व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए और मुख्य मंत्रियों एवं ग्रामीण विकास मंत्रियों सहित राज्यों के साथ एक चक्र की वार्ता के बाद, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मार्च के महीने में धनराशि जारी करने की परंपरा को छोड़ देना चाहिए।

हमने सोचा इसे फरवरी कर देना बेहतर था, ताकि राज्यों को धनराशि व्यय करने में कुछ और समय मिले। यही निर्णय लिया गया। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा,

[हिन्दी]

मेरे मन में ऐसी कुछ शंका पैदा हुई कि यदि हम मार्च में पैसा रिलीज करें तो मार्च अंत तक उसे खर्च करना संभव नहीं हो पायेगा। हमारा अनुभव भी यही बताता है। अब किसी ने पैसा डायवर्ट किया या उसका मिसयूज किया, ऐसी कोई स्पेसीफिक घटना हमारे सामने नहीं आई है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, ऑडिट रिपोर्ट, 2000 के पहले भाग में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस पैसे को डायवर्ट किया गया है। पी.ए.सी. में अभी यह मामला चल रहा है जिसमें आपके मंत्रालय की तरफ से उत्तर आया है। अगर मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है, तो हम मानते हैं कि सदन को गुमराह किया जा रहा है। हमारा कहना है कि आप उस ऑडिट रिपोर्ट को देखें, उसकी समीक्षा करें। आपके मंत्रालय से यह उत्तर आया है। आप पहले उस उत्तर को देखें, उसके बाद यहां इसका उत्तर दें। आप सदन को गुमराह करने का काम मत करें।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह करने का कोई सवाल ही नहीं है। मैंने मेजर डायवर्शन के बारे में कहा है। कुछ मात्रा में इधर-उधर की कम्पलेंट आई थी, उसके लिए हमने स्टेट्स को उत्तर भेजने के लिए कहा है। सी.ए.जी., की रिपोर्ट में जो पेरावाइज रिमार्क्स होते हैं, उन रिमार्क्स में हमने उसे समाधान के रूप में दिया है।

इन्होंने परसेंटेज के बारे में कहा है।

[अनुवाद]

यह सही है कि जनसंख्या बढ़ रही है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रही है। पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण क्षेत्रों में करीब

5 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, बजट में धनराशि का आवंटन समय-समय पर स्वाभाविक रूप से भी बढ़ रहा है। आज प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना और अन्य गतिविधियों सहित ग्रामीण विकास के लिए अद्यतन बजट राशि करीब 13,000 करोड़ रुपये से अधिक है। जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, धनराशि में यह वृद्धि ग्रामीण निर्धन लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया है। इसलिए, यह वृद्धि माननीय वित्त मंत्री और सरकार द्वारा भी किया गया है। हमें इस तथ्य की जानकारी है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ रही है और उसी के अनुसार हम धनराशि भी बढ़ाते जा रहे हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर : निर्धनता के अनुपात में आई कमी के संबंध में दिए गए जवाब के पहले पैरा के संदर्भ में क्या मैं माननीय मंत्री का ध्यान 21 मार्च, 2001 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3533 का माननीय सांख्यिकी मंत्री द्वारा दिए गए जवाब की विसंगति की ओर आकृष्ट कर सकता हूं? उस जवाब में, सांख्यिकी मंत्री ने कहा था कि आप वर्ष 1993-94 के निर्धनता अनुपात की तुलना नहीं कर सकते जो अद्यतन वर्ष की निर्धनता अनुपात सात दिन की प्रत्यावर्तित अवधि पर आधारित है और जो 30 दिन की प्रत्यावर्तित अवधि पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, सांख्यिकी मंत्री ने अपने जवाब में स्वीकार किया था कि अद्यतन सर्वेक्षण के लिए अपनाई गई पद्धति पूर्व में किए गए सर्वेक्षण के लिये लागू नहीं हो सकती और न ही पूर्व में किये गए सर्वेक्षण की पद्धति हाल में किए गए सर्वेक्षण के लिए लागू नहीं हो सकती। अंततः मंत्री ने अपने जवाब में यह स्वीकार किया था कि योजना आयोग ने इस पद्धति में परिवर्तन द्वारा लाई गई विविधता का कोई अनुमान नहीं लगाया था। फिर भी, मंत्री ने बिना यह उल्लेख किए कि गत वर्ष के लिए तीस दिन की प्रत्यावर्तित अवधि लागू होती है जबकि पहले लागू होने वाले में सात दिन की प्रत्यावर्तित अवधि है; गलत दावा किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1993-94 में निर्धनता में इतने प्रतिशत की गिरावट आई है और वर्ष 1999-2000 में इतने प्रतिशत की गिरावट आई है (तीन दिन की प्रत्यावर्तित अवधि पर आधारित)।

जैसा कि यह विशेषाधिकार से भी अत्यंत महत्वपूर्ण बिन्दु है, मैंने इस विरोधाभास पर गत वर्ष के उनके मंत्रालय के अनुदान संबंधी मांगों पर अपने भाषण में माननीय ग्रामीण विकास मंत्री और इस वर्ष के बजट संबंधी आम चर्चा पर माननीय वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित किया था।

इसके मद्देनजर, क्या मैं ग्रामीण विकास मंत्री से एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं कि परस्पर विरोधी पद्धति पर आधारित 10 प्रतिशत की गिरावट और इस पर पूरी तरह से भिन्न तरीका अपनाने का दावा कर पहले पैरा में दिए अपने अद्यतन जवाब में सभा को गुमराह किया है? सचमुच, वर्ष 1989 में एन.ए.एस. के खातों के आधार पर निर्धनता अनुपात 25 प्रतिशत गिर गया था। मुझे जवाब चाहिए कि क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि उन्होंने जो वक्तव्य दिया है वह सांख्यिकी मंत्री द्वारा दिए गए जवाब से भिन्न है।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि 'नहीं'। सभा को गुमराह करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : तब, आपने ऐसा सात दिन पहले ही क्यों नहीं कहा? *...(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडू : दूसरी बात, माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि भारत में निर्धनता का प्राक्कलन योजना आयोग द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराए गए पंचवर्षीय उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। अद्यतन प्राक्कलन जिसका मैंने उल्लेख किया है, वह 55वें चक्र की उपभोक्ता सर्वेक्षण व्यय पर आधारित वर्ष 1999-2000 के लिए उपलब्ध है। निर्धनता संबंधी अद्यतन प्राक्कलन के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत 37.27 से कम हो गया है *...(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : सात दिन की प्रत्यावर्तित अवधि का क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मणिशंकर अय्यर, उन्हें अपना उत्तर देने दीजिए।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : वर्ष 1993-94 में यह 37.27 प्रतिशत था और वर्ष 1999-2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में यह घटकर 27.09 प्रतिशत था। वर्ष 1999-2000 और वर्ष 1993-94 के बीच निर्धनता अनुपात बिल्कुल स्पष्ट है। ये आंकड़े दिखाए गए प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर आधारित हैं और योजना आयोग द्वारा प्रदान किए गए हैं।

श्री मणिशंकर अय्यर : मुझे अफसोस है कि उन्होंने पद्धति संबंधी बात को नहीं सुना *...(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, यह सही है कि ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि हुई है। मैंने उसका भी उल्लेख किया है। हमारे पास गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के संबंध में अपना सर्वेक्षण कराने के लिए कोई स्वतंत्र एजेंसी नहीं है। हमारे मंत्रालय में एक विशेषज्ञ समिति है जो मामले की जांच करती है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जनगणना का अध्ययन करती है जिसे अपनी रिपोर्ट वर्ष 2002 में प्रस्तुत करना है। जब

यह आ जाता है, तो मैं माननीय सदस्य को स्पष्ट जवाब देने में समर्थ हो जाऊंगा। माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को वाद-विवाद के दौरान उठाया है। जैसा कि मैंने पहले कहा, कई प्रकार की पद्धति हैं। किन्तु इस मामले का तथ्य यह है कि गत सात अथवा आठ वर्षों में निर्धनता का स्तर पर्याप्त रूप से कम हुआ है। यह बिलकुल स्पष्ट है। सदन को गुमराह करने का कोई आशय नहीं है, न ही मैंने सदन को गुमराह किया है।

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मैं इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा कराने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यहां अभी बताया गया कि गांवों के 27 फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। यह भी बताया गया है कि योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जवाब दिया जा रहा है। हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि गरीबी की रेखा का आधार क्या है? जब ग्रामीण अंचलों में बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, भूचाल आता है, आगजनी होती है, पूरी फसल नष्ट हो जाती है, उस समय गरीबी की रेखा के नीचे कितने लोग हो जाते हैं, क्या यह आधार उसमें रखा गया है? योजना आयोग की रिपोर्ट के आधार पर मंत्री जी 27 फीसदी लोगों की रिपोर्ट दे रहे हैं लेकिन क्या यह सच नहीं है कि आज ग्रामीण अंचलों में 60 से 70 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। आगजनी, बाढ़ और सुखाड़ में लोगों की दुकानदारी और व्यापार चौपट हो जाता है, क्या इसे आधार माना जाता है या नहीं?

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू : यह निर्धनता का निर्णय करने का दिशानिर्देश नहीं हो सकता। यह सच है कि चक्रवात, बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के किसान जिनमें कृषि श्रमिक शामिल हैं भी इससे पीड़ित होते हैं। यह एक तथ्य है। किन्तु मात्र वही लोगों की निर्धनता के स्तर का निर्णय करने का मापदंड नहीं हो सकता।

द्वितीयत:, जब मैंने आंकड़ों को उद्धृत किया था, तो मैंने कहा था कि साक्षरता दर में वृद्धि हुई है, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, बाल मृत्यु दर में कमी हुई है, लोगों के जीवन अवधि में समग्र रूप से वृद्धि हुई है और ग्रामीण लोगों के प्रति व्यक्ति उपभोग के स्तर में वृद्धि हुई है। लोगों के निर्धनता संबंधी अनुपात का निर्णय करते समय इन सभी संकेतकों पर विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : लोग पांच-पांच साल गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। दो-दो साल तक उनकी फसल नष्ट हो जाती है। आलू का किसान तीन साल से बर्बाद है। वह खाद का पैसा नहीं दे पा रहा है, कर्ज अदा नहीं कर पा रहा है। जहां भूचाल आता है वहां दस साल लग जाते हैं। क्या आप इसे आधार नहीं बनाएंगे?

श्री एम. वैंकय्या नायडू : अध्यक्ष महोदय, बाढ़ और तूफान के कारण किसान को नुकसान होता है। गांवों में रहने वाले गरीब लोगों का भी नुकसान होता है। मगर मैंने उत्तर में बताया है कि गरीबी रेखा को निश्चित करने के लिए यह मापदंड नहीं है। यह एक कारण हो सकता है लेकिन केवल उसी कारण गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की परसैंटिज कम करना या इनक्रीज करके बताना संभव नहीं है।

श्री मुलायम सिंह यादव : ये आंकड़े गलत हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस देश में सभी राज्यों में भारी अंतर है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या आगामी दसवीं योजना के लिए कोई नई योजना अथवा कार्यनीति की योजना बनाई जा रही है जिसमें बीमारू राज्यों पर विचार किया जाएगा विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश पर विशेष बल दिया जाएगा जहां यह समस्या बहुत गंभीर है। ग्रामीण क्षेत्रों में 'काम के बदले अनाज' और अन्य कार्यक्रम लोगों के लिए अत्यन्त कठिन बनते जा रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इन दो राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कोई विशेष कार्यनीति बनाई जा रही है।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : मध्य प्रदेश और राजस्थान क्यों नहीं?

श्रीमती श्यामा सिंह : मैंने बीमारू राज्य कहा। अत: इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं?

श्री एम. वैंकय्या नायडू : अध्यक्ष महोदय, मुझे इन राज्यों को बीमारू राज्य कहते हुए सदैव संकोच महसूस होता है। यह सच है कि ये राज्य राष्ट्रीय औसत से पीछे चल रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री ने भी पिछले बजट भाषण में स्पष्ट संकेत दिया है कि वह देश में सर्वाधिक पिछड़े जिलों की पहचान करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर रहे हैं। स्वभावत:, इन राज्यों को बड़ा हिस्सा मिलेगा। अनेक जिलों को लाभ मिलेगा। यह समिति इन राज्यों में

ग्रामीण युवकों के रोजगार के अवसरों पर ध्यान देने हेतु गठित की गई है।

श्रीमती श्यामा सिंह : क्या आगामी दसवीं योजना में बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए कुछ हो रहा है?

श्री एम. वैंकय्या नायडू : मैं बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में विशिष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकता।

निश्चित रूप से जिलों के विशेष संदर्भ में देश के पिछड़े क्षेत्रों पर अधिक जोर दिया जाएगा। कुछ माननीय सदस्य कह रहे थे कि पिछड़े जिलों की पहले ही पहचान कर ली गई थी। मैं सदन को विश्वास में लेकर यह कह सकता हूं कि हम उस पहचान पर नहीं चल सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछड़े जिलों की उस पहचान से क्षेत्रीय विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। उस तथाकथित समिति द्वारा पूर्व में विचार किए गए 100 जिलों में से केवल एक जिला ही सम्पूर्ण दक्षिण से लिया गया है। इसलिए विभिन्न राज्यों के बीच यह कलह का मामला है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब योजना आयोग और ग्रामीण विकास मंत्रालय इस मामले पर विचार कर रहे हैं। हम नए सूचकों का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी राज्य विशेष में पिछड़े जिले को कैसे परिभाषित किया जाए। यह नई सोच चल रही है।

श्री के. येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, मैं योजना आयोग द्वारा दिए निर्धनता संबंधी अनुपातों पर विवाद खड़ा नहीं कर रहा हूं। खतरनाक बात यह है कि वर्ष 1994-95 और 1998-99 के बीच खर्च न की गई धनराशि 2300 करोड़ रुपए और 4300 करोड़ रुपए थी। यह धनराशि 2000 करोड़ रुपए या 3000 करोड़ रुपए से अधिक थी। भारत सरकार और राज्य सरकारों का उद्देश्य निर्धनता का उन्मूलन करना है। प्रतिवर्ष बजट में वृद्धि हो रही है और आवंटन में भी वृद्धि हो रही है। धन की कोई समस्या नहीं है। किन्तु राज्य धनराशि का उचित रूप से उपयोग नहीं कर रहे हैं। यदि सभी राज्य वित्तीय अड़चनों का सामना कर रहे हैं तो ग्रामीण विकास मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों के तहत काफी धनराशि प्रदान कर रहा है। राज्य इस धनराशि का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? यह अन्तराल क्या है? उन्होंने उस धनराशि का उपयोग क्यों नहीं किया है? वित्तीय वर्ष शुरू होने के बाद धनराशि जारी की जाती है। जब भी राज्य सरकार साठ प्रतिशत धनराशि खर्च कर लेती है तो भारत सरकार दूसरी किस्त जारी कर देती है। इसके बाद भी राज्य सरकारें धनराशि का उपयोग नहीं कर रही हैं। पूरे देश में निर्धनता अनुपात में कमी आई है। आंध्र प्रदेश में निर्धनता अनुपात में भारी गिरावट आई है। इसलिए, यदि कोई राज्य प्रतिवर्ष शत प्रतिशत धनराशि खर्च कर लेता है और उसकी राशि बिना खर्च किये नहीं रहती तो सामान्यतया निर्धनता अनुपात में गिरावट आती है। कुछ राज्यों में विशेषकर उत्तरी राज्यों में प्रतिवर्ष खर्च न की गई शेष बची धनराशि अस्सी प्रतिशत से अधिक है। हम निर्धनता में कमी की बात कर रहे हैं। हम राज्य सरकारों के साथ किस तंत्र को विकसित कर रहे हैं? अन्यथा, हमें धनराशि सीधे जिला प्रशासन को भेजनी चाहिए। निर्धनता का उन्मूलन करने की योजना उन्हें बनानी पड़ती है। उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय में भी कहा गया है कि यदि राज्य सरकारें धनराशि का उचित रूप से उपयोग नहीं कर रही हैं और वे धनराशि का अन्यत्र उपयोग करती हैं तो केन्द्र सरकार को दूसरी किस्त जारी नहीं करनी चाहिए। भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, माननीय सदस्य पूर्ण अधिकार और पर्याप्त अनुभव के साथ बोल रहे हैं क्योंकि वह पहले ग्रामीण विकास मंत्री थे। यह सच है जो देश भर में लोगों के मन को आंदोलित कर रहा है।

आपके यहां निर्धनता है। आपके पास कार्यक्रम हैं। फिर भी धनराशि उचित रूप से खर्च नहीं की जा रही है और धनराशि खर्च भी नहीं हो पाती है। ऐसा उस सूचना के अनुसार भी है जो मैंने सदन को दी है। मैं यहां राज्यों के विरुद्ध कोई अतिरंजित बयान नहीं देना चाहता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो धनराशि मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए आवंटित है वह राज्यों को भेज दी जाती है और राज्यों के माध्यम से डी.आर.डी.ए. को भेजी जाती है। राज्य समय-समय पर धनराशि जारी करते हैं। कतिपय घटकों में 25 प्रतिशत का समानुपाती अनुदान भी दिया जाता है। उनसे धनराशि जारी करने की आशा की जाती है। इस धनराशि को जिला प्रशासन द्वारा खर्च करना होता है।

यहां, दो या तीन बातें हैं जो राज्यों के साथ वार्ता के दौरान मेरे ध्यान में आई हैं। प्रथमतः, केन्द्र से जारी धनराशि कुछ मामलों में जिलों को तत्काल जारी नहीं की जाती। दूसरे, जब वे धनराशि जारी करते हैं तो वे राज्यों की 25 प्रतिशत के समानुपाती हिस्सों को नहीं कर पाते। तीसरे, जिला स्तर पर समग्र शासन और प्रशासन में और अधिक सुधार लाए जाने की आवश्यकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, जनमत तैयार करने और जिला प्रशासन पर पर्याप्त दबाव बनाने के उद्देश्य से देश भर में अपनी प्रथम चरण की यात्रा करने और राज्यों के साथ परामर्श करने के बाद मैंने निर्णय किया है कि जो भी धनराशि जारी की जाती है उसे संचार माध्यमों के माध्यम से भी प्रसारित किया जाये ताकि यह सूचना विधान मंडलों और संसद सदस्यों तक पहुंच सके। इसके अतिरिक्त, जिला परिषदों में पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। इस पहल के बाद कुछ सुधार हुआ है। मैं दावा नहीं करता कि शत प्रतिशत सुधार हुआ है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर : आपको इसमें संसद सदस्यों को सम्मिलित करना होगा। इस बात की लगातार मांग की जा रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप उत्तर जारी रखें।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : कुछ सुधार हुआ है क्योंकि लोगों को सूचना का अधिकार देना बहुत महत्वपूर्ण है। जिला परिषदें इन बातों को अब जानती हैं। उन्हें पता होता है कि कितनी धनराशि आ रही है; वे इस धनराशि को खर्च क्यों नहीं कर पाती। अन्त में, उन्हें व्यय का हिसाब रखना होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य द्वारा दिया गया एक सुझाव यह है कि धनराशि सीधे डी.आर.डी.ए. को भेजी जा सकती है...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : यह धनराशि सीधे पंचायतों को भेजी जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडू : हाल ही में भारत सरकार द्वारा पंचायती राज सम्मेलन बुलाया गया था जहां माननीय प्रधान मंत्री और माननीय विपक्ष की नेता और राज्यों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। एक सुझाव दिया गया कि हमें स्थानीय निकायों को सीधे धनराशि भेजने के बारे में सोचना चाहिए। इस सुझाव को भारत सरकार का समर्थन मिल रहा है। इससे पहले कि मैं संसद में नया कानून लाऊं अथवा संविधान में संशोधन की बात रखूं मैं सभी राजनीतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करने का प्रयास कर रहा हूं। हम संघीय व्यवस्था में काम कर रहे हैं। हमें पर्याप्त परामर्श करना होगा। इसीलिए यह विलम्ब हो रहा है। हम विस्तृत मानदंडों की रूपरेखा बनाने की प्रक्रिया में हैं। तत्पश्चात् राज्यों से विचार-विमर्श करेंगे और उसके पश्चात् पुनः संसद के पास वापिस आएंगे ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : उच्चतम न्यायालय के निर्देश का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, मैं एक समय पर एक प्रश्न की ही अनुमति दे सकता हूं।

[हिन्दी]

डा. जसवन्तसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खास तौर से एक जानकारी चाहूंगा कि जो गरीबी की रेखा के चयन की प्रक्रिया है, वह बहुत पुरानी है और मैंने देखा है कि गांवों में वर्तमान समय में जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का चयन हो रहा है, वहां जो गांव का प्रधान या प्रतिष्ठित व्यक्ति है, वह अपने बच्चों के नाम या दूसरे लोगों के नाम गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों में चयन कराकर, उसका फायदा ले रहा है। क्या केन्द्र सरकार इस बात का प्रयास करेगी कि गांव में जो वास्तव में गरीब है और गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं, उन लोगों तक इसका फायदा पहुंचे? क्या सरकार उन नियमों को, जो वर्तमान समय में बने हैं, बदलने पर विचार कर रही है - यही मैं जानना चाहता हूं?

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू : मैं सभा को पहले ही सूचित कर चुका हूं कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वालों की जनसंख्या के संबंध में एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा। इन चिंताओं से समिति को भी अवगत कराया जाएगा। एक बार समिति सिफारिशें कर दे तो हम किसी निर्णय पर पहुंचेंगे। राज्यों को विश्वास में लिया जाता है। कतिपय पैरामीटरों पर योजना आयोग निर्णय लेता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, इस पर दृष्टिपात करना होगा।

ऐसी शिकायतों पर जहां सरपंचों ने पात्र व्यक्तियों के नाम हटाकर अपने परिवारों के सदस्यों के नाम शामिल कर दिए हैं और इसी प्रकार की शिकायतों के बारे में यदि मुझे जानकारी मिलती है तो मैं उन्हें संबंधित व्यक्तियों को भेजकर उनसे जवाब मांग सकता हूं। अतिश्योक्तिपूर्ण टिप्पणियां करना उचित नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : ये इण्डीविजुअल शिकायतें नहीं हैं, व्यापक रूप से गांव-गांव में यही हुआ है जिनके दो-दो ट्रैक्टर हैं, उनके नाम लिखे हैं और जिनके पास शाम को खाने को नहीं है, उनके नाम उस सूची में नहीं हैं। ...*(व्यवधान)*

डा. जसवन्तसिंह यादव : जिनके शहरों में मकान हैं, वे चयनित परिवार हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप श्री यादव के प्रश्न का उत्तर ही पूरा करिये।

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू : यदि विशिष्ट शिकायतें की जाती हैं तो निश्चित तौर पर मैं उन्हें संबंधित व्यक्तियों को भेजूंगा और उनसे जवाब मांगूगा।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं प्रश्न करने वाले माननीय सदस्य को बधाई देना चाहता

हूं। देश भर में गरीबी पसरी पड़ी है। जो निधियां मिल रही हैं, वह अपर्याप्त हैं। तिस पर भी, जो निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, वे खर्च नहीं की जा रही हैं।

मैं यह समझता हूं कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन केन्द्र सरकार नहीं करती बल्कि इनका कार्यान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है, लेकिन फिर भी केन्द्र सरकार की यह जिम्मेवारी है कि राज्य सरकारों को जो निधियां दी जाती हैं उन्हें राज्य सरकारें खर्च करें। इस संबंध में केंद्र संविधान के तहत निदेश दे सकता है। वार्षिक योजना तैयार करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं कि राज्य सरकारों को दी जाने वाली निधियां खर्च की जाएं। राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से भी ऐसा किया जा सकता है। मुझे डर है कि यदि लम्बे समय तक यही स्थिति चलती रही तो कोई न कोई सर्वोच्च न्यायालय जाकर जनहित याचिका दायर कर देगा और सर्वोच्च न्यायालय का कहना होगा कि: ''देखिए, यह आपका संवैधानिक उत्तरदायित्व है और आप अपने संवैधानिक कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम आपके खिलाफ निर्णय देते हुए धन खर्च करने का आदेश देते हैं।'' मेरे विचार से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जानी चाहिए। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो और विधायिका यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालिका को कुछ सुझाव दे।

एक बात जो मंत्री महोदय ने कही हम इसके लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि निधियों के खर्च किए जाने के मामले में वह कुछ त्वरित कदम उठाना चाहते हैं और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए संविधान संशोधन का भी सहारा लेंगे। लेकिन, 2000 से लेकर 4,000 करोड़ रुपये तक की राशि खर्च नहीं की जाती है। हम इस पक्ष का उस पक्ष पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं या पिछली सरकार और वर्तमान सरकार को दोष नहीं दे रहे हैं। हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस बात को रेखांकित कर रहे हैं कि बहुत गरीबी है, पैसा नहीं है और उपलब्ध धन को खर्च किया जाना चाहिए और इसे त्वरित तरीके से खर्च किया जाना चाहिए।

हम मंत्री महोदय से जानना चाहता हैं कि वह किस प्रकार और कितनी जल्दी यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें जो निधियां दी जाती हैं वे खर्च हों और वे गरीबी उन्मूलन के लिए खर्च हों।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और यह स्वाभाविक ही है कि सदस्य आन्दोलित हैं। मैं इसे स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं इस सरकार या उस सरकार की बात नहीं करता या किसी व्यवस्था की भी बात नहीं करता। *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : मैं इसके बारे में सोचता भी नहीं क्योंकि यह एक सतत प्रक्रिया है और यह देश के समूचे राजनीतिक नेतृत्व की इच्छा है कि गरीबी के स्तर में यथेष्ट कमी आए। यदि मैं अपने आंकड़ों के अनुसार भी बात करूँ - हालांकि श्री मणिशंकर अय्यर इससे सहमत नहीं हैं - तो आजादी के 53 साल बाद भी 26 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन कर रहे हैं। यह देश के समक्ष बड़ी चुनौती है। मैं इसे स्वीकार करता हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील ने ठीक ही कहा है कि धन की कमी है। साथ ही, जो धन उपलब्ध है उसे खर्च नहीं किया जा रहा है। यह एक ऐसा तथ्य है कि जिससे मैं इंकार नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही, हालांकि यह पुनरावृत्ति होगी, मुझे यह कहना है कि महोदय, मैं सभी राज्यों में गया हूं; मुख्यमंत्रियों से मिला हूं; उनके साथ गहन विचार-विमर्श किया; और उनको पिछले तीन या चार वर्ष के कार्यनिष्पादन का ब्यौरा दिया और प्रत्येक जिले में क्या हो रहा है, इस बात का ब्यौरा दिया। मैंने यहीं पर अपनी कोशिश समाप्त नहीं की। बाद में मैंने मीडिया के माध्यम से किसी राज्य विशेष को जारी की गई राशि की समीक्षा भी करनी शुरू की ताकि जनता में भी एक राय कायम हो। हमने जिला प्रशासन से कहा कि उनके लिए पंचायत के सूचना पट पर यह जानकारी देना आवश्यक है कि किसी वर्ष विशेष में कितना पैसा आया और किस कार्यक्रम के लिए आया, यह इंदिरा आवास योजना के लिए है या स्वच्छता, पेयजल आदि के लिए है, ताकि स्थानीय लोग भी सवाल पूछना शुरू करें और आवश्यक बहस शुरू हो जाए।

हमने कहा है कि ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा होनी चाहिए किन्तु इतना बड़ा देश है, बहुत सारे राज्य हैं और इसमें काम करने वाली बहुत सी एजेंसियां हैं। इस सबके होते हुए भी, जैसा कि मैंने कहा, 2000 करोड़ या 2300 करोड़ रुपये एक बड़ी राशि है। यदि हम इसकी तुलना ग्रामीण विकास पर खर्च की जाने वाली लगभग 13,650 करोड़ रुपये की राशि से करें तो 2000 करोड़ की राशि एक बड़ी राशि है। लेकिन, मैं सभा को नम्रतापूर्वक यह बताना चाहता हूं कि हाल के वर्षों में कुछ सुधार हुआ है। किन्तु, मैं उतने सुधार से संतुष्ट नहीं हूं। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक डिवीजन के लिए आबंटित धन पूरी तरह खर्च हो।

यदि माननीय सदस्यों के पास इस धन को खर्च करने के संबंध में कोई सुझाव हों तो कृपया अपने-अपने सुझाव दें। इस

ओर से एक सुझाव आया है और मैं उस पर सकारात्मक रूप से विचार कर रहा हूं। एक अन्य सुझाव योजनाओं की निगरानी करने में संसद सदस्यों को शामिल करने का है। यह सुझाव भी विचाराधीन है। तीसरा सुझाव अधिक स्थानीय निकायों को शामिल करने का है, जो एक सार्थक सुझाव है, और सरकार इस पर सक्रियतापूर्वक विचार कर रही है। अंततः पैसा स्थानीय क्षेत्रों में ही जाता है।

सरकार ये सब कदम उठा रही है। मेरे पास कोई बना-बनाया और अपने आप काम करने वाला समाधान नहीं है। मुझे राज्यों को साथ लेना है और मैं राज्यों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि राज्य दिसम्बर तक यह पैसा खर्च नहीं करते तो मैं दस प्रतिशत की कटौती कर दूंगा।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : डी.आर.डी.ए. प्रणाली के तहत पैसा खर्च नहीं किया जाएगा।

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, यदि दिसम्बर के अंत तक राज्य दूसरी किस्त की मांग नहीं करते तो 10 प्रतिशत की कटौती कर दी जाएगी। यदि वे जनवरी के अंत तक मांग नहीं करते तो 20 प्रतिशत कटौती और मार्च तक मांग नहीं करने पर 30 प्रतिशत कटौती कर दी जाएगी। किन्तु, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या यही समाधान है। उनका कहना है कि राज्य धन खर्च नहीं कर रहे हैं और आप स्थानीय निकायों को दंड दे रहे हैं। मैं भी इस दुविधा का सामना कर रहा हूं। इसीलिए, मैंने कहा है कि यदि सदस्यगणों के पास बेहतर सुझाव और विचार हैं तो उन पर भी विचार किया जाएगा। हम यह सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि पैसा समय पर खर्च किया जाए और उचित कार्य के लिए ही खर्च किया जाए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार का आधा पैसा गांवों तक नहीं पहुंचता है, बीच में ही चोरी हो रहा है। इसलिए इनका कोई दोष नहीं है। आप इसकी फुल फ्लैज्ड जांच कराइए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी.एच. पांडियन : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण जनता का जीवन-स्तर ग्रामीण आवास और रोजगार उपलब्ध कराकर सुधारा जाना है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या ग्रामीण आबादी का जीवन स्तर सम्पन्न लोगों के समकक्ष हो गया है या किस समय तक या किस वर्ष तक उनका जीवन-स्तर सम्पन्न लोगों के समकक्ष हो जाएगा।

अभी उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति ग्रामीण आवास, तन ढकने लायक कपड़े और रोजगार की गारंटी उनके सहारे ही हो रही है। यह उनके जीवन निर्वाह का प्रश्न है। क्या ये गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम उनके जीवन-निर्वाह की भी गारंटी देते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनका जीवन स्तर सुधरेगा और क्या ग्रामीण जनता को भविष्य में सम्पन्न बनने की गारंटी मिलेगी। सरकार राजव्यवस्था है और 1952 से ही अर्थात् पिछले 50 वर्षों से कल ही हमने अपनी संसद की 50वीं वर्षगांठ मनाई है - ग्रामीण जनता के जीवन स्तर में सुधार की बात करते चले आ रहे हैं। वर्ष 1994-95 में इस कार्य पर 2,385 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। और 1995-96 में 4,375 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे।

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, दस्तावेज उनके पास भी हैं। कृपया उन्हें पढ़कर मत सुनाइए। कृपया प्रश्न कीजिए।

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जो राज्य धन को खर्च नहीं कर रहे हैं, मंत्री महोदय उनके नाम क्यों नहीं बता रहे हैं। यदि वे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए आबंटित धनराशि को खर्च करने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनके पास व्यय करने के लिए एक कार्यक्रम अवश्य होना चाहिए, मंत्रालय से और अधिक धन मांगने के लिए उनके पास एक कार्यक्रम अवश्य होना चाहिए और उन्हें केन्द्र से धन अवश्य लेते रहना चाहिए।

महोदय, यह धन यहां विनियोग विधेयक पारित करके विनियोजित किया जा रहा है और पिछले एक वर्ष से माननीय मंत्री जी यह कहते रहे हैं कि वे केन्द्र सरकार द्वारा विनियोजित की जा रही धनराशि की निगरानी करने के लिए एक संसदीय समिति की नियुक्ति किए जाने के पक्ष में हैं। केन्द्र सरकार के धन की संसदीय समिति द्वारा निगरानी की जानी चाहिए। अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र सरकार एक संसदीय समिति के माध्यम से इसकी निगरानी करेगी।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि ग्रामीण भारत के लोग किस प्रकार अमीर बनाए जाएंगे जिसकी सम्प्रति गारण्टी नहीं दी गयी है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रभान सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा कहना है कि अब तक सवाल काफी हो गए हैं लेकिन माननीय सदस्य संतुष्ट

Scanned by CamScanner

नहीं हैं, इसलिए इस विषय पर आप दो घंटे की बहस करा दीजिए। ...*(व्यवधान)* यह बहस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग मर रहे हैं और यहां आंकड़े गलत दिए जा रहे हैं। आप इस पर बहस करा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हुआ हूं। आप कृपया बैठिए।

[अनुवाद]

पहले श्री प्रधान के प्रश्न का उत्तर देने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न के महत्व को समझता हूं। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है और यदि एक उचित नोटिस दिया जाता है तो कार्यमंत्रणा समिति यह निर्णय ले सकती है कि क्या इस मुद्दे पर किसी विशेष नियम के अधीन चर्चा करायी जा सकती है। अत: इस विषय पर चर्चा की अनुमति नहीं दिए जाने का सवाल ही नहीं है। किन्तु, इस बीच, श्री पांडियन ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। माननीय मंत्री जी को उसका उत्तर देने दीजिए।

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, उन्होंने पूंजीवादी उत्तर को नहीं त्यागा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पांडियन, मैंने आपको पुन: प्रश्न पूछने के लिए नहीं कहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, क्या संसदीय समिति की नियुक्ति हो सकती है? आप परिस्थिति के अनुसार उत्तर दें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी : इस विषय पर पिछली बार आश्वासन दिया गया था। इसलिए सदन में इस पर बहस करा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण मसला है। ...*(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडू : मैं आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं।

[अनुवाद]

कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने लगभग पूरी राशि खर्च कर दी है। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 80 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय की है। संसद में जो आंकड़े दिए गए थे वे जोड़कर दिए गए थे। मान लीजिए कि आप जो राशि पिछले वर्ष खर्च नहीं कर पाए, वह इस वर्ष भी जुड़ पाएगी। अत: इन आंकड़ों को इस पृष्ठभूमि में समझा जाना चाहिए कि जो राशि गत वर्ष खर्च नहीं हो पायी वह इस वर्ष में जुड़ गयी है। यह एक बात है।

द्वितीयत: श्री पांडियन द्वारा राज्यों के बारे में रहस्योद्घाटन करने संबंधी विभिन्न प्रश्न के संदर्भ में, मैं 'रहस्योद्घाटन' शब्द का प्रयोग करना नहीं चाहता। किन्तु मैं प्रत्येक राज्य द्वारा व्यय नहीं की गयी राशि संबंधी आंकड़ों को सदन के पटल पर रखने को तैयार हूं ताकि माननीय सदस्य इस जानकारी का उपयोग कर सकें ...*(व्यवधान)*

मैं इसे राज्यवार और कार्यक्रमवार सदन के पटल पर रखूंगा ताकि सदस्य इसे देख सकें और अपनी संबंधित राज्य सरकारों के साथ इस मुद्दे को उठा सकें।

तीसरे, उन्होंने एक विशिष्ट प्रश्न भी पूछा है कि सरकार सभी गरीबों का उत्थान कब तक करेगी। मैं इस प्रश्न का कोई विशेष उत्तर नहीं दे सकता। किन्तु, इसके लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों, दोनों को प्रयास करना होगा। लेकिन साथ ही, मेरे पास आवास के संबंध में निश्चित आंकड़े हैं। सन् 2010 तक हम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों के लिए पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध कराना चाहेंगे।

पेयजल के संबंध में भी, हमने अब तक 89 प्रतिशत क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करा दिया है और 10 प्रतिशत क्षेत्र को आंशिक रूप से उपलब्ध करा दिया है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य : यह लिखित में है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह : सरकारी आंकड़े बिल्कुल गलत हैं। ...*(व्यवधान)* गरीबी जहां की तहां है, कम नहीं हुई है। ...*(व्यवधान)*

श्री एम. वैंकय्या नायडू : पॉवर्टी बढ़ी है, ऐसा कहना उचित नहीं है। ऐसा कहना देश के साथ अन्याय करना है। ...*(व्यवधान)*

श्री चन्द्रनाथ सिंह : गरीबी बढ़ी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू : गरीबी का स्तर निश्चित रूप से कम हुआ है। ...*(व्यवधान)* हम प्रयास कर रहे हैं कि ये आंकड़े और नीचे आएं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयास से और सभी संसद सदस्यों के सहयोग से हम आने वाले वर्षों में गरीबी समाप्त करने में समर्थ होंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रनाथ सिंह : मंत्री जी, क्या इस पर चर्चा कराना चाहेंगे? ...*(व्यवधान)* क्या इस पर चर्चा कराएंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है इस विषय पर आप नोटिस दीजिए। नोटिस आने के बाद इस विषय पर जरूर चर्चा करायी जा सकती है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू : मुझे चर्चा कराने में भी कोई आपत्ति नहीं है। मैं चर्चा के लिए तैयार हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, चूंकि मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया गया है, इसलिए मैं वाक आउट करता हूं।

पूर्वाह्न 11.44 बजे

(तत्पश्चात् श्री रामदास आठवले सभा भवन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन

***682. श्री दिनशा पटेल** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से, विशेषकर गुजरात सरकार से, इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जिलावार निधियों के आबंटन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) आबंटन आधारित योजना के रूप में क्रियान्वित की गई है जिसके अंतर्गत धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानदंडों के अनुसार वर्ष दर वर्ष आधार पर राज्य और जिलावार आबंटित राशि वितरित की जाती है।

आपात परिस्थितियों में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मकानों के निर्माण के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। पिछले तीन वर्षों में इस संबंध में संलग्न अनुबंध में दिए ब्यौरे के अनुसार उड़ीसा, उत्तरांचल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है।

वर्ष 2000-2001 के दौरान गुजरात की सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूकम्प से प्रभावित गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के लिए 45,000 अतिरिक्त मकान बनाने के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मांगी थी। इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार को अब तक इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 75 करोड़ रुपए और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास) के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास) के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए रिलीज किये गये हैं।

2002-2003 के दौरान गुजरात की सरकार ने राज्य के 19 जिलों में दंगों से प्रभावित परिवारों के लिए पूरी तरह से नष्ट हो गये 3404 मकानों के निर्माण/पुनर्निर्माण तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त 7729 मकानों की मरम्मत के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दिए जाने का अनुरोध किया है। अब तक राज्य सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में 1530.99 लाख रुपये की राशि रिलीज की गई है।

अनुबंध

1999-2000 से आज तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत दी गई अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के वर्षवार और राज्यवार विवरण

वर्ष	राज्य का नाम	आपात स्थिति	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4
1999-2000	उड़ीसा	भीषण समुद्री तूफान	4125.00
2000-2001	उड़ीसा	भीषण समुद्री तूफान	9850.12

1	2	3	4
2000-2001	उड़ीसा	भीषण समुद्री तूफान	14026.82
2000-2001	उत्तरांचल	भूकम्प	108.34
2000-2001	गुजरात	भूकम्प	4900.00
2001-2002	गुजरात	भूकम्प	2600.00
2001-2002	उड़ीसा	बाढ़	8250.00
2001-2002	उड़ीसा	भीषण समुद्री तूफान	33000.00
2001-2002	आन्ध्र प्रदेश	भारी वर्षा/तूफान	3750.00
2001-2002	जम्मू और कश्मीर	सीमा पार से गोलीबारी	330.00
2001-2002	हिमाचल प्रदेश	बाढ़	412.50
2002-2003	गुजरात	दंगे	1530.99
2002-2003	उत्तरांचल	भू-स्खलन	412.50

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल : मैंने प्रश्न इंदिरा आवास के बारे में पूछा था लेकिन जो रिप्लाई दिया गया है, वह गलत रिप्लाई दिया गया है। इंदिरा आवास के मकान बनाने के लिए और बनाने के बाद मकान अलॉटमेंट करने के लिए क्या कोई मानदंड रखे गये हैं और यदि रखे गये हैं तो क्या मानदंड रखे गये हैं। आज सभी चीजों की कीमत बढ़ रही है, महंगाई भी बढ़ रही है और रुपये की कीमत कम हो रही है। गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। ...*(व्यवधान)* पहले प्रश्न का गलत रिप्लाई दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत जो मकान बन रहे हैं, उसकी कीमत और ज्यादा पैसा देकर अच्छे मकान बनें और जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको मकान मिलें क्योंकि यहां अभी एक सवाल में कहा गया है कि जिसे मकान देना है, उसे नहीं मिलता है जबकि दूसरे लोगों को मकान मिल जाता है।

कहीं-कहीं लोग एक की जगह दो मकान भी ले लेते हैं। इसकी मोनिटरिंग करके जरूरतमंद लोगों को मकान जल्दी मिलें और इसके साथ ही जो टारगेट तय किया है, उसमें मकान ज्यादा बनने चाहिए - मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस विषय में सरकार ने क्या सोचा है?

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू : उनके द्वारा पूछे गए पहले अनुपूरक के संबंध में कि इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत प्रत्येक इकाई के लिए धनराशि बढ़ायी जाए, आज की तिथि के अनुसार सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव इस साधारण कारणवश नहीं है कि उपलब्ध धनराशि सीमित है और जनसंख्या में बढ़ोत्तरी के साथ आवास की मांग भी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। यह सोचकर यदि आप प्रति इकाई लागत को बढ़ाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसके अन्तर्गत आने वाले लाभार्थियों की संख्या घटेगी और प्रतिक्रिया भी होगी।

लेकिन साथ ही मैं सदस्य की यह बात स्वीकार करता हूं कि मैदानी क्षेत्र में 20000 रु. और पर्वतीय क्षेत्र में 22000 रु. की राशि एक घर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस योजना के पीछे यह विचार है कि लाभार्थी भी इसमें योगदान दें, क्योंकि अन्ततः वे अपने लिए घर बना रहे हैं जिसका वे स्थायी रूप से उपयोग करेंगे। उन्हें या तो श्रमदान करके या अतिरिक्त सामग्री जुटा कर जो भी उस क्षेत्र विशेष में उपलब्ध हो ताकि उन्हें अच्छे मकान मिल सकें - योगदान करना चाहिए।

मैंने देश का भ्रमण किया है। कुछ इलाकों में, मैंने देखा कि लाभार्थियों ने अपने योगदान के कारण भी अच्छे मकान बनाए हैं।

दूसरे, अपात्र व्यक्तियों को ये मकान मिलने संबंधी उनके प्रश्न के विषय में, आज प्रणाली यह है कि केन्द्र सरकार गृह विहीन

व्यक्तियों और गरीबी के अनुपात के आधार पर प्रत्येक राज्य को इकाइयों की संख्या का आबंटन करती है और राज्य सरकार परामर्श करके यह तय करती है कि प्रत्येक जिले को कितनी इकाइयां मिलें। जिला परिषद् और डीआरडीए भी ग्रामवार आंकड़ों से दर्शाते हैं कि कौन से गांव को कितनी इकाई मिलनी चाहिए। गांव की ग्राम सभा को ऐसा करना होता है और लाभार्थियों की संख्या की पहचान करनी होती है।

मैं सदस्य की शिकायत पर ध्यान दूंगा, कुछ मामलों में अपात्र व्यक्तियों को ये घर मिल रहे हैं। यदि मेरे ध्यान में कई विशेष शिकायत लायी जाती है, तो मैं सदस्य को आश्वासन देता हूं कि मैं इसकी जांच करवाऊंगा और देखूंगा कि इन अपात्र लोगों को हटाया जाए और पात्र व्यक्तियों को लाया जाए।

अन्त में, मैं संसद सदस्यों से भी अपील करता हूं कि वे भी देखें कि उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत ग्राम सभाओं की नियमित बैठकें हों और यह सुनिश्चित करें कि वे ही लाभार्थियों का चयन करें। यही आदर्श स्थिति है जिसमें हम सबको कार्य करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल : अध्यक्ष महोदय, गुजरात में तीन साल पहले बड़ा साइक्लोन आया, जिसकी वजह से कांदला में बहुत भारी नुकसान हुआ। फिर गुजरात के क्छ और महाराष्ट्र में भूकम्प के कारण मकानों के गिरने से बहुत भारी नुकसान हुआ और अब ढाई महीने से दंगे चल रहे हैं, जिसकी वजह से भारी नुकसान हो रहा है। इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में ज्यादा मकान बने हैं। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री, श्री चन्द्रबाबू नायडू अपने यहां मकान बनवा रहे हैं, लेकिन हमारे यहां मकान जल रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार के पास इंदिरा आवास हेतु स्पैशल पैकेज की मांग की है, कोई आवेदन किया है या नहीं और कितना पैसा मांगा है, क्योंकि उत्तर में बताया गया है कि भूकम्प और दंगों के कारण पैसे दिए गए हैं?

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, जहां तक गुजरात का संबंध है, मैं आशा करता हूं कि सदस्य राज्य सरकार के कार्यकरण के संबंध में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से बचेंगे क्योंकि यह प्रश्न काल है।

गुजरात को वर्ष 2002-03 के लिए इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 3468.87 लाख रुपये का आबंटन किया गया। हाल ही में गुजरात सरकार ने छह नये जिलों का गठन किया है। राज्य सरकार से आवास की कमी संबंधी आंकड़े मांगे गये हैं और ये अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। इसीलिए इस वर्ष विशेष में गुजरात के लिए जिला-वार विशिष्ट आबंटन नहीं किया गया है।

गुजरात का वास्तविक कार्यनिष्पादन भी अच्छा रहा है। मैंने पहले भी बताया है और मैं पुन: इस बात को दोहरा रहा हूं कि भूकम्प के बारे में हमने उन्हें बता दिया है कि गरीबी रेखा से नीचे रहे वाले लोगों के जितने भी मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं केन्द्रीय सरकार उन सभी मकानों के लिए धन देना चाहती है।

महोदय, गुजरात सरकार ने 45,000 मकानों की पहचान की है। हमने उन्हें आवश्यक धनराशि दे दी है। धनराशि जारी भी कर दी गई है। महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में भूकम्प से प्रभावित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए 75 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। यह मेरा पहला मुद्दा है। दूसरे, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले दंगा प्रभावित लोगों के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के संबंध में गुजरात सरकार ने एक प्रतिवेदन भेजा है जिसमें कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 3,404 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में 7.729 मकानों को आंशिक क्षति पहुंची है। हमने उन्हें बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्णत: क्षतिग्रस्त मकानों के लिए हमारे पास 20,000 रुपये और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए हमारे पास 11,000 रुपये हैं। कुल मिलाकर, 15.31 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता जारी की गई है और स्वयं प्रधानमंत्री ने इस संबंध में समीक्षा संबंधी बैठक की है। मंत्री मंडल सचिव समय-समय पर स्थिति की निगरानी करते हैं। गुजरात सरकार से अतिरिक्त मांग संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त होने पर उस पर सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक सोच के साथ अविलम्ब विचार किया जाएगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, प्रश्न यह है कि गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है या नहीं?

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, मैंने भूकम्प से प्रभावित लोगों को सहायता देने संबंधी गुजरात सरकार के पूर्व अनुरोध के बारे में पहले ही बता दिया है कि 45,000 मकानों की पहचान कर ली गई है और गुजरात सरकार को पहले ही 75.25 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, और यह धनराशि गुजरात सरकार के पास उपलब्ध है। कार्य की प्रगति विभिन्न चरणों में जारी है। दूसरे दंगा प्रभावित लोगों के संबंध में मैंने पहले ही आंकड़े दे दिये हैं। मैंने यह आश्वासन भी दिया है कि गुजरात सरकार से कोई अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने पर धनराशि दी जाएगी। इस स्थिति की निगरानी कम से कम मंत्रीमंडल सचिव स्तर का व्यक्ति कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : महोदय, माननीय मंत्री जी आप यह बात दीजिए कि इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत गुजरात सरकार ने आपके पास कोई प्रस्ताव भेजा है या नहीं? आप हां या ना में बता दीजिए।

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू : यह प्रश्न 'हां' या 'नहीं' का नहीं है। प्रश्न अत्यन्त स्पष्ट है। इंदिरा आवास योजना आवंटन आधारित योजना है। यह इस प्रकार की योजना नहीं है जिसमें धनराशि मांग करने पर दी जाए। अत: गुजरात सरकार द्वारा कोई विशेष प्रस्ताव भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम गरीबी के अनुपात और लोगों की पात्रता एवं इस आधार पर कार्य करते हैं कि कितने लोगों के पास घर नहीं हैं। सौभाग्य से तुलनात्मक दृष्टि से गुजरात की स्थिति बेहतर है।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि गुजरात के अन्दर राज्य सरकार को अब तक इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत 75 करोड़ रुपए और प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत 10 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं, जिसके कारण योजना की प्रगति बहुत अच्छी तरह हो रही है। लेकिन मुझे दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि इंदिरा आवास योजा के अन्तर्गत जो मकान बनते हैं, वे मकान गांव से एक किलोमीटर या आधा किलोमीटर दूर बनते हैं। इसके साथ ही वहां बिजली, पानी और रास्ते की सुविधा नहीं मिलती है, जिससे मकान बनने के बाद भी लोग उनमें रहने के लिए नहीं जाते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत जो मकान बनते हैं, क्या वहां बिजली, पानी और रास्ते की सुविधा देकर अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई योजना बनाई गई है?

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, राज्य सरकार द्वारा आन्तरिक सड़क, जल निकासी, सफाई और जल आदि सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। स्थान की पहचान का मामला भी राज्य सरकार का जिला प्रशासन देखता है। दूसरे उन्होंने मकानों के गांवों से दूर निर्मित किए जाने का जो मामला उठाया है; मकानों का निर्माण तो उपयुक्त भूमि की उपलब्धा पर निर्भर करता है जिसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लाभग्राहियों के साथ परामर्श करके किया जाता है। यहां दिल्ली में बैठकर मैं स्थान के संबंध में कोई विशेष उत्तर नहीं दे सकता। और तीसरे जो धन की बात है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है उन भूकम्प प्रभावित लोगों के लिए धनराशि पहले ही जारी कर दी गई है। गुजरात की ओर से अतिरिक्त मांग के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त होने पर इस पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजा (पी.एम.जी.आई.) के अंतर्गत धनराशि आंशिक रूप से जारी की गई थी। जब धनराशि खर्च हो जाएगी तो उनकी पात्रता के अनुसार अतिरिक्त धनराशि भी जारी की जाएगी।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम : अध्यक्ष महोदय मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

गत मानसून के मौसम में घनघोर वर्षा एवं चक्रवात के कारण केरल राज्य को बहुत हानि हुई। भूस्खलन भी हुआ और मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए। मैं जानना चाहती हूं कि क्या केरल सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों जो कि भूस्खलन से प्रभावित हुए हैं एवं जिनके मकान बर्बाद हो गए हैं, के लिए मकान बनाने हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की मांग की है। यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे?

श्री एम. वैंकय्या नायडू : प्रश्न मुख्यत: गुजरात एवं विभिन्न राज्यों में इंदिरा आवास योजना से संबंधित है। इस समय मेरे पास केरल से संबंधित जानकारी नहीं है। मैं शीघ्र ही जानकारी एकत्रित करूंगा और माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

[हिन्दी]

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, कि मेरा इलाका बाड़मेर बहुत पिछड़ा हुआ है। आप जिन सौ जिलों की बात कह रहे हैं, यह भी उन्हीं में आता है। वहां पहले कुछ स्कीम्स शुरू हुई थीं, जिसके अंदर रेगिस्तान में डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्राउट प्रोन ऐरिया और बार्डर ऐरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शामिल हैं। इन प्रोग्राम्स के लिए केन्द्र से पैसे आ रहे थे, लेकिन हमें अफसोस है कि पिछले दो-तीन साल में इस सरकार ने वे पैसे बहुत कम कर दिए हैं। मैंने मंत्री जी से बात की थी। जसवंत सिंह जी उसी एरिया से आते हैं। मैंने उनसे भी इस बारे में बात की थी। हमारे यहां एक तरफ डिस्पेरिटी बहुत है और दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार

ने जो 40-50 प्रोग्राम बनाए थे, उनमें आप धीरे-धीरे पैसे कम करते जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हम पहले से ही गरीबों में अति गरीब हैं, आप और गरीब बनाना चाहते हैं। मेरा सवाल यह है कि प्रोग्राम खासकर रेगिस्तान के लिए बना था लेकिन आपने उसमें पैसा कम किया है - क्या आप उस पैसे को बढाएंगे? पहले का जो लेवल था, आप ज्यादा नहीं देंगे, यह मुझे पता है, क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* पहले जितना पैसा मिलता था, आप कम से कम उतना करें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू : महोदय, मैं कांग्रेस सरकार या भाजपा सरकार के विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मैं अध्यक्षपीठ के माध्यम से माननीय सदस्य को मात्र आश्वासन दे सकता हूं कि किसी भी राज्य के प्रति उसके राजनीतिक झुकाव के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

मैंने राजस्थान के उनके मुख्यमंत्री सहित सभी मुख्यमंत्रियों को बता दिया है कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अभी तक हमने किसी राज्य के प्रति भेदभाव नहीं किया है। दूसरे, राज्यों के साथ बातचीत करने एवं उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देने के प्रति हमने सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: यह एलोकेशन की बात है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू : उनके द्वारा पूछा गया यह विशेष प्रश्न मुख्य प्रश्न की सीमा में नहीं आता है क्योंकि मुख्य प्रश्न गुजरात से संबंधित है जबकि उन्होंने डी.आर.डी.ए., डी.पी.ए.पी. और अन्य कार्यक्रमों के बारे में पूछा है। दुर्भाग्य से उन्होंने माननीय मंत्री जी जसवंत सिंह का नाम लिया है। अत: मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि जहां उनके नाम का उल्लेख हुआ है वह संदर्भ कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

[हिन्दी]

डा. रामलखन सिंह: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इंदिरा आवास योजना अच्छी योजना है। इसका उद्देश्य अच्छा है। मुझे पूरे देश का नहीं पता, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में इस पैसे का पूरी तरह दुरुपयोग हो रहा है। इसके तहत जो भी पैसा दिया जाता है, जैसा अभी हमारे मित्र ने कहा कि इंदिरा आवास ऐसी जगह बनाए जाते हैं, जहां इनका उपयोग नहीं होता। मेरा मंत्री जी से सुझाव है, ...*(व्यवधान)* आप बैठिए, हमें सवाल पूछने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया : आप जो वहां की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, यह गलत है। ...*(व्यवधान)*

डा. रामलखन सिंह : आपने जो 54 साल में काम किया है, वही हम बोलेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जल्दी प्रश्न पूरा करिए, अन्यथा आपको उत्तर नहीं मिलेगा।

श्री कांतिलाल भूरिया : महोदय, यह गलत बोल रहे हैं। वहां की सरकार पैसा खर्च कर रही है। ...*(व्यवधान)* वहां पैसे का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य गलत बोल रहे हैं।

डा. रामलखन सिंह : महोदय, हम यह पूछना चाहते हैं कि इंदिरा आवास योजना के लिए, जहां पर भी आगजनी से गरीब लोगों के मकान जल जाते हैं या अन्य किसी आपदा से मकान तबाह हो जाते हैं, क्या उसके लिए आप यहां से ऐसे कोई निर्देश देंगे ताकि प्राथमिकता के आधार पर उन लोगों को पहले मकान दिए जाएं। जिनके मकान आगजनी में जल जाते हैं या अन्य किसी आपदा में खत्म हो जाते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से मकान दिए जाएं, क्या ऐसा कोई आदेश आप यहां से देंगे।

[अनुवाद]

श्री एम. वैंकय्या नायडू : अब सदस्य इस बात को समझेंगे कि यदि कोई व्यक्ति सरकार के विरुद्ध कोई आरोप लगाएगा तो इससे कुछ प्रतिक्रिया भी होगी। अत: हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।

दूसरे, सदस्य के प्रश्न के संबंध में, मेरा कहना है कि यदि कोई माननीय सदस्य किसी राज्य के बारे में कोई विशेष शिकायत करेगा तो मैं निश्चित रूप से उसकी जांच कराऊंगा। मैं राज्य को यह निर्देश दूंगा कि वह देखे कि धन का उपयोग उचित रूप से हो और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को लाभ दिया जाए।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

यूरिया से नियंत्रण हटाना तथा 'विंटेज एलाउन्स' को समाप्त करना

*683. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :**
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार यूरिया विपणन से मूल्य नियंत्रण समाप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा ऊर्जा विपणन क्षेत्र में नियंत्रित मूल्य प्रणाली की समाप्ति से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए उर्वरक उद्योग के विकास के लिए कौन-कौन से प्रोत्साहन दिए गए हैं;

(घ) यूरिया से नियंत्रण को किस तरह से समाप्त किए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार का विचार उर्वरक इकाइयों के लिए पांच प्रतिशत 'विंटेज एलाउन्स योजना' को सातवीं मूल्य अवधि के अन्दर समाप्त करने का है;

(च) यदि हां, तो क्या सातवीं और आठवीं मूल्य अवधि की समीक्षा के प्रयोजनार्थ गठित मंत्री दल ने 'विंटेज एलाउन्स' को वापस लेने का निर्णय लिया है;

(छ) क्या उर्वरक इकाइयों को राजसहायता तंत्र के माध्यम से उद्योग को दी गई कम-से-कम 1900 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि वापस करनी पड़ेगी;

(ज) यदि हां, तो सरकार का विचार यूरिया इकाइयों से इस धनराशि की वसूली किस तरह से करने की है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) यूरिया विपणन को विनियंत्रित करने के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ है।

(ग) नैफ्था, ईंधन तेल और न्यून सल्फर हैवी स्टाक के प्रशासित मूल्य तंत्र तो 1.4.2002 से समाप्त करने के उपरांत इन मदों के आपूर्ति मूल्यों के निर्धारण में सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होगा। उर्वरकों के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले इन प्रेट्रोलियम पदार्थों के बारे में उर्वरक कंपनियां अब घरेलू तेल कंपनियों से सीधे बात करने के लिए स्वतंत्र हैं। वर्तमान प्रतिधारण मूल्य योजना के अंतर्गत कच्चे माल और आदानों के मूल्य का आकलन त्रैमासिक वृद्धि और कमी की प्रणाली के तहत किया जाता है।

(घ) यूरिया पर से नियंत्रण समाप्त करने सहित यूरिया की नई मूल्य-निर्धारण नीति पर कोई निर्णय नहीं हुआ है।

(ङ) और (च) विंटेज भत्ते की शुरूआत पांचवीं मूल्य निर्धारण अवधि के दौरान 1.4.1988 से हुई थी और यह छठी मूल्य-निर्धारण अवधि के दौरान जारी रही है जो 30.6.1997 तक वैध था। सातवीं और आठवीं मूल्य-निर्धारण अवधि के लिए विंटेज भत्ता सहित नीति पैरामीटरों/मानकों को अंतिम रूप देने के बारे में घोषणा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद की जाएगी।

(छ) से (झ) उपर्युक्त नीति पैरामीटरों को अंतिम रूप देने तक प्रश्न नहीं उठता।

जिला साक्षरता समितियों के माध्यम से पूर्ण साक्षरता अभियान

*684. **श्री रामजी मांझी :**
श्री शीशराम सिंह रवि :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जनवरी, 1989 में जिला साक्षरता समितियों (जैडएसएस) के नाम से प्रत्येक जिले में पंजीकृत समितियों के माध्यम से महिलाओं, पुरुषों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में 80-85 प्रतिशत साक्षरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 15-35 आयु वर्ग के प्रौढ़ व्यक्तियों और 9-14 आयु वर्ग के बच्चों को कार्यसाधक साक्षरता प्रदान करने के लिए पूर्ण साक्षरता अभियान (टीएलसी) शुरू किया था;

(ख) उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या उद्देश्य की प्राप्ति कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र और राज्यों ने जिला साक्षरता समितियों को 737.22 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी;

(च) यदि हां, तो इसमें से कितनी राशि का उपयोग किया गया है और कितनी राशि उपयोग में नहीं लाई गई है और इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या लेखा परीक्षा के दौरान परिहार्य व्यय, असमायोजित अग्रिमों, निधियों के अन्यत्र उपयोग आदि का पता चला है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सहित 15-35 आयु-वर्ग के निरक्षरों को कार्यसाधक प्रदान करने के लिए 5 मई, 1988 को प्रौद्योगिकी मिशन के रूप में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आरंभ किया गया। इस मिशन का उद्देश्य 1995 तक 15-35 आयु-वर्ग के 8 करोड़ निरक्षरों को कार्यसाधक साक्षरता प्रदान करना था।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की सभी योजनाओं के तहत 31 दिसम्बर, 2001 तक साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या 9.664 करोड़ है। राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1996-97 से 2000-01 तक साक्षर बनाए गए व्यक्तियों में लगभग 60% महिलाएं थीं; 21.23% अनुसूचित जाति तथा 11.79% अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति थे।

2001 की जनगणना की अनंतिम रिपोर्ट यह दर्शाती है कि 1991 में हुई पिछली जनगणना के बाद इस दशक के दौरान साक्षरता के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। 2001 में साक्षरता दर 65.38% दर्ज की गई है जबकि 1991 में यह 52.21% थी। इस अवधि के दौरान साक्षरता दर में 13.17 प्रतिशत बिन्दुओं की वृद्धि किसी भी दशक में हुई वृद्धि की तुलना में सर्वाधिक है। 1991 में निरक्षरों की कुल संख्या 32.8 करोड़ थी जो 2001 में घटकर मात्र 29.6 करोड़ रह गई। 1991 से 2001 के दौरान बिना किसी अपवाद के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। अपने देश की पुरुष आबादी का लगभग तीन चौथाई भाग तथा महिला आबादी का आधा भाग साक्षर है।

(ङ) और (च) 31 मार्च 2001 तक साक्षरता अभियानों के लिए केन्द्र और राज्यों द्वारा कुल लगभग 936.33 करोड़ रु. की राशि जारी की गई, तथा इस तिथि तक इसमें से लगभग 804.77 करोड़ रु. खर्च किए गए।

परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति तथा पहले जारी की गई निधियों के संबंध में लेखा निपटान के आधार पर चरणबद्ध ढंग से निधियां संस्वीकृत और जारी की जाती हैं। राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिला साक्षरता समितियों द्वारा परियोजनाओं का धीमा कार्यान्वयन तथा पहले जारी की गई निधियों में लेखाओं का निपटान न होना, आवंटित निधियों के अधूरे उपयोग का कारण रहा है।

(छ) और (ज) लेखा परीक्षा जांच से परिहार्य व्यय, असमायोजित अग्रिम तथा निधियों के विपथन का पता चलता है। लेखा परीक्षा जांच में उजागर किए गए बिंदुओं के संबंध में स्पष्टीकरण, पुनरीक्षण के लिए महानिदेशक (लेखापरीक्षा) को भेजे गए हैं।

[हिन्दी]

विदेशों में स्थित फर्जी शैक्षणिक संस्थाएं

***685. श्री रामजीलाल सुमन :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में स्थित फर्जी शैक्षणिक संस्थाएं अपने विज्ञापनों के माध्यम से भारतीय युवाओं को दिग्भ्रमित कर उनसे पैसा ऐंठ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसी संस्थाओं पर रोक लगाने के लिए केन्द्र सरकार को कुछ प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और सरकार को ये प्रस्ताव किस तारीख को प्राप्त हुए हैं; और

(घ) सरकार ने अब तक इन प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) विदेशी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा भारतीय विद्यार्थियों से धन ऐंठने के बारे में सरकार को कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12(ञ) के साथ पठित धारा 26(1)(छ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों/शैक्षिक संस्थाओं के प्रवेश और उनके संचालन को विनियमित करने के लिए नियमों का प्रारूप तैयार किया है। ये मसौदा विनियम सरकार को जून, 2001 में प्राप्त हुए थे और इन्हें अभी अनुमोदित किया जाना है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों को एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं के लिए आवंटन

***686. श्री नरेश पुगलिया : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केन्द्र सरकार के मार्ग-निर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों को अपने राज्यों में चल रही एकीकृत बाल विकास परियोजनाओं में से 10 प्रतिशत को पंजीकृत स्वयंसेवी संगठनों को आवंटित करना होता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है कि गैर-सरकारी संगठनों को कौन-सी परियोजनाएं दी जाएं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या राज्य सरकारों ने इस बात के लिए केन्द्र सरकार को अभ्यावेदन दिया है कि उन्हें उक्त योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को परियोजना का अंतरण करने का प्राधिकार दिया जाये; और

(च) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) आई.सी.डी.एस. स्कीम के उद्देश्यों के अनुरूप, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को, जिनके माध्यम से यह स्कीम कार्यान्वित की जाती है, इस आशय के अनुदेश जारी किये हैं कि आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य, कतिपय शर्तों के अध्यधीन, जो संलग्न विवरण में दी गयी हैं, पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को सौंपा जाये।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कुछ आई.सी.डी.एस. परियोजना को गैर-सरकारी संगठनों को सौंपने का एक प्रस्ताव रखा था। राज्य सरकार से कहा गया है कि वे इस संबंध में जारी दिशा-निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लें।

विवरण

(1) स्वैच्छिक संगठन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम अथवा किसी अन्य उपयुक्त कानून के अंतर्गत पंजीकृत एक अलाभकारी परोपकारी संगठन होना चाहिए।

(2) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को आई.सी.डी.एस. परियोजना अथवा आंगनवाड़ियां चलाने और इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय की सहभागिता प्राप्त करने की संगठन की क्षमता के बारे में आश्वस्त होना चाहिए।

(3) बाल विकास परियोजना अधिकारियों/अपर बाल विकास परियोजना अधिकारियों, पर्यवक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं की भर्ती, इन पदों के लिए निर्धारित अर्हताओं के अनुसार, स्वयं गैर-सरकारी संगठनों द्वारा की जाएगी। तथापि, जहां पर, किसी आई.सी.डी.एस. परियोजना के कार्यान्वयन में एक से अधिक गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं, वहां पर बाल विकास परियोजना अधिकारी/अपर बाल विकास परियोजना अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा तथा अन्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति अपने-अपने कार्य क्षेत्रों में संबंधित गैर-सरकारी संगठनों द्वारा की जायेगी।

(4) कार्यकर्ताओं की भर्ती करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को, प्रत्येक श्रेणी के संबंध में, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आयु-सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाए।

(5) संगठन को अपने कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षण दिलाने और प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत करने का उतना ही दायित्व निभाना होता है, जितना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के केन्द्रक विभागों द्वारा चलाई जा रही मौजूदा परियोजनाओं का होता है। केन्द्र और राज्य सरकारों के अधिकारी और उनके प्रतिनिधि स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना/आंगनवाड़ियों का दौरा, निरीक्षण और दिग्दर्शन करते रहेंगे।

(6) आई.सी.डी.एस. स्कीम के कार्यान्वयन के लिए इस विभाग द्वारा सरकारों को निर्मुक्त राशि को संबंधित राज्य सरकार द्वारा स्वैच्छिक संगठनों को किश्तों में निर्मुक्त किया जाना चाहिए।

(7) आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को पूरक पोषाहार प्रदान करने तथा गैर-सरकारी संगठनों को आवंटित परियोजनाओं/आंगनवाड़ियों के लिए आवश्यक अनुदान स्वीकृत करने का दायित्व राज्य सरकारों का है।

(8) स्कीम के अंतर्गत सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक संगठन और अन्य समुदाय, आदि के बीच तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा

विभाग के बीच समुचित समन्वय करने का दायित्व राज्य सरकार का होगा।

[अनुवाद]

'पोलिमैटेलिक नोड्यूल्स' कार्यक्रम

***687. श्री वाई.वी. राव :** क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पोलिमैटेलिक नोड्यूल्स' कार्यक्रम को व्यावहारिक नहीं पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस परियोजना की क्या संभावना है;

(ग) क्या इस परियोजना की समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नौवीं योजना के दौरान 'पोलिमैटेलिक नोड्यूल्स' के अन्वेषण और दोहन के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है और इस योजना अवधि के दौरान इस पर वास्तव में कितनी धनराशि व्यय की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, पर्यावरण व वन मंत्रालय तथा महासागर विकास विभाग की संसदीय स्थायी समिति द्वारा सुझाव दिए अनुसार विभाग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह ने बहुधात्विक पिण्डिका कार्यक्रम की समीक्षा की है। विशेषज्ञ दल ने इस कार्यक्रम के विभिन्न घटकों के संबंध में की गई समीक्षा के दौरान प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक ज्ञान में अन्तराल की पहचान की। जब तक सर्वेक्षण एवं अन्वेषण, खनन प्रणाली, धातुओं के निष्कर्षण एवं पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के कार्यकलापों के क्रियान्वयन द्वारा सूचना निर्मित नहीं की जाती है, जब तक समग्र स्थिति अपूर्ण एवं अनिश्चायक रहेगी। समूह ने सर्वेक्षण एवं विदोहन, खनन प्रणाली, धातु निष्कर्षण तथा पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के सम्बन्ध में अपनी सिफारिशों के क्रियान्वयन द्वारा आवश्यक अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने की राय दी है। जानकारी को इस स्तर तक बढ़ाने की सिफारिश की गयी है कि जब भी वाणिज्यिक विदोहन के लिए निर्णय किए जाएं तो खनन से लेकर धातुओं की प्राप्ति तक के कार्यकलाप शुरू किए जा सकें। 3 वर्ष बाद कार्यकलापों की समीक्षा किए जाने का भी सुझाव दिया गया है।

(ङ) नौवीं योजना के लिए 95 करोड़ रुपए की निर्धारित राशि में से 72.03 करोड़ रुपए व्यय किए गए।

जम्मू-कश्मीर में आत्मसमर्पण कर चुके आतंकवादी

***688. श्री रामदास आठवले :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू-कश्मीर में आत्मसमर्पण करने वाले आतंकवादी पुनर्वास शिविरों से भाग गए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक आत्मसमर्पण करने वाले कितने आतंकवादी शिविरों को छोड़कर भागे हैं;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा उन्हें राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) केन्द्र सरकार ने इन पुनर्वास शिविरों पर अब तक कितनी राशि खर्च की है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज तक आत्मसमर्पण करने वाले कितने आतंकवादी राष्ट्रीय मुख्यधारा में लौटे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) जैसाकि जम्मू व कश्मीर सरकार ने सूचित किया है, पुनर्वास केन्द्रों से ऐसे कोई उग्रवादी नहीं भागे हैं जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था। वास्तव में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1993 में स्थापित किए गए दो पुनर्वास केन्द्र—एक रियासी (जम्मू) में तथा दूसरा मन्सबल (श्रीनगर) में 1998 से नहीं चलाए जा रहे हैं। आत्म-समर्पण करने वाले नए उग्रवादी इन पुनर्वास केन्द्रों में रहने के इच्छुक नहीं हैं। इसलिए उन्हें अपने स्थानों पर ही ठहरने की अनुमति दी गई है क्योंकि राज्य सरकार की आत्म-समर्पण नीति के अंतर्गत इस प्रकार की अनुमति दी जा सकती है।

(घ) जम्मू व कश्मीर सरकार ने उग्रवादियों के आत्म-समर्पण के लिए तथा आत्म-समर्पण करने वाले उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए एक नीति बनाई है ताकि आत्म-समर्पण कर चुके उग्रवादियों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। जैसाकि जम्मू और कश्मीर सरकार ने जानकारी दी है, आत्म-समर्पण करने वाले उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। जिनमें केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों में भर्ती, विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्ति तथा स्वरोजगार योजनाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के जारिए जीवन-यापन के साधन प्रदान करना शामिल है।

(ङ) केन्द्र सरकार आत्म-समर्पण नीति के अनुपालन के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार को कुछ खर्चों की प्रतिपूर्ति करती है। तदनुसार, अब तक 48 लाख रु. की राशि की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है। जैसाकि राज्य सरकार ने सूचित किया है, आत्म-समर्पण करने वाले 812 उग्रवादियों को केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों में भर्ती किया गया है, आत्म-समर्पण करने वाले 11 उग्रवादियों को वीडियो कोच चलाने हेतु परमिट जारी किए गए हैं तथा 74 को मिनी बसों के लिए रूट परमिट जारी किए गए हैं। 86 आत्मसमर्पणकारियों को स्वरोजगार यूनिटों के लिए ऋण मंजूर किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, 2486 को एम पी ओ नियुक्त किया गया है।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि आत्म-समर्पण करने वाले जो उग्रवादी मुख्यधारा में लौट आए हैं उनकी संख्या 1999 में 109, वर्ष 2000 में 104 तथा वर्ष 2001 में 85 थी।

पाक सीमा पर बाड़ लगाना

***689. डा. रमेश चंद तोमर :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने जम्मू-कश्मीर और अन्य राज्यों की सीमा पर लगी बाड़ के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाया है और सीमा पर बाड़ लगाए जाने के भावी काम को भी रोक रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या पाक सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए बाड़ लगाए जाने का काम पिछले कुछ महीनों में बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लक्षित अवधि के अन्दर बाड़ लगाने के काम को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर किए जा रहे बाड़ लगाने के काम में रुकावट पैदा करने और उसे क्षति पंहुचाने के लिए पाकिस्तान द्वारा अनेक प्रयास किए गए हैं। इनमें से कुछ घटनाओं में पाक घुसपैठियों द्वारा विस्फोटक उपकरणों का प्रयोग करके बाड़ के कुछ भागों/एंगल आइरन की पिकेटों को नुकसान पहुंचाया गया। पाक सेनाएं बाड़ निर्माण/रक्षा के लिए तैनात सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों पर रुक-रुक कर गोलीबारी भी करती रहती है। इसके परिणामस्वरूप, जम्मू सेक्टर में बाड़ लगाने के काम की प्रगति धीमी रही है।

घुसपैठियों द्वारा पंजाब और राजस्थान में बाड़ को काटने की कुछ छिटपुट घटनाएं भी ध्यान में आई हैं। तथापि, ऐसे किसी भी मौके पर सीमा पर बाड़ को कोई बड़ी क्षति नहीं पहुंची और सीमा सुरक्षा बल द्वारा बाड़ की तत्काल मरम्मत कर दी गई।

सरकार ने बाड़ लगाने और उसकी सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं जिनमें सीमा चौकियों पर टुकड़ियों में वृद्धि करना, अतिरिक्त घात लगाना, नाईट विजन उपकरणों का प्रयोग करना, मोबाइल गश्त करना, पुलिस और ग्रामीण रक्षा समितियों द्वारा गहन नाकाबंदी करना आदि शामिल हैं।

[हिन्दी]

पुलिस को प्रशिक्षण

***690. श्री सुन्दर लाल तिवारी :**
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आतंकवाद, बौद्धिक आतंकवाद और 'साइबर' अपराध जैसे नए प्रकार के संगठित अपराधों के मद्देनजर पुलिस को अधिक व्यवहारिक प्रशिक्षण देने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा केन्द्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और उन्हें और अधिक सहयोग प्रदान करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में आतंकवाद-विरोधी और साइबर अपराध सहित विभिन्न विशिष्ट पाठ्यक्रमों में राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करती रही है। प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं का विश्लेषण करके और पाठ्य विवरणों को अद्यतन बनाकर तथा राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों हेतु पाठ्य सामग्री आदि तैयार करके आवश्यक व्यवसायी सहायता भी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य पुलिस कार्मिकों को अपराध की रोकथाम, अपराध का पता लगाने, जांच-पड़ताल

करने आदि की आधुनिक तकनीकों से परिचित कराने के लिए प्रशिक्षण हेतु विदेशों में भेजा जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रयोगशालाओं को मान्यता

***691. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबी) द्वारा परीक्षण और 'कैलिब्रेशन' हेतु मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) मान्यता प्रदान करने हेतु निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) एन ए बी एल के प्रत्यायन द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशालाओं का ब्यौरा (राज्य-वार) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) प्रत्यायन देने के लिए शर्तें निम्नलिखित हैं :

प्रयोगशालाओं को प्रत्यायन तकनीकी एवं गुणवत्ता प्रणाली आवश्यकताओं के आधार पर दिया जाता है।

तकनीकी आवश्यकताओं के कुछ घटक हैं :

कार्मिक/योग्यताएं/प्रशिक्षण

पर्यावरण

यंत्र/अंशशोधन

मापन अनुमार्गणीयता

मापन अनिश्चितता

परीक्षण प्रणाली एवं परीक्षण प्रणाली मान्यता

परीक्षण-तत्व की देखभाल

सेम्पलिंग

प्रवीणता परीक्षण/अंतर प्रयोगशाला तुलनाएं।

ये तत्व यह सुनिश्चित करते हैं कि परीक्षण-तत्व के विद्यमान घटकों की मात्रा हेतु किए गए माप, वास्तविक मूल्यों से काफी निकट हैं।

साथ ही, ये तत्व विभिन्न अर्थ-व्यवस्थाओं में परीक्षण परिणामों में मापे गए मूल्यों की तुलनात्मकता स्थापित करने में सहायता करते हैं और इससे एक-दूसरे की मापन प्रणालियों में विश्वास सुदृढ़ होता है।

गुणवत्ता प्रणाली के कुछ घटक निम्नलिखित हैं :

संगठन

दस्तावेज नियंत्रण/रिकार्डस्

गैर-अनुकूल कार्य पर नियंत्रण

शुद्धिकरण एवं प्रतिरोधात्मक कार्रवाई,

ग्राहकों को सेवा एवं शिकायतें

आंतरिक लेखा परीक्षा एवं प्रबंधन समीक्षा, आदि

दस्तावेजीकरण एवं गुणवत्ता नियमावली।

ये घटक सुनिश्चित करते हैं कि प्रयोगशाला में होने वाले उतार-चढ़ाव के बावजूद प्रयोगशाला में कार्य-पद्धति निरन्तर समान रहे।

प्रत्यायन आवश्यकताओं का ब्यौरा, आई एस ओ/आई ई सी 17-25 (1999) "परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशालाओं की योग्यता हेतु सामान्य आवश्यकताएं" में दिया गया है। इस मानक से पहले प्रयोगशाला प्रत्यायन के लिए एन ए बी एल के मानदण्ड आई एस ओ/आई ई सी गाइड 25 (1990) पर आधारित थे।

विवरण

एन ए बी एल प्रत्यायित प्रयोगशाला
(परीक्षण)

राज्य	प्रयोगशाला का नाम
1	2
आंध्र प्रदेश	1. बीएचईएल, हैदराबाद
	2. सीडीआर हास्पिटल्स, हैदराबाद
	3. सीएफएसएल, हैदराबाद
	4. सीआईओटीएल, घाटकेसर
	5. सीएमसी, वेल्लौर
	6. सीपीआरआई, हैदराबाद

1	2
	7. सीक्यूए, ओ.एफ, येद्दूमैलारम
	8. ईटीडीसी, हैदराबाद
	9. जेएमसी, एल.वी. प्रसाद आई इंस्टी. हैदराबाद
	10. मैटालर्जीकल लैब, ओ.एफ., मेडक
	11. सिप्रा लैब्स, हैदराबाद
	12. विमता लैब्स, हैदराबाद
असम	1. दिगबोई रिफाइनरी, दिगबोई
	2. गोहाटी रिफाइनरी, गोहाटी
बिहार	1. शिवा टैस्ट हाऊस, पटना
चण्डीगढ़	1. आईडीएमए लैब्स लि., चण्डीगढ़
छत्तीसगढ़	1. सीएफआरआई, बिलासपुर
दिल्ली	1. भारत टैस्ट हाऊस, दिल्ली
	2. दिल्ली टर्मिनल लैब, आईओसी, दिल्ली
	3. दिल्ली टैस्ट हाऊस, नई दिल्ली
	4. डा. लाल'स पैथ लैब, नई दिल्ली
	5. ईआरटीएल, नई दिल्ली
	6. एफआरएसी, नई दिल्ली
	7. मेडीकल डायग्नोस्टिक सैन्टर, नई दिल्ली
	8. मदर डेयरी, नई दिल्ली
	9. नई दिल्ली लैबोरेट्रीज, नई दिल्ली
	10. रेनबैक्सी क्लीनिकल फार्माक्लोजिकल, दिल्ली
	11. आरटीसी, नई दिल्ली
	12. श्रीराम इंस्टी. फॉर इंड. रिसर्च, नई दिल्ली
	13. एसआईएमए लैब्स, नई दिल्ली
	14. स्पैक्ट्रो अनीलिटिकल लैब, दिल्ली
	15. टैक्सटाइल कमेटी, दिल्ली
गोवा	1. कोसमे फार्मा, गोवा
	2. इटालैब, गोवा

1	2
गुजरात	1. डिवाइन लैब सर्विसेस, अहमदाबाद
	2. ईआरडीए, वडोदरा
	3. ईटीडीसी, वडोगरा
	4. आईओसी, वडोदरा
	5. जय रिसर्च फाउंडेशन, वलसाद
	6. मेट हीट इंजीनियर्स प्रा. लि., वडोदरा
	7. एसजीएस इंडिया लि., अहमदाबाद
	8. एसजीएस इंडिया लि., गांधीधाम
हरियाणा	1. कोपरोड लैब, एसजीएस इंडिया लि., गुड़गांव
	2. जनरल लैब, एसजीएस इंडिया लि., गुड़गांव
	3. लक्ष्मी प्रिसिशन लि., रोहतक
	4. एनसीसीबीएम, बल्लभगढ़
	5. ओमेगा टैस्ट हाऊस, पंचकुला
	6. पानीपत रिफाइनरी, पानीपत
	7. सार्क टैस्ट हाऊस, फरीदाबाद
	8. स्टार वायर, बल्लभगढ़
	9. सनबीम आटो लि., गुड़गांव
	10. वीएक्सएल, टैक्नोलोजीज लि., फरीदाबाद
कर्नाटक	1. आनन्द इंस्टी. ऑफ लैब मेडीसन, बंगलौर
	2. बंगलौर टैस्ट हाऊस, बंगलौर
	3. बीईएल, बंगलौर
	4. बायोकैम डायग्नोस्टिक एण्ड रिसर्च लैब, मैसूर
	5. बीआईएस, बंगलौर
	6. केनारा लाइटिंग, बंगलौर
	7. सीएफटीआरआई, मैसूर
	8. सीआईपीईटी, मैसूर
	9. सीएमटीआई, बंगलौर
	10. कोपरोड लैब, एसजीएस इंडिया लि., बंगलौर

1	2
	11. कोस्मिक लैब, बंगलौर
	12. सीपीआरआई, बंगलौर
	13. सीक्यूए, बंगलौर
	14. सीएलटीआरआई, बंगलौर
	15. ईटीडीसी, बंगलौर
	16. यूरेका फोर्ब्स लि., बंगलौर
	17. जिओलोजिकल एण्ड मैटालर्जीकल लैब, बंगलौर
	18. मस्काट लैबोरेट्री सर्विसिस, बंगलौर
	19. राघवेन्द्रा स्पैक्ट्रो लैब्स, बंगलौर
	20. शिवा एनालिटिकल, होसकोट
	21. श्रीराम इंस्टी. फार इंड. रिसर्च, बंगलौर
	22. टैक्सटाइल कमेटी लैब, बंगलौर
	23. टोर स्टील रिसर्च फांउडेशन, बंगलौर
केरल	1. सीईपीसी, क्यूलोन
	2. एफसीआरआई, पालघाट
	*3. एसजीएस इंडिया लि., कोचीन
मध्य प्रदेश	1. एप्लाइड टेस्टिंग लैब्स, इन्दौर
	2. बीएचईएल, भोपाल
	3. चौक्सी लैबोरेट्रीज लि., इन्दौर
	4. सीआईपीईटी, भोपाल
	5. सीपीआरआई, भोपाल
	6. ग्रे आयरन फाउंड्री, जबलपुर
	7. गन कैरिज फैक्ट्री, जबलपुर
	8. एम. पी. लघु उद्योग लि., इन्दौर
	9. आर्डीनेन्स फैक्ट्री, इटारसी
	10. आर्डीनेन्स फैक्ट्री, कटनी
	11. आर्डीनेन्स फैक्ट्री, खामारिया
	12. वरटोक्स लैब, डीआरडीई, ग्वालियर

1	2
महाराष्ट्र	1. एग्री लैब, एसजीएस इंडिया लि., थाणे
	2. एम्यूनिशन फैक्ट्री, पुणे
	3. एआरएआई, पुणे
	4. बी.आर. इंडस्ट्रियल सर्विसिस, औरंगाबाद
	5. बी फार्मो लैब्स, मुम्बई
	6. बीआईएस, मुम्बई
	7. बीटीआरए, मुम्बई
	8. केबल कारपो. ऑफ इंडिया लि., मुम्बई
	9. सैंट्रल लैब, आईओसी, मुम्बई
	10. सिरकोट, मुम्बई
	11. कोपरोड लैब, एशजीएस इंडिया लि., थाणे
	12. सीक्यूए (ईई), पुणे
	13. सीक्यू (एसवी), पुणे
	14. क्यूमिन्स इंडिया लि., पुणे
	15. डा. फाडके'स् लैब, मुम्बई
	16. एलका लैब्स, थाणे
	17. एलका क्वालिटी सिस्टम्स, पुणे
	18. ईआरटीएल, मुम्बई
	19. एफआरआई, आईचलकरनजी
	20. जिओकैम लैब्स, मुम्बई
	21. जिओटेक सर्विसिस, नागपुर
	22. घरदा कैमिकल्स, थाणे
	23. एचईएफ लैबोरेट्री, पुणे
	24. इंडियन इंस्टी. ऑफ टोक्सीक्लोजी, पुणे
	25. इंटरटेक टैस्टिंग सर्विसिस, मुम्बई
	26. मेटालैब, पुणे
	27. मैटालर्जीकल सर्विसिस, मुम्बई
	28. मुकुन्द इंडिया लि., थाणे

1	2
	29. एनटीएच, मुम्बई
	30. आर्डिनेन्स फैक्ट्री, अम्बरनाथ
	31. आर्डिनेन्स फैक्ट्री, अम्भाजहारी
	32. आर्डिनेन्स फैक्ट्री, भण्डारा
	33. आर्डिनेन्स फैक्ट्री, चन्दा
	34. आर्डिनेन्स फैक्ट्री, पुणे
	35. परफैक्ट सीलिंग सिस्टम्स, पुणे
	36. फार्मा लैब, एसजीएस इंडिया लि., थाणे
	37. क्यूएई, (मैटल्स), अम्बरनाथ
	38. राप्टाकोस ब्रेट डायग्नोस्टिक लैब, मुम्बई
	39. रिलाइबल एनाटिकल लैब, थाणे
	40. स्पैशिलिटी रैनबैक्सी, मुम्बई
	41. एसक्यूएई (जीएस), मुम्बई
	42. स्ट्रक्टवेल डिजाइनर्स एण्ड कंसलटेन्ट्स, मुम्बई
	43. टीसीआर इंजी. सर्विसिस, मुम्बई
	44. टैक्सटाइल कमेटी लैब, मुम्बई
	45. वीआरडीई, अहमदनगर
	46. वेलस्प्रिग क्लिनिकल डाग्नोस्टिक लैब, मुम्बई
उड़ीसा	1. सिपेट, भुवनेश्वर
	2. पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टी., रायगढ़
पंजाब	1. बीआईएस, मोहली
	2. ईटीडीसी, मोहाली
	3. इंस्टी. फॉर आटो पार्ट्स टैक्नोलोजी, लुधियाना
	4. मंजुला लैबोरेट्रीज, लुधियाना
	5. एमटीएल इंस्टीट्यूट फॉर मशीन टूल्स, बटाला
	6. एनएसआईसी, राजपुर
	7. थापर सैंटर फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, पटियाला
राजस्थान	1. डिफेंस लैबोरेट्री, जोधपुर
	2. ईटीडीसी, जयपुर
	3. हैस्टैरी, कंकरौली
	4. यादव मैट्रोलॉजी, उदयपुर
तमिलनाडु	1. बीआईएस, चेन्नई
	2. सीईटीएल, ककलूर
	3. कैमिकल टैस्टिंग एण्ड एनालिटिकल लैब, गुण्डई
	4. सिपेट, चेन्नई
	5. कोपरोड लैब, एसजीएस इंडिया लि., चेन्नई
	6. कोपरोड लैब, एसजीएस इंडिया लि., तिरूपुर
	7. कोरडाईट फैक्ट्री, आरवनकाडू
	8. सीक्यूए (एचवी) लैब, अवाडी
	9. सीक्यूए, हाई टेक कार्बन्, ग्रुम्मिडीपूण्डी
	10. सीटीएल, एवरेडी चेन्नई
	11. ईटीजीसी, चैन्नई
	12. जन. लैब., एसजीएस इंडिया लि., चेन्नई
	13. हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट, बीएचईएल, त्रिची
	14. आईओसी, चेन्नई
	15. किडाओ लैबोरेट्रीज, चेन्नई
	16. एम.वी. डायबिटीज स्पैशिलिटी सैन्टर, चेन्नई
	17. मैटेक्स लैब, चेन्नई
	18. एनटीएच, चेन्नई
	19. रिलायन्स टैस्टिंग लैब, कोयम्बटूर
	20. सरगम मेटल्स, चेन्नई
	21. एसआईटीएआरसी, कोयम्बटूर
	22. एसआईटीआरए लैब, कोयम्बटूर
	23. टीसीआरसी, चेन्नई
	24. टैक्सटाइल कमेटी लैब, केन्नानोर

1	2
	25. टैक्सटाइल कमेटी लैब, चेन्नई
	26. टैक्सटाइल कमेटी लैब, कोयम्बटूर
	27. टैक्सटाइल कमेटी लैब, कारूर
	28. टैक्सटाइल कमेटी लैब, तिरूपुर
	29. डब्ल्यूआरआई, बीएचईएल, त्रिची
उत्तर प्रदेश	1. एईएस टैस्टिंग एण्ड रिसर्च लैब्स., नोएडा
	2. अनु लैब टैस्टिंग एण्ड रिसर्च लैब, आगरा
	3. बीआईएस, साहिबाबाद
	4. सीआईएमएपी, लखनऊ
	5. सीआईपीईटी, लखनऊ
	6. एफएफडीसी, कन्नौज
	7. आईटीआरसी, लखनऊ
	8. मथुरा रिफाइनरी, मथुरा
	9. एनटीएच, गाजियाबाद
	10. एनटीपीसी, नोएडा
	11. आर्डिनेन्स फैक्ट्री, मुरादाबाद
	12. एसक्यूएई, मुरादनगर
उत्तरांचल	1. बीएचईएल, हरिद्वार
	2. सीक्यूए (आई), देहरादून
पश्चिम बंगाल	1. बीआईएस, कोलकाता
	2. सीजीसीआरआई, कोलकाता
	3. सीक्युए, नवाबगंज
	4. डाक्टर्स त्रिवेदी एण्ड डॉयग्नोस्टिक, कोलकाता
	5. ईआरटीएल, कोलकाता
	6. एस्केप्स (आई) प्रा. लि., कोलकाता
	7. जीआरएसई, कोलकाता
	8. इंडियन चेन प्रा. लि., कोलकाता
	9. इन्सपैक्शन सर्वे एण्ड सर्विलेन्स, कोलकाता
	10. इंटी. ऑफ सोनिक इंजीनियरिंग, कोलकाता
	11. आईओसी, हल्दिया
	12. आईओसी, कोलकाता
	13. आईआरसी, हावड़ा
	14. मेटल एण्ड स्टील फैक्ट्री, इशापोर
	15. मेटालुजिका, कोलकाता
	16. मेटालर्जीकल रिसर्च एण्ड टैस्टिंग लैब, हावड़ा
	17. मेटल्स एण्ड मिनरल्स लैब हावड़ा
	18. एनटीएच, कोलकाता
	19. राइफल फैक्ट्री, इचापुर
	20. आरटीसी, कोलकाता
	21. एस. बी. स्टील्स, हावड़ा
	22. एस. बी. मित्रा प्रा. लि., कोलकाता
	23. एसजीएस इंडिया लि., कोलकाता
	24. एसक्यूएई (जीएस), कोलकाता
	25. ट्रीट्स, कोलकाता

एन ए बी एल प्रत्यायित प्रयोगशालाएं
(अंशशोधन)

राज्य	क्र.सं.	प्रयोगशाला का नाम
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	1.	भारत डायनामिक्स लि., हैदराबाद
	2.	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि., हैदराबाद
	3.	इलैक्ट्रोनिक्स कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. हैदराबाद
	4.	इलैक्ट्रोनिक्स टेस्ट एंड डिवलपमैन्ट सैन्टर, हैदराबाद
	5.	हिन्दुस्तान एयरोनौटिक्स लि., हैदराबाद
	6.	एस वी प्रिसीज़न इंस्ट्रूमैन्ट, हैदराबाद
असम	1.	इलैक्ट्रोनिक्स टैस्ट एंड डवलैपमेंट सेंटर, गोहाटी
दादरा	1.	वारी इंस्टी. कैलिब्रेशन लैबोरेट्री, सिलवासा

1	2	3
दिल्ली	1.	एक्यूमैन मैजरमेंट्स कंसलटेंसी प्रा. लिमिटेड, दिल्ली
	2.	एजेस मैन्टनैंस स्टैण्डर्डस इस्टेब्सिशमेंट, दिल्ली
	3.	बैगसन कैलिब्रेशन लैब, नई दिल्ली
	4.	कैलिब्रेशन सोल्यूशन्स, शाहदरा
	5.	कैनन टैस्टिंग सर्विसिज, दिल्ली
	6.	इलैक्ट्रोनिक्स रीजनल टेस्ट लैबोरेट्री, नई दिल्ली
	7.	प्रिसीजन कैलिब्रेशन एण्ड सर्विसेज (प्रा.) लिमिटेड, दिल्ली
	8.	रीजनल टेस्टिंग सेन्टर, दिल्ली
	9.	श्रीराम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, नई दिल्ली
	10.	एम सी सी ओ वाई, नई दिल्ली
गोवा	1.	इलैक्ट्रोनिक टेस्ट एण्ड डेवलपमेंट सेन्टर, गोवा
गुजरात	1.	जी. ई. लाइटिंग इंडिया लिमिटेड, नाडिआड
	2.	इलैक्ट्रिकल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एसोसिएशन, वडोदरा
	3.	जी ए टी आर ए डी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, अहमदाबाद
	4.	प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स कैलिब्रेशन सेंटर, वडोदरा
	5.	एन सी क्यू सी, अहमदाबाद
हरियाणा	1.	एन सी सी बी एम, बल्लभगढ़
	2.	बी ई एल जेड कैलिब्रेशन लैबोरेट्री, फरीदाबाद
	3.	इंस्ट्रूमेंट, डिजाइंस डेवलपमेंट सेंटरस, अंबाला
	4.	ज्योति टेस्ट हाऊस, बल्लभगढ़
	5.	लक्ष्मी प्रिसीजन स्क्रयूस, रोहतक
	6.	नील इंजीनियरिंग सोल्यूशन्स फरीदाबाद
	7.	क्यू सी लैबोरेट्री ऑफ मारूति उद्योग लिमिटेड, गुड़गांव
	8.	एस वी इंजीनियरिंग सेंटर, फरीदाबाद
	9.	एस ए आर आर सी टेस्ट हाउस, फरीदाबाद
झारखंड	1.	एल्कैलेब प्रा. लिमिटेड, जमशेदपुर
कर्नाटक	1.	एजिलेंट टैक्नोलॉजीस्, बंगलौर
	2.	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर
	3.	बी एच ई एल, बंगलौर
	4.	सेंट्रल मैन्यूफैक्चरिंग टैक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बंगलौर
	5.	सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर
	6.	इलैक्ट्रोनिक्स टेस्ट एण्ड डेवलपमेंट सेंटर, बंगलौर
	7.	पलयम इंजीनियर्स प्रा. लिमिटेड, बंगलौर
	8.	यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स एण्ड मैन्यूफैक्चरर्स प्रा. लिमिटेड, बंगलौर
	9.	सुषमा इंडस्ट्रीज कैलिब्रेशन सेंटर, बंगलौर
	10.	बी. ई. एम. एल. कोलार गोल्डफील्ड्स
केरल	1.	इलैक्ट्रोनिक्स रीजनल टेस्ट लैबोरेट्री, तिरूवनंतपुरम
	2.	फ्ल्यूड कंट्रोल एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पालघाट
	3.	नेवल, कोच्चि
	4.	सोफिस्टीकेटिड टेस्टिंग एण्ड इंस्ट्रूमेंटेशन सेंटर, कोच्चि
	5.	वरलब इंस्ट्रूमेंटेशन सर्विसेज, कोच्चि
मध्य प्रदेश	1.	भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल
	2.	कैली-लैब्स, भोपाल
महाराष्ट्र	1.	एक्यूरेट इंजीनियरिंग, पुणे
	2.	ए आर ए आई, पुणे
	3.	बेकर गॉज़िस इंडिया लिमिटेड, पुणे
	4.	क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड, पुणे
	5.	इलैक्ट्रोनिक्स रीजनल टेस्ट लैबोरेट्री, मुम्बई

1	2	3
	6.	आई डी ई एम आई, मुम्बई
	7.	कलाश्री इलैक्ट्रोनिक्स सर्विसेज, पुणे
	8.	कुडले कैलिब्रेशन लैब, पुणे
	9.	लॉकिम लिमिटेड, थाणे
	10.	माइक्रोनिक्स एसोसिएट्स, औरंगाबाद
	11.	सेकरडंडे इंजीनियर्स, मुम्बई
	12.	सीमंस लिमिटेड, थाणे
	13.	एस एम इंजीनियर्स, पुणे
	14.	टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव्स कंपनी लिमिटेड, पुणे
	15.	टी एम सी मैजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, पुणे
	16.	वीका इंस्ट्रूमेंट्स इंडिया प्रा. लि., पुणे
	17.	गीके इंजीनियरिंग, मुम्बई
	18.	कर्णदीकर, पुणे
	19.	निशीट्रोनिक्स, पुणे
	20.	क्यू आर आई सी एस, पुणे
	21.	रिलाएबल मैट्रोलॉजी, पुणे
	22.	येंके इंस्ट्रूमेंट्स, पुणे
उड़ीसा	1.	बिरला टायर्स कैलिब्रेशन लैबोरेट्री, बालासोर
पंजाब	1.	इलैक्ट्रोनिक्स टेस्ट एण्ड डेवलमेंट सेंटर, मोहाली
	2.	आई एस टी टी, बाटला
राजस्थान	1.	सी एण्ड आई सिस्टम्स, कोटा
	2.	बिरला इंस्टीट्यूट फॉर सांइटिफिक रिसर्च, जयपुर
	3.	इलैक्ट्रोनिक्स टेस्ट एण्ड डेवलपमेंट सेंटर, जयपुर
	4.	यादव मैट्रोलॉजी लैबोरेट्री, उदयपुर
	5.	डिफेंस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट ओर्गनाईजेशन जोधपुर

1	2	3
तमिलनाडू	1.	एक्यूरेट इंजीनियरिंग कं. प्रा. लिमिटेड, चेन्नई
	2.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड चैन्नई
	3.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रानीपेट
	4.	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, त्रिची
	5.	इलैक्ट्रोनिक्स टेस्ट एण्ड डेवलपमेंट सेंटर, चैन्नई
	6.	मैजर टैकनिक्स, चैन्नई
	7	रीजनल टेस्टिंग सेंटर, चैन्नई
	8.	स्माल इंडस्ट्रीज टेस्टिंग एण्ड रिसर्च सेंटर, कोयम्बटूर
	9.	तेस्पा कैलिब्रेशन सेंटर, चैन्नई
	10.	अल्फा मशीन टूल्स्, चैन्नई
	11.	फाई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, आइचलकरंजी
उत्तर प्रदेश	1.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड, कोरबा
	2.	भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद
	3.	बी एच ई एल, हरिद्वार
	4.	ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डस, गाजियाबाद
	5.	इंडियन टैलीफोन इंडस्ट्री, इलाहाबाद
	6.	रॉकविन फ्लोमीटर इंडिया प्रा. लिमिटेड, गाजियाबाद
पश्चिम बंगाल	1.	इलैक्ट्रोमीटर कॉरपोरेशन, कोलकाता
	2.	इलैक्ट्रोनिक्स रीजनल टेस्ट लेबोरेट्री, कोलकाता
	3.	इलैक्ट्रोनिक्स टेस्ट एण्ड डेवलपमेंट सेंटर, कोलकाता
	4.	इंसपेक्शन सर्वे एण्ड सर्विएलेंस इंडिया लिमिटेड, कोलकाता
	5.	रीजनल टेस्टिंग सेंटर, कोलकाता
	6.	सीनियर क्वालिटी एश्योरेंस इस्टेब्लिशमेंट, कोलकाता
	7.	सीनियर क्वालिटी एश्योरेंस एस्टेब्लिशमेंट, कोसीपोर
	8.	सुपरिटेंडेस कोम्प. ऑफ इंडिया, कोलकाता

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु नियत की गई राशि

*692. **श्री ए. नरेन्द्र : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम हेतु प्रतिवर्ष राज्य-वार कितनी राशि नियत की गई है;

(ख) केन्द्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा गरीबों के लाभार्थ चलाए जा रहे उन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनसे वे अपनी आजीविका कमाने के योग्य बन सकें;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन योजनाओं में अनुदेशक आदि के पदों पर नियुक्त उन व्यक्तियों के वेतन संवितरण में प्रतिवर्ष राज्य-वार कितनी निधियों का उपयोग किया है;

(घ) क्या सरकार का विचार गरीबी उन्मूलन हेतु स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए विभिन्न व्यवसायों (ट्रेडों) में और अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनन्त कुमार): (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) हेतु योजना आयोग को कुल 1500 करोड़ रु. की राशि का प्रस्ताव किया गया है जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है। वर्ष 2002-03 के लिए राज्यवार अस्थायी नियतन संलग्न विवरण-I में है।

(ख) और (ग) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) घटक के प्रशिक्षण उप-घटक के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी गरीबों को विभिन्न प्रकार की सेवाओं तथा निर्माण व्यवसायों के साथ-साथ उनकी अभिरुचि तथा स्थानीय दशाओं के अनुरूप स्थानीय कौशलों और स्थानीय शिल्पों में भी प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे स्व-रोजगार उद्यम लगा सकें अथवा अधिक पारिश्रमिक के सवेतन रोजगार प्राप्त कर सकें। स्वर्ण जंयती शहरी रोजगार योजना के स्व-रोजगार घटक के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शुरू किए व्यवसायों और कार्यकलापों की विस्तृत सूची संलग्न विवरण-II में है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रशिक्षण उप-घटक के अंतर्गत जारी केन्द्रीय राशि तथा उनके खर्च का वर्षवार ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-III(क) तथा III(ख) में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उनकी स्थानीय जरूरतों के आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

विवरण I

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के अंतर्गत वर्ष 2002-03 के लिए केन्द्रीय राशियों का राज्यवार अस्थायी नियतन

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	राशि
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	784.37
2.	अरुणाचल प्रदेश	58.54
3.	असम	478.03
4.	बिहार	427.02
5.	छत्तीसगढ़	236.41
6.	गोवा	17.52
7.	गुजरात	366.69
8.	हरियाणा	70.62
9.	हिमाचल प्रदेश	55.21
10.	जम्मू और कश्मीर	62.98
11.	झारखण्ड	213.37
12.	कर्नाटक	580.09
13.	केरल	261.98
14.	मध्य प्रदेश	813.93
15.	महाराष्ट्र	1331.81
16.	मणिपुर	133.72
17.	मेघालय	70.10
18.	मिजोरम	91.22
19.	नागालैंड	59.67
20.	उड़ीसा	330.94

1	2	3
21.	पंजाब	58.45
22.	राजस्थान	349.20
23.	सिक्किम	25.59
24.	तमिलनाडु	651.70
25.	त्रिपुरा	99.17
26.	उत्तरांचल	76.18
27.	उत्तर प्रदेश	1450.29
28.	पश्चिम बंगाल	435.20
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	114.30
30.	चण्डीगढ़	122.27
31.	दादर और नगर हवेली	23.91
32.	दमन और दीव	32.52
33.	दिल्ली	125.15
34.	पांडिचेरी	65.85
	कुल	10074.00

विवरण II

शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी)/शहरी क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास (एसजेएसआरवाई) के अन्तर्गत व्यवसायों की सूची

क्र.सं.	व्यापार का नाम
1	2
1.	अगरबत्ती बनाना
2.	एग्रो बीटल उत्पादन
3.	एल्यूमिनियम चीजों का व्यापार
4.	एनीमल हस्बेन्ड्री
5.	एनीमल स्किन ट्रेडिंग
6.	ऑडियो स्पीकर निर्माण
7.	अगर बनाना
8.	बैग बनाना
9.	बेकरी
10.	बेमव्याय क्राफ्ट
11.	बड़ी और मुरमुरा बनाना
12.	बतासा बनाना
13.	ब्यूटीशियन
14.	चादरों का व्यापार
15.	मधुमक्खी पालन
16.	बिन्दी बनाना
17.	बड्र्स फीड एंड मेडिसिन
18.	बीड़ी लगाना
19.	लोहारगिरि
20.	बुक बाईंडिंग
21.	बुक सेलिंग
22.	ब्रेड बनाना
23.	झाड़ू बनाना
24.	बुचरी
25.	भवन सामग्री व्यापार
26.	बिस्कुट बनाना
27.	कारपेन्टरी
28.	पशु चारा
29.	सीमेंट और जाफरी व्यापार
30.	चनाचूर/बिस्कुट आपूर्ति
31.	चनाचूर बनाना
32.	चटाई बनाना
33.	चीज बनाना
34.	क्ले मॉडलिंग
35.	कपड़ा व्यापार

1	2
36.	कोयला ब्रिकेट बनाना
37.	कोयला व्यापार
38.	कॉमर्शियल आर्ट/पेंटिंग
39.	कंक्रीट मिक्स मशीन हायरिंग
40.	भेजने के लिए भोजन बनाना
41.	कॉस्मेटिक शॉप
42.	गायों का व्यापार
43.	क्रीम मशीन
44.	साईकिल मरम्मत
45.	दाल बनाना
46.	दरी बनाना
47.	दशकर्मा शॉप
48.	सजावटी व्यवसाय
49.	गुड़िया बनाना
50.	सूखी मछली बेचना
51.	डकरी
52.	इलेक्ट. मोटर वाईंडिग
53.	बिजली के सामान की मरम्मत
54.	इलेक्ट. हाउस वाईरिंग
55.	बिजली की दुकान
56.	साडियों के फाल लगाना
57.	फास्ट फूड शॉप
58.	उर्वरक बेचना
59.	फाइबर ग्लास बनाना
60.	फारय वुड व्यवसाय
61.	मछली व्यापार
62.	मछली का जाल बुनना
63.	खाना बेचना
64.	फल बेचना
65.	लकड़ी-फर्नीचर का व्यापार
66.	स्टील-फर्नीचर व्यापार
67.	गारमेंट उत्पादन
68.	गैस स्टोब मरम्मत
69.	जनरेटर किराए पर देना
70.	सुनारगिरी
71.	बकरी पालन
72.	टोपी बनाना
73.	हवाई चप्पल बनाना
74.	घोड़ा-गाड़ी
75.	होजरी शॉप
76.	होटल तथा कैटरिंग व्यसाय
77.	हेयर कटिंग सैलून
78.	हल्दी बनाना/मसाले पीसना
79.	दस्ताने बनाना
80.	हथकरघा बुनाई
81.	हैंड पंप मरम्मत
82.	हस्तशिल्प उत्पाद बनाना
83.	स्कूटरों की मरम्मत
84.	धान से चावल निकालना
85.	रिक्शा/वैन की मरम्मत
86.	वाहनों की मरम्मत
87.	जरी कार्य
88.	जूट उत्पाद बनाना
89.	आभूषण बॉक्स बनाना
90.	कंथा सिलाई
91.	कपड़ों की धुलाई

1	2
92.	चमड़े का उत्पाद बनाना
93.	मशीन से इम्ब्राइडरी
94.	मसाला पीसना
95.	चिनाई
96.	मीट शॉप
97.	मेडिसिन बिजनेस
98.	मिनरल वाटर
99.	दर्पण बेचना
100.	मच्छरदानी बनाना
101.	मोटर पार्ट बनाना
102.	संगीत उपकरणों की मरम्मत
103.	नट बिजनेस
104.	नायलोन जाली बेचना
105.	आप्टिकल फ्रेम बेचना
106.	आलू के चिप्स बनाना
107.	साड़ी पर पिक्को कार्य
108.	पेन बनाना
109.	परफ्यूम बनाना
110.	कीटनाशक व्यापार
111.	पेटीकोट बनाना
112.	फिनाईल बनाना
113.	फोटो बाईंडिग
114.	सुअर पालन
115.	तकिया गिलाफ बनाना
116.	तकिया/बेडिंग
117.	पौधों का बिजनेस
118.	प्लास्टिक आयटम ट्रेडिंग एंड सेलिंग
119.	नलसाजी और सफाई कार्य
120.	पौनी मेकिंग
121.	बर्तन बनाना
122.	पाल्ट्री बनाना
123.	प्रिंटिंग प्रेस
124.	वैन खरीदना
125.	रिक्शा खरीदना
126.	पिट्ठी बनाना
127.	जन संबोधन प्रणाली बिजनेस
128.	पम्प व मोटर की मरम्मत
129.	रिक्शा खरीदना
130.	रेडियो/टेप/टी.वी. मरम्मत
131.	रेडियो, टी.वी. टेप आदि मरम्मत
132.	नल कूप की मरम्मत
133.	चावल उत्पादन व्यापार
134.	रॉलिंग शॅटर बनाना
135.	रॉलिंग शॅटरिंग व्यापार
136.	शाखा ट्रेडिंग
137.	स्कूल वैन
138.	सिलाई मशीन मरम्मत
139.	औजार गढ़ना
140.	साड़ी प्रिंटिंग व ट्रेडिंग
141.	साड़ी व्यापार
142.	शीतल पत्ती बनाना
143.	जूते व चप्पल बनाना
144.	जूते की दुकान
145.	शोला उत्पाद बनाना
146.	साइन बोर्ड बनाना
147.	सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग

1	2
148.	सिल्वरस्मिथी
149.	स्केच पेन बॉडी बनाना
150.	स्नेक्स आयटम बनाना
151.	स्नेक्स आयटमों का व्यापार
152.	मसालों का व्यापार
153.	स्प्रे मशीन
154.	स्टिचिंग एंड स्यविंग
155.	स्ट्रॉ बिजनेस
156.	स्टूडियो
157.	मिठाई की दुकान
158.	चाय की दुकान
159.	टेलीफोन मरम्मत
160.	टेक्सटाइल शॉप
161.	ठेला
162.	थर्मा कोल सजावट
163.	ठोंगा (पेपर बैग) बनाना
164.	टुथ पाउडर बनाना
165.	खिलौना बनाना
166.	ट्रॉली वैन
167.	बक्से बनाना
168.	छाता बनाना
169.	बर्तनों का व्यापार
170.	सब्जियों का व्यापार
171.	घड़ी मरम्मत
172.	बुनाई
173.	वेल्डिंग
174.	ऊन की बुनाई
175.	जेरोक्स मशीन मरम्मत

विवरण-III(क)

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) (प्रशिक्षण) उप घटक के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार जारी केन्द्रीय राशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	1997-98 से 2001-02
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	40.52	40.33	83.03	36.73		200.61
2.	अरुणाचल प्रदेश	7.52	1.98	4.06			13.56
3.	असम	22.52	23.31				45.83
4.	बिहार	29.78	23.02				52.08
5.	छत्तीसगढ़				10.96	1.49	12.45
6.	गोवा	1.42	0.83	1.70			3.95

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	गुजरात	23.41	23.31		19.94	17.04	83.70
8.	हरियाणा	11.35	3.97	8.14	3.60	4.92	31.98
9.	हिमाचल प्रदेश	8.52	2.16	4.88	1.08	0.69	17.33
10.	जम्मू और कश्मीर	9.93	2.52	5.17	1.27	12.81	31.70
11.	झारखण्ड				5.23	0.66	5.89
12.	कर्नाटक	32.88	32.73	67.42		55.57	188.60
13.	केरल	11.12	11.07	22.80	10.09	5.63	60.71
14.	मध्य प्रदेश	44.75	44.54	91.82	20.28	15.92	217.31
15.	महाराष्ट्र	60.87	60.58				121.31
16.	मणिपुर	5.21	5.38				10.59
17.	मेघालय	3.46	3.58				7.04
18.	मिजोरम	3.46	3.58	7.24	3.26	1.86	19.40
19.	नागालैंड	2.60	2.69	4.84	2.18		12.31
20.	उड़ीसा	10.71	10.66	21.96			43.33
21.	पंजाब	8.51	3.97	8.20			20.68
22.	राजस्थान	18.39	18.31		8.34	32.64	77.68
23.	सिक्किम	2.84	0.72		0.73	2.25	6.54
24.	तमिलनाडु	43.72	43.51		19.81	11.9	118.94
25.	त्रिपुरा	4.34	4.48		4.14	3.28	16.24
26.	उत्तरांचल				2.67	0.3	2.97
27.	उत्तर प्रदेश	58.88	58.60	120.74	26.68	11.73	276.63
28.	पश्चिम बंगाल	24.29	24.17		22.01	92.5	162.97
29.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	3.12	1.18				4.30
30.	चण्डीगढ़	3.11	2.94				6.05
31.	दादर और नगर हवेली		0.29				0.29
32.	दमन और दीव	3.12	0.59				3.71
33.	दिल्ली	2.09	8.66				10.75
34.	पांडिचेरी	0.71	1.34			191	193.05
	कुल	503.15	465.00	452.00	199.00	462.19	2081.34

विवरण-III(ख)

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के शहरी स्व-रोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) (प्रशिक्षण) उप घटक के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार केन्द्रीय राशियों का खर्च

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-1998	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	1997-98 से 2001-2002
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	40.52	40.33	83.03			163.88
2.	अरुणाचल प्रदेश		0.00				0.00
3.	असम	0.00	0.00	0.00			0.00
4.	बिहार						0.00
5.	छत्तीसगढ़				5.97	0.00	5.79
6.	गोवा		5.30	5.99	6.15		17.44
7.	गुजरात		71.30	138.38	163.36	94.64	467.68
8.	हरियाणा		8.41	18.18	16.12	9.44	52.15
9.	हिमाचल प्रदेश	8.52	1.67	4.88	0.52		15.59
10.	जम्मू और कश्मीर	2.47	36.82	26.36	39.70	10.91	116.26
11.	झारखण्ड						0.00
12.	कर्नाटक		0.19	236.0.	67.84	0.00	304.05
13.	केरल	24.42	19.56	20.85	9.18		74.01
14.	मध्य प्रदेश	57.02	151.20	131.74	21.08		361.04
15.	महाराष्ट्र	6.05	21.24	52.71	169.38	109.01	358.39
16.	मणिपुर						6.88
17.	मेघालय						1.66
18.	मिजोरम			7.04	8.87	3.43	19.34
19.	नागालैंड			1.35	1.75	6.60	3.10
20.	उड़ीसा	1.12	47.51	40.93	20.10	6.79	116.45
21.	पंजाब		9.21	66.09	25.29	26.64	121.23
22.	राजस्थान	30.90	17.94	7.86		8.34	65.04

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	सिक्किम	1.00	2.11	1.08	6.66		6.64
24.	तमिलनाडु		25.65		1.45		47.98
25.	त्रिपुरा	4.34	4.48			4.14	12.96
26.	उत्तरांचल						0.00
27.	उत्तर प्रदेश	3.02	178.83	89.86	70.68		342.39
28.	पश्चिम बंगाल		38.31	141.63	365.56	114.58	658.08
29.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह			0.14	0.48		0.89
30.	चण्डीगढ़	0.11	0.91	2.60	3.72	2.50	9.84
31.	दादर और नगर हवेली		0.25	0.46	0.75	0.55	2.01
32.	दमन और दीव						0.00
33.	दिल्ली			18.33	18.00		36.33
34.	पांडिचेरी	0.05	1.02	3.12	0.00		4.19
	कुल	179.54	684.24	1098.90	1020.43	397.57	3391.29

वैज्ञानिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

***693. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों के साथ 'वैज्ञानिक आदान-प्रदान कार्यक्रम' नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान चलाए गए ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों के लिए वैज्ञानिकों को प्रायोजित करने/इनकी संस्तुति करने में राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (घ) जी हां। सहयोगी देशों के साथ सहमत आपसी सहयोग के विशिष्ट कार्यक्रमों के आधार पर वैज्ञानिक आदान-प्रदान किया जा रहा है। इन आदान-प्रदान कार्यक्रमों में सहयोग के निम्नलिखित तरीकों के अंतर्गत विस्तृत रूप से वैज्ञानिकों के दौरे शामिल हैं :

- संयुक्त कार्यशालाएं/सेमिनार/संगोष्ठियां;
- संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं;
- विदेश में प्रमुख अनुसंधान सुविधाओं का उपयोग करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों के दौरे;
- परियोजना विकास/खोजी मिशन;
- अध्येतावृत्तियां; और
- प्रशिक्षण।

पिछले तीन वर्षों के दौरान बंग्लादेश, बेलारूस, ब्राजील, बुल्गेरिया, चीन, क्यूबा, लोकतान्त्रिक जनगणतंत्र कोरिया, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इंडोनेशिया, ईरान, इज्राइल, इटली, जापान, कजाकिस्तान, किर्गीस्तान, मलेशिया, मॉरिशस, मैक्सिको, मॉलडोवा, मंगोलिया, म्यनमार, पोलैण्ड, पुर्तगाल, कोरिया गणराज्य, रोमानिया, रूसी संघ, सिंगापुर, स्लोवाक, स्लोवेनिया, श्रीलंका, दक्षिणी अफ्रीका, सीरिया, ताजीकिस्तान, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, यू एस ए,

उज़बेकिस्तान, वियतनाम तथा यूगोस्लाविया के साथ ऐसे कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए हैं। आदान-प्रदान का स्तर संबद्ध देशों के साथ हितों की पारस्परिकता पर निर्भर करता है। जबकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) द्वारा, मुख्य रूप से परियोजना प्रणाली सहयोग की ओर लक्षित, उपर्युक्त तरीकों से वैज्ञानिक आदान-प्रदान को सहायता दी जाती है, डी एस टी के अंतर्गत एक स्वायत्तशासी निकाय भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आई एन एस ए), विदेशों में ऐसी एजेन्सियों के साथ इसके द्वारा हस्ताक्षरित व्यवस्था के अंतर्गत, व्यक्तिगत वैज्ञानिक आदान-प्रदान को सहायता देती है।

संस्वीकृत कार्यक्रमों के अंतर्गत वैज्ञानिक आदान-प्रदान हेतु प्रस्तावों को वैज्ञानिक पत्रिकाओं, ई-मेल परिपत्रों, इंटरनेट आदि में आम निमंत्रण के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त अन्य प्रस्तावों सहित वैज्ञानिक कार्य करने के लिए राज्य सरकारों के विश्वविद्यालयों/संस्थानों/संगठनों के प्रस्तावों पर भी विचार किया जाता है।

ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता हेतु राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

***694. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समुचित प्रशिक्षित कार्मिकों का मानव संसाधन आधार तैयार करने हेतु एक राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (एन एच आर डी पी) शुरू किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) कार्यक्रम की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) भारत सरकार ने 1994 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत एक राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम (एन.एच.आर.डी.पी.) का गठन किया था ताकि कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित राज्य मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठों तथा राष्ट्र स्तरीय संस्थानों के जरिए प्रत्येक गांव में कम से कम एक निम्न स्तरीय मजदूर को प्रशिक्षित किया जा सके। कार्यक्रम का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं/स्थानीय निकायों को सशक्त बनाना है ताकि वे ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता सुविधाओं से संबंधित क्रिया-कलाप आरंभ कर सकें तथा रख-रखाव कर सकें। केन्द्र सरकार ने नौंवी योजना अवधि के दौरान राज्यों और सहायक संस्थाओं/संगठनों को अनुमोदित मानदंडों के अनुसार 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 27 राज्यों में राज्य मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ बनाने और उसके रख-रखाव के लिए निधियां जारी की गई हैं और 25 राज्यों ने कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे प्रकोष्ठ बनाने की सूचना दे दी है। दो राज्यों अर्थात् छत्तीसगढ़ और झारखंड ने अब तक मानव संसाधन विकास प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया है जबकि जम्मू और कश्मीर को अभी प्रस्ताव प्रस्तुत करना बाकी है। राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों और संस्थानों को दी गई निधियों के ब्यौरे (वर्षवार) वित्तीय एवं वास्तविक उपलब्धियां (शुरूआत से) संलग्न विवरण I से III में दी गई हैं।

विवरण-1

राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई निधियां (1994-2002)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	0.00	24.03	49.48	27.20	0.00	47.82	45.57	54.75	248.85
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	16.90	0.00	0.43	0.00	11.95	12.96	20.56	62.80
3.	असम	17.17	0.87	1.97	20.04	0.00	5.03	31.06	25.97	102.11
4.	बिहार	70.00	0.83	0.00	0.29	0.00	0.0	63.72	0.00	134.84
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.98	0.00	25.98
6.	गोआ	0.00	0.00	18.11	2.80	0.00	0.00	0.00	16.99	37.90
7.	गुजरात	0.00	0.00	40.00	4.00	0.00	0.00	63.29	75.47	182.76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	हरियाणा	12.45	5.03	0.00	2.87	0.00	1.20	2.20	7.10	30.85
9.	हिमाचल प्रदेश	18.15	0.67	0.00	0.68	0.00	0.0	0.00	0.00	19.50
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.20	24.20
11.	झारखण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	कर्नाटक	17.54	1.18	55.92	5.19	0.00	2.80	43.70	48.40	174.73
13.	केरल	0.00	16.12	11.00	20.31	12.93	16.81	46.15	33.32	156.64
14.	मध्य प्रदेश	0.00	50.21	39.12	9.06	0.00	4.00	43.32	37.10	182.81
15.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	200.60	4.00	0.00	0.00	50.56	0.00	255.16
16.	मणिपुर	0.00	13.60	2.40	14.75	0.65	10.60	14.93	12.62	69.55
17.	मेघालय	0.00	21.92	2.20	4.10	0.00	6.74	18.42	9.60	62.98
18.	मिजोरम	10.37	0.00	7.93	2.00	2.10	0.00	23.29	33.43	79.12
19.	नागालैंड	0.00	13.03	0.00	2.02	13.75	0.00	12.84	9.90	51.54
20.	उड़ीसा	48.11	0.00	7.10	69.21	0.00	0.00	56.55	88.89	269.86
21.	पंजाब	0.00	21.96	19.58	7.28	6.07	0.00	24.44	36.90	116.23
22.	राजस्थान	0.00	41.55	6.70	27.61	5.52	26.25	17.29	30.64	155.56
23.	सिक्किम	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35
24.	तमिलनाडु	32.63	0.00	45.49	44.11	48.93	34.27	70.48	100.95	376.86
25.	त्रिपुरा	0.00	9.27	9.06	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	18.54
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	106.09	124.42	117.50	29.91	290.24	97.29	235.69	1001.14
27.	उत्तरांचल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	35.48	10.70	10.70	0.0	0.00	0.00	11.29	68.17
	योग	226.42	388.09	651.78	396.36	119.86	457.71	764.04	956.77	3961.03

विवरण-II

राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के तहत संस्थाओं को जारी की गई निधियां (1994-2002)

क्र.सं.	राज्यों के नाम	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ए.आई.आई.एम.एस., दिल्ली	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
2.	जी.जे.टी.आई., गांधीनगर	0.48	0.56	0.00	3.90	2.40	0.00	0.0	0.00	7.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	ए.आई.आई.एच. एंड पी.एच., कलकत्ता	9.00	12.39	5.00	13.06	0.00	11.18	13.36	5.10	69.09
4.	सी.एच.ई.आर.आई., दुर्गापुर	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.63
5.	एस.आई.आर.डी., हैदराबाद	17.62	0.00	0.00	17.62	0.00	0.00	0.00	0.00	35.24
6.	एन.आई.आर.डी., हैदराबाद	318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.00
7.	टी.टी.टी.आई., भोपाल	45.30	3.15	5.40	37.06	0.00	3.50	0.00	0.00	94.41
8.	टी.टी.टी.आई., मद्रास	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.35
9.	ई.एस.आई., अहमदाबाद	0.00	5.50	6.00	6.00	0.00	7.01	10.23	12.65	47.39
10.	आई.आई.एम., अहमदाबाद	0.00	0.00	0.22	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42
11.	एस.जे.सी.ई., मैसूर	0.00	0.00	0.00	5.85	0.00	5.73	0.00	10.81	22.39
12.	आर.के. मिशन, कलकत्ता	0.00	0.00	0.00	12.29	0.00	12.19	0.00	0.00	24.48
13.	एस.के.आई.पी.ए., रांची	0.00	0.00	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
14.	जी.जी.आर.आई., गांधीग्राम	0.00	0.00	3.50	0.00	25.43	0.00	0.00	4.57	33.50
15.	डी.आर.एल., तेजपुर (असम)	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	0.00	0.00	0.00	2.06
16.	एन.जी.आर.आई., हैदराबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	5.00	3.90	3.90	14.30
17.	एम.एल.एन.आर.ई.सी., इलाहाबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.79	0.00	0.00	4.79
18.	आर.आर.एल., भुवनेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.72
19.	एन.ई.ई.आर.आई., नागपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	5.00	10.80
20.	आई.आई.टी., रूड़की	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47	4.47
21.	आई.टी.आर.सी., लखनऊ	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	2.00
	कुल	391.34	22.95	24.07	95.98	32.39	56.92	27.49	46.50	697.64

विवरण-III

राष्ट्रीय मानव संसाधन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल (1994-95 से 2001-2002 तक)		
		जारी	व्यय	प्रशिक्षित प्रशिक्षणार्थी (संख्या)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	248.85	157.61	18313
2.	अरुणाचल प्रदेश	62.80	51.68	1001

1	2	3	4	5
3.	असम	102.11	162.33	85837
4.	बिहार	134.84	30.21	65
5.	छत्तीसगढ़	25.98	0.00	0
6.	गोआ	37.90	7.92	23
7.	गुजरात	182.76	130.36	3327
8.	हरियाणा	30.85	6.75	4416
9.	हिमाचल प्रदेश	19.50	4.97	50
10.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0
11.	झारखण्ड	24.20	0.00	0
12.	कर्नाटक	174.73	21.60	144
13.	केरल	156.64	152.75	10416
14.	मध्य प्रदेश	182.81	200.82	25946
15.	महाराष्ट्र	255.16	203.22	2231
16.	मणिपुर	69.55	54.00	501
17.	मेघालय	62.98	56.68	1314
18.	मिजोरम	79.12	67.23	2940
19.	नागालैंड	51.54	60.09	864
20.	उड़ीसा	269.86	208.79	23449
21.	पंजाब	116.23	94.12	8751
22.	राजस्थान	155.56	295.92	15904
23.	सिक्किम	9.35	9.35	0
24.	तमिलनाडु	376.86	267.42	13673
25.	त्रिपुरा	18.54	0.00	0
26.	उत्तर प्रदेश	1001.14	840.96	57499
27.	उत्तरांचल	43.00	0.00	0
28.	पश्चिम बंगाल	68.17	27.32	250
	योग	3961.03	3112.09	276914

भेषज उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

***695. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में भेषज उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान औषध और भेषज क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश निम्न प्रकार है :

वर्ष (अप्रैल-मार्च)	प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित राशि (रु. करोड़ में)
1999-2000	24	82.13
2000-2001	49	1706.69
2001-2002	34	274.99

(ग) वित्तीय वर्ष 2001-2002 के दौरान 20,312.45 करोड़ रुपए की राशि के 2.066 एफ डी आई प्रस्ताव, जिसमें औषध और भेषज उद्योग के लिए 34 प्रस्ताव शामिल हैं, स्वीकृत किए गए थे।

दीर्घकालिक स्थायी उर्वरक नीति

***696. श्री एन.टी. षणमुगम : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बढ़ती हुई जनसंख्या की समुचित पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्थायी और अनुकूल उर्वरक नीति बनाए जाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में ऐसी किसी नीति के अभाव के कारण ही निवेश नहीं हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार एक दीर्घकालिक स्थायी उर्वरक नीति बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उर्वरक नीति को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (च) एक दीर्घावधि उर्वरक नीति बनाने के संबंध में विभिन्न स्टेकहोल्डरों से सुझाव प्राप्त हुए हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उत्पादन की आवश्यकताएं पूरी करने के मामले में उर्वरक के महत्व के प्रति सरकार सचेत है और इससे पूरी तरह अवगत है। सरकार नियमित अन्तराल पर उर्वरकों की मांग एवं आपूर्ति की निगरानी करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि देश के सभी किसानों को उर्वरक पर्याप्त मात्रा में तथा उचित मूल्य पर उपलब्ध हों।

नीति की रूपरेखा का प्रारूप तैयार किया गया था तथा इसे संबंधित स्टेकहोल्डरों जैसे उर्वरक उद्योग, किसानों, राज्य सरकारों अर्थशास्त्रियों आदि को उनके विचार/सुझाव आमंत्रित करने हेतु परिचालित किया गया था। देश के विभिन्न भागों में आयोजित सेमिनारों/कार्यशालाओं में भी नीति के प्रारूप के बारे में चर्चा की गई है। नीति के प्रारूप पर बहुत ही अर्थपूर्ण विचार-विमर्श हुआ तथा उर्वरक विभाग को नीति के प्रारूप संबंधी दस्तावेज में किए गए प्रस्तावों पर बहुत से सुझाव/टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं।

दीर्घावधि उर्वरक नीति तैयार करने के जवाब में प्राप्त हुए विचारों एवं सुझावों की जांच करने के लिए सचिव (उर्वरक) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। चूंकि यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य-निर्धारण नीति बनाने जैसे कुछ ऐसे मुद्दे हैं। दीर्घावधि उर्वरक नीति तथा क्षेत्र सुधार पर भी प्रभाव पड़ेगा। दीर्घावधि उर्वरक नीति को अंतिम रूप देने के लिए यूरिया इकाईयों के लिए नई मूल्य-निर्धारण नीति पर निर्णय लेने तक प्रतीक्षा करनी होगी।

ग्रामीण निर्माण केन्द्रों (रूरल बिल्डिंग सेंटर्स) के लिए वित्तीय सहायता

***697. श्री अम्बरीश : क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण निर्माण केंद्रों (रूरल बिल्डिंग सेंटर्स) की स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राज्यों के अनुरोध पर इस उद्देश्य हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता जारी की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (घ) ग्रामीण निर्मित केन्द्र की स्थापना की योजना, जो कार्यान्वयन के अधीन है, के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के एजेंसियों सहित राज्य सरकारों और ग्रामीण विकास एजेंसियों/विश्वसनीय एन.जी.ओ./निजी उद्यमियों/व्यावसायिक संगठनों/स्वायत्त संस्थाओं और निगमित निकायों के द्वारा ऐसे केन्द्र की स्थापना की जा सकती है।

विगत तीन वर्षों के दौरान देश में ग्रामीण निर्मित केन्द्र की स्थापना के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न एजेंसियों को 231.44 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है। इसके लिए निधियों की रिलीज की राज्यवार और वर्षवार स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	वर्ष			
		1999-2000	2000-01	2001-02	कुल
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	6.00	15.00	21.00
2.	असम	-	6.00	-	6.00
3.	बिहार	-	-	21.00	21.00
4.	कर्नाटक	-	-	27.00	27.00
5.	जम्मू व कश्मीर	-	-	6.00	6.00
6.	गुजरात	-	11.20	41.80	53.00
7.	हरियाणा	-	4.20	-	4.20
8.	हिमाचल प्रदेश	-	6.00	10.04	16.04
9.	मध्य प्रदेश	-	17.60	5.60	23.20
10.	उड़ीसा	-	30.00	-	30.00
11.	राजस्थान	-	6.00	6.00	12.00
12.	तमिलनाडु	-	6.00	6.00	12.00
	कुल	-	93.00	138.44	231.44

जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश

***698. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रतिवर्ष, राज्य-वार कितना निवेश किया गया है;

(ख) क्या जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कर्नाटक राज्य की राजस्व भागीदारी अन्य राज्यों की तुलना में लगभग दुगुनी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की दृष्टि से जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) बायोटेक्नालॉजी विभाग देश में अधिकांश जैवप्रौद्योगिकी क्रियाकलापों के संवर्धन एवं सहायता हेतु नोडल एजेंसी है। इसके अतिरिक्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भी इन प्रयासों में सहायता करते हैं। वर्ष 1999-2002 के बीच अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालयों एवं विभिन्न राज्यों की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अनुसंधान, उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास के लिए सहायता अनुदान के रूप में कुल 432.25 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। यह एक सतत् प्रयास है। 10वीं योजना के लिए विभिन्न राज्यों में जैवप्रौद्योगिकी के संवर्धन एवं अनुप्रयोग हेतु विशिष्ट प्रस्ताव बनाये गये हैं।

वर्ष 1999-2002 के दौरान जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ डी आई) कुल 147.75 करोड़ रुपये है। अनुमोदित एफ डी आई में उक्त अवधि के लिए उत्तर प्रदेश का हिस्सा सबसे अधिक (64.50 करोड़ रुपये) और इसके बाद दिल्ली (21.90 करोड़ रुपये), कर्नाटक (14.12 करोड़ रुपये), महाराष्ट्र (12.97 करोड़ रुपये), पंजाब (6.54 करोड़ रुपये) और उत्तरांचल का हिस्सा (0.47 करोड़ रुपये) बनता है। कुल 147.75 करोड़ रुपये में से लगभग 27.25 करोड़ रुपये गैर-विशिष्टीकृत राज्यों के लिए अनुमोदित किये गये हैं।

(घ) से (च) सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में जैवप्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ाने के लिए समेकित उपाय किये गये हैं। उनमें से कुछ हैं- राज्य सरकारों द्वारा जैवप्रौद्योगिकी पार्कों, इन्कुबेटरों एवं नई संस्थागत संरचनाओं की स्थापना, उद्यमों, वित्तीय संस्थानों आदि के साथ अन्योन्यक्रिया बैठकें आदि।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.) द्वारा संस्थानों का पुनर्गठन/ बंद किया जाना

***699. श्री राजैया मल्याला** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.) ने अपने कुछ संस्थानों का पुनर्गठन करने और कुछ केन्द्रों को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से संस्थानों का पुनर्गठन किये जाने/बंद किये जाने की संभावना है; और

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा ऐसा कदम उठाये जाने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआईआर) दिल्ली स्थित अपने दो संस्थानों नामशः राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (निस्कॉम) व भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख-पोषण केन्द्र (इन्सडॉक) का पुनर्गठन कर रहा है। इन दोनों संस्थानों को साथ मिलाकर एक इकाई बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सीएसआईआर के सैंतालिस दूरस्थ केन्द्रों को भी या तो बंद किया जा रहा है अथवा अन्य प्रतिष्ठानों के साथ मिलाया जा रहा है।

(ग) यह पुनर्गठन, सीएसआईआईआर द्वारा गठित दो विशेषज्ञ समितियों की सघन समीक्षा पर आधारित है। पहली समिति, राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (निस्कॉम) व राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख-पोषण केन्द्र (इन्सडॉक) से संबंधित थी जबकि दूसरी समिति सीएसआईआर के दूरस्थ केन्द्रों से संबंधित थी। पहली समिति ने दोनों संस्थानों का विलय किए जाने की सिफारिश की थी ताकि इनकी विशिष्ट क्षमताओं एवं बुनियादी सुविधाओं में समन्वय तथा तालमेल बिठाया जा सके। दूसरी समिति ने सिफारिश की थी कि लगभग आधे दूरस्थ केन्द्रों को जारी रखा जाए व शेष बचे केन्द्रों को बंद करके अन्य प्रतिष्ठानों के साथ मिला दिया जाए। यह सिफारिश प्रत्येक दूरस्थ केन्द्र के वर्तमान व भावी संदर्भ में उसके संसाधन आधार, कार्यनिष्पादकता, उत्पादकता, क्षमता, असमर्थता, अवसरों, चुनौतियों, प्रासंगिकता व उपयोगिता के मूल्यांकन के आधार पर की गई है।

भेषज क्षेत्र की विकास दर .

***700. श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेषज क्षेत्र की गत वर्ष की विकास दर दशक में सबसे कम थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वर्ष 1992 से विकास दर हमेशा 10 प्रतिशत से अधिक रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने भेषज क्षेत्र के विकास को बढ़ाने के लिए चालू वर्ष के दौरान कोई कदम उठाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुखदेव सिंह ढिंडसा) : (क) से (च) ओआरजी-एमएआरजी द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार 2001 में फार्मा बाजार में 9.70% की वृद्धि हुई और कुल बाजार 15534 करोड़ रुपए का था। ओआरजी-एमएआरजी की सूचनानुसार वर्ष 1992 से 2001 तक की वृद्धि दर निम्नलिखित है :

1992	–	18.70%
1993	–	11.50%
1994	–	15.70%
1995	–	11.60%
1996	–	14.70%
1997	–	13.30%
1998	–	18.60%
1999	–	8.40%
2000	–	10.50%
2001	–	9.70%

वर्ष 1999 के दौरान वृद्धि की दर 8.40% थी जबकि यह वर्ष 2000 में बढ़कर 10.50% हो गई। वर्ष 2001 में यह घटकर 9.70% रह गई।

सरकार ने हाल ही में "भेषज नीति-2002" घोषित की है। इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(1) जन साधारण की खपत वाली अच्छी गुणवत्ता की आवश्यक दवाओं की समुचित मूल्य पर देश में प्रचुर उपलब्धता सुनिश्चित करना।

(2) भेषज क्षेत्र में कारोबार मूलक बाधाओं को कम करते हुए गुणवत्ता वाले लागत प्रभावी उत्पादन और भेषजों के निर्यात के लिए स्वदेशी सक्षमता को सुदृढ़ करना।

(3) गुणवत्ता को भारतीय भेषज उद्योग की एक आवश्यक विशेषता और भेषजों के युक्तियुक्त प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए औषधों और भेषजों के उत्पादन एवं वितरण पर गुणवत्ता नियंत्रण की प्रणाली को सुदृढ़ करना।

(4) भारत में भेषजों में अनुसंधान एवं विकास में उच्चतर स्तर के निवेश को सारणीबद्ध करने के अनुरूप माहौल सृजित करके भारत के लिए संगत या विशेष क्षेत्रीय बीमारियों पर विशेष ध्यान संकेन्द्रित करते हुए और देश की आवश्यकताओं के अनुरूप भेषज क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना।

(5) भेषज उद्योग के लिए प्रोत्साहन ढांचा सृजित करना जो भेषज उद्योग में नए निवेश को बढ़ावा दे और नई प्रौद्योगिकियों और नये औषधों के लाने में प्रोत्साहन दे।

संरक्षित जल आपूर्ति योजना

7050. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेयजल मिशन ने कुछ पंचायतों के समूह के लिए सुरक्षित जल आपूर्ति योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कुछ पंचायतों के समूह को सुरक्षित जल योजना हेतु मूल्य कटौती लाभ की शुरूआत की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) से (घ) ग्रामीण जल आपूर्ति चूंकि राज्य का विषय है, इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति करने के लिए योजनाओं को राज्य सरकारों द्वारा उनके अपने संसाधनों से कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के पेयजल आपूर्ति घटक के अंतर्गत निधियां प्रदान कर राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। उपरोक्त कार्यक्रमों के अंतर्गत ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की योजना बनाने, मंजूरी देने और कार्यान्वित करने की शक्तियां राज्य सरकारों के अधीन हैं। अत: इस बात का कि समुदाय के पास एकल या बहु-ग्रामीण योजना होगी, निर्णय राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है। लागत विश्लेषण और स्केल की इकानॉमी आदि जैसे विभिन्न विश्लेषण प्रत्येक ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के समय राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किये जाते हैं।

ग्रामीण जल आपूर्ति के क्षेत्र में विभिन्न अभिनव विचारों को 64 प्रायोगिक जिलों में कार्यान्वित की जा रही क्षेत्र सुधार परियोजनाओं के अंतर्गत प्रयोग में लाया जा सकता है। ये परियोजनाएं ग्रामीण जल आपूर्ति क्रियाकलापों में सामुदायिक भागीदारी को संस्थापित करने का काम करती हैं जिससे कि प्रणालियों और स्रोतों में स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। इस प्रकार समुदाय को उनकी अपनी रुचि के अनुसार छोटी, एकल ग्रामीण योजनाओं की योजना बनाने, मंजूरी देने, आंशिक रूप से वित्तपोषित करने, कार्यान्वित

करने, संचालित करने रख-रखाव करने तथा प्रबंध करने के लिए सक्षम बनाया और प्रोत्साहित किया जाता है। बहु ग्रामीण योजनाओं का विकल्प अंतिम चुनाव होता है, बशर्ते कोई अन्य स्थानीय स्रोत पर आधारित, किफायती, स्वीकार्य, अपनाए जाने योग्य तथा समुदाय के लिए वहन योग्य योजना गांव/पंचायत में व्यवहार्य न हो। ऐसे मामलों में समुदाय पंचायतों/गांवों/पर्यावासों के समूहों के लिए बहु ग्रामीण/पंचायती योजनाओं पर विचार कर सकती है।

आई.ए.वाई. आवासों की सूची

7051. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की वर्ष 2001-02 के दौरान पूरे देश में इंदिरा आवास योजना के आवासों के आवंटन की जिलावार सूची प्रकाशित करने की कोई योजना है;

(ख) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश दे दिये गए हैं;

(ग) क्या सभी राज्य आई.ए.वाई. के अंतर्गत आवासों के आवंटन हेतु जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं;

(घ) यदि नहीं, तो सरकार का इस विसंगतिपूर्ण स्थिति का समाधान किस तरह करने का विचार है;

(ङ) क्या योजना के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों की जांच के लिए संपूर्ण देश में विभिन्न जिलों में केन्द्रीय दल भेजे गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) योजना के कार्यान्वयन में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के दिशा-निर्देशों में अनेक प्रावधान शामिल किए गए हैं। आई.ए.वाई. के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, महिला लाभार्थियों तथा शारीरिक /मानसिक रूप से अपंग लोगों के ब्यौरों सहित पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान चयनित लाभार्थियों की सूची ग्राम स्तर पर लोगों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। ब्लाक में शुरू किए गए आवासों तथा निधियों के ग्रामवार आबंटन/वितरण का ब्यौरा ब्लाक स्तर पर लोगों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। दिशा-निर्देशों में आगे यह निर्धारित है कि निधियों का ग्रामवार/ब्लाकवार वितरण जिला स्तर पर लोगों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। हाल ही में यह भी निर्णय लिया गया है कि जिलों को जारी की गई सभी धनराशियों को सबकी जानकारी में लाया जाए।

(ग) से (च) योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करने के लिए मंत्रालय के क्षेत्र अधिकारी विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा करते हैं। अगर क्षेत्र अधिकारियों द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिशा-निर्देशों के किसी प्रकार के उल्लंघन अथवा योजना के कार्यान्वयन में किसी अनियमितता का उल्लेख किया जाता है तो इसे तत्काल अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के साथ उठाया जाता है। इसके अलावा जब कभी लाभार्थियों के चयन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन में अनियमितता संबंधी शिकायतें मंत्रालय के नोटिस में लाई जाती हैं तो मामले को तत्काल ही दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने सहित समुचित उपाय करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उठाया जाता है।

रसायन/पेट्रो रसायन के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया जाना

7052. श्रीमती जयश्री बैनर्जी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रसायन और पेट्रो-रसायन के क्षेत्र में अमरीका और अन्य देशों की अग्रणी निजी कंपनियों को आमंत्रित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों को अपना कर देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लाने के लिए अमरीका सहित विश्व भर की सभी अग्रणी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियां/सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं।

समुद्र जल से सोना निकालने की प्रौद्योगिकी

7053. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर समुद्र जल से सोना निकालने की कोई प्रौद्योगिकी विकसित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

व्यय सुधार आयोग

7054. श्री अमर राय प्रधान : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय एवं उसके अधीनस्थ विभागों में वर्तमान निरर्थक खर्चों को कम करने के लिए सुझाव देने हेतु किसी व्यय सुधार आयोग का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका गठन और ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके अन्तर्गत उनके मंत्रालय/विभागों में चिन्हित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितना निरर्थक खर्च चिन्हित किया गया है;

(घ) 31.12.2001 तक आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है उन्हें आज तक कार्यान्वित नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) इन्हें कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (च) रसायन और उर्वरक मंत्रालय में किसी व्यय सुधार आयोग (ईआरसी) का गठन नहीं किया गया था। तथापि, वित्त मंत्रालय द्वारा श्री के.पी. गीताकृष्णन, पूर्व वित्त सचिव की अध्यक्षता में फरवरी, 2000 में व्यय सुधार आयोग का गठन किया गया था तथा श्री वी.एस. जफा, पूर्व वित्तीय सलाहकार (रक्षा मंत्रालय), श्री सी.एम. वासुदेव, पूर्व सचिव (व्यय), श्री जे.एस. माथुर, अपर सचिव (बजट) और श्री कीर्ति पारिख (अर्थशास्त्री) इस आयोग के सदस्य हैं। आयोग ने 36 मंत्रालयों/विभागों की 10 रिपोर्टें तथा खाद्य सब्सिडियां, उर्वरक सब्सिडियां, स्वायत्त संस्थाओं और कर्मचारियों की अनुकूल संख्या जैसे 4 विशिष्ट मुद्दे प्रस्तुत किए थे। जहां तक रसायन और उर्वरक मंत्रालय का संबंध है, उर्वरक विभाग तथा रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के कार्यकलापों के योक्तिकीकरण, गतिविधियां तथा संरचना पर ईआरजी की सिफारिशें शर्तों की अवधारणा एवं पूर्ति पर आधारित हैं। इन सिफारिशों को तभी कार्यान्वित किया जाएगा बशर्ते कि सभी अवधारणाओं एवं शर्तों को पूर्ण किया जाए।

खुले आमन्त्रण में लघु निवेशकों को महत्व

7055. श्री किरीट सोमैया : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभाग, सेबी, डीओडी को 20 प्रतिशत खुले आमंत्रण खंड में लघु निवेशकों को महत्व देने संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी लघु निवेशक को विनिवेश आदि के खुले आमन्त्रण में एक हजार शेयर तक या एक लाख रुपये तक का वेटेज दिया जा सकता है; और

(घ) इस मामले में विभाग के क्या विचार एवं टिप्पणियां हैं और उसके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) जी, हां।

(ख) यह सुझाव दिया गया था कि बड़े निवेशकों की तुलना में छोटे निवेशकों को अधिक महत्व/अधिमानता/प्राथमिकता दी जानी चाहिए अर्थात् एक लाख रुपये अथवा एक हजार शेयरों तक के छोटे निवेशकों को बड़े निवेशकों से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रभावी रूप से इसका अभिप्राय यह है कि छोटे निवेशकों द्वारा पेश किए गए शेयर बोलीदाता/अर्जनकर्ता द्वारा स्वीकार कर लिए जाएं और बकाया शेष बड़े निवेशकों से स्वीकार किए जाएं।

(ग) और (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा मामले पर विचार किया गया था। विचार करने पर किसी खुली पेशकश में शेयरधारकों की एक श्रेणी को आरक्षण देने के बारे में सुझाव को स्वीकार करना निम्नलिखित कारणों से व्यवहार्य नहीं पाया गया। कंपनी अधिनियम के अधीन, बड़े निवेशकों की तुलना में छोटे निवेशकों के साथ अलग व्यवहार नहीं किया जाता है। ऐसा कदम निवेशकों को खुली पेशकश से पहले शेयरों को अपने संबंधियों और दोस्तों को हस्तान्तरित करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है और अपने सभी शेयर स्वीकार करवा लेने के उद्देश्य से विभिन्न नामों पर उतनी ही संख्या पेश कर सकते हैं। इसके

अलावा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को सभी शेयरधारकों के हितों को ध्यान में रखना होता है।

राज्य के उपक्रमों का निजीकरण

7056. श्री बी.के. पार्थसारथी : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वित्तीय वर्ष में विभिन्न राज्यों के स्वामित्व वाले उपक्रमों को विनिवेश के दायरे में लाया जाएगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) और (ख) राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य सरकारों के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आते हैं। संबंधित राज्य सरकारों के पास उनके स्वामित्व के उपक्रमों के लिए अपने ही विनिवेश कार्यक्रम हैं। कुछ राज्य अपने निजीकरण कार्यक्रम प्रभावशाली ढंग से चला रहे हैं जबकि कुछ अन्य इसमें इतने सक्रिय नहीं हैं। राज्य सरकारों द्वारा अगले वित्त वर्ष के दौरान निजीकरण की परिधि के अंतर्गत लाये जा रहे राज्य स्तर के उपक्रमों का नाम इस चरण पर नहीं गिनाए जा सकते।

असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट

7057. श्री एम.के. सुब्बा : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार असम गैस क्रैकर प्रोजेक्ट में जल्दी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उसके क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं और इस परियोजना को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ङ) असम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (ए आई डी सी) और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर आई एल) के संयुक्त उद्यम रिलायंस असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड (आर ए पी एल) द्वारा असम गैस क्रैकर परियोजना स्थापित की जा रही है। सरकार द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन की वरिष्ठ स्तरों पर आयोजित बैठकों में मानीटर किया जाता है। परियोजना की अद्यतन समीक्षा 10.5.2002 को हुई थी। परियोजना प्राधिकारियों को आशा है कि फीडस्टॉक सप्लाई समझौता और भूमि अधिग्रहण के संबंध में औपचारिकताएं पूरी होने पर परियोजना 44 माह में आरंभ हो जाएगी।

[हिन्दी]

कोटा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खोला जाना

7058. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास राजस्थान के कोटा में किसी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं की जा सकी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस विश्वविद्यालय के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा') : (क) सरकार के पास राजस्थान के कोटा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विधि स्नातक पाठ्यक्रम

7059. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मंजूरी प्राप्त, राज्य-वार, किन-किन विश्वविद्यालयों में 10+2 पास अभ्यर्थियों के लिए पांच वर्षीय विधि स्नातक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं; और

(ख) इस प्रकार के प्रत्येक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विधि कालेजों के राज्य-वार और स्थान-वार अलग-अलग नाम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) 10+2 के उम्मीदवारों के लिए पांच वर्षीय समेकित विधि स्नातक पाठ्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) विधि स्नातक में तीन वर्षीय (स्नातक डिग्री के पश्चात्) या पांच वर्षीय समेकित (10+2 के पश्चात्) पाठ्यक्रम चलाने वाले ऐसे प्रत्येक विश्वविद्यालय से संबद्ध विधि कॉलेजों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

एल.एल.बी. में पांच वर्षीय समेकित पाठ्यक्रम चलाने वाले विश्वविद्यालयों की सूची

राज्य	विश्वविद्यालय
1	2
आन्ध्र प्रदेश	1. आन्ध्र विश्वविद्यालय, वाल्टेयर, विशाखापत्तनम-530003
	2. ककाटिया विश्वविद्यालय, वारंगल, विधारान्यापुरी, पिन-506009
	3. नागार्जुन विश्वविद्यालय, नागार्जुन नगर, पिन-522510
	4. ओसमानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, पिन-500007
	5. श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, तिरूपति-517502
	6. नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, 3-4-761 बरकतपुरा, हैदराबाद-500027
बिहार	7. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर-842001
गोवा	8. गोवा विश्वविद्यालय, टेलियोगाव प्लेच्यू, गोवा-403203
गुजरात	9. उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय, राजमहल रोड, पाटन, पिन-384265 (गुजरात)
हरियाणा	10. कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरूक्षेत्र, पिन-132119 (हरियाणा)
	11. महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक, पिन-124001 (हरियाणा)
कर्नाटक	12. बंगलोर विश्वविद्यालय, बंगलोर, पिन-560056
	13. कर्नाटक विश्वविद्यालय, पावते नगर, धारवाड़ पिन-580003
	14. कुवेम्पु विश्वविद्यालय, गाना साहयाद्री, जिला-शिमोगा पिन-577451, कर्नाटक
	15. मंगलोर विश्वविद्यालय, मंगलागंगोत्री, मंगलोर-574199
	16. मैसूर विश्वविद्यालय, कॉफोर्ड हॉल, मैसूर-570005
	17. नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, पोस्ट बैग-7201, बंगलोर-560072
केरल	18. कालिकट विश्वविद्यालय, डाकघर-कोझीकोड, कालीकट-673635
	19. केरल विश्वविद्यालय, तिरूवनन्तपुरम, त्रिवेन्द्रम-695034
	20. महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम, पिन-686560 (केरल)

1	2
मध्य प्रदेश	21. डॉ. हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, सागर-470003 (मध्य प्रदेश)
	22. नेशनल लॉ इंस्टिट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल भादभाद रोड, बारखेड़ी कलां, पोस्ट बैग सं. 369, भोपाल-462003
महाराष्ट्र	23. मुम्बई विश्वविद्यालय, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुम्बई-400032
	24. नागपुर विश्वविद्यालय, रविन्द्र नाथ टैगोर मार्ग, नागपुर-440001
	25. उत्तरी महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, पोस्ट बैग सं. 80, जलगांव, उमाविनगर, पिन-425001
	26. पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, पिन-411007
	27. शिवाजी विश्वविद्यालय, विद्यानगर, कोल्हापुर-416004
	28. स्वामी रामानंद तीर्थ, मराठवाड़ा विश्वविद्यालय, विष्णुपुरी, नांदेड-431603
	29. भारती विद्यापीठ, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, पुणे-411030
पंजाब	30. गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, पिन-143005
	31. पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला, पिन-147002
तमिलनाडु	32. टी.एन. डॉ. अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, पूमपोजील ग्रीनवे रोड, चेन्नई-600028
उत्तर प्रदेश	33. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ पिन-202002
	34. लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, पिन-226007
पश्चिम बंगाल	35. कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता, पिन-700073
	36. नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय, राजा राम मोहनपुर, दार्जिलिंग-734430 (पश्चिम बंगाल)
	37. वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी आफ जुरिडिकल साईंस अरण्य भवन, 10ए. लॉ ब्लाक, एस. एल. सिटी, कलकत्ता
पांडिचेरी	38. पांडिचेरी विश्वविद्यालय, आर.वी. नगर, कालापेट, पांडिचेरी-605014

*विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था।

विवरण-II

विवरण-I में दिए गए विश्वविद्यालयों के संघटक/उनसे सम्बद्ध विधि कालेजों की सूची

क्र.सं.	नाम एवं पता
1	2
विश्वविद्यालय: आंध्र	
1.	न्याय विद्यापीठ लॉ कालेज, विशाखापट्टनम, जिला-विशाखापट्टनम आन्ध्र प्रदेश-530040
2.	एम.आर. कालेज ऑफ ला, विजयनगरम जिला-विजयनगरम आंध प्रदेश-531202
3.	डी.एन.आर. कालेज ऑफ ला, शीमावरम, जिला-पश्चिम गोदावरी आंध्र प्रदेश-534202

1	2
4.	एन.बी. मेमोरियल लॉ कालेज, मेहरानीपेटा, विशाखापट्टनम, जिला-विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश-530002
5.	वीरावल्ली कालेज ऑफ ला राजामंडरी, जिला-पूर्व गोदावरी आंध्र प्रदेश
6.	श्री सिरडी साई विद्या परिषद ला कालेज, तेजा टावर, अमलापुरम जिला-पूर्व गोदावरी आंध्र प्रदेश
7.	जी.एस. कृष्ण मेमोरियल ला कालेज, राजामंडरी जिला-पूर्व गोदावरी आंध्र प्रदेश-533105
8.	राजीव गांधी इन्स्टीट्यूट ऑफ ला, रमननेयापेट काकीनाडा, जिला-पूर्व गोदावरी आंध्र प्रदेश-533005
9.	एम.पी.आर. कालेज ऑफ ला श्रीकाकुलम, जिला-श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश
10.	पी.एस. राजु कालेज ऑफ ला, काकीनाडा, जिला-पूर्व गोदावरी आंध्र प्रदेश
11.	आल सेन्ट क्रिश्चियन एजुकेशनल सोसाइटी कालेज ऑफ ला जिला-विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश-550002
12.	सर सी.आर.आर. कालेज ऑफ ला, इलूरू 534006 जिला-पश्चिम गोदावरी आंध्र प्रदेश
13.	डा. बी.आर. अम्बेडकर कालेज ऑफ ला, वालटेर, जिला-विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश
	विश्वविद्यालय : ककाटिया
14.	मार्गदर्शी कालेज ऑफ ला, करीम नगर, जिला, करीमनगर आंध्र प्रदेश-505001
15.	मनेर कालेज ऑफ ला, खम्माम, जिला-खम्माम आंध्र प्रदेश-507001
16.	अखिल भारतीय कालेज ऑफ ला, वारंगल, जिला-वारगंल आंध्र प्रदेश-506001
17.	एस.ई.एस. इवनिंग कालेज ऑफ ला, करीम नगर जिला-करीम नगर, आंध्र प्रदेश
18.	आदर्श ला कालेज हनमकोंडा, जिला-वारंगल आंध्र प्रदेश-506001
19.	यूनिवर्सिटी कालेज ऑफ ला, वारंगल जिला-वारंगल आंध्र प्रदेश-506001
	विश्वविद्यालय : नागार्जुन
20.	ए.सी. कालेज ऑफ ला, गुंटूर, जिला-गुंटूर आंध्र प्रदेश-522001

1	2
21.	डी.एस.आर. हिन्दु कालेज ऑफ ला, मछलीपट्टनम जिला-कृष्णा, आंध्र प्रदेश
22.	सिद्धार्थ ला कालेज विजयवाड़ा, जिला-कृष्णा आंध्र प्रदेश-520007
23.	जे.सी. कालेज ऑफ ला, गुंटूर, जिला-गुंटूर आंध्र प्रदेश-522006
24.	एम.एम. कालेज ऑफ ला विजयवाडा, जिला-कृष्णा आंध्र प्रदेश
25.	इन्दिरा प्रियदर्शनी कालेज ऑफ ला, ओंगले जिला-प्रकाशम आंध्र प्रदेश-523002
26.	बपातलालों कालेज बपातला जिला-गुन्टुर आंध्र प्रदेश
27.	द्वारका लॉ कालेज गुन्टुर जिला-गुन्टुर आंध्र प्रदेश
विश्वविद्यालय : उस्मानिया	
28.	आंध्र महिला सभा लॉ कालेज, यू.यू. कैम्पस, हैदराबाद-7 जिला हैदराबाद आंध्र प्रदेश
29.	डा. बी.आर. अम्बेडकर लॉ कालेज चिक्कडपल्ली जिला हैदराबाद आंध्र प्रदेश-500020

1	2
30.	महात्मा गांधी लॉ कालेज द्वारा संत डोमेनिक्स उच्च विद्यालय, सलीम नगर कालोनी, जिला-हैदराबाद आंध्र प्रदेश-500036
31.	पाउला रामारेड्डी लॉ कालेज, मेल्लरड्डीगुड्डा हैदराबाद जिला-हैदराबाद आंध्र प्रदेश
32.	पोनुगोवी माधव राव कालेज, टेरनाका, सिकन्द्राबाद जिला-हैदराबाद आंध्र प्रदेश
33.	अनवर-उल-उलूम लॉ कालेज (संध्या) न्यू मल्लेपल्ली हैदराबाद जिला-हैदराबाद आंध्र प्रदेश
34.	के.वी. रंगारेड्डी लॉ कालेज, ए.वी. कॉलेज कैम्पस, गगन महल जिला-हैदराबाद आंध्र प्रदेश-500029
35.	पी.जी. लॉ कालेज बशीरबाग जिला-हैदराबाद आंध्र प्रदेश
36.	यूनिवर्सिटी लॉ कालेज, हैदराबाद जिला-हैदराबाद आंध्र प्रदेश
37.	शादन लॉ कालेज, 6-2-978 खैरताबाद हैदराबाद-4 जिला-हैदराबाद आंध्र प्रदेश

1	2
38.	सुल्तान-उल-उलूम लॉ कालेज (संध्या) माउन्ट प्लेजेन्ट 8-2-240 रोड नं. 3, बंजारा हिल्स हैदराबाद जिला-हैदराबाद आंध्र प्रदेश-500034
39.	पेन्डेकेन्टी लॉ कालेज, वासावी शिक्षा अकादमी हिमायत नगर हैदराबाद-29 जिला-हैदराबाद आंध्र प्रदेश
40.	निजामाबाद लॉ कालेज, मुबारक नगर, जिला-निजामाबाद, आंध्र प्रदेश
41.	निजामाबाद लॉ कालेज, निजामाबाद, जिला-हैदराबाद, आंध्र प्रदेश-500027
	विश्वविद्यालय : श्री वेंकटेश्वर
42.	डा. अम्बेडकर लॉ कॉलेज, तिरुपति, जिला-चित्तूर, आंध्र प्रदेश
43.	श्री वेंकटेश्वर लॉ कालेज, तिरुपति जिला-चित्तूर, आंध्र प्रदेश
44.	श्रीमती बासवरामा तारकम स्मारक लॉ कालेज (संध्या), कुड्डपा, जिला-कुड्डपा, आंध्र प्रदेश
45.	श्री आर.के.एम. लॉ कालेज (संध्या), श्रीनिवास नगर, तिरूपति रोड़, जिला-चित्तूर, आंध्र प्रदेश
46.	श्री पी. बसी रेड्डी लॉ कॉलेज (संध्या), कुड्डपा, जिला-कुड्डपा, आंध्र प्रदेश
47.	वी.आर. लॉ कॉलेज (संध्या), नेल्लोर, जिला-नेल्लोर आंध्र प्रदेश
	विश्वविद्यालय : बाबा साहेब अम्बेडकर, बिहार
48.	श्री कृष्ण जुबली लॉ कालेज, मुजफ्फरपुर, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार
49.	शमरदाम शानी लॉ कॉलेज बेतिया, जिला-पश्चिम चम्पारण, बिहार
50.	लॉ कॉलेज, मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण, बिहार
	विश्वविद्यालय : गोवा
51.	वी.एम. सलगावकर लॉ कालेज, पणजी जिला : नार्थ गोआ गोआ-403002
52.	गोविन्द रामनाथ करे लॉ कालेज मार्गदा गोआ जिला : साउथ गोआ गोआ-403060

1	2
	विश्वविद्यालय : उत्तरी गुजरात
53.	लॉ कालेज पालनपुर जिला-बनासकंठा गुजरात
54.	सेठ मोती लाल नयालचंद लॉ कालेज पाटन (ए.जी.) 384265 जिला-मेहसाना गुजरात-384265
55.	लॉ कालेज हिम्मतनगर (एन.जी) जिला-साबरकंठा गुजरात-383001
56.	सेठ बृजलाल सेवकराम लॉ कालेज ऊंझा (एन.जी.) 384170 जिला-मेहसाना गुजरात-384170
57.	श्री एस.एम. शाह लॉ कालेज मेहसाना (एन.जी.) गुजरात-384002
58.	श्री नगनभाई शामलभाई पटेल लॉ कालेज मोडासा (एन.जी.) जिला-साबरकंठा गुजरात-383315
	विश्वविद्यालय : बंगलौर
59.	एएमसी लॉ कालेज, एएमसी भवन, 30वां क्रॉस 6ठा ब्लॉक जयानगर बंगलौर-560011-कर्नाटक
60.	बी.एम.एस. लॉ कालेज, (अंजनी) टेम्पल रोड, बासवनगुडी बंगलौर-560004 जिला-बंगलौर कर्नाटक
61.	अल-अमीन लॉ कालेज एच. (लालबाग मेन के निकट) होसुर रोड बंगलौर-27 जिला-बंगलौर कर्नाटक
62.	बंगलौर विधिक अध्ययन संस्थान विजया कालेज कैम्पस आर.वी. रोड बासवनगुडी बंगलौर-560004
63.	दयानन्द सागर लॉ कालेज (संध्या) शाविगे मल्लेश्वर हिल्स कुमारस्वामी ले आउट बंगलौर-560078 जिला-बंगलौर कर्नाटक
64.	इस्लामिया लॉ कालेज, नेशनल पार्क रोड बंगलौर-560076 जिला-बंगलौर कर्नाटक
65.	के.एल.ई.एस. लॉ कालेज 11 ब्लाक, राजाजीनगर, बंगलौर-10 जिला-बंगलौर कर्नाटक
66.	सामाजिक विधिक एवं अनुसंधान केन्द्र लॉ कालेज (संध्या) यूनाइटेड मिशन कम्पोजिट

1	2
	जूनियर कॉलेज अनेक्समिशन रोड, बंगलौर जिला-बंगलौर कर्नाटक-560027
67.	श्री कृष्ण लॉ संस्थान बाटावाडी, महालक्ष्मी नगर तुमकुर-572103 जिला-तुमकुर कर्नाटक
68.	विवेकानन्द लॉ कालेज राजाजी नगर-II स्टेज, डॉ. राजकुमार रोड जिला-बंगलौर कर्नाटक-560055
69.	डा. राममनोहर लोहिया लॉ कालेज नं. 3, ईस्ट एण्ड 'बी' मेन, 9वां ब्लॉक, जयानगर, बंगलौर कर्नाटक-560069
70.	राजकीय लॉ कालेज कोलार जिला-कोलार-563101 कर्नाटक
71.	बी.ई.एस. लॉ कालेज, 16वां मेन, 4था ब्लॉक जयानगर बंगलौर-560011 कर्नाटक
72.	सर्वोदय लॉ कालेज, नं. 9/180, जे.सी. नगर, महालक्ष्मीपुरम (पोस्ट) कुरूबोरा हल्ली बंगलौर-560086 कर्नाटक
73.	यूनिवर्सिटी लॉ कालेज, बंगलौर जिला-बंगलौर-560009 कर्नाटक
74.	मिस रमैया लॉ कालेज, मिस रमैया नगर एमएसआरआईटी (पीओ) जिला-बंगलौर-560054 कर्नाटक
75.	विद्योदया विधि कालेज, टुमकुर, बी.एच. रोड, जिला टुमकुर, कर्नाटक-572102
76.	के.ई.एस. सोसायटी राजीव गांधी कालेज ऑफ लॉ, कार्पोरेशन बाल उच्च विद्यालय भवल, टेंपल स्ट्रीट, कोदनदरमपुरा, मालेस्वरम्, जिला-बंगलौर-560003, कर्नाटक
77.	बाबू जगजीवन राम विधि कालेज, नं. 638, 11 ब्लाक, थर्ड स्टेज, बसवेसवरा नगर, मिनी गंगा के सामने, कल्याण मन्तप्पा, बंगलौर-79 कर्नाटक
78.	शेशद्रिपुरम विधि कालेज (सायं) शेशद्रिपुरम, बंगलौर-20, जिला बंगलौर, कर्नाटक
79.	विश्वेश्वरपुरा विधि कालेज, के.आर. रोड, बंगलौर-4 जिला बंगलौर, कर्नाटक
विश्वविद्यालय : कुवेम्पू	
80.	इंदिरा प्रियदर्शनी विधि कालेज, सं. 25, 1 'सी' मेन रोड, एचएमटी भंजन के पीछे आर टी नगर, गंगानगर एक्सटेंशन, बंगलौर-560032 कर्नाटक

1	2
81.	मिरान्डा विधि कालेज, हाल III स्टेज, जिला बंगलौर-560075 कर्नाटक
82.	पृथ्वी विधि कालेज (सायं) सं. 14/1, (आर एस बिल्डर्स) एण्ड डवैल्पर्स), 6 क्रॉस 1 मेन, गांधी नगर, जिला बंगलौर-560009, कर्नाटक
83.	श्री जगद्गुरू रेनुकाचार्य विधि कालेज, नं. 9, रेसकोर्स रोड, आनन्दराव सर्कल, बंगलौर-9, जिला बंगलौर, कर्नाटक
84.	के.जी.एफ. विधि कालेज ओरगाम, कोलार, जिला कोलार, कर्नाटक-563120
85.	एम.के. श्रीनिवास शेट्टी विधि कालेज, मालान्दूर रोड, चिकमंगलूर, जिला चिकमंगलूर, कर्नाटक
86.	आर.एल. विधि कालेज, देवेंगिरि, जिला-देवेंगिरी, कर्नाटक
87.	एस.जे.एम. विधि कालेज, चित्रदुर्गा, जिला चित्रदुर्गा, कर्नाटक
88.	राष्ट्रीय विधि कालेज, शिमोगा, बालाराज उर्स रोड, जिला शिमोगा, कर्नाटक
89.	सरस्वती विधि कालेज, चित्रदुर्गा, जिला चित्रदुर्गा, कर्नाटक
90.	सागर गंगोत्री विधि कालेज, सागर-577401, जिला शिमोगा कर्नाटक
विश्वविद्यालय : मंगलूर	
91.	के.वी.जी. विधि कालेज, करुंजीभाग, सुलिया-574239 जिला दखिण कन्नड, कर्नाटक
92.	श्री धर्मस्थल मंजूनाथेश्वर विधि कालेज, मंगलूर, जिला-दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक
93.	विवेकानन्द विधि कालेज, नेहरू नगर, पुत्तूर, जिला दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक
94.	जस्टिस के.एस. हेगड़े स्मारक विधि कालेज, कोडाईबेल, मंगलूर,
95.	विकुंट बिलग विधि कालेज, उदूपी-576102 जिला दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक
96.	येदथरे मंजइया शेट्टी विधि कालेज, न्यू वृन्दावन परिसर, कुन्दापुर-576201 जिला दक्षिण कन्नड़ कर्नाटक
विश्वविद्यालय : मैसूर	
97.	एम. कृष्ण विधि कालेज, हसन, जिला : हसन, कर्नाटक
98.	एच.एच. मेमोरियल विधि कालेज, मान्डेया, जिला : मान्डेया, कर्नाटक

1	2
99.	विधावर्धक विधि कालेज, शेशाद्रि आय्यर रोड, मैसूर, जिला : मैसूर-570021, कर्नाटक
100.	जे.एस.एस. विधि कालेज कुवेम्पूनगर, मैसूर, जिला मैसूर-570023 कर्नाटक
101.	महाजन एजूकेशन सोसायटी कालेज आफ लॉ जयलक्ष्मीपुरम, मैसूर जिला मैसूर, कर्नाटक
102.	पी.ई.एस. लॉ कालेज, मांडया जिला मांडया-573201 कर्नाटक
103.	शारदा विलास लॉ कालेज कृष्णामूर्तिपुरम, मैसूर जिला मैसूर-570004 कर्नाटक
विश्वविद्यालय : कालीकट	
104.	गवर्नमेंट लॉ कालेज त्रिचूर जिला त्रिचूर, केरल
105.	गवर्नमेंट लॉ कालेज कालीकट जिला कालीकट केरल-673012
106.	गवर्नमेंट लॉ कालेज (सायं) कालीकट जिला कालीकट-673012 केरल
विश्वविद्यालय : केरल	
107.	दी केरल लॉ एकेडमी लॉ कालेज पेरूरकडा, थिरूवनंतपुरम जिला थिरूवनंतपुरम केरल-695005
108.	गवर्नमेंट लॉ कालेज थिरूवनंतपुरम जिला थिरूवनंतपुरम-695033 केरल
विश्वविद्यालय : महात्मा गांधी	
109.	गवर्नमेंट लॉ कालेज एरनाकुलम जिला एरनाकुलम केरल
विश्वविद्यालय : डॉ. हरिसिंह गौड	
110.	डी.बी.सी. लॉ कालेज, पन्ना जिला पन्ना, मध्य प्रदेश
111.	लॉ कालेज दमोह जिला दमोह मध्य प्रदेश
112.	सतपुड़ा विधि महाविद्यालय छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश
113.	पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कालेज छत्तरपुर जिला छत्तरपुर, मध्य प्रदेश
विश्वविद्यालय : मुम्बई	
114.	डॉ. अम्बेडकर विधि कालेज वाडला मुम्बई-400031 मुम्बई, महाराष्ट्र
115.	गवर्नमेंट लॉ कालेज चर्चगेट स्टेशन मुम्बई-400020 मुम्बई, महाराष्ट्र
116.	के.सी. लॉ कालेज दिनशाह वचा रोड, मुम्बई-20 जिला मुम्बई, महाराष्ट्र

1	2
117.	सिद्धार्थ कालेज ऑफ लॉ आनंद भवन, फोर्ट मुम्बई-400023 जिला मुम्बई, महाराष्ट्र
118.	विद्या प्रसारक मंडल थाने म्यूनिसिपल काउंसिल लॉ कालेज, चंदानी बंदर रोड़ थाने जिला थाने, महाराष्ट्र
119.	गोपालदास जमतलाल आडवानी लॉ कालेज, 32 एम.डी. रोड बांद्रा, मुम्बई जिला-मुम्बई महाराष्ट्र-400050
120.	जितेन्द्र चौहान कालेज आफ लॉ विलेपारले (पश्चिम) मुम्बई-56 जिला मुंबई, महाराष्ट्र
121.	न्यू लॉ कालेज, सेनापति बापत मार्ग महिम (प.) मुम्बई, जिला मुम्बई-400016
122.	रत्नगिरी शिक्षा सोसाइटी श्रीमान भागो सेठ कीर लॉ कालेज मार्फत गोगेट कालेज, रत्नागिरी-415612 जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र
विश्वविद्यालय : नागपुर	
123.	राजे धरमराव विधि कालेज गढ़चिरोली जिला गढ़चिरोली महाराष्ट्र
124.	विश्वविद्यालय विधि कालेज, नागपुर, जिला नागपुर महाराष्ट्र
125.	एस.पी. विधि कालेज, चंद्रापुर जिला चंद्रापुर, महाराष्ट्र
विश्वविद्यालय : उत्तरी महाराष्ट्र	
126.	डा. बाबा साहब अम्बेडकर, मेमोरियल विधि कालेज, तालुक धुले जिला धुले-425002 महाराष्ट्र
127.	नंदरबार तालुक विधायक समिति इंस्टीट्यूट आफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड रिसर्च नंदरबार महाराष्ट्र
128.	एस.एम.एम. विधि कालेज तालुक-जलगांव जिला जलगांव महाराष्ट्र-425001
विश्वविद्यालय : पूणे	
129.	न्यू विधि कालेज, अहमदनगर-414001 जिला अहमदनगर-महाराष्ट्र
130.	के.बी.एच. विधि कालेज, मालेगांव कैम्प जिला नासिक महाराष्ट्र
131.	यशवंत राव चव्हाण विधि कालेज पूणे-9 जिला पूणे, महाराष्ट्र
132.	जी.ई. सोसाइटी एन.बी. ठाकुर विधि कालेज, नासिक-422005 नासिक, महाराष्ट्र
133.	आई.एल.एस. विधि कालेज, पूणे, जिला पूणे, महाराष्ट्र-411004
134.	त्रिमूर्ति पवन प्रतिष्ठान विधि कालेज, श्रीरामपुर-413709 जिला-अहमदनगर, महाराष्ट्र
135.	शिमबायोशिश सोसायटी विधि कालेज, पूणे जिला पूणे, महाराष्ट्र-411004
136.	महर्षि कोशमो एजुकेशन ए.के. खान विधि कालेज पूणे जिला पूणे, महाराष्ट्र
137.	शिक्षा प्रसारक संस्था विधि कालेज, संगमेर-422605 जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र
विश्वविद्यालय : शिवाजी	
138.	न्यू विधि कालेज, जी.के. गोखला कालेज बिल्डिंग, कोल्हापुर जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र

1	2
139.	डी.जी.बी. दयानंद सांध्य विधि कालेज शोलापुर-413005 महाराष्ट्र
140.	भारती विद्यापीठ न्यू विधि कालेज, भारती विद्यापीठ भवन, रजवाड़ा चौक, सांगली-416416 महाराष्ट्र
141.	एन.एस. विधि कालेज, राजनेमी कैम्पस वूड हाऊस रोड, सांगली जिला सांगली महाराष्ट्र-416416
142.	प्रियदर्शिनी ध्यान प्रबोधनी विधि कालेज फलतान जिला सतारा, महाराष्ट्र
143.	राजश्री साहू सांध्य विधि कालेज, बडसी शोलापुर-413411 जिला शोलापुर, महाराष्ट्र
144.	शाहजी विधि कालेज, कोल्हापुर महाराष्ट्र
145.	इस्माइल साहेब मुल्ला विधि कालेज, सतारा जिला सतारा महाराष्ट्र-415001
विश्वविद्यालय, रामानंद तीरथ मराठवाड	
146.	दयानंद विधि कालेज, लातूर-413531 जिला लातूर, महाराष्ट्र
147.	विधि कालेज, नांदेड-431602 जिला नांदेड, महाराष्ट्र
148.	शिवाजी विधि कालेज, परभनी-431401 जिला परभनी, महाराष्ट्र
149.	श्री शिवाजी विधि कालेज, कंधार जिला नांदेड, महाराष्ट्र
विश्वविद्यालय : भारती विद्यापीठ	
150.	न्यू विधि कालेज पूणे, जिला पूणे, महाराष्ट्र
विश्वविद्यालय : उत्तरी बंगाल	
151.	सिक्किम सरकार विधि कालेज गंगटौक, सिक्किम-731101

1	2
विश्वविद्यालय : तमिलनाडु डा. अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय	
152.	गवर्नमेंट विधि कालेज भरतियार यूनिवर्सिटी, पोस्ट, रेसकोर्स रोड जिला कोयम्बटूर, तमिलनाडु-641046
153.	सेंट्रल विधि कालेज, सेलम, जिला सेलम, तमिलनाडु-636008
154.	डा. अम्बेडकर राजकीय विधि कालेज एसप्लेनेड, जिला चेन्नई तमिलनाडु-600104
155.	राजकीय विधि कालेज ई.वी.आर. कालेज बिल्डिंग, तिरूचिरापल्ली-2, जिला तिरूचिरापल्ली तमिलनाडु
156.	मदुरै विधि कालेज, मदुरै, जिला मदुरई, तमिलनाडु-625020
157.	राजकीय विधि कालेज, तिरूनेलवली जिला तिरूनेलवेली, कोट्टाटोमन, तमिलनाडु
158.	डायरेक्टोरेट आफ लिगल स्टडीज तमिलनाडु हाऊसिंग बोर्ड बिल्डिंग, नंदधनम चेन्नई-600035
विश्वविद्यालय : कलकत्ता	
159.	साऊथ कलकत्ता विधि कालेज 6/1 सिविनो स्ट्रीट, कलकत्ता जिला कलकत्ता, पश्चिम बंगाल-700019
160.	विश्वविद्यालय विधि कालेज, कलकत्ता जिला कलकत्ता, पश्चिम बंगाल-12
161.	सुरेन्द्रनाथ विधि कालेज, 24 एम.जी. रोड कलकत्ता-29 जिला कलकत्ता, पश्चिम बंगाल
162.	जोगेश चन्द्र चौधरी विधि कालेज, 30 प्रिंस अनवर शाह रोड़ कलकत्ता-53, जिला कलकत्ता, पश्चिम बंगाल
विश्वविद्यालय : उत्तरी बंगाल	
163.	जलपाइगुडी विधि कालेज, पी.ओ. बेगुनतरी जलपाइगुडी, जिला जलपाइगुडी, पश्चिम बंगाल-735101
164.	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय विधि कालेज, राजाराम मोहनपुर, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल-734430
विश्वविद्यालय : पांडिचेरी	
165.	डा. बी.आर. अम्बेडकर राजकीय विधि कालेज, लाल बहादुर शास्त्री स्ट्रीट, पांडिचेरी जिला : पांडिचेरी पांडिचेरी-605001

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा और राष्ट्र स्तरीय पात्रता परीक्षा में असमानता

7060. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा और राष्ट्र स्तरीय पात्रता परीक्षा के मानक में असमानता बरतने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार मानविकी, सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान से जुड़े विषयों के लिए क्रमश: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के पैटर्न पर राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा संचालित की जाती हैं। राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा का संचालन करने वाले अधिकांश राज्य उम्मीदवारों को उस विशेष राज्य की क्षेत्रीय भाषा में बैठने की अनुमति देते है। राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि दूसरे राज्यों की क्षेत्रीय भाषा न जानने के आधार पर विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा उनकी उपेक्षा की गयी। इसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया है कि जून, 2002 से राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार उसी राज्य से संबंधित विश्वविद्यालय/कालेज में लेक्चरर के पद के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे जिस राज्य की उन्होंने राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है।

कर्नाटक में बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना

7061. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री शशि कुमार :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने उनके साथ कर्नाटक में केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित "बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना" के संबंध में विचार-विमर्श किया है;

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श के मुख्य मुद्दे क्या थे;

(ग) क्या यह भी सच है कि मुख्यमंत्री द्वारा दिए गये सुझावों पर पहले ही सहमति हो चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) जी नहीं। इस प्रकार के विचार-विमर्श का कोई रिकार्ड नहीं था।

ग्रामीण विकास योजना के अधीन निधियां

7062. श्री सुनील खां : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीब लोगों को ग्राम पंचायतों द्वारा ग्रामीण विकास निधियों से 100 दिन का काम मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को 100 दिन के काम के लिए कितनी धनराशि जारी की गई और 2002-2003 के दौरान कितनी धनराशि जारी किए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या वह धनराशि राज्य सरकार के माध्यम से या सीधे ग्राम पंचायत को जारी की जाती है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, (जे.जी.एस.वाई) जो 25 सितम्बर, 2001 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) में मिला दी गई है, ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किया जाने वाला कार्यक्रम था। अब एस.जी.आर.वाई. का द्वितीय चरण ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। न तो जे.जी.एस.वाई. और न ही एस.जी.आर.वाई. में रोजगार गारंटी की परिकल्पना की गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) एस.जी.आर.वाई के द्वितीय चरण के अंतर्गत निधियां राज्य सरकार की बजाय जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों अथवा जिला परिषदों के जरिए ग्राम पंचायतों को जारी की जाती हैं।

विभिन्न सामग्रियों की तस्करी

7063. डा. एम. वेंकटस्वामी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी समुद्र तटीय क्षेत्र विशेषकर आन्ध्र प्रदेश राज्य में विभिन्न सामग्रियों की तस्करी के मामलों में भयावह वृद्धि हुई है;

(ख) यहि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि विजयवाड़ा इस प्रकार की सामग्री के विभिन्न भागों में भेजे जाने का केन्द्रीय स्थान बन गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

गोरखा हिल काउंसिल

7064. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गोरखा हिल काउंसिल आफ दार्जिलिंग हिल काउंसिल के लिए सीधे, योजना आवंटन/सहायता के लिए विचार कर रही है न कि राज्य सरकार के माध्यम से;

(ख) क्या इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार किया गया है;

(ग) क्या सरकार के पास हिल काउंसिल आफ दार्जिलिंग के लिए अतिरिक्त योजना आबंटन विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) ऊपर (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) योजना आयोग पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एच.ए.डी.पी.) के अन्तर्गत दार्जिलिंग जिले के निर्दिष्ट पर्वतीय क्षेत्रों को धनराशि जारी करने की सिफारिश करता है। इसके अतिरिक्त, दार्जिलिंग जिले के सीमावर्ती खण्डों के सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी.ए.डी.पी.) के अन्तर्गत भी रखा गया है। इन दोनों कार्यक्रमों के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों को और आगे स्थानिक और क्षेत्रीय आवंटन के लिए धनराशि जारी की जाती है।

उर्वरक और फास्फेट उद्योग को राजसहायता

7065. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरक और फास्फेट उद्योग को कोई राजसहायता देती रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्य-वार कितनी इकाइयां उपर्युक्त राजसहायता प्राप्त कर रही हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस राजसहायता को रोकने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार सांविधिक मूल्य, वितरण एवं संचलन नियंत्रण के अधीन एकमात्र उर्वरक यूरिया पर राजसहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त सरकार नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों पर रियायत प्रदान करती है।

(ग) देश में राजसहायता/रियायत प्राप्त कर रही इकाईयों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) वर्तमान में राजसहायता/रियायत बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राजसहायता रियायत प्राप्त कर रहे डी.ए.पी./मिश्रित उर्वरक/एस.एस.पी./यूरिया इकाइयों के नाम एवं देश में उनकी अवस्थिति

क्र.सं.	इकाई का नाम	राज्यों के नाम जहां स्थित हैं
1	2	3
यूरिया		
1.	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स 1	आन्ध्र प्रदेश
2.	नागार्जुन फर्टिलाइजर्स 2	आन्ध्र प्रदेश
3.	एच.एफ.सी.एल., नामरूप 3	असम
4.	एफ.सी.आई., सिन्दरी आधुनिक	बिहार
5.	जुआरी इन्डस्ट्रीज लि. गोवा	गोवा
6.	जी.एस.एफ.सी, बरोदा	गुजरात
7.	कृभको, हजीरा	गुजरात

1	2	3
8.	इफको, कलोल	गुजरात
9.	जी.एन.वी.एफ.सी, भरूच	गुजरात
10.	एन.एफ.एल., पानीपत	हरियाणा
11.	एन.एफ.एल. नांगल	पंजाब
12.	एम.सी.एफ.एल., मंगलोर	कर्नाटक
13.	एफ.ए.सी.टी., उद्योग मंडल	केरल
14.	एन.एफ.एल., विजयपुर-2	मध्य प्रदेश
15.	एन.एफ.एल., विजयपुर	मध्य प्रदेश
16.	आर.सी.एफ., ट्राम्बे	महाराष्ट्र
17.	आर.सी.एफ., थाल	महाराष्ट्र
18.	एन.एफ.एल., भटिण्डा	पंजाब
19.	चम्बल फर्टिलाइजर्स, गडेपन-1	राजस्थान
20.	चम्बल फर्टिलाइजर्स, गडेपन-2	राजस्थान
21.	श्रीराम फर्टिलाइजर्स, कोटा	राजस्थान
22.	एन.एल.सी., नेवेली	तमिलनाडु
23.	एम.एफ.एल., चैन्नई	तमिलनाडु
24.	स्पीक, तूतिकोरिन	तमिलनाडु
25.	ओसवाल केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि., शाहजहांपुर	उत्तर प्रदेश
26.	इफको, आंवला-1	उत्तर प्रदेश
27.	इफको, आंवला 2	उत्तर प्रदेश
28.	इफको, जगदीशपुर	उत्तर प्रदेश
29.	इफको, फूलपुर 1	उत्तर प्रदेश
30.	इफको, फूलपुर 2	उत्तर प्रदेश
31.	डंकन इडस्ट्रीज लि.	उत्तर प्रदेश
32.	टाटा केमिकल्स लि., बाबराला	उत्तर प्रदेश
डी.ए.पी.		
1.	जी.एफ.सी.एल.	आंध्र प्रदेश
2.	जेड. आइ. एल.	गोवा
3.	एस.एफ.सी., सिक्का	गुजरात
4.	एस.एफ.सी., बरोदरा	गुजरात
5.	इफको	गुजरात
6.	इंडो गल्फ	गुजरात
7.	एम.सी.एफ.एल.	कर्नाटक
8.	ओ.सी.एफ.एल.	उड़ीसा
9.	पी.पी.एल.	उड़ीसा
10.	स्पीक	तमिलनाडु
11.	एच.एल.एल.	पश्चिम बंगाल
मिश्रित		
1.	कोरोमंडल	आंध्र प्रदेश
2.	जी.एफ.सी.एल.	आंध्र प्रदेश
3.	जेड.आई.एल.	गोवा
4.	इफको	गुजरात
5.	इंडो गल्फ	गुजरात
6.	जी.एन.एफ.सी.	गुजरात
7.	जी.एस.एफ.सी. (सिक्का)	गुंजरात
8.	जी.एस.एफ.सी. (बदोदरा)	गुजरात
9.	फैक्ट	केरल
10.	दीपक फर्टिलाइजर्स	महाराष्ट्र
11.	आर.सी.एफ.	महाराष्ट्र
12.	पी.पी.एल.	उड़ीसा
13.	इ.आई.डी. पेरी	तमिलनाडु
14.	एम.एफ.एल.	तमिलनाडु
15.	स्पीक	तमिलनाडु
16.	एच.एल.एल.	प. बंगाल
एस.एस.पी.		
1.	आंध्र शुगर	आंध्र प्रदेश

1	2	3
2.	केमटैक	आंध्र प्रदेश
3.	कृष्णा इण्डस्ट्रीज	आंध्र प्रदेश
4.	प्रगति फर्टिलाइजर्स	आंध्र प्रदेश
5.	प्रत्युशा	आंध्र प्रदेश
6.	प्रियंका	आंध्र प्रदेश
7.	सुबोदया	आंध्र प्रदेश
8.	पीपीसीएल	बिहार
9.	बी.इ.सी, बिलासपुर	छत्तीसगढ़
10.	डी.एम.सी.सी.	छत्तीसगढ़
11.	डी.एम.सी.सी.	छत्तीसगढ़
12.	लिबर्टी फास	गुजरात
13.	मर्डिया कैम्प	गुजरात
14.	निरमा	गुजरात
15.	सोना	गुजरात
16.	जयश्री कैम्प-3	हरियाणा
17.	ओ.सी.सी.एल.	हरियाणा
18.	तुंगभद्रा	कर्नाटक
19.	आशा फोस	मध्य प्रदेश
20.	खेतान कैम	मध्य प्रदेश
21.	एम.पी. ओरगोगांव	मध्य प्रदेश
22.	मध्यभारत	मध्य प्रदेश
23.	मेक्सिकन	मध्य प्रदेश
24.	मुक्तेश्वर	मध्य प्रदेश
25.	रामा फास इन्दौर	मध्य प्रदेश
26.	रेवती मिनरल्स	मध्य प्रदेश
27.	श्रीजी फर्टिलाइजर	मध्य प्रदेश
28.	स्वासतिक फर्ट.	मध्य प्रदेश
29.	अरिहन्त फर्ट. एंड केमिकल	मध्य प्रदेश
30.	बसन्त एग्रो	महाराष्ट्र
31.	बी.इ.सी., पुलगांव	महाराष्ट्र
32.	भारत फर्टिलाइजर्स	महाराष्ट्र
33.	डी.डी.सी.सी.	महाराष्ट्र
34.	जयराम फोस	महाराष्ट्र
35.	एम.ए.आई.डी.सी.	महाराष्ट्र
36.	रासी फर्ट.	महाराष्ट्र
37.	राज लक्ष्मी एग्रो	महाराष्ट्र
38.	रामा कृषि	महाराष्ट्र
39.	सिवा फर्ट.	महाराष्ट्र
40.	मुनक	पंजाब
41.	अरिहन्त फासफेट	राजस्थान
42.	रामा फोस उदयपुर	राजस्थान
43.	अरावली	राजस्थान
44.	बोहरा	राजस्थान
45.	गायत्री स्पीनिंग	राजस्थान
46.	लिबर्टी फास	राजस्थान
47.	मंगलम फास	राजस्थान
48.	प्रेम साखी	राजस्थान
49.	साधना फास	राजस्थान
50.	श्रीगणपति फर्ट.	राजस्थान
51.	सुरवी कोलर	राजस्थान
52.	टेडको ग्रेनाइट	राजस्थान
53.	डी.एम.सी.सी	राजस्थान
54.	कोयम्बटोर पीयो	तमिलनाडु
55.	इ.आई.डी. पेरी	तमिलनाडु
56.	कोठारी इंडस्ट्रीज	तमिलनाडु
57.	शावालेस	तमिलनाडु

1	2	3
58.	खेतान फटिलाइजर्स	उत्तर प्रदेश
59.	श्री एसीड	उत्तर प्रदेश
60.	जुबलीएंट/वी.ए.एम.	उत्तर प्रदेश
61.	महादेव	उत्तर प्रदेश
62.	एच.एल.एल.	प. बंगाल
63.	जयश्री केम-1	प. बंगाल
64.	जयश्री केम-2	प. बंगाल
65.	शारदा फर्ट.	प. बंगाल
66.	टेस्टा एग्रो	प. बंगाल
67.	दी फोस. कम्पनी	प. बंगाल

भारतीय खेल प्राधिकरण के उपकेन्द्र

7066. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के उपकेन्द्रों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र से इस प्रकार के और अधिक केन्द्रों के खोले जाने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन्हें कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) का गुवाहाटी में एक कार्यशील उपकेन्द्र है तथा हाल ही के वर्षों में निम्नलिखित उपकेन्द्र अनुमोदित किए गए हैं:

(1) लखनऊ में भा.खे.प्रा. उपकेन्द्र

(2) जबलपुर में भा.खे.प्रा. उपकेन्द्र

(3) नारगकोइल में भा.खे.प्रा. उपकेन्द्र

(4) तिरूपति में भा.खे.प्रा. उपकेन्द्र

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार से राज्य में एक उपकेन्द्र की स्थापना के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, झारखण्ड सरकार ने हजारीबाग में एक उपकेन्द्र की स्थापना करने का अनुरोध किया है।

(घ) चालू पंचवर्षीय योजना में ये केन्द्र चरणबद्ध ढंग से स्थापित किए जाएंगे।

दवाओं का उत्पादन

7067. श्री सी.के. जाफर शरीफ : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दवाओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार उसके उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार देश में दवाओं की मांग को किस सीमा तक पूरा करने में सक्षम रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) भारतीय भेषज उद्योग नें विगत वर्षों के दौरान प्रभावशाली विकास दर्ज किया है तथा अपने निर्यात में वृद्धि की है। ओ आर जी मार्ग के रिटेल स्टोर आडिट रिपोर्ट के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के लिए देश में भेषज बाजार निम्न प्रकार रहा है :

वर्ष	(रु. करोड़ में)
1999	12804.05
2000	14155.45
2001	15533.79

(ग) सामान्यत: देश में औषधियों की उपलब्धता संतोषजनक है। कुछ नई औषधियों, वेक्सीन तथा डाएगनास्टिकों के अलावा भारतीय औषध उद्योग काफी हद तक प्रपुंज औषधियों तथा सूत्रयोगों की लगभग संपूर्ण श्रेणियों की आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ है।

मछली पकड़ने संबंधी सूचना

7068. श्री के. येरननायडू : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछुआरों को उपग्रह से मछली पकड़ने और उससे संबंधित मामलों की सूचना दी जाती है;

(ख) यहि हां, तो किन समुद्रतटीय राज्यों में यह सूचना प्रदान कराई जा रही है;

(ग) क्या सरकार ने मछुआरों के लिए इस सुविधा के लाभों का मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मालवीय इंजीनियरी कालेज, जयपुर को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा

7069. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अच्छी तकनीकी शिक्षा देने के आधार पर मालवीय रीजनल इंजीनियरी कालेज, जयपुर को आई.एस.ओ. की स्थिति प्राप्त हो गई है और उसे इससे संबंधित प्रमाण-पत्र मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सभी मूल आवश्यकताएं एवं मानक पूरे करने के बावजूद उपर्युक्त इंजीनियरी कालेज को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा नहीं दिया गया है;

(घ) यहि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इसे मानित विश्वविद्यालय का दर्जा कब तक दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, जयपुर ने सूचित किया है कि यह इलेक्ट्रानिकी तथा कंप्यूटर इंजीनियरी के क्षेत्र में तकनीकी जनशक्ति में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विश्व बैंक, स्विस डवलपमेंट एजेन्सी, द्वारा प्रायोजित "इम्पेक्ट" परियोजना के सहभागी संस्थानों में से एक है। इस परियोजना के तहत, कालेज के इलैक्ट्रानिक्स तथा कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एवं कम्प्यूटर इंजीनियरिंग विभाग के लिए आई एस ओ-9001 प्रदान करने संबंधी गतिविधि शुरू की गई जो अभी भी चल रही है।

(ग) से (ङ) मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, जयपुर को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं तथा मंत्रालय में विचाराधीन हैं।

दिल्ली की निर्माण योजनाओं को मंजूरी

7070. श्री मानसिंह पटेल : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली के क्षेत्रों के लिए मंजूर की गई निर्माण योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि अपने कार्य क्षेत्र के तहत बिल्डिंग उप-नियम, 1983/एमपीडी-2001 के प्रावधानों और समय-समय पर इसके संशोधनों के अनुसार उसने 1998 से 2001 तक अपने कार्यक्षेत्र में 10,763 भवन निर्माण योजनाओं को मंजूरी दी है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस समय के दौरान उसने अपने कार्यक्षेत्र में 5799 निर्माण योजनाओं का अनुमोदन किया है।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचना दी है कि इस समय उसने 216 निर्माण योजनाओं को मंजूरी दी है।

[अनुवाद]

सीएसआईआर के विकास प्रकोष्ठों के कार्यकरण की समीक्षा

7071. श्री सुबोध मोहिते : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूरे देश मे सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं में सृजित किए गए कार्य विकास प्रकोष्ठों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत वित्तीय वर्ष के दौरान उनके द्वारा की गई कमाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सीएसआईआर को आत्मनिर्भर बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी नहीं। तथापि, सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं के व्यापार विकास प्रकोष्ठों के प्रधान प्रत्येक वर्ष सामान्य/व्यापक व्यापार संबंधी कठिनाईयों/मुद्दों का समाधान करने के लिए रणनीति और व्यापार पद्धतियां तैयार और संस्तुत करने के वास्ते कार्यनिष्पादन/नीतियों की सामूहिक रूप से समीक्षा करने हेतु बैठक करते हैं।

(ख) सीएसआईआर द्वारा वर्ष 2001-2002 के दौरान अर्जित किया गया बाह्य नकद आगत (ईसीएफ) 264 करोड़ रुपये था।

(ग) से (ङ) जी नहीं। सीएसआईआर सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान व विकास संगठन है, इसकी अनुसंधान गतिविधियों का राष्ट्रीय महत्व है और ये गतिविधियां सार्वजनिक उपयोग के लिए हैं।

लघु संदेश सेवा सुविधाएं

7072. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसूचना ब्यूरो और अन्य गुप्तचर एजेन्सियों ने लघु संदेश सेवा सुविधाओं को वापिस लेने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि साफ्टवेयर के विकास में एफ बी आई की सहायता ली जा रही है जिससे अन्तर्जगत सरगनाओं के ई-मेल और सेल फोनों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दिल्ली पुलिस सेल फोन के संचालन की सहायता से लघु संदेश सेवा संचालन की सुविधाओं को जाम कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) फिलहाल ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) दिल्ली पुलिस द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की आय एवं व्यय

7073. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद को अपने अधीन दुकानों से प्राप्त होने वाले किरायों से प्रति वर्ष कितनी आय होती है;

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की आय एवं व्यय का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई दिल्ली पालिका परिषद किरायेदारों को स्वामित्व अधिकार देने के बदले एक बार में धनराशि वसूलने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के प्रबन्धन के अधीन दुकानों के लाइसेन्सों से अर्जित वार्षिक आय लगभग 9.70 करोड़ रु. है।

(ख) वर्ष 2001-2002 के लिए संशोधित अनुमानों के अनुसार, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की आय और व्यय क्रमश: 787.94 करोड़ रु. और 840.64 करोड़ रु. थी।

(ग) और (घ) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की 15 मार्किटों के लाइसेंसधारकों से भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा निर्धारित भूमि दरों के अनुसार एक बार का मूल्य और मूल्य के 2.5% की दर से ग्राउंड रेन्ट लेकर उन्हें लाइसेंस/सब लीज के आधार पर मलिकाना हक प्रदान करने का निर्णय लिया है।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट

7074. श्री जी.एस. बसवराज :
श्री विनय कुमार सोराके :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने 31 मार्च, 2001 की अपनी रिपोर्ट में नवोदय विद्यालयों की कमियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण के संबंध में टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो नवोदय विद्यालयों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने क्या टिप्पणियां की हैं;

(ग) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने नवम्बर 2001 में अपने जांच-परिणामों से मंत्रालय को अवगत करा दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया है।

(ग) से (ङ) नवोदय विद्यालय समिति और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संबंध में नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक के निष्कर्षों की दोनों संगठनों के साथ परामर्श करके जांच की जा रही है।

विवरण

मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

नवोदय विद्यालय समिति

* 553 जिलों की तुलना में (तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को छोड़कर) समिति ने 440 जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किए थे, इस प्रकार 103 जवाहर नवोदय विद्यालय कम हैं।

* दाखिला क्षमता में 9.18 प्रतिशत से 18.45 प्रतिशत के बीच कमी रही।

* छात्रों के लिए बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव जैसे शयनागारों/शिक्षण कक्षाओं की कमी, अच्छा भोजन प्रदान न करना, पेयजल की अनुपलब्धता, इत्यादि।

* पढ़ाई के बीच में छोड़ जाने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई और प्रव्रजन नीति असफल रही।

* 31 मार्च, 2001 तक शिक्षण कर्मचारियों के 1253 पद रिक्त थे। इसके अतिरिक्त 23 प्रधानाचार्यों ने त्याग-पत्र दिए जिससे शैक्षिक कार्यकलाप दुष्प्रभावित हुए।

* सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा की शुरूआत वांछित स्तर की नहीं की गई थी। मार्च, 2001 तक 440 संस्वीकृत जवाहर नवोदय विद्यालय की तुलना में 1999-2000 तक इसे 103 जवाहर नवोदय विद्यालयों में शुरू किया गया और इसका विस्तार 2000-01 के दौरान 321 जवाहर नवोदय विद्यालयों में किया गया।

* 6.17 करोड़ रु. की राशि के सहायता अनुदान का सी पी एफ अग्रिमों का भुगतान करके दुरुपयोग किया गया।

* कोर समितियों की बैठकें समय के अनुसार आयोजित नहीं की गई। इनकी बैठकों का आयोजन 26 प्रतिशत से 86 प्रतिशत तक कम रहा है। इसके अतिरिक्त विद्यालय स्तर पर समितियों का कार्यसंचालन 61 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक कम रहा।

* समिति में कोई प्रभावी मॉनिटरिंग प्रणाली नहीं है।

* संसदीय प्राक्कलन समिति की वर्ष 1994-95 की 47वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के अनुसरण में, भारत सरकार ने अक्तूबर, 1999 में एक समीक्षा समिति गठित की, जिसकी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई थी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग :

* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 13(1) के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों का अपेक्षित निरीक्षण नहीं किया गया। विकास अनुदान का मूल्यांकन करने के लिए 1997-98 के दौरान 146 विश्वविद्यालयों का दौरा किया गया जबकि 1999-2000 तक केवल 6 विश्वविद्यालयों के ही शिक्षण स्तर का मूल्यांकन किया गया।

* 15 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले विकास अनुदान में लगातार वृद्धि की गई वह बढ़कर 53.43 प्रतिशत हो गया जबकि 212 समविश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों के संबंध में यह अनुदान 46.75 प्रतिशत हैं। 25 वर्ष पहले लोक लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद इस विसंगति को दूर करने के लिए कोई प्रभावी उपाय नहीं किए गए जिसकी वजह से देश में विश्वविद्यालयों के विकास में असमानता रही।

* विकास योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लघंन करके 13 विश्वविद्यालयों को 937.52 लाख रुपये दिये गये।

* उपयोगिता के लिए विस्तृत कार्य योजना के अनुमोदन के बिना 21 कम्प्यूटर केन्द्रों को 630.00 लाख रु. की राशि दी गई जबकि इस योजना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करके 8 कम्प्यूटर केन्द्रों को 140.00 लाख रु. दिए गए।

* विभिन्न विश्वविद्यालयों में संचालित किये जा रहे गैर-अधिसूचित डिग्री कार्यक्रमों का पता लगाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में कोई प्रणाली विद्यमान नहीं है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अधिसूचना के बिना दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा 8 डिग्री कार्यक्रम चलाए गए और डिग्रियां प्रदान की गईं।

* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1992-93 से पाठ्यचर्या विकास केन्द्रों की सिफारिशों को परिचालित किया था लेकिन वह विश्वविद्यालयों में इसके कार्यान्वयन की मानीटरिंग करने के लिए कोई प्रणाली तैयार करने में असमर्थ रहा।

* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों में उपयुक्त परीक्षा सुधार प्रणाली शुरू करने में असमर्थ रहा क्योंकि वही परीक्षा सुधारों के लिए कार्य स्वीकार्य पैकेज तैयार नहीं कर सका।

* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शिक्षा के स्तरों को बनाए रखने के लिए विभिन्न उपाय (दिसम्बर, 1998) अधिसूचित किए लेकिन वह अपने अनुदेशों के अनुपालन को मानीटर करने में असमर्थ रहा।

* विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कम्प्यूटरीकरण पर खर्च की गई 132.91 लाख रु. की राशि सोफ्टवेयर का विकास न होने और कम्प्यूटर यूनिट के लिए सृजित रिक्त पदों को न भरने की वजह से व्यर्थ हो गई।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड का विनिवेश

7075. डा. बलिराम : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड भी उन प्रतिष्ठानों में थी जिनका विनिवेश किया जाना था;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान में सरकार का इरादा कोल इंडिया लिमिटेड का विनिवेश करने का नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) से (ग) सरकार ने कोल इण्डिया लिमिटेड के विनिवेश पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु राज्यों को सुविधाएं

7076. डा. मन्दा जगन्नाथ :
डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु किसी राज्य को दी जाने वाली आर्थिक सहायता एवं अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) 2002 के दौरान हैदराबाद में आयोजित किए जाने वाले 32वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के लिए आंध्र प्रदेश को कितनी सहायता दी गई/दिए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रशिक्षण/कोचिंग केन्द्र को खेल उपकरणों के उपयोग हेतु धनराशि देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजन हेतु किसी राज्य को आर्थिक सहायता एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए विद्यमान योजनाओं में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) वर्ष 2002 के दौरान हैदराबाद में आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय खेलों के लिए खेल अवस्थापना के सृजन हेतु 50.00 करोड़ रु. का एकबारगी अनुदान जारी करने के बारे में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया था। चूंकि खेल अवस्थापना के सृजन हेतु तदर्थ अथवा एकबारगी अनुदान उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान विद्यमान नहीं है, अत: 27.11.2001 को मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया था कि वे "खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों" की योजना के निर्धारित मानदण्डों के अनुसार, खेल अवस्थापना के सृजन के वास्ते उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करवायें।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

एसएआई और फिक्की के बीच साझेदारी

7077. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) और फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने उद्योग और खेल निकायों के बीच साझेदारी के अवसरों में वृद्धि का पता लगाने हेतु किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में फिक्की की सहायता से खेल अकादमियों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री (फिक्की) के बीच 24 अप्रैल, 2002 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये थे जिसका उद्देश्य निगमित प्रायोजन के माध्यम से संसाधन जुटा कर खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने एवं इसका इष्टतम उपयोग करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण के लिए/के माध्यम से इसको मार्गीकृत करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों में वृद्धि करना तथा उनकी पूर्ति करना है। समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत फिक्की और भारतीय खेल प्राधिकरण दोनों ही निम्नलिखित कार्य करेंगे :

(1) भारतीय उद्योग और खेल प्रशासन के बीच साझेदारी में वृद्धि करने के अवसरों का पता लगाना।

(2) भारतीय खेलों में निजी सहभागिता बढ़ाने के लिए भारतीय उद्योग में अपने सम्बद्ध खेलों एवं प्रतियोगिताओं का विपणन करने हेतु खेल परिसंघों को प्रोत्साहित करना।

(3) खेल प्रायोजनों में अपने-अपने निवेश का इष्टतम उपयोग करने के लिए खेलों में उद्योग सहभागिता की मदद करना।

अंत में फिक्की और भारतीय खेल प्राधिकरण संयुक्त रूप से :

* अल्पाकालिक एवं दीर्घकालिक साझेदारी के अवसरों का पता लगाएंगे।

* एक ओर खेल प्रशासन तथा परिसंघ तथा दूसरी ओर भारतीय उद्योग के बीच साझेदारी बढ़ाने संबंधी जागरूकता एवं मानकों में वृद्धि करने के लिए सेमिनार/कार्यशालाएं/गोलमेज आयोजित करेंगे।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

पहलवानों का विदेश दौरा

7078. श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री अम्बरीश :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 मई, 2002 के ''हिन्दुस्तान टाईम्स'' में, ''बाबूज पुट रेस्लर्स ऑन द मैट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कोई शीघ्र कदम नहीं उठाए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) यह समाचार रोस्टोव डोन (रूस) में 3-5 मई, 2002 तक होने वाले अन्तराष्ट्रीय केडेट ग्रीको-रोमन स्टाइल कुश्ती टूर्नामेंट तथा लुकेनवाल्डी (जर्मनी) में 3-5 मई, 2002 तक आयोजित होने वाले 11वें अन्तर्राष्ट्रीय केडेट फ्री स्टाइल कुश्ती टूर्नामेंट में सब-जूनियर टीमों के भाग लेने के लिए भारतीय कुश्ती परिसंघ (डब्ल्यू.एफ.आई.) से प्राप्त प्रस्तावों से संबंधित है। ये प्रस्ताव भारतीय कुश्ती परिसंघ से 23-4-2002 को अर्थात् प्रतियोगिताओं से 10 दिन पहले ही प्राप्त हुए थे जबकि ''राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता देने संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों'' में किये गए प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय खेल परिसंघों को प्रतियोगिताओं के आयोजन के 3 महीने पूर्व इस प्रकार के प्रस्ताव भेजना अपेक्षित है और अनुवर्ती अनुदेशों के अनुसार, खिलाड़ियों एवं अधिकारियों के नाम प्रतियोगिताएं आयोजित होने के कम से कम 20 दिन पहले भेजना अपेक्षित है। इन प्रस्तावों के इतनी देर से प्राप्त होने के बावजूद भी, उन्हें राजनैतिक अनुमति हेतु उनके प्राप्त होने की तारीख अर्थात् 23.4.2002 को ही विदेश मंत्रालय को भेज दिया गया था जो राष्ट्रीय खेल परिसंघों के विदेशों में प्रदर्शन करने संबंधी प्रस्तावों को अनुमति प्रदान करने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। इन प्रस्तावों को एक विशेष मामले के रूप में 1.5.2002 को अनुमोदित कर दिया गया था बशर्ते कि विदेश मंत्रालय से राजनैतिक अनुमति प्राप्त हो जाए। विदेश मंत्रालय से 2 मई, 2002 को राजनैतिक अनुमति प्राप्त हुई थी तथा इसके प्राप्त होने पर, भारतीय कुश्ती परिसंघ को भी तत्काल सूचित कर दिया गया था।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों की स्थापना

7079. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में कुछ राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन विद्यालयों को कितनी सहायता दी गयी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना एक स्वायत्त संगठन के रूप में की है, जो पूरे देश में फैले प्रत्यायित संस्थाओं (अध्ययन केन्द्रों) के नेटवर्क के जरिये अपने यहां नामांकित छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है। राज्य मुक्त विद्यालय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राज्यों में स्थापित किए जाते हैं/खोले जाते हैं। देश के विभिन्न राज्यों में स्थित राज्य मुक्त विद्यालयों की सूची संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) यद्यपि भारत सरकार सीधे तौर पर राज्य मुक्त विद्यालयों को सहायता नहीं देती, तथापि पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने कुछ राज्य मुक्त विद्यालयों को मुख्य रूप से अकादमिक संसाधन सहायता तथा कार्यालय उपस्कर के रूप में सहायता दी है।

विवरण

राज्य मुक्त विद्यालयों की सूची

1. आंध्र प्रदेश मुक्त विद्यालय सोसाइटी
   एससीईआरटी परिसर
   लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम के सामने
   हैदराबाद
2. हरियाणा मुक्त विद्यालय और विद्यालय शिक्षा बोर्ड
   भिवानी-127021
3. कर्नाटक मुक्त विद्यालय
   जे.एस.एस. महाविद्यापीठ
   रामानुज रोड
   मैसूर-570004
4. रवीन्द्र मुक्त विद्यालय
   विकास भवन,
   (दूसरी मंजिल, पूर्वी ब्लॉक)
   विधान नगर, कोलकाता-700091
5. केरल राज्य मुक्त विद्यालय
   विद्या भवन, डाकघर पूजापुरा
   तिरूअनन्तपुरम, केरल-695012
6. मध्य प्रदेश राज्य मुक्त विद्यालय
   माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिसर
   शिवाजी नगर
   भोपाल-462011
7. पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड
   विद्या भवन, फेज-8, एस.ए.एस. नगर
   मोहाली-160062
8. दूरस्थ शिक्षा
   माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
   राजस्थान
   अजमेर-305001
9. तमिलनाडु मुक्त विद्यालय और
   शिक्षक शिक्षा अनुसंधान व प्रशिक्षण निदेशालय,
   डी.पी.आई. कैम्पस, कॉलेज रोड
   नुनगम्बक्कम, चेन्नई-600106

ग्रामीण खेल कार्यक्रम

7080. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण खेल कार्यक्रमों को बंद करने का है;

(ख) क्या वर्ष 2001-2002 में इस योजना के अन्तर्गत बजटीय आंबटन लगभग 1.25 करोड़ रु. था;

(ग) यदि हां, तो बजटीय आबंटन के उपयोग का अब तक का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। ग्रामीण खेल कार्यक्रम संबंधी योजना के अंतर्गत 84 लाख रु. का बजटीय आंबटन किया गया था। संशोधित

अनुमान की अवस्था में इसे संशोधित करके 100 लाख रु. तक बढ़ा दिया गया था। यह राशि इस योजना के अधीन उत्तर-पूर्व केरल महोत्सव के आयोजन हेतु आबंटित 16 लाख रु. की राशि के अलावा थी।

(ग) सम्पूर्ण राशि का उपयोग राज्य और राष्ट्रीय स्तर के खेल टूर्नामेंट तथा उत्तर-पूर्व खेल महोत्सव के आयोजन के लिए किया गया था।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में खेल संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ग्रामीण खेल कार्यक्रम संबंधी योजना कार्यान्वित करती है जिसके अन्तर्गत ब्लाक, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर चुनिंदा खेल विधाओं में ग्रामीण खेल टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। इन राज्यों में छिपी हुई अपार प्रतिभा का पता लगाने के लिए सिक्किम सहित उत्तर-पूर्व राज्यों के खिलाड़ियों को शामिल करते हुए, उत्तर-पूर्व खेल महोत्सव आयोजित किया जाता है।

[हिन्दी]

संस्थानों/संगठनों को सहायतानुदान

7081. श्री राम शकल : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उच्च गणित की प्रगति से जुड़े संस्थानों और संगठनों को सहायतानुदान देती है;

(ख) क्या उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के लिए छात्रवृत्ति के साथ-साथ वित्तीय सहायता भी दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक उक्त संस्थानों को कितनी सहायतानुदान राशि और वित्तीय सहायता दी गयी?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्यागिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बजदा') : (क) से (घ) सरकार उच्च गणित के विकास से जुड़े संस्थानों और संगठनों को सहायतानुदान प्रदान करती है। परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम.एस.पी.आई.), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) के द्वारा उच्च अध्ययनों और अनुसंधानों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली छात्रवृत्तियां और वित्तीय सहयोग इस प्रकार हैं :

1. परमाणु ऊर्जा विभाग उच्च गणितीय अनुसंधान में लगे इंस्टीट्यूट ऑफ मैथेमैटिकल सांइस, चैन्नई और हरीश चन्द्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, इलाहाबाद की पूर्ण सहायता करता है। नेशनल बोर्ड ऑफ हायर मैथेमैटिक्स (परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन) गणित के क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाओं, पुस्तकालय उन्नयन, गणितीय ओलम्पिक आयोजनों आदि के लिए छात्रवृत्तियां और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है।

2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग उच्च अध्ययनों से जुड़े संगठनों को अनुसंधान परियोजनाओं, कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों, छात्रवृत्तियों/फैलोशिप (जिसमें प्रसिद्ध स्वर्ण जंयती फैलोशिप शामिल है) और आधार संरचना सहयोग के लिए सहायता प्रदान करता है।

3. एम एस पी आई भारतीय सांख्यिकीय संस्थान और पूरे भारत में फैले इसके केन्द्रों, जो उच्च गणितीय अनुसंधान संचालन और इसके लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करते हैं, को निधि प्रदान करता है।

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) विश्वविद्यालयों और संस्थानों को अपने विशिष्ट सहायता कार्यक्रम (एस ए पी) और सी ओ एस आई एस टी (कमेटी ऑन स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी) कार्यक्रम के अधीन अनुदान प्रदान करता है।

5. वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) अनुसंधान योजना के रूप में सहायतानुदान उपलब्ध कराता है।

विगत तीन वर्षों में परमाणु ऊर्जा विभाग और प्रौद्योगिकी विभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम एस पी आई), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी एस आई आर) द्वारा अब तक संयुक्त रूप से 64.89 करोड़ रुपये की कुल अनुदान राशि प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

हल्दिया पेट्रो परियोजना

7082. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :
श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्री मोहने रावले :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हल्दिया पेट्रो परियोजना वित्तीय संकट का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार ने कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (घ) यह सूचना कि हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स को कुछ वित्तीय कठिनाइयां हो रही हैं। तथापि, इस संबंध में संघ सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण पर कार्यशाला

7083. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2002 के फरवरी माह के दौरान हैदराबाद में 'प्रोटेक्ट पब्लिक सेक्टर टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट' विषय पर एक दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें चर्चा के मुख्य विषय क्या थे;

(ग) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों की निजीकरण की नीति की विशेषज्ञों ने आलोचना की;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उसके दृष्टिकोणों पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरुण शौरी) : (क) कोई ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

खेलों का स्तर

7084. श्री पी.डी. एलानगोवन : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खेलकूद में सुधार हेतु राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु धनराशि का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने देश में खेलकूद के स्तर को सुधारने हेतु कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या देश में राष्ट्रीय स्तर/राज्य स्तर के खिलाड़ियों की सहायता के लिए प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए कोई धनराशि आबंटित की गयी है और गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गयी है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) ग्रामीण खेल कार्यक्रम की योजना के कार्यान्वयन हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) को धनराशि प्रदान की जाती है। जबकि भारतीय खेल प्राधिकरण स्वयं बारी-बारी से विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय स्तर के खेल टूर्नामेंट आयोजित करता है, राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्तरीय खेल टूर्नामेंट राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों द्वारा आयोजित किए जाते हैं जिसके लिए, राज्य स्तरीय टूर्नामेंटों के आयोजन हेतु 30,000/-रु. प्रति खेलविधा के हिसाब से तथा संघ शासित क्षेत्र स्तरीय टूर्नामेंटों हेतु आयोजन हेतु 15,000/-रु. प्रति खेल विधा के हिसाब से क्रमश: राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए, भारतीय खेल प्राधिकरण को 2.00 लाख रु. प्रति खेल विधा की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है। इसमें 60 रु. प्रतिदिन के हिसाब से भोजन एवं आवास प्रभार, खेल उपस्कर, मैदान तैयार करने, तकनीकी, सरकारी फीस के लिए प्रभार शामिल हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत सरकार देश में खेलों के स्तर को सुधारने के लिए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित करती है:

1. स्कूलों में खेलकूद को प्रोत्साहन
2. ग्रामीण खेल कार्यक्रम
3. खेल छात्रवृत्ति योजना
4. महिलाओं के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप
5. खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण कोष
6. प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन हेतु खेल कोष

7. अंतराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं तथा उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार

8. राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार

9. अर्जुन पुरस्कार

10. द्रोणाचार्य पुरस्कार

11. खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदान

12. विश्वविद्यालयों एवं कालेजों में खेलों के संवर्धन हेतु अनुदान

13. सिंथेटिक खेल परतों की स्थापना के लिए अनुदान।

(ङ) युवक कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय/राज्य स्तर के खिलाड़ियों को सहायता देने के लिए प्रायोजित कार्यक्रमों के वास्ते कोई धनराशि आबंटित नहीं करता है।

बम्बई बम विस्फोट

7085. श्री राम मोहन गाड्डे :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जांच से पता चला है कि 13 दिसम्बर को आतंकवादियों द्वारा संसद भवन पर हुए हमले में प्रयुक्त ग्रेनेडों पर अग्रेस मार्किंग पायी गयी है जो 1993 के बम्बई बम विस्फोट के बाद पाए गए ग्रेनेडों पर भी था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को आस्ट्रिया की सरकार के साथ उठाया है कि ये ग्रेनेड आई एस आई और पाकिस्तान स्थित आंतकवादियों के पास कैसे पंहुचे; और

(घ) यदि हां, तो इसका परिणाम क्या रहा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) बम्बई बम विस्फोटों के मामलों की जांच के दौरान बम्बई पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों से बरामद/जब्त किए गए हथगोलों पर अर्गेस मार्किंग पायी गई था। 13 दिसम्बर, 2001 को आतंकवादियों द्वारा संसद भवन पर किए गए हमले में प्रयुक्त हथगोलों पर भी अग्रेस मार्किंग होने की रिपोर्ट है।

(ग) और (घ) मामले को उपयुक्त रूप से आस्ट्रिया सरकार से संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजभाषा का क्रियान्वयन

7086. श्री आर.एस. पाटिल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा हिन्दी के क्रियान्वयन के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित संगठनों/केन्द्र सरकार के कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हिन्दी को प्रोत्साहन देने के लिए इन संगठनों/कार्यालयों के बीच कोई समन्वय है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन संस्थानों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में राजभाषा हिन्दी के क्रियान्वयन के लिए एक क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी में कार्यरत है।

(ख) और (ग) गुवाहाटी स्थित कार्यालय राजभाषा विभाग का एक अधीनस्थ कार्यालय है जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के क्रियान्वयन की प्रगति का लेखा-जोखा रखता है।

(घ) क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आधार पर कार्यालयों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करते हैं। क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों पर राजभाषा विभाग का मुख्यालय निगरानी रखता है।

[हिन्दी]

विज्ञान और तकनीकी शिक्षा

7087. डा. सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री रामजीलाल सुमन :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों से देश में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा के प्रति उदासीनता बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति हजार आबादी पर वैज्ञानिकों की संख्या कम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा') : (क) जी नहीं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के विकास हेतु योग्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों को पर्याप्त निधियां प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष और अधिक संख्या में इंजीनियरी संस्थान खोले जा सकते हैं और इनमें प्रवेश बढ़ता जा रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मेनपावर रिसर्च (आई ए एम आर) द्वारा किए गए आकलन के अनुसार 1999 के आरम्भ में प्रति हजार आबादी पर वैज्ञानिक एवं तकनीकी (विज्ञान और प्रौद्योगिकी) कार्मिकों की संख्या 7.27 थी। प्रति हजार आबादी पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिकों की अंतर्राष्ट्रीय तुलना करना कठिन है क्योंकि यूनेस्को को आकड़े देते समय यूनेस्को के विभिन्न सदस्य देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्मिक की अपनी परिभाषाएं, वर्गीकरण अपनाते हैं और साथ ही विभिन्न देशों के लिए आंकड़ों के संदर्भित वर्ष भी समान नहीं होते। इन सीमाओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय तुलना अवास्तविक हो जाती है।

[अनुवाद]

डाटाबेस के प्रतिलिप्यधिकार का हस्तांतरण

7088. श्री आदि शंकर :
कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान, वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद ने भारतीय संपदा और चिकित्सकीय एवं सुगंधित पादपों के अर्क संबंधी डाटाबेस पर अपने प्रतिलिप्यधिकार का 1994 के बाद से 'एशियन हेल्थ एन्वायरमेन्ट एण्ड एलाइड डाटाबेस' को हस्तांतरण कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त समझौते की प्रति सहित ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो एशियन हेल्थ एन्वायर्नमेन्ट एण्ड एलाइड डाटाबेस के विरुद्ध ''वेल्थ एशिया'' शीर्षक से 1997 के प्रतिलिप्यधिकार अंकित सीडी-रॉम में चिकित्सकीय पौधे, खनिज संसाधनों इत्यादि की जानकारी देने वाले मूल्यवान डाटाबेस को प्रकाशित करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी या किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी नहीं। राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (निस्कॉम) ने अहेड (एएचईएडी) की सीडी-रोम परियोजना हेतु अपने दो आंकड़ाधारों का योगदान दिया। एशियन हेल्थ इन्वायर्नमेंटल एण्ड एलाइड डाटाबेसेस (एएचईएडी) सीडी-रोम डिस्कों में सम्मिलित व्यक्तिगत आकड़ाधारों का प्रतिलिप्यधिकार अहेड (एएचईएडी) के उन सहभागी संगठनों के पास था जिन्होंने आंकड़ों का योगदान दिया। भारत की संपदा और चिकित्सकीय एवं सुगंधित पादपों के अर्क आंकड़ाधारों का प्रतिलिप्यधिकार निस्कॉम के पास था। अर्जित किए गए कुल बिक्री राजस्व के 40% का भुगतान प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी संगठन को किया जाना था। ये डिस्कें अवसानी रचना तंत्र वाली थीं और इनका उपयोग इनके जारी होने की तारीख से एक वर्ष की सीमित अवधि के लिए किया जा सकता था। अंतिम डिस्क 1998 में निकाली गई। निस्कॉम ने दिनांक 21 सितम्बर, 1999 से अहेड (एएचईएडी) का परित्याग कर दिया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दवाओं की कीमतें

7089. श्री शिवाजी माने : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न दवाओं की कीमतें बढ़ा दी हैं;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों के दौरान जिन दवाओं की कीमतें बढ़ाई गई हैं उनके नाम क्या हैं; और

(ग) ये दवाएं किन बीमारियों/रोगों में दी जाती हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) अनुसूचीबद्ध प्रपुंच औषधों तथा उन पर आधारित सूत्रयोगों का मूल्य निर्धारण/संशोधन एक सतत् प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन पी पी ए) द्वारा औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के उपबंधों के अनुसार की जाती है। पिछले छः महीनों के दौरान (अर्थात् अक्तूबर 2001 से आज की तारीख तक) एन पी पी ए ने चार प्रपुंज औषधों, नामतः फेनरामाइन मेलिएट, टेट्रासाइक्लिन एचसीएल, पायरेंटल पामोएट एवं रिफेम्पिसिन के मूल्य संशोधित किए हैं। इन चार में से तीन प्रपुंज औषधों, नामतः फेनरामाइन मेलिएट, पायरेंटल पामोएट और रिफेम्पिसिन के मूल्य बढ़ाए गए हैं।

(ग) फेनरामाइन मेलिएट को एलर्जी रोधी, के रूप में पायरेंटल पामोएट को कृमि रोधी के रूप में और रिफेम्पिसिन को क्षय रोग के उपचार में प्रयोग किया जाता है।

[अनुवाद]

एसपीजी पर व्यय

7090. श्री जी.जे. जावीया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वारका में सेन्ट्रल गार्डन और एस.पी.जी. भवन के निर्माण पर कितना व्यय हुआ है; और

(ख) एसपीजी पर वार्षिक रूप से कितना व्यय किया गया?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) द्वारका में ''एस.पी.जी. भवन'' और ''सेन्ट्रल गार्डन'' नाम की कोई इमारत/उद्यान नहीं है। तथापि, एक एस.पी.जी. परिसर सेक्टर-8, द्वारका, नई दिल्ली में स्थित है। इस परिसर में रिहायशी और गैर-रिहायशी दोनों तरह के आवास हैं। इस परियोजना पर 31.3.2002 तक किया गया व्यय 101.55 करोड़ रु. था।

(ख) वर्ष 2001-2002 के दौरान एस.पी.जी. पर किया गया व्यय 63.92 करोड़ रु. था।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में गैस त्रासदी से पीड़ितों के लिए योजनाएं

7091. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैस त्रासदी से पीड़ित लोगों को विशेषत: चिकित्सीय सहायता देने के संबंध में शुरू की गई योजनाओं में मध्य प्रदेश को 75 : 25 के अनुपात से धनराशि दी जा रही है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार से पहली कार्य योजना के अनुसार पुनर्वास कार्यक्रम को जारी रखने के लिए लगभग 22 करोड़ रु. की मांग संबंधी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी नहीं। विगत में केन्द्र सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों के चिकित्सीय, सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरण संबंधी पुनर्वास के लिए 163.10 करोड़ रु. के कुल परिव्यय से एक पांच वर्षीय कार्य योजना को अनुमोदित किया था जिस परिव्यय को चरणों में बढ़ाकर 258 करोड़ रु. कर दिया गया था। इस परिव्यय को भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 75 : 25 के अनुपात में वहन किया जाना था। केन्द्र सरकार ने 193.50 करोड़ रु. का अपना संपूर्ण अंश निर्गत कर दिया है।

(ख) जी हां।

(ग) केन्द्र सरकार को सूचित किया गया है कि कार्य योजना में यथा परिकल्पित पुनर्वास कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए योजना आयोग के परामर्श से राज्य योजना के अंग के रूप में आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

विशेषज्ञता प्राप्त विश्वविद्यालय

7092. डा. बी.बी. रमैया : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विशेषज्ञता प्राप्त विश्वविद्यालय जैसे जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय इत्यादि खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या टी आई एफ ए सी ने कुछ ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित की है जो भविष्य में प्रचलित होगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा') : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

चिकबलपुर क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकाय

7093. श्री आर.एल. जालप्पा : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में चिकबलपुर क्षेत्र में आईडीएसएमटी योजना के अन्तर्गत कौन से शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है;

(ख) उक्त क्षेत्र में आईडीएसएमटी योजना के अन्तर्गत किन शहरी स्थानीय निकाय को शामिल करने का प्रस्ताव है; और

(ग) आईडीएसएमटी योजना के अन्तर्गत चिकबलपुर में लघु और मंझोले शहरों के विकास के लिए वर्ष 2001-2002 के दौरान कितनी राशि जारी की गयी?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) कर्नाटक में चिकबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अभी तक पांच कस्बों नामत: सीदलागट्टा (8वीं योजना), गौरीबिदनूर (8वीं योजना), चिकबलपुर (7वीं योजना), डोडाबल्लापुर (8वीं योजना) और मादुगिरी (8वीं योजना) कस्बों को आईडीएसएमटी स्कीम के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

(ख) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत प्राथमिकता सूची के अनुसार दो कस्बे नामत: नीलमंगला और बेगपल्ली क्रमश: क्रम संख्या 48 और 62 में आते हैं। तथापि, दिशानिर्देशों के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की गयी है।

(ग) आईडीएसएमटी स्कीम के अन्तर्गत 2001-02 के दौरान चिकबलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में भारत सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

आदिवासी लोगों के लिए केन्द्रीय विद्यालय

7094. श्री चिंतामन वनगा : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार आदिवासी लोगों के लिए केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के जनजातीय क्षेत्रों में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालय (सैन्ट्रल स्कूल) मुख्यत: रक्षा और अर्द्धसैनिक कार्मिकों सहित स्थानांतरित होने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, समान शिक्षा कार्यक्रम की व्यवस्था करके खोले जाते हैं। ये विद्यालय रक्षा/केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की सघनता वाले ऐसे स्थानों पर खोले जाते हैं, जहां प्रायोजक प्राधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय संस्थान के मापदंडों के अनुसार आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दें। तथापि, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत छठी से बारहवीं कक्षा तक अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उत्कर्ष शिक्षा देने हेतु नवीं योजना अवधि के दौरान 82 मॉडल आवासीय स्कूल खोलने के लिए धनराशि निर्मुक्त कर दी है।

[हिन्दी]

ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्कों और महिलाओं के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्कों की स्थापना

7095. श्री वाई.जी. महाजन :
श्री वाई.वी. राव :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूरे देश में ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क और महिलाओं के लिए ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इन पार्कों की विशेषताएं क्या होंगी;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त पार्कों में कोई उद्योग लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) राज्य-वार और स्थान-वार अब तक स्थापित इस प्रकार के पार्कों की संख्या कितनी है;

(च) इन पार्कों पर अब तक कितना निवेश हुआ है; और

(छ) चालू वर्ष के दौरान स्थापित किए जाने वाले पार्कों का ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (छ) जी हां, सरकार ने कुछ ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्कों और महिलाओं के लिए ग्रामीण पार्कों की स्थापना की है। ये पार्क सामान्य सुविधा तथा प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र हैं जो कि आस-पास के ब्लाकों के लोगों के लिए स्थानीय संसाधनों के आधार पर प्रौद्योगिकी सुदृढ़ीकरण प्रदान करते हैं। इन पार्कों के भाग के रूप में ग्रामीण उद्यमवृत्ति को बढ़ावा दिया जाता है।

निम्नलिखित ग्रामीण पार्कों की स्थापना की गई हैं :

क्र.सं.	राज्य	स्थान	कुल लागत (लाख रुपये में)
1.	झारखण्ड	अंगारा ब्लाक	9.00
2.	त्रिपुरा	सताचन्द, कथुआ जिला	16.83
3.	त्रिपुरा	अम्बासा ब्लॉक, धाली जिला	18.08
4.	सिक्किम	मंगन, उत्तर सिक्किम	19.66
5.	असम	नोंघपोह तथा भोई ब्लॉक, रि भोई जिला	18.08
6.	उत्तरांचल	मेहुवाला गांव* देहरादून	26.28
7.	कर्नाटक	शिवाली गांव* माणिपाल	19.60
8.	राजस्थान	बाड़मेर*	25.91

*ये महिलाओं पर केन्द्रित हैं।

चालू वर्ष के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में 3 पार्कों सहित देश के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में 12 महिला प्रौद्योगिकी पार्क इस योजना का एक हिस्सा हैं।

[अनुवाद]

सीमा पर बाड़ लगाना

7096. डा. राजेश्वरम्मा चुक्कला :
श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश की सीमा के साथ पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24-परगना जिले में बाड़ लगाने का काम उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने कोई रिपोर्ट प्राप्त की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस बाड़ लगाने के परिणामस्वरूप बोन्गांव और बागदा के हजारों लोग बंगलादेश में चले जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) जी नहीं, श्रीमान्। बंग्लादेश सीमा के साथ-साथ बाड़ लगाने का काम उस क्षेत्र का उपयुक्त मूल्यांकन और सर्वेक्षण करने के बाद ही किया गया है। बाड़ आमतौर पर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से 150 गज की दूरी पर लगाई जाती है और जहां कहीं जीरो लाईन और बाड़ के बीच कोई गांव पड़ते हैं तो इस प्रकार के गांवों के निवासियों के प्रयोग के लिए गेट लगाए गए हैं। बोन्गांव और बागदा के साथ-साथ सुरक्षा बाड़ लगाने का काम अभी शुरू नहीं किया गया है।

काशी और मथुरा में मन्दिर-मस्जिद विवाद

7097. श्री जे.एस. बराड़ : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा काशी और मथुरा में मन्दिर-मस्जिद विवाद को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

आतंकवादियों को राजनीतिक संरक्षण

7098. श्री राम टहल चौधरी :
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादियों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) इस बारे में कोई पुष्ट रिपोर्टें नहीं हैं।

(ग) जबकि आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए विभिन्न तरीके निकालने के लिए ठोस कदम उठाने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों की है तो भी सरकार ने एक सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्किोण अपनाया है जिसमें सीमा पार से अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को चुस्त-दुरूस्त बनाना, केन्द्र और राज्य सरकारों की विभिन्न एजेंसियों के बीच गहन तालमेल स्थापित करना, समन्वित कार्रवाई द्वारा आतंकवादियों और राष्ट्रविरोधी तत्वों की योजनाओं को विफल करना, उन्नत परिष्कृत हथियारों और संचार प्रणाली द्वारा पुलिस और सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण और स्तरोन्नयन करना आदि शामिल है। समन्वित कार्रवाई के परिणामस्वरूप उग्रवादियों के अनेक मोड्यूलों को निष्क्रिय कर दिया गया है।

आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 लागू कर दिया गया है जिसके अधीन 28 उग्रवादी ग्रुपों को उग्रवादी संगठनों के रूप में अधिसूचित किया गया है ताकि उग्रवादियों के विरुद्ध एकजुट कार्रवाई की जा सके।

[अनुवाद]

जी एम फूड्स

7099. श्री सईदुज्जमा : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जी एम फूड्स के सुरक्षित होने पर वैज्ञानिकों ने प्रश्न चिह्न लगाया है इस प्रकार के खाद्य पदार्थों के विरुद्ध जोरदार आन्दोलन चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या जी एम सोयाबीन आयातित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई उपचारात्मक कदम शुरू किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा'): (क) उचित सुरक्षा मूल्यांकन के बाद ही आनुवंशिक तरीके से संशोधित (जी एम) कोई खाद्य जारी किया जाता है। कुछ देशों में वैज्ञानिकों और गैर-सरकारी संगठनों ने, विशेष रूप से आनुवंशिक तरीके से संशोधित खाद्य पदार्थों के संबंध में उपभोक्ता के पसन्द के दृष्टिकोण से प्रश्न उठाए हैं। मौजूदा जानकारी के अनुसार आनुवंशिक तरीके से संशोधित खाद्य की सुरक्षा, खाद्य उपयोग के लिए उगाए गए पराजीनी जैविकों को बनाने में उपयोग में लाये गये जीनों और न्यूक्लिक अम्ल अनुक्रमण पर निर्भर है। सुरक्षित खाद्य उपजाने के लिए सामान्यता सुरक्षित अनुक्रमणों का उपयोग किया गया है। जहां उपयोग के किए गए अनुक्रमण नए हैं, वहां उनके सुरक्षित होने के बारे में वैज्ञानिक प्रयोग किये जाते हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने अभी तक व्यापारिक रूप से जारी करने के लिए जी एम सोयाबीन के आयात के लिए कोई अनुमोदन प्रदान नहीं किया है। तथापि, अनुसंधान एवं विकास कार्य के लिए जी एम सोयाबीन बीजों के आयात की अनुमति दी गई है। आयातित जी एम सोयाबीन के संबंध में जैव सुरक्षा अध्ययनों के लिए सरकार द्वारा अभी अनुमति दी जानी है।

(घ) से (च) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और नियमावली 1989 के तहत तैयार किए गए भारतीय जैव सुरक्षा दिशा-निर्देश जी एम खाद्यों के विकास से उत्पन्न होने वाले जोखिम यदि कोई हों तो उसके आकलन के लिए विस्तृत एवं पर्याप्त हैं। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एन बी पी जी आर), नई दिल्ली में परीक्षण एवं संशोधन के लिए एक पराजीनी संशोधन सुविधा की स्थापना की गई है। जी एम खाद्य के प्रयोग को अनुमति देने के लिए, उपभोग हेतु उनको जारी करने के समय राष्ट्रीय विनियामक प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाएगा।

[हिन्दी]

बिहार में ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए अप्रयुक्त धनराशि

7100. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए दी गई धनराशि को बिना खर्च किये या विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं में इनका निवेश किए बिना ही इनको लौटा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान अप्रयुक्त और वापिस लौटा दी गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) बिहार सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय को कोई निधि वापिस नहीं की है। तथापि, उक्त अवधि के दौरान राज्य ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण आवंटन नहीं ले पाया है। वर्ष 2001-02 के दौरान राज्य निम्न कारणों से कुल आंवटन में से 454.55 करोड़ रुपए की राशि नहीं प्राप्त कर सका :

(1) त्रुटिपूर्ण लेखा-जोखा और लेखा परीक्षण

(2) कम खर्च

(3) अधिक अर्थशेष

(4) प्रस्ताव प्राप्त न होना।

[अनुवाद]

उड़ीसा को विशेष प्रोत्साहन पैकेज

7101. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास उड़ीसा के जनजातीय आबादी के एक सबसे बड़े क्षेत्र जहां जनजातीय लोगों, विशेषत: महिलाओं की असाक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है तथा मलेरिया, न्यूमोनिया, प्लूरिसी इत्यादि जैसी घातक बीमारियों की भारी संख्या को देखते हुए सरकार का उड़ीसा में सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं में सुधार हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार राज्य में सभी जनजातीय विकास कार्यक्रमों को केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के स्थान पर केन्द्रीय योजना कार्यक्रम में बदलने का है जिससे राज्य द्वारा बुरी वित्तीय स्थिति के कारण राज्य का बराबर हिस्सा नहीं दिए जाने के कारण लक्ष्य को प्राप्त करने में अक्षमता से बचा जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार केन्द्रीय योजना के अंतर्गत उड़ीसा के.बी.के. जिलों और जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आवासीय उपयोजना क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आवासीय सेवाश्रमों और आश्रम विद्यालयों की स्थापना पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय, उड़ीसा सहित देश में जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए दो केन्द्र क्षेत्र योजनाओं अर्थात् जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता तथा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान, को कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को निम्नलिखित अनुदान दिया गया :

(रुपए लाख में)

योजना का नाम	1999-2000	2000-2001	2001-2002
जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	5698.28	5188.40	6495.30
संविधान के अनुच्छेद 275(1)	1027.93	2957.10	4104.91

उड़ीसा के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का प्रस्ताव मंत्रालय के पास नहीं है।

(ग) और (घ) उड़ीसा सहित राज्य सरकारों द्वारा झेले जा रहे वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय का, अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर योजना के अधीन 100% सहायता अनुदान देने का तथा जनजातीय लड़कों के छात्रावासों और लड़कियों के छात्रावासों के निर्माण के लिए एवं जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना के लिए केन्द्रीय हिस्से को 50% से 75% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

(ङ) और (च) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उड़ीसा में छठी से बारहवीं कक्षा के जनजातीय छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए आठ मॉडल आवासीय स्कूलों की स्थापना हेतु अनुदान निर्मुक्त किया है। ये स्कूल हैं-कोरापुट जिले में पुंगर, रायगडा जिले में पल्लुपाई, मयूरभंज में धनधारा, सुन्दरगढ़े जिले में भवानीपुर, नवरंगपुर जिले में बोरदई हाई स्कूल, कंधामल जिले में महासिंगी, गजपति जिले में चन्द्रगिरी और एक अन्य क्योंझर जिले में।

इसके अलावा जनजातियों के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुकूल वातावरण वाली जगहों पर आवासीय स्कूलों की स्थापना करने जैसी शैक्षिक सुविधाएं देने के उद्देश्य से उड़ीसा में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना अर्थात् ''जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना'' पहले से ही कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के लिए राज्य को 50 : 50 के आधार पर बराबर की धनराशि दी जा रही है जबकि संघ राज्य क्षेत्रों को शतप्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में सामुदायिक भवन

7102. श्री विष्णु पद राय : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में हट बे के हरविन्दर बे में किस वर्ष में सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया था;

(ख) इस पर कितना खर्च आया;

(ग) इसका निर्माण किस अधिकरण द्वारा किया गया;

(घ) इस उद्देश्य हेतु किस अभिकरण ने धन उपलब्ध कराया;

(ङ) ''हट बे'' में नए सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु किस तिथि को आधारशिला रखी गयी; और

(च) नए समुदाय भवन के निर्माण पर अनुमानत: कितनी लागत आई और इसके किस तिथि तक पूर्ण हो जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (च) अंडमान और निकोबार प्रशासन ने निम्नलिखित अपेक्षित सूचना दी है :

(क) हरविन्दर बे के स्थान पर पुराना सामुदायिक भवन वर्ष 1999 के दौरान निर्मित किया गया था।

(ख) इस पर कुल 9,80,411 रुपए का खर्च आया था।

(ग) प्रमुख पंचायत समिति लिटिल अंडमान द्वारा मास्टर रोल के जरिए।

(घ) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पोर्ट ब्लेयर।

(ङ) 29.12.1998.

(च) नए सामुदायिक भवन के निर्माण की अनुमानित लागत 10,23,520 रुपए है। और इस कार्य के इस महीने (मई, 2002) के मध्य तक पूरा होने की आशा है।

झड़ौदाकलां में आतंकवादी हमला

7103. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के झड़ौदाकलां, दिल्ली शिविर पर आतंकवादियों ने पुन: हमला किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की गयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के शिविर सुरक्षित रह सकें; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते हैं।

(ङ) और (च) सुरक्षा बल अपने प्रतिष्ठानों पर किसी भी आक्रमण का जवाब देने के लिए सर्तक हैं।

जेल में मूलभूत सुविधाएं

7104. श्री श्रीनिवास पाटील : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायलय ने जेल में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्च न्यायालय ने आगे निर्देश दिया है कि तीस हजारी, कड़कड़डूमा और पटियाला हाउस के बन्दीगृहों में विचाराधीन कैदियों की जीवन स्थिति की समय-समय पर संबद्ध अधिकारियों द्वारा समीक्षा की जाए; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में आपराधिक

विविध (मुख्य) याचिका सं. 3248/98 में अपने दिनांक 7 मार्च, 2002 के आदेश में अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्देश दिया कि :

(1) प्रतिवादी राज्य और इसके संबंधित कृत्यकारी समय-समय पर तीस हजारी, पटियाला हाऊस और कड़कड़डूमा न्यायालयों में न्यायिक हवालातों में उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की समीक्षा करेंगे तथा यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर कदम उठाएंगे कि विचाराधीन कैदियों और उनके साथ स्टाफ को बुनियादी निम्नतम सुविधाएं प्रदान की जाएं।

(2) पुलिस उपायुक्त, तीसरी बटालियन को तीस हजारी में यह आदेश दिया गया है कि वह तीस हजारी न्यायालय में जिला न्यायाधीश को और पटियाला हाऊस तथा कड़कड़डूमा में प्रभारी न्यायधीशों को हालात के बारे में आवधिक रूप से छमाही स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(3) जिला और सत्र न्यायाधीश एवं तीनों न्यायालय परिसरों में प्रभारी न्यायाधीश यह सुनिश्चित करने के लिए हवालातों में आवधिक निरीक्षण भी आयोजित करवाएंगे जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि विचाराधीन कैदियों को अपेक्षित सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

(घ) इन न्यायिक हवालातों में पानी, बिजली, शौचालय आदि जैसी अधिकांश बुनियादी सुविधाएं पहले ही उपलब्ध हैं। तथापि, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने, नये पंखों, वाटर कूलरों आदि लगाकर इन सुविधाओं में और वृद्धि करने के उपाय किए हैं।

रसायन और उर्वरक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास

7105. श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रसायन और उर्वरक क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने हाल में इस क्षेत्र में व्यवसाय के अवसरों के संबंध में कुछ देशों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग एक योजना "उद्योग द्वारा अनुसंधान और विकास" का संचालन करता है जिसमें रसायन और उर्वरक क्षेत्र सहित उद्योग के अनुसंधान और विकास पहल को बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड्स फार्मूलेशन टैक्नालाजी तथा प्रोजक्ट्स एण्ड डवलपमेंट इंडिया लि. नामक संगठन पेस्टीसाइड्स फार्मूलेशनों और उर्वरकों के क्षेत्र में अनुसंधान करने में लगे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

ओल्ड करेंसी बिल्डिंग को तोड़ने का कार्य

7106. श्री विनय कुमार सोराके : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सेंट्रल डिवीजन-3) कोलकाता ने 1996 में नियमों का उल्लंघन कर 1833 में निर्मित ओल्ड करेंसी बिल्डिंग को तोड़ने का ठेका दिया था जोकि एक धरोहर सम्पत्ति है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अनधिकृत तोड़ से धरोहर संरचना को क्षति पहुंचाने के अलावा कब्जाधारी सरकारी कार्यालयों द्वारा किराए के रूप में 5.00 करोड़ रुपए का परिहार्य भुगतान किया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आंशिक रूप से तोड़े गए इस ढ़ांचे के पुनर्निर्माण पर 13.25 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है;

(ङ) यदि हां, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने इस मामले का हवाला सरकार को दिया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) सामान्य टूट-फूट के कारण, 1833 में निर्मित कोलकाता स्थित करेंसी बिल्डिंग संरचना की दृष्टि से असुरक्षित और खतरनाक हो गई थी और इसलिए और वास के रहने लायक नहीं रह गई थी। संरचनात्मक अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इस इमारत को वास के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया तथा जुलाई 1994 में शहरी विकास मंत्रालय ने इस इमारत को गिराने का निर्णय लिया और उसे गिराने की स्वीकृति दे दी।

कोड संबंधी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इमारत गिराये जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन कलकत्ता नगर निगम ने दिनांक 26.5.96 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा इस इमारत को हेरिटेज बिल्डिंग घोषित कर दिया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इमारत गिराये जाने का निर्णय 1994 में अर्थात् 1996 की गजट अधिसूचना से पहले लिया गया था, इसलिये नियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) चूंकि इमारत असुरक्षित थी और वास के लायक नहीं थी, इसलिए इसे खाली कराया जाना था और इसमें कार्यरत विभागों को दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित करना पड़ा। चूंकि दूसरे स्थान पर भेजना अपरिहार्य हो गयी था इसलिए इसे प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप से इमारत गिराये जाने से जोड़ा नहीं जा सकता है।

(घ) जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण के लिए 12,68,74,200 रु. का अनुमान है न कि 13.25 करोड़ रु. का।

(ङ) जी, हां।

(च) 'हेरिटेज बिल्डिंग' को अनधिकृत रूप से गिराने के लिये सीपीडब्ल्यूडी के बारे में ड्राफ्ट पैरा पर तथ्यात्मक टिप्पणी प्रधान लेखा परीक्षा निदेशक को भेज दी गयी है।

तमिलनाडु के कोटोल्लम में यूथ होस्टल/केन्द्र बनाया जाना

7107. श्री एस. मुरूगेसन : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए तमिलनाडु में विशेषकर कोटोल्लम में यूथ होस्टल/केन्द्र बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) युवा छात्रावासों का निर्माण केन्द्र और राज्य सरकार का एक संयुक्त उद्यम होता है। अत: राज्य सरकार, युवा छात्रावास के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार को 1.5 से 2 एकड़ पूरी तरह से विकसित भूखण्ड नि:शुल्क उपलब्ध कराती है। भारत सरकार भवन निर्माण पर होने वाली पूरी लागत को वहन करती है। राज्य सरकारें, युवा छात्रावासों के निर्माण के लिए भूमि की उपलब्धता का उल्लेख करते हुए केन्द्र को प्रस्ताव भेजती हैं। तमिलनाडु सरकार ने कोटोल्लम में युवा छात्रावास के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

पंचायत खातों की लेखापरीक्षा

7108. डा. ए.डी.के. जयशीलन : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबद्ध राज्य के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से पंचायतों की लेखापरीक्षा कराए जाने की मांग की जा रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (घ) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आलोक में भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक पंचायतों के सभी तीनों स्तरों के लेखों के समुचित रख-रखाव और उनकी लेखा परीक्षा पर नियंत्रण रखने और उनका पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

7109. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सेकेण्डरी स्कूलों में लड़के और लड़कियों के लिए बोर्डिंग/छात्रावास की सुविधाएं बढ़ाने के लिए राज्यवार कितने स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिया गया;

(ख) ऐसे स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे संगठनों के कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण करने के संबंध में कोई उपबंध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) बोर्डिंग/छात्रावास सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की स्कीम के अन्तर्गत छात्राओं के लिए छात्रावासों/बोर्डिंग हाऊसों को चलाने हेतु पात्र स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विगत तीन वर्षों के दौरान इस स्कीम के अन्तर्गत जिन स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान प्रदान किए गए उनकी संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है

(ख) इस स्कीम के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठन मान्यता-प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 12 में पढ़ने वाली ग्रामीण क्षेत्रों तथा कमजोर वर्गों की छात्राओं तथा कक्षा 8 के बाद व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रम पढ़ने वाली छात्राओं को छात्रावास/बोर्डिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं। इस स्कीम के अन्तर्गत लाभान्वित छात्राओं की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	लाभान्वित छात्राओं की संख्या
1999-2000	3810
2000-2001	4861
2001-2002	6798

(ग) और (घ) वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले स्वैच्छिक संगठन का निरीक्षण केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शिक्षा विभाग के अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

विवरण

ऐसे स्वैच्छिक संगठन, जिन्हें विगत तीन वर्षों के दौरान अनुदान प्रदान किए गए

क्र.सं.	राज्य का नाम	स्वैच्छिक संगठनों की संख्या		
		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	9	23
2.	बिहार	6	6	8
3.	गुजरात	6	20	5
4.	हरियाणा	2	2	3
5.	झारखंड	1	1	1
6.	कर्नाटक	9	8	15
7.	महाराष्ट्र	14	11	12
8.	मध्य प्रदेश	1	1	1
9.	असम	1	4	4
10.	मणिपुर	3	4	4
11.	मेघालय	-	-	1
12.	नागालैंड	3	2	3
13.	त्रिपुरा	-	-	1
14.	उड़ीसा	11	18	10
15.	राजस्थान	-	-	2

1	2	3	4	5
16.	तमिलनाडु	3	1	2
17.	उत्तर प्रदेश	16	11	13
18.	पश्चिम बंगाल	2	1	11
	कुल	79	99	119

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापक पद के लिए हिन्दी का ज्ञान

7110. श्री पी. कुमारासामी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में किन-किन श्रेणियों के अध्यापक पद के लिए हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है;

(ख) किस वर्ष से इन पदों के लिए हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया है;

(ग) इन पदों के लिए हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य किए जाने का क्या कारण है;

(घ) क्या इस प्रावधान से इन विद्यालयों में तमिलनाडु से आने वाले अध्यापकों की संख्या में कमी आई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का उक्त प्रावधान में ढील देने के लिए यदि कोई हो, क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन (नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता इत्यादि) नियमावली, 1971, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसार स्नातकोत्तर शिक्षक, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक अर्हताओं में से एक अर्हता हिन्दी और अंग्रेजी में शिक्षण की दक्षता है। इसके लिए नियुक्ति अखिल भारतीय आधार पर की जाती है न कि राज्यवार आधार पर।

डीडीए के उद्देश्य

7111. डा. साहिब सिंह वर्मा : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत यथा परिभाषित प्राधिकरण के उद्देश्यों में किसी प्रकार की कोई संदिग्धता की स्थिति है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के उद्देश्यों में संदिग्धता की इस स्थिति को दूर करने के लिये परिवर्तन जारी किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण इन स्पष्टीकृत परिवर्तित उद्देश्यों का पालन कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिये होस्टल बनाया जाना

7112. श्री अनन्त नायक : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विशेषकर अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिये उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड के गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में होस्टल बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो शैक्षिक वर्ष 2002-2003 के लिये इस संबंध में क्या प्रस्ताव किया गया; और

(ग) तद्नुसार वित्तीय आवंटन के लिये क्या कदम उठाए गये हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय "जनजातीय लड़कों और लड़कियों

के छात्रावासों की योजना को लागू कर रहा है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुदानों की निर्मुक्ति के लिए सहायता अनुदान के प्रस्ताव मंगाए जाते हैं। राज्य सरकारों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने प्रस्ताव पूर्ण रूप में भेजें जिनमें गत वर्षों के दौरान निर्मुक्त किए गए सहायता अनुदानों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा इस आशय की स्पष्ट पुष्टि कि राज्य के बजट में बराबर की राशि उपलब्ध कराने का उपबंध विद्यमान है, होने चाहिए। अत: यदि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड राज्य सरकारों से शैक्षिक वर्ष 2002-03 के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो उन पर योजना के उपबंधों के अध्ययधीन विचार किया जाएगा।

(ग) सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की इस संबंध में जरूरतों को पूरा करने के लिए उपर्युक्त योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2002-03 के बजट में 24.00 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में रिक्त पद

7113. श्री राजो सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये श्रेणीवार कितने पद आरक्षित हैं और इनमें से इस समय कितने पद रिक्त पड़े हुये हैं; और

(ख) इन पदों को भरने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों और रिक्त पड़े पदों की श्रेणीवार संख्या से सम्बन्धित विवरण संलग्न है। पिछली बकाया रिक्तियों को भरने के लिए समय-समय पर अभियान चलाए जाते हैं।

अन्य पिछड़े वर्गों को शिक्षण संकायों में आरक्षण प्रदान करने सम्बधी मामले की संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से जांच की जा रही है।

विवरण

गैर-शिक्षण पदों में अनुसूचित जाति/अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व-केन्द्रीय विश्वविद्यालय-शैक्षिक वर्ष-2000-2001

क्र. सं.	विश्वविद्यालय	श्रेणी	सामान्य	अनु. जाति	अनु. ज.जा.	अन्य	रिक्त पद	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	समूह-क	115	01	–	–	–	116
		%						
		समूह-ख	182	–	–	–	–	182
		%						
		समूह-ग	2454	13	04	–	2(योजनागत)	2473
		%						
		समूह-घ + ङ	2460	441	07	–	–	2908
		%						
		समूह-च						
		%						
2.	असम विश्वविद्यालय	समूह-क	13	–	–	–	03	13
		%	100					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		समूह-ख	14	02	02	–	02	18
		%	78	11	11	–	–	–
		समूह-ग	104	22	11	–	03	137
		%	76	16	08	–	–	–
		समूह-घ	33	12	06	–	03	51
		%	65	24	12	–	–	–
		समूह-ङ						
		%						
3.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	समूह-क	116	08	02	–	107	233
		%	49.79	3.43	0.86	–	45.92	–
		समूह-ख	89	20	–	–	99	208
		%	42.79	9.62	–	–	47.60	–
		समूह-ग	2131	94	13	–	662	2900
		%	73.48	3.24	0.45	–	22.83	–
		समूह-घ	2124	872	89	–	444	3529
		%	60.19	24.71	2.52	–	12.58	–
		समूह-ङ						
4.	दिल्ली विश्वविद्यालय	समूह-क	147	06	03	–	–	186
		%				–	–	
		समूह-ख	278	23	01	–	–	302
		%				–	–	
		समूह-ग	1343	187	01	–	–	1531
		%				–	–	
		समूह-घ	761	481	19	–	–	1261
		%				–	–	
		समूह-ङ	–	156	–	–	–	156
		%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	समूह-क	44	11	4	-	16	75
		%	58.7	14.7	5.3	-	-	-
		समूह-ख	66	7	-	-	16	89
		%	74.1	7.9	-	-	-	-
		समूह-ग	347	79	19	-	30	475
		%	73	16.6	4.4	-	-	-
		समूह-घ	297	86	20	-	53	456
		%	65.1	18.9	4.4	-	-	-
		समूह-ङ	43	22	3	-	2	70
		%	61.4	31.4	4.3	-	-	-
6.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	समूह-क	72	06	04	02	35	121
		%	-	7.14	4.76	2.38	-	-
		समूह-ख	99	18	05	-	12	134
		%	-	14.75	4.09	-	-	-
		समूह-ग	449	116	47	36	282	894
		%	-	17.90	7.25	5.55	-	-
		समूह-घ	129	33	11	20	15	208
		%	-	17.09	5.69	10.36	-	-
		समूह-ङ						
		%						
7.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	समूह-क	59	12	-	-	28	99
		%	59.6	12.1	-	-	28.3	100
		समूह-ख	191	22	04	-	77	294
		%	64.9	7.5	1.4	-	26.2	100
		समूह-ग	410	87	08	-	55	560
		%	73.2	15.5	1.4	-	9.8	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		समूह-घ	383	106	08	-	49	547
		%	70	19.3	1.5	-	8.9	100
		समूह-ङ	-	150	-	-	01	151
		%	-	99.3	-	-	0.7	100
8.	जामिया मिलिया इस्लामिया	समूह-क	46	1	-	-	16	63
		%	73	2	-	-	25	-
		समूह-ख	51	1	-	-	16	68
		%	75	2	-	-	23	-
		समूह-ग	460	2	-	-	15	477
		%	96	0.40	-	-	3	-
		समूह-घ	344	54	0.2	-	08	408
		%	84	13	0.1	-	2	-
		समूह-ङ						
		%						
9.	महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	समूह-क	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		%						
		समूह-ख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		%						
		समूह-ग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		%						
		समूह-घ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		%						
		समूह-ङ						
		%						
10.	मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय (सूचना प्राप्त नहीं हुई)	समूह-क						
		%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		समूह-ख						
		%						
		समूह-ग						
		%						
		समूह-घ						
		%						
		समूह-ङ						
		%						
11.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	समूह-क	–	शून्य	35	30	7	72
		%	–	शून्य	48.61	41.67	9.72	100
		समूह-ख	–	1	53	56	शून्य	110
		%	–	0.91	48.18	50.91	शून्य	100
		समूह-ग	–	4	386	173	42	605
		%	–	0.66	63.80	28.60	6.94	100
		समूह-घ	–	7	261	101	34	403
		%	–	1.74	64.76	25.06	8.44	100
		समूह-ङ						
		%						
12.	नागालैंड विश्वविद्यालय	समूह-क	1	–	12	–	–	13
		%	7.69	–	92.31	–	–	100
		समूह-ख	–	–	7	–	–	7
		%	–	100	–	–	–	100
		समूह-ग	16	131	–	–	–	147
		%	10.88	89.12	–	–	–	100
		समूह-घ	3	70	–	–	–	73
		%	4.11	95.89	–	–	–	100
		समूह-ङ						
		%						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	समूह-क	24	06	02	–	04	36
		%	75	18.8	6.2	–	–	
		समूह-ख	16	03	–	–	04	23
		%	84.2	15.8	–	–	–	–
		समूह-ग	192	40	–	–	26	258
		%	82.8	17.2	–	–	–	–
		समूह-घ	223	23	–	–	55	301
		%	90.7	9.3	–	–	–	–
		समूह-ङ						
		%						
14.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	समूह-क	08	02	–	–	07 (एक प्रतिनियुक्ति)	17
		%	47	12	–	–	41	–
		समूह-ख	–	–	–	–	03	03
		%	–	–	–	–	100	03
		समूह-ग	29	07	–	–	09 (एक प्रतिनियुक्ति)	45
		%	64	16	–	–	20	–
		समूह-घ	13	13	–	–	02	28
		%	46	46	–	–	08	–
		समूह-ङ						
		%						
15.	तेजपुर विश्वविद्यालय	समूह-क	19	1	शून्य	1	–	21
		%	90.4	4.76	शून्य	4.76	–	–
		समूह-ख	12	शून्य	1	शून्य	–	13
		%	92.31	शून्य	7.69	–	–	–
		समूह-ग	40	9	4	1	4	54
		%	74.07	16.67	7.41	1.85	6.9	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		समूह-घ	52	15	3	–	–	70
		%	74.28	21.43	4.28	–	–	–
		समूह-ङ						
		%						
16.	विश्व भारती	समूह-क	64	5	–	–	23	92
		%	92.75	7.25	–	–	–	–
		समूह-ख	154	22	2	–	7	185
		%	86.51	12.36	1.12	–	–	–
		समूह-ग	431	41	15	–	46	533
		%	88.50	8.42	3.08	–	–	–
		समूह-घ	506	238	100	–	112	956
		%	59.95	28.20	11.85	–	–	–
		समूह-ङ	–	26	1	–	–	27
		%	–	96.27	3.70	–	–	–

शिक्षण पद

विश्व विद्यालय		लेक्चरर						रीडर						प्रोफेसर					
		सामान्य	अजा.	अजजा	अन्य	रिक्त पद	कुल	सामान्य	अजा.	अजजा	अन्य	रिक्त पद	कुल	सामान्य	अजा.	अजजा.	अन्य	रिक्त पद	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	अ.मु.वि.	532	–	–	–	21	553	368	–	–	–	2	370	291	–	–	–	7	298
	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.	असम	25	18	04	–	42	47	43	–	–	–	04	43	18	02	–	–	04	20
	%	53	38	09	–	–	–	100	–	–	–	–	–	90	10	–	–	–	–
3.	बहिवि	344	29	02	–	212	587	361	01	–	–	22	590	352	–	–	–	225	577
	%	58.60	4.94	0.34	–	36.12	–	61.19	0.17	–	–	38.64	–	61.01	–	–	–	38.99	–
4.	दिल्ली	253	11	02	–	108	374	252	–	–	–	140	392	100	–	–	–	79	179
	%	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5.	हैदराबाद	60	12	3	–	26	101	92	3	–	–	21	116	79	1	–	–	–	80
	%	59.4	11.9	3.0	–	–	–	79.3	2.6	–	–	–	–	89.7	1.3	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6.	इं.गा.रा.मु.वि.	61	7	3	-	28	99	50	3	-	-	14	67	25	-	-	-	7	32
	%	-	9.85	4.22	-	-	-	-	5.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	ज.ला.ने.वि.	49	08	03	-	56	116	106	03	02	-	42	153	196	03	01	-	40	240
	%	42.2	6.9	2.6	-	48.3	100	69.3	1.9	1.3	-	27.5	100	81.6	1.3	0.4	-	16.7	100
8.	जा.मि.इ.	179	04	01	-	20	204	112	01	-	-	09	122	102	-	-	-	-	102
	%	88	02	.5	-	9.5	-	92	.80	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-
9.	म.गां.अं.हि.वि.	शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	%	शून्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	मौ.आ. उर्दू वि.	(सूचना प्राप्त नहीं हुई)																	
	%																		
11.	पूर्वो.पर्व. वि.	-		38	32	55	125	-	-	23	52	58	133	-	-	9	60	32	101
	%	-	-	30.4	25.6	44.0	100	-	-	17.29	39.10	13.61	100	-	-	8.91	59.41	31.68	100
12.	नागालैंड	39	-	52	-	-	91	17	1	7	-	-	25	19	-	3	-	-	22
	%	42.86	-	57.14	-	-	100	68	4	28	-	-	100	86.36	-	13.64	-	-	100
13.	पांडिचेरी	43	15	-	-	25	83	43	1	-	-	11	55	22	-	-	-	5	27
	%	51	18	-	-	30.12	-	78.18	1.81	-	-	20	-	81.48	-	-	-	18.51	-
14.	वा.भी.अम्बे.वि.	04	03	01	-	22	30	02	01	-	-	12	15	2	-	-	-	9	11
	%	13	10	3	-	74	-	13	7	-	-	80	-	18	-	-	-	82	-
15.	तेजपुर	38	-	2	-	14	54	15	-	-	-	7	22	11	-	-	-	8	19
	%	95	-	5	-	25.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	विश्व भारती	202	18	1	-	31	252	71	2	-	-	21	94	144	1	1	-	13	159
	%	91.40	8.14	0.46	-	-	-	97.26	2.74	-	-	-	-	98.63	0.69	0.69	-	-	-

[अनुवाद]

महिलाओं के लिये बनी योजनाओं को धन का आवंटन

7114. श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान महिलाओं की विशिष्ट योजनाओं के लिये आवंटन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महिला अधिकारिता कार्यक्रम और वृद्ध विधवा व अकेली महिलाओं के लाभार्थ महिला कल्याणकारी योजनाओं में गति लाने के लिए उन्हें अधिक धन आवंटित करने हेतु क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रगान

7115. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रगान गाया जाना अनिवार्य करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में समान कोर पाठ्यचर्या का उल्लेख है जिसमें अन्य के साथ-साथ 'राष्ट्रीय अस्मिता का पोषण संबंधी आवश्यक तत्व' भी शामिल होगा। राष्ट्रगान राष्ट्रीय अस्मिता का महत्वपूर्ण तत्व होने के वास्ते यह आशा है कि राज्य सरकारें और विद्यालय बोर्ड इसे सीखना आवश्यक बनाएंगे।

[हिन्दी]

शहर के गरीब लोगों की हालत में सुधार लाने के लिये सहायता प्रदान करने में भेदभाव

7116. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहर के गरीब लोगों की हालत में सुधार लाने के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने में भेदभाव बरता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में केन्द्र सरकार को कितनी शिकायतें मिली;

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रियाए है; और

(घ) इस संबंध में किए जाने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नई तालीम विद्यालय

7117. श्री पवन कुमार बंसल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार महात्मा गांधी द्वारा स्थापित नई तालीम विद्यालयों की देखभाल नहीं करती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि ये विद्यालय आज पूर्णत: उपेक्षित स्थिति में हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन विद्यालयों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए सहायता करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के लिए भूमि की आवश्यकता

7118. डा. सी. कृष्णन: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली मेट्रो को अपने त्रिनगर रेलवे स्टेशन को बनाने के लिए त्रिनगर धोबी घाट से लगभग 500 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या धोबी घाट से इस आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए कोई कदम उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त भूमि दिल्ली मेट्रो परियोजना को सौंप दी गई है;

(च) यदि हां, तो उस भूमि का कब्जा वास्तविक रूप से कब दिया गया; और

(छ) त्रिनगर रेलवे स्टेशन और अन्य आधारभूत संरचनाएं कब अपना काम करना शुरू कर देंगी?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (छ) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) को त्रिनगर एमआरटीएस स्टेशन के लिए स्टेशन/ ट्रैफिक इंटीग्रेशन सुविधा के प्रावधान के लिए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के स्वामित्व वाली लगभग 3500 वर्ग मीटर भूमि की आवश्यकता है। इस भूमि का कुछ भाग इस समय धोबी घाट के कब्जे में है।

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा उपर्युक्त भूमि को हस्तांतरित करने और धोबी घाट के लिए वैकल्पिक भूमि आवंटित करने के लिए दिल्ली नगर निगम से संपर्क किया गया है। दिल्ली नगर निगम ने धोबी घाट के पुनर्स्थापन के लिए शकूरपुर में 450 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की है।

धोबी घाट के कब्जे वाली भूमि को अभी तक दिल्ली मेट्रो कारपोरेशन को नहीं सौंपा गया है। त्रिनगर स्टेशन और अन्य अवस्थापना कार्य सितम्बर 2003 तक पूरा होने की संभावना है।

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरकों के आयात पर प्रतिबंध

7119. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
श्री जयभान सिंह पवैया:
श्री पी.आर. खुंटे:
श्री पुन्नू लाल मोहले:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरकों पर दी जा रही राजसहायता और उसके प्रयोग से भूमि की उर्वरकता में कमी आई है और पर्यावरणविद् इस बात से चिंतित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि रासायनिक उर्वरकों के अतिशय प्रयोग से भूमि का एक बहुत बड़ा भू-भाग बंजर हो गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग और आयात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार जैव उर्वरकों को प्रोत्साहन देने के लिए गोशालाओं को सहायता प्रदान करने का है; और

(ज) यदि हां, तो यह सहायता कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) उर्वरक पर राजसहायता/रियायत की अदायगी, किसानों को वहनीय मूल्यों पर उर्वरक उपलब्ध कराने की दृष्टि से की जाती है। सरकार की इस नीति के परिणामस्वरूप उर्वरक की खपत में वृद्धि हुई है जिससे फसल उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है और खाद्यान्नों की आवश्यकता को पूरा करने में देश आत्मनिर्भर हो गया है। तथापि, दक्षता को अधिकतम करने और पोषक हानि को न्यूनतम करने के लिए उर्वरक के उपयोग की अनुशंसा मृदा परीक्षण आधार पर की जाती है। भारत में उर्वरक की औसत खपत लगभग 95 कि.ग्रा. एनपीके प्रति हैक्टेयर हैं, जो बहुत से पश्चिमी देशों यहां तक कि बंगलादेश व श्रीलंका की तुलना में भी कम है। खपत के इस स्तर को पर्यावरण के लिए चिन्ता का विषय नहीं कहा जा सकता।

(ग) देश में रसायन उर्वरकों का उपयोग किए जाने के कारण भूमि के बंजर होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि, वर्तमान खपत स्तर को अधिक नहीं माना जा सकता।

(घ) से (च) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(छ) और (ज) किसी भी योजना में गोशालाओं को सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से जैव उर्वरकों के उत्पादन और प्रोत्साहन के लिए सहायता प्रदान करती है:

(*i*) ''जैव उर्वरकों का विकास और उपयोग'' जहां जैव उर्वरकों के उत्पादन के लिए सहायता दी जाती है।

(*ii*) दलहनों और तिलहनों संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन जहां जैव उर्वरकों के उपयोग के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

असम में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

7120. श्री नेपाल चन्द्र दास: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999 से आज की तिथि तक असम में विशेषकर हेलकंडी और करीमगंज जिले में बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जिलावार कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी;

(ख) आज की तिथि तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत इन जिलों में कौन-कौन सी परियोजनाओं को कार्यान्वित किया गया है और प्रत्येक परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च की गयी;

(ग) क्या धन के सदुपयोग के लिए बंजरभूमि विकास कार्यक्रम की जिला समिति के स्थानीय संसद सदस्य को शामिल नहीं किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग बंजर भूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने/उपजाऊ बनाने के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू. डी. पी.) को वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वित कर रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं सामान्यतया 5 वर्षों की अवधि के दौरान कार्यान्वित की जाती हैं। वर्ष 1999-2000 से लेकर आज तक असम राज्य के विभिन्न जिलों के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू. डी. पी.) के अंतर्गत 1.93 लाख हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने के लिए कुल 24 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। ये परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। विगत तीन वर्षों (1999-2000 से 2001-2002 तक) के दौरान हैलकांडी और करीमगंज जिलों सहित इन परियोजनाओं का (परियोजना-वार और वर्ष-वार) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) जिले के सभी माननीय संसद सदस्य, विधान-सभा सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्य, संबद्ध जिले की जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी के शासी निकाय, जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नीति निर्देश मुहैया कराता है, समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं के लिए कार्ययोजनाओं को अनुमोदित करता है और वाटरशेड परियोजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी भी करता है, के सदस्य होते हैं।

विवरण

असम राज्य के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत जारी निधियां

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	जिले का नाम	परियोजना अवधि	कुल क्षेत्र (है. में)	कुल लागत	जारी निधियां			कुल जारी निधियां
					1999-00	2000-01	2001-02	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	नागांव	99-00 से 03-04	12500	500.00	75.00	50.00	0.00	125.00
2.	हेलाकांडी-I	99-00 से 03-04	6649	265.96	39.89	26.05	0.00	65.94
3.	लखीमपुर	99-00 से 03-04	9000	360.00	34.00	56.00	70.58	160.58
4.	करबी आंगलौंग-II	2000-01 से 04-05	12000	720.00	0.00	72.00	27.00	99.00
5.	धेमजी	2000-01 से 04-05	9300	558.00	0.00	55.80	97.66	153.46
6.	जोरहाट	2000-01 से 04-05	5375	322.50	0.00	32.25	56.44	88.69
7.	सोनितपुर	2000-01 से 04-05	6386	383.16	0.00	38.31	67.05	105.36
8.	गोलाघाट	2000-01 से 04-05	12000	720.00	0.00	72.00	27.00	99.00
9.	तिनसुकिया	2000-01 से 04-05	5500	330.00	0.00	33.00	57.76	90.76
10.	कोकराझार	2000-01 से 04-05	11559	693.54	0.00	20.00	168.87	188.87
11.	डिब्रूगढ़	2000-01 से 04-05	11261	675.66	0.00	20.00	165.63	185.63
12.	मोरीगांव	2000-01 से 04-05	12500	750.00	0.00	20.00	83.13	103.13
13.	करीमगंज	2000-01 से 04-05	9000	540.00	0.00	14.60	133.45	148.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	कछार	2000-01 से 04-05	11875	712.50	0.00	10.00	185.05	195.05
15.	धुबरी	2001-02 से 05-06	6000	360.00	0.00	0.00	49.50	49.50
16.	गोलपाड़ा	2001-02 से 05-06	6000	360.00	0.00	0.00	49.50	49.50
17.	दाराग	2001-02 से 05-06	6000	360.00	0.00	0.00	49.50	49.50
18.	शिबसागर	2001-02 से 05-06	6000	360.00	0.00	0.00	49.50	49.50
19.	नालवाड़ी	2001-02 से 05-06	6000	360.00	0.00	0.00	49.50	49.50
20.	दक्षिणी कामरूप	2001-02 से 05-06	6134	368.04	0.00	0.00	50.60	50.60
21.	उत्तरी कछार हिल्स	2001-02 से 05-06	4280	256.80	0.00	0.00	35.31	35.31
22.	बोंगाईगांव	2001-02 से 05-06	5515	330.90	0.00	0.00	45.50	45.50
23.	जोरहाट-II	2001-02 से 05-06	6645	398.70	0.00	0.00	54.82	54.82
24.	बारपेटा	2001-02 से 05-06	5647	338.82	0.00	0.00	46.58	46.58
	उप योग		193126	11024.6	148.89	520.01	1619.93	2288.83

एच आई वी से संक्रमित जवानों को पेंशन

7121. श्री के.पी. सिंह देव: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल के एच आई वी से संक्रमित जवानों को अपनी 10 वर्षों की सेवा पूरी करने के बावजूद इनवैलिड पेंशन पाने का अधिकार है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी पेंशन का लाभ पाने वाले जवानों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या ऐसी पेंशन का लाभ अन्य सेवाओं के जवानों के लिये भी लागू है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्। केन्द्रीय सिविल सेवाएं (पेंशन) नियमावली के नियम 38 के अनुसार अशक्त पेंशन किसी सरकारी कर्मचारी को किसी ऐसी शारीरिक अथवा मानसिक दुर्बलता के कारण सेवानिवृत्त होने पर दी जाती है जो उसे स्थायी रूप से सेवा के लिए अक्षम बना देती है।

(ख) से (घ) यह अशक्त पेंशन अन्य अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों को भी दी जाती है। असम राइफल्स में 1997 से अब तक 20 एच. आई. वी. संक्रमित व्यक्तियों को पेंशन प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

वजीराबाद पुल के समानान्तर एक अतिरिक्त पुल का निर्माण

7122. श्री लाल बिहारी तिवारी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी दिल्ली में यमुना नदी पर वजीराबाद पुल के समानान्तर एक अतिरिक्त पुल तथा गीता कालोनी शवदाह गृह से शांति वन तक पुल का निर्माण कब तक शुरू किये जाने की सम्भावना है और इन पुलों के निर्माण पर कितनी लागत आने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि वजीराबाद पुल के समानांतर एक और पुल बनाने का प्रस्ताव वैचारिक/आयोजना स्तर पर है। कार्य मार्च, 2004 के आसपास शुरू किया जाएगा इस कार्य की लागत करीब 150 करोड़ रु. अनुमानित की गई है।

गीता कालोनी पुल की भी योजना बनाई जा रही है। तथापि एलाइनमेंट को अन्तिम रूप दे दिया गया है तथा कार्य सितंबर, 2003 के आसपास शुरू किया जा सकता है। इस कार्य की लागत करीब 150 करोड़ रु. अनुमानित की गई है।

[अनुवाद]

आन्ध्र प्रदेश के गैर-सरकारी संगठनों से प्रस्ताव

7123. श्री बी.वी.एन. रेड्डी:
डा. मन्दा जगन्नाथ:
श्री राम नाथडू दग्गुबाटि:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान दिया जाता है;

(ख) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश के विशेषकर श्रीकाकुलम जिले में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) वर्तमान में इनमें से कितने प्रस्तावों पर विचार किया गया और कितने प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई;

(घ) शेष प्रस्तावों को अस्वीकृत किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी संगठनों के प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने में कोई उपाय करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) इस मंत्रालय की निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान दिए जाते हैं:

(1) *युवाओं के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को वितीय सहायता:* इस योजना के अंतर्गत, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन तथा युवा गतिशील व्यक्तियों के संवर्ग के आविर्भाव के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुदान प्रदान किए जाते हैं।

(2) *युवाओं को प्रशिक्षण:* इस योजना के अंतर्गत, स्वरोजगार और बेहतर रोजगार को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय आवश्यकताओं और प्रतिभाओं पर आधारित व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(3) *पिछड़ी जनजातियों के युवाओं के बीच युवा संबंधी गतिविधियों के संवर्धन के लिए विशेष योजना:* इस योजना के अंतर्गत, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, युवा नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रमों, राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रमों, अंतर-राज्यीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों, पिछड़े युवाओं के लिए जन जागरूकता पर प्रदर्शनियों एवं कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

(4) *युवाओं के लिए प्रदर्शनी:* इस योजना के अंतर्गत, विभिन्न क्षेत्रों में अपना कौशल एवं सृजनशीलता दिखाने के लिए युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने हेतु युवाओं के लिए प्रदर्शनियों के आयोजन हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

उपर्युक्त चारों योजनाएं अब मिला दी गयी हैं और एक ही योजना में समेकित कर दी गयी हैं नामत: युवा संबंधी गतिविधियों का संवर्धन एवं प्रशिक्षण।

(5) *राष्ट्रीय एकीकरण का विकास:* इस योजना के अंतर्गत, राष्ट्रीय एकीकरण शिविरों तथा अंतर-राज्यीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रमों के आयोजन हेतु केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(6) *साहस का संवर्धन:* इस योजना के अंतर्गत, साहसिक कार्यकलापों के संवर्धन के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(7) *खेल अवस्थापना का सृजन:* इस योजना के अंतर्गत, खेल अवस्थापना के सृजन के लिए अनुदान दिए जाते हैं।

(8) *राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता:* अलग-अलग खेल विधाओं की देख-रेख, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, उन संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों (एन.एस.एफ.) द्वारा की जाती है जो मुख्यत: उपर्युक्त खेल विधाओं के संवर्धन के लिए जिम्मेदार हैं। राष्ट्रीय खेल परिसंघों को भारत में राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों तथा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्टों के आयोजन के लिए, प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन, खेल उपस्करों की प्राप्ति, विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने तथा परिसंघों के संयुक्त/सहायक सचिवों और विदेशी प्रशिक्षकों के वेतन का भुगतान करने के लिए सहायता दी जाती है।

(ख) से (च) पिछले दो वर्षों तथा वर्तमान वर्ष (आज की तारीख तक) के दौरान, आन्ध्र प्रदेश से 448 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें से 93 प्रस्ताव अनुमोदित हो चुके हैं। श्रीकाकुलम जिले से केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था जिसे अनुमोदित कर दिया गया है।

व्यवहार्य प्रस्तावों पर विभागीय सहायता अनुदान समिति द्वारा गुणदोषों के आधार पर विचार किया जाता है।

[हिन्दी]

प्रतिनियुक्ति पर तैनात आईएएस अधिकारियों द्वारा सरकारी आवासों का कब्जा

7124. श्री बीर सिंह महतो: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि प्रतिनियुक्ति पर केन्द्र में तैनात एवं अपने संबंधित राज्यों में वापस भेजे गए आईएएस अधिकारी अभी भी दिल्ली में उन्हें आवंटित सरकारी आवासों में कब्जा जमाये हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन्हें उनके कैडर राज्यों में आवास आवंटित किए जाने के बावजूद दिल्ली के सरकारी आवासों को खाली न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन अधिकारियों से उक्त आवासों को खाली कराये जाने की संभावना है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई कानून बनाने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी हां। अपने राज्यों में लौटने के बाद 37 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों ने दिल्ली में आवंटित आवासों पर अभी भी कब्जा किया हुआ है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त 37 भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों में से 27 को वर्तमान सरकारी नीति/दिशानिर्देशों के तहत स्वीकार्य अवधि के लिए दिल्ली में आवास रखने की अनुमति दी गई हैं। 7 अधिकारियों के संबंध में, दिल्ली में आवास खाली कराने के लिए लोक परिसर अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली कार्यवाही प्रारंभ की गई है। 3 अधिकारियों के बारे में, धारिता/नियमितीकरण के लिए मामला विचाराधीन है।

(च) जी, नहीं। सरकारी आवास के अनधिकृत दखलकारों की समस्या से निपटने के लिए लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत पहले से ही प्रावधान है।

(छ) उपर्युक्त (च) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिल्ली में अभी तक आवंटित आवासों को कब्जे में रखने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	आवास सं.	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	सी. फुनसोंग	डी-I/200, भारती नगर	नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमों के तहत स्वीकार्य अवधि के लिए आवास रखने की अनुमति
2.	रंजन चटर्जी	डी-I/87, रवीन्द्र नगर	
3.	प्रदीप सिंह	डी-I/167, चाणक्य पुरी	
4.	आर.के. वैश	डी-I/199, चाणक्य पुरी	
5.	ए.के. गुहा	डी-I/7, एस.एम. मार्ग	
6.	वी.एन. गौड़	डी-I/77, रवीन्द्र नगर	

1	2	3	4
7.	अजय कुमार	डी-I/103, एस.एम. मार्ग	
8.	एच.वी. लालरिंगा	डी-I/136, चाणक्य पुरी	
9.	राकेश	सी-II/20, बापा नगर	
10.	आर.एस. पांडे	सी-II/30, तिलक लेन	
11.	के.डी. त्रिपाठी	जे-6-1, आर.के. पुरम	
12.	अरविंद रंजन	235, विनय मार्ग	
13.	जयदेव सारंगी	225, विनय मार्ग	
14.	आर.के. वर्मा	362, विनय मार्ग	
15.	अशोक प्रसाद	355, विनय मार्ग	
16.	वी.के. सक्सेना	एन-7-1, आर.के. पुरम	नीति दिशा-निर्देशों के अनुसार नियमों के तहत स्वीकार्य अवधि के लिए आवास रखने की अनुमति
17.	मैथ्यू जॉन	सी-6, तिलक लेन	
18.	एम.डी. मनोहर	71, पंडारा रोड	
19.	ओ.पी. सिन्हा	ए-2758, नेताजी नगर	
20.	दीप चन्द	एम-2801, नेताजी नगर	
21.	एम.जी.वी.के. भानु	सी-I, पंडारा पार्क	
22.	रघु मेनन	ए-9, नानकपुरा	
23.	श्रीमती एन. जयसिलम	133, एशियन गेम्स विलेज काम्पलेक्स	
24.	अनुराग भटनागर	70, पंडारा रोड	
25.	सुरजीत मित्रा	880, लक्ष्मी बाई नगर	
26.	आर.पी. अग्रवाल	2-वाई, हुडको प्लेस	
27.	मुकेश सहाय	217, किदवई नगर (डब्ल्यू)	
28.	बी.एल. निमेश	सी-II/16, बापा नगर	
29.	ए.के. सिन्हा	सी-II/95, मोती बाग	बेदखली कार्यवाही शुरू की गई है।
30.	दिनेश चन्द्र	डी-I/93, चाणक्य पुरी	
31.	श्रीमती उमेश नन्दा	डी-I/180, चाणक्य पुरी	
32.	के.एस. मेहरा	डी-I/64, भारती नगर	
33.	एम विजयामुन्नी	डी-I/37, भारती नगर	
34.	अनिल सिन्हा	ए-8, नानक पुरा	

1	2	3	4
35.	राजीव यादव	बी-40, मोती बाग	धारिता के लिए मामला विचाराधीन।
36.	श्रीमती एस. बनर्जी	798, एशियन गेम्स विलेज कॉम्पलेक्स	नियमितीकरण का मामला लम्बित
37.	जगदीश कृष्णन		सीसीए के लिए लम्बित मामला।

इंजीनियरिंग के छात्रों के लिये पाठ्यक्रम का लागू किया जाना

7125. डा. अशोक पटेल: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी छात्रों को नौकरियां न मिलने की सच्चाई को देखते हुये इंजीनियरिंग के छात्रों को रोजगार प्रदान करने हेतु "मेडिकल इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग" जैसा पाठ्यक्रम लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेजों की पहचान की गई है जिनमें इस पाठ्यक्रम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों ने जैव-प्रौद्योगिकी/जैव-भौतिकी/जैव-इंजीनियरी/मेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन पाठ्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या विकसित की है तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ऐसे विश्वविद्यालयों को इस तरह के पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

[अनुवाद]

जिला योजना समिति

7126. श्रीमती हेमा गमांग: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों में गठित/गठित की जा रही जिला योजना समितियों के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) इन समितियों के लिये वित्त पोषण का पैटर्न क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इनके निमित्त राज्यवार विशेषकर उड़ीसा के संदर्भ में जिलावार कितना धन आवंटित किया गया और वर्ष 2002-2003 के लिये कितना धन आवंटित किये जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) संविधान के अनुच्छेद 243-जेडडी के अनुसार जिले की जिला योजना समिति जिले में पंचायतों और नगर निगमों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करेगी और सम्पूर्ण जिले के लिए विकास योजनाओं का मसौदा तैयार करेगी। इस प्रकार समिति द्वारा सिफारिश की गई विकास योजना को जिला योजना समिति का अध्यक्ष राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(ख) और (ग) भारत सरकार जिला योजना समितियों को निधियां आबंटित नहीं करती है।

उर्वरकों का आयात

7127. श्री सवशीभाई मकवाना: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उर्वरकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में भी उर्वरकों का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन उर्वरकों के आयात पर केन्द्र सरकार द्वारा कुल कितनी राजसहायता दी गई?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। यूरिया एकमात्र ऐसा नियंत्रित

उर्वरक है जिसका आयात सरकारी खाते में आवश्यकता और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अन्तर को कम करने के लिए किया जाता है। डीएपी एवं एमओपी जैसे नियंत्रणमुक्त उर्वरकों का आयात रियायत योजना के मानदण्डों के अधीन प्रचलित बाजार शक्तियों द्वारा शासित होता है। विगत तीन वर्षों के दौरान आयात किए गए प्रमुख उर्वरकों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(लाख मी. टन में)

वर्ष	यूरिया	डीएपी	एमओपी
1999-2000	5.33	32.68	28.98
2000-2001	शून्य	8.60	25.68
2001-2002	2.20	9.33	28.17
2002-2003 (अप्रैल 02 तक)	शून्य	शून्य	1.94

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान यूरिया पर राजसहायता और नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों के आयात पर रियायत के रूप में सरकार द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

अवधि	यूरिया पर भुगतान की गई राजसहायता	नियंत्रणमुक्त फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों पर भुगतान की गई रियायत	योग
1999-2000	74.07	1463.52	1537.59
2000-2001	0.98	1079.00	1079.98
2001-2002	47.32	744.00	781.32

चालू वर्ष (2002-2003) में किए गए आयात के लिए राजसहायता अब तक निर्मुक्त नहीं की गई है।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/ कर्मचारियों के खिलाफ जांच

7128. प्रो. दुर्गा भगत: क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ की जा रही जांच के मामले गत कई वर्षों से लंबित पड़े हुये हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जांच के दायरे में लाये गये कितने मामले हैं और इनमें कितने अधिकारी और कर्मचारी दोषी पाए गये; और

(ग) इनमें ऐसे कितने मामले हैं जो गत एक वर्ष से लंबित पड़े हुये हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि उसके कार्मिकों के खिलाफ की जा रही जांच के कुछ मामले लंबित हैं।

(ख) डीडीए ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान 364 मामलों में विभागीय कार्यवाही शुरू की गई। उक्त अवधि के दौरान 544 कार्मिकों के विभागीय मामलों का निर्णय किया गया जिसमें से 411 कार्मिकों को दोषी पाया गया तथा अनुशासनिक विनियमनों के अन्तर्गत उन पर दण्ड (पेनाल्टी) लगाया गया।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू किए गए 364 मामलों में से 92 मामले एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं।

पुलिस बल में सुधार के लिये "कामनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव"

7129. श्री तूफानी सरोज: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशियएटिव' ने गुजरात में पुलिस बल में सुधार लाने के लिये सरकार से कदम उठाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव ने यह आरोप लगाया है कि गुजरात पुलिस ने राज्य में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार को दी गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) नई दिल्ली स्थित एक गैर-सरकारी संगठन 'कामनवेल्थ

ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव' ने 8 अप्रैल, 2002 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में गुजरात में साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान पुलिस द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार के आरोप लगाए हैं और पुलिस सुधार संबंधी लम्बे समय से लम्बित सिफारिशों को कार्यान्वित करने का सरकार से अनुरोध किया है। गुजरात सरकार ने दंगों से निपटने के लिए किए गए प्रशासनिक उपायों की पर्याप्तता सहित हिंसा की घटनाओं की जांच करने के लिए एक जांच आयोग गठित किया है।

शिक्षकों और प्राचार्यों की नियुक्ति

7130. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने भारत के राजपत्र भाग-3, खंड-4 (संख्या 239, नई दिल्ली, मंगलवार, 4 सितम्बर 2001) में प्रकाशित नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन एक्ट, 1993 (1993 का 73वां) में किये गये संशोधन के संबंध में कोई सुझाव दिया है जिसमें उसने शिक्षकों और प्राचार्यों की समान नियुक्तियों के लिये उक्त अधिनियम में उल्लिखित पात्रता शर्तों (शैक्षिक योग्यता) में छूट देने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) 4.9.2001 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् (शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता हेतु मानदंड एवं मानक) विनियम, 2001 की धारा 7 के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसमें प्रारंभिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम हेतु मानदण्डों एवं मानकों में कुछ छूट देने की मांग की गई है। प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रमों में डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं में शिक्षक तथा प्राचार्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता शर्त (शैक्षिक अर्हता) के संबंध में मांगी गई छूटें निम्न प्रकार हैं:

(*i*) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम से पूर्व नियुक्त किए गए सरकारी सहायता प्राप्त तथा गैर-सहायता प्राप्त डी.एड. कालेजों के मौजूदा स्थायी शिक्षक (प्राचार्य तथा लेक्चरर) और जिनके पास राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के मानदण्डों तथा मानकों के तहत निर्धारित अर्हताएं नहीं हैं, तब तक अपनी मौजूदा अर्हताओं के साथ बने रह सकते हैं जब तक वे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् के मानदण्डों तथा मानकों के अनुसार अर्हताएं प्राप्त नहीं कर लेते।

(*ii*) मानदण्डों तथा मानकों में निर्धारित लेक्चरर हेतु अर्हताओं में से एक अर्हता अच्छे शैक्षिक रिकार्ड के साथ संबंधित स्कूल विषयों में 55% अंकों सहित निष्णात डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.) अथवा शिक्षा स्नातक (बी.एड.)। प्रारंभिक शिक्षा में विशेषज्ञता तथा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक स्कूलों में पांच वर्ष के शिक्षण अनुभव वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। एक प्रबंधन द्वारा प्रबंधित डी.एड. कालेजों में शिक्षक प्रशिक्षकों तथा माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की परस्पर स्थानांतरणीयता के मद्देनजर मान्यता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में शिक्षण अनुभव को भी अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(ग) से (ङ) महाराष्ट्र से प्राप्त प्रस्ताव को राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की पश्चिम क्षेत्रीय समिति को उसकी सिफारिश हेतु भेज दिया गया है, जिसके प्राप्त होने पर इस मामले को परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

[अनुवाद]

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

7131. श्री चन्द्र भूषण सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के क्रियान्वयन हेतु 10,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना हेतु धन के संसाधनों को जुटाने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): (क) से (घ) जी, हां। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के लिए वार्षिक आवश्यकता अनुमानत: 10,000 करोड़ रु. है। योजना के अंतर्गत, राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासकों को प्रतिवर्ष 5000 करोड़ रु. (किफायती मूल्य पर) के लगभग 50 लाख टन खाद्यान्न मुफ्त मुहैया कराए जाने हैं। शेष निधियों (5000 करोड़ रु.) का उपयोग मजदूरी के नकद घटक और सामग्री लागत को पूरा करने के लिए किया जाना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय

द्वारा खाद्यान्नों का भुगतान सीधे भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एस.जी.आर.वाई. के जरिए प्रतिवर्ष मजदूरी रोजगार के लगभग 100 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए जाने की परिकल्पना की गई है।

चालू वर्ष (2002-2003) के दौरान नकद घटक के लिए 5000 करोड़ रु. (केन्द्रीय अंश 3750 करोड़ रु. और राज्य अंश 1250 करोड़ रु.) का बजट प्रावधान किया गया है और खाद्यान्नों के लिए एफ.सी.आई. को भुगतान करने हेतु 690 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है। एफ.सी.आई. को भुगतान करने के लिए शेष राशि चालू वर्ष के लिए बजट के संशोधित अनुमान में उपलब्ध कराए जाने की संभावना है।

चार पहियों वाली गाड़ियों के शीशे से ब्लैक फिल्म का हटाया जाना

7132. श्री बृज भूषण शरण सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने चार पहियों वाली गड़ियों के शीशे से ब्लैक फिल्म को हटाने का अभियान शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चार पहियों वाली गाड़ियों के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगाने पर जुर्माना करने का कोई प्रावधान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कितने मामलों में जुर्माना किया गया है;

(च) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में बलात्कार और अपहरण जैसे अपराधों की घटनाओं में वृद्धि चार पहियों वाली गाड़ियों के शीशों पर लगी ब्लैक फिल्मों की वजह से ही हुई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ज) क्या दिल्ली पुलिस ने इस समय ब्लैक फिल्मों को हटाने का अपना अभियान बंद कर दिया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली, 1989 के नियम 100 के उप नियम (2) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक मोटर वाहन की विंड स्क्रीन और रियर विंडो के शीशे इस प्रकार होगें और इस प्रकार रखे जाएंगे कि उनकी रोशनी की दृश्य पारदर्शिता 70 से कम न हो और साइड विंडो के लिए प्रयुक्त शीशे इस प्रकार होंगे और इस प्रकार रखे जाएंगे कि उनकी रोशनी की दृश्य पारदर्शिता 50% से कम न हो। दिल्ली पुलिस द्वारा इस प्रावधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है।

(ग) और (घ) जी हां श्रीमान्। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार, पहले अपराध के लिए 100 रु. और उसके बाद के अपराधों के लिए 300 रुपए जुर्माना किया जा सकता है।

(ङ) 1 जनवरी, 2000 से अप्रैल, 2002 तक की अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा ऐसे 1,03,209 मामलों में चालान जारी किए गए।

(च) और (छ) 1 जनवरी, 2000 से 30 अप्रैल, 2002 तक की अवधि तक की अवधि के दौरान दिल्ली में इस प्रकार का कोई मामला सूचित नहीं किया गया।

(ज) जी नहीं, श्रीमान्।

(झ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी केन्द्रों में शिक्षक

7133. श्री बाबूभाई के. कटारा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में राज्य-वार कितने आंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे हैं इनमें ऐसे कितने केन्द्र हैं जो समुचित ढंग से काम कर रहे हैं और ऐसे कितने हैं जो समुचित ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या बंद पड़े हैं;

(ख) आंगनवाड़ी केन्द्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के शिक्षकों सहित श्रेणी-वार कितने शिक्षक कार्यरत है;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के मामले में आरक्षण नियमों का अनुसरण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) आंगनवाड़ी केन्द्रों का प्रबन्धन आंगनवाड़ी और कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं द्वारा किया जाता हैं, जो अवैतनिक कार्यकर्ता हैं। आंगनवाड़ी केन्द्रों में शिक्षक नहीं होते।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या (दिनांक 28.2.2002 की स्थिति के अनुसार)	
		स्वीकृत	कार्यात्मक
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	37297	35176
2.	अरुणाचल प्रदेश	2621	1637
3.	असम	10383	9950
4.	बिहार	22645	19887
5.	झारखण्ड	16689	15604
6.	गोवा	1216	1017
7.	गुजरात	37961	30467
8.	हरियाणा	13546	13430
9.	हिमाचल प्रदेश	7123	7069
10.	जम्मू व कश्मीर	9735	9541
11.	कर्नाटक	40170	39897
12.	केरल	25202	22235
13.	मध्य प्रदेश	45565	44462
14.	छतीसगढ़	20289	20045
15.	महाराष्ट्र	46058	44222
16.	मणिपुर	4412	4339
17.	मेघालय	2218	2163
18.	मिजोरम	1341	1341
19.	नागालैण्ड	2586	2581
20.	उड़ीसा	31855	29678
21.	पंजाब	15829	13642
22.	राजस्थान	35710	34474
23.	सिक्किम	500	494
24.	तमिलनाडु	44648	40624
25.	त्रिपुरा	3537	3529
26.	उत्तर प्रदेश	64572	56152
27.	उत्तरांचल	4243	3582
28.	प. बंगाल	56480	44326
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	527	429
30.	चण्डीगढ़	300	300
31.	दिल्ली	3842	3842
32.	दादर व नगर हवेली	125	125
33.	दमन व दीव	87	84
34.	लक्षद्वीप	74	74
35.	पाण्डिचेरी	677	677
	कुल	610063	557095

वृक्षारोपण के लिए बंजर भूमि/वन भूमि का आवंटन

7134. श्री लक्ष्मण गिलुवा: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में फलदार वृक्ष लगाने के लिए बंजर भूमि और वन भूमि के आवंटन की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए धनराशि आवंटित किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील): (क) से (ग) लाभभोगियों की सक्रिय भागीदारी

के साथ बायोमास का उत्पादन करके बंजरभूमि को विकसित करने हेतु नये कार्य आरंभ करने के लिए योजना आयोग द्वारा भूमि संसाधन विभाग को दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

अमरीकी राजदूत के साथ बैठक

7135. श्री चन्द्रेश पटेल:
श्री आदि शंकर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 1 अप्रैल, 2002 को अमरीकी राजदूत ने उनके साथ एक बैठक की थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गयी चर्चा का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका क्या परिणाम निकला;

(घ) क्या आतंकवाद समाप्त किये जाने और पोटो का समर्थन किये जाने के मुद्दे पर चर्चा हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ङ) जी हां, भारत में अमेरिका के राजदूत श्री रॉबर्ट ब्लैकविल ने 1.4.2002 को केन्द्रीय गृह मंत्री से मुलाकात की थी तथा मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर सामान्य चर्चा की थी।

महिला समृद्धि योजना

7136. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान महिला समृद्धि योजना के अंतर्गत कितने खाते खोले गये और उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत डाकघरों में वर्ष-वार कितनी धनराशि जमा की गयी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) की रिपोर्ट

7137. श्री धावरचन्द गेहलोत: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा सरकार को विषयवार और तिथिवार कितनी रिपोर्टें प्रस्तुत की गई;

(ख) सरकार ने उक्त आयोग द्वारा प्रस्तुत की गयी प्रत्येक रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या इनमें से किसी रिपोर्ट में आयोग ने ऐसी कोई टिप्पणी की है जो उसके क्षेत्राधिकार से बाहर है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 की वार्षिक रिपोर्ट क्रमश: 9.11.1999, 29.3.2001 और 31.12.2001 को गृह मंत्रालय में प्रस्तुत की है।

(ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्टों में की गई सिफारिशों पर देश में सभी राज्यों और भारत सरकार के विभागों द्वारा कार्रवाई करना अपेक्षित है। जिन सिफारिशों पर तत्काल निर्णय लिया जा सकता है उन्हें तुरन्त लागू किया जाता है। जिन सिफारिशों के लिए कानूनों में परिवर्तन करना अपेक्षित होता है और जिनके कार्यान्वयन के बारे में बृहत सहमति अपेक्षित होती है उन पर आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ की जाती है। वर्ष 1998-99 और 1999-2000 की वार्षिक रिपोर्टों में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के बारे में एक "की गई कार्रवाई" रिपोर्ट संसद में रखी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्धियां

7138. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों विशेषकर उड़ीसा से पर्यावरण, महिला और बाल परिचर्या के क्षेत्रों में गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं के अंतर्गत वर्षवार और राज्यवार क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

गुजरात में भूकंप पीड़ितों को सहायता

7139. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा गुजरात में विनाशकारी भूकंप की शिकार हुई विधवाओं और अनाथ बच्चों को सहायता और पुनर्वास प्रदान करने के लिए अब तक क्या कदम उठाये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन): गुजरात में 26 जनवरी, 2001 को आए भूकंप से प्रभावित महिलाओं व बच्चों के पुनर्वास के लिए, मलिन एवं बाल विकास विभाग ने 559.00 लाख रुपए की राशि संस्वीकृत की थी, जिसमें से 263.10 लाख रुपए की राशि गुजरात महिला आर्थिक विकास निगम के नाम से निर्मुक्त की गयी। उसके अतिरिक्त, 200 लाख रुपए की राशि राष्ट्रीय बाल कोष के अंतर्गत भी संस्वीकृत की गयी। इस पैकेज के अंतर्गत 200 शिशु-गृहों की स्थापना, 10 नए कामकाजी महिला हास्टलों का निर्माण, 20 अस्थाई हॉस्टलों की एवं 50 अल्पावास-गृहों की स्थापना, नोराड स्कीम के अंतर्गत पारम्परिक/गैर-पारम्परिक व्यवसायों में निर्धन महिलाओं का प्रशिक्षण, महिलाओं एवं बच्चों के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अभिनव कार्यक्रमों हेतु सहायता-अनुदान शामिल थे। स्वैच्छिक व अन्य संगठनों के लिए स्कीमें संस्वीकृत करने की शक्तियां भी राज्य सरकार को प्रत्यायोजित की गयीं थी और कुछ मामलों में, राज्य सरकार के अनुरोध पर, विशेष छूट भी दी गयी। इस विशेष सहायता पैकेज के अलावा, राज्य सरकार 20,000 महिलाओं के लिए एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त-पोषित एक जीविका बहाली परियोजना भी कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त भूकंप से क्षतिग्रस्त हुई आई.सी.डी.एस. अवसंरचना की पुनर्स्थापना की गयी तथा धात्री देखभाल प्रणाली के जरिए अनाथ बच्चों की देखभाल की गयी।

[अनुवाद]

पुलिस में भारतीय महिलाएं विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन

7140. श्री एम. चिन्नासामी:
श्री रामदास रुपला गावीत:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में पुलिस में भारतीय महिलाएं विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सम्मेलन में राज्यवार कितनी महिला पुलिसकर्मियों ने भाग लिया;

(ग) इस सम्मेलन में कौन-कौन से मुख्य मुद्दों पर चर्चा की गयी; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सम्मेलन में निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया:

- पुलिस सेवाओं में महिलाओं को 33% प्रतिनिधित्व/भर्ती।
- पुलिस में महिलाओं के लिए फोरम गठित करना।
- भर्ती और काम में समान अवसर।
- पुलिस में महिलाओं के लिए न्यूनतम सुविधाएं।

(घ) "पुलिस" राज्य का विषय है, अत; राज्यों द्वारा सिफारिशों की जांच करने और उन पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय, पुलिस में महिलाओं को और अधिक प्रतिनिधित्व देने को प्रोत्साहित करने के लिए राज्यों को सलाह देता रहा है। पुलिस थानों और यूनिटों में पुलिस महिला कार्मिकों के लिए आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं सृज्जित करने के लिए राज्य-पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अर्न्तगत सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम		भाग लेने वालों की संख्या
1		2
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	02
2.	आन्ध्र प्रदेश	12
3.	असम	09
4.	छत्तीसगढ़	04
5.	दादरा और नगर हवेली	01
6.	दमन और दीव	04

1		2
7.	दिल्ली	25
8.	गुजरात	06
9.	हरियाणा	06
10.	हिमाचल प्रदेश	10
11.	जम्मू और कश्मीर	11
12.	कर्नाटक	09
13.	केरल	03
14.	कोलकाता	05
15.	मध्य प्रदेश	16
16.	मेघालय	06
17.	नागालैंड	08
18.	पांडिचेरी	04
19.	पंजाब	14
20.	राजस्थान	08
21.	सिक्किम	12
22.	तमिलनाडू	10
23.	त्रिपुरा	02
24.	उत्तर प्रदेश	10
25.	उत्तरांचल	03
26.	पश्चिम बंगाल	05
	कुल	205

नगरपालिकाओं/नगर पंचायतों को धन

7141. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमिगत जल-मल व्ययन सुविधा प्रदान करने हेतु नगरपालिकाओं/शहरी पंचायतों को धनराशि प्रदान करने की कोई योजना हैं क्योंकि विभिन्न राज्यों विशेषकर तमिलनाडू में कई नगरपालिकाओं में इस सुविधा का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2002-2003 के दौरान इन कार्यों के लिए राज्यवार वास्तव में कितनी धनराशि प्रदान किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) जल आपूर्त्ति और सफाई राज्य का विषय है। इसलिए शहरी जल आपूर्त्ति/सफाई स्कीमों की योजना, डिजाइन बनाने, कार्यान्वित, प्रचालित तथा रखरखाव करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/शहरी स्थानीय निकायों पर है। नगर पालिकाओं/कस्बा पंचायतों में भूमिगत जल निकासी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इस मंत्रालय द्वारा अभी कोई विशेष केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। तथापि छोटे तथा मझोले कस्बों का एकीकृत विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के अर्न्तगत राज्य द्वारा शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित कस्बे परियोजना के एक घटक के रूप में जल निकासी स्कीम शुरू कर सकते हैं।

देवदासी प्रथा को समाप्त किया जाना

7142. श्रीमती रेणूका चौधरी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि कई राज्यों में लाखों दलित महिलाओं को देवदासी प्रथा में जबरन धकेला जा रहा है जैसा कि दिनांक 22 अप्रैल, 2002 के 'द पॉयनीयर' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में इस प्रथा के प्रचलन के संबंध में कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हां, तो इसका राज्यवार क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या वर्ष 1981, 1991 और 2001 की जनगणना में देवदासियों के रूप में कार्यरत ऐसी महिलाओं की किसी संख्या के संबंध में किसी आंकड़े की जानकारी मिली है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस प्रथा को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ भागों में प्रचलित देवदासी प्रथा पर कानूनी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बावजूद, ऐसी कुछ रिपोर्टें हैं कि चोरी छिपे भगवान के प्रति समर्पण की भावना बनी हुई है।

(ग) से (छ) भारत सरकार ने देवदासियों के संबंध में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है क्योंकि यह समस्या स्थानीय स्वरूप की है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में देवदासियों के बारे में सर्वेक्षण किए हैं। इन सर्वेक्षण से पता लगी देवदासियों (जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में जोगिन/बासिव/पार्वती भी कहा जाता है) की संख्या निम्न प्रकार से है:

1.	आन्ध्र प्रदेश	16,624
2.	कर्नाटक	15,489
3.	महाराष्ट्र	5,496

तीन राज्यों में देवदासी प्रथा को (*i*) आन्ध्र प्रदेश देवदासी (समर्पण का निषेध) अधिनियम, 1988 (*ii*) कर्नाटक देवदासी (समर्पण निषेध) अधिनियम, 1987 और (*iii*) महाराष्ट्र देवदासी (उन्मूलन और पुनर्वास) अधिनियम, 2001 के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है।

देवदासियों के पुनर्वास के लिए इन राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित कल्याण योजनाएं चलायी जा रही हैं:

1. आन्ध्र प्रदेश

1. 10,000 रु. के फिक्स डिपाजिट का आर्थिक पैकेज, जिसमें जोगिनों को जीवन यापन के लिए मासिक ब्याज दिया जाता है।
2. आई.ए.वाई. के अन्तर्गत कमजोर वर्गों के लिए आवास के तहत एक मकान।
3. समाज कल्याण रिहायशी स्कूलों और हास्टलों में बच्चों का दाखिला।
4. सफेद राशन कार्ड उपलब्ध कराना; और
5. डी और डी ए के माध्यम से भूमि खरीद योजना, दुधारू पशु और अन्य लघु व्यापार के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।

2. कर्नाटक

1. विभिन्न व्यवसायों जैसे हथकरघा, बुनाई, अगरबत्ती बनाना और सिलाई आदि के विभिन्न पाठयक्रमों के माध्यम से 18-25 वर्ष की आयुवर्ग की हृष्ट-पुष्ट देवदासियों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण। इसे बाद में विभिन्न ट्रेडों में औद्योगिक सहकारी इकाइयां स्थापित करने के बाद विपणन केन्द्रों से जोड़ा जाता है।
2. सामाजिक और नैतिक शिक्षा प्रदान करना।
3. अनुसंधान और समन्वय पर बल देते हुए स्वास्थ्य सेवा।
4. देवदासियों के बच्चों को आवासीय स्कूलों में प्रवेश।

3. महाराष्ट्र

1. लगभग 40 वर्ष के आयु की उन देवदासियों को 300 रु. प्रतिमाह की दर से पेंशन जिनकी वार्षिक आय 15000 रुपए से कम हो।
2. अविवाहित देवदासी या देवदासी की पुत्री के विवाह के लिए 10,000 रु. की वित्तीय सहायता।
3. आर्थिक पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण केन्द्र।
4. देवदासियों के बच्चों के लिए छात्रावास/प्रति बालक प्रतिमाह 500 रु. की सहायता अनुदान।
5. बच्चों के लिए मुफ्त स्कूली शिक्षा और मुफ्त यूनिफार्म।
6. 35000 रूपए तक के बैंक ऋण पर उद्यमियों के लिए 25% बीज पूंजी।

जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए वित्तीय सहायता

7143. चौ. तालिब हुसैन: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू-कश्मीर को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1990-91 से अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी; और

(ख) राज्य में अनुसूचित जनजातियों के संख्या के अनुसार पर्याप्त धनराशि प्रदान न करने के क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) जम्मू व कश्मीर को 1990-91 से निर्मुक्त की गई वित्तीय सहायता विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) जम्मू और कश्मीर राज्य को निर्मुक्त की गई योजनाओं अर्थात् जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता और अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान राज्य की अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या पर आधारित है, जबकि अन्य योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त किए गए अनुदानों का आधार जम्मू व कश्मीर सरकार से प्राप्त प्रस्ताव है।

विवरणों

जम्मू व कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए वर्ष-वार निर्मुक्तियां दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	योजना	वर्ष-वार निर्मुक्तियां											
		1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01	2001-02
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	200	245.98	296.14	518.6	550.63	756.64	681.54	521.8	739.22	776.38	771.38	971.94
2.	अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुदान		6.84	56.4	105.75	95.25	75.25	95.25	131.75	63.5	124.02	190.5	502.94
3.	लड़कियों के छात्रावास						24.05						
4.	लड़कों के छात्रावास				5.97	86.02	12.7	17.22					
5.	व्यावसायिक प्रशिक्षण									9.125		6.18	10.07
6.	मैट्रिकोत्तर छात्रवृति	5.944		0.092	11.544	26.3	44.35	24.2	14.9	27.31	12.06		39.03
7.	कोचिंग और संबद्ध योजना*		2	0.5	0.5						0.251		
8.	पुस्तक बैंक*		0.77	0.8	0.13	1.59	2.91		6	6			
9.	प्रतिमा का उन्नयन							1.47					
10.	अनु ज. के कल्याण के लिए गैर सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान								18.49	47.62	33.81	42.31	38.55

*सहायता अनुदान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों दोनों के लिए निर्मुक्त किया गया था क्योंकि 1999-2000 तक योजना अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सांझी थी।

यात्री बसों में गति नियन्त्रक लगाया जाना

7144. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली यातायात पुलिस को सभी यात्री बसों में इलैक्ट्रॉनिक गति नियंत्रक लगवाने के निर्देश दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस आदेश को अक्षरश: कार्यान्वित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपराधिक रिट संख्या 906/2002 में अपने दिनांक 16 अक्टूबर, 2001 के आदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग को इस तथ्य का समुचित प्रचार करने के निर्देश दिए थे कि तिपहिया वाहनों, मोटर-कैबों और अन्तर्राज्यीय तथा राष्ट्रीय परमिट वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले परिवहन वाहनों पर इलैक्ट्रानिक स्पीड गवनर्स लगाने आवश्यक है।

(ख) और (ग) दिल्ली परिवहन निगम की 100 बसों और स्टेज कैरिज तथा कॉंट्रैक्ट की अन्य 320 बसों में इलैक्ट्रिक स्पीड गवनर्स लगा दिए हैं।

आई.डी.पी.एल. का पुनरूद्धार

7145. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ओर से आई.डी.पी.एल., हैदराबाद का पुनरुद्धार करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आई.डी.पी.एल. का हैदराबाद का पुनरुद्धार करने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कुछ वित्तीय प्रोत्साहनों की पेशकश भी की है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त इकाई के पुनरुद्धार कार्य को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) हैदराबाद स्थित इकाई, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (आई डी पी एल) की इकाइयों में एक है। आई डी पी एल एक रूग्ण कंपनी है जो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) को संदर्भित है। बी आई एफ आर को नवम्बर, 2001 में निम्नलिखित रियायती/सुविधाओं की सूचना देते हुए आई डी पी एल के तुलन-पत्र के परिमार्जन के लिए इस आशय का एक पत्र भेजा गया है कि सरकार, सामरिक भागीदार को शामिल करके इसके निजीकरण को सुकर बनाना चाहती है:

(1) सरकारी ऋण को इक्विटी में परिवर्तित करना।

(2) भारत सरकार द्वारा ब्याज/दांडिक ब्याज और गारंटी शुल्क की माफी।

(3) सांविधिक बकाया देनदारियों का भुगतान और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का वित्तपोषण।

विद्युत उत्पादन के लिए प्रारंभिक अध्ययन

7146. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री राम मोहन गाड्डे:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ए.पी.टी.आर.ए.एन.एस.सी.ओ. (एप्ट्रेनस्को)/आन्ध्र प्रदेश सरकार ने मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और मैसर्स इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के विशेषज्ञों की सहायता से प्रारंभिक अध्ययन कराया है ताकि विद्युत उत्पादन के लिए भारतीय उर्वरक निगम, रामागुंडम, में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने की व्यवहार्यता संबंधी रिपोर्ट तैयार की जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से लागत, वित्तीय अर्थक्षमता और परियोजना की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक विस्तृत तकनीकी-आर्थिक अध्ययन कराने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): (क) और (ख) ए.पी.टी.आर.ए.एन.एस.सी.ओ. (एप्ट्रेनस्को) ने मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के विशेषज्ञों की सहायता से विद्युत उत्पादन के लिए भारतीय उर्वरक निगम (एफ सी आई), रामागुंडम में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करने की व्यवहार्यता पर एक प्रारंभिक अध्ययन कराया है।

(ग) जी, हां।

(घ) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन अपीलीय प्राधिकरण ने हाल ही में एफ सी आई को बन्द करने के औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड के विचार को उच्च न्यायालय में ले जाने संबंधी निर्णय के विरुद्ध एफ सी आई की अपील को खारिज कर दिया है। इस संबंध में, इस परिस्थिति में कोई अध्ययन कराना विवेकपूर्ण नहीं होगा।

छात्रावासों के निर्माण के लिए कर्नाटक को अनुदान जारी किया जाना

7147. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री शशि कुमार:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने दिनांक 8.9.2000 को केन्द्र सरकार को केन्द्र प्रायोजित योजना से मैट्रिक-पूर्व के अनुसूचित जनजाति के बालकों-बालिकाओं के छात्रावासों के निर्माण के लिए 50% अनुदान जारी करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्नाटक सरकार ने वर्ष 2000-2001 के दौरान 230 लाख रुपए की अनुमानित लागत और 115 लाख रुपए के केन्द्रीय अनुदान से सात बालिका छात्रावासों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार से चालू वर्ष के दौरान सात अनुसूचित जनजाति छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए 115 लाख रुपए के अपने हिस्से को जारी करने का आग्रह किया गया था;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस राशि को स्वीकृति प्रदान कर इसे जारी कर दिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो धनराशि को कब तक स्वीकृत किये जाने और कितनी धनराशि जारी किये जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम): (क) और (ख) जी, हां। कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने 8.9.2000 के पत्र के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय के पास जनजातीय छात्रों के लिए 7 छात्रावासों (5 लड़कों के 2 लड़कियों के) के निर्माण के लिए 230 लाख रुपए की कुल लागत का प्रस्ताव भेजा था और अनुरोध किया था कि इसमें से 50% धनराशि अर्थात् 115 लाख रुपए उन्होंने केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान के रूप में निर्मुक्त की जाए।

(ग) और (घ) कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्ताव पर, उनसे कुछेक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात् कार्रवाई की गई थी और मंजूरी आदेश दिनांक 24.3.2001 और 19.12.2001 के तहत 115.00 लाख रुपए की धनराशि निर्मुक्त की जा चुकी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण विकास में भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

7148. डा. बी.बी. रमैया : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विकास और योजना में भौगोलिक सूचना प्रणाली/भू-स्थित प्रणाली का उपयोग करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत की तुलनात्मक ग्रामीण विशिष्टताओं, सामर्थ्यों और जरूरतों की मानचित्र बनाने का प्रयास किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भौगोलिक सूचना प्रणाली/भू-स्थित प्रणालियों के ग्रामीण समुदायों के लिए कई अनुप्रयोग हैं, जिनका उनके संसाधनों के बेहतर प्रबंधन, भूमि प्रयोग योजना, कृषि योजना, ग्रामीण बुनियादी सुविधा स्थल आदि के लिए निर्णय सहायक प्रणाली के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जिला स्तर पर एकीकृत ग्रामीण विकास योजना की सूचना आवश्यकता का मूल्यांकन करने के बाद, एक स्वदेशी भौगोलिक सूचना प्रणाली-जियों-रेफरेंस्ड एरिया मैनेजमेंट (जी आर ए एम ++) पैकेज का विकास किया गया है और इसे मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा पश्चिम बंगाल के प्रमुख जिलों में प्रदर्शित किया गया है। अन्य प्रौद्योगिकियों जैसे एयर-बॉर्न लेजर टोपोग्राफिक मेपिंग (ए एल टी एम) तथा सिंथेटिक अपार्चर रडार (एस ए आर) इंटरफेयरोमिट्री के प्रयोग की खोज की जा रही है। ये सभी प्रयास ग्रामीण समुदायों को उनके तुलनात्मक हितों, क्षमताओं के प्रयोग की खोज की जा रही है। ये सभी प्रयास ग्रामीण समुदाओं को उनके तुलनात्मक हितों, क्षमताओं एवं आवश्यकताओं का पता लगाने में सहायता करेंगे।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

7149. श्री एन.टी. षणमुगम : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके मंत्रालय और उसके अंतर्गत आने वाले उपक्रमों के श्रेणीवार/पदवार कितने अधिकारियों ने स्वैच्छिक सेवा की मांग की;

(ख) ऐसे अधिकारियों को क्या लाभ प्रदान किए गए हैं; और

(ग) आज की तिथि के अनुसार स्वीकृति के लिए कितने आवेदन लंबित पड़े हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) का कार्य निष्पादन

7150. श्री रामजी मांझी : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 अप्रैल, 2002 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एम.सी.डी. हैज फेल्ड टु परफार्म इट्स

प्राइमरी फंक्शन्स: सी.ए.जी.'' शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या एम.सी.डी. द्वारा दो मूलभूत कार्यों को करना होता है अर्थात् अनधिकृत निर्माण को रोकना और शहर को साफ रखना;

(घ) यदि हां, को क्या एम.सी.डी. इन दोनों मौलिक कर्त्तव्यों के निर्वहन में विफल रहा है;

(ङ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या निंयत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1996-2000 के बीच अनधिकृत निर्माण पांच गुना बढ़ गया है;

(छ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन मौलिक को पूरा करने में विफल रहने वालों पर उत्तरदायित्व/जिम्मेदारी निर्धारित करने का है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(झ) क्या सरकार का विचार सरकारी भूमि के सभी अनधिकृत निर्माणों और अतिक्रमणों को हटाने और शहर को साफ-सुथरा रखने का है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी हां।

(ख) मामले का संबंध दिल्ली नगर निगम के दो मूलभूत कार्यों, अर्थात् अनधिकृत निर्माण को रोकना और शहर साफ रखना, के निष्पादन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट से है।

(ग) से (ङ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इन दोनों के अलावा इसके पास अन्य अनिवार्य कार्य भी है उसने सूचित किया है कि वह अपने मूलभूत कार्य प्रभावी ढंग से निष्पादित कर रहा है।

(च) से (ज) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि अनधिकृत निर्माण में वृद्धि विभिन्न कारणों से हुई है जिसमें दिल्ली में बड़ी तादाद में बाहर से लोगों का आना भी एक कारण है। तथापि, अनधिकृत निर्माण की विकट समस्या से निपटने के लिए वह आवश्यक उप-नियमों को लागू करने के पूरे प्रयास कर रहा है। यदि ऐसे किसी अधिकारी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है जो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में लापरवाही बरत रहा हो, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

(झ) और (ञ) अनधिकृत निर्माण का पता लगाना और उसके विरुद्ध कार्रवाई करना एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया और संगत कानूनों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

सम्पत्ति कर बिलों की समीक्षा

7151. श्री शीशराम सिंह रवि : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मूल्यांकन और संग्रहण विभाग के सभी संभागों द्वारा पूरी दिल्ली में सम्पत्ति स्वामियों को जारी किये गये सभी संपत्ति कर बिलों की समीक्षा का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है सभा पटल पर रख दी जायेगी।

प्रायोगिक परियोजना हेतु पुनर्सर्वेक्षण

7152. श्री अम्बरीश : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार से राज्य के तालुकों में पुर्नसर्वेक्षण के लिए एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ करने और इस उद्देश्य के लिए अनुदान जारी करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) जी हां।

(ख) कर्नाटक सरकार ने एक तालुक में पुनर्सर्वेक्षण के लिए 9.00 करोड़ रुपये की कुल लागत पर दो वर्षों में पूरा की जाने वाली एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। परियोजना को एक वर्ष में पूरा करने हेतु संशोधित लागत 12.15 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था।

(ग) राज्य सरकार के प्रस्ताव पर राजस्व प्रशासन को सुदृढ़ बनाने तथा भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने को योजना (एस.आर.ए. एण्ड यू.एल.आर.) के अन्तर्गत तकनीकी समिति द्वारा 10.8.2000 को हुई इसकी बैठक में विचार किया गया था। समिति मे प्रायोगिक परियोजना को सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया था। तथापि, यह निर्णय लिया गया था कि प्रायोगिक परियोजना को स्वीकृति दिए जाने से पूर्व राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राज्य में सोपानबद्ध रूप में पुर्नसर्वेक्षण का कार्य आरंभ करने के लिए निधियों की कुल आवश्यकता सहित एक विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की जानी चाहिए। ग्रामीण विकास मंत्रालय में यह कार्य योजना प्राप्त नहीं हुई है।

आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं का विकास चार्ट

7153. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री शशि कुमार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से दिनांक 7.8.2000 की संदर्भ संख्या डी.डब्ल्यू.सी./आई.सी.डी./यू.एन.आई.-2/94-95 के अंतर्गत आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं में विकास की निगरानी करने के लिए विकास चार्ट प्रदान किये जाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस चार्ट को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) संदर्भाधीन प्रस्ताव प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। तथापि, विकास चार्ट केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान नहीं किये जा रहे हैं।

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डी.एस.एस.एस.बी.) में जातिगत लाभ

7154. श्री एम.के. सुब्बा : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार से प्रमाणपत्र प्राप्त अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवार दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डी.एस.एस.एस.बी.) द्वारा चयन के संदर्भ में जातिगत लाभों का दावा करने के पात्र नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे चयन के सन्दर्भ में जातिगत लाभ प्रदान न किये जाने के क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 341 में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा सूचना ऐसी जातियों नस्लों या जनजातियों को विशेष निर्दिष्ट कर सकता है जोकि संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, जैसी स्थिति हो, अनुसूचित जातियां मानी जाएंगी। तद्नुसार, राष्ट्रपति ने दिल्ली के संबंध में अनुसूचित जातियों को अधिसूचित किया है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत सिविल पदों पर नियुक्ति हेतु उन्हें आरक्षण का लाभ दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 342 में ऐसा ही एक उपबंध अनुसूचित जनजातियों के संबंध में है। तथापि, राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में अनुसूचित के रूप में किन्ही जनजातियों के रूप में किन्ही जनजाति समुदायों को अधिसूचित नहीं किया गया है।

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 16(4) के उपबंधों के अनुसार की गई है जो नागरिकों के किसी भी ऐसे पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए प्रावधान करने के लिए राज्य को असमर्थ बनाता है जिसे राज्य के विषय में, राज्य के अंतर्गत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने ऐसे पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित किया है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत ऐसे पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण का लाभ ऐसे पिछड़े वर्गों के सदस्यों को उपलब्ध है।

तकनीकी शिक्षा में परिवर्तन

7155. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार तकनीकी शिक्षा में परिवर्तन और तकनीकी संस्थाओं की स्थापना के मानदंड और मानकों में भारी परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा तैयार की गयी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर परिवर्तन किये जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय ले लिये जाने की संभावना है और इस संबंध में ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तकनीकी संस्थाओं हेतु मानकों एवं मानदण्डों के पुनरीक्षण के लिए एक समिति गठित की थी। समिति ने अपनी सिफारिशें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को प्रस्तुत कर दी हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् आगे आवश्यक कार्रवाई हेतु मंत्रालय इसकी जांच करेगा।

विलय संबंधी प्रपत्र

7156. श्री सुनील खां : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत का स्वतंत्रता के समय भारत और ब्रिटेन के बीच हस्ताक्षर किए गए विलय संबंधी प्रपत्रों का सही ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसा एक खंड है कि इसे स्वतंत्रता के पचास वर्षों के पश्चात सार्वजनिक किया जाना था;

(ग) इसे अब तक सार्वजनिक न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या आई.एन.ए. को इसकी उचित मान्यता प्रदान नहीं की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या पचास वर्षों का समय बीत जाने के बाद भी आई.एन.ए. को अपने देश में एक स्मारक स्थापित करने के लिए मना कर दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) आजादी के समय भारत और ब्रिटेन के बीच किसी विलय संबंधी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। भारत को आजादी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 से मिली जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था की गई थी कि 15 अगस्त, 1947 से भारत के नाम से जाने जाना वाला एक स्वतंत्र राज्य होगा, और भारत सरकार अधिनियम, 1935 ऐसे विलोपन, संयोजन, अनुकूलन और संशोधनों के अनुसार, जैसा कि गर्वनर जनरल आदेश द्वारा निर्दिष्ट करें, भारत के राज्य क्षेत्र पर लागू होगा। भारत सरकार अधिनियम, 1935 जिस रूप में इसे गर्वनर जनरल द्वारा स्वीकृत किया गया है, में यह प्रावधान है कि भारत का कोई राज्य उसके तत्कालीन शासक द्वारा निष्पादित किए गए 'विलय संबंधी दस्तावेज' द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र में मिल सकता है। इस प्रकार 'विलय संबंधी दस्तावेज' भारतीय राज्यों का भारत के राज्य क्षेत्र में विलय के लिए था।

(घ) से (छ) भारत सरकार ने आजाद हिन्द फौज द्वारा किए गए योगदान को विधिवत मान्यता प्रदान की है। आजाद हिन्द फौज के वे सदस्य, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लिया और युद्ध बंदियों/कैम्प नजर बंदियों आदि के रूप में जेल की सजा काटी या जिन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अपनी नियमित नौकरी गवाई, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पैंशन योजना के अधीन पैंशन प्राप्त करने के पात्र है। योजना के अधीन अब तक आजाद हिन्द फौज के 22,466 कार्मिकों/उनके पात्र आश्रितों को पैंशन प्रदान की गयी है। आजाद हिन्द फौज के युग की याद में भारत ने लाल किला, दिल्ली में अपने संग्रहालय, स्वतंत्रता संग्राम-जिसका उद्घाटन 2 अक्तूबर, 1995 को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, में एक पूरी गैलरी समर्पित की है।

अनुकंपा के आधार पर रोजगार

7157. श्री अमर राय प्रधान : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उनके विभाग में वर्ष-वार कितने अधिकारियों की मृत्यु उनके सेवाकाल के दौरान हुई;

(ख) अनुकंपा के आधार पर कितने योग्य आश्रितों को उचित रोजगार प्रदान किया गया है;

(ग) कितने योग्य आश्रितों को अब तक अनुकंपा के आधार पर रोजगार प्रदान किया गया है;

(घ) मृत अधिकारियों के ऐसे योग्य आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर कब तक रोजगार प्रदान किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में कार्यरत किसी भी अधिकारी की मृत्यु नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आई.सी.एच.आर.)

7158. श्री सुबोध मोहिते : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आई.सी.एच.आर.) द्वारा बड़ी परियोजनाओं के नाम पर अपने सदस्यों को प्रदान की गयी अनुदान राशि का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या आई.सी.एच.आर. को धन के कुप्रबंधन के संबंधित कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) विगत 2 वर्षों के दौरान तीन प्रमुख विद्वानों, जो परिषद के सदस्य भी थे, को सौंपी गई विशेष परियोजनाओं के लिए भारतीय अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

विगत 2 वर्षों के दौरान तीन प्रमुख विद्वानों, जो परिषद के सदस्य भी थे, को सौंपी गई विशेष परियोजनाओं के लिए भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद द्वारा प्रदान किए गए अनुदानों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	विशेष परियोजना का नाम	अवैतनिक निदेशक का नाम	सम्बद्ध संस्था जिसके माध्यम से अनुदान दिए गए	संस्वीकृत राशि (लाख रु. में)	संस्वीकृत राशि (लाख रु. में)	परियोजना की स्थिति
1.	प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में मृत्तिका-भाण्ड	स्वर्गीय प्रो. बी. पी. सिन्हा (3 मई, 2002 को देहावसान)	के.पी. जायसवाल, अनुसंधान संस्थान बिहार सरकार, पटना	8.00	1.09	जारी
2.	पुरातत्व विज्ञान और परम्परा : भारत-यूरोपीय और भारत-आर्य भाषाओं एवं पुरातत्व-विज्ञान का अध्ययन	प्रो. डी.एन. त्रिपाठी	भारतीय परम्परा अध्ययन केन्द्र, मधुबनी (बिहार)	16.11	4.37	जारी
3.	पश्चिम भारत के फारसी/जोराष्ट्रियन धार्मिक महत्व के स्थलों का ऐतिहासिक एवं पुरातत्वीय अध्ययन	प्रो. मणी कामेरकर	भारतीय पुरातत्वीय सोसायटी, नई दिल्ली	6.42	4.57	जारी

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत आबंटित धन का अन्यत्र उपयोग

7159. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) के अंतर्गत आबंटित की गयी धनराशि के अन्यत्र उपयोग की कोई घटना केन्द्र सरकार के ध्यान में आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण क्या हैं; और

(ग) एस.जे.एस.आर.वाई. के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने में आने वाली समस्याओं का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने अपनी मसौदा समीक्षा रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि राज्यों द्वारा 3582.86 लाख रुपये अन्य क्रियाकलापों के लिए अंतरित डाईबर्ट किए गए थे। उनके राज्यवार ब्यौरे विवरण में सलंग्न हैं। इस संबंध में मामले को संबंधित राज्यों/संघ प्रदेशों के साथ पहले ही उठाया जा चुका है। कुछेक राज्यों मे सूचित किया है कि यह अंतरित धनराशि वापस ले ली गई है। कुछ अन्य राज्यों ने सूचित किया है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं और अनुदेशों को भविष्य में सख्ती से पालन करने हेतु नोट कर लिया गया है।

(ग) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत लक्ष्यों को राज्य सरकारों द्वारा स्कीम के दिशानिर्देशों तथा लाभार्थी सर्वेक्षणों के परिणाम के अनुसार तय किया जाना है। तथापि, मुख्य समस्या बैंकरों से अपर्याप्त सहयोग की है, जिनकी स्कीम के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका है।

विवरण

(क) कार्यक्रम से असंबद्ध अन्य कार्यकलापों की धनराशि का अन्यत्र उपयोग

(लाख रुपये में)

राज्य	जिला	स्कीम	वर्ष	राशि	वे कार्यकलाप जिनके लिए धन का अन्यत्र उपयोग किया गया
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	एसजेएसआरवाई	1998-99	2.76	कार्यालय उपकरणों की खरीद
असम	गुवाहटी	एनआरवाई/एसजेएसआरवाई	अप्रैल, 92 से फरवरी, 2000	182.95	टेलीफोन और बिजली बिलों का भुगतान, वाहनों का खरीद, वातानुकूलन आदि की खरीद
बिहार	सूडा	एनआरवाई/एसजेएसआरवाई	1995-96 से 2000	78.09	सोफासेट की खरीद, ट्रेक्टर की चेयर की मरम्मत, अध्यक्ष के चेम्बर बैंडमेंटन हॉल आदि का निर्माण
हिमाचल प्रदेश	सुंदरनगर	एन आर वाई	1996-97	3.19	कर्मचारी व मजदूरों के वेतन
हिमाचल प्रदेश	मंडी	एसजेएसआरवाई	1999	6.98	कर्मचारी व मजदूरों के वेतन
जम्मू और कश्मीर	8 शहरी स्थानीय निकाय	एनआरवाई/इएमआईयूपीईपी	1998-99 से 2000	109.25	वाहनों, कैमरा, कम्प्यूटर की खरीद टेलीफोन बिल, कलर टी वी आदि पर भुगतान
कर्नाटक	5 कार्यान्वयन एजेंसियां	एनआरवाई/एसजेएसआरवाई	1992-93 से 1996-97	164.79	निगम कार्यकलापों के लिए

1	2	3	4	5	6
केरल	शहरी स्थानीय निकाय	यूपीए	1996-99	25.50	कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए
महाराष्ट्र	बाम्बे नगर निगम (बीएमसी)	एनआरवाई	1998	10.50	वेतन और भत्ते, एल टी सी आदि के भुगतान के लिए
महाराष्ट्र	एम सी खालकरांजी	एसजेएसआरवाई	1999-2000	115.00	बोनस और ठेकेदारों के बिलों के भुगतान पर खर्च के लिए
मणिपुर	इम्फाल	एनआरवाई/एसजेएसआरवाई	1995-2000	44.84	वेतन और भत्ते, दो कारों की खरीद और अन्य प्राधिकरणों को अग्रिम के लिए (3 लाख रुपये)
मेघालय	तूर	एमआरवाई	1995-98	6.58	स्टाफ को वेतन के भुगतान के लिए
मिजोरम	अजवाल	एनआरवाई	1997	3.39	जिप्सी कार की खरीद
मिजोरम	अजवाल	एसजेएसआरवाई	1998-99	5.79	वाहनों की खरीद
नागालैंड	कोहिमा	पीएमआईयूपीईपी	1997-98	5.00	कम्प्यूटर की खरीद (4 लाख)- क्वार्टरों की मरम्मत-1 लाख
उड़ीसा	भुवनेश्वर (14 यूएल बीएस)	एसजेएसआरवाई/एनआरवाई और पीएमआईयूपीईपी	1998-2000	157.06	वेतन के भुगतान तथा अन्य म्यूनिसिपल खर्चों के लिए
उड़ीसा	4 शहरी स्थानीय निकाय	यूईजीपी	3/97 से 2/2000	16.16	बिजला के सामान, मोटर वाहन की खरीद, मृदा परीक्षण आदि के लिए
पंजाब	फिरोजपुर	एसजेएसआरवाई	1998	16.00	एमसीडी स्टाफ को वेतन एवं भत्ते (म्यूनिसिपल समिति)
पंजाब	फिरोजपुर	एसजेएसआरवाई	1999	3.54	अम्बेसडर वाहन की खरीद
राजस्थान	अजमेर, भीलवाड़ा, बीकोनेर, जोधपुर, पाली और उदयपुर	एनआरवाई	1995-96 1997-98	71.89	अन्य घटक
राजस्थान	जयपुर	पीएमआईयूपीईपी	1999	5.50	फैक्स मशीन, कूलर, फोटोकॉपियर आदि की खरीद
सिक्किम	गंगटोक	एनआरवाई/पीएमआईयूपीईपी	1996-98	12.07	3 वाहन खरीदे
त्रिपुरा	अगरतला	एनआरवाई/एसजेएसआरवाई	1995-96 से 1999-2000	30.81	भूमि खरीद, जीप खरीद, टाउन हाल की मरम्मत तथा रखरखाव, स्टेडियम की निर्माण, ट्रेक्टर की खरीद
पश्चिन बंगाल	10 निगम निकाय	एनआरवाई/पीएमआईयूपीईपी/ एसजेएसआरआई	1995-2000	237.00	वेतन मजदूरी, भविष्य निधि भुगतान ट्रेक्टरों की खरीद, बिजली प्रभार वाशिंग मशीन आदि
कुल				1314.61	

1	2	3	4	5	6
		(ख) अन्य कार्यकलापों के लिए राशि का अंतरण			
बिहार	सूडा	एनआरवाई	1996-97	30.00	जल बोर्ड और दो अन्य संस्थान में ऋण का भुगतान
गुजरात	सूडा	एनआरवाई	1997-98	1000.00	सरदार सरोवर नर्मदा निगम लि. में निवेश किया गया
गुजरात	सूडा	एनआरवाई	1997-98	104.00	जीआईपीसी में निवेश किया गया
हिमाचल प्रदेश	शिमला	एसजेएसआरवाई	1998-99	14.65	बर्फ एवं स्लिप्स इत्यादि को हटाना
मध्य प्रदेश	बिलासपुर	एनआरवाई/ एसजेएसआरवाई	1998	2.50	2.50 लाख रुपये कलेक्टर को ऋण के रूप में दिया गया
महाराष्ट्र	बम्बई नगर निगम	एसजेएसआरवाई	1998	45.11	स्थापना प्रभार
मेघालय	मुडा	एनआरवाई	1995-96	50.00	अन्य कार्यकलापों के लिए अपयोजित
नागालैण्ड	कोहिमा	पीएमआईयू पीईपी	1998-99	3.77	
पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी	एनआरवाई	1996-97	2.45	भवन निर्माण
पाण्डिचेरी	पाण्डिचेरी	एसजेएसआर वाई	1998-2000	12.17	पोषण केन्द्र सरकार पत्र, साथ सुविधाएं, अंडों की आपूर्ति के लिए
	-	यूईजीपी/एएसजे	1997-98	8.03	सीवीओ के कार्यालय की साज-सज्जा
	-	वही	1997-98	10.00	पंजाब जलापूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड के कार्यालय के कंप्यूटीकरण के लिए
पंजाब	फिरोजुपर	वही	1995-96	1.75	कार्य निष्पादन
पंजाब	फिरोजपुर	एनआरवाई/ एसजेएसआरवाई	1995-2000	185.60	स्टाफ प्रशिक्षण एवं आईईसी (सूचना, शिक्षा एवं संचार)
पंजाब	फिरोजपुर	एसजेएसआरवाई	1995-2000	77.07	
पंजाब	-	एसजेएसआरवाई	1995-2000	30.83	
उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद द.मेरठ, मुज्जफर नगर नैनीताल, सहारनपुर	पीएमआईयू पीईपी एसजेएसआरवाई/ एनआरवाई	1996-97 1998-99	41.72	निधियों को स्कीम के एक घटक से हटाकर दूसरे घटक तथा स्कीम से अलग अन्य उद्देश्यों, यथा विद्युत सामग्रियों इत्यादि की खरीद के लिए अन्तरित किया गया।
कुल				1619.65	

1	2	3	4	5	6
		(ग) अन्य स्कीमों के लिए राशि का अंतरण			
आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	एसजेएसआरवाई	1998-99	601-00	मुख्य मंत्री युवा कार्यक्रम के लिए अंतरित
आन्ध्र प्रदेश	गंटूर	एनआरवाई/ एसजेएसआरवाई	1998-99	21.33	लोक स्वास्थ्य प्रभाग को अंतरित
मध्य प्रदेश	जबलपुर	एनआरवाई/ एसजेएसआरवाई	1998	26.27	धन को राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम के तहत अंतरित कर दिया गया
	योग			648.60	

द्वारका में डी.डी.ए. के खाली फ्लैट

7160. श्री रघुनाथ झा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वारका में डी.डी.ए. के कई फ्लैट खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने फ्लैट खाली पड़े हैं और कब से;

(ग) इसके क्या कारण हैं और इन कारणों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(घ) वहां पर कब तक बुनियादी सुविधाएं प्रदान किये जाने की संभावना है और फ्लाई ओवर का निर्माण मेट्रो रेल और कुशल बस सेवा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) डीडीए ने सूचित किया है कि पॉकिट 9, द्वारका फेज-1 में हाल ही में पूर्ण हुए 176 एल आई जी फ्लेटों सहित विभिन्न श्रेणियों के करीब 11,000 फ्लैट द्वारका में खाली पड़े हैं। ये फ्लैट 1992-2002 की अवधि में पूरे हुए थे।

उपर्युक्त 11,000 फ्लैटों में से 9352 फ्लैट पहले ही आबंटित किए जा चुके हैं लेकिन आबंटियों द्वारा अभी तक भौतिक कब्जा लिया जाना है। सेक्टर 16, पॉकिट-बी, द्वारका में अन्य 1487 जनता फ्लैट कठपुतली कालोनी के निवासियों के पुनर्वास के लिए आरक्षित रखे गये हैं।

(ग) डीडीए ने सूचित किया है कि जल, विद्युत तथा संपर्क (कनेक्टिविटी) जैसी बुनियादी सुविधाओं की प्रारंभिक समस्याओं की वजह से फ्लैटों का कब्जा लेने में आबंटियों की इच्छा नहीं थी। तथापि, इन समस्याओं के निवारण के लिए समय-समय पर दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विद्युत बोर्ड अन्य संबंधित प्राधिकरणों के साथ उच्च स्तर पर बैठकें की गई और इन प्रयासों में सफलता हासिल हुई। अब बदली हुई परिस्थिति में आबंटियों ने फ्लैटों का कब्जा लेना शुरू कर दिया है।

(घ) द्वारका में जल, विद्युत, सीवरेज सड़कों इत्यादि जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं तथा प्रस्तावित फ्लाई ओवरों को पूरे होने में तीन वर्ष और लगने की संभावना है। द्वारका आने व जाने के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं। जहां तक मैट्रो रेल का संबंध है, हाल ही में दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा बाराखम्भा रोड-कनाट प्लेस-द्वारका कारिडोर के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और इसकी दिल्ली सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) में संशोधन

7161. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने केन्द्र सरकार से भारतीय दंड संहिता की धारा 182 में इस आशय का संशोधन करने का आग्रह किया है कि ईमानदार अधिकारियों के विरुद्ध झूठी शिकायतें करने वाले लोग कानून से बच न पाये;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार सतर्कता आयोग ने इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए कौन-कौन सी मुख्य बातें सुझायी है; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय दंड संहिता की उक्त धारा में कब तक संशोधन किये जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) अपने तारीख 9 मई, 2002 के पत्र में केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने यह कहा है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा 182 में उपयुक्त संशोधन करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ झूठी शिकायतें करने वालों को आसानी से बच निकलने का रास्ता मिल जाता है और इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों की छवि और प्रतिष्ठा खराब होती है।

(घ) केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश की जांच करने और मत निर्धारित करने के लिए इस समय कोई समय सीमा बताना कठिन है।

युवाओं के लिए स्व-रोजगार और पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए धनराशि का आबंटन

7162. श्री राजैया मल्याला : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राज्य सरकारों द्वारा युवाओं के स्व-रोजगार और पुनर्वास के उद्देश्य से चलाए जा रहे कार्यक्रमों में सहायता देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान और आज तक, इस प्रयोजनार्थ राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो युवाओं को उनके स्व-रोजगार प्रयासों हेतु किस प्रकार प्रोत्साहित किया जाएगा।

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) यह मंत्रालय देश भर में युवाओं के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक योजनाएं कार्यान्वित करता है। ये हैं : (1) राष्ट्रीय एकीकरण का विकास, (2) साहस का विकास, (3) स्कऊ टिंग व गाइडिंग, तथा (4) युवा संबंधी कार्यकलापों का संवर्धन और प्रशिक्षण। इनमें से कोई योजना प्रत्यक्ष रूप से युवाओं के रोजगार और पुनर्वास से संबंधित नहीं है। तथापि, अंत में उल्लिखित योजना के अंतर्गत, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के एक साधन के रूप में, युवाओं को अपने कौशल के उन्नयन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। पिछले 3 वर्षों के दौरान, इस योजना के कार्यान्वयन में किया गया व्यय इस प्रकार है :

1999-2000	–	5.30,87,634/- रुपये
2000-2001	–	5.64.96,484/-रुपये
*2001-2002	–	3,19,98,566/-रुपये

(*इसमें युवाओं के लिए प्रदर्शनी की योजना के अंतर्गत किया गया व्यय भी शामिल है।)

इन योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों तथा साथ ही साथ राज्य सरकारों द्वारा सहायता का लाभ उठाया जा सकता है।

राज्यों द्वारा भेजे गये अधिनियमों/विधेयकों का लंबन

7163. श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री अम्बरीश :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार की स्वीकृति/मंजूरी हेतु भेजे गये कई अधिनियम/विधेयक, काफी समय से सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में लम्बन के क्या कारण हैं; और

(घ) इन अधिनियमों/विधेयकों का निपटान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) राज्य सरकारों द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन/राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजे गए विधेयकों का विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए राज्य विधायनों का भारत सरकार द्वारा तीन दृष्टिकोणों से जांच की जाती है अर्थात्, (क) किसी केन्द्रीय कानून से अन्तर्विरोध, (ख) राष्ट्रीय या केन्द्रीय नीति से विचलन, और (ग) कानूनी और संवैधानिक वैधता। जब कभी आवश्यक होता है, उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को इस प्रकार के विधेयकों के प्रावधानों को संशोधित करने की सलाह दी जाती है। जल्दी ही किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए संबंधित राज्य सरकारों और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श भी किया जाता है।

विवरण

(7.5.2002 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	विधेयक का नाम	प्राप्ति की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश में भू-राजस्व संहिता विधेयक, 1999	29.6.1999	राज्य सरकार के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
2.	आन्ध्र प्रदेश	आपराधिक कानून (आन्ध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000	06.07.2000	राज्य सरकार के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
3.	आन्ध्र प्रदेश	दण्ड प्रक्रिया संहिता (आन्ध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000	11.5.2000	राज्य सरकार के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
4.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश महाजनी विधेयक, 2000	7.11.2000	राज्य सरकार के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
5.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश वित्तीय स्थापनाओं के जमाकर्ताओं को संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001	3.4.2001	विचारण के लिए अंतिम चरण में।
6.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश वित्तीय स्थापनाओं के जमाकर्ताओं को संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2001	10.5.2001	विचारण के लिए अंतिम चरण में।
7.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश मोटरवाहन कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001	27.6.2001	राज्य सरकार के विधिकार्य विभाग के साथ विचार-विमर्श करने का अनुरोध किया गया है।
8.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर विधेयक, 2001	13.8.2001	संबंधित मंत्रालयों/विभागों से टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।
9.	आन्ध्र प्रदेश	भारतीय स्टाम्प (आन्ध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001	4.12.2001	वित्त मंत्रालय से टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।
10.	आन्ध्र प्रदेश	औद्योगिक विवाद (आन्ध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001	20.12.2001	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।
11.	आन्ध्र प्रदेश	कारखाना (आन्ध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001	20.12.2001	संबंधित मंत्रालयों/विभागों से टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।
12.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2001	11.01.2002	संबंधित मंत्रालयों/विभागों से टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।
13.	आन्ध्र प्रदेश	भारतीय स्टाम्प (आन्ध्र प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001	12.2.2002	वित्त मंत्रालय से टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।
14.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक परिसर, (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2002	5.3.2002	संबंधित मंत्रालयों/विभागों से टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5
15.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश धूम्रपान निषेध और स्वास्थ्य संरक्षण विधेयक, 2001	27.3.2002	संबंधित मंत्रालयों/विभागों से टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।
16.	आन्ध्र प्रदेश	आन्ध्र प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग विधेयक, 2002	26.4.2002	संबंधित मंत्रालयों/विभागों से टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।
17.	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश पारम्परिक कानूनों का संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 1994	25.1.1995	जांचाधीन
18.	असम	असम कार्यकारी मजिस्ट्रेट (अस्थायी शक्तियां) विधेयक, 1999	27.7.1998	विधि कार्य विभाग की सलाह मांगी जा रही है।
19.	बिहार	पंचाट और समाधान (बिहार संशोधन), विधेयक, 1999	08.10.1999	विधि कार्य विभाग ने मामले पर विचार-विमर्श की इच्छा जतायी है।
20.	बिहार	भारतीय महसूल (बिहार संशोधन) विधेयक, 2000	13.9.2000	राज्य सरकार का स्पष्टीकरण प्रतीक्षित है।
21.	बिहार	बिपार वित्त विधेयक, 2001	15.5.2001	वित्त मंत्रालय से टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।
22.	बिहार	बिहार गृह रक्षी (संशोधन), विधेयक, 1994	07.01.2002	राज्य सरकार का स्पष्टीकरण प्रतीक्षित है।
23.	छत्तीसगढ़	भारतीय महसूल (छत्तीसगढ़ संशोधन), विधेयक, 2001	22.01.2002	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।
24.	गोवा	गोवा पुलिस विधेयक, 1997	11.08.1997	विधि कार्य विंभाग की सलाह मांगी जा रही है।
25.	गोवा	भारतीय स्टाम्प (गोवा संशोधन) विधेयक, 2000	14.2.2000	वित्त मंत्रालय की टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।
26.	गोवा	गोवा बैंकों द्वारा कृषि ऋण के लिए सुविधाओं का प्रावधान विधेयक, 2000	23.03.2000	राज्य सरकार का स्पष्टीकरण प्रतीक्षित है।
27.	गोवा	भूमि अधिग्रहण (गोवा संशोधन) विधेयक, 2001	01.08.2001	राज्य सरकार का स्पष्टीकरण प्रतीक्षित है।
28.	गोवा	पंजीकरण (गोवा संशोधन) विधेयक, 2001	30.10.2001	राज्य सरकार के विचार प्रतीक्षित हैं।
29.	गुजरात	गुजरात प्रवेश कर विधेयक, 1999	07.05.1999	विचार के अंतिम चरण में है।
30.	गुजरात	गुजरात जमाकर्त्ताओं के हितों की सुरक्षा (वित्तीय स्थापनाओं में) विधेयक, 2002	21.01.2002	विधि कार्य विभाग की सलाह प्रतीक्षित है।
31.	गुजरात	गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2002	18.03.2002	संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।

1	2	3	4	5
32.	गुजरात	प्रेजीडैंसी लघुवाद न्यायालय (गुजरात संशोधन), विधेयक, 2002	18.04.2002	विचारण के अंतिम चरण में है।
33.	गुजरात	बम्बई सिविल न्यायालय (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2002	18.04.2002	विचारण के अंतिम चरण में है।
34.	गुजरात	प्रांतीय लघुवाद न्यायालय (गुजरात संशोधन) विधेयक, 2002	18.04.2002	विचारण के अंतिम चरण में है।
35.	हरियाणा	पंजाब अधिसूचित सड़कों और नियंत्रित क्षेत्रों का अनियमित विकास पर प्रतिबंध (हरियाणा संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1996	06.05.1996	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।
36.	हरियाणा	हरियाणा पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2001	18.01.2001	ग्रामीण विकास मंत्रालय से टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।
37.	हरियाणा	पंजाब मोटर वाहन कराधान (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2001	12.02.2000	वित्त मंत्रालय से टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।
38.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश भूमि हस्तांतरण (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2000	28.02.2000	विचारण के अंतिम चरण में है।
39.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2002	02.04.2002	संबंधित मंत्रालयों/विभागों से टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।
40.	झारखंड	झारखंड राज्य आधारभूत संरचना विकास बोर्ड योजना विधेयक, 2001	19.02.2002	संबंधित मंत्रालयों/विभागों से टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।
41.	झारखंड	बंगाल, आगरा और असम सिविल न्यायालय (झारखंड संशोधन) विधेयक, 2002	01.05.2002	संबंधित मंत्रालयों/विभागों से टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।
42.	कर्नाटक	कर्नाटक कराधान कानून (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1999	24.05.1999	राज्य सरकार का स्पष्टीकरण प्रतीक्षित है।
43.	कर्नाटक	मैसूर तम्बाकू कम्पनी लि. (शेयरों का अधिग्रहण) विधेयक, 1998	25.06.1999	विधि कार्य विभाग की सलाह प्रतीक्षित है।
44.	कर्नाटक	कर्नाटक वस्तुओं के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2000	12.6.2000	विधि कार्य विभाग राज्य सरकार से विचार-विमर्श करना चाहता है।
45.	कर्नाटक	वित्तीय संस्थानों में जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण संबंधी कर्नाटक विधेयक, 2000	19.1.2001	राज्य सरकार के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
46.	कर्नाटक	कर्नाटक आलय पाम (खेती, उत्पादन तथा प्रसंसीकरण का विनियमन) विधेयक, 2000	3.1.2001	राज्य सरकार से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
47.	कर्नाटक	कर्नाटक अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े 2001 वर्ग (नियुक्तियों का आरक्षण आदि) (संशोधन) विधेयक,	5.9.2001	विधि कार्य विभाग से सलाह मांगी जा रही है।

1	2	3	4	5
48.	केरल	ड्रग्स एवं कास्मेटिक्स (केरल संशोधन) विधेयक, 1997	30.12.1997	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से टिप्पणियों प्रतीक्षित हैं।
49.	केरल	केरल अनुदान एवं पट्टा (अधिकारों का संशोधन) विधेयक, 1999	13.5.1999	संबंधित मंत्रालय/विभाग की टिप्पणियां प्रतीक्षित है।
50.	केरल	कन्नन देवेन हिल्स (भूमि का पुनर्ग्रहण) विधेयक, 2000	27.06.2000	राज्य सरकार से स्पष्टीकरण प्रतीक्षित है।
51.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध विधेयक, 1996	16.12.96	विचारणा के अंतिम चरण में।
52.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1997	30.3.1998	राज्य सरकार का स्पष्टीकरण प्रतीक्षित है।
53.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश लघु वन उपज (ग्राम सभा को स्वामित्व का संदान विधेयक, 2000	1.5.2000	ग्रामीण विकास मंत्रालय से टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।
54.	मध्य प्रदेश	दंड प्रक्रिया संहिता (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000	17.10.2000	जांच अधीन है।
55.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश राजमार्ग विधेयक, 2001	9.5.2001	राज्य सरकार का स्पष्टीकरण प्रतीक्षित है।
56.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश श्रम कानून (संशोधन) एवं विविध प्रावधान विधेयक, 2000	29.6.2001	संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।
57.	मध्य प्रदेश	भ्रष्टाचार निवारण (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2001	30.10.2001	कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।
58.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश धूम्रपान निषेध विधेयक, 2002	4.4.2002	संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियां प्रतीक्षित है।
59.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1995	01.02.196	राज्य सरकार का स्पष्टीकरण प्रतीक्षित है।
60.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र द्विविवाह निवारण विधेयक, 1995	2.2.1996	विधि कार्य विभाग का सलाह मांगी जा रही है।
61.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र बीज विधेयक, 2000	26.6.2000	विधि कार्य विभाग ने मामले पर विचार-विमर्श करने की इच्छा व्यक्त की है।
62.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र कृषि भूमि (जोत की सीमा) (संशोधन) विधेयक, 2001	11.9.2001	संबंधित मंत्रालयों की टिप्पणी प्रतीक्षित हैं।
63.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र धूमपान और थूकना प्रतिषेध विधेयक, 2001	21.9.2001	विधि कार्य विभाग का परामर्श प्रतीक्षित हैं।

1	2	3	4	5
64.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र पारिश्रमिक का भुगतान (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2001	9.10.2001	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।
65.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र महिला संरक्षण विधेयक, 2002	30.4.2002	संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।
66.	मिजोरम	मिजोरम ट्रेडिंग (विनियमन) विधेयक, 1998	1.7.1998	राज्य सरकार को विधेयक का मसौदा पुनः तैयार करने को कहा गया है।
67.	मिजोरम	मिजोरम शिक्षा विधेयक, 2001	15.5.2001	राज्य सरकार का स्पष्टीकरण प्रतीक्षित है।
68.	नागालैंड	नागालैंड (भूमि तथा उसके संसाधनों का स्वामित्व एवं हस्तांतरण) विधेयक (संशोधन), 1995	24.9.1998	विचारण के अंतिम चरण में है।
69.	उड़ीसा	उड़ीसा श्रम कल्याण निधि विधेयक, 1996	14.1.1997	विधि कार्य विभाग से परामर्श लिया जा रहा है।
70.	उड़ीसा	उड़ीसा वन (संशोधन) विधेयक, 2000	17.8.2001	राज्य सरकार से स्पष्टीकरण प्रतीक्षित है।
71.	उड़ीसा	भारतीय स्टाम्प (उड़ीसा संशोधन) विधेयक, 2001	9.4.2002	संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।
72.	राजस्थान	राजस्थान गोजातीय पशु (वध निषेध एवं अस्थायी आव्रजन अथवा निर्यात विनियमन) संशोधन, विधेयक, 2001	3.9.2001	संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।
73.	राजस्थान	रिक्को औद्योगिक क्षेत्र (अवैध विकास एवं अतिक्रमण) विधेयक, 1999	26.12.2001	संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियां प्रतिक्षित हैं।
74.	राजस्थान	राजस्थान सहकारी समितियां विधेयक, 2001	11.1.2002	राज्य सरकार का स्पष्टीकरण प्रतीक्षित है।
75.	तमिलनाडु	तमिलनाडु स्वामित्व फ्लैट एवं प्लॉट (निर्माण एवं विकास, बिक्री एवं अंतरण संवर्धन का विनियमन) विधेयक, 1995	24.4.1995	राज्य सरकार का स्पष्टीकरण प्रतीक्षित है।
76.	तमिलनाडु	तमिलनाडु निजी सुरक्षा गार्ड (नियोजन एवं कल्याण का विनियमन) विधेयक, 1996	27.9.96	विचारण के अंतिम चरण में।
77.	तमिलनाडु	तमिलनाडु वन (संशोधन) विधेयक, 1998	25.06.1998	विधि कार्य विभाग ने राज्य सरकार के साथ मुद्दे पर चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की।
78.	तमिलनाडु	तमिलनाडु राजमार्ग विधेयक, 2001	16.02.2001	राज्य सरकार के स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।
79.	तमिलनाडु	बागबानी नर्सरी (विनियमन) विधेयक, 2001	14.06.2001	विचारण के लिए अंतिम चरण में।

1	2	3	4	5
80.	त्रिपुरा	त्रिपुरा चाय कंपनियां (कतिपय चाय इकाईयों का प्रबंध अपने हाथ में लेना) (संशोधन) विधेयक, 1998	08.06.2001	संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।
81.	त्रिपुरा	त्रिपुरा चाय कंपनियां (कतिपय इकाइयों का प्रबंध अपने हाथ नें लेना) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1998	08.06.2001	संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।
82.	त्रिपुरा	त्रिपुरा चाय कंपनियां (कतिपय चाय इकाईयों का प्रबंध अपने हाथ में लेना) (तीसरा संशोधन) विधेयक, 1998	05.10.2001	संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।
83.	उत्तरांचल	भारतीय वन (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001	24.07.2001	राज्य सरकार के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
84.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992	01.06.1992	भारत के विद्वान महान्यायवादी की राय प्राप्त की जा रही है।
85.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश सार्वजनिक धार्मिक भवन और स्थल विनियमन विधेयक, 2000	04.02.2000	विचारणा के लिए अंतिम चरण में।
86.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 1990	30.7.1990	ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ मामले पर विचार-विमर्श करने की इच्छा व्यक्त की है।
87.	पश्चिम बंगाल	उपदान अदायगी (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1993	13.10.1993	श्रम मंत्रालय से टिप्पणी की प्रतीक्षा है।
88.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल गैर-सरकारी शिक्षण संस्थान और स्थानीय प्राधिकरण (कर्मचारियों के भविष्यनिधि का नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 1995	08.11.1995	श्रम मंत्रालय से टिप्पणी की प्रतीक्षा है।
89.	पश्चिम बंगाल	बंगाल सार्वजनिक मांग वसूली (संशोधन) विधेयक, 1997	02.07.1997	राज्य सरकार के स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।
90.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल जल संसाधन संरक्षण, सुरक्षा और विकास (प्रबंधन, नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक, 2000	25.08.2000	विधि कार्य विभाग के परामर्श की प्रतीक्षा है।
91.	पश्चिम बंगाल	दि वक्फ (वेस्ट बंगाल एमेंडमेंट) बिल, 2001	23.3.2001	राज्य सरकार के स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।
92.	पश्चिम बंगाल	दंड प्रक्रिया संहिता (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 2001	27.3.2001	राज्य सरकार से विधेयक को वापिस लेने के लिए एक औपचारिक पत्र भेजने का अनुरोध किया गया है।
93.	पश्चिम बंगाल	चन्द्रनगर नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2001	9.4.2001	राज्य सरकार के स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4	5
94.	पश्चिम बंगाल	दि वेस्ट बंगाल ठीका टेनन्सी (एक्वीजिशन एंड रेगुलेशन) बिल, 2001	3.7.2001	विधि कार्य विभाग के परामर्श की प्रतीक्षा है।
95.	पश्चिम बंगाल	पारसी विवाह और तलाक (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1999	21.1.2001	राज्य सरकार के स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।
96.	पश्चिम बंगाल	भारतीय ईसाई विवाह (पश्चिम बंगाल संशोधन) विधेयक, 1999	21.1.2002	राज्य सरकार के स्पष्टीकरणों की प्रतीक्षा है।
97.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल अपार्टमेंट स्वामित्व (अमेंडमेंट) विधेयक, 2000	8.2.2002	संबंधित मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के गैर-सरकारी सदस्यों को सुविधाएं

7164. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (एन.डी.एम.सी.) के गैर-सरकारी सदस्यों को वाहन और आवास की सुविधा उपलब्ध कराती है;

(ख) क्या नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् अधिनियम में गैर-सरकारी सदस्यों को उक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी सुविधाएं किस आधार पर उपलब्ध करायी जाती हैं; और

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् के संसाधनों पर भारस्वरूप ऐसी अनधिकृत सुविधाओं को वापिस लेने के लिए नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अपने "गैर-सरकारी" सदस्यों को ये सुविधाएं प्रदान की हैं ताकि वे अपने कर्त्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर सकें।

(ख) और (ग) "नई दिल्ली नगर पालिका परिषद अधिनियम, 1984" में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है जिसके तहत इन परिषद के "गैर-सरकारी" सदस्यों को ऐसी सुविधाएं देने की मनाही हो।

(घ) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जिसमें नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को इन सुविधाओं को वापस ले लेने की सलाह दी गई हो।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं

7165. श्री रामदास आठवले :
श्री तरलोचन सिंह तुड़ :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान, विशेषकर जनवरी, 2002 के तीसरे और चौथे सप्ताह में राजधानी में महात्मा गांधी मार्ग (रिंग रोड़) पर हुई सड़क दुर्घटनाओं का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान, वाहन से टक्कर मारकर चंपत हो जाने के कितने ऐसे प्रकरण हुए जिनमें दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति की मौत हो गई; और इससे सम्बन्धित पुलिस थानों के नाम क्या थे;

(ग) उन प्रकरणों को प्रकरणवार ब्यौरा क्या है जिनमें पुलिस प्राधिकारी आरोपी को पकड़ने में विफल रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) चालू वर्ष के दौरान (30 अप्रैल, 2002 तक) दिल्ली में रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर 342 दुर्घटनाएं होने की सूचना मिली है। इनमें से 54 दुर्घटनाएं 16 जनवरी, 2002 से 31 जनवरी, 2002 के बीच हुई। जिन स्थानों पर ये दुर्घटनाएं हुई उनके बारे में सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) इसी अवधि के दौरान, जिन थानों के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले क्षेत्रों से हिट एण्ड रन की 55 घातक दुर्घटनाएं सूचित की गई उनके नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-I

क्र.सं.	दुर्घटना का स्थान
1	2
1.	अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल का बाहरी गेट
2.	बिट्रानिया चौक
3.	नारौजी नगर बस स्टैंड
4.	बस स्टेंड ट्रमा सेंटर अस्पताल
5.	मॉडल टॉउन-III चौक
6.	ज्वाला हेड़ी मार्किट
7.	हैदरपुर के नजदीक
8.	आश्रम फ्लाइओवर
9.	शांतिवन चौक
10.	खालसा कालेज बस स्टेंड
11.	खालसा कालेज के नजदीक
12.	मोती नगर क्रासिंग
13.	पंजाबी बाग चौक के नजदीक
14.	हॉट मिक्स प्लांट के नजदीक
15.	मंजनू का टीला
16.	दीपाली चौक
17.	राजघाट रेड लाईट
18.	तिकोना पार्क शकुरपुर के नजदीक
19.	नेहरू विहार मोड़
20.	हयात होटल के नजदीक
21.	आउटर गेट, अन्तर्राज्यीय बस अड्डा
22.	पैट्रोल पम्प के नजदीक
1	2
23.	हयात होटल के सामने
24.	आश्रम चौक
25.	धौला कुंआ
26.	बस स्टाफ, रिंग रोड़
27.	सी एन जी फिलिंग स्टेशन के नजदीक
28.	बिट्रानिया चौक
29.	बिट्रानिया चौक
30.	माल रोड़, बस स्टाप
31.	आजादपुर
32.	पंजाबी बाग फ्लाइओवर
33.	बिटानिया चौक
34.	रेड लाईट मथुरा रोड़
35.	इन्द्रप्रस्थ फ्लाइओवर के नजदीक
36.	लाल सांई मार्किट रिंग रोड़
37.	हयात होटल के नजदीक
38.	गोपालपुर के नजदीक
39.	लाजपत नगर के नजदीक
40.	पैट्रोल पम्प मीरा बाग
41.	इन्द्रप्रस्थ फ्लाइओवर के नजदीक
42.	रेड लाईट मॉडन टाउन-I
43.	पंजाबी बाग फ्लाइओवर
44.	ऑल हेवन के नजदीक
45.	मंजनू का टीला
46.	कांजवला रोड़ के नजदीक
47.	पुष्पांजली इंकलेव के नजदीक
48.	आश्रम चौक
49.	मानेस्ट्री के नजदीक
50.	ए सी ए प्वांइट रिंग रोड़

1	2
51.	बुरारी चौक
52.	मुकंदपुर चौक
53.	कन्हैया नगर चौक
54.	वेस्ट इंकलेव
55.	कैम्प नं. 4 रोड़, जनकपुरी
56.	फायर स्टेशन आश्रम चौक के सामने
57.	मोती बाग बस स्टेंड के नजदीक
58.	बिट्रानिया चौक
59.	राजपूत होटल के सामने
60.	राजा गार्डन चौक
61.	राजा गार्डन चौक
62.	राजघाट
63.	दीपाली चौक
64.	मंजनू का टीला
65.	हजरत निजामुद्दीन पुलिस स्टेशन के नजदीक
66.	ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चौक
67.	डी टी सी डिपो
68.	टी-प्वांइट ए एंड बी रोड
69.	बिट्रानिया चौक
70.	डब्ल्यू पी आई ए, रिंग रोड़
71.	बुरारी चौक
72.	मंगोलपुरी चौक
73.	रेड लाईट रिंग रोड़
74.	हनुमान मंदिर के नजदीक
75.	पुष्पांजली इंकलेव के नजदीक
76.	सेक्टर-9, रोहिणी
77.	बस स्टेंड नेहरू नगर
78.	बुरारी चौक
79.	साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली-1
80.	शांतिवन चौक
81.	मायापुरी फ्लाईओवर
82.	पंजाबी बाग फ्लाइओवर
83.	नेताजी नगर बस स्टेंड
84.	ओल्ड पोस्ट ऑफिस रिंग रोड़ के नजदीक
85.	बुरारी चौक
86.	एंड्रयूजगंज चौक
87.	पीरागढ़ी चौक
88.	मायापुरी फ्लाइओवर
89.	पैट्रोल पम्प के सामने
90.	सेक्टर-12, रामाकृष्णा पुरम
91.	सेक्टर-7, रोहिणी
92.	प्रेम बाड़ी ब्रिज
93.	टी-प्वांइट नारायणा
94.	आउट रिंग रोड़
95.	अवंतिका बस स्टेंड
96.	बिट्रानिया पुलिस पिकेट
97.	झुग्गी नांगला माची
98.	मंजनू का टीला
99.	चांदगी राम आखड़ा के नजदीक
100.	पंजाबी बाग फ्लाइओवर के नजदीक
101.	धौला कुआं गोल चौराहा
102.	एन डी एस सी-I
103.	खालसा कॉलेज के नजदीक
104.	कॉफी होम के नजदीक
105.	सेक्टर-5, रोहिणी
106.	महारानी बाग

1	2
107.	रेड लाईट वजीरपुर डिपो
108.	पैट्रोल पम्प नेताजी नगर के सामने
109.	आउटर गेट, अन्तरराज्यीय बस अड्डा टर्मिनल
110.	भाटिया पैट्रोल पम्प के नजदीक
111.	सरोजनी नगर डिपो के नजदीक
112.	ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सांइस चौराहा
113.	तिब्बतन कैम्प के नजदीक
114.	शालीमार फ्लाइओवर
115.	डब्ल्यू एच ओ बिल्डिंग के नजदीक
116.	आउटर गेट, अन्तरराज्यीय बस अड्डा टर्मिनल
117.	मंकी ब्रिज के नजदीक
118.	ऑल हेवन के नजदीक
119.	सेक्टर-3, रामाकृष्णा पुरम के नजदीक
120.	मूलचंद फ्लाइओवर
121.	रेड लाइट प्वांइट सराय काले खां,
122.	ऑल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बस स्टेंड
123.	रेड लाइट प्वांइट सराय काले खां,
124.	इन्द्रप्रस्थ फ्लाइओवर
125.	ब्रिट्रानिया चौक
126.	आश्रम फ्लाइओवर के नीचे
127.	इन्द्रप्रस्थ फ्लाइओवर
128.	मायापुरी चौक
129.	लाल सांइ टी-प्वांइट
130.	गोपालपुर के नजदीक
131.	इन्द्रप्रस्था डिपो
132.	सलीम गर्ग के नजदीक
133.	मोती नगर चौक
134.	फ्लाईओवर मोती बाग

1	2
135.	ए आर एस डी कॉलेज के नजदीक
136.	टी यू ब्लाक, पीतमपुरा
137.	एंड्रयूजगंज चौक
138.	राजा गार्डन चौक
139.	शकुरपुर
140.	मूलचंद फ्लाइओवर
141.	विजय घाट के नजदीक
142.	झुग्गी ए डी ब्लाक के सामने
143.	ब्रिट्रानिया चौक
144.	ब्रिट्रानिया चौक
145.	प्रगति मैदान रेलवे ब्रिज के नजदीक
146.	पंजाबी बाग के नजदीक
147.	नोएडा टोल ब्रिज
148.	नारायणा बस स्टेंड
149.	मोती बार मदर डेयरी के सामने
150.	अशोक विहार बस स्टेंड
151.	एस ए बी आई अस्पताल म्राल रोड़ के सामने
152.	द्वास स्टेंड ईस्ट किदवई नगर
153.	चित्रा मार्ग के नजदीक
154.	मॉडल टाउन-III
155.	रेड लाईट पंजाबी बाग
156.	मंगोल पुरी रेड लाईट
157.	पीरागरी के नजदीक
158.	अन्तर्राज्यीय बस स्टेंड मोनेस्टरी के नजदीक
159.	इन्द्रप्रस्थ फ्लाइओवर
160.	हनुमान सेतु के नजदीक
161.	आउटर गेट, अन्तर्राज्यीय बस अड्डा टर्मिनल
162.	ए, ब्लाक मंगोलपुरी

1	2
163.	राजा गार्डन चौक
164.	मंजनू का टीला
165.	निगम बोध घाट के नजदीक
166.	मोती नगर चौक
167.	मैन मार्किट के नजदीक
168.	गोपाल के नजदीक
169.	मायापुरी फ्लाइओवर
170.	राज नगर चौक
171.	कैप्टन गौड़ मार्ग टी प्वांइट रोड लाईट के नजदीक
172.	पैट्रोल पम्प के नजदीक
173.	मायापुरी चौक
174.	रामाकृष्णा पुरम सेक्टर-3 से नजदीक
175.	मोती बाग चौक
176.	ऑल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चौक
177.	बस स्टेंड गुप्ता मार्किट
178.	मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे
179.	चांग बस्ती के नजदीक
180.	टी प्वांइट नारायणा
181.	पंजाबी बाग फ्लाईओवर
182.	नोएडा टोल ब्रिज
183.	बस स्टेंड, सफदरजंग अस्पताल
184.	बी-ब्लाक सुल्तानपुरी
185.	आजादपुर फ्लाईओवर
186.	चांदगी राम आखड़ा के नजदीक
187.	ऑल हेवन के नजदीक
188.	टी प्वांइट नारायणा
189.	क्लब रोड क्रासिंग
190.	ब्रिट्रानिया चौक
191.	मोती बाग
192.	आजादपुर
193.	खैबर पास
194.	हयात होटल फ्लाईओवर के नजदीक
195.	अन्तर्राज्यीय बस टर्मिनल के नजदीक
196.	मायापुरी चौक
197.	टी प्वांइट, पंजाबी बाग
198.	निरंकारी सरोवर के नजदीक
199.	इन्द्रप्रस्थ फ्लाईओवर
200.	नांगल माची बस स्टेंड
201.	मूलचंद फ्लाईओवर
202.	नेहरू नगर बस स्टेंड
203.	गांधी विहार
204.	लक्ष्मी नारायण मंदिर के नजदीक
205.	काका नगर बस स्टेंड
206.	नागंला माची के नजदीक
207.	मोती बाग
208.	अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल फ्लाईओवर के नजदीक
209.	सेंट्रल स्कूल के नजदीक
210.	पंजाबी बाग फ्लाईओवर के नजदीक
211.	मोतीबाग
212.	वजीरपुर डिपो
213.	आउटर गेट अंतराज्यीय बस टर्मिनल
214.	टी-प्वांइट मौरिस नगर
215.	राजा गार्डन चौक
216.	नेहरू नगर
217.	राजदूत होटल के नजदीक
218.	सेलम गर्ग के नजदीक

1	2
219.	भेरों मंदिर के नजदीक
220.	रेड लाईट महारानी बाग
221.	सेलम गड के नजदीक
222.	डेसू कालोनी के सामने
223.	सी एन जी फिलिंग स्टेशन सराय काले खां के सामने
224.	आउटर गेट अंतराज्यीय बस टर्मिनल
225.	ई एस आई अस्पताल
226.	सी एन जी फिलिंग स्टेशन सराय काले खां के सामने
227.	नई दिल्ली साउथ एक्सटेंशन-I के नजदीक
228.	बुरारी चौक
229.	पैट्रोल पम्प के सामने
230.	आजादपुर टर्मिनल
231.	भेरों मंदिर के नजदीक
232.	मुकंदपुर चौक
233.	मेरकाफ हाऊस के नजदीक
234.	रेलवे फाटक के नजदीक
235.	मॉडल टाउन-I
236.	डी टी सी डिपो पीरागढ़ी
237.	अफ्रीका एवेन्यू के नजदीक
238.	पैट्रोल पम्प के नजदीक
239.	नोएडा टी-प्वांइट के नजदीक
240.	गोपालपुर के नजदीक
241.	मोतीबाग फ्लाईओवर
242.	राजीव गांधी स्मृति वन, सराय काले खां के सामने
243.	आउटर गेट अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल
244.	प्रेम बाड़ी ब्रिज
245.	नागला माची बस स्टेंड
246.	मंजनू का टीला

1	2
247.	निरंकारी सरोवर के नजदीक
248.	अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल मोनेस्ट्री के नजदीक
249.	राजीव गांधी स्मृति वन, सराय काले खां के सामने
250.	फ्लाई ओवर पंजाबी बाग के नजदीक
251.	रेड लाईट डेसू कालोनी
252.	पीरागढ़ी चौक
253.	गोपालपुर के नजदीक
254.	शांतिवन चौक
255.	मुद्रिका बस स्टाप के नजदीक
256.	विजय घाट चौक
257.	वाईट हाऊस के नजदीक
258.	पंजाबी बाग फ्लाईओवर के नजदीक
259.	मेगरा संस के नजदीक
260.	मॉडल टाउन-II
261.	महारानी बाग बस स्टेंड
262.	थापर चैंबर का सामने
263.	ईपा बिल्डिंग
264.	रेड लाईट बाला साहिब गुरद्वारा
265.	राजा गार्डन, गुरूद्वारा के नजदीक
266.	नेहरू नगर, बस स्टेंड
267.	खैबर पास
268.	पीरागढ़ी चौक
269.	पंजाबी बाग, फ्लाईओवर
270.	मजंनू का टीला के नजदीक
271.	ऑल इंडिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चौक
272.	मूलचंद फ्लाईओवर के नजदीक
273.	आउटर गेट अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल
274.	डी टी सी डिपो के नजदीक

1	2
275.	काली माता मंदिर के नजदीक
276.	मंजुला का टीला
277.	अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, सराय काले खां
278.	खालसा कॉलेज के नजदीक
279.	टी-प्वांइट मंजुला का टीला
280.	एच एस डी सी बैंक के नजदीक
281.	नांगचा माची के नजदीक
282.	नोएडा टोल ब्रिज
283.	सफदरजंग अस्पताल चौक
284.	इन्द्रप्रस्थ डिपो
285.	ब्रिट्रानिया फ्लाईओवर
286.	पीरागढ़ी चौक
287.	वजीरपुर इंडस्ट्रीयल एरिया
288.	बुरारी चौक
289.	ब्रिट्रानिया फ्लाईओवर
290.	आउटर रिंग रोड़ फ्लाईओवर
291.	सेक्टर-3, रामाकृष्णपुरम
292.	राजपुताना राईफल्स लेन
293.	एंड्रयूजगंज चौक
294.	एंड्रयूजगंज चौक
295.	मायापुरी चौक फ्लाईओवर
296.	मायापुरी चौक फ्लाईओवर
297.	हकीकत नगर
298.	सी एन जी फिलिंग स्टेशन के नजदीक सराय काले खां
299.	हनुमान मंदिर के नजदीक
300.	नोएडा टोल ब्रिज
301.	धौला कुंआ
302.	मंकी ब्रिज के नजदीक

1	2
303.	शांतिवन चौक
304.	निगम बोध घाट के नजदीक
305.	ऑल इंडिया इन्सट्टियूट ऑफ मेडिकल सांइस चौक
306.	ऑल इंडिया इन्सट्टियूट ऑफ मेडिकल सांइस चौक
307.	केला घाट के नजदीक
308.	मॉडल टाउन-III
309.	मॉडल टाउन-III
310.	ब्रिटानिया चौक
311.	आउटर रिंग रोड़ पुलिस लाइन के नजदीक
312.	पंजाबी बाग चौक
313.	राजघाट रेड लाइट
314.	नारायणा टी-प्वांइट
315.	भीकाजी चौक
316.	सुंदर नगर
317.	यमुना बाजार
318.	रेलवे फ्लाईओवर नेहरू नगर
319.	सी एन जी फिलिंग स्टेशन
320.	सिंधी बाबा मंदिर के नजदीक
321.	धौला कुंआ
322.	आउटर रिंग रोड़
323.	राजदूत होटल के नजदीक
324.	रेड लाईट सराय काले खां
325.	ऑल इंडिया इन्सट्टियूट ऑफ मेडिकल सांइस चौक
326.	एफ ब्लाक मंगौलपुरी
327.	परवाना रोड़ के नजदीक
328.	पीरागढ़ी
329.	वजीरपुर डिपो
330.	अंतराज्यीय बस टर्मिनल सराय काले खां

1	2
331.	ऑल इंडिया इन्सट्टियूट ऑफ मेडिकल सांइस चौक
332	मल्होत्रा हार्ट इन्सट्टियूट लाजपत नगर के नजदीक
333.	बंगलादेश उच्चायोग के सामने
334.	आउटर रिंग रोड़
335.	राजा गार्डन फ्लाई ओवर
336.	नोएडा टी-प्वांइट
337.	गांधी दर्शन के नजदीक
338.	राजा गार्डन चौक
339.	बुध विहार पिकेट के नजदीक
340.	टी-प्वांइट अशोक विहार
341.	बाला साहिब गुरूद्वारा के सामने
342.	गोपालपुर के नजदीक

विवरण-II

क्र.सं.	पुलिस थाने के सामने	गिरफ्तार किए गए अभियुक्त व्यक्ति
1	2	3
1.	हजरत निजामुद्दीन	8
2.	डिफेंस कालोनी	1
3.	कोटला मुबारकपुर	1
4.	न्यू फ्रेंड्स कालोनी	3
5.	सरोजिनी नगर	1
6.	नारायणा	2
7.	रामाकृष्णापुरम	5
8.	पश्चिम विहार	4
9.	राजौरी गार्डन	2
10.	सिविल लाईन	3
11.	कश्मीरी गेट	3
12.	कोतवाली	1
13.	तिमारपुर	3
14.	शालीमार बाग	3
15.	मंगोलपुरी	2
16.	रोहिणी	3
17.	प्रशांत विहार	2
18.	कंझावला	1
19.	सरस्वती विहार	1
20.	केशवपुरम	2
21.	सुल्तानपुरी	2
22.	इन्द्रप्रस्थ इस्टेट	1
23.	तिलक मार्ग	1

विवरण-III

क्र.सं.	प्र.सू. रिपोर्ट संख्या, तारीख, अन्तर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा	पुलिस थाने का नाम	दुर्घटना का स्थान
1	2	3	4
1.	70, 27.1.2002, 279/337	डिफेंस कालोनी	एंड्रयूस गंज चौक
2.	5, 3.1.2002, 279/337	श्री निवास पुरी	आश्रम फ्लाईओवर
3.	31, 18.1.2002, 279/337	श्री निवास पुरी	दमकल केन्द्र आश्रम चौक के सामने

1	2	3	4
4.	35, 22.1.2002, 279/337	हजरत निजामुद्दीन	पुलिस स्टेशन हजरत निजामुद्दीन के नजदीक
5.	39, 2.2.2002, 279/337	कोटला मुबारकपुर	एन डी एस सी-I
6.	63, 16.2.2002, 279/337	श्री निवासपुरी	मदरडेरी, मोतीबाग के सामने
7.	58, 8.2.2002, 279/337/304-ए	हजरत निजामुद्दीन	रेडलाईट प्वाइंट सराय काले खां
8.	99, 7.3.2002, 279/337	श्री निवासपुरी	नेहरू नगर बस स्टेंड
9.	108, 10.3.2002, 279/337	श्री निवासपुरी	नेहरूनगर
10.	11, 12.3.2002, 279/337	-तदैव-	रेड लाईट महारानी बाग
11.	112, 12.3.2002, 279/337	-तदैव-	डी.ई.एस.यू, कालोनी के सामने
12.	146, 26.3.2002, 279/337	-तदैव-	बस स्टेंड महारानीबाग
13.	102, 8.3.2002, 279/304-ए	हजरत निजामुद्दीन	नांगचा माचि के नजदीक
14.	121, 13.3.2002, 279/337	-तदैव-	सी.एन.जी. फिलिंग स्टेशन सराय काले खां के सामने
15.	124, 14.3.2002, 279/304-ए	-तदैव-	-तदैव-
16.	132, 18.3.2002, 279/337/304-ए	-तदैव-	नोएडा टी प्वांइट
17.	247, 11.4.2002, 279/304-ए	डिफेंस कालोनी	एन्ड्रयूज गंज चौक
18.	151, 17.4.2002, 279/337/304-ए	कोटला मुबारकपुर	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान चौक
19.	178, 27.4.2002, 279/337	कोटला मुबारकपुर	-तदैव-
20.	198, 30.4.2002, 279/337	श्री निवासपुरी	बालासाहिब गुरूद्वारा के सामने
21.	221, 27.4.2002, 279/337/304-ए	-तदैव-	आई.एस.बी.टी. सराय काले खां
22.	225, 28.4.2002, 279/337	-तदैव-	नोयडा-टी प्वांइट
23.	160, 3.4.2002, 279/337/304-ए	न्यू फ्रैंडस कालोनी	नोयडा-टोल ब्रीज
24.	24, 28.1.2002, 279/304-ए	-तदैव-	-तदैव-
25.	17, 9.1.2002, 279/338	दिल्ली कैंट	धौला कुंआ
26.	66, 28.1.2002, 279/304-ए	रामाकृष्णपुरम	सेक्टर-12 आर.के.पुरम
27.	43, 12.1.2002, 279/337	आर.के.पुरम	हयात होटल के पास
28.	28, 8.1.2002, 279/304-ए	-तदैव-	-तदैव-
29.	40, 4.2.2002, 279/337	-तदैव-	सरोजनी नगर डिपो के पास

1	2	3	4
30.	55, 21.2.2002, 279/337	आर.के. पुरम	राज नगर चौक
31.	120, 22.2.2002, 279/337	-तदैव-	मोती बाग चौक
32.	61, 15.3.2002, 279/337	-तदैव-	पैट्रोल पंप के सामने
33.	135, 2.3.2002, 279/337	रामाकृष्णापुरम	मोतीबाग
34.	146, 4.3.2002, 279/337	-तदैव-	हैयात फ्लाईओवर के नजदीक
35.	179, 19.3.2002, 279/337	-तदैव-	मोती बाग फ्लाईओवर
36.	94, 22.4.2002, 279/304-ए	नारायणा	नारायणा टी प्वाईंट
37.	242, 26.4.2002, 279/337	-तदैव-	धौला कुआं
38.	208, 8.4.2002, 279/304-ए	रामाकृष्णापुरम	सेक्टर 3 आर.के.पुरम
39.	236, 22.4.2002, 279/337/304-ए	रामाकृष्णापुरम	भीकाजी चौक
40.	6, 4.1.2002, 279/337	पंजाबी बाग	पंजाबी बांग चौक के नजदीक
41.	1, 1.1.2002, 279/304-ए	पश्चिम विहार	ज्वाला हेरी बाजार
42.	66, 1.2.2002, 279/337	पंजाबी बाग	पंजाबी बाग फ्लाईआवर के नजदीक
43.	99, 16.2.2002, 279/337	-तदैव-	पंजाबी बाग के नजदीक
44.	103, 18.2.2002, 279/337/304-ए	-तदैव-	रेड लाईट पंजाबी बाग
45.	113, 25.2.2002, 279/337	-तदैव-	पंजाबी बागं फ्लाईओवर
46.	147, 10.3.2002, 279/304	राजौरी गार्डन	राजा गार्डन चौक
47.	193, 21.3.2002, 279/337	पंजाबी बाग	पंजाबी बाग फ्लाईओवर के नजदीक
48.	205, 25.3.2002, 279/337/304-ए	-तदैव-	-तदैव-
49.	213, 29.3.2002, 279/337	पंजाबी बाग	पंजाबी बाग फ्लाईओवर
50.	122, 24.3.2002, 279/337/304-ए	पश्चिम विहार	व्हाइट हाऊस के नजदीक
51.	133, 29.3.2002, 279/337	पश्चिम विहार	पीरागढ़ी चौक
52.	139, 11.4.2002, 279/337	कीर्ति नगर	मायापुरी चौक फ्लाईओवर
53.	269, 21.4.2002, 279/337	पंजाबी बाग	पंजाबी बाग चौक
54.	114, 6.4.2002, 279/337	पश्चिम विहार	पीरागढ़ी चौक
55.	157, 11.4.2002, 279/304-ए	-तदैव-	-तदैव-

1	2	3	4
56.	181, 26.4.2002, 279/337	पश्चिम बिहार	बाहरी रिंग रोड़
57.	11, 8.1.2002, 279/337	कश्मीरी गेट	आई.एस.बी.टी. के बाहरी गेट
58.	13. 17.1.2002, 279/338	सिविल लाईन	मोनेस्टरी के नजदीक
59.	8, 13.1.2002, 279/337/304-ए	सिविल लाईन	लाजपत नगर के नजदीक
60.	19, 24.1.2002, 279/337-ए	सिविल लाईन	हनुमान मंदिर के नजदीक
61.	5, 4.1.2002, 279/337	तिमार पुर	होट मिक्स प्लांट के नजदीक
62.	47, 3.2.2002, 279/337	कश्मीरी गेट	आई.एस.बी.टी. के बाहरी गेट
63.	70, 19.2.2002, 279/304-ए	कश्मीरी गेट	हनुमान सेतु के नजदीक
64.	72, 20.2.2002, 279/337	कश्मीरी गेट	निगम बोध घाट के सामने
65.	57, 28.2.2002, 279/337	सिविल लाईन	चंदगी राम अखाड़ा के सामने
66.	84, 13.2.2002, 279/304-ए	कोतवाली	विजयघाट के नजदीक
67.	53, 4.2.2002, 279/304-ए	तिमारपुर	तिब्बतियन कैंप के नजदीक
68.	71, 20.2.2002, 279/337	तिमारपुर	गोपालपुर के नजदीक
69.	94, 4.3.2002, 279/337	कश्मीरी गेट	आई.एस.बी.टी. के नजदीक
70.	103, 9.3.2002, 279/337	कश्मीरी गेट	आई.एस.बी.टी. फ्लाई ओवर के नजदीक
71.	126, 19.3.2002, 279/304-ए	कश्मीरी गेट	आई.एस.बी.टी. का बाहरी गेट
72.	62, 4.3.2002, 279/337	सिविल लाईन्स	खैबर पास
73.	85, 24.3.2002, 279/337	सिविल लाईन्स	मुद्रिका बस स्टाप के नजदीक
74.	76, 21.3.2002, 279/304-ए	सिविल लाईन्स	आई.एस.बी.टी. मोनेस्ट्री बाजार के नजदीक
75.	167, 12.3.2002, 279/337	कोतवाली	सालेम गढ़ के सामने
76.	91, 14.3.2002, 279/337	तिमारपुर	बुराड़ी चौक
77.	97, 18.3.2002, 279/337	तिमारपुर	गोपालपुर के नजदीक
78.	102, 20.3.2002, 279/337	तिमारपुर	निरंकारी सरोवर के नजदीक
79.	116, 29.3.2002, 279/337	तिमारपुर	एम. के. टीला के नजदीक
80.	181, 19.4.2002, 279/304-ए	कश्मीरी गेट	केला घाट के नजदीक

1	2	3	4
81.	190, 24.4.2002, 279/337	कश्मीरी गेट	यमुना बाजार
82.	118, 30.4.2002, 179/337	सिविल लाइन्स	बुद्ध बिहार पिकेट के नजदीक
83.	237, 16.4.2002, 279/337	कोतवाली	मंकी ब्रिज के नजदीक
84.	170, 30.4.2002, 279/337	तिमारपुर	गोपालपुर के नजदीक
85.	131, 7.4.2002, 279/304-ए	तिमारपुर	बुराड़ी चौक
86.	163, 25.4.2002, 279/304-ए	तिमारपुर	सिन्धी बाबा मंदिर के नजदीक
87.	44, 22.1.2002, 279/304-ए	शालीमार बाग	डब्ल्यू पी आई ए, रिंग रोड़
88.	23, 11.1.2002, 279/337	मॉडल टॉउन	आजादपुर
89.	34, 26.1.2002, 279/337	मुखर्जी नगर	पुराना डाकघर रिंग रोड के नजदीक
90.	8, 5.1.2002, 279/304-ए	मंगोलपुरी	दीपाली चौक
91.	43, 18.1.2002, 279/337	मंगोलपुरी	वैस्ट इनक्लेव
92.	70, 24.1.2002, 279/337	मंगोलपुरी	पुष्पाजंली इनक्लेव के नजदीक
93.	20, 10.1.2002, 279/337	सरस्वती विहार	ब्रिटेनिया चौक
94.	8, 3.1.2002, 279/304-ए	शालीमार बाग	हैदरपुर के नजदीक
95.	49, 28.1.2002, 279/304-ए	रोहिणी	सेक्टर 7 रोहिणी
96.	51, 29.1.2002, 279/304-ए	रोहिणी	अवन्तिका बस स्टेंड
97.	22, 22.1.2002, 279/304-ए	प्रशान्त विहार	टी प्वाइंट बस स्टेंड
98.	26, 24.1.2002, 279/304-ए	प्रशान्त विहार	सेक्टर 9 रोहिणी
99.	11, 16.1.2002, 279/304-ए	कंझावला	कंझावला रोड़ के नजदीक
100.	13, 6.1.2002, 279/304-ए	सरस्वती विहार	तिकोना पार्क, शकूरपुर के नजदीक
101.	28, 18.1.2002, 279/304-ए	केशव पुरम	कन्हैया नगर चौक
102.	66, 28.2.2002, 279/337	आदर्श नगर	आजादपुर फ्लाईओवर
103.	71, 5.2.2002, 279/337	शालिमार बाग	फ्लाईओवर शालीमार बाग
104.	106, 17.2.2002, 279/337	-तदैव-	अशोक बिहार बस स्टेंड
105.	132, 28.2.2002, 279/337	-तदैव-	ऑल हैवन्स के नजदीक
106.	102, 2.2.2002, 279/337	सरस्वती विहार	रेड लाईट डब्ल्यू डिपो

1	2	3	4
107.	129, 14.2.2002, 279/337/304-ए	सरस्वती विहार	ब्रिटेनिया चौक
108.	132, 18.2.2002, 279/304-ए	मंगोलपुरी	मंगोलपुरी रेड लाईट
109.	89, 11.2.2002, 279/304-ए	शालीमार बाग	जे यू ब्लॉक, पीतमपुरा
110.	57, 2.2.2002, 279/304-ए	रोहिणी	सेक्टर-5, रोहिणी
111.	134, 19.2.2002, 279/304-ए	मंगोलपुरी	ए ब्लॉक मंगोलपुरी
112.	199, 9.3.2002, 279/337	सरस्वती विहार	वजीरपुर डिपो
113.	249, 31.3.2002, 279/337	मंगोलपुरी	काली माता मंदिर के नजदीक
114.	99, 16.3.2002, 279/337	आदर्श नगर	मुकुन्दपुर चौक
115.	163, 11.4.2002, 279/337	मुखर्जी नगर	हकीकत नगर
116.	312, 26.4.2002, 279/337	मंगोलपुरी	परवाना रोड़ के नजदीक
117.	274, 4.4.2002, 279/337	सरस्वती विहार	ब्रिटेनिया फ्लाईओवर
118.	284, 8.4.2002, 279/304-ए	-तदैव-	-तदैव-
119.	337, 27.4.2002, 279/337	-तदैव-	वजीरपुर डिपो
120.	12. 9.1.2002, 279/337	इन्द्रप्रस्थ स्टेट	बस स्टॉप रिंग रोड़
121.	56, 19.2.2002, 279/304-ए	इन्द्रप्रस्थ स्टेट	इन्द्रप्रस्थ फ्लाईओवर
122.	84, 16.3.2002, 279/337	-तदैव-	रेलवे फाटक के नजदीक
123.	98, 28.3.2002, 279/337	-तदैव-	आई आई पी ए बिल्डिंग
124.	43, 29.1.2002, 279/304-ए	तिलक मार्ग	झुग्गी नागला माची

फसल की उत्पादकता में गिरावट

7166. श्री जी.एस. बसवराज : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण भारत में फसलों की उत्पादकता में गिरावट के आसार नजर आ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने चेताया है कि यह स्थिति सन, 2005 तक और गंभीर हो जायेगी और उसने पोटेशियम फॉस्फेट उर्वरकों पर राजसहायता देने की सलाह दी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की सलाह पर कोई कार्यवाही नहीं की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) नाइट्रोजेनियम उर्वरकों के उपयोग से देश में कहां तक भू-असंतुलन की स्थिति बनी है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ङ) चार दक्षिणी राज्यों नामत: आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में 1995-96 से 2000-01 के

बीज कुछ फसलों की फसल उत्पादकता में सीमान्त गिरावट आई है। उपरोक्त चार राज्यों की कुछ कृष्य फसलों की उत्पादकता दर का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई सी ए आर) ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है कि 2005 के बाद दक्षिण भारत में मृदा उत्पादकता में काफी गम्भीर गिरावट होगी जिससे पोटाशिक एवं फॉस्फेटिक उर्वरकों पर राजसहायता प्रदान करने के लिए आवश्यकता होगी। आईसीएआर मृदा स्थिति और फसल उत्पादकता बनाये रखने के लिए पौध पोषक के अकार्बनिक एवं कार्बनिक दोनों स्रोतों के संयुक्त प्रयोग के द्वारा मृदा जांच आधारित संतुलित एवं समेकित पोषक प्रबन्ध की अनुशंसा करती है। सरकार नियंत्रण मुक्त फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरकों पर रियायत योजना के अन्तर्गत किसानों को पहले से ही वहनीय मूल्यों पर फॉस्फेटिक एवं पोटाशिक उर्वरक उपलब्ध करा रही है।

विवरण

1995-96 से 2000-01 के दौरान दक्षिण भारत में कुछ कृष्य फसलों की उत्पादकता दरें

राज्य	फसल/समूह	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-02	2000-01
आन्ध्र प्रदेश	धान	2441	2601	2431	2752	2650	2842
	खाद्यान्न	1693	1877	1660	2022	1919	1995
	नौ तिलहने	967	803	548	898	536	893
	ईख	70999	75414	72607	77226	80121	81521
	कपास	259	315	248	202	261	277
कर्नाटक	चावल	2390	2364	2374	2563	2564	2520
	खाद्यान्न	1261	1250	1140	1348	1286	1406
	नौ तिलहने	666	674	551	686	602	624
	ईख	79559	82859	91455	102630	100716	102727
	कपास	214	237	246	261	207	298
केरल	चावल	2023	1958	1975	2061	2204	2162
	खाद्यान्न	1943	1877	1855	1941	2094	2056
	नौ तिलहने	564	615	692	596	611	648
	ईख	85721	92898	92898	73155	99793	80552
	कपास	268	279	291	282	273	290
तमिलनाडु	चावल	2712	2671	3050	3579	3481	3415
	खाद्यान्न	1918	1948	2225	2562	2343	2262
	नौ तिलहने	1458	1438	1476	1651	1483	1500
	ईख	100994	99841	106731	110270	108360	107285
	कपास	221	222	267	316	324	285

अनुसंधान कार्यों के लिए परियोजना

7167. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसंधान कार्यों में संस्थानों को सहायता देने के उद्देश्य से 70 करोड़ रुपये की राशि की एक परियोजना-निधि संस्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो अनुसंधान कार्यों के लिए संस्थानों को इस निधि से सहायता देने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या इन संस्थाओं को वार्षिक आधार पर भी सहायता प्राप्त हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो अनुसंधान कार्यों हेतु सहायता अनुदान का विविधीकरण करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बचदा'): (क) से (घ) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वर्ष 2000-2001 के दौरान "विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों में एस एण्ड टी की बुनियादी सुविधाओं के सुधार हेतु निधि (एफ आई एस टी)" योजना आरंभ की है। इस योजना का लक्ष्य शिक्षण और अनुसंधान को सुदृढ़ करने के लिए आधारिक संरचना और समर्थता प्रदान करने वाली सुविधाएं तथा वातावरण उपलब्ध कराना और नई वैज्ञानिक प्रतिभा को आकर्षित करना है। सहायता का लक्ष्य 2 स्तरों पर है : स्तर I-शिक्षण और अनुसंधान के गुणवत्ता विकास के लिए संतुलित निधि; और स्तर II-प्रतियोगी अनुसंधान संचालित करने के लिए अधुनातन उपकरण प्राप्ति के लिए सारभूत निधि। संस्थानों को यह सहायता 5 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने इस योजना के लिए 75 करोड़ रुपये का आबंटन किया है।

दवाओं का मूल्य-निर्धारण

7168. डा. बलिराम : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमिकेसिन, डेक्स्ट्रोप्रोपॉक्सीफेना, डॉयस्मिन और मेफेनेमिक एसिड संपाकों के मूल्य अभी निर्धारित ही नहीं किए गए हैं और इन्हें अधिक मूल्य पर बेचा जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और इसके कारण क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) चूंकि एमिकेसिन, और मेफेनेमिक एसिड के सूत्रयोग औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी पी सी ओ, 1995) के तहत गैर अनुसूचीबद्ध सूत्रयोग हैं, अत: उनके सूत्रयोग निर्माता स्वयं अपने मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सीफेन और डायस्मिन पर आधारित सूत्रयोग डी पी सी ओ, 1995 के तहत अनुसूचीबद्ध सूत्रयोग हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन पी पी ए) ने डेक्स्ट्रोप्रोप्रोक्सीफेन और डॉयस्मिन पर आधारित सूत्रयोग के सीलिंग/गैर सीलिंग मूल्य निर्धारित किए थे। डेक्स्ट्रोप्रोप्रोक्सीफेन पर आधारित सूत्रयोगों के संबंध में अधिक वसूली का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है। डॉयस्मिन, डॉयस्मिन पर आधारित सूत्रयोगों के मामले में डी पी सी ओ, 1995 के पैरा 13 के अन्तर्गत अधिक वसूली करने के कारण दो कंपनियों को कारण बताओं नोटिस जारी किए गए थे।

यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी और एस.एस.पी. पर राजसहायता में कटौती

7169. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने यूरिया, डी.ए.पी., एम ओ पी और एस एस पी उर्वरकों पर राजसहायता में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कटौती को वापिस लेने के संबंध में सरकार को कृषकों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कृषि मंत्रालय ने भी सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस विषय पर सरकार का क्या निर्णय है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ङ) वर्ष 2002-03 के बजट निष्पादन के अंग के रूप में यूरिया, डी ए पी और एम ओ पी के मूल्यों में 5% वृद्धि की गई है। उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि को वापस लेने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं तथापि, सरकार के राजकोषीय संपोषण को ध्यान में रखते हुये ऐसे अनुरोध स्वीकार नही किये गये हैं।

इंजिनों के लिए खाद्य-तेल से तैयार ईंधन

7170. श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलकाता अभियांत्रिकी एवं प्रबंधन संस्थान के वैज्ञानिकों ने खाद्य-तेल से ईंधन तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस ईंधन को कम मूल्य पर उत्पादित किया जा सकता है और बिना स्नेहकों के डीजल इंजिनों में उपयोग किया जा सकता हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन वैज्ञानिकों ने इस ईंधन के पेटेन्ट के लिए आवेदन किया है तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से अनुरोध किया है कि इस ईंधन का वितरण, इस प्रयोजनार्थ अलग से सहकारी संघ निर्मित करके किया जाये;

(घ) यदि हां तो क्या सरकार ने इसकी समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) से (ङ) कोलकाता आभियांत्रिकी एवं प्रबंधन संस्थान ने किसी भी सहायता के लिए खाद्य तेलों से ईंधन संबंधी पेटेंट के विषय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार से संपर्क नहीं किया है। देश में बहुत से संस्थानों ने खाद्य तेलों विशेषत: अखाद्य तेलों के डीजल इंजिनों में ईंधन के रूप में प्रयोग पर अध्ययन किए हैं। ये वैकल्पिक ईंधन जैव-डीजल्स (बायो-डीजल्स) के नाम से जाने जाते हैं और इनमें ऊर्जा के स्रोत बनने की क्षमता है। हांलाकि इन ईंधनों का प्रयोग कर रहे इंजिनों की दीर्घकालिक निष्पादन अब तक निश्चित नहीं है।

राष्ट्रीय अंतरिक्ष-सूचना की आधार संरचना का सृजन

7171. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का एक राष्ट्रीय अंतरिक्ष-सूचना आधार संरचना (एन. एस. डी. आई.) सृजित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत 'बचदा') : (क) जी हां, एन एस डी आई के सृजन के लिए एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया गया है।

(ख) एन एस डी आई संगठित अंतरिक्ष की सूचनाओं की पहुंच के लिए उपलब्धता की एक राष्ट्रीय आधार संरचना है जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए समुदाय, स्थानीय, राज्य, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर इससे लाभ प्राप्त करने के लिए निकायों/एजेंसियों/संस्थानों को समर्थ बनाता है।

ये ऐसी सूचनाओं की पहुंच और उपलब्धता को सुगमीकृत करने वाली प्रौद्योगिकीयों, नीतियों और संस्थायी प्रबंधनों का संग्रह है।

एन एस डी आई मानक अंतरिक्ष सूचनाओं समुच्चओं (सेटों) और उनके ब्यौरों (मेटाडाटा) जैसे स्केल, प्रोजेक्शन, संसाधन आदि के संबंधित एक कम्प्यूटर नेटवर्क की ध्यान रखती है जो वर्तमान में बहुत से संबद्ध संगठनों/कार्यक्रमों द्वारा कागज फोरमेट में उपलब्ध कराया जाता है। एन एस डी आई के संचालन की सहायता से सभी डिजीटल अंतरिक्ष सूचनाओं को एकमात्र गेटवे से प्राप्त करना सम्भव हो सकेगा।

एन एस डी आई और अन्य तकनीकी पक्षों को कार्यान्वित करने और अंतिम रूप देने के लिए एक टास्क फोर्स और चार वर्किंग ग्रुपों को गठित किया गया है।

हैदराबाद को महानगरों की सूची में शामिल करना

7172. श्री वाई.वी. राव : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि हैदराबाद देश के अन्य स्थानों की तुलना में द्वितीय श्रेणी में रखे गये शहरों में से एक है और इस हेतु इसे अवार्ड मिल रहा है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार का हैदराबाद को महानगरों की सूची में शामिल करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार आवास और नगर विकास निगम लि. (हडको) ने हैदराबाद शहर में आवास, शहरी अवस्थापना, कम लागत सफाई, स्वच्छ शहर, पर्यावरण अनुकूल तथा उर्जा क्षम परियोजनाओं के क्षेत्र में बेहतर कार्यनिष्पादन हेतु हैदराबाद शहरी विकास प्राधिकरण तथा

नगर निगम हैदराबाद को संयुक्त रूप से स्वच्छ शहर पुरस्कार दिया था।

हैदराबाद पहले से ही मेट्रोपोलिटन शहर है।

सी.एस.आई.आर के संस्थानों का बंद किया जाना और उनका विलयन

7173. श्री टी.एम. सेल्वागनपति :
श्री वैको :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिकी अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.) ने अपने 80 तत्स्थान-सेवा केन्द्रों (आउटरीच सेंटर्स) में से 40 को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सी.एस.आई.आर. ने अपने संस्थानों - राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (निस्कॉम) और भारतीय वैज्ञानिक प्रलेखन केन्द्र (आई.सी.डी.सी.)-को भी विलय करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो ये दोनों संस्थान कहां स्थित हैं और इनकी शाखाएं कहां-कहां हैं तथा इनमें कितने वैज्ञानिक तथा गैर-वैज्ञानिक श्रेणी के अधिकारी कार्यरत हैं;

(ङ) इनके विलय करने का आधार क्या है;

(च) क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया था;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) इस विलय के वित्तीय और अन्य लाभ क्या होंगे; और

(झ) अतिशेष कर्मचारियों को किस प्रकार पुनर्नियुक्त किया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलते हुए आर्थिक, औद्योगिक और अनुसंधान व विकास परिदृश्य के परिणामस्वरूप सीएसआईआर द्वारा अपनी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया आरम्भ की गई है। निवेशों से इष्टतम लाभ प्राप्त करने के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। तदनुसार, 94 दूरस्थ केन्द्रों में से 47 केन्द्रों को बंद करने अथवा सीएसआईआर के अन्य प्रतिष्ठानों के साथ विलय करने के लिए अभिज्ञात किया गया है?

(ग) से (ज) जी हां। यह पुनगर्ठन उपाध्यक्ष, सीएसआईआर के अनुमोदन से गठित समीक्षा समिति के निष्कर्षों पर आधारित है। अपनी रिपोर्ट में समिति ने यह टिप्पणी की कि भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख पोषण केन्द्र (आईएनएसडीओसी) द्वारा की जा रही केन्द्रित गतिविधियां अप्रासंगिक हो चुकी थीं और राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (निस्कॉम) को विज्ञान संचार के चार्टर के भीतर सामर्थ्य और कार्यक्रमों के विकास के सुपरिभाषित मार्ग पर अग्रसर होने की आवश्यकता है। समिति ने यह भी टिप्पणी की कि दोनों संस्थानों को महत्वपूर्ण प्रतिस्पद्धाओं और ढांचागत सुविधाओं को संसोधनों के लाभदायक दोहन के लिए एकल सत्ता (एन्टिटि) में विलय करके व्यापक और सहक्रियात्मक बनाए जाने की आवश्यकता है। यह परिकल्पना की गई है कि विलय की गई यह सत्ता (एन्टिटि) देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मौजूदा और परम्परागत ज्ञान प्रणाली पर सभी प्रकार के सूचना संसाधनों की प्रमुख अभिरक्षक होगी और सबसे उपयुक्त प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए सभी स्तरों के विविध घटकों में विज्ञान में संचार को प्रोत्साहित करेगी। अत: समीक्षा समिति के निष्कर्षों का अनुपालन करते हुए भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख पोषण केन्द्र (आईएनएसडीओसी), 14 सत्संग विहार मार्ग, नई दिल्ली - 110067 को राष्ट्रीय विज्ञान संचार संस्थान (निस्कॉम), डॉ. के.एस. कृष्णन मार्ग, नई दिल्ली - 110012 के साथ विलय करने का निर्णय लिया गया है। इन्सडॉक में वैज्ञानिकों; वैज्ञानिक एवं तकनीकी; और प्रशासनिक कार्मिकों की संख्या क्रमश: 30, 119 और 85 है, जबकि निस्कॉम में यह संख्या क्रमश: 74, 128 और 88 है। आईएनएसडीओसी के बंगलूर, कोलकाता और चैन्नै में तीन केन्द्र थे जबकि निस्कॉम का कोई केन्द्र नहीं है।

(झ) उपयुक्त प्रशिक्षण के जहां कहीं भी आवश्यक होगा उनकी अर्हता, अनुभव, आयु और उपयुक्तता के आधार पर स्टाफ की पुन: तैनाती नए कार्यों/गतिविधियों को आरम्भ करने के लिए की जाएगी।

नाइट्रोजनी उर्वरक संयंत्र की स्थापना

7174. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2002-2003 के दौरान उड़ीसा में एक नाइट्रोजनी उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, नही।

(ख) प्रश्न नही उठता।

आई.डी.एस.एम.टी. के अन्तर्गत वारंगल को शेष राशि जारी किया जाना

7175. श्री राममोहन गाड्डे : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु और मध्यम शहरों के समेकित विकास संबंधी योजना (आई.डी.एस.एम.टी.) के अंतर्गत वारंगल शहर को 90 लाख रुपये की शेष राशि जारी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश के उन अन्य शहरों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इस योजना के तहत केन्द्रीय सहायता देने के लिए चुना गया है तथा विगत तीन वर्षों के दौरान इस हेतु जारी की गई धनराशि की और राज्य सरकार से इसके उपयोग के संबंध में प्राप्त प्रमाण पत्रों की स्थिति क्या है;

(घ) क्या इस पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने और नौकरशाही के स्तर पर होने वाले विलम्ब को हटाने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, नहीं। वारंगल कस्बे को आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के तहत वर्ष 1995-96 में शामिल किया गया और 180.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दो किस्तों में जारी की गयी। राज्य सरकार द्वारा जनवरी, 2000 में प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट सहित उपयोगिता प्रमाण पत्र में कार्यान्वयन एजेंसी को केवल 90.00 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता तथा 60.00 लाख रुपया का राज्य अंश जारी किया जाना बताया गया है। चूंकि राज्य सरकार ने उन्हें जारी की गयी कुल केन्द्रीय सहायता (180.00 लाख रुपये) के साथ-साथ उसके अनुरूप राज्य अंश (120.00 लाख रुपये) की राशि कार्यान्वयन एजेंसी को नहीं दी, कस्बे को बाकी केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए पात्र नहीं माना गया। राज्य सरकार को मार्च, 2000 में इस स्थिति से अवगत करा दिया गया। चूंकि राज्य सरकार ने संगत राज्य अंश (60 लाख रुपये) के साथ-साथ केन्द्रीय सहायता (90 लाख रुपये) की दूसरी किस्त को आगे हस्तांतरित नहीं किया तथा कट ऑफ डेट अर्थात् 31.3.2001 तक अपेक्षित स्तर तक धन का उपयोग नहीं हो पाया इसलिए बाकी 90 लाख रुपये (270 लाख रुपये में से) की केन्द्रीय सहायता नहीं जारी की जा सकी।

(ग) आई.डी.एस.एम.टी. के तहत 31 मार्च, 2002 तक 94 कस्बों को 4995.64 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गयी जिसकी तुलना में राज्य सरकार द्वारा 8185.12 लाख रुपये का उपयोग किया गया। तथापि, उपर्युक्त उपयोग में राज्य अंश भी शामिल है। कस्बा-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(घ) और (ङ) आई.डी.एस.एम.टी. एक केन्द्र प्रवर्तित स्कीम है जिसका कार्यान्वयन राज्य/स्थानीय निकाय स्तर पर किया जा रहा है। शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय इस स्कीम की प्रगति को मॉनीटर करती है। आंध्र प्रदेश में आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम कार्यान्वयन की प्रद्धति तथा वारांगल सहित विभिन्न कस्बों की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्टों के साथ-साथ विशेषकर उपयुक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र (अर्हकारी व्यय) देने का मामला राज्य सरकार के साथ काफी पहले ही उठाया जा चुका है। स्कीम के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तथापि, कुछ मामलों में राज्य सरकार कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय सहायता के साथ-साथ संगत राज्य अंश जारी करने में विलम्ब करती है जिसके परिणामस्वरूप परियोजनाओं के निष्पादन में विलंब होता है।

विवरण

मार्च, 2002 तक आंध्र प्रदेश में आई.डी.एस.एम.टी. का ब्यौरा

योजना	क्र.सं.	कस्बा	अनुमोदित लागत	जारी केन्द्रीय सहायता	जारी राज्य अंश	व्यय सूचित उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
6वीं योजना	1	रामचन्द्रपुरम	86.60	40.00	40.00	90.93
	2.	तैनाली	106.30	40.00	40.00	149.74

1	2	3	4	5	6	7
	3.	अनाकापल्ली	96.40	33.83	28.00	111.40
	4.	विजयनगरम	87.68	40.00	40.00	106.31
	5.	भीमवरम	154.98	40.00	40.00	129.10
	6.	करीमनगर	127.32	40.00	40.00	103.45
	7.	तिरूपति	78.72	39.36	39.36	171.86
	8.	श्रीकाकूलम	98.56	40.00	40.00	84.54
	9.	मैडक	84.38	40.00	40.00	109.50
	10.	गंटकल	122.15	40.00	40.00	102.27
	11.	चित्तूर	105.09	5.00	5.00	10.47
	12.	गडवल	99.59	40.00	40.00	127.95
	13.	नांदयाल	112.65	40.00	40.00	90.85
	14.	प्रोदातूर	105.06	40.00	40.00	93.56
	15.	महबूबनगर	130.21	30.00	30.00	73.97
	16.	भीममूनिपटनम	100.00	36.00	36.00	61.55
	17.	जहिराबाद	99.28	40.00	50.40	94.89
	18.	सिद्दीपेट	85.93	0.00	0.00	0.00
		उपलब्ध	1880.90	624.19	628.76	1712.34
7वीं योजना	19.	ओंगोल	100.02	45.98	47.23	93.21
	20.	गुडीवड़ा	134.75	46.00	46.00	96.65
	21.	आदिलबाद	109.00	40.00	40.00	80.00
	22.	नलगोंडा	78.43	39.22	39.22	78.43
	23.	कावली	96.75	20.00	20.00	40.00
	24.	येमीगनूर	119.84	8.50	8.50	17.00
	25.	पेड्डापुरम	95.62	20.00	20.00	40.82
	26.	खमाम	141.99	45.00	45.00	93.27
	27.	मछलीपटनम	63.30	29.75	29.50	59.50
		उपयोग	939.70	294.45	295.70	598.88

1	2	3	4	5	6	7
1990-91	28.	टाडेपल्लीगुड्डम	93.82	42.50	42.50	85.00
	29.	टाडीपतरी	92.00	46.00	46.00	91.99
	30.	कामरेड्डी	75.16	25.00	25.00	50.00
	31.	नरसरावपेट	95.64	27.50	27.50	55.00
		उपयोग	356.62	141.00	141.00	281.99
1991-92	32.	तानूकू	91.35	45.68	44.21	89.88
	33.	धर्मवरम	113.32	20.00	20.00	40.00
	34.	रामचन्द्र पुरम-I	72.36	18.00	18.00	36.00
	35.	तंडूर	75.04	34.00	33.00	67.00
	36.	सिद्दीपेड-I	45.77	10.00	10.00	20.00
		उपयोग	379.84	127.68	125.21	252.88
8वीं योजना	37.	वानापार्थी	84.67	30.48	20.32	47.61
	38.	काकीनाड़ा	244.23	29.50	19.66	126.00
	39.	जगयापेटा	347.63	48.00	32.00	92.36
	40.	करनूल	347.28	62.51	37.67	140.01
	41.	कूडापा	1005.27	110.00	73.33	206.20
	42.	नेदादावोल	195.75	20.00	13.33	15.87
	43.	मदनपल्ले	500.69	52.50	37.50	140.74
	44.	चिराला	325.04	49.00	32.66	55.80
	45.	रिपाल्ली	153.72	36.00	24.00	115.49
	46.	पोन्नूर	625.25	80.00	53.34	408.81
	47.	नरायणपेट	412.20	48.00	32.00	114.00
	48.	जगतियाल	460.24	73.00	73.32	187.00
	49.	श्रीकलांहस्ती	555.14	80.00	52.33	117.23
	50.	निजामाबाद	1025.00	120.00	80.00	196.74
	51.	अनन्तपु	797.04	95.00	63.32	472.66

1	2	3	4	5	6	7
	52.	विकाराबाद	222.90	48.00	31.00	40.71
	53.	चिल्लाकलूरीपेट	331.48	52.00	34.66	67.43
	54.	अमलापुरम	335.29	47.50	31.66	84.09
	55.	मिरियालगुड्डा	363.93	58.00	38.66	179.50
	56.	अदोनी	386.64	50.77	32.25	138.71
	57.	संगरेड्डी	321.61	52.50	34.99	37.63
	58.	गुड्डूर	68.44	7.59	4.19	31.96
	59.	हिन्दूपुर	532.90	64.00	42.66	82.60
	60.	बोधन	241.36	50.43	23.47	103.58
	61.	अमादलवलवसा	200.00	88.00	58.67	132.50
	62.	विजयनगरम-I	432.00	155.00	103.33	338.00
	63.	राजामुंदरी	418.22	140.00	93.33	152.35
	64.	गुंटूर	553.40	166.00	110.67	206.54
	65.	चित्तूर-I	513.30	196.00	130.66	246.54
	66.	वारंगल	797.00	180.00	120.00	162.61
	67.	तूनी	209.35	90.00	43.00	79.00
	68.	तिरूपति-I	414.17	105.00	70.00	217.78
	69.	नेल्लोर	510.90	84.00	56.00	64.72
	70.	गढ़वल	119.80	35.00	23.33	83.00
	71.	भौंगीर	172.00	51.00	33.99	65.70
	72.	कुप्पम	122.00	16.00	10.67	8.62
	73.	इल्लूरू	499.37	85.00	56.66	327.23
	74.	बोबली	142.11	63.94	31.16	52.00
		उपयोग	14987.21	2819.72	1859.79	5339.03
9वीं योजना	75.	मछलीपटनम	447.88	58.00	0.000	0.00
	76.	करीमनगर	484.65	43.00	28.67	0.00

1	2	3	4	5	6	7
	77.	मछेरला	134.10	20.00	13.33	0.00
	78.	गजूवाका	429.94	55.00	36.67	0.00
	79.	रामगुंडम	550.00	70.00	46.67	0.00
	80.	महबूबनगर	482.13	64.00	42.67	0.00
	81.	मांडापेट्टा	267.83	30.00	19.99	0.00
	82.	तेनाली	454.13	57.00	0.00	0.00
	83.	नलगोंडा	275.70	36.50	0.00	0.00
	84.	नांदयाल	498.89	63.00	0.00	0.00
	85.	सूर्यापेट	414.41	75.00		
	86.	बापतला	271.01	58.00		
	87.	कोवूर	263.90	45.00		
	88.	नोजीविडू	243.60	45.00		
	89.	सिरसिला	195.43	41.90		
	90.	पेडाना	63.02	14.20		
	91.	अनन्तपुर	793.42	57.50		
	92.	सदाशिवपेट	166.70	37.50		
	93.	अनकापल्ले	224.50	48.00		
	94.	कादरी	346.22	70.00		
		उपयोग	7007.46	988.60	188.00	0.00
		कुल	25560.73	4995.64	3238.46	8185.12

अप्रयुक्त सरकारी भूमि

7176. श्री टी.टी.वी. दिनाकरन : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न मंत्रालयों के स्वामित्व वाली सरकारी अप्रयुक्त भूमि के बारे में, जो कई वर्षों से रिक्त ही पड़ी है, आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्व-वृद्धि की दृष्टि से भविष्य में इस अप्रयुक्त भूमि का वाणिज्यिक रूप से इस्तेमाल करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचारधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ग्रामीण आवास कार्यक्रम के तहत दिये गये ऋण का अन्यत्र उपयोग

7177. डा. एन. वेंकटस्वामी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राज्य सरकारों द्वारा कमजोर वर्गों के लिए ग्रामीण आवास योजना कार्यक्रम के तहत दिये गये ऋणों का कुप्रबंधन और अन्यत्र उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) ऐसे राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है या किये जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) जिन मामलों में मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को ऋण दिये गये हैं उनमें ग्रामीण विकास मंत्रालय कमजोर वर्गों के लिए आवास कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं कर रही है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

आई.डी.एस.एम.टी. योजना का कार्यान्वयन

7178. श्री विनय कुमार सोराके :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक ने मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष की अपनी रिपोर्ट में, लघु और मध्यम शहरों के समेकित विकास योजना (आई.डी.एस.एम.टी.) के कार्यान्वयन में उसके उद्देश्य की पूर्ति में सरकार की विफलता पर गंभीर चिंता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के बंद करने के पीछे क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कोई वैकल्पिक योजना तैयार की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने 31 मार्च, 2001 को समाप्त वर्ष के लिए 2002 की अपनी रिपोर्ट संख्या 2 में छोटे तथा मझोले कस्बों की एकीकृत विकास (आईडीएसएमटी) स्कीम के अंतर्गत अपर्याप्त कस्बों को शामिल करने, असंतोषजनक परियोजना निष्पादन, वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता के बारे में टिप्पणी की है।

(ख) और (ग) आई डी एस एम टी स्कीम को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनधिकृत कालोनियों को नियमित करना

7179. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 31 मार्च, 2002 तक बन चुकी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने का इरादा जाहिर किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पहले सरकार की नीति केवल उन्हीं अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की थी, जो 31 मार्च, 1973 के पूर्व बनी थी;

(ग) यदि हां, तो इस नीति में परिवर्तन के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस तरह कुछ विरोधाभासी परिवर्तन से कानून की अवज्ञा किये जाने या इसी प्रकार की स्थितियों को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ईमानदार और प्रमाणिक कार्यकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (च) भारत सरकार दिनांक 31.3.1993 के पहले बनी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए सिद्धांतत: सहमत हो गयी है। इस संबंध में अभी तक सरकार के दृष्टिकोण में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तथापि, दिल्ली सरकार कट ऑफ डेट को 31.3.1998 तक बढ़ाने एवं नियमितीकरण के लिए दिशानिर्देशों के नियमितीकरण के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों की जांच करने तथा उनके शीघ्र नियमितीकरण के लिए अपेक्षित उपांतरण यदि कोई हों, करने के लिए सचिव, (शहरी विकास), भारत सरकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है।

यह बताना भी प्रासंगिक है कि दिल्ली उच्च न्यायलय ने सिविल रिट याचिका सं. 4771/93-कॉमन (रजि.) सोसायटी बनाम

भारत संघ में अगले आदेश तक सरकार द्वारा दिल्ली में किसी अनधिकृत कॉलोनी को नियमित करने पर रोक लगा दी है। मामला अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है।

तमिलनाडु में आवासगृहों के निर्माण हेतु आबंटन

7180. **श्री पी.डी. एलानगोवन** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान "हुडको" एच.डी.एफ.सी. और तमिलनाडु सरकार को कितनी धनराशि दी गई और राज्य में निर्मित आवास गृहों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : आवास तथा नगर विकास निगम लि. (हडको) क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशियों की नियतन करती है। धनराशियों का वास्तविक वितरण विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश एजेंसियों से मांग पर निर्भर करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हडको द्वारा तमिलनाडु राज्य के लिए स्वीकृत ऋण तथा वित्तपोषित/पूर्ण की गई रिहायशी यूनिटों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

वर्ष 2001-2002 में शुरू की गई वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) के अंतर्गत आश्रयों के निर्माण/उन्नयन के लिए 5.72 करोड़ रुपये की राशि केन्द्र सरकार सब्सिडी के रूप में स्वीकृत की गई और वर्ष 2001-2002 मे तमिलनाडु में स्कीम के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए 6.00 करोड़ रुपये की सब्सिडी स्वीकृत की गई।

मकानों के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा हडको, जो एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है अथवा आवास वित्त निगम (एचडीएफसी), एक निजी आवास वित्त संस्थान (एचएफआई) को कोई राशि आंवटित नहीं की गई। हडको स्वीकृत ऋण के जरिए पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में निर्मित रिहायशी यूनिटों का वर्षवार/अवस्थिति ब्यौरा संलग्न विवरण-II है।

विवरण-I

वर्ष 1997-98 से 2001-2002 के दौरान तमिलनाडु में आवास और नगर विकास निगम लि. (हडको) द्वारा स्वीकृत आवास ऋण

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	स्वीकृत ऋण	स्वीकृत रिहायशी आवास	पूर्ण किए गए रिहायशी आवास
1999-2000	292.49	102221	32584
2000-2001	279.52	54517	41920
2001-2002	155.11	103420	28237
कुल	727.12	260158	102741

विवरण-II

वर्ष 1999-2000 के दौरान पूर्ण किए गए रिहायशी मकान

स्थान	पूर्ण किए गए मकान
1	2
ए जेट्ठाहाली	154
अवलापल्ली रोड़, होसुर	198
चेन्नई	20448
चेन्नई	96
कोयम्बटूर और नीलगिरी	102
कोयम्बटूर और नीलगिरी	181
चेन्नई	240
कुड्डालोर और विल्लुपुरम	130
कुड्डालोर और विल्लुपुरम	2387

1	2
होसुर	82
कोयम्बटूर	100
कोयम्बटूर	100
कांचीपुरम और तिरूवलूर	145
कांचीपुरम और तिरूवलूर	50
कांचीपुरम, तिरूवलूर कुड्डालोर और विल्लुपुरम	125
कन्याकुमारी, टूटीकुरीन और तिरूनेलवेल्ली	224
इरोड	98
मदुरई, रामानाथापुरम, डिंडुगल, तिरीनेलवेल्ली, कन्याकुमारी, टुटीकुरीन, विरूधुनगर	50
मदुरई, थेनी और डिंडीगुल	250
मदुरई, थेनी और डिंडीगुल	342
ईरोड	778
ईरोड	48
ईरोड	120
कोयम्बटूर	145
सालेम, मदुरई, कोयम्बटूर तिरची, तिरूनेलवेल्ली	240
सालेम, नम्माकल, ईरोड, वेल्लोर, धरमपुरी	3291
सालेम, ईरोड और नम्माकल	220
सालेम, नम्माकल और पेरियार	605
वेल्लोर	513
वेल्लोर	42
वेल्लोर	43
शिवगंगा, रमनाड और विरूधुनगर	44
थनजावुर थिरूवरूर और नागई	292
थनजावुर थिरूवरूर और नागापट्टिनम	106
तिरूचिरापल्ली, करूर पेरमबलूर और पुडुकोट्टई	26
तिरूचिरापल्ली, करूर पेरमबलूर और पुडुकोट्टई	113
तिरूचिरापल्ली, पुडुकोट्टई, थनजावुर तिरूवरूर नागापट्टिनम, थेनी, शिवगंगा	220
तिरूची, करूर पुडुकोट्टई और पेरमबलूर	239
तिरूनेवेल्ली, टुटूकुरीन और कन्याकुमारी	212
तिरूपुर	108
चेन्नई	40
रामानाथपुरम	136
वेल्लोर, थिरूवन्नामलई और धरमपुरी	362
वेल्लोर थिरूवन्नामलई और धरमपुरी	521
विरूधुनगर शिवगंगा और रामानाथपुरम	728
चेन्नई	210
कुल	32755

वर्ष 2000-2001 के दौरान पूर्ण किए गए रिहायशी मकान

स्थान	पूर्ण किए गए मकान
1	2
सालेम	183
कोयम्बटूर	350
कोयम्बटूर, नीलगिरी, तनजौर नगई, तिरूवरूर, तिरची, करूर पेरमलूर, पेडुरोट्टई, मदुरइ	12397
कोड्डालोर और विल्लूपुरम	290
चेन्नई	200
कांचीपुरम और थिरूवल्लोर	730
कांचीपुरम, तिरूवेल्लोर, कुड्डालोर, विल्लूपुरम, वेल्लोर, तिमलई, सालेम, बामाकल, धरमपुरी	12897
इरोड	15

1	2
केलमंगलम	2012
मदुरई, थेनी और डिडगुंल चेन्नई	1974
रमनाड़, विरूधुनगर, शिवगंगई, तिरूनेवेल्ली और टुटीकुरीन	6614
सालेम, नामाकल और ईरोड	821
तिरूचिरापल्ली, करूर, पेरमबलूर और पेडूकोट्टई	580
तिरूनेवेल्ली, टुटीकुरीन और कन्याकुमारी	438
तिरूवन्नामलई, वेल्लोर, धरमपुरी	1876
तिरिची	63
विरूधुनगर, शिवगंगई और रामानाथपुरम	495
कुल	41935

वर्ष 2001-2002 के दौरान पूर्ण किए गए रिहायशी मकान

स्थान	पूर्ण किए गए मकान
कांचीपुरम, तिरूवल्लूर, कुड्डालोर, विल्लूपुरम, वेल्लोर, तिरूवन्नामलई, सालेम, नामाकल, धरमपुरी, ईरोड, कोयम्बटूर, नीलगिरी, तनजावुर, नागापट्टनम, तिरूवारूर, तिरूची, करूर, पेरमबलूर, पुडुकोट्टई, मदुरई, थेनी, रामनाड़, विरूधुनगर, शिवगंगी, तिरूवेनवेल्ली, टुटीकुरीन, कन्याकुमारी	28237

बांग्लादेशी नागरिकों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाना

7181. **श्री रामशकल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बांग्लादेशी नागरिकों के भारत आने पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रतिबंधों को हटाने के पश्चात् यह देखने के लिए क्या सुरक्षापाय किये गये हैं कि इस आड़ में कहीं आतंकवादी, उग्रवादी या तस्करों आदि का देश में प्रवेश न हो ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

प्लांटेशन कार्यक्रम में घोटाला

7182. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 फरवरी, 2002 के ''दैनिक जागरण'' समाचार पत्र में 'प्लांटेशन कार्यक्रम में घोटाला के संबंध में' प्रकाशित सामाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने तत्संबंधित फाइलों को राज्य सरकार को भेजने के बजाय, उन्हें गृह मंत्रालय को भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) समाचार में मामले की सही और पूरी तस्वीर पेश नहीं की गई है। मौजूदा नीति के अनुसार दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा दिल्ली एम आर टी एस के निर्माण के लिए काटे गए प्रत्येक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाए जाने हैं। दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा दिल्ली एमआरटीएस के निर्माण के लिए पेड़ काटने हेतु ली गई अनुमतियों के बदले पेड़ लगाने के लिए आवश्यक धनराशि दिल्ली सरकार के वन विभाग के पास रख दी गई है। अब तक 3,300 पेड़ काटे जा चुके हैं और 1200 पेड़ प्रतिरोपित किए जा चुके हैं।

अब तक नजफगढ़ नाले के साथ-साथ तथा ईसापुर-ककरोला के समीप ग्राम सभा भूमि में पेड़ लगाए गए हैं। दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा नजफगढ़ नाले पर तथा ईसापुर-ककरोला क्षेत्र में पहले से पहचाने गए स्थानों के अलावा, यमुना नदी के तट पर तथा अन्य ग्राम सभा भूमियों पर प्रतिपूरक वनरोपण प्रयोजनार्थ सम्पूर्ण दिल्ली में और अधिक भूमि जुटाने के प्रयास किए गए हैं ताकि दिल्ली सरकार के वन विभाग द्वारा पूरे शहर में एक समान रूप से पेड़ लगाए जा सकें और वन विभाग द्वारा वनरोपण प्रयोजनार्थ यमुना नदी के तट पर दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन को तत्काल अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराई जा सके।

काटे गए 3,300 पेड़ों के बदले 33,000 पेड़ लगाए जाने थे। इसमें से दिल्ली सरकार के वन विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 26,500 पेड़ पहले ही लगाए जा चुके हैं।

निजी शिक्षा-संस्थानों को सहायता

7183. श्री राजो सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निजी शिक्षा-संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत चार वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश की राज्यवार कितनी शिक्षा-संस्थानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई; और

(घ) इन संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (घ) केन्द्र सरकार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र गैर-सरकारी संगठनों जिनमें प्राइवेट शैक्षिक संस्थान भी शामिल हैं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। विभिन्न मंत्रालय/विभागों के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले इन अनुदानों के ब्यौरे सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग में रखे जाते है। तत्संबंधी शर्तों तथा अनुबंधों का उल्लेख प्रत्येक योजना में किया जाता है। वित्तीय सहायता के लिए पात्र होने हेतु संगठन को सामान्य रूप से पंजीकृत होना चाहिए तथा उसे सामान्यत: तीन वर्ष से अस्तित्व में होना चाहिए। पात्र संगठनों को प्रदान की जाने वाली एक लाख रु. तथा इससे अधिक अनुदान राशि का विवरण मंत्रालयों/विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में दिया जाता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर मोटेल/वाणिज्यिक भवनों का निर्माण

7184. श्रीमती श्यामा सिंह :
डा. रमेश चंद तोमर :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8 पर मोटेल/वाणिज्यिक भवनों के निर्माण की अनुमति दे दी है, जबकि इसका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कड़ा विरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली स्थित राष्ट्रीय राजमार्गों पर किए गये अनधिकृत निर्माण को कब तक हटाये जाने की संभावना है।

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) दिल्ली मास्टर प्लान के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के भीतर एक अनुमत्य सुविधा के तौर पर मोटलों को "सड़क द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों के खाने-पीने, रहने, आराम करने व मनोरंजन तथा अन्य संबद्ध क्रियाकलापों के लिए विशेष रूप से निर्दिष्ट तथा संचालित परिसरों" के रूप में परिभाषित किया गया है। मोटलों की अनुमति, ग्रामीण क्षेत्र/हरित पट्टी व साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग तथा अन्तर राज्यीय सड़कों पर वाणिज्यिक क्षेत्र में दी जाती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए ही राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर मोटल के निर्माण की योजना को अनुमति दी गई थी।

(ग) अनधिकृत निर्माणों का पता लगाना तथा हटाना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें स्थानीय निकाय/प्राधिकरण द्वारा अधिनियम व नियमों के प्रावधानों के अनुसार समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

संस्वीकृत ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. योजनाओं का कार्यान्वयन

7185. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993-94 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी.) के अंतर्गत संस्वीकृत 575 योजनाओं, जिन्हें 2151 छोटे शहरों में चलाया जाना था, में से 101 योजनाओं पर अभी भी कार्य किया जाना शेष है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का कार्यान्वयन न किये जाने के क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप इनकी लागत कितनी बढ़ी है;

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई है;

(घ) इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग हुआ, कितनी योजनाओं को कार्यान्वित किया गया और अब तक कितने शहरों में पेय जल उपलब्ध करा दिया गया है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा एक निश्चित समय सीमा में इन सभी योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1993-94 के अन्त में शुरू किए गए केन्द्र त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत इस मंत्रालय द्वारा परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन हेतु 148 प्रोफार्मा प्रस्ताव मंजूर किए गए थे। इनमें से, 142 कस्बों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बाद में मंजूर की गई, जिनमें से गुजरात के सूरज कराड़ी कस्बे के लिए एक जल आपूर्ति स्कीम, विश्वसनीय जन संसाधन की अनुपलब्धता की वजह से शुरू नहीं की जा सकी।

(ख) योजना के कार्यान्यवन में विलम्ब के कुछ कारण निम्नलिखित हैं:

(1) कुछ मामलों में राज्य सरकारों द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन देने में विलम्ब

(2) राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय और राज्य योजना धनराशि जारी करने में विलम्ब।

(3) जहां अपेक्षित हो, वहां भूमि अधिग्रहण में विलम्ब।

योजना के कार्यान्वयन में मूल्य वृद्धि (एस्केलेशन)/विलंब के कारण लागत में होने वाली किसी भी वृद्धि को संबंधित राज्य सरकारों को अपने राज्य योजना फण्ड में से वहन करना होता है।

(ग) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार ने 360.57 करोड़ रु. तथा राज्य सरकारों ने 244.90 करोड़ रु. जारी किए हैं।

(घ) स्वीकृत स्कीमों के लिए राज्य सरकारों द्वारा सूचित व्यय 391.37 करोड़ रु. है तथा 31.3.2002 रु. स्थिति अनुसार 240 कस्बों में पेय जल उपलब्ध करा दिया गया है।

(ङ) योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए मंत्रालय और सीपीएचईओ के अधिकारियों द्वारा राज्यों के ब्यौरा के अलावा, राज्य सरकारों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विश्वविद्यालय

7186. श्री अनन्त नायक : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में कितने केन्द्रीय विश्वविद्यालय कार्यरत हैं, उनके नाम क्या हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश विश्वविद्यालयों में कुलपति का पद भरा नहीं गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन 17 केन्द्रीय विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं उनके नाम और स्थान संलग्न विवरण में दिए गए है।

(ख) से (घ) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों के सभी पद भर लिए गए हैं।

विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य कर रहे केन्द्रीय विश्वविद्यालय

1. दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007
2. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067
3. जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली-110023
4. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदानगढ़ी, नई दिल्ली-110068
5. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221005
6. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202002
7. विश्व भारती, शान्ति निकेतन, पश्चिम बंगाल-731235

8. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश-500134

9. पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी-605014

10. पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग, मेघालय-793022

11. असम विश्वविद्यालय, सिल्चर, असम-788011

12. तेजपुर विश्वविद्यालय, नपाम, तेजपुर, असम-784025

13. नागालैंड विश्वविद्यालय, कोहिमा, नागालैण्ड-797001

14. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्या विहार रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226025

15. मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, सर्वे संख्या 211 और 212, मणिकोण्डा, गचिबोली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश-500032

16. महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, 16, द्वितीय तल सिरीफोर्ट रोड, नई दिल्ली-110049

17. मिजोरम विश्वविद्यालय, आईजोल, मिजोरम-796012

एन.सी.ई.आर.टी. परिसर में 'विज्ञान पार्क' की स्थापना

7187. डा. सी. कृष्णन :
श्री वैको :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) की नई दिल्ली स्थित अपने परिसर में एक 'विज्ञान पार्क' स्थापित करने की योजना थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी थी और इसका क्या प्रयोजन रखा गया था; और

(घ) इस पर कितना व्यय हो चुका है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) जी, हां। विज्ञान पार्क उस कार्यक्रम का एक भाग है जिसे विज्ञान प्रदर्शनियों; विज्ञान के नए और अनुप्रयुक्त क्षेत्रों में पुस्तकों के प्रकाशन; 'सीखने के लिए पढ़े' इत्यादि जैसी अनेक परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है। दिन-प्रतिदिन के जीवन में विज्ञान के महत्व को समझने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से इस पार्क को देखने के लिए विद्यार्थियों को ले जाया जाएगा। यह पार्क एक सतत परियोजना हैं जिसमें मौजूदा मॉडलों का स्तरोन्नयन किया जाएगा और समय-समय पर नए मॉडलों को इसमें शामिल किया जाएगा तथा ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आने वाले अतिथि शिक्षकों कार्यकर्ताओं के लिए भी उपयोगी होंगे।

(ग) और (घ) चालू वर्ष के लिए अनुमानित बजट 2,57,800 रुपए है। इस परियोजना का उद्देश्य वर्किंग माडलों के जरिये विज्ञान के मूल सिद्धातों की जानकारी बढ़ाना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा इंटरेटिव माडलों के जरिये वैज्ञानिक सिद्धातों के प्रयोग का प्रदर्शन करना है। विगत में संस्थापित किए गए मॉडलों को तैयार करने के लिए केवल कच्चा माल खरीदने हेतु अभी तक लगभग एक लाख रुपए की राशि खर्च की जा चुकी है।

[हिन्दी]

महिलाओं का घटता अनुपात

7188. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 मार्च, 2002 के 'राष्ट्रीय सहारा' समाचार पत्र में महिलाओं के घटते अनुपात के संबंध में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या बालिका-कल्याण योजनाओं को ग्रामों तक विस्तारित नहीं किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि बालिकाओं के कल्याण हेतु चलाई जा रहीं 'बालिका स्मृति योजना' तथा अन्य योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पंहुचे और इनके बीच समन्वय बनाकर रखा जाये?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। जनगणना 2001 के निष्कर्षों के अनुसार, 0-6 वर्ष की आयु वर्ग में बालिका-

बालक अनुपात 1991 में 945 बालिका प्रति हजार बालक से घटाकर 2001 में 927 पर आ गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने बालिकाओं के साथ किये जा रहे भेदभाव को समाप्त करने तथा मादा भ्रूण हत्या व बालिका शिशु हत्या की घटनाओं को रोकने तथा बालिका के प्रति परिवार व समुदाय के नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलने के उद्देश्य से वर्ष 1997 में बालिका समृद्धि योजना नामक स्कीम आरम्भ की थी। इस स्कीम के लाभ देश के सभी जिलों में ग्रामीण व शहरी, दोनों ही क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों में जन्मी बालिकाओं को संवितरणीय हैं। बालिका समृद्धि योजना स्कीम का कार्यान्वयन समेकित बाल विकास सेवा स्कीम अवसंरचना के माध्यम से किया जाता है, जिसका लक्ष्य निर्धनतम परिवारों के 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों सहित जन-समुदाय के सर्वाधिक कमजोर वर्गों तथा पिछड़े शहरी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों व शहरी झुग्गी-बस्तियों सहित अभाव ग्रस्त क्षेत्रों के बच्चे हैं।

उत्तर प्रदेश में पेयजल आपूर्ति हेतु "स्वजल" संस्थान द्वारा सर्वेक्षण

7189. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री नवलकिशोर राय :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम जिसे विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हुई है हेतु "स्वजल" संस्थान द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान की सर्वेक्षण-रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सर्वेक्षण-रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में पेय जल-आपूर्ति की स्थिति गंभीर है;

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल में ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त स्वजल परियोजना के अन्तर्गत एक सर्वेक्षण करवाया गया था। स्वजल परियोजना प्रबन्धन एकक द्वारा ग्रामीण जलापूर्ति और पर्यावरण स्वच्छता क्षेत्र अध्ययन के लिए नियुक्त मैसर्स डी.एच.वी. कन्सलटेंट्स द्वारा 33 नमूना गांवों में अगस्त से अक्टूबर, 2000 तक सर्वेक्षण किया गया था। रिपोर्ट में सामान्य उल्लेख यह है कि उत्तर प्रदेश में जलापूर्ति की स्थिति गंभीर नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

माध्यमिक शिक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण

7190. श्री अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री टी.एम. सेल्वागनपति :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माध्यमिक शिक्षा के लिए आवंटन को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियों से सहायता लेने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

दोष-सिद्धि दर

7191. श्री कैलाश मेघवाल :
श्री कोडीकुनील सुरेश :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय दंड संहिता और विभिन्न अन्य कानूनों के प्रावधानों के अधीन न्यायालयों में दोष-सिद्धि की दर बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गंभीर परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए दोष-सिद्धि दर के कम प्रतिशत के कारणों का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण अथवा अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आंगनवाड़ी कामगार

7192. श्री नरेश पुगलिया :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंगनवाड़ी के कामगारों की पर्यवेक्षक के पद पर पदोन्नति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किये गए हैं;

(ग) क्या पर्यवेक्षक के रूप में पदोन्नति हेतु आंगनवाड़ी के कामगारों की सेवा की शर्तों में छूट देने हेतु राज्य सरकार और अन्य क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एसोशिएशन द्वारा कुछ और मांगे भी की गई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में निर्धारित मापदंड निम्नानुसार हैं :

(1) ऐसी लड़कियों को जो मेट्रीकुलेट हैं और जिन्होंने 11 माह का बाल-सेविका प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और बाल-सेविका या आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री अथवा दोनों के रूप में 8 वर्ष की सेवा भी पूरी कर ली है, आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत आंगनवाड़ी-पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(2) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में 10 वर्ष की अनुभव रखने वाली किसी मेट्रीकुलेट महिला को भी पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

(3) मध्यम-स्तरीय आई.सी.डी.एस. कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकात्रियों के प्रशिक्षण केन्द्रों के अनुदेशकों/प्राचार्यों के रूप में कार्यरत स्नातक महिलाओं को भी पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उपर्युक्त (1), (2) और (3) के मामले में, अधिकतम आयु सीमा में छूट उस महिला द्वारा बाल-सेविका/आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री/अनुदेशक/प्राचार्य के रूप में की गयी सेवा अवधि तक दी जा सकती है।

(4) राज्य सरकारों से पर्यवेक्षकों के भर्ती नियमों में इस आशय का प्रावधान करते हुए संशोधन करने के लिए कहा गया है कि 25 प्रतिशत पर्यवेक्षकों की भर्ती उन आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों में से की जाएगी, जो मेट्रीकुलेट हैं और जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है।

(ग) और (घ) पर्यवेक्षकों के पदों को आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों की शत-प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरने के बारे में कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री संघों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ङ) और (च) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एसोसिएशनों/संघों द्वारा की गई अन्य मुख्य मांगों में मानदेय में वृद्धि करना तथा उनको नियमित कर्मचारी मानना शामिल हैं।

(छ) आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को देय मानदेय की राशि को बढ़ाकर लगभग दोगुना करने के संबंध में सिद्धांत रूप से सहमति हो गई है।

अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों का मारा जाना

7193. श्री उत्तमराव ढिकले : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्षों के दौरान देश में विशेषकर जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों के साथ लड़ते हुये अर्ध-सैनिक बलों के बल-वार कितने जवान मारे गये?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): गत तीन वर्षों के दौरान आतंकवादियों के साथ लड़ाई में मारे गए

केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों की संख्या निम्न प्रकार है :

बल	1999		2000		2001	
	अखिल भारत	जम्मू और कश्मीर	अखिल भारत	जम्मू और कश्मीर	अखिल भारत	जम्मू और कश्मीर
सीमा सुरक्षा बल	80	55	114	73	71	67
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	91	12	55	26	109	28
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	5	5	4	4	4	4
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	1	-	1	-	-	-
असम राइफल	12	-	18	-	12	-
कुल	189	72	192	103	196	99

केरल में तारामंडल की स्थापना

7194. श्री कोडीकुनील सुरेश : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार जनसाधारण में जागरूकता उत्पन्न करने की दृष्टि से केरल में एक तारामंडल और छात्रों हेतु एक विज्ञान केन्द्र को भी स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा') : (क) से (ग) जी नहीं, सरकार का केरल में तारामंडल और विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। हालांकि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद का क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र के भाग के रूप में फिक्स्ड डोम तारामंडल कालीकट में है।

गुजरात पर अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट

7195. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में गुजरात की साम्प्रदायिक हिंसा पर अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में कौन-कौन सी मुख्य बातें उठाई गई है; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सीधे ही गुजरात राज्य सरकार को भेज दी है। गुजरात राज्य सरकार ने भी अपनी 'की गई कार्रवाई रिपोर्ट' राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को प्रस्तुत कर दी है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्यों से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री को संबोधित पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें प्रशासनिक तंत्र द्वारा अल्पसंख्यकों में विश्वास पैदा करने, संयुक्त शांति समितियों की स्थापना करने, दंगा पीड़ितों के समुचित मुआवजे की अदायगी करने, चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने, संपत्तियों की क्षति का तत्काल सर्वेक्षण करने, पुनर्निमाण हेतु सुलभ बैंक ऋण इत्यादि मुहैया कराने जैसे उपाय करने का सुझाव दिया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर उचित कार्रवाई हेतु उन्हें गुजरात सरकार को भेज दिया गया है।

माननीय प्रधानमंत्री ने गुजरात के दंगा पीड़ितों के लिए आर्थिक पुनर्वास हेतु एक पैकेज की घोषणा की है और मंत्रिमंडल सचिवालय को साप्ताहिक आधार पर कार्यान्वयन के कार्य की मानिटरिंग करने के लिए कहा गया है।

वर्धा में अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना

7196. श्री आर.एस. पाटिल : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में 1975 में आयोजित विश्व हिन्दी सम्मेलन में अपने प्रथम सम्मेलन में वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने का संकल्प पारित किया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस हिन्दी विश्वविद्यालय की मौजूदा स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) विश्व हिन्दी सम्मेलन ने 1975 में नागपुर में आयोजित किए गए अपने सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ एक संकल्प पारित किया था कि वर्धा में विश्व हिन्दी विद्यापीठ की स्थापना की जाए।

भारत सरकार ने 1996 में संसद के एक अधिनियम द्वारा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा की स्थापना की है। विश्वविद्यालय ने 29 दिसम्बर, 1997 से अपना कार्य आरम्भ कर दिया है।

[हिन्दी]

संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना

7197. श्री वाई.जी. महाजन : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल में देश में संवाद में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल ही में देश के चुनिन्दा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सरल संस्कृत बोलचाल केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अर्ध-सैनिकों बलों पर होने वाला व्यय

7198. श्री राम टहल चौधरी : क्या **गृह मंत्रालय** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में आतंकवादियों के साथ मुकाबला कर रहे अर्ध-सैनिक बलों के कल्याण हेतु कितनी धनराशि खर्च की गई है और बलों के कुल बजट की तुलना में इस धनराशि का बलवार प्रतिशत कितना था; और

(ख) उनके कल्याण संबंधी सुविधाओं को बढ़ावा देकर जवानों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये गए है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) अर्द्ध-सैनिक बलों के जो कार्मिक अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए मारे जाते हैं उनके निकट संबंधियों को अनुग्रह पूर्वक मुआवजें की राशि के भुगतान के लिए तथा अन्य कल्याणकारी गतिविधियों के लिये 3 वर्षों (1999-2000) के दौरान स्वीकृत की गई राशि (बलवार) नीचे दिए गए अनुसार है :

(करोड़ों में)

बल का नाम	*अर्द्ध-सैनिक बल द्वारा कल्याण के लिए खर्च की गई राशि*		
	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
असम राइफल्स	1.15 (0.18%)	3.05 (0.44%)	3.05 (033%)
सीमा सुरक्षा बल	11.37 (0.55%)	10.19 (0.47%)	16.10 (0.67%)

1	2	3	4
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	6.32 (0.39%)	7.53 (0.43%)	11.38 (0.61%)
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	2.01 (0.28%)	1.00 (0.13%)	1.56 (0.19%)
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	1.95 (0.54%)	0.68 (0.18%)	0.88 (0.21%)
राष्ट्रीय सुरक्षा गारद	1.15 (1.32%)	0.01 (0.01%)	0.07 (0.07%)

नोट : कोष्ठक में दिए आंकड़े कुल बजट का प्रतिशत दर्शाते हैं। केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के लिए सहायता-अनुदान का बजट केन्द्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय द्वारा रखा जाता है।

(ख) केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के कल्याण अनुदानों में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है। 2000-2001 के दौरान बलों को स्वीकृत 70.50 लाख रुपए के सामान्य कल्याण अनुदान की तुलना में 2001-2002 के दौरान इस राशि को बढ़ाकर 7.03 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

[अनुवाद]

सर्व शिक्षा अभियान

7199. श्री चन्द्र भूषण सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सर्व शिक्षा अभियान हेतु आगामी दस वर्षों के लिए कुल 63,000 करोड़ रुपये प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु 3500 करोड़ रुपये आवंटित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) प्रारंभिक शिक्षा के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) का आवंटन 28250 करोड़ रु. है जिसमें सर्व शिक्षा अभियान के लिए 17000 करोड़ रु. भी शामिल हैं।

असम के गैर-सरकारी संगठन

7200. श्री. ए.एफ. गुलाम उस्मानी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में उनके मंत्रालय/विभाग के अधीन जिलावार कितने गैर-सरकारी संगठन काम कर रहे हैं; और

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान इस राज्य में इन गैर-सरकारी संगठनों को जिलावार कितनी धनराशि आवंटित की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय विभिन्न शैक्षिक क्रियाकलापों हेतु विभिन्न योजनाओं के तहत असम राज्य सहित पूरे देश में गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऐसे सभी एक लाख तथा उससे ऊपर के अनुदानों के ब्यौरे सामान्यतः मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्टों में दिए जाते हैं।

सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) के अंतर्गत पनधारा विकास कार्यक्रम

7201. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1 अप्रैल, 1999 से पहले सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) के अंतर्गत पनधारा विकास परियोजनाओं को शुरू करने वाले राज्यों के प्रथम किस्त जारी करने हेतु अनेक अनुरोध केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तीन वर्षों के बाद भी किस्त जारी न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) किस्त को कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब एम.के. पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

औषधियों का विकास

7202. श्री एस. मुरुगेसन : क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महासागर में उपलब्ध तत्वों को दोहन करके कुछ औषधियों का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन औषधियों के विपणन हेतु कोई प्रयास किये गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी, नहीं। अभी तक महासागरों से कोई औषधि विकसित नहीं की गई है। तथापि, 1991 में 10 प्रतिभागी संस्थानों सहित राष्ट्रीय ''समुद्री औषधि'' परियोजना ने अपने जीव वैज्ञानिक क्रियाकलापों द्वारा 1400 समुद्री वनस्पतिजात और प्राणिजात के 4000 से भी एकत्र करके उनका मूल्यांकन किया है। इनमें से कई नमूनों को मधुमेहरोधी, अतिसाररोधी हाइपरलिपिडैमिकरोधी जैसे हल्के से तेज उपचार गुणों वाला पाया गया। कुछ अवयवों में निम्नलिखित आशाजनक नमूने पाए गए;

- मधुमेहरोधी
- अतिसाररोधी
- हाइपरलिपिडेमिकरोधी

प्रथम दो संपाकों पर कृन्तक और वानर पर विषाक्तता पूरी कर ली गई है और इन्हें सुरक्षित पाया गया। कृन्तक विषाक्तता का तीसरा संपाक जुलाई, 2001 में शुरू किया गया है। पूर्व नैदानिक परीक्षक पूर्ण होने के पश्चात औषधि विकसित की जाती है और इस कार्य में 8 से 12 वर्ष तक लग जाते हैं।

(ग) से (ङ) विकास पूर्ण होने के पश्चात व्यापारीकरण और औद्योगिक विपणन किया जाता है।

[हिन्दी]

फरार आतंकवादी

7203. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री आदि शंकर :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद पर हमले के मामले में जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर जम्मू कश्मीर में जैश के चीफ कमांडर गाजी बाबा और उसके सहयोगी तारिक अहमद को फरार घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इनके ठिकानों के बारे में जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में दिल्ली पुलिस की जांच एजेन्सियों द्वारा किन-किन एजेन्सियों से सहायता मांगी गई है अथवा मांगे जाने का प्रस्ताव हैं; और

(ङ) इन आतंकवादियों को पकड़ने हेतु क्या कार्रवाई की गई है और इनके कब तक पकड़े जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) सभी केन्द्रीय आसूचना एजेन्सियां इन घोषित अपराधियों के वर्तमान ठिकानों के बारे में आसूचना विकसित करने के लिए प्रयास कर रही हैं। उनका पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए इन्टरपोल की सहायता भी मांगी गई है। यह समय-सीमा बताना कठिन है कि इन प्रयासों से कब तक सफलता मिलेगी।

[अनुवाद]

गिरफ्तारी संबंधी कानून में परिवर्तन

7204. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में विधि आयोग ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अंतर्गत पुलिस द्वारा बिना वांरट के गिरफ्तार करने के अधिकार को रूप-रेखा देने और विनियमित करने की दृष्टि से गिरफ्तारी और नजरबंदी संबंधी कानून में आमूलचूल परिवर्तन करने हेतु सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) भारत के विधि आयोग ने गिरफ्तारी से संबंधित कानून पर अपनी 177वीं रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट को अभी संसद में रखा जाना है।

उड़ीसा के लिए निधियों के आवंटन में वृद्धि

7205. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को वर्ष 1999 और 2000 के दौरान उड़ीसा में महाचक्रवात और बाढ़ के बाद निधियों के आंवटन में पर्याप्त वृद्धि करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले में सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (ग) उड़ीसा में अक्तूबर, 1999 में आये विनाशकारी सुपर चक्रवात (साइक्लोन) को देखते हुए राज्य एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के लिए हडको से भारी ऋण लेने के लिए अनुरोध किया था। तदनुसार हडको ने वर्ष 1999 के सुपर चक्रवात के बाद उड़ीसा के साइक्लोन प्रभावित क्षेत्रों में मकानों के निर्माण के लिए विभिन्न स्कीमें मंजूर की हैं। जिनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

मंजूर की गयी रिहायशी इकाइयों की कुल संख्या	-	1,87,500
पूरी हो चुकी इकाईयों की संख्या	-	1,59,915
निर्माणाधीन इकाईयों की संख्या	-	27,585
मंजूर किया गया ऋण	-	806.25 करोड़ रु.
जारी किया गया ऋण	-	768.75 करोड़ रु.

वर्ष 2000-2001 में चक्रवात पीड़ितों के पुनर्वास के लिए मंजूर की गयी स्कीमों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

मंजूर की गयी रिहायशी इकाईयों की संख्या	-	1,00,000
पूरी हो चुकी इकाइयों की संख्या	-	40,000
मंजूर किया गया ऋण	-	410 करोड़ रुपये
जारी किया गया ऋण	-	285.78 करोड़ रु.

इसके अतिरिक्त हडको ने उड़ीसा में निर्मिती केन्द्रों के लिए 2.50 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता मंजूर की जिसमें से 40 लाख रुपये जारी किये जा चुके हैं।

हडको ने 35 लाख प्रति गांव की दर से चार आदर्श (मॉडल) ग्रामों के लिए 1.40 करोड़ रु. की अनुदान सहायता भी मंजूर की जिसमें से 43.75 लाख रुपये जारी किये जा चुके हैं।

विज्ञान संबंधी कार्यक्रम

7206. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विज्ञान संबंधी कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने हेतु कदम उठाया है;

(ख) क्या एनसीईआरटी और एनएससीएम की कार्यक्रम में कोई भूमिका है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस उद्देश्य हेतु विज्ञान पार्क, ऊर्जा पार्क जैसे आवश्यक ढांचे प्रदान किये गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) जी, हां। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में की गई परिकल्पना के अनुसार सरकार, विज्ञान शिक्षा की कोटि में सुधार और वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा पात्र स्वैच्छिक संगठनों को 'विज्ञान सुरक्षा सुधार' नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं। सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने तथा समाज के विभिन्न वर्गों में वैज्ञानिक रुझान पैदा करने के उद्देश्य से वर्ष 1982 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्प्रेषण के लिए एक राष्ट्रीय परिषद का भी गठन किया है। परिषद ने शहरी तथा ग्रामीण

क्षेत्रों में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए भारत जन विज्ञान जत्था (1987), भारत जन ज्ञान विज्ञान जत्था (1992), बाल विज्ञान कांग्रेस (वर्ष 1993 से - अब अपने दसवें वर्ष में) जैसे राष्ट्रीय अभियान शुरू किए हैं।

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद; प्रदर्शनियों, पुस्तकों/पत्रिकाओं आदि के प्रकाशन जैसी परियोजना कार्यक्रमों के माध्यम से विज्ञान को लोकप्रिय बनाने संबंधी कार्यक्रम चला रही है। छात्रों तथा जन साधारण के लाभ के लिए नगरों, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कलकत्ता का गठन; संस्कृति विभाग से सम्बद्ध एक स्वायत्त संगठन के रूप में किया गया। यह परिषद प्रदर्शनियां, सेमिनार, लोकप्रिय व्याख्यान, विज्ञान शिविर तथा अन्य विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली स्थित परिसर में एक विज्ञान पार्क की स्थापना कर रही है। अब तक पार्क में 17 माडल लगाए जा चुके हैं। आगन्तुकों के मार्गदर्शन के लिए प्रत्येक माडल के लिए अनुदेश तैयार किए जा रहे हैं। यह परियोजना अभी चल रही है जिसमें मौजूदा माडलों में आगे भी संशोधन किया जाएगा तथा समय-समय पर नए माडल लगाए जाएंगे। संस्कृति विभाजक विभिन्न राज्यों में विज्ञान नगर की स्थापना के लिए मानदण्ड तैयार करने पर भी विचार कर रहा है। विज्ञान पार्क को विज्ञान नगर का एक मुख्य घटक बनाए जाने का प्रस्ताव है। विज्ञान पार्क को इस तरह से विकसित किया जाएगा जिसमें विज्ञान शिक्षा पार्क वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाए। पार्क वातावरण में यह शिक्षा परवलयाकार प्रत्यावर्तन द्वारा ध्वनि को बहुत दूर तक पहुंचाने, भार को सुगमता से उठाने के लिए लीवर तथा पुली (घिरनी) का उपयोग जैसे तरह-तरह के खेल और मौज-मस्ती के माध्यम से प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, इसमें जानवर, जलचर प्राणियों के साथ बतखें तथा मछलियों, कैकटस कार्नर ग्रीन हाऊस आदि शामिल होंगे।

[हिन्दी]

सोडा ऐश उद्योग की समाप्ति

7207. श्रीमती जयाबहन डी. ठक्कर : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहित चिली, ब्राजील और ताईवान जैसे अन्य कतिपय देशों का सोडा ऐश उद्योग इस क्षेत्र में सोडा ऐश उत्पादकों के कार्टल और अमेरिकी नेचुरल सोडा ऐश कार्पोरेशन के आगमन के कारण समाप्ति के कगार पर है, और

(ख) यदि हां, तो सोडा ऐश उद्योग को बचाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी नहीं। इस क्षेत्र में सात सोडा ऐश उत्पादकों के एक कार्टल और अमेरिकी नेचुरल सोडा ऐश कार्पोरेशन के आगमन के कारण भारत में सोडा ऐश उद्योग समाप्ति के कगार पर नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खेलों के लिए बजट आबंटन

7208. श्री प्रियरंजन दासमुंशी : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 7वीं, 8वीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खेलों हेतु कितने प्रतिशत बजट आबंटन किया गया और उक्त योजनावधि के दौरान राज्यों को कितने आबंटन की आवश्यकता थी;

(ख) क्या सरकार का विचार अवसंरचनात्मक ढांचे के विकास प्रशिक्षण और विदेशी प्रशिक्षकों हेतु खेलों के लिए आबंटन में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशों में रसायन उर्वरक संयंत्रों के निर्माण में भारतीय कंपनियों की सहभागिता

7209. श्री जे.एस. बराड़ : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कम्पनियां विदेशों में रसायन उर्वरक संयंत्रों के निर्माण में भाग ले रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में एक टन यूरिया और नाइट्रोजनस उर्वरक की उत्पादन लागत और विदेशों में इनकी उत्पादन लागत में क्या अन्तर है;

(घ) क्या देश में रसायन उर्वरक की उत्पादन लागत में वृद्धि हो रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(च) रसायन उर्वरकों की उत्पादन लागत कम करने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) रासायनिक उर्वरक के क्षेत्र में भारतीय कम्पनियों के साथ विदेश में किए जा रहे उद्यम अथवा प्रारम्भिक अवस्था वाले संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्रम सं.	कम्पनी/परियोजना और देश का नाम	भारतीय कम्पनी/प्रायोजक	क्षमता प्रतिवर्ष लाख मि.टन.	स्थिति
1.	स्पिक फर्टिलाजर एण्ड केमिकल एफ जैड ई, यू ए ई	स्पिक	4.00 यूरिया	संयंत्र निर्माणाधीन है तथा वर्ष 2004 में इसके चालू किये जाने की आशा है।
2.	ओमान इंडिया फर्टिलाइजर कंपनी, ओमन	इफको/ कृभको	16.52 यूरिया 2.48 मर्चेंट अमोनिया	मुख्य-मुख्य समझौतों पर हस्ताक्षर किये जा चुके हैं और मई, 2002 के अन्त तक खाते बन्द किये जाने की सम्भावना है। इस परियोजना के खाते बन्द होने के 35 महीनों के भीतर पूरा कर लिया जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
3.	इण्डो ईरान संयुक्त उद्यम परियोजना, ईरान	इफको/ कृभको	7.26 यूरिया	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गया है। यह परियोजना विचार के बहुत ही प्रारम्भिक चरण में है तथा इसे निवेश अनुमोदन हेतु सरकार को अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ग) से (च) देश में यूरिया की उत्पादन लागत इकाई दर इकाई भिन्न होती है जो प्रौद्योगिकी प्रयुक्त फीड स्टाक, संयंत्र के पुराने पन, कच्चे माल आदि की स्रोत से दूरी पर निर्भर है। देश में यूरिया की उत्पादन लागत अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य से अधिक है क्योंकि भारत में फीड स्टाक/कच्चे माल की लागत अधिक है। यूरिया का उत्पादन करने के लिए द्रवित प्राकृतिक गैस (एल एन जी) का आयात करने संबंधी प्रयास किये जा रहे हैं जो सम्भवत: नैफ्था से सस्ता होगा। तथापि, घरेलू यूरिया की लागत एल एन जी उच्च परिवहन लागत की वजह से अभी भी अधिक हो सकती है। गैस रिकवरी इकाई आदि की शुद्धिकरण जैसे ऊर्जा बचत उपायों की स्थापना करना, यूरिया इकाईयों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करने हेतु प्रौद्योगिकीय सुधार को प्रोत्साहन देना तथा खपत मानकों को सुदृढ़ बनाने जैसे इकाईयों/सरकार द्वारा कुछ ऐसे उपाय किये गये हैं जिससे देश में यूरिया उत्पादन की लागत कम की जा सकेगी।

भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान

7210. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए हैं;

(ख) इस संस्थानों के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या मलेरिया, तपेदिक और मधुमेह इत्यादि जैसी बीमारिया से मुकाबला करने हेतु इन संस्थानों द्वारा कोई अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार ऐसे संस्थानों को और अधिक संख्या में स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (च) आज तक की स्थिति के अनुसार बी फार्मेसी संस्थानों की संख्या 268 है जिनमें 13760 स्थान हैं और आज की तारीख तक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए आई सी टी ई) द्वारा अनुमोदित 116 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय भेषज शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना एस ए एस नगर (मोहाली) पंजाब में एक राष्ट्रीय महत्व से संस्थान के रूप में की गई है। इन संस्थानों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा और प्रशिक्षण देना तथा फार्मेसी के शीर्ष क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। ए आई सी टी ई द्वारा वित्त पोषित भेषज अनुसंधान कार्यक्रमों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	धनराशि (रुपये लाख में)	परियोजनाओं की संख्या
1997-98	263.00	33
1998-99	435.00	58
1999-2000	351.96	33
2000-2001	238.19	28

ये संस्वीकृत राशि खासतौर पर मलेरिया, क्षयरोग और मधुमेह जैसे रोगों पर खर्च की जाती है। मलेरिया, क्षयरोग और मधुमेह के लिए खासतौर पर अलग वित्तीय आबंटन नहीं किए जाते हैं बल्कि विभिन्न संस्थानों से ए आई सी टी ई द्वारा प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर अनुसंधान राशि स्वीकृत की जाती है।

ए आई सी टी ई मानकों के अनुसार फार्मेसी में अवर स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नए संस्थानों की स्थापना हेतु देशभर से प्रस्ताव आमंत्रित करती है और ऐसे संस्थानों के लिए विनियमों के जरिए मानक निर्धारित करती है। आज तक ए आई सी टी ई को एम फार्मा के लिए 98 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

[हिन्दी]

बाल्मीकि आंबेडकर आवास योजना और निर्मल भारत योजना

7211. श्री सुबोध राय : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल्मीकि आवास योजना और निर्मल भारत योजना की प्रगति बहुत धीमी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी नहीं।

(ख) राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों ने इस स्कीम में बहुत रुचि दिखाई है और इस स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई 73.56 करोड़ रुपये की पूरी राशि वर्ष 2001-2002 के दौरान 16 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सब्सिडी के रूप में जारी की गई।

[अनुवाद]

भारत-ईरान संयुक्त उद्यम निर्माण परियोजनाएं

7212. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री वाई.जी. महाजन :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विशेषकर अफगानिस्तान में ईरान के साथ संयुक्त रूप से शहरी परियोजनाओं को शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में निजी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त परियोजनाओं को कब तक शुरू किये जाने और उन पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(च) अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण हेतु कौन-कौन से अन्य क्षेत्रों में अनुभवों में साझेदारी की जा सकती है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी नहीं। तथापि नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लि. (एनबीसीसी) जो इस मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, ठेके पर सिविल इंजीनियरी परियोजनाओं के निर्माण का कार्य करता है वह ईरानी निर्माण कम्पनियों के साथ संयुक्त रूप से अफगानिस्तान में आवास, अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्कूल, सड़कों, जल

आपूर्ति प्रणाली आदि से संबंधित शहरी परियोजनायें शुरू करने की संभावनाओं का पता लगा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) अफगानिस्तान में मिलने वाली परियोजनाओं के ठीक-ठीक ब्यौरे ज्ञात नहीं हैं। तथापि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और एन बी सी सी अफगानिस्तान में विकास/पुनर्निर्माण आदि की परियोजनाओं में भाग लेना चाहेंगे।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में शिक्षा का स्तर

7213. श्री विष्णु पद राय : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर में 5.3.2001 को आयोजित गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक के दौरान यह बात सामने आई है कि दक्षिणी द्वीपसमूहों में शिक्षा का स्तर बहुत ही कम है;

(ख) क्या सरकारी विद्यालयों में विशेषकर विज्ञान संकाय में शिक्षकों को पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो कैम्पबेल-बे क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में विज्ञान शिक्षकों की कितनी कमी है और प्रधानाध्यापकों/प्रचार्यों की कितनी अनुपलब्धता है; और

(घ) इस मामले में अंडमान और निकोबार प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) अंडमान और निकोबार प्रशासन ने दक्षिणी द्वीपसमूह के द्वीपों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए अनेक ठोस उपाय किए गए हैं। इन उपायों में अतिरिक्त कोचिंग कक्षाएं लगाना, शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देना और स्कूलों का निरीक्षण करना शामिल हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाक अधिकृत कश्मीर के विस्थापित

7214. चौ. तालिब हुसैन : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाक अधिकृत कश्मीर से आये विस्थापित भारत सरकार से 1947 से पाक अधिकृत कश्मीर में उनके द्वारा छोड़ी गई चल और अचल संपत्तियों के उनके दावों का पंजीकरण करने हेतु अनुरोध कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) 1947 में जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमण के परिणामस्वरूप, पाक अधिकृत कश्मीर से लगभग 32000 परिवार देश के इस भाग में आ गए थे। इन विस्थापित व्यक्तियों द्वारा पीछे छोड़ी गई सम्पत्तियों के लिए मुआवजा हेतु भारत सरकार ने कोई दावे आंमत्रित नहीं किए थे क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर को हमेशा ही भारत का अंग माना गया है जिसपर पाकिस्तान ने अवैध रूप से और बलपूर्वक कब्जा किया हुआ है। तथापि, इन विस्थापित परिवारों को नीचे दिए विवरणानुसार बसा दिया गया था :

* जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कृषि भूमि पर बसाए गए परिवार - 22,700
* जम्मू और कश्मीर के जम्मू-उधमपुर और नौशेरा जैसे शहरी क्षेत्रों में बसाए गए परिवार - 3,600
* देश के अन्य भागों में बसाए गए परिवार - 5,300

इन परिवारों की कठिनाइयों को कम करने की दृष्टि से भारत सरकार ने इन्हें अनुग्रहपूर्वक/पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। तद्नुसार, भारत सरकार ने 24 जून, 1960 को अनुग्रहपूर्वक राशि के भुगतान के लिए स्वीकृति दी। अनुग्रहपूर्वक राशि आदि के भुगतान के प्रयोजन से विस्थापित व्यक्तियों का औपचारिक पंजीकरण वर्ष 1960 में शुरू हुआ। पंजीकरण की तारीख 7 अगस्त, 1962 तक बढ़ा दी गई थी। पंजीकृत किए गए परिवारों की संख्या 31,619 थी निम्नलिखित श्रेणियों के लगभग 9500 परिवारों के मामलों को रद्द कर दिया गया :

(क) वे परिवार जिन्होंने उस संकटकालीन अवधि यानि सितम्बर, 1947 और दिसम्बर, 1950 के दौरान प्रवास नहीं किया।

(ख) इन परिवारों के मामले जिनमें परिवार के मुखिया ने परिवार के साथ प्रवास नहीं किया।

(ग) वे, परिवार जो शिविरों में नहीं ठहरे; और

(घ) वे, परिवार जिनकी मासिक आय 300 रुपए से अधिक थी।

जिन परिवारों के मामले को पहले रद्द कर दिया गया था, उनके मामलों की भारत सरकार द्वारा विधिवत जांच की गई श्रेणी (घ) में आने वाले व्यक्तियों को छोड़कर जिनके मामले में आगे और राहत देना आवश्यक नहीं समझा गया, उपयुक्त श्रेणियों में आने वाले विस्थापित परिवारों के लिए 9.8.2000 को एक राहत पैकेज जारी किया गया है। इस समय इस राहत पैकेज पर अमल किया जा रहा है।

औषधीय संपाकों में संयुक्त अनुसंधान

7215. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नवीन औषधीय संपाकों को विकसित करने में निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम को बढ़ावा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार ने फरवरी, 2002 में 'भेषज नीति 2002' घोषित की है, जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जो कि पी आर डी एस एफ से उपयोग के संचालन के लिए प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टी डी बी) के अनुरूप औषध विकास संवर्धन बोर्ड (डी डी पी बी) को भी गठित करेगा, के प्रशासनिक नियंत्रण में भेषज अनुसंधान एवं विकास सहायता निधि (पी आर डी एस एफ) को स्थापित करने के लिए सिद्धांत रूप में मंजूरी शामिल है।

आईडीएसएमटी योजना के अंतर्गत कर्नाटक से प्रस्ताव

7216. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री शशि कुमार :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को 17 जुलाई, 1999 को केन्द्र प्रायोजित समेकित छोटे और मंझोले शहरों के विकास संबंधी योजना के लिए प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में केन्द्र सरकार को अनुस्मारक भी जारी किया गया था;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) से (घ) जी नहीं। तथापि, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन को आईडीएसएमटी पर कर्नाटक राज्य स्तरीय मंजूरी समिति की बैठक के कार्यवृत के बारे में दिनांक 8.4.99 का पत्र मिला है, जिसमें 12 कस्बे आईडीएसएमटी स्कीम की प्राथमिकता सूची में शामिल किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: 1. मंदारगी, 2. केरूर, 3. श्रीनिवासपुर, 4. हनगाल, 5. भालकी, 6. संकेस्वर, 7. कोन्नूर, 8. चित्तगुप्पा, 9. होनावार, 10. अराकलदुड़, 11. महलिंगापुर और 12. मुलगुंड। राज्य सरकार ने इन कस्बों को शामिल करने तथा केन्द्रीय सहायता जारी करने के लिए दिनांक 30.10.2000 के पत्र संख्या यूडीडी 39 आईएसटी 99 के तहत आगे पत्राचार किया है। इनमें से मंदारगी, केरूर तथा हनगाल कस्बे आईडीएसएमटी के अंतर्गत शामिल कर लिये गये है। कोन्नूर, अराकलगुड़, महलिंगपुर तथा मुलगुंड नामक चार कस्बों के प्रस्ताव केन्द्रीय सहायता जारी करने पर विचार हेतु प्रक्रियाधीन है और शेष पांच कस्बों के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को परियोजना रिपोर्ट नहीं भेजी है।

कर्नाटक में एकीकृत बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.)

7217. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा :
श्री शशि कुमार :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार से वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान किये गए अतिरिक्त व्यय तथा एकीकृत बाल विकास योजना की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्य की उन 30 पुरानी बाल विकास परियोजनाओं जिन्हें 1.4.1996 से केन्द्रीय परियोजना के रूप में परिवर्तित किया गया था उन पर राज्य सरकार द्वारा किये गए खर्च की प्रतिपूर्ति हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने मांगी गई धनराशि को जारी कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो कब तक जारी किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (घ) कनार्टक सरकार ने दिनांक 28.6.2001 के अपने पत्र सं. डी.डब्ल्यू.सी./आई.सी.डी/के.डी.पी.-5/2001-02 के माध्यम से वर्ष 2000-2001 के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया था, जिसमें 2680.83 लाख रुपए का अधिक व्यय दर्शाया गया था। इसमें वर्ष 1998-99 के दौरान 354.93 लाख रुपए, वर्ष 1999-2000 के दौरान 1312.80 लाख रुपए का अधिक व्यय तथा राज्य क्षेत्र की 30 परियोजनाओं का केन्द्रीय परियोजनाओं के रूप में अंतरण करने हेतु 769.09 लाख रुपये की राशि शामिल थी। उन्होंने वर्ष 2000-2001 के दौरान किया गया कुल 6715.49 लाख रुपए का व्यय दर्शाता था, जिसके लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2001-2002 के दौरान 7466.18 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की थी।

अर्द्ध सैनिक बलों का सुदृढ़ीकरण

7218. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार अर्द्ध सैनिक बलों को चुस्त-दुरूस्त बनाने तथा सुदृढ़ करने के तरीकों का पता लगा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल में आन्तरिक सुरक्षा के संबंध में एक कृतक बल का गठन किया गया है; और

(घ) यदि हां, कृतक बल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) अर्द्ध-सैनिक बलों का सुदृढ़ीकरण एक सतत् प्रक्रिया हैं। इन बलों के कार्य-निष्पादन की समय-समय पर समीक्षा की जाती है तथा उनकी प्रभावोत्पादकता में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। इन उपायों में अतिरिक्त बटालियनों का गठन करना, हथियारों, उपस्करों तथा प्रशिक्षण सुविधाओं का उन्नयन करना शामिल है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली की समीक्षा करने के लिए अप्रैल 2000 में गठित मंत्रियों के दल ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कार्य बल सहित चार बलों का गठन किया। मंत्रियों के दल द्वारा की गई सिफारिशों में आन्तरिक सुरक्षा प्रबंधन शामिल है। मंत्रियों के दल की सिफारिश कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर ली गई हैं। मंत्रियों के दल की रिपोर्ट संसद पुस्तकालय में संदर्भ हेतु पहले ही उपलब्ध है।

असम में गरीबी उन्मूलन

7219. श्री एम.के. सुब्बा : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी किनारों पर पतझड़ को दौरान बनने वाले छोटे मोटे द्वीपों से युक्त धार क्षेत्रों में लोग घोर गरीबी में रहते हैं और ज्यादातर लोग अमानवीय परिस्थितियों में गुजारा करते हैं;

(ख) क्या असम सरकार ने केन्द्र को उनकी अत्यधिक गरीबी की हालत को सुधारने और दूर करने के लिए किसी योजना का प्रस्ताव दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) असम सरकार ने सूचित किया है कि ब्रह्मपुत्र चार्स के लगभग 21.00 लाख आवासियों में से ज्यादातर बुरी तरह से गरीबी से त्रस्त हैं और गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं।

(ख) इस प्रयोजन के लिए असम सरकार से इस मंत्रालय को कोई प्रस्ताव/स्कीम प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

स्व-सहायता समूहों के सहायतार्थ नए कार्यक्रम

7220. श्री सुबोध मोहिते : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास में लगे सभी स्व-सहायता समूहों के सहायतार्थ नया कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन समूहों को किस प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के लिए कोई वित्तीय आबंटन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) और (ख) पहले के समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी) और उससे जुड़ी योजनाओं के पुनगर्ठन के बाद, 1.4.1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) को समेकित स्वरोजगार कार्यक्रम के रूप में, ग्रामीण निर्धनों के लिए लागू किया जा रहा है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य सहायता प्राप्त परिवारों को स्व-सहायता समूहों में संगठित कर और सामाजिक जागरण, उनके प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के जरिए आय-सर्जक परिसम्पत्तियां प्रदान कर उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना सबसे निचले स्तर से गरीबी दूर करने के लिए ग्रामीण निर्धनों को स्व-सहायता समूहों में संगठित करने पर बल देती है। एक स्व-सहायता समूह में 10-20 व्यक्ति होने चाहिए। लघु सिंचाई के मामले में और विकलांग व्यक्तियों के लिए यह संख्या कम से कम 5 तक हो सकती है। समूह के सभी सदस्य गरीबी रेखा के नीचे की जनगणना के माध्यम से निर्धारित किए गए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के होने चाहिए। स्व-सहायता समूहों को समूह के गठन के बाद क्रमश: छह और बारह महीने पूरा हो जाने पर प्रथम और द्वितीय ग्रेड परीक्षण से गुजरना होता है। जो स्व-सहायता समूह कम से कम छह महीने से अस्तित्व में है और जिन्होंने प्रथम ग्रेड परीक्षण को पार कर लिया है, उन्हें नकद ऋण के रूप में 25,000/- रुपए की आवर्ती निधि प्रदान की जाती है, जिसमें से 10,000/- रुपए जिला ग्रामीण विकास एजेंसी द्वारा दिए जाते हैं। द्वितीय ग्रेड परीक्षण पार कर लेने पर यह आर्थिक क्रिया-कलापों हेतु ऋण एवं सबसिडी के रूप में सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र बन जाता है। एक स्व-सहायता समूह दो तरीकों से यह सहायता प्राप्त कर सकता है :

(1) एक समूह के व्यक्तियों को स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की ऋण-सह-सबसिडी, बशर्ते कि समूह के भावी स्वरोजगारीगण इन क्षेत्रों में आयोपार्जक क्रिया-कलाप करने के लिए योग्य हों और उसे शुरू करना चाहते हों।

(2) ऐसे समूह को ऋण-सह-सबसिडी, जहां के सभी सदस्य एक सामूहिक गतिविधियों को शुरू करना चाहते हैं।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सबसिडी एक समान परियोजना लागत का 30 प्रतिशत है, जो अधिकतम 7500/- रुपए है। अनुसूचित जातियों/जनजातियों के मामले में, हालांकि, यह क्रमश: 50 प्रतिशत और 10,000/- रुपए होगा। स्वरोजगारियों के समूहों के लिए सबसिडी योजना की लागत के 50 प्रतिशत तक होगा, जो अधिकतम 1.25 लाख रुपए होगा। सिंचाई परियोजनाओं के लिए सबसिडी की कोई वित्तीय सीमा नहीं होगी।

आर्थिक क्रियाकलापों के लिए सहायता प्राप्त स्व-सहायता समूहों की संख्या तथा विगत वर्ष 2001-02 के दौरान किए गए कुल निवेशों को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्तमान वित्तीय वर्ष (2002-2003) हेतु इस योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार केन्द्रीय आबंटन संलग्न विवरण-II में है।

विवरण-I

2001-02 के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत आर्थिक क्रियाकलापों में लगे स्व सहायता समूहों की संख्या, वितरित ऋण व सब्सिडी और कुल निवेश को दर्शाने वाला विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आर्थिक क्रियाकलापों में लगे स्व सहायता समूहों की संख्या	कुल वितरित ऋण	कुल वितरित सब्सिडी	कुल निवेश
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	4583	4012.49	2835.97	6848.46
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	3.50	8.72	12.22
3.	असम	893	647.86	448.64	1096.50
4.	बिहार	3244	779.60	715.70	1495.30
5.	छत्तीसगढ़	218	336.46	220.73	557.19
6.	गोवा	56	11.02	9.46	20.48

1	2	3	4	5	6
7.	गुजरात	516	562.32	375.10	937.42
8.	हरियाणा	161	259.31	197.13	456.44
9.	हिमाचल प्रदेश	444	798.02	313.53	1111.55
10.	जम्मू और कश्मीर	751	70.25	39	109.25
11.	झारखंड	900	101.76	75.48	177.24
12.	कनार्टक	1338	2528.15	1420.83	3948.98
13.	केरल	765	897.60	705.17	1602.77
14.	मध्य प्रदेश	1149	1628.50	873.63	2502.13
15.	महाराष्ट्र	1485	2420.84	1811.80	4232.64
16.	मणिपुर	सूचित नहीं	सूचित नहीं		0.00
17.	मेघालय	6	2.32	2.32	4.64
18.	मिजोरम	111	4.75	24.553	29.30
19.	नागालैंड	60	19.90	15.20	35.10
20.	उड़ीसा	709	645.40	448.53	1093.93
21.	पंजाब	109	177.90	121.50	299.40
22.	राजस्थान	76	217.12	77.29	294.41
23.	सिक्किम	5	4.71	4.71	9.42
24.	तमिलनाडु	3275	3844.13	3144.25	6988.38
25.	त्रिपुरा	236	6.27	6.27	12.54
26.	उत्तर प्रदेश	1456	2945.05	1405.65	3450.70
27.	उत्तरांचल	153	सूचित नहीं	सूचित नहीं	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	122	63.48	61.34	124.82
29.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	40	19.49	16.80	36.29
30.	दमन एवं दीव		1.82	0.99	2.81
31.	दादरा एवं नगर हवेली		सूचित नहीं		0.00
32.	लक्षद्वीप	0	0	0	0.00
33.	पांडिचेरी	18	33.62	18.66	52.28
	जोड़	22890	22143.65	15398.94	37542.58

विवरण-II

2002-03 के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) के अन्तर्गत केन्द्रीय निधियों का राज्यवार आवंटन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय आबंटन 2002-2003
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	3068.31
2.	अरुणाचल प्रदेश	127.1
3.	असम	3302.59
4.	बिहार	7300
5.	छत्तीसगढ़	1620.58
6.	गोवा	50
7.	गुजरात	1154.96
8.	हरियाणा	679.54
9.	हिमाचल प्रदेश	286.16
10.	जम्मू और कश्मीर	354.16
11.	झारखंड	2751.41
12.	कर्नाटक	2317
13.	केरल	1039.63
14.	मध्य प्रदेश	3474.22
15.	महाराष्ट्र	4580.15
16.	मणिपुर	221.4
17.	मेघालय	248.05
18.	मिजोरम	57.4
19.	नागालैंड	170.16
20.	उड़ीसा	3509.5
21.	पंजाब	330.22
22.	राजस्थान	1759.38
23.	सिक्किम	63.55
24.	तमिलनाडु	2713.06
25.	त्रिपुरा	399.75
26.	उत्तर प्रदेश	10509.37
27.	उत्तरांचल	552.3
28.	पश्चिम बंगाल	3900.11
29.	अ. एवं निको. द्वीप समूह	50
30.	दमन एवं दीव	50
31.	दादरा एवं नागर हवेली	50
32.	लक्षद्वीप	50
33.	पांडिचेरी	50
	योग	56790

महंगे जी.आई. पाइपों के प्रयोग के कारण अतिरिक्त व्यय

7221. श्री रामजी मांझी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रायपुर जोन और अन्य जोनों में छः डिविजनों की प्रायोगिक जांच, जिसमें मैकेनिकल जांच भी शामिल है, से पता चलता है कि वर्ष 1997-01 के दौरान नलकूपों में महंगे जी.आई. पाइपों के प्रयोग करने के परिणामस्वरूप 78.69 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय हुआ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में नियमावली और जलापूर्ति तथा शोधन (तृतीय संस्करण) के प्रावधानों के उल्लंघन की जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस संबंध में अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) मुख्य इंजीनियर, लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है कि रायपुर जोन के 6 प्रभागों के लेखा परीक्षा द्वारा किए गए नमूना परीक्षणों से

1997 से 2001 तक पी वी सी पाइपों के स्थान पर जी आई पाइपों के इस्तेमाल के कारण 263.76 लाख रुपये के आधिक्य व्यय का पता चला है। चूंकि स्तर और मृदा की स्थिति आदि के अनुकूल विभिन्न प्रकार की पाइपें प्रयोग में लाई जाती हैं अत: पीएचई विभाग ने लेखापरीक्षा की इस नमूना जांच की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया तथा लेखा परीक्षा को तकनीकी उत्तर दिया गया।

(ख) मध्य प्रदेश सरकार ने बताया है कि नियमों तथा तकनीकी अपेक्षाओं के अनुसार निष्पादन शुरू किया गया है इस प्रकार प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

आपराधिक न्याय प्रणाली को चुस्त दुरूस्त बनाना

7222. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली को चुस्त दुरूस्त बनाने हेतु तत्संबंधी जांच करने के लिए गठित समिति ने आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दण्ड संहिता और साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करने के लिए विभिन्न सुधारों से संबंधित दिए गए सुझावों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) समिति द्वारा इस मामले में क्या सिफारिशें की गई है; और

(घ) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): (क) से (घ) आपराधिक न्याय प्रणाली संबंधी समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। यह समिति आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के क्षेत्रों में किन्ही निष्कर्षों पर पहुंचने के उद्देश्य से बार, पुलिस, विधिवेताओं, अभियोजकों, उच्च न्यायालयों और अन्य विधि विशेषज्ञों से पारस्परिक क्रिया कर रही है।

इस समिति का कार्यकाल 30 सितम्बर, 2002 तक बढ़ा दिया गया है।

अन्तरराष्ट्रीय जलापूर्ति परियोजना

7223. श्री एन.टी. षणमुगम : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के तिरूपुर में अन्तरराष्ट्रीय जलापूर्ति परियोजना स्थापित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे राज्य में जलाभाव और पर्यावरणीय समस्या को किस सीमा तक हल कर लिए जाने की सम्भावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) तिरूपुर क्षेत्र में एकीकृत जल आपूर्ति तथा सफाई परियोजना के कार्यान्वयन के लिए न्यू तिरूपुर क्षेत्र विकास निगम लि. (एनटीएडीसीएल), तमिलनाडु सरकार और तिरूपुर नगरपालिका के बीच फरवरी 2000 में एक कंसेसन करार पर हस्ताक्षर किये गये।

(ख) एन टी ए डी एल द्वारा "बनाओं, अधिकार में रखो चलाओं तथा हस्तांतरण" (बिल्ड ओन आपरेट तथा ट्रांसफर) आधार पर तिरूपुर नगर पालिका तथा तिरूपुर में व उसके आस-पास उसकी औद्योगिकी यूनिटों में जल आपूर्ति तथा सफाई सुविधाएं मुहैया कराने का प्रस्ताव है। स्कीम के कार्यान्वयन के क्षेत्र में यह संकल्पना है: (1) रास्ते के किनारे के गांव में पेयजल आपूर्ति। (2) घरेलू तथा गैर घरेलू प्रायोजन के लिए तिरूपुर नगर पालिका को पेय जल की आपूर्ति। (3) तिरूपुर नगर पालिका से सीवेज का शोधन तथा निपटान जिसमें तिरूपुर नगरपालिका के भीतर कम लागत सफाई सुविधाएं शामिल हैं (4) सेवा क्षेत्र में उद्योगों को जल आपूर्ति।

(ग) कावेरी नदी से 250 मिलियन लीटर प्रतिदिन कच्चा पानी लेने का प्रस्ताव है ताकि निम्नलिखित लाभ मुहैया किये जा सके :

(1) तिरूपुर नगर पालिका में घरेलू तथा गैर घरेलू प्रयोजन-48.70 मिलियन लीटर दैनिक

(2) तिरूपुर नगर पालिका से बाहर गैर घरेलू औद्योगिक प्रयोजन-165 मिलियन लीटर दैनिक

(3) वेसाइड पंचायत यूनियनों में घरेलू प्रयोजन-36.30 मिलियन लीटर दैनिक

प्रस्ताव में तिरूपुर नगर पालिका में कम लागत सफाई सहित सीवेज संग्रहण, वहन तथा शोधन की भी संकल्पना है।

एस.ई.आर.सी. की भूमिका

7224. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत एस.ई.आर.सी. की वर्तमान भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार से एस.ई.आर.सी. के कार्य को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) एस.ई.आर.सी. अनुसंधान के लिए सरकार के अलावा बाहरी स्रोतों से किस सीमा तक निधियां प्राप्त कर रही है; और

(ङ) एस.ई.आर.सी., चैन्नै के कार्य को व्यापक आधार देने के लिए किए गए प्रयासों, यदि कोई हैं, का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) सीएसआईआर के संस्थानों में से एक, चैन्नै स्थित संरचना अभियांत्रिकी अनुसंधान केन्द्र (एसईआरसी), नीवों से लेकर सुपर संरचनाओं तक के संरचनात्मक अभियांत्रिकी के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान व विकास कार्य करता है, इनमें संरचनात्मक घटक, पुनर्वास और आपदा प्रशमन भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) सीएसआईआर एसईआरसी को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध करवा रही है ताकि यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। परिणामस्वरूप पिछले कुछ वर्षों में एसईआरसी का विकास हुआ है और इसने टॉवर परीक्षण तथा अनुसंधान स्टेशन, संरचनात्मक गति की परीक्षण सुविधा, वातावरणीय परिधि परत वात सुरंग, श्रांति तथा विभंग आदि के लिए उन्नत परीक्षण आदि जैसी सुविधाएं स्थापित की हैं, जिसके कारण इसका कार्य/कार्यनिष्पादन बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त एसईआरसी की विशेषज्ञता पर विचार करते हुए परमाणु ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष आदि जैसी सरकारी एजेंसियों ने अपने कार्यक्रमों के भाग के रूप में विशेष गतिविधियों को करने के लिए एसईआरसी को ठेका दिया है।

(घ) एसईआरसी ने सरकारी विभागों से बाहर के संगठनों द्वारा वित्तपोषित कई परियोजनाएं भी आरम्भ की है। नौवीं योजना के दौरान लगभग 13.5 करोड़ रुपये के कुल नकद आगत में से लगभग 60% ऐसे संगठनों से है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

7225. श्री रघुनाथ झा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना मूलत: मजदूरी प्रदान करने वाला रोजगार सृजक कार्यक्रम है जिसके दिशानिदेशों में यह प्रावधान है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी लोक सम्पत्तियों का निर्माण कार्य लाभार्थियों को मजदूरी और रोजगार प्रदान करने हेतु विभागीय रूप से किया जाना है।

(ख) यदि हां तो नागालैण्ड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, अरूणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, राजस्थान, पाण्डिचेरी, गुजरात, पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में इन कार्यों को 7.03 करोड़ रुपए का लागत से ठेके के माध्यम से कराने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाजिरी रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया और जहां किया गया वहां इसे अपरिपूर्ण तरीके से रखा गया और कतिपय राज्यों में आपात लाभार्थियों को भुगतान की बात को भी नकारा नहीं जा सकता;

(घ) यदि हां, तो क्या ठेकेदारों के माध्यम से कार्य कराने और रोजगार सृजन के रिकार्ड ठीक-ठाक न रखने तथा इसके लिए उत्तरदायी और जवाबदेह व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कोई जांच की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना अनिवार्यत: सतत रोजगार सृजन कार्यक्रम है, जिसमें शहरी मजदूरी रोजगार का घटक भी है। इस घटक के अन्तर्गत शहरी स्थानीय निकायों के दायरे में गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों को, सामाजिक और आर्थिक उपयोग की सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण में उनके श्रम का उपयोग करके मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

यह कार्य विभागीय आधार पर किये जाने की अपेक्षा की जाती है, इसमें यह भी प्रावधान है कि जहां निहित निर्माण विशिष्ट प्रकार का होने के कारण विभागीय कार्य संभव नहीं है, वहां उस कार्य के ऐसे महत्वपूर्ण अंश समुचित निविदाकरण/सरकारी प्रक्रिया अपनाकर एजेंसियों की मार्फत कराये जा सकते हैं।

(ख) संबंधित राज्यों से सूचना संकलित की जा रही हैं।

(ग) से (ङ) सभी संबंधित राज्यों के साथ मामला उठाया गया है और इस बारे में निम्नलिखित राज्यों से प्राप्त रिपोर्ट इस प्रकार है :

(1) राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि 1995 में घग्घर नदी में बाढ़ के कारण अधिकांश शहरी बस्तियां बर्बाद हो गई थी और तत्काल राहत के लिए ठेकेदारों की सेवायें ली गई। इस बारे में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

(2) पांडिचेरी सरकार ने रिपोर्ट दी है कि पाण्डिचेरी नगर-पालिका की भूमि पर ठेकेदारों की मार्फत सामुदायिक हाल-एवम्-कार्यालय भवन के निर्माण पर 10.73 लाख रु. खर्च किए गए हैं, ताकि शहरी गरीबों को अवस्थापना मदद और योजना के तहत लाभार्थियों के विविध गतिविधियां सुलभ करायी जा सकें। राज्य द्वारा मामले की आगे की जांच की जा रही है।

(3) नागालैंड राज्य ने भी सूचित किया है कि 1999-2000 की आरंभिक अवधि में निर्माण कार्यों का कुछ अंश नागालैंड सरकार से मान्यता प्राप्त ठेकेदारों की मार्फत कराये गये थे। लेकिन अब, संबंधित जिलों में सारे कार्य जिला शहरी विकास एजेंसी (डूडा) द्वारा स्थानीय निकायों की मार्फत कराये जाते हैं।

(4) असम सरकार ने भी बताया है कि शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम के तहत 18.42 लाख रु. का कार्य तीन शहरी स्थानीय निकायों में ठेकेदारों की मार्फत कराया गया था। इस पर सभी संबंधित प्राधिकारियों को इस बारे में भारत सरकार के निर्देशों को कड़ाई से पालन करने के लिए निर्देश जारी करके राज्य द्वारा तत्काल कार्यवाही की गई। राज्य द्वारा मामले की पड़ताल की जा रही है।

(5) त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य सरकारों ने ठेकेदारों की मार्फत कार्य कराने से इंकार किया है।

हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा अरूणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त होनी है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नेताओं के आवासों को स्मारकों में परिवर्तित करना

7226. श्री रामदास आठवले : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय नेताओं के उन आवासों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें स्मारकों में परिवर्तित किया गया है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार बाबू जगजीवन राम के आवास को स्मारक में परिवर्तित करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में निर्णय कब तक लिये जाने के सम्भावना है और इस मामले में निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) तीन मूर्ति भवन - श्री जवाहर लाल नेहरू को समर्पित।

1, सफदरजंग रोड़ तथा 1. अकबर रोड़-श्रीमती इन्दिरा गांधी को समर्पित।

1, मोती लाल नेहरू प्लेस - श्री लाल बहादुर शास्त्री को समर्पित।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त "ख" को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली में पेय जल का अभाव

7227. श्री वाई.वी. राव :
श्री उत्तमराव ढिकले :
श्री रामचन्द्र पासवान :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिल्ली में पेयजल की कमी के संबंध में दिनांक 22 अप्रैल, 2002 को "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें दबे मामले के तथ्य क्या हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि इस गर्मी के दौरान दिल्ली के सामने भारी जल संकट होने की सम्भावना है;

(घ) यदि हां, तो जल की मांग और पूर्ति सहित उसके क्या कारण हैं;

(ङ) केन्द्र सरकार इस समस्या का समाधान किस तरीके से करने का विचार रखती है;

(च) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों के दौरान पेयजल समस्या के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(छ) क्या दिल्ली में दूषित जल की आपूर्ति की जा रही है और जल दबाव भी बहुत कम है; और

(ज) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि दिल्ली के लिए पानी की कुल आवश्यकता लगभग 800 मिलियन गैलन प्रतिदिन है। जिसकी तुलना में दिल्ली बोर्ड 650 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी की आपूर्ति कर रहा है। कच्चे पानी की उपलब्धता में समस्या के कारण इसमें और वृद्धि करना कठिन हो रहा है।

(ग) और (घ) जी नहीं। तथापि जल वितरण प्रणाली के अंतिम छोर में स्थित क्षेत्रों को अपेक्षाकृत कम पानी की आपूर्ति होती है।

(ङ) और (च) दिल्ली में पानी की आपूर्ति दिल्ली जल बोर्ड द्वारा की जा रही है जोकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के नियंत्रणाधीन है। पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली जल बोर्ड ने पेय जल की समस्या सुलझाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये हैं :

अल्पावधि उपाय

(1) 455 नलकूप खोदे गये और प्रारंभ किये गये

(2) 719 कि.मी. लम्बी पानी का लाइनें बदली गयी।

(3) 506 कि.मी. लम्बी नई पानी की लाईने बिछायी गयी।

(4) 10 बड़े भूमिगत जलाशय और बूस्टर पम्पिंग स्टेशन प्रारम्भ किए गए

(5) पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पेयजल मुहैया करने के लिए 900 पानी के टैंकर/ट्रक लगाये गये है।

दीर्घावधि उपाय

(1) सोनिया विहार में बनाये जा रहे 140 मिलियन गैलन दैनिक पानी शोधन संयंत्र के दिसम्बर, 2003 तक पूरा होने की संभावना है।

(2) अगले तीन वर्षों में बवाना (20 मिलियन गैलन दैनिक), द्वारका (40 मिलियन गैलन दैनिक) तथा औखला (20 मिलियन गैलन दैनिक) के तीन जल शोधन संयंत्रों की योजना है।

(3) मौजूदा संयंत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट पानी की रिसाइक्लिंग की भी योजना है जिससे मौजूदा क्षमता में 41 मिलियन गैलन दैनिक की वृद्धि होने की संभावना है।

(4) केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने बुराड़ी और पल्ला के बाढ़ के मैदानों में 100 नलकूपों के निर्माण का सुझाव दिया है।

(छ) जी, नहीं। दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि उसके द्वारा आपूर्ति की जा रही पानी की गुणवत्ता निर्धारित मानकों के अनुसार है।

(ज) उपर्युक्त (छ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

7228. श्री विनय कुमार सोरोके : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1997-98 के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की वास्तविक आवश्यकताओं का मूल्यांकन किए बिना इसके लिए 18 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निधि को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा बिना किसी तैयार विशेष प्रस्ताव के भूमि की खरीद अपने भवन के निर्माण के लिए नियत कर दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या यह निधि अभी बैंक में सावधि जमा के रूप में है;

(घ) क्या 1.60 करोड़ रुपये ब्याज अंतर का निर्वहन मंत्रालय ने किया है जो कि ऋण निधियों की लागत है और पिछले तीन वर्षों से बिना प्रयोग के बैंक में पड़ी हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) वित्त वर्ष 1997-98 के दौरान योजनागत के तहत अखिल भारतीय शिक्षा परिषद् को 64.46 करोड़ रु. की राशि दी गई थी। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने इस राशि में से 18.00 करोड़ रु. की राशि कार्यालय स्थल तथा रिहायशी आवास के लिए उद्दिष्ट की थी। परवर्ती वित्त वर्षों में मंत्रालय ने अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को आवास हेतु उद्दिष्ट राशि को इस आधार पर वर्ष दर वर्ष आगे ले जाने की अनुमति दी थी क्योंकि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने रिहायशी आवास खरीदने की संभावना जताई थी तथा यह कहा था कि उपर्युक्त आवास उपलब्ध होने तथा अन्य औपचारिकताएं पूरी होने की स्थिति में निधियों की कमी का सामना न करना पड़े। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने अब 5 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। अधिगृहित भूमि पर अपने भवन के निर्माण हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् त्वरित आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

विदेश में भारतीय शिक्षा

7229. श्री टी.एम. सेल्वागनपति : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विदेशों में भारतीय शिक्षा को लोकप्रिय बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस संबंध में प्रयास कर रहे विश्वविद्यालयों के लिए विशेष अनुदान नियत किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 'सम विश्वविद्यालयों' के लिए निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों में विदेशों में शैक्षिक केन्द्र खोलने के लिए प्रावधान किया गया है बशर्ते भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मेजबान देश की सरकार द्वारा अनुमति दी गई हो। अभी तक तीन सम विश्वविद्यालय नामत: मनीपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी, मनीपाल, बिड़ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, पिलानी; और बिड़ला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा, रांची को उपर्युक्त प्रावधान के तहत विदेशों में अपने परिसर स्थापित करने की अनुमति दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में अवसंरचनात्मक और सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं का विकास

7230. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उड़ीसा जैसे गरीब राज्यों में अवसंरचनात्मक और सामाजिक क्षेत्र की परियोजनाओं के विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): छोटे तथा मझोले कस्बों के एकीकृत विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के अन्तर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना में बड़े हुए परिव्यय का प्रस्ताव है ताकि छोटे तथा मझोले कस्बों में कुछ सामाजिक सुविधाओं सहित अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि की जा सके। 10 लाख तक की आबादी वाले कस्बों (वर्तमान में 5 लाख का मानदंड है), को शामिल करने, स्कीमों के दायरे को और बढ़ाने तथा विभिन्न श्रेणियों के कस्बों के लिए परिव्यय में वृद्धि करने के लिए कस्बों के दायरे को बढ़ाकर आईडीएसएमटी स्कीम के मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के अंतर्गत भी 10वीं पंचवर्षीय योजना में बढ़े हुए परिव्यय का प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य 20,000 तक की आबादी वाले कस्बों को जल आपूर्ति मुहैया कराना है।

राज्य योजना प्रावधानों तथा वित्तीय संस्थानों की ऋण सहायता से राज्य सैक्टर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास स्कीम (ईडब्ल्यूएस) कम आय श्रेणी (एलआईजी), मध्यम आय श्रेणी (एमआईजी) तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किराया आवास स्कीम के लिए आवास स्कीम जैसी सामाजिक आवास स्कीमें कार्यान्वित की जा रही है।

हाल ही में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले शहरी स्लम वासियों की स्थिति को सुधारने के लिए वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) नामक एक नई केन्द्र प्रवर्तित स्कीम शुरू की गई है। वाम्बे का उद्देश्य मुख्यत: गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों तथा शहरी स्लमों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आश्रय मुहैया कराना तथा

मौजूदा आश्रय को सुधारना है ताकि स्वस्थ और सक्षम शहरी वातावरण सहित स्लम सहित शहरों के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। स्लम वासियों के लिए, विशेषकर भीड़भाड़ वाले मैट्रोपोलिटन शहरों में एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण बुनियादी सुविधा अल्पविकसित शौचालय सुविधाओं की कमी की है। स्कीम में 'वाम्बे' के एकीकृत उप घटक के रूप में स्लम वासियों के लिए समुदाय शौचालयों के प्रावधान की भी परिकल्पना की गई है।

संसद सदस्यों के माध्यम से केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश

7231. श्री अमर राय प्रधान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय में दो विद्यार्थियों के प्रवेश की सिफारिश के लिए कूपन संसद सदस्यों को भेजे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2001 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली द्वारा डुप्लीकेट कूपनों को जारी करने के लिए संसद सदस्यों से कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिसमें संगठन द्वारा ऐसे संसद सदस्यों को डुप्लीकेट कूपन जारी किये गये लेकिन सदस्यों ने उन्हें प्राप्त नहीं किया;

(ङ) क्या संसद सदस्यों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(च) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है और वर्ष 2001 के दौरान इन संसद सदस्यों के अपने कोटे से वंचित रहने के क्या कारण हैं;

(छ) क्या उक्त संसद सदस्य वर्ष 2002-2003 के शैक्षणिक सत्र के दौरान वर्ष 2001 के अपने कूपनों को प्राप्त करने के पात्र हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि संसद सदस्यों को कूपन डाक प्रमाण-पत्र के अधीन डाक द्वारा भेजे जाते हैं।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को डुप्लीकेट कूपन जारी करने के लिए संसद सदस्यों से 118 अनुरोध प्राप्त हुए थे और वर्ष 2001 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली द्वारा उतनी ही संख्या में डुप्लीकेट कूपन जारी किए गए थे।

(घ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन को ऐसे किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) से (झ) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

वेतनमानों में संशोधन

7232. श्री अम्बरीश :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों को राज्यों में कालेजों, सहायता प्राप्त कालेजों के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए 70 प्रतिशत केन्द्रीय अंश प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय अंश को पूर्णरूपेण जारी करने को अनुरोध किया है ताकि राज्य कालेज और विश्वविद्यालय अध्यापकों के वेतनों का भुगतान कर सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) कुल व्यय के 70 प्रतिशत केन्द्रीय अंश को समय पर जारी न करने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ङ) केन्द्र सरकार ने विश्वविद्यालय तथा कालेज शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन हेतु राज्य सरकारों को 1.1.1996 से इसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय के 80 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया था, केन्द्र सरकार के दिनाक 27.7.1998 के पत्र में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगी। केन्द्र सरकार 1.1.1996 से 31.3.2000 कर की अवधि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने पर सहमत हुई थी। शेष 20 प्रतिशत व्यय राज्य सरकारों को अपने स्रोतों से पूरा करना अपेक्षित था। विश्वविद्यालय तथा कॉलेज शिक्षकों के वेतनमानों में संशोधन के

परिणामस्वरूप होने वाला सम्पूर्ण व्यय 1.4.2000 से राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।

23 राज्यों, जिन्होंने वास्तव में केन्द्रीय सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन किया था और जिन्होंने इस योजना के तहत यथानिर्धारित शर्तों को पूरा किया था, को प्राप्त प्रस्तावों के गुण-दोष के अनुसार या तो संपूर्ण या आंशिक अनुमत्य केन्द्रीय सहायता प्रदान कर दी गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान

7233. श्रीमती जसकौर मीणा : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संस्थान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(घ) इसकी स्थापना कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) जी, नहीं। इस समय राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, विभिन्न जल क्रीड़ाओं में प्रतिभा का पता लगाने और प्रतिभाशाली युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण (एस.ए.आई.) के जल क्रीड़ा केन्द्र हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के निम्नलिखित स्थानों पर जल क्रीड़ा केन्द्र स्थित हैं :

1. जगतपुर (उड़ीसा)
2. एलेप्पी (केरल)
3. पोर्ट ब्लेयर (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह)
4. भोपाल (मध्य प्रदेश)
5. किरकी, पुणे (महाराष्ट्र)
6. रूड़की (उत्तर प्रदेश)

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मिडिल कक्षा तक शिक्षा

7234. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री सुशील कुमार इन्दौरा :
श्री टी.एम. सेल्वागनपति :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 46 प्रतिशत जनसंख्या को आठ किलोमीटर की परिधि के भीतर मिडिल कक्षा तक शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों में मिडिल कक्षा तक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करने के लिए निधियां आवंटित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उस पर वास्तव में व्यय की गई अनुमानित राशि कितनी है;

(च) क्या यह भी सच है कि केवल 5.04 प्रतिशत निवास स्थानों और 18 प्रतिशत से कम जनसंख्या की पहुंच में ही माध्यमिक विद्यालय हैं; और

(छ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (1993) के अनुसार, देश की 94% ग्रामीण जनसंख्या के लिए 1 किलोमीटर की दूरी में प्राथमिक स्कूल की सुविधाएं सुलभ हैं तथा 85% ग्रामीण जमसंख्या के लिए 3 किलोमीटर की दूरी में उच्च प्राथमिक स्कूल सुलभ हैं।

(ग) से (ङ) सरकार ने शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाने, स्कूली वातावरण में सुधार करने, बच्चों को स्कूल में बनाए रखने तथा उनके शिक्षण उपलब्धि स्तर को बढ़ाने के लिए आपरेशन ब्लैकबोर्ड, शिक्षक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, महिला समाख्या, प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (जिसे सामान्यत: मध्याह्न

भोजन योजना के नाम से जाना जाता है), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, लोक जुम्बिश तथा राजस्थान में शिक्षाकर्मी परियोजना, बिहार में बिहार शिक्षा परियोजना तथा उत्तर प्रदेश में बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम आदि, राज्य विशेष परियोजनाएं विभिन्न कार्यक्रम/योजनाएं आरंभ की हैं। सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना में 16369.59 करोड़ रु. की राशि आबंटित की। वास्तव में 14523.28 करोड़ रु. की राशि खर्च की गई।

(च) और (छ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद द्वारा आयोजित छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण, 1993 के अनुसार 77.91% ग्रामीण जनसंख्या के लिए 5 किलोमीटर की दूरी में माध्यमिक शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली में नकली शराब के उपभोग के कारण मौतें

7235. श्री नरेश पुगलिया : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को अप्रैल, 2002 के दौरान दिल्ली के विभिन्न भागों में नकली शराब के उपयोग करने के कारण हुई कुछ व्यक्तियों की मृत्यु की जांच करने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने जांच कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या परिणाम निकले जांच के निष्कर्षों के आधार पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा इस मामले की जांच कब तक पूरी कर लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो से मामले की जांच करने का अनुरोध किया था लेकिन ब्यूरो ने पाया कि संबंधित एफ आई आर आबकारी अधिनियम के अधीन दर्ज कराई गई है जो उसकी परिधि से बाहर की बात है। इसलिए, ब्यूरो ने मामले की जांच करना उचित नहीं समझा और तदनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को सूचित कर दिया ।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

जेल सुरक्षा

7236. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तिहाड़ जेल में गतिविधियों के संबंध में दिनांक 15 जनवरी, 2002 के 'नवभारत टाइम्स' के दिल्ली संस्करण में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें छपे मामले के तथ्य क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि तिहाड़ जेल में कुछ कारतूस पाये गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार मौजूदा स्थितियों को देखते हुए जेल की सुरक्षा बढ़ाने और जेलों में आगुंतकों पर विशेष नजर रखने के लिए व्यवस्था करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में पर्याप्त व्यवस्था कब तक कर लिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) जी हां।

(ख) प्रश्नाधीन समाचार में सूचित की गई छिट-पुट घटनाओं के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा कि जेल परिसर के भीतर कोई भी वस्तु ले आना मुश्किल नहीं है या जेल परिसर के भीतर उपयुक्त सुरक्षा प्रबंधों का पूरा अभाव हैं।

(ग) और (घ) जी हां। 7 जनवरी, 2002 को किए गए एक तलाशी अभियान के दौरान, कोल्ड क्रीम बाक्स में छुपाए गए पांच सक्रिय कारतूस बरामद हुए संबंध में हरि नगर थाने में एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया।

(ङ) और (च) जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था तो सुदृढ़ करने के लिए जेल प्रशासन ने पहले ही अनेक कदम उठाए हैं। इनमें कैदियों, कर्मचारियों और आगन्तुकों की, जेल परिसर में प्रवेश से पहले और जाने के समय व्यापक तलाशी और जामा तलाशी लेना, वरिष्ठ अधिकारियों के पर्यवेक्षण में अचानक तलाशियां

लेना; और वार्डों, विशेषकर से अत्यधिक सुरक्षा वाले बोर्डों की निगरानी बढ़ाना इत्यादि।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गुजरात हिंसा पर अध्ययन

7237. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग ने गुजरात हिंसा के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) इस प्रकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा वर्तमान में राज्य में महिलाओं के साथ किए जा रहे अत्याचारों से उन्हें बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। गुजरात में साम्प्रदायिक उपद्रव से प्रभावित महिलाओं व बालिकाओं की स्थिति का जायजा लेने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गठित समिति के निष्कर्ष संलग्न विवरण दिए गए हैं।

(ग) और (घ) समिति की सिफारिशों सहित रिपोर्ट को समुचित कार्रवाई करने हेतु गुजरात राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है और उनसे कार्रवाई रिपोर्ट भेजने का भी अनुरोध किया गया है।

इस रिपोर्ट को, गृह मंत्रालय और मंत्रिमण्डल सचिवालय के पास भी उपयुक्त कार्रवाई हेतु भेज दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा गठित समिति के निष्कर्ष व टिप्पणियं निम्नानुसार हैं :

* दंगों से बड़ी संख्या में महिलाएं एवं बच्चे प्रभावित हैं।
* महिलाओं और लड़कियों में अत्यधिक असुरक्षा की भावना है।
* हिंसक भीड़ द्वारा महिलाओं व बच्चों को नुकसान हुआ है। कुछ ने पुलिस द्वारा हिंसा की भी शिकायतें की हैं।
* समिति को पुलिस द्वारा दायित्व का निर्वाह न किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
* महिलाओं ने यौन प्रहार और बलात्कार के कुछ मामलों सहित भीषण हिंसा की शिकायत की है।
* कई महिलाओं ने अपने परिवार के सदस्यों, अपने घरों, घरेलू सामान, जीविका के साधनों तथा अपनी प्रतिष्ठा को खो दिया है।
* समिति को प्रभावित लोगों को मानसिक आघात से उबारने तथा उसके विश्वास को बहाल करने में व्यावसायिक व वाणिज्यिक संस्थाओं, सिविल तथा स्थानीय सरकारी संस्थाओं, चिकित्सा संघों, परोपकारी न्यासों, शिक्षकों व शैक्षिक संस्थानों, ट्रेड यूनियनों, आदि जैसी सामाजिक संरचनाओं की कोई भूमिका देखने को नहीं मिली।
* पुलिस प्राधिकारियों से प्रभावित महिलाओं के विश्वास में कमी आयी है।
* कुछ सामाजिक कार्यकर्ता और गैर-सरकारी संगठन वर्तमान परिस्थितियों में प्रभावित लोगों की मदद करने के भरसक प्रयास कर रहें हैं, लेकिन ये संगठन अत्यधिक असुरक्षा की भावना से अपने कार्य को मूर्त-रूप नहीं दे पा रहे हैं।
* ऐसी शिकायतें मिली है कि महिलाओं के साथ हिंसा, आगजनी व अन्य अपराधों को लेकर प्रथम सूचना दर्ज नहीं की जा रही हैं अथवा सही तरीके से दर्ज नहीं की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, यदि रिपोर्ट दर्ज की भी जा रही हैं, तो वहां पर आगे का जांच या समुचित चिकित्सा जांच नहीं की जा रही है।
* कुछ क्षेत्रों में समिति को बताया गया कि शैक्षणिक प्रणाली अस्त-व्यस्त हो गई है तथा स्कूली बच्चों की परीक्षाओं में व्यवधान पड़ा है और इसके फलस्वरूप महिलाओं की असुरक्षा व परेशानी बढ़ गई हैं। लेकिन, हाल ही में, सरकारी अधिकारियों द्वारा समिति को सूचित किया गया कि कुछेक परीक्षाएं आयोजित की गयी हैं और उनमें उपस्थिति काफी अच्छी रही है।
* हिंसा के कारण गम्भीर रूप से आहत व विक्षिप्त पीड़ित व्यक्तियों को पर्याप्त उपचार नहीं प्राप्त हुआ है।

* गैर-सरकारी संगठनों द्वारा राहत शिविर चलाए जा रहे हैं और सरकार उनको 7 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से राशि प्रदान कर रही है।

* संयोजन समिति में महिलाओं का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।

* उन महिलाओं और बच्चों के लिए अधिक सुरक्षा की जरूरत है, जो वर्तमान परिस्थितियों में अत्यधिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

* गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने और बाद में वर्षा ऋतु शुरू होने पर यदि स्वच्छता हेतु तत्काल समुचित कदम नहीं उठाए गए तो राहत शिविरों की हालत बदतर होना निश्चित हैं। स्थानीय क्षेत्रों में सामान्य स्थिति व सुरक्षा की बहाली करके शिविरों के संवासियों को उनके घरों में वापस भेजने के कार्य का सावधानीपूर्वक अनुवीक्षण व निष्पादन नहीं किया जा रहा है।

* कुछ शिविरों में साफ-सफाई की व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है, क्योंकि उनमें संवासियों के लिए कोई शौचालय नहीं था। गर्भवती महिलाओं के लिए बिस्तर जैसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी।

* समिति ने बताया कि गर्मी में तापमान, जो कि पहले से ही काफी अधिक है, में और अधिक वृद्धि होने के साथ ही, बच्चों और शिशुओं के स्वास्थ्य व जीवन को गम्भीर खतरा उत्पन्न हो जाएगा।

* राहत शिविरों के संवासियों को कुछ शिक्षण कार्यकलापों में लगाने और उसके द्वारा जीविकोपार्जन करने की जरूरत है।

* महिलाओं और बच्चों को कपड़े, तौलिये व अन्य व्यक्तिगत इस्तेमाल का सामान मुहैया कराए जाने की जरूरत है।

* छोटे बच्चों के लिए कोई शिशु-गृह नहीं थे और पर्याप्त संख्या में महिला चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ और बाल-रोग विशेषज्ञ थे।

* महिलाओं को सरकार द्वारा घोषित मुआवजा व राहत पैकेज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सरकार द्वारा घोषित राहत सहायता पर्याप्त नहीं है और न ही इसका वितरण पीड़ितों की जरूरतों के अनुसार, तेजी से किया जा रहा है।

* दंगों के शिकार हुए व्यक्तियों के स्थायी पुनर्वास तथा उनके क्षेत्रों में शांति व सामान्य स्थिति की बहाली जैसी कठिन समस्याओं के समाधान हेतु पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

* महिलाओं को, स्नान और शौच के समय, अधिक सुरक्षा व प्राइवेसी की जरूरत होती है और पीड़ित महिलाओं के शिविरों में ये उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं हैं।

* प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने तथा राहत व मुआवजे हेतु अपेक्षित प्रपत्र भरने के मामले में राहत शिविरों के संवासियों व अन्य पीड़ित व्यक्तियों को कोई सहायता मुहैया नहीं करायी जा रही है। शिविरों के भीतर या बाहर कोई कानूनी सहायता प्रदान नहीं की जा रही है।

* यह गम्भीर चिंता का विषय है कि आदिवासी लोग पहली बार इतने व्यापक पैमाने पर दंगों में शामिल हुए हैं।

ग्रेडिंग पद्धति को आरम्भ करना

7238. श्री आर.एस. पाटिल :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सभी कक्षाओं में विशेष कर 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में ग्रेडिंग पद्धति आरम्भ करने का निर्णय लिया है जो वर्ष 2002 से आरम्भ होगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न संगठनों ने इस पहल का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वर्ष 2002 की कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं में अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग पद्धति को लागू नहीं कर रहा है। कक्षा 10 के परिणामों की घोषणा में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली में ग्रेड और अंक दोनों ही दर्शाए जाते हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के स्तर पर इस समय प्रस्तावित ग्रेडिंग प्रणाली में अंकों का उल्लेख किए बिना विषय-वार ग्रेड देने की परिकल्पना की गई है। इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तावित ग्रेडिंग मॉडल को अपने से सम्बद्ध सभी स्कूलों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं तथा संगठनों को परिचालित कर दिया गया है ताकि उनके विचार और टिप्पणियां प्राप्त की जा सकें। ग्रेडिंग से मुद्दे पर सर्वानुमति तैयार करने के लिए शिक्षाविदों और शिक्षाशास्त्रियों सहित विभिन्न जिम्मेदार व्यक्तियों से परामर्श की प्रक्रिया चल रही है।

(घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में अंको के स्थान पर ग्रेडो के प्रयोग की सिफारिशें की गई है।

दिल्ली में आतंकवादियों द्वारा लाल बत्ती लगी कारों का प्रयोग

7239. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री एन. जनार्दन रेड्डी :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न आसूचना एजेन्सियों ने दिल्ली पुलिस को आंतकवादियों द्वारा लाल बत्ती लगी कारों के प्रयोग के संबंध में सावधान किया है-जैसा कि दिनांक 19 अप्रैल, 2002 के 'द स्टेट्स मैन' में उस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के आस पास सभी लालबत्ती लगी कारों का पता लगाने के लिए कोई कदम उठाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गृह मंत्री के लेटर-हेड को चुराकर दिल्ली में कुछ कार्यपाल के अधिकारियों द्वारा लालबत्ती के लिए अधिकृत होने के रूप में उनका प्रयोग किया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और भविष्य में ऐसे कार्यों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) आसूचना संबंधी ऐसी जानकारियां है कि कुछ आतंकवादी गुट चुनिन्दा लक्ष्यों पर हमला कर सकते हैं। तथापि, दिल्ली पुलिस को ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिससे विशेष रूप से यह पता चलता हो कि इस प्रकार के हमले लाल बत्ती लगी कारों का प्रयोग करके किए जाएंगे।

(ख) और (ग) वाहनों की छत पर इस प्रकार की बत्तियों का प्रयोग, विशिष्ट मामलों को छोड़कर, अनुज्ञेय नहीं है। वर्ष 2001-2002 के दौरान (15 अप्रैल, 2002 तक) इन उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा 205 वाहन मालिकों/चालकों पर मुकदमा चलाया गया।

(घ) और (ङ) केन्द्रीय गृह मंत्री के सहायक निजी सचिव की इस शिकायत के आधार पर कि किसी ने सरकारी लेटर हेड पर टाईप पत्र, जिसमें उल्लिखित व्यक्ति को अपने वहन की छत पर लाल बत्ती लगाने के लिए अधिकृत किया गया है, पर उसके जाली हस्ताक्षर किये है, दिल्ली पुलिस द्वारा एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया। इस मामले की जांच-पड़ताल के बाद में इस बात की पुष्टि हो गई कि वास्तव में इस पत्र पर इनके जाली हस्ताक्षर किए गए थे। अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दायर कर दिया गया है और मामला निर्णयाधीन है।

[हिन्दी]

दिल्ली में अस्पतालों के विकास के लिए अतिरिक्त भूमि का आबंटन

7240. श्री राजो सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी में अस्पतालों के विकास के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग को अतिरिक्त भूमि प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) राजधानी में अस्पतालों के विकास हेतु अतिरिक्त भूमि के आबंटन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का कोई प्रस्ताव भूमि तथा विकास कार्यालय में विचारार्थ लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठन

7241. श्री विलास मुत्तेमवार :
श्री ए.डी.के. जयशीलन :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी संगठनों को युवाओं को प्रशिक्षण देने, राष्ट्रीय एकता तथा साहसिक खेलों को प्रोत्साहन देने आदि के लिए अनुदान दिए गए है;

(ख) गैर-सरकारी संगठनों को मान्यता देने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) अनुदानों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उनके कार्यकलापों की निगरानी किस तरह से की जाती है;

(घ) यह योजना कब आरंभ की गई थी और इसके अंतर्गत अब तक कितना लाभ प्राप्त हुआ है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन कार्यकलापों में और गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) मंत्रालय किसी भी गैर-सरकारी संगठन को मान्यता नहीं देता है। उन गैर-सरकारी संगठनों के व्यवहार्य प्रस्तावों पर, योजना (योजनाओं) में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सहायता अनुदान के लिए विचार किया जाता है जिनकी कानूनी स्थिति है और जिन्होंने सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 अथवा राज्य सरकार (सरकारों) के किसी अन्य तदनुरूपी अधिनियम के अंतर्गत अपने पंजीकरण की तारीख से 3 वर्ष पूरे कर लिए हों।

(ग) योजनाओं के अनुसार प्रस्ताव सक्षम अनुशंसा प्राधिकारियों के माध्यम से भेजे जाने अपेक्षित होते हैं जिनसे गैर-सरकारी संगठनों के कार्यक्रमों पर निगरानी रखने के लिए भी अनुरोध किया जाता है जिसके लिए अनुदान दिया जाता है।

(घ) योजनाएं 15 वर्ष से भी अधिक समय से चल रही हैं और उन्हें मंत्रालय द्वारा संतोषजनक रूप से संचालित किया जा रहा है। इस योजनाओं के जरिए युवाओं को उनके व्यावसायिक कौशल के उन्नयन के रूप में लाभ पहुंचता है। इनसे युवाओं में राष्ट्रीय एकता की भावना और साहस का गुण, जोखिम उठाने की भावना, सहयोगी टीम कार्य और सहनशीलता के गुण विकसित होते हैं।

(ङ) और (च) इन योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि की बाध्यताओं के अंदर, सरकार इन योजनाओं के कार्यान्वयन में जहां तक संभव हो, ज्यादा से ज्यादा गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में शुष्क शौचालय

7242. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक कितने शुष्क शौचालय निर्मित किए गए हैं,

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक इस प्रयोजन के लिए राज्यवार कितनी निधियां आबंटित की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन शुष्क शौचालयों को जल शौचालयों में बदलने के लिए समय सीमा निर्धारित की है,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शुष्क शौचालयों को तोड़कर जन शौचालय में बदलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब एम.के. पाटील) : (क) और (ख) केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुष्क शौचालयों के निर्माण के लिए निधियां नहीं देता है।

(ग) से (ङ) शुष्क शौचालयों को जल शौचालयों में बदलने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है तथा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शुष्क शौचालयों को गिराने के लिए कोई नये उपाय नहीं किये गये हैं। तथापि, सरकार ने 1999 में केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को पुर्नगठित किया है और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यों तथा संघ क्षेत्र की सरकारों को शुष्क शौचालयों को बदलने के लिए आबंटित की गई निधियों का उपयोग करने का निदेश दिया गया है।

सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत खाद्यान्नों का आंबटन

7243. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितनी मात्रा में खाद्यान्न आवंटित किए गए;

(ख) क्या डी.आर.डी.ए. को उनकी बारी पर उक्त खाद्यान्न आबंटित किये गये; और

(ग) यदि हां, तो तंत्संबंधी विशेषकर असम के संबंध में ब्यौरा क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) से (ग) 25 सितम्बर, 2001 से संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) के प्रारंभ होने से सुनिश्चित रोजगार योजना (ई.ए.एस.) 1 अप्रैल, 2002 से विगत वर्ष के शेष भाग के लिए एस.जी.आर.वाई. का एक भाग बन गई है। योजना का एस.जी.आर.वाई. के साथ पूर्णत: विलय हो गया है। कार्यक्रम के

अंतर्गत मजदूरी आंशिकी रूप से नगद तथा आंशिक रूप से खाद्यान्न के रूप में दी जाती है। तदनुसार, नगद घटक के अलावा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2500 करोड़ रु. के खाद्यान्न आबंटित किए गए थे। चूंकि एस.जी.आर.वाई. वित्तीय वर्ष (2001-02) के मध्य में शुरू की गई थी, 1719.37 करोड़ रु. मूल्य के 636.27 हजार टन गेहूं तथा 1056.36 हजार टन चावल आबंटित किए जा सके। असम सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। कार्यान्वयन एजेंसियों अर्थात् पंचायती राज संस्थाओं/ डी.आर.डी.ए. ने एफ.सी.आई. गोदामों से अपने आबंटन के अनुसार खाद्यान्न उठाए हैं ताकि उन्हें मजदूरों के बीच बांटा जा सकें।

विवरण

वर्ष 2001-2002 के दौरान सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (ई.ए.एस.) के अन्तर्गत खाद्यान्न का आंवटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खाद्यान्न का आवंटन	प्राधिकृत किया गया खाद्यान्न			
			गुणवता (टन हजार में)			मूल्य लागत (लाख रु. में)
			गेहूं	चावल	कुल	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	132.86		4.19	419	472.97
2.	अरूणाचल प्रदेश	6.92		0.31	0.31	34.54
3.	असम	179.88		3.44	3.44	388.54
4.	बिहार	266.05		2.74	2.74	309.95
5.	छत्तीसगढ़	74.98		7.11	7.11	803.57
6.	गोवा	0.31		0.05	0.05	5.55
7.	गुजरात	50.01	1.66		1.66	137.79
8.	हरियाणा	29.42	43.89		43.89	3643.24
9.	हिमाचल प्रदेश	12.39	0.34	0.05	0.39	34.07
10.	जम्मू और कश्मीर	15.34	1.00	0.74	1.74	167.96
11.	झारखंड	169.18	2.21	4.87	7.09	734.26
12.	कनार्टक	100.33	0.22	1.44	1.66	181.59
13.	केरल	45.02		0.92	0.92	104.44
14.	मध्य प्रदेश	145.63	2.21	0.00	2.21	15910.35
15.	महाराष्ट्र	198.32	85.68	44.38	130.06	12116.97
16.	मणिपुर	12.06		0.58	0.58	65.49
17.	मेघालय	13.51		5.98	5.98	675.51
18.	मिजोरम	3.13		3.65	3.65	413.00

1	2	3	4	5	6	7
19.	नागालैंड	9.27	0.16	0.12	0.27	26.00
20.	उड़ीसा	151.96		3.87	3.87	436.81
21.	पंजाब	14.30	0.57		0.57	47.33
22.	राजस्थान	76.18	2.12		2.12	175.98
23.	सिक्किम	3.46		0.73	0.73	82.59
24.	तमिलनाडु	117.48		1.63	1.63	183.85
25.	त्रिपुरा	21.77		7.14	7.14	713.84
26.	उत्तर प्रदेश	448.99	0.00	1.85	1.85	208.78
27.	उत्तरांचल	29.99	0.31	0.53	0.83	84.87
28.	प. बंगाल	168.88		1.59	1.59	179.86
29.	अंडमान निकोबार	0.71			0.00	
30.	दादरा एवं न. हवेली	0.71		0.31	0.31	35.34
31.	दमन एवं दीव	0.02			0.00	
32.	लक्षद्वीव	0.05		0.02	0.02	2.36
33.	पांडिचेरी	0.90		0.40	0.40	44.76
	कुल	2500.0	140.37	98.63	239.00	38422.16

[हिन्दी]

अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां

7244. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जैव-रसायन प्रौद्योगिकी केन्द्र सी.एस.आई.आर., दिल्ली में अनुकंपा आधार पर नियुक्तियों के लिए नियुक्ति संबंधी गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करने के लिए कितने व्यक्ति पात्र पाये गए;

(ग) क्या सभी पात्र व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो शेष नियुक्तियों को कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(च) उक्त समिति द्वारा नियुक्ति के लिए कितने व्यक्तियों को अपात्र पाया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) जीव रासायनिक प्रौद्योगिकी केन्द्र (सीबीटी), नई दिल्ली के तीन मृत कर्मचारियों के आश्रित से आवेदन प्राप्त हुए थे। केन्द्र की अनुकंपा आधार पर नियुक्ति करने विषयक समिति द्वारा इन निवेदनों पर विचार किया गया है। तथापि उचित

स्तरों पर पदों, जिन पर ऐसी नियुक्तियां की जा सकती हैं, की अनुपलब्धता के कारण किसी भी आवेदक की नियुक्ति नहीं की गई।

(च) कोई भी आवेदक अपात्र नहीं पाया गया।

[अनुवाद]

पाकिस्तान में भारतीय महिलाओं को बेचना

7245. श्री राम मोहन गाइडे :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान में भारतीय महिलाओं को बेचने के संबंध में "ह्यूमन राइट्स वाचडॉग एमनेस्टी इन्टरनेशनल" की नवीन रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (ग) भारतीय महिलाओं को पाकिस्तान में बेचने के बारे में एमनेस्टी इंटरनैशनल की भारत से संबंधित कोई रिपोर्ट नहीं है। तथापि, एमनेस्टी इंटरनैशनल ने "पाकिस्तान में महिलाओं को अपर्याप्त संरक्षण" नामक अपनी रिपोर्ट में सरसरी तौर पर एक टिप्पणी की है जिसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान में महिलाओं का अवैध व्यापार बंगलादेश, नेपाल, भारत तथा अफगानिस्तान जैसे पड़ौसी देशों से होता है। तथापि, रिपोर्ट में इस प्रकार के कथन का कोई आधार नहीं है।

(घ) सरकार पाकिस्तान सहित दुनिया में कहीं भी भारतीय महिलाओं की बिक्री नहीं होने देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की समीक्षा

7246. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार :
श्री अनन्त नायक :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन एस ए पी) के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार कितने परिवारों को लाभ हुआ; और

(ग) कार्यक्रम के अंतर्गत योजना-वार लाभार्थियों को प्रदान किए गए लाभों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुभाष महरिया): (क) हाल में योजना आयोग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के परामर्श से केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की थी जिसके फलस्वरूप अन्नापूर्णा योजना के साथ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसमें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना शामिल है, वित्तीय वर्ष 2002-03 से राज्य योजना को हस्तांतरित कर दिया गया है। अब से इन हस्तांतरित योजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में वित्त मंत्रालय राज्यों को धन उपलब्ध कराएगा।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) 65 वर्ष और अधिक उम्र के सभी असहाय व्यक्तियों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एन.ओ.ए.पी.एस.) के अंतर्गत प्रति माह 75 रु. की राशि दी जाती है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एन.एफ.बी.एस.) के अंतर्गत पीड़ित परिवार को 10,000/- की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।

विवरण

एन.एस.ए.पी. के अंतर्गत सूचित किए गए लाभार्थियों के राज्यवार ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना			राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना		
		1999-2000	2000-01	2000-02	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	466000	466001	466000	30418	31477	25849
2.	अरूणाचल प्रदेश	2347	1205	1631	35	105	45

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	85052	262719	280317	5036	7357	6678
4.	बिहार	741195	509938	445201	21538	13725	3955
5.	छत्तीसगढ़		146519	133727		9448	5570
6.	गोवा	2195	2122	2480	260	193	22
7.	गुजरात	63862	68108	47110	2540	2315	2007
8.	हरियाणा	33201	35993	50769	416	568	751
9.	हिमाचल प्रदेश	15176	25250	24490	451	397	545
10.	जम्मू और कश्मीर	31291	33620	12025	555	389	118
11.	झारखंड		175437	156112		2664	2190
12.	कर्नाटक	228309	258402	183265	4602	5643	1449
13.	केरल	119507	114698	91790	4701	3389	1391
14.	मध्य प्रदेश	568400	429490	437387	37766	31465	11981
15.	महाराष्ट्र	330948	319144	387568	16884	11073	2411
16.	मणिपुर	5836	25972	27175	103	307	7619
17.	मेघालय	9102	18743	30904	202	527	500
18.	मिजोरम	4094	10523	10523	73	194	170
19.	नागालैंड	5917	18045	8106	70	310	157
20.	उड़ीसा	330272	384174	492366	16858	16073	7664
21.	पंजाब	32859	40283	38618	407	1451	254
22.	राजस्थान	451325	148815	101030	4747	3698	2358
23.	सिक्किम	2400	10104	10104	सूचित नहीं	125	सूचित नहीं
24.	तमिलनाडु	398791	339481	314362	18591	16876	5814
25.	त्रिपुरा	15507	57912	59213	631	916	317
26.	उत्तर प्रदेश	940559	841340	886134	38768	25640	12859
27.	उत्तरांचल		50097	45002		6932	812
28.	पश्चिम बंगाल	350810	352016	331343	9886	9756	4387

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	सूचित नहीं	14	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं
30.	चंड़ीगढ़	1763	2532	2714	40	29	32
31.	दादरा एवं नगर हवेली	252	895	सूचित नहीं	सूचित नहीं	सूचित नहीं	9
32.	दमन एवं दीव	262	229	241	3	7	1
33.	एनसीटी दिल्ली	42156	सूचित नहीं	सूचित नहीं	156	40	सूचित नहीं
34.	लक्षद्वीव	सूचित नहीं	23	15	2	सूचित नहीं	8
35.	पांडिचेरी	1500	4179	4180	27	सूचित नहीं	44
	योग	5280868	5154023	5081902	215811	203019	107967

2012 ओलंपिक के आयोजन के लिए दावा

7247. श्री अशोक ना. मोहाल : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की 2012 ओलंपिक के आयोजन के लिए दावा पेश करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत के पास ओलंपिक आयोजित करने के लिए बुनियादी ढांचा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं तो क्या सरकार द्वारा ओलंपिक के कार्यक्रमों हेतु ढांचा विकसित करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या है और उस पर कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (कुमारी उमा भारती) : (क) सरकार भारत में 2012 ओलपिंक्स की मेजबानी हेतु दावा पेश करने पर विचार कर रही है।

(ख) से (ङ) जी, नहीं। ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए विद्यमान अवस्थापना में काफी परिवर्धन तथा उन्नयन की जरूरत होगी। यह मामला अभी भी बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में है।

इन्दिरापुरम में परिवहन सुविधाओं का प्रावधान

7248. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले नगर इन्दिरापुरम (गाजियाबाद) जिसमें काफी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं वहां निवास करने वालों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि के बावजूद दिल्ली से वहां आने-जाने की परिवहन व्यवस्था लगभग नहीं के बराबर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों को नियमित जन परिवहन सुविधाओं को प्रदान करने और नोएडा की भांति यात्री कर माफ करने का निदेश दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य सरकारों द्वारा इन सुविधाओं को कब कर प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) जी, नहीं। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) से सूचित किया कि इंदिरापुरम के लिए अंतर्राज्यीय सेवाएं मौजूद हैं जिसमें सुबह और शाम, दोनों समय बसें आती जाती हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम

ने सूचित किया है कि दिल्ली-सिकंदराबाद-बुलंदशहर-अलीगढ़-कानपुर के लिए बस सेवाएं इंदिरापुरम में उपलब्ध है और लगभग 340 बसें रोजाना इंदिरापुरम से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम बसों के अलावा, निजी बसें भी नोयडा में विभिन्न स्थानों के लिए उपलब्ध हैं।

(ग) से (ङ) दिल्ली परिवहन निगम ने कहा है कि इंदिरापुरम के लिए उपलब्ध बस सेवा का अंतराल यात्रियों के आवागमन में वृद्धि और बसों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। तथापि, यात्री कर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, गाजियाबाद द्वारा निर्धारित किया जाता है। अत: यात्री कर माफ करना राज्य सरकार का विषय है।

यह भी बताया गया है कि नोयडा में दिल्ली परिवहन निगम (डी.टी.सी) का एक डिपो है। परिवहन की मांग को ध्यान में रखते हुए नोयडा से दिल्ली के लिए पर्याप्त बस सेवाएं उपलब्ध कराई गई है।

पोर्ट ब्लेयर में अनधिकृत बस्तियां

7249. श्री विष्णु पद राय : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोर्ट ब्लेयर में लगभग कितने परिवार अनधिकृत बस्तियों में रह रहे हैं जिन्हें अभी तक विद्युत कनेक्शन नहीं दिए गए हैं जैसा कि 5.3.2001 को हुई सलाहकार समिति की बैठक में विचार किया गया था;

(ख) ये बस्तियां कब से बसी हुई हैं;

(ग) क्या अंडमान और निकोबार प्रशासन ने इन समस्याओं पर विस्तार से गौर करने हेतु कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) इस समय 1937 ऐसे परिवार हैं जो पोर्ट ब्लेयर में अनधिकृत बस्तियों में रह रहे हैं।

(ख) ये सभी बस्तियां 1978 के बाद की अवधि के दौरान बसी हैं।

(ग) और (घ) अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह क्षेत्र में लोगों के आगमन पर रोक लगाने की आवश्यकता के बारे में उपायों की सिफारिश करने के वास्ते सरकार द्वारा गठित एक उपदल ने सम्पूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अनधिकृत बस्तियों की समस्या की जांच की। इस उपदल ने, अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की कि (1) 1978 के बाद के सभी अतिक्रमणों को हटाने के लिए तत्काल ठोस कार्रवाई की जाए; (2) सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण को संज्ञेय अपराध बनाया जाय; तथा (3) अनधिकृत अतिक्रमणकर्त्ताओं/अतिक्रमणों की बेदखली/को गिराने के लिए एक संक्षिप्त कार्याविधि शुरू की जाए।

संक्रामक रोगों के लिए टीका

7250. श्री उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न संक्रामक रोगों के लिए नए टीकों को ईजाद करने के लिए अनुसंधान में निवेश नहीं किया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या विशेषत: टिश्यू कल्चर आधारित टीके विकसित करने के संबंध में कोई अनुसंधानशाला स्थापित की है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा') : (क) भारत में विभिन्न संक्रामक रोगों के लिए नए टीकों के विकास हेतु अनुसंधान में निवेश 80 के दशक से सतत आधार पर किया जाता रहा है। कुष्ठ रोग के लिए एक इम्यूनोथेराप्यूटिक और इम्यूनोप्रोफिलैक्टिक टीका अर्थात् राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित इम्यूवैक टीका बाजार में उपलब्ध है। मलेरिया, जापानी एन्सेफैलाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, एच आई वी/एड्स और रेबीज़ के लिए नए टीकों के विकास हेतु राष्ट्रीय जय-विज्ञान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन के अन्तर्गत केन्द्रीभूत अनुसंधान शुरू किया गया है। कॉलरा और रेबीज़ के लिए टीकों के विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत-यू एस टीका कार्य योजना (वी ए पी) के अन्तर्गत रोटावायरल डायरिया के लिए दो कैन्डीडेट टीके चरण-1 के परीक्षण के लिए तैयार हैं। कॉलरा एवं रेबीज़ के लिए खाद्य टीकों के विकास में भी अच्छी प्रगति हुई है।

(ख) और (ग) जापानी एन्सेफैलाइटिस के लिए राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में ऊतक संवर्धन आधारित टीकों के विकास और मानकीकरण संबंधी अनुसंधान प्रगति पर है। इस समय, दो एकक अर्थात् ह्यूमन इम्यूनोलॉजिकल्स, ऊटी, तमिलनाडु और पास्चर इंस्टीट्यूट, कुनूर, तमिलनाडु ऊतक-संवर्धन आधारित टीकों के उत्पादन के कार्य में जुटे हैं।

आदिवासी जनजातीय समूहों के विकास हेतु अनुदान जारी करना

7251. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने आदिवासी जनजातीय समूहों के विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजना के लिए अनुदान जारी करने के लिए 26 जुलाई, 2002 को केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आई टी डी पी एस के माध्यम से लागू किए जाने के लिए आदिवासी जनजाति समूहों के विकास हेतु 95.44 लाख रुपए जारी करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव के लिए निधियों को स्वीकृत और जारी कर दिया हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे कब तक स्वीकृत किए जाने और निधियां कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) से (घ) आदिम जनजातीय के समूहों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत कर्नाटक सरकार ने आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए 23.6.2001 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जिसे समेकित जनजातीय विकास परियोजनाओं के जरिए कार्यान्वित करना था। प्रस्ताव की जांच की गई थी और वर्ष 2001-02 के दौरान कर्नाटक सरकार को 96.94 लाख रुपए की धनराशि तदनुसार निर्मुक्त की गई थी।

नालों और सीवर लाइनों से गाद निकालना

7252. श्री रामजी मांझी : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 मई, 2002 के "दि टाइम्स ऑफ इण्डिया" में "एम सी डी ड्रेग्स फीट ओवर डिसिल्टिंग वाटर लैग्ड मानसून लाइकली" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें बताए तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सड़कों अथवा कालोनियों विशेषकर सरकारी रिहायशी कालोनियों में पानी का जमाव न होने पाये इसके लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) प्रकाशित समाचार में मानसून मौसम के दौरान पानी के भरने, आवागमन में बाधा और पैदल चलने वालों की असुविधा के बारे में उल्लेख है। इसमें दिल्ली शहर में, एम सी डी, एन डी एम सी, डी जे बी इत्यादि के द्वारा नालियों/सीवर लाइनों में से गाद निकालने में संभावित विलंब का उल्लेख है।

एम सी जी, एन डी एम सी, दिल्ली जल बोर्ड (डी जे बी) और पी डब्ल्यू डी ने सूचित किया है कि उन्होंने बरसाती पानी की नालियों में गाद निकालने व सफाई करने की योजनाएं पहले ही तैयार कर ली हैं। एम सी डी ने मार्च, 2002 के दौरान 1333 नालियों में से गाद निकालने का कार्य पहले से ही आरंभ कर दिया है और गाद निकाले जाने के कार्य 15 जून, 2002 तक पूरा होने की संभावना है। डी जे बी ने 1 अप्रैल, 2002 से कार्य प्रारंभ कर दिया है और जून, 2002 तक इसके पूरा कर लेने का लक्ष्य है। इसने 30 अप्रैल, 2002 तक 1257 कि.मी. लम्बी सीवर लाइनों में से पहले ही गाद निकाल चुका है। पानी के भराव को रोकने के उद्देश्य से, एम सी डी ने बिजली न होने की स्थिति में भी बिजली की आपूर्ति के लिए प्रत्येक पंप हाउस में इलेक्ट्रिक जनरेटर सैटों के लिए भी व्यवस्था की हैं।

उद्योग जगत के साथ अनुसंधान और विकास में सहयोग

7253. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उद्योग जगत के साथ अनुसंधान और विकास के प्रयास बहुत कम हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की अनुसंधान प्रयासों में उद्योग जगत के साथ सहयोग में वृद्धि करने का कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सी एस आई आर और सरकार के अन्य संगठनों ने अनुसंधान और विकास में सहयोग तथा निवेश के लिए उद्योग जगत से सम्पर्क किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) :

(क) से (ग) सरकार ने अनेक वर्षों से राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के सहयोग के उद्योग द्वारा की गई सहायक अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन एवं सहायता देकर उद्योग के साथ अपना सहयोग बढ़ाया है। इस दिशा में समय-समय पर अनेक संवर्धनात्मक स्कीमें/कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और वित्तीय प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है। जिसमें भारित कर कटौती, त्वरित ह्रास, सीमा शुल्क छूट आदि सम्मिलित हैं। प्रमुख संवर्धनात्मक स्कीमों/कार्यक्रमों में सम्मिलित हैं : डी एस आई आर में प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता के उद्देश्यपरक कार्यक्रम; डी एस टी में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, और औषध एवं भेषजीय अनुसंधान कार्यक्रम और होम ग्रोन प्रौद्योगिकी कार्यक्रम।

(घ) और (ङ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) भारतीय उद्योगों को ठेका अनुसंधान, संयुक्त प्रौद्योगिकी विकास, परामर्श, परीक्षण, प्रशिक्षण आदि की पेशकश द्वारा उनके साथ निकट संबंध बनाकर रखती है। मंत्रालय के अन्य विभागों के भी ऐसे कार्यक्रम हैं, जिनके अंतर्गत राष्ट्रीय हित की परियोजनाओं के लिए लागत अंशदान आधार पर निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं तथा आसान ऋणों, अनुदानों और इक्विटी सहभागिता जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण के पश्चात् राज्य अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

7254. श्री सुबोध मोहिते : क्या **विनिवेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण तथा उन्हें बंद करने से पूर्व राज्य अर्थव्यवस्था पर इसके पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार विनिवेश से होने वाली अपनी आय को उन राज्यों के साथ बांटने पर विचार कर रही है जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थित हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) से (ग) विनिवेश एक सहभागी प्रक्रिया है और प्रक्रिया अंतर्मंत्रालय परामर्शों तथा सभी भागीदारों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के माध्यम से, एक स्पष्ट नीति और सुस्थापित क्रियाविधि के अनुसार चलाई जाती है। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश में, इन कंपनियों में भारत सरकार की इक्विटी की बिक्री शामिल होती है। विनिवेश प्रक्रिया के दौरान उन राज्य सरकारों, जहां केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्थापित हैं, के साथ आमतौर पर ऐसे मुद्दों पर परामर्श किया जाता है जिनमें राज्य सरकारों का हस्तक्षेप तथा उनकी सहायता को आवश्यक समझा जाता है : उदाहरण के लिए भूमि तथा भू-संबंधी अन्य मसले, खनन पट्टा, कानून तथा व्यवस्था बनाए रखना, पर्यावरण एवं वन, राज्य तथा स्थानीय प्राधिकरण आदि द्वारा प्रदान की गई सेवा तथा सुविधाओं में। राज्य सरकारें स्थानीय अर्थव्यवस्था पर विनिवेश के प्रभाव से संबंधित किसी भी मुद्दे को सरकार के ध्यान में लाने के लिए स्वतंत्र होती हैं। विनिवेश/निजीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रयोजन/उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियोजित परिसंपत्तियों/पूंजी का बेहतर उपयोग होने के नाते स्थानीय अर्थव्यवस्था पर विनिवेश का प्रभाव लाभकारी होने की बहुत अधिक सम्भावना रहती है।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली प्राप्तियों को भारत सरकार की किसी अन्य प्राप्ति की तरह ही भारत से संचित कोष में जमा कराया जाता है। भारत के संचित कोष में किए जाने वाले व्यय में केन्द्र तथा राज्य दोनों योजनाओं के अधीन बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र सार्वजनिक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पुनर्संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे सामाजिक क्षेत्रों का परिव्यय शामिल होता है।

संविदाएं देना

7255. श्री रघुनाथ झा : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने संविदाएं दिये जाने के कार्य सुचारू बनाने के लिए 1994 में उपाय किये थे परन्तु ठेकेदारों को कई करोड़ रुपये की धनराशि को परिहार्य भुगतान के मामले जारी रहे और सी पी डब्ल्यू डी में मध्यस्थ मामलों की निगरानी और प्रबंधन की प्रणाली में खामियां जारी रही हैं और जिसके परिणामस्वरूप अनुवर्ती कार्यवाही में विलंब हुआ और 94 प्रतिशत दावे निरस्त हो गये;

(ख) यदि हां, तो संविदाएं दिये जाने के कार्य के संतोषजनक न होने और ठेकेदारों द्वारा सार्वजनिक धन के निरन्तर अपव्यय किये जाने के क्या कारण हैं तथा मध्यम मामलों की निगरानी तथा प्रशासन की प्रणाली में निरंतर खामियों के क्या कारण हैं; और

(ग) सी पी डब्ल्यू डी के कार्यकरण में सुधार तथा इस संबंध में अधिकारियों की जवाबदेही और उत्तरादायित्व निर्धारित करने के लिए क्या कदम उठाये गए है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) जी, हां, लोक लेखा समिति (1992-93) की 50वीं रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुपालन में, पंचाट मामलों की निगरानी के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मुख्यालय में ''टैक्नो लीगल सैल'' का गठन किया गया। इसी प्रकार 1994-95 में पंचाट मामलों की निगरानी के लिए क्षेत्रीय मुख्यालयों में अधीक्षण इंजीनियर (टेक्नों-लीगल क्वालिटी एश्योरेंस) के पद सृजित किये गए। यह कहना सही नहीं है कि ठेकेदारों को करोड़ों रुपये की उस राशि की अदायगी जारी की गई, जो बचायी जा सकती थी। यह पाया गया है कि 380 मामलों में से 327 मामलों में, ठेकेदार के पक्ष में दी गई कुल राशि दावे की सफल राशि लगभग 19.76% थी, और ब्याज सहित कुल अवार्ड राशि कुल ठेका राशि की लगभग 8.21% थी। इस प्रकार अधिनिर्णायक (आर्बीटिटर) ने ठेकेदारों के 80.24% के दावे निरस्त कर दिये।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ठेकाओं का अनुवर्त्तन संतोषजनक है और इसमें धन की बर्बादी नहीं है। पंचाट मामलों के लिये निगरानी और अनुवर्त्तन की सुव्यवस्थित प्रणाली है। ठेकेदारों का इलाज अधिनिर्णय है और यह अधिनिर्णय संविदा निष्पादन के उत्पन्न सभी विवादों के लिए यह एक समाधान व्यवस्था है, साथ ही यह अदालत के समय साध्य मुकदमेबाजी का भी विकल्प है। अधिनिर्णायक मामले के तथ्यों और गुण-दोषों पर विचार करने के बाद, राशि का अधिनिर्णय करते हैं जो सामान्यत: ठेकेदार के कुल दावे का थोड़े प्रतिशत में होती है, तथा एक वर्ष में किए गए कुल निर्माण कार्यों के लिए दी गई राशि विभाग द्वारा ठेकों के जरिये कराये गए निर्माण कार्यों की कुल मात्रा की तुलना में अत्यन्त कम होती है।

(ग) निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय शुरू किये गये है :

(1) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मैनुअल में निर्धारित निगरानी के वर्तमान उपबंधों के अलावा अंचल (जोन) स्तर पर नियंत्रण रजिस्टर रखना।

(2) न्यायालयों में अधिनिर्णय की पैरवी के लिए एक विहित समय-सीमा निर्धारित की गई है।

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा. हेतु आवास विकास योजनाएं

7256. श्री रामदास आठवले : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का अ.जा./अ.ज.जा.के सभी व्यक्तियों को पांच वर्षों की निश्चित अवधि के भीतर आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन समुदायों के व्यक्तियों के लिए कोई आवास विकास योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की प्रारूप समिति की सिफारिशों के संबंध में कोई सुझाव/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा 2001-2002 के दौरान शुरू की गई वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) तथा 1985-86 के दौरान शुरू की गई इन्दिरा आवास योजना पहले ही शहरी/ग्रामीण गरीबों, मुख्यत: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आश्रयों के निर्माण/उन्नयन का कार्य करती हैं। वाम्बे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कम से कम 50% का आरक्षण है। 1994-95 से 60% इन्दिरा आवास योजना का नियतन मुख्यत: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/मुक्त किये गये बंधुवा मजदूरों के लिए है। इससे पहले पूरा नियतन इन श्रेणियों के लिए था इसके अलावा हडको द्वारा वित्त पोषित राज्य क्षेत्र की सामाजिक आवास स्कीमों में भी राज्य सरकार की नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षण है।

इसे देखते हुए केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए दूसरी स्कीम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) से (ङ) इस विषय अर्थात् ''अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग आवास विकास योजना इस उद्देश्य से तैयार की जाये ताकि पांच वर्ष की अवधि के भीतर सभी आवास रहित व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जा सके'' पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ड्राफ्टिंग समिति के सुझाव का यह मंत्रालय समर्थन करता है। तदनुसार भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले स्लम वासियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आश्रयों के निर्माण/उन्नयन हेतु 2001-2002 के दौरान वाल्मीकि अम्बेडकर योजना (वाम्बे) नामक एक नयी स्कीम शुरू की गई जिसमें 50% केन्द्रीय सब्सिडी तथा राज्य सरकार द्वारा इसके बराबर का अंशदान सब्सिडी/ऋण के रूप में है। स्कीमों में स्लम वासियों के लिए सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का घटक भी शामिल है। सभी

अन्य चीजों के समान रहते हुए वाम्बे के अंतर्गत आवासों के वितरण में निम्नलिखित प्राथमिकतायें रहेगी :

(1) अनुसूचित जाति-कम से कम 50%

(2) पिछड़ी जातियां 30%

(3) अन्य कमजोर वर्ग 15%

(अन्य पिछड़ी जातियां, पिछड़ी जातियां आदि राज्य विशेष में यथा परिभाषित)

(4) शारीरिक तथा मानसिक अक्षम तथा विकलांग व्यक्ति 5%

इस आरक्षण में भी स्वयं सहायता समूह की सदस्यता वाले शहरी गरीबी प्रमुख परिवारों और राज्य सरकार द्वारा यथा परिभाषित वृद्धावस्था पेंशन के लिए व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

यदि किसी शहर अथवा स्लम में विशिष्ट श्रेणी के लाभार्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हों तो राज्य सरकार द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र लेने के बाद कि विशिष्ट श्रेणी के अंतर्गत लाभार्थी उपलब्ध नहीं हैं, वाम्बे के अंतर्गत अन्य श्रेणियों के लिए मकान बनाये जा सकते है।

[अनुवाद]

नेताजी जांच आयोग

7257. श्री अमर राय प्रधान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेताजी के लापता हो जाने के बारे में विचार करने के लिए गठित नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जांच आयोग ने विभिन्न देशों का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आयोग के लंदन दौरे के दौरान लार्ड चांसलर के आयोग को नेताजी से संबंधित कुछ फाइलें दिखाने का आश्वासन दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उन देशों के साथ की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ताकि ऐसी फाइलें आयोग जिसका इस उद्देश्य के लिए गठन किया गया है, को उपलब्ध कराई जाएं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) न्यायविद मुखर्जी जांच आयोग ने ब्रिटेन का दौरा किया तथा ब्रिटिश पुस्तकालय, पब्लिक रिकार्ड आफिस, लंदन, साउथैम्पटन विश्वविद्यालय का हारटले पुस्तकालय तथा आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का बोडलियन पुस्तकालय की फाईलों और रिकार्ड का अध्ययन किया।

(ग) आयोग को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया।

(घ) उपरोक्त (ग) के मद्देनजर प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ङ) आयोग द्वारा नेताजी से संबंधित सभी वर्गीकृत फाइलें रिलीज करने के संबंध में ब्रिटेन सरकार से किए गए अनुरोध के अनुसरण में लंदन में भारत के उच्चायुक्त की मार्फत ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क किया गया। प्रत्युत्तर में विदेश एवं राष्ट्रमंडल कार्यालय ने स्पष्ट किया कि रिलीज न किए गए दस्तावेजों से सुभाषचन्द्र बोस की मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में, ब्रिटिश पुस्तकालय में उपलब्ध फाईलों में दिए गए वर्णन के अलावा बढ़कर कोई अन्य बात का पता नहीं चलता है। आसूचना एवम् एजेन्सियों से संबंधित शांतिकालीन फाईलों को सिद्धान्ततः रिलीज नहीं किया जाता है।

उड़ीसा में काम के बदले अनाज कार्यक्रम

7258. श्रीमती कुमुदिनी पटनायक : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में खरीदे गए चावल को काम के बदले अनाज कार्यक्रम के लिए उपयोग हेतु अनुरोध किया है,

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार राज्य में खरीदे गए कुल चावल को इस उद्देश्य हेतु दिया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू) : (क) और (ख) जी, हां। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार के अनुरोध को मान लिया गया है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

प्रदूषणकारी उद्योगों को दिल्ली से स्थानांतरित करना

7259. श्री नरेश पुगलिया : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने प्रदूषणकारी उद्योगों को अभी तक अन्य स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है;

(ख) इन उद्योगों को किन स्थानों पर स्थानांतरित किया गया है और प्रत्येक स्थान पर कितने प्रदूषणकारी उद्योगों को स्थानांतरित किया गया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने प्रदूषणकारी उद्योगों को स्थानांतरित करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को कोई सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय) : (क) और (ख) दिल्ली सरकार ने बताया है कि दिल्ली लघु औद्योगिक विकास निगम (डी.एस.आई.डी.पी.सी.) द्वारा दिनांक 30.4.2002 तक बवाना, नरेला, बादली, पटपड़गंज, झिलमिल में प्रदूषणकारी तथा गैर-औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगों और झिलमिल में फ्लैटेड फैक्टरीज कॉम्प्लेक्स को 16394 औद्योगिक प्लॉटों/फ्लैटों का आबंटन किया गया है जिसमें से 1619 यूनिटों ने प्लॉटों/फ्लैटों का वास्तविक कब्जा पहले ही प्राप्त कर लिया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में उद्योग पुरम, मेरठ, मसूरी-गुलावटी रोड़, जिला-गाजियाबाद, सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर एवं उद्योग कुंज, जिला गाजियाबाद को 1408 प्लॉट आबंटित किये गये हैं। चार प्रदूषणकारी यूनिट पहले ही स्थानांतरित हो चुके हैं तथा इन क्षेत्रों में उन्होंने काम शुरू कर दिया है।

राजस्थान उप-क्षेत्र में 943 प्लॉट आंबटित किये गये हैं, जिनमें भिवाड़ी के 187 प्लॉट, कुशखेड़ा के 525 प्लॉट तथा छोपंकी के 231 प्लॉट शामिल हैं। 63 यूनिटों को पहले ही स्थानांरित किया जा चुका है तथा इन्होनें उपर्युक्त क्षेत्रों में काम शुरू कर दिया है।

(ग) और (घ) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी के रूप में सरकार ने गैर-औद्योगिक क्षेत्रों (नॉन-कॉन्फर्मिंग) के उद्योगों के स्थानांतरण हेतु बवाना में लगभग 778 हेक्टेयर क्षेत्र को विकसित किया है। इसी प्रकार, हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों के तहत आने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थलों की पहचान की गयी तथा उपर्युक्त राज्यों में औद्योगिक स्थलों के आबंटन हेतु उद्योगपतियों को मदद दी गयी।

बंजर भूमि के विकास हेतु परियोजनाओं का विलय

7260. श्री वाई.वी. राव : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण भूमि का विकास करने लिए विभिन्न परियोजनाओं के विलय का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलने के कार्य में किस सीमा तक सुधार होगा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) से (ग) भूमि संसाधन विभाग का कार्यात्मक उत्तरदायित्व बंजरभूमि को उपजाऊ भूमि/कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन करने की बजाय यथा स्थान मृदा तथा नमी संरक्षण उपायों, रोक बांधों के निर्माण, बायोमास, विशेषरूप से ईंधन लकड़ी तथा चारे, आदि के उत्पादन के जरिये बंजरभूमि/अवक्रमित को विकसित करना है। इस समय यह विभाग बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने के लिए तीन मुख्य कार्यक्रमों, नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को सामान्य मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा एक समान लागत मानदण्डों के अनुसार वाटरशेड आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत परियोजनाएं कार्यक्रम के अंतर्गत अभिज्ञात खंड़ो में कार्यान्वित की जाती हैं। इसी प्रकार, मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत भी परियोजनाएं कार्यक्रम के अंतर्गत अभिज्ञात किए गए खंडों में ही कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत परियोजनाएं सामान्यत: सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत अभिज्ञात खंड़ों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती हैं।

[हिन्दी]

कश्मीर के संबंध मे विदेशी मध्यस्थता

7261. श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 मार्च, 2002 के ''राष्ट्रीय सहारा'' में कश्मीर के संबंध में विदेशी मध्यस्थता के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो हुर्रियत कांफ्रेंस के इस प्रस्ताव पर अमरीकी प्रशासन का क्या रवैया है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे प्रस्तावों को हतोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री (सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) सरकार को मीडिया रिपोर्ट की जानकारी है। अमेरिकी सरकार ने इस प्रकार के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है। अमेरिकी सरकार का यह कहना है कि भारत और पाकिस्तान की बीच सभी मुद्दों का हल दोनों पक्षों को मिलकर करना चाहिए।

(ग) और (घ) सरकार निरंतर यह कहती रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों का समाधान द्विपक्षीय वार्ता से किया जाना चाहिए और इस प्रक्रिया में किसी भी तीसरे देश/पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।

[अनुवाद]

दसवीं योजना के दौरान माध्यमिक शिक्षा हेतु आवंटन

7262. श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना में माध्यमिक शिक्षा के लिए नौवीं योजना के आवंटन की तुलना में चार गुणा अनुमानित आवंटन दिखाया है; और

(ख) यदि हां, तो दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान माध्यमिक शिक्षा के लिए कितना आवंटन प्रस्तावित है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) नवीं पंचवर्षीय योजना के लिए माध्यमिक शिक्षा के लिए आबंटन 2603.49 करोड़ रु. था जबकि दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए यह आंबटन 4225.00 करोड़ रु. है।

गुजरात में साम्प्रदायिक हिंसा पर रिपोर्ट

7263. श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री रघुराज सिंह शाक्य :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को गुजरात में साम्प्रदायिक हिंसा पर प्राथमिक टिप्पणियों तथा पूर्व सिफारिशों के उत्तर में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आयोग से और समय मांगा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात में साम्प्रदायिक दंगों पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और उस पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) यदि नहीं तो यह कब प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का गुजरात में हिंसा के कतिपय गंभीर मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) से (च) केन्द्र सरकार ने गुजरात में साम्प्रदायिक हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की दिनांक 1.4.2002 की प्रारंभिक कार्यवाही पर अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए 30 अप्रैल, 2002 तक का समय मांगा था। केन्द्र सरकार ने अपना उत्तर 1 मई, 2002 को प्रस्तुत किया। अपने उत्तर में सरकार ने यह कहा कि अधिकांश सिफारिशों पर गुजरात सरकार को कार्रवाई करनी है। तथापि, जिन सिफारिशों का संबंध भारत सरकार से है उन पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्रवाई की जा रही है। गुजरात में हिंसा के कुछ जटिल मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने संबंधी सिफारिशों पर इसलिए अमल नहीं किया जा सका कि मौजूदा नियमों के अंतर्गत मामलों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के लिए गुजरात सरकार की सहमति अपेक्षित है। गुजरात सरकार ने उपरोक्त अनुसार अपेक्षित सहमति प्रदान नहीं की है क्योंकि राज्य की एजेंन्सियां पहले ही उन मामलों की जांच कर रही हैं।

[हिन्दी]

विश्व बैंक की सहायता से प्राइमरी स्कूल का खोला जाना

7264. श्री राजो सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर बिहार में विश्व बैंक की सहायता से कितने प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं/खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) गत चार वर्षों के दौरान उक्त उद्देश्य के लिए राज्य-वार कितनी निधियां प्रदान की गई हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के विभिन्न परियोजना जिलों में योजनागत लक्ष्य के तहत पहले ही खोले गए प्राथमिक स्कूलों की संख्या तथा पिछले चार वर्षों (1998-99 से 2001-2002) के दौरान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। बिहार में परियोजना अवधि के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत 1783 प्राथमिक स्कूल खोलने संबंधी प्रस्ताव के तहत, 1109 स्कूल खोले जा चुके हैं।

विवरण

क्र. सं.	इस परियोजना के अन्तर्गत कवर किए गए राज्य/जिले	इस परियोजना के अन्तर्गत खोले जाने के लिए प्रस्तावित नए प्राथमिक स्कूलों की संख्या	खोले जा चुके नए प्राथमिक स्कूलों की संख्या	परियोजना के लिए भारत सरकार द्वारा जारी की गई राशि (करोड़ रु. में) 1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आन्ध्र प्रदेश (14) अदिलाबाद, अनन्तपुर, चित्तूर, कुद्दाप्पाह, गुंटुर, खम्माम, महबूब नगर, मेडक, नालगौंडा, निजामाबाद, प्रकाशम, रंगारेड्डी, श्रीकाकुलम और विशाखापटनम	3969	3969	-	266.00	60.00	40.00	366.00
2.	असम (9) दारंग, धुबरी, कर्बी अंगलॉग, मौरीगांव कोकराझार, बोंगाईगांव, गोलपाडा, बारपेटा, सोनितपुर	30	30	23.00	44.13	35.94	47.00	150.07
3.	बिहार (20) मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारन, सीतामढ़ी, स्योहर, रोहताश, केमूर, वैशाली, गया, दरभंगा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, भोजपुर, बक्सर, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, भागलपुर बंका	1783	1109	34.94	24.00	35.00	45.00	160.94

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	झारखंड (9) चतरा, दुमका, हजारीबाग, कोडरमा, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रांची, जमातरा, सरायकेला	1062	919				22.00	
5.	हरियाणा (7) हिसार, जीन्द, कैथल, सिरसा, गुड़गांव, भिवानी, महेन्द्रगढ़	15	15	5.00	10.00	35.00	77.46	127.46
6.	हिमाचल प्रदेश (4) चम्बा, कुल्लू, लाहौल एवं स्पीति, सिरमौर	808	808	14.76	14.00	15.00	17.00	60.76
7.	कर्नाटक (16) बेलगाम, कोलार, माण्डया, रायचूर/कोपल, बेल्लारी, बीदर, गुलबर्ग, मैसूर, कामराजनगर, बीजापुर/ बागलकोट, बंगलौर (ग्रामीण), धारवाड/ गडग/हवेरी	1250	1250	84.00	34.10	79.00	58.50	255.60
8.	केरल (6) कासरगोड, मालापुरम, वायनाड, तिरूवनन्तपुरम, इड्डुक्की, पालक्कड	59	59	26.00	9.00	32.00	22.00	89.00
9.	मध्य प्रदेश (16) माण्डला/डिण्डोरी, शिवनी, शिवपुरी, भिण्ड, मुरैना/ शिवपुर, विदिशा, झबुआ, दतिया, खड़गांव/ वडवानी, देवास, शाजापुर, खण्डवा, दमोह	2189	2189	98.40	36.00	75.00	65.00	288.40
10.	छत्तीसगढ़ (6) बस्तर/दांतेवाडा/कांकेर, रायपुर/धामतरी/महासमुन्द्र	1180	1180				14.00	
11.	महाराष्ट्र (11) औरंगाबाद, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद,	871	868	23.49	39.00	42.00	54.00	158.49

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	परभनी/हिंगोली, बीड, धूले/नन्दुरबार, गदचिरोली, जालना							
12.	उड़ीसा (8) बोलनगीर, धेनकनाल, कालाहांडी, रायगढ़. गजपति, बारागढ़, संबलपुर, क्योंझर,	734	720	15.00	8.00	33.00	25.00	81.00
13.	तमिलनाडु (8) धर्मापुरी, कुड्डालोर/ बिल्लूपुरम, तिरूवन्नमलाई, पुधुकोट्टे, रामनाथपुरम, पेरमलूर/अरियालूर	515	406	19.19	19.25	32.00	42.88	113.32
14.	उत्तर प्रदेश (54) महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोण्डा/बलरामपुर, बदायूं, खेरी, ललितपुर, पीलीभीत, बस्ती/संत कबीरनगर, मुरादाबाद/ज्योतिबा फूले नगर, शाहजहांपुर, सोनभद्र, देवरिया, हरदोई, बरेली, फिरोजाबाद, रामपुर, बहराइच/श्रावस्ती, बाराबंकी, आगरा, आजमगढ़, बलिया, बिजनौर, बुलन्दशहर, एटा, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, फर्रूखाबाद, कन्नौज, फतेहपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, हमीरपुर, महोबा, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर, देहात, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, बागपत, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पडरौना, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, उन्नाव	6149	5883	89.00	48.00	220.00	348.00	723.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	उत्तरांचल (6) बागेश्वर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चंपावत, टेहरी गढ़वाल, उत्तर काशी	350	251				18.00	
16.	राजस्थान (19)* अलवर, भीलवाड़ा, झालावाड़, झुनझुनू, कोटा, नागौर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक, चुरू, दौसा, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, बूंदी, करौली, सवाईमाधोपुर, हनुमानगढ़	3188	7965	0.00	30.50	15.00	90.00	135.50
	कुल	24152	27621	432.78	581.98	708.94	985.84	2709.54

नोट : (1) डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत असम ने अतिरिक्त औपचारिक प्राथमिक स्कूल नहीं खोले हैं, तथापि राज्य ने छार इलाके के लिए 26 नए स्कूल और 4 आवासीय स्कूल खोले हैं।

(2) भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियां परियोजना के विभिन्न घटकों के लिए संयुक्त रूप से होती हैं, ये सिर्फ नए स्कूल खोलने के लिए नहीं होतीं। *राजस्थान में औपचारिक स्कूलों की जगह राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं खोली गई हैं।

[अनुवाद]

बच्चों का उत्थान

7265. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार बच्चों के लिए 1990 विश्व सम्मेलन में दिए गए वचन के अनुसार लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई है जैसा कि 19.4.2002 के 'दि टाइम्स ऑफ इंडिया' में 'यू.एन. चाइल्ड मीट में एक्सपोज इंडियन रिकार्ड' शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो आवश्यक सुविधाओं में कमी जिसका कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है, के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बच्चों के उत्थान और उनकी उचित देख-रेख हेतु पर्याप्त सुविधाएं सृजित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) 1990 में आयोजित विश्व बाल शिखर सम्मेलन में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में भारत ने अनेक क्षेत्रों में उत्तरोत्तर प्रगति की है। जिन क्षेत्रों में सुधार हुआ है, वे इस प्रकार हैं :

1. पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर : जीवित जन्मे प्रति हजार में पांच वर्षों 109 (1992-93) (एन.एफ.एच.एस.-I) से घटाकर 94.9 (1998-99) (एन.एफ.एच.एस.-II) रह गयी।

2. शिशु मृत्यु-दर : जीवित जन्मे प्रति हजार में 80 (1990) (एस.आर.एस.) से घटकर 68 (1998-99) (एन.एफ.एच.एस.-II) रह गयी।

3. कम वजनी बच्चों का प्रतिशत 53.4% (1992-93) (एन.एफ.एच.एस.-I) से घटाकर 47% (1998-99) (एन.एफ.एच.एस.-II) रह गया।

4. विकास अवरोध के मामलों का प्रतिशत 52% (1992-93) (एन.एफ.एच.एस.-I) से घटाकर 45.5% (1998-99) (एन.एफ.एच.एस.-II) रह गया।

5. कमजोरी के मामलों का प्रतिशत 17.5% (1992-93) (एन.एफ.एच.एस.-I) से घटाकर 15.5% (1998-99) (एन.एफ.एच.एस.-II) रह गया।

6. स्कूलों में उपस्थिति का प्रतिशत 6-14 वर्ष (लड़कियां) 59% (1992-93) (एन.एफ.एच.एस.-I) से बढ़कर 74% (1998-99) (एन.एफ.एच.एस.-II) हो गया।

7. स्कूलों में उपस्थिति का प्रतिशत 6-14 वर्ष (लड़के) 75.5% (1992.93) (एन.एफ.एच.एस.-I) से बढ़कर 84% (1998-99) (एन.एफ.एच.एस.-II) हो गया।

(ख) बच्चों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को कई कारणों से प्राप्त नहीं किया जा सका। इस कारणों में भारी जनसंख्या, सीमित संसाधन, निर्धनता, जागरूकता का अभाव, आदि शामिल हैं।

(ग) देश में बच्चों की स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार पर्याप्त उपाय कर रही है। भारत सरकार के अनेक मंत्रालय तथा विभाग बच्चों के विकास की विभिन्न स्कीमें और कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं। वर्ष 1997 प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ किया गया, जो कि बाल स्वास्थ्य देखभाल एवं मातृत्व सेवाएं प्रदान कर रहा है। वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को नि:शुल्क व उत्तम प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के मूल उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान के रूप में एक प्रमुख पहल की गई। इसके अतिरिक्त, नौवीं योजना के अन्त तक इस अभियान में देश के सभी जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव है। 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाना ही प्रस्तावित संविधान (93वां संशोधन) विधेयक, 2001 का उद्देश्य है। देश में कुपोषण के उन्मूलन हेतु सरकार राष्ट्रीय पोषाहार मिशन को अन्तिम रूप प्रदान कर रही है। सरकार का बच्चों से संबंधित मौजूदा कानूनों के समुचित कार्यान्वयन पर नजर रखने तथा बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय बाल नीति एवं चार्टर को अंगीकार करने व राष्ट्रीय बाल आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है। ममेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत, पूरक पोषाहार, शाला-पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवाएं तथा पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा सहित मूलभूत सेवाओं का समेकित पैकेज प्रदान किया जाता है। यह कार्यक्रम 5652 आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं के माध्यम से 6 वर्ष से कम आयु के 314.43 लाख बच्चों एवं 62.25 लाख गर्भवती एव धात्री माताओं को सेवाएं प्रदान कर रहा है।

ओसवाल फर्टिलाइजर प्लांट में दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति

7266. श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री के.पी. सिंह देव :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा में पारादीप में ओसवाल फर्टिलाइजर प्लांट में होने वाली दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति की जानकारी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है क्या उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त संयंत्र में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) से (ङ) निजी क्षेत्र की कम्पनी "ओसवाल कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (ओ सी एफ एल) ने सूचित किया है कि कुछ दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं के कारण" वर्ष 2000 और 2001 में संयंत्र में उत्पादन प्रारम्भ होने के पश्चात् 9 कामगारों की मृत्यु हुई है। 1999 के अन्त में भीषण चक्रवात से भारत के पूर्वी तट को नुकसान होने के तत्काल बाद 2000 में जब संयंत्र में उत्पादन शुरू हुआ था तो प्रारम्भ में ये दुर्घटनाएं हुई थीं। ऐसे भी उदाहरण हैं जब कामगारों की लापरवाही के कारण भी कुछ दुर्घटनाएं हुई। इसके अलावा, ओ सी एफ एल ने सूचित किया है कि अपने पारादीप संयंत्र में वह विभिन्न कानूनों के तहत अनिवार्य सभी आधुनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पूर्वोपायों को अनुसरण कर रही है और कामगारों की सुरक्षा के बारे में समय-समय पर जारी किये गये सरकारी दिशानिर्देशों की अनुपालन कर रही है।

विकलांग व्यक्तियों को रोजगार

7267. श्री एन.टी. षणमुगम : क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकलांग व्यक्तियों को आरक्षण के बावजूद भी उनके मंत्रालय में रोजगार नहीं मिल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री जुएल उराम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद्

7268. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत विनियमित बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद् क्षेत्र तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या प्रस्तावित बोडो क्षेत्रीय परिषद् क्षेत्र में रहने वाले अन्य समुदाओं की तुलना में बोडो अल्पसंख्यक हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है;

(ङ) क्या बोडो के अतिरिक्त अन्य गैर-बोडो समूहों के साथ भी परामर्श किया गया है; और

(च) इस संबंध में असम सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (च) केन्द्र सरकार, असम सरकार, और बोड़ो लिब्रेशन टाइगर के प्रतिनिधियों की त्रिपक्षीय शांति वार्ता जारी है।

सरकार समाज के सभी वर्गों के लोकतांत्रित अधिकारों और सामाजिक आर्थिक हितों की रक्षा करने के प्रति वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

न्यूयार्क स्थित मानवाधिकार आयोग

7269. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूयार्क स्थित मानवाधिकार संगठन ''हयूमन राइट्स वाच'' ने कुछ संगठनों को गुजरात में सैकड़ों लोगों की हत्या करने के लिए जिम्मेवार ठहराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) न्यूयार्क स्थित ''ह्यूमन राइट्स वाच'' ने अत्यंत आलोचनात्मक तथा अत्याधिक पूर्वाग्राही रिपोर्ट जारी की है जिसमें गुजरात में सांप्रदायिक दंगों के लिए कुछ संगठनों तथा राज्य सरकार को उत्तरदायी ठहराया गया है। तथापि, जिन तथ्यों पर यह रिपोर्ट आधारित है वे अत्याधिक संदेहात्मक प्रतीत होते हैं और वास्तविक हकीकत को उजागर नहीं करते हैं।

(ग) और (घ) गुजरात सरकार ने राज्य में हुए दंगों की जांच के लिए पहले ही एक-सदस्यीय आयोग की नियुक्ति कर दी है। आयोग की सिफारिशों के अनुसार कार्रवाई करना राज्य सरकार का काम है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में सड़कों का निर्माण

7270. श्री संतोष मोहन देव : क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों की कई महत्वपूर्ण सड़कों और पुलों पर कार्य की गति धीमी है;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र की उन सड़कों/पुलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिन पर कार्य निर्धारित समयावधि से पीछे चल रहा है; और

(ग) पूर्व निर्धारित समय सीमा के अन्दर इन सड़कों/पुलों का कार्य पूरा कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विनिवेश मंत्री तथा उत्तरपूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री अरूण शौरी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में 10.5.02 की स्थिति के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा वित्त-पोषित 26 निर्माण कार्य हैं जिनकी प्रगति धीमी है। निर्धारित समय से पीछे चल रहे सड़क/पुल कार्यों के राज्य-वार सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) इस सड़क/पुल कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए परियोजनावार समीक्षा शुरू की गई है और पूर्वोत्तर परिषद परियोजनाओं के लिए परियोजनावार वित्त-पोषण प्रणाली शुरू की गई हैं। पूर्वोत्तर परिषद द्वारा निधि के आवंटन में वृद्धि की गई है। प्रबोधन, स्वीकृति, धनराशि को रिलीज करने की प्रणाली और कार्यान्वयन को मजबूत बनाया गया है। कार्य के लिए फील्ड निरीक्षण को गहन बनाया गया है और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग ने भी कार्यस्थल पर जाकर परियोजनाओं की प्रगति का प्रबोधन करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकारों को भी यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि कार्यक्रम/परियोजना विशेष के लिए धनराशि को समय पर रिलीज किया जाये और कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का नियमित रूप से प्रबोधन किया जाए। एक ऐसी सड़क परियोजना की पहचान की गई है जिसकी लेखापरीक्षा नियंत्रक महालेखाकार द्वारा निष्पादन के दौरान ही साथ-साथ की जाएगी।

विवरण

पूर्वोत्तर राज्यों में उन सड़क/पुल निर्माण कार्यों की सूची जो निर्धारित समय से पीछे चल रहे हैं

क्र.सं.	राज्य का नाम	सड़क/पुल कार्य का नाम
1	2	3
एन.ई.सी. रोड़		
1.	असम	(क) शेरखान-भागाबाजार
	मिजोरम	(ख) सरकॉन-भागाबाजार
2.	असम	(क) लाइसोंग-राजाबाजार
3.	मेघालय	(क) पंसम्य-गारनपानी हाफलांग-जरिंगा-उधार बंद
	असम	(ख) पसाय-गारनपानी हाफलांग-जरिंगा-उधार बंद (सेक्टर जरिंगा, उधार बंद)
4.	असम	धोगार अली
5.	असम	(क) दलिया-मौलसंडू हाफलांग
	मेघालय	(ख) दलिया-मौलसंडू हाफलांग
6.	असम	हेलाकान्डी-धरमपुरा
7.	असम	कोनपुई-भइयारबी
8.	असम	पाक्के-दापोरिजो-एन.टी. सड़क
9.	अरूणाचल प्रदेश	पाक्के सियेजोसा-इतासोलू
10.	अरूणाचल प्रदेश	सेपा-सागाली-याजंली
11.	मणिपुर	सनासाक-टेगनाल
12.	मिजोरम	चम्पई नार्थ वनलाईफाई
13.	मिजोरम	नालक्वान-चमाउदर
14.	नागालैण्ड	कोहिमा-बोकाजान
15.	नागालैण्ड	वोखा-बोकाजान
16.	नागालैण्ड	अंगूरी-यांचांग-ए
17.	नागालैण्ड	चम्पांग-तुली-टिजिट
18.	त्रिपुरा	डंगाबारी-जेएन-अनुचामानू
19.	त्रिपुरा	(क) मानू-चामानू-गोविन्दाबाड़ी-कटलंग (फुलडुंगसी)
	त्रिपुरा	(ख) मानू-चामानू-गोबिन्दाबाडी (खेतलंग-गोविन्दाबाडी)

1	2	3
20.	त्रिपुरा	पेछारथल-चेबरी
एम.ओ.आर.टी. एण्ड एच. के पास राष्ट्रीय राजमार्ग कार्य		
21.	असम	राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर 1051 कि.मी. से 1052.700, 1053.400 से 1055.700 कि.मी. और 1062 से 1068.700 कि.मी. का सुदृढ़ीकरण
22.	मेघालय	राष्ट्रीय राजमार्ग-51 के 64 से 85 कि.मी. पर सड़क को चौड़ा करना
वाणिज्य विभाग की क्रिटीकल इन्फरास्ट्रेक्टर बैलेन्स स्कीम के अन्तर्गत सड़कें		
23.	असम	भारत-बंग्लादेश सीमा पर करीमगंज शहर से सूतारवंडी तक सूरमा ट्रक सड़क का विकास।
बी.आर.ओ. पुल और सड़क कार्य		
24.	अरूणाचल प्रदेश	जोनाऊ-पासीघाट-रानाघाट सड़क पर 41 कि.मी. पर पासीघाट पुल का निर्माण
25.	अरूणाचल प्रदेश	तवानगुचू बी.सी.टी. सड़क पर 287 कि.मी. पर तवानुगुचू पुल का निर्माण
26.	अरूणाचल प्रदेश	सीनापानी-चौखाम-ब्रह्मकुड सड़क पर 92.52 कि.मी. पर लोहि पुल का निर्माण

इतिहास की पुस्तकों का पुनरीक्षण

7271. डा. नीतिश सेनगुप्ता : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 मई, 2002 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में ''बेंगाल्ज एडुकेशन ज़ार्स आल सेट टु रिवाइज़ हिस्ट्री'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सेन्टर फार रिसर्च एंड डेवलपमेंट आफ इन्फारमेशन प्रोडक्टस

7272. श्री आदि शंकर : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के एक संघटक प्रतिष्ठान, सेन्टर फार रिसर्च एंड डेवलपमेंट आफ इन्फारमेशन प्रोडक्टस् का वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद सहित विभिन्न संगठनों से आकड़े प्राप्त हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तीन वर्षों के दौरान आंकड़े प्रेषित करने वाले संगठनों के नाम एवं पते क्या हैं और उक्त के लिए प्रत्येक संगठन को सी आर डी आई पी द्वारा कितने धन का वर्षवार भुगतान किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों में उपरोक्त वर्णित संगठनों के वर्षवार एवं कोटिवार कितना धन आबंटित किया गया है और उनमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी) : (क) और (ख) जी हां। सूचना उत्पाद अनुसंधान एवं विकास यूनिट (यूआरडीआईपी) ने सीएसआईआर स्थापना और पेटेंट इन्फर्मेशन सिस्टम, नागपुर के कार्यालय से सूचना एकत्र की है। यूआरडीआईपी ने वर्ष 2001-2002 के दौरान पेटेंटों की फोटोप्रतियों की आपूर्ति हेतु पेटेंट इन्फर्मेशन सिस्टम, नागपुर को 29,966 रुपये का भुगतान किया है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आवंटित बजट और यूआरडीआईपी में कार्यरत स्टॉफ की संख्या का वर्षवार और श्रेणीवार ब्यौरा निम्नवत् है:

	1999-2000	2000-2001	2001-2002
आवंटन (लाख रुपये)	124.0	191.52	235.13
स्टाफ*			
वैज्ञानिक	शून्य	4	4
वैज्ञानिक एवं तकनीकी	शून्य	4	5
प्रशासनिक एवं वित्त	शून्य	2	3

*प्रधान, यूआरडीआईपी को छोड़कर।

दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु आरक्षण

7273. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों का आरक्षण उपलब्ध नहीं कराया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रवेश, भर्ती और प्रोन्नति के मामले में अधिनियम के तहत निर्धारित मानदण्डों/नियमों का पालन करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जांच

7274. श्रीमती डी.एम. विजया कुमारी : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने ऋण लौटाने में चूक करने वाले औद्योगिक घरानों और सरकार से धन हड़पने वाले गैर-सरकारी संगठनों के नाम इंटरनेट पर प्रकाशित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्य ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सरलता से सीखा जाने वाला संस्कृत कार्यक्रम

7275. श्री एम. चिन्नासामी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान द्वारा हाल में आयोजित बैठक में तय 'सरलता से सीखे जाने वाले संस्कृत कार्यक्रम' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार संस्कृत के प्रसार हेतु कम्प्यूरीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, दूरदर्शन और आकाशवाणी की सहायता लेने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की शासी परिषद् की 27.3.2002 को आयोजित बैठक में संस्कृत को सरल, सुग्राह्य और आधुनिक तरीके से लोकप्रिय बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। स्कूलों, कॉलेजों और अन्य संस्थाओं में औपचारिक शिक्षण के अतिरिक्त, इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु आसानी से सीखने योग्य अध्यापन सामग्री तैयार करना, डिजीटल सामग्री, इंटरनेट का उपयोग, अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण केन्द्र खोलने आदि सहित विभिन्न योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ) जी हां। सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए संस्कृत को लोकप्रिय बनाने हेतु निम्नलिखित कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं।

1. कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना करने और कई संस्कृत विश्वविद्यालयों, संस्थाओं तथा शोध प्रतिष्ठानों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने हेतु सरकार ने अनुदान संस्वीकृत किए हैं।

2. यह पाया गया है कि संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो विशेषकर कंम्प्यूटर के अनुकूल है। इन दोनों को जोड़ने के निमित्त विशिष्ट परियोजनाएं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंम्प्यूटिंग, बंगलौर, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति आदि में संचालित की गई हैं।

3. इसके अलावा, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति की 'संस्कनेट' परियोजना द्वारा संस्कृत के अध्ययन हेतु आधारभूत सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान ने देश के विभिन्न भागों में स्थित सभी 8 संस्कृत विद्यापीठों के लिए स्नातक तथा माध्यमिक स्तरीय कार्यक्रम कंम्प्यूटर पर तैयार किए हैं।

4. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति द्वारा आयोजित संस्कृत तथा विज्ञान प्रदर्शनी काफी लोकप्रिय सिद्ध हुई है। इसमें विभिन्न विषयों जैसे भौतिकी, वनस्पति शास्त्र गणित आदि के साथ भाषा को प्रभावी ढंग से जोड़ा गया है।

5. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने देश भर में अपने संबद्ध विद्यालयों में संप्रेषणीय संस्कृत भाषा का अध्ययन प्रांरभ किया है। इसके अतिरिक्त, इसने अध्यापकों की पुस्तिका तथा दिशानिर्देश तैयार किए हैं और 30 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं तथा 2000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है।

6. टेलिविजन तथा रेडियो और साथ ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालयों हेतु संस्कृत शैक्षिक कार्यक्रम की भी योजना बनायी जा रही है।

7. संस्कृत के संवर्धन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास भी सरल संस्कृत शिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिये विशेष सहायता कार्यक्रम है। इस योजना के अन्तर्गत अभी तक 500 केन्द्र खोले गये हैं।

8. इसके अतिरिक्त, संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिये कई राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेश सरकारों जैसे दिल्ली ने कार्यक्रम शुरू किये हैं। दिल्ली संस्कृत अकादमी, दिल्ली श्लोक पाठ, निबंध लेखन तथा उदयमान कवियों इत्यादि में विभिन्न प्रतियोगितायें आयोजित करती है। संस्कृत को लोकप्रिय बनाने के लिए कुछ राज्य सरकारों जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश ने संस्कृत अकादमी/परिषद स्थापित की हैं।

उड़ीसा में पनधारा विकास परियोजनाएं

7276. श्री के.पी. सिंह देव : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में राज्यवार, विशेषकर ढेकनाल जिले में पनधारा विकास परियोजनाओं की स्थिति क्या है;

(ख) क्या परियोजनाओं को पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परियोजनाओं की लागत कितनी है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन्हें कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील) : (क) से (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग उड़ीसा राज्य में दो वाटरशेड विकास कार्यक्रमों नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) को वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वित कर रहा है। ढ़ेकानाल जिले सहित विभिन्न जिलों के लिए समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाएं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। ढेंकानाल जिले सहित विभिन्न जिलों के लिए सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत की गई परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

इन कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजनाएं सामान्यतया पांच वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाती हैं। प्रथम किस्त परियोजना की स्वीकृति के समय पर जारी की जाती हैं। बाद की प्रत्येक किस्त जारी की गई पिछली किस्त की 50% से अधिक राशि के उपयोग किए जाने का बाद ही जारी की जाती हैं। विभाग ने ढेंकानाल जिले के लिए समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 8631 हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 24 परियोजनाएं तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत 12000 हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करते हुए 24 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। ढेंकानाल जिले सहित उड़ीसा में इन दोनों कार्यक्रमों के अंतर्गत वाटरशेड विकास परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं। राज्य सरकार से इन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने हेतु कदम उठाने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया गया है।

विवरण-I

उड़ीसा राज्य में समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं तथा जारी निधियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	जिले का नाम	परियोजना अवधि	कुल क्षेत्र (है. में)	कुल लागत	जारी निधियां
1	2	3	4	5	6
1.	धेनकनाल-II	96-97 से 2000-01	2515	100.60	89.08
2.	कोरापट-III	96-97 से 2000-01	317	12.68	8.19
3.	झारसुगुड़ा	97-98 से 2001-02	7216	288.64	227.6
4.	कालाहांडी-III	97-98 से 2001-02	12337	493.48	114.95
5.	बोलंगीर-II	97-98 से 2001-02	12400	496.00	221.96
6.	कोरापुट-IV	97-98 से 2001-02	12045	481.80	115.74
7.	मयूरभंज	97-98 से 2001-02	12400	496.00	219.15
8.	धेनकनाल-III	97-98 से 2001-02	6116	244.64	158.48
9.	क्योंझर-I	98-99 से 2002-03	5145	205.44	92.58
10.	अंगुल	98-99 से 2002-03	6037	241.50	60.37
11.	जाजपुर	98-99 से 2002-03	8534	325.10	146.11
12.	क्योंझार-II	98-99 से 2002-03	5200	208.00	134.76
13.	संबलपुर	98-99 से 2002-03	1025	41.00	10.25
14.	नयागढ़-I	98-99 से 2002-03	10000	400.00	100
15.	अंगुल-II	99-00 से 2002-03	7104	284.17	42.63
16.	क्योंझार-III	2000-01 से 04-05	6164	369.84	50.85
17.	सुन्दरगढ़	2000-01 से 04-05	12224	733.44	100.85
18.	रायगढ़	2000-01 से 04-05	12174	730.44	100.43
19.	बोलांगीर-III	2000-01 से 04-05	3358	201.48	27.7
20.	बारागढ़	2000-01 से 04-05	6534	392.04	53.9
21.	सोनपुर	2000-01 से 04-05	6081	364.86	50.17
22.	गंजम	2001-02 से 05-06	7744	464.64	63.89

1	2	3	4	5	6
23.	गजापत्थी	2001-02 से 05-06	6943	416.58	57.28
24.	कटक	2001-02 से 05-06	7588	455.28	62.6
25.	सम्बलपुर-II	2001-02 से 05-06	7884	473.40	65.04
26.	बालासोर	2001-02 से 05-06	5471	328.26	45.13
27.	खुर्दा	2001-02 से 05-06	7669	460.14	4.00
28.	नवरंगपुर-II	2001-02 से 05-06	6404	384.24	4.00
29.	देवगढ़	2001-02 से 05-06	6852	411.12	4.00
30.	क्योंझार	2001-02 से 05-06	2000	120.00	16.50
	उप योग		213481	10624.75	2493.88

विवरण-II

उड़ीसा राज्य में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं तथा जारी निधियों (केन्द्रीय भाग) का ब्यौरा

(लागत/केन्द्रीय भाग की राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	जिला	1995-96 के दौरान स्वीकृत			2000-01 के दौरान स्वीकृत			2001-02 के दौरान स्वीकृत		
		स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल लागत	जारी केन्द्रीय भाग	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल लागत	जारी केन्द्रीय भाग	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल लागत	जारी केन्द्रीय भाग
1.	बारगढ़	26	520.00	117.00	16	480.00	54.00	24	720.00	81.00
2.	बोलंगीर	24	600.00	270.00	20	600.00	67.50	32	960.00	108.00
3.	बौध	12	240.00	54.00	09	270.00	30.38	21	630.00	70.87
4.	धेनकनाल	10	200.000	65.00	05	150.00	16.88	09	270.00	30.38
5.	कालाहांडी	36	900.00	292.50	18	540.00	60.75	40	1200.00	135.00
6.	नौपाड़ा	18	450.00	180.00	19	570.00	64.12	15	450.00	50.63
7.	फूलबनी	60	1200.00	390.00	18	540.00	60.75	70	2100.00	236.25
8.	सोनपुर	06	120.00	50.00	06	180.00	40.50	10	300.00	33.75
	योग	192	4230.00	1428.00	111	3330.00	394.88	221	5680.00	745.88

टिप्पणी : वर्ष 1995-1996 के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं का वित्त पोषण केन्द्रीय और राज्य सरकार के बीच 50 : 50 में बटि जाने के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान स्वीकृत की गई परियोजनाओं का वित्त पोषण केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के बीच 75 : 25 में बटि जाने के आधार पर किया जाता है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में इलेक्ट्रीशियन के वेतनमानों के अंतर

7277. श्री प्रभुनाथ सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में इलैक्ट्रीशियनों के वेतनमानों में भेदभाव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दोनों विश्वविद्यालयों में उक्त वेतनमानों के बीच भेदभाव को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एन.डी.एम.सी. द्वारा ट्रक किराये पर लेना

7278. श्री प्रहलाद सिंह पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.डी.एम.सी. के पास कचरा हटाने के लिए ट्रकों की पर्याप्त संख्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एन.डी.एम.सी. ने कचरा के लिए बड़ी संख्या में ट्रक किराये पर लिये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गयी; और

(घ) सरकार द्वारा एन.डी.एम.सी. के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): (क) और (ख) कूड़ा हटाने के लिए दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता को पूरा करने का वास्ते नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के पास इस समय उपलब्ध 70 ट्रकों का बेड़ा पर्याप्त नही है, अत: परिषद जरूरत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त ट्रकों को किराये पर लेती रही है।

(ग) अपेक्षित ब्यौरा नीचे दिया गया है :

वर्ष	किराये पर लिए गए कम्पेक्टर्स	किराये पर लिए गए टिप्पर्स	खर्च की गई राशि (रु. में)
1999-2000			
(क) 01.4.1999			
30.6.1999	-	20	-
(ख) 01.7.1999			
31.3.2000	4	12	83,59,999/-
2000-2001			
(क) 01.4.2000			
31.3.2001	4	12	1,05,80,620/-
2001-2002			
(क) 01.4.2001-6.1.2002	4	12	-
(ख 07.1.2002-31.3.2002	-	12	76,87,143/-

(घ) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अपनी दिन-प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राईवेट ट्रकों को किराये पर लिया। परिषद का यह मत है कि इसके कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने के जरूरत नहीं है।

उर्वरक उद्योग का आधुनिकीकरण

7279. श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री अनन्त नायक :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में उर्वरक क्षेत्र पर से नियंत्रण को खत्म करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उर्वरक क्षेत्र का आधुनिकीकरण/पुनरोद्धार करने का है;

(घ) यदि हां, तो उर्वरक क्षेत्र में पुनरोद्धार/आधुनिकीकरण की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका से सहायता/अनुदान की मांग की है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त होने वाले धन का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी) : (क) और (ख) आर्थिक उदारीकरण एवं सुधार की नीति को ध्यान में रखते हुए यूरिया के अलावा उर्वरकों की अन्य सभी किस्मों पर मूल्य, संचलन और वितरण नियंत्रण पहले ही हटा लिया गया है। सरकार एक ओर इसकी वित्तीय क्षमता तथा दूसरी ओर किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने की आवश्यकता के मद्देनजर उर्वरकों की तीन किस्मों अर्थात् नाइट्रोजन, फास्फेटिक और पोटाशिक को विनियमित करना चाहती है। उर्वरक के लिए एक दीर्घावधि नीति बनाकर सरकार की मंशा को ठोस कार्य योजना में रूपान्तरित करने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक नीति समीक्षा समिति और व्यय सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर सरकार के निर्णय शामिल हैं।

(ग) से (च) दिनांक 24.7.1991 के औद्योगिक नीति संकल्प के अनुसार-उर्वरक संयंत्रों की स्थापना/विस्तार/पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। सरकार द्वारा उर्वरक संयंत्रों के आधुनिकीकरण/पुनरूद्धार के लिए अलग से कोई योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, जिन उर्वरकों संयंत्रों को सरकार द्वारा प्रौद्यो-आर्थिक स्वीकृति दे दी गई है, उन संयंत्रों की उन्नयन और आधुनिकीकरण योजना के लिए अपेक्षित पूंजीगत सामान का सीमा शुल्क की रियायती दर पर वर्तमान में आयात करने की अनुमति है। ऐसी योजनाओं के लिए पूंजीगत सामान के घरेलू आपूर्तिकर्ता भी इसी प्रकार के निर्यात लाभ के पात्र हैं। इस उद्देश्य के प्रयोजन के लिए सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका से कोई सहायता/मदद अथवा धनराशि नहीं मांगी है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, श्री लालकृष्ण आडवाणी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अंतर्गत 3 मई, 2002 को राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषणा, जिसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में उनके द्वारा 8 मार्च, 2002 को जारी की गई पूर्ववर्ती उद्घोषणा का प्रतिसंहरण किया गया है और जो 3 मई, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 323(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5685/2002]

(2) आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 18 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 398(अ) जो 9 अप्रैल, 2002 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में आतंकवादी संगठनों को जोड़े जाने के बारे में है तथा इसका एक शुद्धिपत्र जो 29 अप्रैल, 2002 की अधिसूचना संख्या का.आ. 469(अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5686/2002]

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री एम. वैंकय्या नायडू): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5687/2002]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यव्रत मुखर्जी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 1998 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5688/2002]

(2) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 2002-2003 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5689/2002]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 48 की उपधारा (3) के अंतर्गत कलेंडर वर्ष 2001 के लिए उपरोक्त के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5690/2002]

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बच्ची सिंह रावत 'बच्चदा'): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1)(क) (एक) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ख) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 तथा वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 5691/2002]

(3) (एक) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोस इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5692/2002]

(5) इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं के शुद्धि-पत्र की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 5693/2002]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) (एक) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5694/2002]

(3) (एक) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, पटना के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5695/2002]

(5) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, वारंगल के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, वारंगल के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5696/2002]

(7) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5697/2002]

(9) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5698/2002]

(11) केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5699/2002]

(13) (एक) सरदार वल्लभभाई रीजनल कॉलेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, सूरत के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सरदार वल्लभभाई रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी, सूरत के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5700/2002]

(15) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, श्रीनगर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5701/2002]

(17) (एक) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, तिरूचिरापल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5702/2002]

(19) (एक) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तर क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) शिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (उत्तर क्षेत्र), कानपुर के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5703/2002]

(21) (एक) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5704/2002]

(23) (एक) बोर्ड आफ प्रेक्टीकल ट्रेनिंग, (ईस्टर्न रीजन), कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड आफ प्रेक्टीकल ट्रेनिंग, (ईस्टर्न रीजन), कोलकाता के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5705/2002]

(25) (एक) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5706/2002]

(27) जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(28) उपर्युक्त (27) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5707/2002]

(29) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के वर्ष 1998-1999 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(30) उपर्युक्त (29) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5708/2002]

(31) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(32) उपर्युक्त (31) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5709/2002]

(33) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(34) उपर्युक्त (33) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 5710/2002]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 13 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 2 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये संविधान (अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन), विधेयक, 2002 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 13 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 2 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 13 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 6 मई, 2002 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये बहुराज्य सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2002 से बिना किसी संशोधन से सहमत हुई।"

अपराह्न 12.04 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 10 मई, 2002 को सभा को प्रस्तुत किये गये

अपने नौवें प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनमें से प्रत्येक के सामने उल्लिखित अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की गई है:

1.	श्री विनोद खन्ना	-	25.02.2002 से 20.3.2002
2.	श्री अशोक कुमार सिंह चन्देल	-	25.2.2002 से 22.3.2002 और 15.4.2002 से 17.5.2002
3.	श्री रिजवान जहीर	-	27.11.2001 से 19.12.2001 और 25.02.2002 से 7.3.2002
4.	श्री ताराचन्द साहू	-	25.02.2002 से 22.3.2002
5.	श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव	-	19.11.2001 से 19.12.2001 और 25.2.2002 से 18.3.2002
6.	श्री टीएच. चाओबा सिंह	-	25.2.2002 से 22.3.2002
7.	श्री टी. गोविन्दन	-	27.2.2002 से 22.3.2002 और 15.4.2002 से 17.5.2002
8.	कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली	-	25.2.2002 से 11.3.2002

क्या सभा समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार उक्त सदस्यों को अनुपस्थिति को अनुमति प्रदान करती है?

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

अध्यक्ष महोदय: अनुपस्थिति की अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।

अपराह्न 12.04$^{1}/_{4}$ बजे

कार्य मंत्रणा समिति

सैंतीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, मैं कार्यमंत्रणा समिति का सैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04$^{1}/_{2}$ बजे

लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति

चौथा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): महोदय, मैं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति (तेरहवीं लोक सभा) का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.4$^{3}/_{4}$ बजे

खाद्य, नागरिक पूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

सत्रहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, मैं "अग्रिम संविदा (विनियमन) संशोधन विधयेक, 1998" के बारे में खाद्य,

नागरिक पूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

उद्योग संबंधी स्थायी समिति

उनहत्तरवां से पचहत्तरवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. बी.बी. रमैया (एलुरु): महोदय, मैं उद्योग संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) विधेयक, 2001 के बारे में 69वां प्रतिवेदन;

(2) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में 70वां प्रतिवेदन;

(3) खान विभाग (कोयला और खान मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में 71वां प्रतिवेदन;

(4) भारी उद्योग विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) से संबंधित अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में 72वां प्रतिवेदन;

(5) लोक उद्यम विभाग (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय) से सबंधित अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में 73वां प्रतिवेदन;

(6) कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में 74वां प्रतिवेदन; और

(7) लघु उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में 75वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.05 बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

103वां और 104वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अली मोहम्मद नायक (अनंतनाग): महोदय, मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में 103वां प्रतिवेदन।

(2) पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2002-2003) के बारे में 104वां प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: 'शून्य काल' के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैंने 'शून्य काल' के लिए सूचना दी है। आज सुबह 10 बजे मुझे पता चला कि आज पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाएगा। हमें अपना संशोधन पेश करने का अवसर नहीं दिया गया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मित्रो, क्या मैं आपसे अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करने का अनुरोध कर सकता हूं? क्रमबद्धता का निर्धारण पहले ही कर लिया गया है और मैं उसी क्रम के अनुसार चलता हूं ताकि अधिकांश सदस्यों को बोलने का अवसर मिल सके।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: जी नहीं, महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप को ज्ञात होना चाहिए कि 'शून्य काल' के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। अब मैं योगी आदित्यनाथ को बोलने के लिए कह रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। आज सुबह ही विधेयक को परिचालित किया गया है और इस पर आज ही विचार किया जाना है। हमें अपने संशोधन रखने का अवसर नहीं दिया गया है। हमें अपने संशोधनों को रखने का समय मिलना चाहिए।

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द): महोदय, इस पर आज नहीं, गुरुवार को विचार किया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर बाद में विचार करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हमें आज सुबह ही विधेयक मिला है और इस पर आज ही विचार किया जाना है। हम चाहते हैं कि इस पर गुरुवार को विचार किया जाये क्योंकि हमारे संशोधनों को पेश करने का समय नहीं है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री का ध्यान 12 मई को बरौनी से नई दिल्ली के बीच चलने वाली वैशाली एक्सप्रेस को बस्ती स्टेशन के पूर्व ही ढाई घंटे तक गलत और गैर-कानूनी तरीके से रोकने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, आपका विनिर्णय क्या है? कृपया इस संबंध में अपना विनिर्णय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं विनिर्णय दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, यह इस रूट की एकमात्र ट्रेन है जिस में उस क्षेत्र के 15 से 20 सांसद यात्रा करते हैं। इतनी महत्वपूर्ण एक्सप्रेस ट्रेन को आन्दोलनकारियों द्वारा पूर्व में सूचना देने के बाद भी ढाई घंटे तक स्टेशन के बाहर अंधेरे में रोका गया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (वडागरा): महोदय, मैंने रक्षा मंत्री श्री जार्ज फर्नान्डीज के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना दी है क्योंकि उन्होंने सभा में महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों को उचित ठहराया है। *...(व्यवधान)* मैं अपने विशेषाधिकार की सूचना की स्थिति जानना चाहती हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैडम, आप बैठिए। माननीय सदस्य का भाषण होने दीजिए।

योगी आदित्यनाथ: रेलवे का एक भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। आन्दोलनकारियों की मांग थी कि रेलवे स्टेशन पर गलत तरीके से जो कोयला उतारा जाता है, उसे बंद किया जाए। एक वर्ष पहले बस्ती के सांसद और तत्कालीन भारत सरकार के राज्य मंत्री श्री श्रीराम चौहान ने भी महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे को एक पत्र दिया था और गलत तरीके से कोयला उतारने की जो बात हो रही है, उसे बंद करने का आग्रह किया था। बस्ती व्यापार मंडल ने ढाई घंटे तक ट्रेन को रोक कर रखा लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। शाम को सवा छः बजे से लेकर साढ़े आठ बजे तक बस्ती स्टेशन के बाहर अंधेरे में ही हजारों यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बस्ती स्टेशन पर गलत तरीके से कोयला उतराना जन स्वास्थ्य के विपरीत भी है। इसे अविलम्ब रोका जाए और इसके साथ दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नोटिस है। मैं एक बहुत गम्भीर मामले की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आपका नोटिस है तो आपका नाम बुला लूंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है।

[अनुवाद]

प्रो. ए.के. प्रेमाजम: महोदय, मैंने छह तारीख को सूचना दी थी *...(व्यवधान)* मुझे इस पर बोलने की अनुमति दी जाये। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैडम, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगी? जैसे ही आपकी बारी आएगी मैं अवश्य आपको बोलने के लिए कहूंगा।

श्री सिमरनजीत सिंह मान (संगरूर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दा इस सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं कि 1984 में 'आपरेशन ब्लू स्टॉर' चलाया गया लेकिन संसद ने सिक्खों से माफी नहीं मांगी। यह उदाहरण है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में अमरीका के लोगों ने अपने जापानी नागरिकों को निरुद्ध किया तो अमरीका सरकार और विधायकों ने जापानी नागरिकों से क्षमायाचना की।

जापान सरकार ने कोरिया और चीन के लोगों से जापान सरकार एवं सशस्त्र सेनाओं द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए क्षमायाचना की। इसी प्रकार, जर्मनी के लोगों ने नाजियों द्वारा यहूदी लोगों पर ढाये गए कहर, अत्याचारों के लिए यहूदियों से क्षमायाचना की। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि 1984 में हमारी पूरी जनसंख्या समाप्त हो गई थी। नरसंहार हुआ था और स्वर्ण मंदिर पर सैन्य बलों ने हमला किया था। भारतीय सेना ने शिल्पतथ्यों को चुरा लिया था। उसका कोई रिकार्ड नहीं है। मैं विनम्र अनुरोध करता हूं कि अमरीकी, जापानी, जर्मनी के लोगों की तरह इस सभा को सिक्खों से क्षमायाचना करनी चाहिए।

दूसरे, महोदय, आज सहायक अमरीकी मंत्री सुश्री रोका भारत में हैं और उपमहाद्वीप पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। लाहौर और अमृतसर में हमारे इतिहास से सिक्खों की भावनाएं अगाध रूप से जुड़ी हुई हैं। युद्ध की स्थिति में हम भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार दोनों से कहते हैं कि वे युद्ध में दोनों शहरों पर आक्रमण न करें जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर वाले शहर हैं क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी मित्र राष्ट्रों ने वैटिकन सिटी पर बमबारी नहीं की थी।

हम प्रार्थना करते हैं कि उपमहाद्वीप से युद्ध के बादल छंटेगे और पूरी सभा सिक्खों से क्षमायाचना करेगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर।

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बराड़जी, आप अपने को उनसे सम्बद्ध या असम्बद्ध कर सकते हैं।

श्री जे.एस. बराड़: महोदय, मैं अपने को उनसे सम्बद्ध नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तो केवल इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं।

[हिन्दी]

माननीय सिमरनजीतसिंह मान ने 1984 के "आपरेशन ब्लू स्टॉर' का जो मुद्दा उठाया है, उसके लिए सारी दुनिया और सारे देश में दुख मनाया गया। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि लीडर ऑफ दी अपोजीशन श्रीमती सोनिया गांधी ने गोल्डन टैम्पल जाकर इस दुखद घटना पर अपने पूरे मन से अफसोस प्रकट किया। वह जहां कहीं भी पंजाब में गई, हर मुद्दे का तफसील से वर्णन किया। इस सब के बावजूद मैं यह बात ऐड करना चाहूंगा कि श्री सिमरनजीत सिंह मान ने 'आपरेशन ब्लू स्टार' के बारे में कहा है, हर हालत में उस दुखद घटना का जिक्र होना चाहिए। माननीय स्पीकर साहब, कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां दर्जनों बार खड़े होकर कहा गया कि 1984 के जो दंगे हुये, उसके बारे में इस देश की पार्लियामेंट के अंदर एक प्रस्ताव लाया जाये। उस प्रस्ताव पर हम सब अफसोस करने के लिए तैयार हैं। यह इनसानियत का मुद्दा है, किसी पार्टी या किसी मजहब या किसी मिल्लत का मुद्दा नहीं है।

स्पीकर साहब, जब अमरीका के प्रेजीडेंट श्री क्लिंटन साहब भारत आये थे, उसी दिन कश्मीर के छत्तीसिंहपुरा में माइनौरिटीज के 36 सिक्खों को मार दिया गया था। मैं स्व. बालयोगी का नाम फख्र से लूंगा क्योंकि उन्होंने हम सबकी बात मानकर इस विषय पर इसी लोक सभा में दो मिनट का अफसोस रखा था। इसी तरह 'आपरेशन ब्लू स्टॉर' और 1984 के रॉयट्स के लिए यहां एक प्रस्ताव लाना चाहिए। इससे देश की एकता और अखंडता बढ़ेगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस विषय पर कोई चर्चा नहीं कराना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): एक भी पार्टी ने त्यागपत्र नहीं दिया ...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाई (बालासोर): सारा देश माफी क्यों मांगेगा ...*(व्यवधान)* इसके लिए पार्लियामेंट माफी क्यों मांगेगी। हम लोग माफी क्यों मांगेंगे, इसके लिए कांग्रेस पार्टी माफी मांगे, यही हमारा कहना है। ...*(व्यवधान)*

श्री शमशेर सिंह दूलो (रोपड़): अध्यक्ष महोदय, मान साहब और जगमीत सिंह बराड़ जी ने जो मुद्दा उठाया है, मैं इसमें कुछ एड करना चाहता हूं। यह बड़े दुख की बात है कि 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए। उसके बाद हरमिन्दर साहब में ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ, जबकि पंजाब में अकालियों का राज था। वह घटना भी इसमें आनी चाहिए। क्योंकि अकालियों ने हरमिन्दर साहब में ऑपरेशन ब्लैक थंडर किया था। वह मुद्दा भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर): मेरा केवल इतना कहना है कि हमें जख्मों को कुरेदना नहीं चाहिए। यह देश हित में नहीं होगा। यदि किसी सदस्य के कथन से जख्म हरे हो जाते हैं एवं समस्या पैदा हो जाती है तो उस कथन को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। भारत के पूर्व प्रधान मंत्री के साथ जो कुछ हुआ है और 1984 में जो कुछ हुआ है, मुझे उस पर अफसोस है। हमें उसे बार-बार दोहराना नहीं चाहिए और घावों को हरा नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा): सर, मान साहब और बराड़ साहब ने जो मुद्दा उठाया है, मैं उसके साथ अपने को एसोसिएट करता हूं। तब जो घटनाएं हुई थीं उनके लिए पार्लियामैन्ट में सबको अफसोस करना चाहिए और इस पर सरकार की तरफ से प्रस्ताव आना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): उस घटना के लिए जो जिम्मेदार हैं वे माफी मांगें। देश ने कोई अपराध नहीं किया है, कांग्रेस ने अपराध किया है, उसके लिए कांग्रेस माफी मांगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको बोलने की परमीशन नहीं दी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, इस बात को यहीं समाप्त कर दिया जाये।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने दिया जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मिनिस्टर ऑफ स्टेट बोलना चाहते हैं, आप जरा इन्हें सुनिये। *...(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: अध्यक्ष महोदय, समस्या यह नहीं है, समस्या यह है कि कांग्रेस के दो चेहरे हैं। जिस बात के लिए केवल एक ही पार्टी *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं। वे प्रधान मंत्री कार्यालय में मंत्री हैं वे किस संदर्भ में बोल रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं कि वह किस संदर्भ में बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार बोलने के लिए बड़ा हुआ हूं, मुझे आपका संरक्षण चाहिए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: उनके हाथ गुजरात के लोगों के खून से सने हुए हैं। वह प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री हैं। पहले वह अपने दामन को देखें जिन पर गुजरात के लोगों के खून के धब्बे हैं और फिर वह दूसरों को शिक्षा दें। वह प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे जो कुछ कहना चाहते हैं उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। उसके बाद मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आप यह स्पष्ट करेंगे कि श्री गोयल प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री की हैसियत से बोल रहे हैं या नहीं? *...(व्यवधान)*

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): आप 'शून्य काल' के दौरान व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। आप 'शून्य काल' के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा के विभिन्न पक्षों से संबंधित सदस्यों से श्री सिमरनजीत सिंह मान द्वारा उठाए गए मुद्दे पर अपनी-अपनी राय व्यक्त की है। यदि वह भी इस मुद्दे पर बोलना चाहते हैं तो उन्हें भी बोलने दीजिए। लेकिन साथ ही यदि वे कुछ असंसदीय बोलेंगे तो मैं निश्चय ही उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): वह एक मंत्री हैं। वे क्या कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण की बात कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है 25 अक्तूबर के बाद ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन आप बोल सकते हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मेरी बात प्रक्रिया संबंधी स्पष्टीकरण के बारे में है क्योंकि मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकता हूं।

महोदय, कोई मंत्री मंत्री के रूप में केवल सरकार की तरफ से हस्तक्षेप कर सकता है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार (फैजाबाद): अध्यक्ष महोदय, जीरो आवर में कोई पाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, श्री गोयलजी का सरकार की तरफ से बोलने के लिए स्वागत है। यदि वे जो कुछ कह रहे हैं वह सरकार की तरफ से लिया गया निर्णय है तो उन्हें बोलने दीजिए। लेकिन वे सभा में एक ही समय में एक मंत्री और सदस्य दोनों की भूमिका का निर्वहन नहीं कर सकते हैं। यदि वे सरकार की तरफ से किसी नीति की घोषणा करने हेतु मंत्री के रूप में बोल रहे हैं तो उनके इस कार्य का स्वागत है ...*(व्यवधान)* लेकिन यदि वे सदस्य के रूप में टिप्पणी करने का प्रयास कर रहे हैं तो नियमानुसार यह अनुमेय नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को बता दूं कि मंत्रियों द्वारा पार्टी की तरफ से भी बोले जाने की परम्परा रही है। इसलिए मैंने उन्हें अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, ऐसा नहीं है। 'शून्य काल' में मंत्री केवल उत्तर दे सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे यह ज्ञात है लेकिन मंत्रियों द्वारा सभा में बोले जाने की परम्परा रही है। अब मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है और उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: ये रूल बता दें, किस रूल के तहत बता रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरा उनसे केवल यही अनुरोध है कि अपनी बात संक्षेप में कहें और सभा में उठाए गए मुद्दे पर ही बात करें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आपको हमें भी अनुमति देनी होगी ...*(व्यवधान)* हमें भी अपना पक्ष रखने दीजिए ...*(व्यवधान)* अब, हम उनकी बात सुनें ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): महोदय, एक गलत परम्परा स्थापित की जा रही है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): शून्यकाल में मंत्री सरकार की ओर से बातों को नोट करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, वह एक मंत्री हैं। यह सदस्य के रूप में नहीं बोल सकते। पहले इन्हें स्पष्ट करने दीजिए कि वह मंत्री के रूप में बोल रहे हैं अथवा नहीं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे पहले यह जानने दीजिए कि यह क्या बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जे.एस. बराड़: यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। इस पर एक-एक शब्द ध्यान से बोला जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह मंत्री के रूप में बोल रहे हैं अथवा नहीं ...*(व्यवधान)* श्री विजय गोयल क्या आप मंत्री के रूप में बोल रहे हैं? ...*(व्यवधान)* यह मेरा मुख्य प्रश्न है ...*(व्यवधान)* श्री विजय गोयल प्रधान मंत्री के कार्यालय में एक मंत्री हैं और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह माननीय प्रधान मंत्री की ओर से बोल रहे हैं अथवा नहीं? ...*(व्यवधान)* मैं एक साधारण प्रश्न पूछ रहा हूं ...*(व्यवधान)* कृपया इस साधारण प्रश्न का उत्तर दें ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: रेड्डी जी, आप मुझे तो कहने दीजिए। आप मेरी बात तो सुन नहीं रहे हैं। मैं एक मेम्बर के रूप में बोल रहा हूं या मंत्री के रूप में बोल रहा हूं या गवर्नमेंट के रूप में बोल रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनंत कुमार): अध्यक्ष महोदय ने उन्हें बोलने की अनुमति दी है ...*(व्यवधान)* आप इसमें बाधा क्यों डाल रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री विजय गोयल, कृपया अपनी बात कहें।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: सत्ता पक्ष को भी हमारा उत्तर सुनना होगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी अपनी बात शुरू भी नहीं की थी। मैं भी इस सदन का सदस्य हूं और आज मंत्री हूं। मैं जो भी वक्तव्य आपके सामने दे रहा हूं, वह जिम्मेदारी से दे रहा हूं। मैं उन नौजवानों में हूं कि जिस समय 31 अक्तूबर 1984 के बाद जो दंगे हुए थे, उस समय मैं अपना स्कूटर लेकर निकला था सिख भाइयों को बचाने के लिए जगह-जगह पर कि यह गलत हो रहा है, किन्तु मुझे आज आपके इस वाक्य से हृदय पर आघात पहुंचा है कि आपने कहा कि सारा हाउस खड़े होकर इसकी चिन्ता करे। मेरा कहना है कि जो चीज कांग्रेस पार्टी ने की थी और जिन दंगों में कांग्रेस पार्टी शामिल थी, उसमें सदन की बात करना और जब मैंने यह कहा कि कांग्रेस के दो चेहरे हैं, तब मैं बताता हूं कि कांग्रेस ने जो आज गुजरात की बहुत ज्यादा चिन्ता करती है, जैसा पूरा सदन कर रहा है, उस तरीके से कांग्रेस ने 1984 के दंगों के लिए कभी चिन्ता नहीं की, कभी माफी नहीं मांगी, कभी मैंने नहीं देखा कि सदन में आपकी अध्यक्षता में खड़े होकर मांगी हो। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस के दो चेहरे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सदन को ...*(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़: कांग्रेस की तरफ से एक बार नहीं, दर्जनों बार 1984 के दंगों पर माफी मांगी जा चुकी है। ...*(व्यवधान)*

श्री सुन्दर लाल तिवारी (रीवा): 10 हजार आदमी वहां गुजरात में मारे गए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य द्वारा पेटेंट (संशोधन) विधेयक के संबंध में एक प्रश्न उठाया गया था। चूंकि, समय बहुत कम है इसलिए मैं अब एक छोटी उद्घोषणा करना चाहूंगा। पेटेंट विधेयक पर चर्चा करने का निर्णय कार्यमंत्रणा समिति में लिया गया था। यह कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय के अनुसार आज की कार्यसूची में सूचीबद्ध किया गया था। चूंकि सदस्यों को विधेयक की प्रतियां आज प्रात: ही प्राप्त हुई हैं इसलिए वह संशोधन की सूचना अपराह्न 2 बजे तक दे सकते हैं। स्वीकार्य सूचनाओं को सभा में परिचालित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, हम एक निवेदन करेंगे। यदि ऐसे पुराने मुद्दे सभा में उठाये जाते हैं तो और भी बहुत से मुद्दे हैं जिन्हें उठाया जाएगा और सरकार उसके प्रति जवाबदेह होगी ...*(व्यवधान)* बहुत से अन्य मुद्दे हैं जिन्हें उठाया जाएगा और हमें ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल: अध्यक्ष जी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री शमशेर सिंह दूलो: स्पीकर सर, पंजाब में 25,00 हिन्दू मारे गए। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: अध्यक्ष जी, आज भी कांग्रेस में वे नेता मौजूद हैं, जो सिखों को मरवाने के लिए जिम्मेदार हैं। पहले कांग्रेस उनको निष्कासित करें। तब माफी मांगने की बात कहे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कोई एक सदस्य बोल सकता है सभी एक समय पर नहीं बोल सकते।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रियरंजन दासमुंशी जी, आपको बोलना है, तो आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, पूरी विनम्रता से मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमों के नियम 352 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: अध्यक्ष जी, 'जीरो आवर' में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रियरंजन दासमुंशी जी, क्या आप पाइंट ऑफ आर्डर पर बोल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं नियम 352 के तहत बोल रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: अध्यक्ष जी, क्राइम ये करें, माफी हम मांगें, यह कैसे हो सकता है। इन्होंने लोगो को मरवाया है। इनको मांफी मांगनी चाहिए। इनको ही माफी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल: यदि ऐसा है, तो फिर आप माफी मांगने की बात क्यों कह रहे हैं। आपने कैसे कह दिया कि कांग्रेस ने चार बार मांफी मांगी ...*(व्यवधान)* यदि कांग्रेस 1984 के दंगों में इन्वाल्व नहीं थी, तो फिर उसने किस बात की माफी मांगी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, क्या आपका व्यवस्था का प्रश्न है? यदि नहीं हैं तो मैं आपको कैसे अनुमति दे सकता हूं?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं नियम 352 के अधीन बोल रहा हूं। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं बोलूंगा। अथवा नहीं ...*(व्यवधान)* माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्माननीय सदस्य श्री सिमरन जीत सिंह मान और जे.एस. बराड़ ने बहुत संवेदनशील मुद्दा उठाया है। पूरा राष्ट्र और सभा दलगत भावना से ऊपर उठकर इस मुद्दे पर उनके साथ है। यदि आप इस सभा में पिछला रिकार्ड देखें ...*(व्यवधान)* यदि मुझे निवेदन करने की अनुमति नहीं देते हैं तो मैं यह समझूंगा कि सभा में विपक्ष का मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है ...*(व्यवधान)*

उत्तरोत्तर सरकारों ने सच्चाई का पता लगाने के लिए न्यायिक जांच आयोग नियुक्त किये। श्री वाजपेयी की अध्यक्षता वाली सरकार ने भी एक और आयोग गठित करना उचित समझा। वह आयोग, नानावती आयोग अभी तक मामले की जांच कर रहा है। नानावती आयोग ने अभी अपना निष्कर्ष देना है। प्रधान मंत्री कार्यालय के एक जिम्मेदार मंत्री जो कि नानावती आयोग नियुक्त करने के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं ऐसी बात कह रहे है'' नियम में बहुत स्पष्ट है कि ''कोई सदस्य बोलते हुए किसी ऐसे तथ्य का उल्लेख नहीं करेगा जिस पर न्यायिक निर्णय लम्बित हैं। एक मंत्री जो सरकार का प्रतिनिधि है, जो यह पता लगाने के लिए है कि क्या कांग्रेस शामिल है अथवा आर एस एस शामिल है अथवा कोई और शामिल है, जांच आयोग नियुक्त करने में शामिल था, वह सभा में इन बातों का उल्लेख कर रहा है। अत: मेरा पूरी तरह यह मानना है कि सरकार अपना राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए नानावती आयोग के सदस्यों के साथ मिलीभगत करने का प्रयास कर रही है जैसाकि श्री विजय गोयल, प्रधान मंत्री कार्यालय में मंत्री के बर्ताव से ऐसा परिलक्षित होता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि इस पक्ष द्वारा आरोप लगाये जाते हैं कि आर एस एस शामिल है तो क्या वह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाएगा? यदि कांग्रेस के बारे में ऐसा उल्लेख कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाता है तो आर एस एस, जिसने 1984 के दंगों में, जब सब रो रहे थे, दिल्ली को लूटा था, का उल्लेख भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाना चाहिए। नानावती आयोग को सच्चाई का पता लगाने दीजिए और सभा में उस पर चर्चा होने दो। कांग्रेस पार्टी की ओर से हम कहते हैं कि सिख हैं ...*(व्यवधान)* जिस प्रकार उनका नरसंहार किया गया था ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और इतना ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शमशेर सिंह दूलो: पंजाब में जिन्होंने हिन्दुओं को मरवाया, उनके साथ आपने एलायंस किया हुआ है। ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: अध्यक्ष महोदय, जब यह विषय हाउस में उठा ही है. तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप इस पर बहस का समय निश्चित कर दें। ...*(व्यवधान)* यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इस विषय पर बहस कराई जाये। ...*(व्यवधान)* यह भावना का सवाल है इसलिए इस पर बहस जरूर होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* हम तो गुजरात के इश्यू पर चर्चा करने से नहीं भागे, तो फिर आप क्यों भाग रहे हो ...*(व्यवधान)* 1984 में जो दंगे हुए थे, उस पर चर्चा कराई जाये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री विनय कटियार, मैंने श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर को आमंत्रित किया है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: महोदय, मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री विनय कटियार, कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री प्रकाश अम्बेडकर को बोलने के लिए कहा है। आप उनके बाद बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल): हमारा कहना केवल इतना ही है कि कांग्रेस के दो चेहरे हैं और इनके दस चेहरे हैं जैसे बी.जे.पी., आर.एस.एस., बजरंग दल, दुर्गावाहिनी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आदि। इस पर बस होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, वह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं। उन्हें बोलने दें।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: महोदय, इस सरकार ने अंडमान विमानपत्तन का नाम बदलकर सावरकर के नाम पर रख दिया है। पुणे में एक समारोह था जिसमें सावरकर का एक बहुत निकट संबंधी उपस्थित थे। वह अपने आप को हिंदू महासभा का अध्यक्ष बताते हैं। संसार आर एस एस और हिंदू महासभा के बीच संबंधों को जानता है जिसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा।

महोदय, उन्होंने इस सभा में क्या वक्तव्य दिया था? मेरे पास उसकी दिये गये वक्तव्य का अनूदित भाग है जिसमें कहा गया है: "प्रत्येक हिंदू का अपने जीवनकाल में एक मुस्लिम को मारना पवित्र कर्त्तव्य है।" ...*(व्यवधान)*

महोदय, यह वक्तव्य एक जन सभा में दिया गया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह विक्रम सावरकर के बारे में बात कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: अध्यक्ष महोदय, यह किसका बयान है? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: हिन्दू महासभा के अध्यक्ष श्री विक्रम सावरकर का यह बयान है। ...*(व्यवधान)* ये स्वर्गीय वीर सावरकर के रिलेटिव का बयान है। ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: इसका प्रमाण क्या है? ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: यह पेपर उसका प्रमाण है। ...*(व्यवधान)* उस कार्यक्रम में मैं भी हाजिर था। ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत संवेदनशील मामला है। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: कोई संवेदनशील मामला नहीं है। उन्होंने एक व्याख्यानमाला में कहा है। ...*(व्यवधान)* वह रिकार्ड में है। ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: अध्यक्ष महोदय, इसका प्रमाण क्या है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जो कह रहे हैं, क्या उसे आप प्रामाणिक करने के लिए तैयार हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: मैं पूरी तरह से प्रामाणित करने के लिए तैयार हूं।

[अनुवाद]

उस व्यक्ति की प्रारम्भिक पंक्तियां क्या हैं जिसने वह डाइजेस्ट लिखा है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: अध्यक्ष महोदय, यह किसने लिखा है? *...(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: जिसने लिखा है उसने पहले कहा है कि मैं यह जाहिर करता हूं कि

[अनुवाद]

''मैं हिन्दू हूं। परन्तु मैं आर एस एस, विश्व हिन्दू परिषद और उपने द्वारा उपदेशित हिंदू धर्म का पालन नहीं करता'' *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे: अध्यक्ष महोदय, यह गलत बयानी कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के मुताबिक अयोध्या में आज भी यज्ञ चल रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अनुरोध पर विचार करते हुए माननीय सदस्य को अपना निवेदन प्रस्तुत करने के लिए बुलाकर आपने बड़ी कृपा की। *...(व्यवधान)* यदि आपके निर्णयों पर इस तरह प्रश्न किया जाता है तो *...(व्यवधान)* यही मैंने पहले भी उद्धृत किया है। आपके निर्णय पर इस प्रकार प्रश्न नहीं उठना चाहिए *...(व्यवधान)* महोदय, आप प्रत्येक को मौका दे रहे हैं। माननीय सदस्य को आपके द्वारा मौका दिया जाना चाहिए *...(व्यवधान)*

उस पक्ष के माननीय सदस्य को ऐसा नहीं करना चाहिए और श्री प्रकाश अम्बेडकर को अपना निवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए *...(व्यवधान)*

मैं कहता हूं कि माननीय अध्यक्ष हमारी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया उनके साथ सहयोग कीजिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन जिसका ये उल्लेख कर रहे हैं, उस समय विश्व हिन्दू परिषद की स्थापना नहीं हुई थी। ये गलतबयानी कर रहे हैं। *...(व्यवधान)* मैं सोमनाथ जी से प्रार्थना करूंगा, वे इतने सीनियर मैम्बर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन अगर ऐसा संवेदनशील विषय *...(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि देश के अंदर इससे गलत संदेश जाएगा *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रकाश अम्बेडकर, क्या आप अपनी बात कह चुके हैं?

...(व्यवधान)

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: नहीं, महोदय, मेरी बात पूरी नहीं हुई है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: इसकी सत्यता क्या है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रकाश जी, आप जल्दी समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: अयोध्या में जो यज्ञ हुआ, इस तरह का जो बायन आ रहा है, विश्व हिन्दू परिषद *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज, आप लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: दो बातें हैं। श्री प्रकाश अम्बेडकर के पास जो इन्फार्मेशन है, वह उन्होंने हाउस को दी है। वे खुद उस इन्फार्मेशन को प्रमाणित करने के लिए तैयार हैं। आपको वह इन्फार्मेशन शायद अच्छी नहीं लग रही है तो आप किसी दूसरे माध्यम से इस प्रश्न को हाउस में रेज कर सकते हैं। वे इन्फार्मेशन प्रमाणित करके दे रहे हैं। यदि उसमें कोई अनपार्लियामैंट्री बात होगी या मुझे ऐसा लगेगा कि यह इन्फार्मेशन जरूरी नहीं है तो मैं उसे रिकार्ड से निकाल दूंगा। लेकिन अम्बेडकर जी को बोलने का हक है, उनको पूरा करने दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: महोदय, मेरी चिंता केवल यह है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार: मैं केवल इतनी बात जानना चाहता हूं कि ये जो प्रमाण की बात कह रहे हैं, यह अखबार के आधार पर कह रहे हैं या इसके अलावा भी इनका कोई सोर्स है जिसे

ये सदन में रखेंगे। अगर अखबार के आधार पर कहते हैं तो बताएं और यदि कोई और आधार है तो उसकी चर्चा भी करें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रकाश जी ने पूरी जिम्मेदारी ली है। मैंने उनसे पूछा है। पेपर में जो न्यूज आई है, वह उन्होंने मुझे दिखाई है। पेपर में क्या है, वह मैंने देखा है। वे प्रमाणित करेंगे और जिम्मेदारी लेंगे तो उनको सवाल उठाने का हक है। यदि उनकी बात गलत होगी तो आप उनके खिलाफ सभा गृह में दूसरे माध्यम से सवाल उठा सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रकाश अम्बेडकर, कृपया मुझे संबोधित करें। आपको, उन्हें अनावश्यक रूप से संबोधित करने की जरूरत नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: मेरा इतना ही कहना है कि जो यज्ञ चल रहा है, वह जुलाई के महीने में खत्म हो रहा है। वहां कांग्रेगेशन होगा। ...*(व्यवधान)* सरकार ने जिस दिन सावरकर जी का सम्मान किया, उसके दो-तीन दिन बाद यह स्टेटमैंट आई है। क्या यह सरकार प्रमाणित करना चाहती है कि अयोध्या में जो जुलाई में होगा, इस स्टेटमैंट और उस कार्यक्रम का कोई संबंध है। यदि संबंध है तो मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि वह क्या योजना बना रही है? गुजरात में जो हो रहा है, कहीं वह पूरे देश में न हो जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री भान सिंह भोरा को बोलने के लिए बुला रहा हूं।

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उनके खिलाफ क्या एक्शन लेगी? ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: मुझे इसमें कुछ कहना है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही श्री भान सिंह भौरा को बोलने की अनुमति दे दी है।

...*(व्यवधान)*

श्री भान सिंह भौरा (भटिंडा): महोदय, मैं आज 'शून्य काल' के दौरान निम्न मामला उठाना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, लोगों को जेल में डाल दिया गया। ...*(व्यवधान)* वहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अगर आपने नोटिस दिया होगा तो आपको भी बोलने की इजाजत दी जाएगी।

श्री लाल मुनी चौबे: अध्यक्ष जी, इसे एक्सपंज किया जाए। उन्होंने कोई प्रमाण नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: यदि ये जानना चाहते हैं तो मैं पेश करने के लिए तैयार हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि ऐसा कुछ भी होगा जिसे एक्सपंज करना जरूरी है तो मैं जरूर करूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। श्री रामदास जो भी कह रहे हैं, उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री भान सिंह भौरा: पंजाब में भटिंडा जिला जलाभाव वाला जिला है और इस तथ्य को सभी संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों द्वारा मान लिया गया है। लोग वहां पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। ऐसा है कि उन्हें पीने के थोड़ा पानी के लिए भी कई मील तक जाना पड़ता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले जो कुछ कह रहे हैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री भान सिंह भौरा: इसलिए, मैं इस खतरनाक स्थिति की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मांग

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करता हूं कि चूंकि जिले को तो पहले ही राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल किया गया है, इसलिए स्थिति में सुधार लाने हेतु शीघ्र ही पर्याप्त धनराशि जारी की जाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रामदासजी, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

श्री भान सिंह भौरा: इसी के साथ मन्सा जिला भी है जो पहले भटिंडा जिले का ही हिस्सा था, वह भी जलाभाव से ग्रस्त है लेकिन इसे राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम शामिल नहीं किया गया है। मैं यह भी मांग करता हूं कि इस जिले को भी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, 1857 के प्रथम राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम की वर्षगांठ के अवसर पर 10 और 11 मई को फैजाबाद में शहीद मेला प्रस्तावित था। तमाम साफ दिमाग के लोग, जो चाहते हैं कि देश में सौहार्द्र का वातावरण बने, ऐसे लोगों ने ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: आप क्या कहना चाहते हैं, यह हमारे क्षेत्र का मामला है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कटियार जी, आप बैठिए।

श्री विनय कटियार: ये वहां दंगा कराएंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सब लोग क्यों खड़े हैं?

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए। हम जब यहां बोलने के लिए खड़े होते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बोलिए।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, इनको कहिये कि बैठें, नहीं तो मैं अपनी बात कहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: अध्यक्ष जी, ये रोज दंगा कराएंगे, ये रोज यह काम कर रहे हैं। छः दिसम्बर, 1992 के पहले से भी, जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उस समय से वहां गोली चल रही है। ये रोज वहां हत्या करवा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कटियार जी, यह कौन सा तरीका है, आप क्यों खड़े हैं? यह अच्छी बात नहीं है, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका मतदान क्षेत्र होगा, आप भी यहां प्रश्न उठा सकते हैं। सुमन जी, बोलिये।

...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव: हम रोज हत्या करवाते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। ये हमें बन्द करके जेल में भेजेंगे? ...*(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार: और क्या?

अध्यक्ष महोदय: रामदास आठवले जी, आप कृपया बैठिए।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, 10-11 मई को फैजाबाद में एक शहीद मेला प्रस्तावित था। जिनकी ओर से यह मेला आयोजित किया जा रहा था, उसमें प्रो. कमल मित्र चिनाय, प्रो. अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन संस्थान, जे.एन.यू., कृष्णावतार पांडेय, पूर्व शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लाल बिहारी सिंह, महासचिव, इन्कलाबी नौजवान सभा, प्रणय कृष्ण आदि तमाम बुद्धिजीवी और ऐसे लोग, जो चाहते हैं कि देश में सौहार्द्र का वातावरण बने, इस तरह के लोगों ने 10-11 मई को फैजाबाद में शहीद मेले का आयोजन करने का निश्चय किया था।

अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण यह है कि डेढ़ महीना पहले इन लोगों ने जिला प्रशासन से इसकी अनुमति ले ली थी। आठ तारीख को महंत रामचन्द्र दास जी का बयान छपा है कि यह जो मेला आयोजित हो रहा है, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस कारण वहां पर दफा 144 लगा दी गई। उसके अंतर्गत 1300 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें महिलाएं, खेतीहर मजदूर और दलित भी हैं। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शुभेन्द्र सेन भी उसमें गिरफ्तार कर लिए गए।

श्री विनय कटियार: अध्यक्ष महोदय, इस पर एक मिनट मुझे भी बोलने का मौका दें।

श्री रामजी लाल सुमन: इन लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ 50 दिन तैयारी करके, दो नाटक 'वजूद और दल-दल' बनाए थे। उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ...*(व्यवधान)* ये लोग जो दंगा कराने वाले हैं, ये लोग नहीं चाहते कि देश में सौहार्द का

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री रामजीलाल सुमन]

वातावरण बने और शांति कायम हो। वहां इन शांतिप्रिय लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि वे वहां शांति मार्च करने वाले थे। रेलवे स्टेशन से ही इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 तारीख को जो प्रेस कांफ्रेंस होने वाली थी, उसमें 20 लोगों को और गिरफ्तार किया गया। ...*(व्यवधान)* यह बड़ा गम्भीर सवाल है।

अध्यक्ष महोदय: देखिए, मैंने आपको इजाजत दी थी।

श्री मुलायम सिंह यादव: केवल एक मिनट मुझे बोलने दें।

अध्यक्ष महोदय: अगर मैं आपको एक मिनट दूंगा, तो उनको देना होगा।

श्री मुलायम सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, अयोध्या में बुद्धिजीवी एवं विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों में काम करने वालों का उत्पीड़न किया जा रहा है। आप उनको जेलों से रिहा कराएं। अयोध्या में शांति और सद्भाव स्थापित करने हेतु मार्च की अनुमति प्रदान की जाए। ये देश के जाने-माने प्रोफेसर और बुद्धिजीवी हैं। उनका किसी दल से कोई वास्ता नहीं है तथा उनका कोई राजनैतिक लाभ उठाने का लक्ष्य नहीं है। वे केवल शांति एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कायम करना चाहते हैं। उनको गोरखपुर, आजमगढ़ और जाने कहां-कहां की जेलों में बंद कर दिया है और उन पर अत्याचार तथा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि उ.प्र. सरकार स्पष्ट निर्देश दे कि उनको रिहा किया जाए और उनको वहां शांति और सद्भाव कायम करने की इजाजत दी जाये।

श्री विनय कटियार: अध्यक्ष जी, ये लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है; लेकिन कार्यक्रम के नाम पर सद्भावना बिगाड़ने का काम हुआ है ...*(व्यवधान)* यह ठीक नहीं है। हमने इनकी बात सुनी और जब हम बोलने के लिए खड़े हुए हैं तो ये लोग खड़े होकर शोर कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, अयोध्या के अंदर लगातार इनकी पार्टी अशांति कैसे पैदा हो, उसके लिए प्रयास कर रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, मैं समझता हूं आपने उनका नाम नहीं पुकारा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही उनको अनुमति दे दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप सब लोग बैठ जाएं। जब मैंने माननीय मुलायम सिंह को एक मिनट के लिए बोलने की इजाजत दी थी जिस अधिकार से मैंने उनको अनुमति दी थी, उसी अधिकार से इनको भी मैंने एक मिनट बोलने की अनुमति दी है। आप जानते हैं कि इनके बाद श्री खुराना बोलेंगे।

श्री विनय कटियार: ये लोग दूसरों को भी बोलने का मौका दें। ये लोग हर रोज हर विषय पर बोलते हैं। कहीं आपके साथ भी ऐसा व्यवहार न हो।

अध्यक्ष महोदय: कटियार जी, आप एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री विनय कटियार: कार्यक्रम करें, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जिला प्रशासन ने इसीलिए अनुमति दी थी कि शांतिपूर्वक कार्यक्रम करेंगे। जब इन्होंने सीता माता को राम की बहन बनाने का काम किया, तो उससे वहां अशांति पैदा हो गई। ...*(व्यवधान)* वहां इन्होंने एक प्रदर्शनी लगाई। जिला प्रशासन ने कहा कि यह विवादास्पद प्रदर्शनी हटा दे। इसलिए जिला प्रशासन ने रोक लगाई। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप खत्म करें। अब खुराना जी बोलेंगे।

श्री विनय कटियार: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप सरकार को आदेशित करिए कि वहां जो कुछ गतिविधियां हो रही हैं, उस पर वहां सख्ती के साथ कठोर कार्रवाई करे। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): दिल्ली सरकार द्वारा संचालित गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी द्वारा जो एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, मैं उसका फॉर्म लाया हूं। कश्मीरी माइग्रेन्ट्स के साथ भेदभावपूर्ण नीति और उनकी दुर्दशा के मुद्दे को मैं आपके आदेश से उठाना चाहता हूं। यह यूनिवर्सिटी ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, कश्मीरी माइग्रेन्ट्स पर मैंने सुबह-सुबह नोटिस दिया था और चौथे नम्बर पर शून्यकाल में मेरा नोटिस था। ...*(व्यवधान)* उसके बाद यह नोटिस कोई आया होगा। ...*(व्यवधान)* यह नोटिस जानबूझकर बाद में लाया गया। ...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: ठीक नौ बजे मेरा नोटिस आया है। मैं कश्मीरी माइग्रेन्ट्स का सवाल उठा रहा हूं। आप जरा दो मिनट बैठिए। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूं। मेरा नोटिस पहले है। अध्यक्ष महोदय, आप न्याय करिए। कश्मीरी माइग्रेन्ट्स के ऊपर मेरा नोटिस सबसे पहले है। *...(व्यवधान)* लेकिन मुझे अवसर नहीं दिया गया और वहां से अवसर दिया गया है। मुझे इसके ऊपर घोर आपत्ति है। *...(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना: कोई आपत्ति की बात नहीं है। *...(व्यवधान)* मेरा नोटिस यूनिवर्सिटी के बारे में है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो कुछ हो रहा है, आप देखिए, मैं फॉर्म साथ लाया हूं। यह यूनिवर्सिटी जब मैं मुख्य मंत्री था, उस समय खुलवाई गई थी और उस समय क्योंकि कश्मीरी माइग्रेंट आये हुए थे, मैंने उनके रिजर्वेशन के लिए इसके अंदर रखा *...(व्यवधान)* यह फॉर्म छपा है, मैं उसके बारे में कह रहा हूं। इस फॉर्म के कॉलम नम्बर 11 में कश्मीरी माइग्रेंट लिखा है। उसके बाद लिखा है, रिलीजन: मुस्लिम, सिख एंड अदर्स। हिन्दू का नाम ही गायब है। दुनिया जानती है कि आज कश्मीरी माइग्रेंट, *...(व्यवधान)* या तो सीधे कश्मीरी माइग्रेंट लिखते और उसके बाद लिखना था तो हिन्दू, मुस्लिम और सिख लिखते। केवल इसके अंदर माइग्रेंट लिखने के बाद सिख, मुस्लिम एंड अदर्स लिखा है। मेरे पास कश्मीरी माइग्रेंट आये थे। हमने कश्मीरी माइग्रेंट के लिए रिजर्वेशन रखा है, चाहे वे किसी भी जाति के हों लेकिन केवल मुस्लिम और सिख को ही रखना उचित नहीं है। सरकार को इसके बारे में विचार करना चाहिए। दूसरे, मैं उनकी दुर्दशा के बारे में कहना चाहता हूं। आज 12 साल हो गये हैं। 12 साल से कश्मीरी माइग्रेंट जम्मू और दिल्ली में हैं। कुछ को नौकरी लगवा दी गई है और वे बस गये हैं लेकिन हजारों की संख्या में आज भी दिल्ली के अंदर एक-एक कमरे में पूरा परिवार 12 साल से रह रहा है। 12 साल पहले जो लड़की दस साल की थी, आज वह 22 साल की हो गई है। पिता, माता, बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ और जवान लड़की सभी एक कमरे में सोते हैं। परिवार के परिवार समाप्त हो रहे हैं। मेरा कहना यह है कि अपने ही देश के अंदर लोग शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। हम भी 1947 के अंदर शरणार्थी बनकर आये थे और हम दूसरे देश से आये थे लेकिन अपने ही देश के अंदर लोग 12 साल से जम्मू और दिल्ली में शरणार्थी बनकर पड़े हुए हैं। उन्हें मूलभूत सुविधाएं तक मुहैया नहीं हैं। वे इनह्यूमन कंडीशंस में रह रहे हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि जम्मू और दिल्ली के अंदर रह रहे कश्मीरी माइग्रेंट की दशा को सुधारने के लिए उन्हें कोई ऑल्टरनेटिव जगह मिलनी चाहिए। पिछले 12 साल से पूरे के पूरे परिवार एक कमरे में रह रहे हैं। उनके परिवार खत्म हो रहे हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस मामले को वे देखें और उनकी दशा सुधारने के लिए कुछ कदम उठाएं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: अध्यक्ष महोदय, कश्मीर के लगभग तीन लाख से भी ज्यादा कश्मीरी पंडित 1989 से जबसे पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद चलाया जा रहा है, जिसके कारण नरसंहार और मकान जलाने के काम हो रहे हैं और असुरक्षा के कारण पलायन कर रहे हैं। केवल कश्मीरी पंडित ही नहीं, अन्य लोग भी जिनमें एक लाख के करीब मुसलमान हैं और सिक्ख लोग देश के विभिन्न हिस्सों, जैसे दिल्ली, बम्बई, चैन्नई, जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, जयपुर, बैंगलौर, ग्वालियर आदि स्थानों पर दरबदर होकर शरणार्थी शिविरों में दुर्दशा की हालत में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रमाण के तौर पर मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, जो 1991 के हैं। महोदय, 1941 में कश्मीर में 83 प्रतिशत मुसलमान आबादी थी, 15 प्रतिशत हिन्दुओं की आबादी और दो प्रतिशत अन्य की आबादी थी। यह प्रतिशत 1991 में घट गया है और मुसलमान की आबादी बढ़कर 97 प्रतिशत हो गई है, हिंदुओं की आबादी घटकर 0.1 प्रतिशत रह गई है और अन्य आबादी में भी गिरावट आई है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कश्मीरी पंडितों ने मजबूर हो कर पलायन किया और उनकी सम्पत्ति पर कब्जा किया गया तथा उनके मकानों को जलाया गया। इसके साथ ही जमीन से भी बेदखल कर दिया गया। रोजगार के साधन खत्म कर दिए गए। मैं दिल्ली कैम्प्स में स्थिति को देखकर आया हूं, वे दुर्दशा की स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनको जीवन की बुनियादी सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।

महोदय, मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो बहुत जरूरी हैं। लगभग 18,400 मकान जलाए गए हैं। यह बहुत गम्भीर मसला है। जिस तरह से गुजरात में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, उसी तरह से कश्मीर के अन्दर हिन्दू आबादी भी अल्पसंख्यक है। धर्म-निरपेक्षता का अर्थ केवल एक पक्ष की बात कहना नहीं होता है। धर्म-निरपेक्षता का अर्थ यह है कि अल्पसंख्यक जहां कहीं भी हों, उस जगह पर आवाज उठाना कि उनके साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, उसको रोकने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: महोदय, इस विषय पर सदस्य 10-15 मिनट बोले हैं, मैंने तो अभी बात कहना शुरू किया है। लगभग 12-13 वर्षों से यो लोग जलालत की जिन्दगी जीने के लिए मजबूर हैं। इनकी लगभग 105 शैक्षणिक संस्थायें जला दी गई, लगभग साढ़े 14 हजार दुकानें और कारखाने जला कर राख कर दिए गए। बीस हजार परिवार जो खेती पर निर्भर थे, जिनके पास अपनी जमीनें थी, उनको अपरूट कर दिया गया। इसके साथ ही साढ़े 12 हजार लोगों को जमीन से बेदखल कर दिया गया। अखनूर तहसील जो पाकिस्तान से लगे हुए बार्डर पर है, वहां

[श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी]

गोलाबारी की वजह से अशान्ति के कारण जोड़िया और खोड़ जिलों से पिछले लगभग छः सालों में 80 हजार लोग पलायन कर चुके हैं। ये सब हिन्दू हैं। कारगिल युद्ध के बाद आरएसपुरा सैक्टर और साम्बा से लगभग 15 हजार लोग पलायन कर चुके हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब एक बज रहा है। अब श्री सुनील खां बोलेंगे।

अपराह्न 1.00 बजे

[अनुवाद]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): मैं एक गंभीर मुद्दा उठा रहा हूं। मैं 'इकोनोमिक्स टाइम्स' में प्रकाशित एक समाचार की ओर इस सभा का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सुनील खां जी, आपके नाम के आगे कश्मीरी पंडित लिखा था, इसलिए मैंने आपका नाम पुकारा था।

[अनुवाद]

श्री सुनील खां: महोदय, यह पी.एफ. घोटाले के बारे में है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

यह दूसरा विषय है। *...(व्यवधान)* एक सौ करोड़ रुपए के स्केम का मामला है, इसलिए मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। *...(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: महोदय, एक कोर कमेटी नियुक्त की गई। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चतुर्वेदी जी, मैं आपको इतना समय बोलने के लिए नहीं दे सकता हूं।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हुए जो मंत्री यहां मौजूद हैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि क्या इन विस्थापित परिवारों की जनगणना की जाएगी। उनके जो जमीन, मकान, दुकान, स्कूल इत्यादि का नुकसान हुआ है, उनकी जनगणना की जाएगी। विस्थापितों के शिविरों में आज जो दशा है, उसे सुधारने का काम किया जाएगा। *...(व्यवधान)*

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र परभनी की जनसंख्या करीब 20 लाख है। *...(व्यवधान)* वहां कोई भी नवोदय विद्यालय नहीं है। इस विषय में मैंने पहले भी कई बार पत्र लिखे हैं, परन्तु वहां अभी तक कोई भी विद्यालय नहीं खुला। *...(व्यवधान)* वहां लगभग तीन-चार साल पहले एक विद्यालय था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: *...(व्यवधान)* पंडितों के मुद्दे पर वह भाग खड़े हुए। उन्होंने सरकार को नीति की स्पष्ट नहीं किया है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: महोदय, मुझे दुख है कि मैंने इस इश्यु पर सबसे पहले नोटिस दिया था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह बात आपने बता दी है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सरकार की पॉलिसी क्या है, यह बताएं? *...(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: सरकार की पॉलिसी क्या है और इस पर क्या कार्यवाही कर रहे हैं, ये बताएं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: दासमुंशी जी, आपको बोलने की इजाजत किस ने दी?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अब कोई जवाब नहीं दे रहा है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी: महोदय, मैं एक प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। आपकी वहां पर जो नेशनल कांफ्रेंस गवर्नमेंट है, आपके जो सहयोगी दल हैं, रिसेटलमेंट एक्ट बनाकर पाकिस्तान से लोगों को बुलाने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो कश्मीरी पंडित हैं, *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब यह जो बोलेंगे, वह रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप जो बोल रहे हैं, वह रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। आप ऐसे ही क्यों बोलते जा रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री के. येरननायडू के भाषण के छोड़कर कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: खुराना जी, आपको जब मौका मिलेगा, तब आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अशोक जी, आप मंत्री हैं, आप क्यों बोल रहे हैं। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, कई महत्वपूर्ण मामले हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अब वे मेरा सहयोग करें *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में अत्यधिक गर्मी होने और बहुत अधिक तापमान होने के कारण अब तक 200 लोग विशेषकर रिक्शा चालक, कृषि श्रमिक और यहां तक कि किसानों की भी मृत्यु हुई है। इसलिए, महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भारत सरकार, प्रधानमंत्री को यह कहते हुए निर्देश दें कि प्रधान मंत्री राहत कोष से सरकार जहां तक सम्भव हो, मृतकों के परिवारों को धनराशि प्रदान करे। उनमें से सभी श्रमिक हैं। ऐसा केवल आंध्र प्रदेश में ही नहीं हुआ है, बल्कि पूरे देश में अत्यधिक गर्मी के कारण लोग मर रहे हैं। तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री से अपील कर रहा हूं कि मृतकों के परिवारों को प्रधान मंत्री राहत कोष से कम से कम एक लाख रुपये प्रदान किए जाएं।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.10 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.06 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 2.15 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.15 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, जम्मू में बस में सवार 30 यात्रियों की आतंकवादियों ने हमला करके हत्या कर दी है। सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है। अब और कितने आदमी मारे जाने के बाद गृह मंत्री इस्तीफा देंगे। मैं मांग करता हूं कि गृहमंत्री इस्तीफा दें। मार-काट मची हुई है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। सरकार इस तरह का विधवा-विलाप कर रही है। सरकार की तरफ से कब वक्तव्य आयेगा। आप सरकार को निर्देश दें। सरकार क्या कर रही है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रघुवंश प्रसाद सिंह जी, आप बैठिए। हम अगली आइटम को ले रहे हैं।

अपराह्न 2.16 बजे

सरकारी विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक*

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 14.5.2002 में प्रकाशित।

श्री प्रमोद महाजन: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित* करता हूं।

अपराह्न 2.16½ बजे

[हिन्दी]

(दो) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक**

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज: अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुर: स्थापित भी करती हूं।

मैं निवेदन करती हूं कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए लाया जाने वाला यह विधेयक है, उसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजे बिना यहां चर्चा के लिए रखा जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि सभा सहमत है तो माननीय मंत्री द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार किया जा सकता है।

कुछ माननीय सदस्य: जी हां।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): अध्यक्ष महोदय, एक समाचार आया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा 53 लोग मारे गए हैं। इस मामले पर हम सरकार की तरफ से वक्तव्य चाहते हैं *...(व्यवधान)* इस मामले पर गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, अब हम अगले विषय पर आते हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

अपराह्न 2.17 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्ष महोदय: अब हम नियम 377 के अधीन मामलों को लेते हैं।

(एक) राजस्थान में स्वरूपसर से श्रीगंगानगर के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में शीघ्र बदले जाने की आवश्यकता

श्री निहाल चन्द चौहान (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान के रेतीले और सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र की एकमात्र मीटरगेज लाईन स्वरूपसर से श्रीगंगानगर 116 किलोमीटर दूरी पर है जिस पर 68 करोड़ रुपये की लागत आनी है। 1992 में इस लाईन को बजट में लिया गया था पर स्वीकृत नहीं किया गया। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 1998 में हनुमानगढ़ में इस लाईन की घोषणा भी की थी, पर आज तक वित्तीय स्वीकृति इस लाईन को नहीं दी गई है। यह सीमा की एकमात्र लाईन है जो सैन्य दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रॉडगेज लाईन नहीं होने की वजह से किसानों को अपने उत्पाद के भावों में भी काफी मंदी होती है, आयात-निर्यात का भी काफी फर्क पड़ता है व काफी कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि उक्त लाईन को ब्रॉडगेज में परिवर्तन हेतु स्वीकृति प्रदान करें।

(दो) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): अध्यक्ष महोदय, देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से केन्द्र प्रवर्तित विभिन्न योजनायें चलायी जा रही हैं। केन्द्र सरकार की इन योजनाओं में प्राय: शत-प्रतिशत तथा कुछ योजनाओं में 80 प्रतिशत तक धनराशि का आबंटन राज्य सरकार के माध्यम से किया जाता है जिनमें शिक्षा, चिकित्सा, कृषि सिंचन की सुविधा, शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराना आदि प्रमुख हैं। किन्तु कतिपय राज्य सरकारों द्वारा इन योजनाओं की निश्चित समयावधि में क्रियान्वित न किये जाने व समय पर योजना तैयार न की जाने से तथा कई योजनाओं में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

**भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खण्ड-2, दिनांक 14.5.2002 में प्रकाशित।

राज्य सरकारों द्वारा अपना अंशदान भी न दे पाने के कारण इन योजनाओं का वास्तविक लाभ ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं मिल पाता है।

अत: यह आवश्यक है कि एक ऐसी प्रक्रिया सुनिश्चित की जाये जिसके अंतर्गत निश्चित समयावधि में केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को पूरा कर, उनका लाभ जनता को मिल सके।

अत: मेरा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री से मांग है कि इस हेतु एक निश्चित प्रक्रिया तय की जाये जिसमें सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों की भागीदारी निश्चित की जा सके। यद्यपि इस हेतु मानीटरिंग की व्यवस्था है तथापि उसको और भी प्रभावी बनाया जाना आवश्यक है।

(तीन) हिमाचल प्रदेश में कुल्लू हवाई अड्डे के विस्तार के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री महेश्वर सिंह (मंडी): उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उसने कुल्लू एयरपोर्ट के विस्तार हेतु 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, लेकिन हाल ही में समाचार-पत्रों में छपी खबरों से जानकारी मिली है कि कुल्लू हवाई अड्डे का विस्तार संभव नहीं है। यदि ऐसा है, तो फिर प्राक्कलन कैसे तैयार किया गया? धन के प्रावधान के उपरान्त हाईपावर कमेटी द्वारा इस प्रकार का निर्णय लेना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं है।

मेरी जानकारी के अनुसार इस समिति का गठन जो एयरपोर्ट अथारिटी ने किया है उसमें एक भी अनुभवी पायलट को सदस्य नहीं बनाया गया है। यह निर्णय वे लोग करते हैं जिनको स्थानीय भौगोलिक परिस्थिति में वायुयान किस प्रकार उड़ेंगे और उतरेंगे इसका लेशमात्र भी अनुभव नहीं होता। मेरा सुझाव है कि इस समिति में ऐसे पायलटों को शामिल किया जाए जिन्हें स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों में विमान उड़ाने एवं उतारने का पर्याप्त अनुभव हो और फिर उनकी राय ली जाए। इसलिए सारे प्रकरण पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

वर्तमान में कुल्लू हवाई अड्डे पर केवल डोनियर विमान की ही उड़ान संभव है। इसलिए मेरा आग्रह है कि एटीआर विमान उड़ाने एवं उतारने हेतु हवाई पट्टी के जितने विस्तार की आवश्यकता हो उतना विस्तार किए जाने पर अवश्य विचार किया जाए।

अपराह्न 2.22 बजे

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन* हुए]

(चार) टाटानगर, खड़गपुर से होकर हावड़ा से बड़बिल तक एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण गिलुवा (सिंहभूम): सभापति जी, आपके माध्यम से मैं सदन एवं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि हावड़ा से बड़बिल वाया टाटा, खड़गपुर के बीच एक एक्सप्रैस रेल सेवा चलाए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान समय में एक पैसेंजर रेल सेवा चल रही है जिसका समय लोगों के लिए अनुकूल नहीं है और यह रेल समय भी अधिक लेती है जिसके कारण लोग इस पैसेंजर रेल सेवा का प्रयोग नहीं करते हैं। यह क्षेत्र आदिवासी-बहुल और अविकसित है। यहां पर खानों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगर अच्छी रेल सेवा हो, तो इस क्षेत्र के विकास में सहायता मिलेगी और लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि हावड़ा से बड़बिल वाया टाटा, खड़गपुर होते हुए एक एक्सप्रैस रेल सेवा चलाई जाए।

(पांच) बिहार में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

डा. संजय पासवान (नवादा): सभापति जी, योजना आयोग द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट-2001 के आधार पर बिहार राज्य विभिन्न मानव विकास के मानकों में सर्वाधिक नीचे है। बिहार से झारखंड अलग होने के बाद बिहार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। प्राकृतिक आपदा तथा बाढ़, सुखाड़, ओलावृष्टि के हर वर्ष अरबों रुपए का नुकसान होता है। मानव जनित आपदाएं यथा—हिंसा, हत्या और अपहरण आदि में बेतहाशा वृद्धि हुई है। संपूर्ण बिहार के लोग काम की तलाश में देश के कोने-कोने में जा रहे हैं।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि इन सब विषयों को ध्यान में रखकर एवं रोजगार

के अवसर का सृजन करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए एवं बिहार राज्य के लिए समुचित राशि मुहैया कराई जाए।

[अनुवाद]

(छह) उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश में बसे बंगाली शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार दिये जाने की आवश्यकता

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): बंगाली शरणार्थी जो उत्तरांचल के उधम सिंह नगर जिले और पीलीभीत सहित उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में बस गए हैं, उनमें से अधिकांश नामशूद्र समुदाय के हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल और भारत के अन्य भागों में अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है। जबकि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है फिर भी उनके साथ विदेशी की तरह व्यवहार किया जा रहा है। यह केवल मानवाधिकारों के विरुद्ध है बल्कि नागरिक और नागरिकता अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में भारत के संविधान, नेहरू-लिकायत समझौता, इंदिरा गांधी-मुजीबुर रहमान भारत-बंगलादेश समझौता और केन्द्र सरकार की अनेक अन्य घोषणाओं के विरुद्ध है।

मैं इस मामले में और विलंब किए बिना हस्तक्षेप करने हेतु केन्द्रीय गृह मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

(सात) वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा महाराष्ट्र में विद्युत गृहों को अच्छी गुणवत्ता के कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर): चन्द्रपुर (महाराष्ट्र) स्थित सुपर ताप विद्युत स्टेशन महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। इसने शिकायत की है कि वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड विद्युत स्टेशनों को अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति नहीं कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र को बहुत क्षति पहुंची है। यहां तक कि महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड ने इस संबंध में अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है। ये पत्थर मिश्रित कोयले की आपूर्ति न केवल चन्द्रपुर स्थित सुपर ताप विद्युत स्टेशन को ही कर रहे हैं अपितु महाराष्ट्र में अन्य विद्युत केन्द्रों को भी आपूर्ति कर रहे हैं। मैं केन्द्र सरकार से इस मामले की सी.बी.आई. द्वारा स्वतंत्र जांच कराने, जवाबदेही निर्धारित करने और विद्युत केन्द्र को अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) आंध्र प्रदेश में नालगोंडा रेलवे स्टेशन पर रेल मेल सर्विस शॉर्टिंग कार्यालय का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी (नालगोंडा): वर्ष 1998-99 में सरकार ने आंध्र प्रदेश के नालगोंडा रेलवे स्टेशन पर रेल मेल सर्विस शंटिंग आफिस के निर्माण की स्वीकृति दी थी। वर्तमान कार्यालय के काफी दूर स्थित होने के मद्देनजर इस कार्यालय का खोला जाना बहुत ही आवश्यक है। इस कारण, डाक को ले जाने और उसके वितरण में विलंब होता है। वहां सारा सरकारी काम से संबंधित रखरखाव तक ही सीमित रह गया है। उनके मंत्रालय दूसरी चिंता की बात है कि नालगोंडा के डाकघरों में राजस्व टिकटों की कमी। इस कारण लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। नालगोंडा में टिकटों की समुचित मात्रा में आपूर्ति करने के लिए अनुदेश जारी किए जाने चाहिए। वर्ष 1994 से नालगोंडा में कोई नया डाकघर नहीं खोला गया है। चूंकि नालगोंडा की जनसंख्या में कई गुणा वृद्धि हुई है, अत: अनुरोध है कि प्रत्येक नगर पालिका वार्ड में एक डाकघर खोला जाए।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): महोदय, माननीय गृह राज्यमंत्री यहां उपस्थित हैं। हम चाहते हैं कि वह जम्मू-कश्मीर में हुए नरसंहार पर एक वक्तव्य दें।

सभापति महोदय: मैं अपने स्तर पर निर्देश दे सकता हूं परन्तु तब नहं जब मामला नियम 377 के अधीन चल रहा हो।

श्री के. येरननायडू: महोदय, इस चर्चा को पूरा किया जाए क्योंकि आतंकवादियों द्वारा वहां 40 लोग मारे गए थे।

सभापति महोदय: क्या माननीय मंत्री जी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे?

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, समूचा राष्ट्र स्तब्ध है। *...(व्यवधान)*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी): महोदय, मैं पहले माननीय गृह मंत्री से परामर्श करूंगा और तब इस सबंध में कुछ कहूंगा। मैं बिना विचार किए कुछ नहीं कह सकता।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जी कहते हैं कि वह इसे माननीय गृह मंत्री जी को भेज देंगे।

[हिन्दी]

(नौ) उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में रामपुर रेलवे क्रासिंग में केबिन तथा फाटक लगाने का कार्य शीघ्र किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रनाथ सिंह (मछलीशहर): सभापति महोदय, मैं अपने संसदीय क्षेत्र मछली शहर के रामापुर जनपद प्रतापगढ़ की ओर माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। लखनऊ-वाराणसी रेल मार्ग पर रामापुर बाजार आता है जहां दोनों तरफ सड़क है किन्तु रामापुर रेलवे क्रासिंग पर फाटक नहीं होने से कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि लखनऊ-वाराणसी रेल मार्ग से रामपुर देहात की ओर जाने वाले मार्ग पर रामापुर क्रासिंग (प्रतापगढ़) में एक केबिन तथा फाटक लगाने का कार्य शीघ्र किया जाये।

(दस) पिछड़े राज्यों के लोगों को मूल सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु एक राष्ट्रीय योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): सभापति महोदय, अभी हाल ही में योजना आयोग द्वारा एक मानव विकास रिपोर्ट के रूप में दस्तावेज जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया है कि केवल मात्र अधिक आय से ही मानव का जीवन अधिक उन्नत हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार देश में केरल राज्य, जो प्रति व्यक्ति आय की सूची में मध्यम वर्ग का राज्य है, के निवासियों का जीवन देश में सबसे उन्नत कहा गया है और जो राज्य प्रति व्यक्ति आय की सूची में सबसे ऊपर है, वे इसके नीचे के क्रम में हैं।

मानव के जीवन को उन्नत बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, पेयजल, बिजली, आवास आदि प्रमुख जन सुविधाओं की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बिहार और उत्तर प्रदेश देश में सबसे पिछड़े राज्यों में से हैं। इन प्रदेशों की अनदेखी करके देश के विकास की कल्पना थोथी होगी क्योंकि इन प्रदेशों में देश की कुल जनसंख्या का 1/3 भाग है।

अत: इतनी बड़ी संख्या में देशवासियों के पिछड़े रहने के बाद, देश के विकास की बात पूरी नहीं हो सकती। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस वर्ग के सभी देश के राज्यों को एक इकाई के रूप में मान्यता दी जाये और यहां के निवासियों के लिए मूलभूत जन आवश्यकता, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, सड़क, पेयजल आदि की व्यवस्था हेतु राष्ट्रीय स्तर पर योजना क्रियान्वित की जाये।

[अनुवाद]

(ग्यारह) पंजाब में फिल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या के समाधान के लिए ए.आर.डब्ल्यू.एस. परियोजना के अंतर्गत पर्याप्त धनराशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती संतोष चौधरी (फिल्लौर): महोदय, मेरे फिल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शामचौरासी विधान सभा क्षेत्र एक सूखा प्रवण क्षेत्र है जो पेयजल की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। वहां 172 गांव हैं जिनकी जनसंख्या 1,12,000 है। महोदय, जनसंख्या का 54.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं निचले वर्ग का है। इस निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल संबंधी 20 योजनाएं चल रही हैं। 20 योजनाओं में से 16 योजनाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि सबमर्सिएबल पंप बेकार हो गए हैं और पुरानी मशीनों को बदले जाने की आवश्यकता है। इसके लिए कुल अनुमानित लागत 1.58 करोड़ रुपए है।

महोदय, मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में वह पहल करे और संवर्द्धित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना के अंतर्गत तत्काल 1.58 करोड़ रुपए की राशि जारी करें।

अपराह्न 2.32 बजे

पेटेंट (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय: अब हम मद संख्या 19, पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 2002 पर विचार करेंगे।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि पेटेंट अधिनियम, 1970, राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सभापति महोदय, पेटेंट अधिनियम 1970 में और संशोधन करने वाले इस विधेयक के बारे में संक्षिप्त परिचय की शुरुआत मैं उच्च सदन में विधेयक को पारित करने के दौरान हुई अद्वितीय चर्चा की प्रशंसा के साथ करना चाहूंगा। सरकार की सभी मुद्दों के प्रति संवेदनशीलता और सुधारों के लिए किए गए सुझावों के प्रति इसकी उत्तरदायिता के जहां इसकी एक विशिष्टता थी उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को सम्मान देना और अनुसंधान एवं विकासोन्मुखी आर्थिक विकास के लिए मार्ग तैयार करने पर सदस्यों द्वारा जोर देना इसकी दूसरी विशिष्टता रही।

[श्री मुरासोली मारन]

सदस्यों को यह जानकारी है कि ट्रिप्स (टी आर आई पी एस) संबंधी समझौता गैट के उरुग्वे राउंड में अंतिम रूप दिए गए "टैक इट ऑर लीव इट" पैकेज और दिसम्बर 1993 में हस्ताक्षरित ड्राफ्ट फाइनल एक्ट का एक अभिन्न हिस्सा है। इस करार पर 15 अप्रैल, 1994 को मारकेश में हस्ताक्षर किए गए थे। ट्रिप्स (टी आर आई पी एस) के पाठ को अस्पष्टता की एक श्रेष्ठ वृत्ति, कूटनीतिक समझौते की भाषा में लिपटा हुआ एक मौखिक संतुलन साधने के रूप में किया गया है और जिसके गद्य की अद्वितीय रूप से जेनेवा तक व्याख्या की जा सकती है।

जैसा भी हो, बौद्धिक सम्पदा के संरक्षण के क्षेत्र में हमें कुछ समयबद्ध बाध्यताओं को पूरा करना है। पेटेंट कानूनों में प्रस्तावित संशोधन की अपेक्षा पिछले ढाई वर्षों से की जा रही है।

ऐसा करने के लिए सर्वप्रथम हमें ट्रिप्स (टी आर आई पी एस) समझौते में यदि कुछ अस्पष्टता हो उसे नजरअंदाज करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हितों, जन स्वास्थ्य की रक्षा और सस्ते मूल्यों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, जो कि मानवाधिकारों में से एक है, के संरक्षण हेतु एक कानून बनाना चाहिए।

दूसरे, हमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के नए युग के लिए एक ऐसी प्रणाली तैयार करने की आवश्यकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित पेटेंट संरक्षण प्रणाली देश की तकनीकी एवं औद्योगिक प्रगति का मापदण्ड और ज्ञानोन्मुखी अर्थव्यवस्था के लिए संरक्षक का ढाल बन सके।

तीसरी बात, जो हमें ध्यान में रखनी है वह है मानवता की अंतरात्मा की जागृति, जोकि एच.आई.वी./एड्स के कारण मारे गए लाखों लोगों एवं इससे पीड़ित लाखों लोगों को असहाय देख रही थी। भारत के इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को पक्ष में करने के लिए ब्राजील एवं अन्य 55 अफ्रीकी देशों का नेतृत्व किया और जिसका परिणाम ट्रिप्स (टी आर आई पी एस) एवं जन स्वास्थ्य संबंधी दोहा घोषणापत्र था। यह घोषणापत्र पर्याप्त रूप से लचीला है और हमें अपने कानून में इनका पूर्ण संभव सीमा तक उपयोग करना चाहिए।

और अंत में, हमें ज्ञान और सृजनोन्मुखी संपदा-सृजन, आर्थिक प्रगति एवं बेहतर जीवन के लिए प्रशासनिक प्रणाली को उपयोग के अनुकूल बनाना है।

मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सभा के समक्ष विचाराधीन इस विधेयक में इन उद्देश्यों को पूरा करने की परिकल्पना की गई है। विधेयक का प्रारूप तैयार करने से पहले सभी संबंधित समूहों के साथ विस्तृत एवं व्यापक रूप से देशभर में सलाह मशविरा किया गया था। इससे भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति द्वारा गहन अध्ययन का लाभ मिला है। संयुक्त संसदीय समिति ने अपने व्यापक प्रतिवेदन में सभी विकास पर गौर किया है और लचीलेपन का लाभ लेते समय आवश्यक सुरक्षोपाय किये गये हैं। समिति ने विधेयक के प्रावधानों पर विचार करने एवं अपने विचारों को अंतिम रूप देने के लिए दो वर्षों की अवधि में 39 बैठकें आयोजित की। समिति ने चर्चा के दौरान विभिन्न अंशधारकों के साथ भी बैठकें की थी।

समिति ने राष्ट्रीय एवं जनहित संबंधी आवश्यकताओं/चिंताओं, विशेषकर जन स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित हितों को पूरा करने के दृष्टिकोण से विधेयक में लचीलेपन के प्रावधान को लागू किया है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि समिति ने जनहित, अनिवार्य लाइसेंसिंग, सरकारी उपयोग, राष्ट्रीय सुरक्षा, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण, जन स्वास्थ्य और पोषण के संरक्षण से संबंधित विद्यमान प्रावधानों को नये सिरे से लिखा है जैसाकि पेटेंट अधिनियम (पेटेंट, अनिवार्य लाइसेंसिंग एवं निरसन का कार्यकरण) के अध्याय-16 में निहित है।

सरकार ने समिति द्वारा पुनर्प्रारूपित विधेयक को पूर्णतया स्वीकार कर लिया है।

मैं राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विधेयक को पुनः लागू करने के लिए संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को फिर से शुभकामनाएं देता हूं। मैं सभा को यह सूचित करते हुए भी प्रसन्न हूं कि राज्य सभा द्वारा इस विधेयक पर विचार करने से पहले, मैंने श्री मणि शंकर अय्यर एवं श्री रूपचन्द पाल सहित विपक्ष के सदस्यों के साथ पुनः विचार-विमर्श किया था और विधेयक में और संशोधन किये हैं। इन संशोधनों को सम्मिलित किया गया है।

विधेयक में इस प्रकार के प्रावधान हैं कि सरकार पेटेंट धारकों के विशिष्ट अधिकार को तत्काल समाप्त कर सकती है और यदि आवश्यकता हो तो इन्हें हासिल कर सकती है। इन व्यापक और अधिकारी के रहते किसी भी आने वाले संकट का सामना करने के लिए इस विधेयक में पर्याप्त प्रावधान हैं।

हमने न तो पूर्व के प्रावधानों में किसी प्रकार की कमी की है, न ही अपनी स्थिति एवं हितों से कोई समझौता किया है बल्कि हमने एक सुदृढ़ एवं आधुनिक बौद्धिक सम्पदा अधिनियम तैयार किया है।

पुनः, मैं प्रमुखता से यह कहूंगा कि औषधियों, भेषजज्ञ एवं कृषि रसायनों के लिए वर्तमान विधेयक में विचार नहीं किया गया

है क्योंकि 1.1.2005 तक भारत ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है।

जैसाकि राज्य सभा में कहा गया है, हमारे लिए अब अन्तर्राष्ट्रीय और आंतरिक 'फार्मा राजनीति' को निरस्त करना आवश्यक हो गया है और हम भविष्य की ओर देखें। भारतीय औषधि एवं भेषज उद्योग ने 1970 के पेटेंट अधिनियम का पूरा उपयोग किया है और अब हम प्रचलित दवाओं के न केवल निवल निर्यातक हैं बल्कि साफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के बाद ज्ञान आधारित उद्योग के क्षेत्र में नए नेता के रूप में उभर रहा है। अब यह समय शेष उद्योगों को इसके 'पश्चगामी' माध्यम से निकालने और आविष्कारी 'अनुसंधान एवं विकास' माध्यम, की ओर बढ़ने का है।

मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय उद्योग में नए युग में प्रवेश करने की आवश्यक क्षमता, सामर्थ्य, प्रगतिशील विचार-धारा और बढ़ता आत्मविश्वास है। भारत की कई कम्पनियों ने मार्गप्रशस्त किया है। इन गुणों का परिचय भी दिया है और वे हमारी प्रशंसा के पात्र हैं।

जो सामान्य दवाइयों में विशेषज्ञता हासिल करना चाहती हैं उन्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है क्योंकि विश्व की तकरीबन 90 प्रतिशत दवाइयां सामान्य औषधियां (जैसाकि मेडिसिन्स) ही हैं और संभावना है कि आगे भी स्थिति ऐसी ही रहेगी क्योंकि हजारों पेटेंट प्रतिवर्ष समाप्त हो रहे हैं। भारत सरकार की राष्ट्रीय अनिवार्य औषधि सूची, 1996 (नेशनल एसेन्शियल ड्रग लिस्ट, 1996) में सूचीबद्ध 279 औषधियों में से कोई भी औषधि आज पेटेंट के दायरे में नहीं है।

आलोचकों ने जोर देकर कहा है कि ट्रिप्स (टी आर आई पी एस) की तुलना में विधेयक कुछ ज्यादा ही है, जबकि अन्य लोगों ने टिप्पणी की है कि यह बहुत ही अपर्याप्त है। जो भी हो, इन आलोचनाओं से इस बात की पुष्टि होती है कि इस विधेयक में हमारे अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों और हमारे राष्ट्रीय हितों के बीच बेहतर तालमेल है।

मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ट्रिप्स (टीआरआईपीएस), पेरिस सम्मेलन और अन्य सम्मेलनों, विभिन्न देशों के ट्रिप्स पश्चात् के पेटेंट कानूनों और दोहा उद्घोषणा के सभी पहलुओं और संबद्ध प्रावधानों को शामिल कर लिया गया है। हमारे राष्ट्र के निहित हितों के रक्षार्थ सभी विसंगतियों को दूर कर दिया गया है और सभी संभव उपायों का अधिकतम उपयोग दिया गया है।

यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति सामूहिक संकल्प और बुद्धिमता को भी उजागर करता है। इसके बहुउद्देश्यीय मसलों पर पहले कई बार गहन चर्चा हो चुकी है। इसलिए, मैं सभा के सभी पक्षों के लोगों से रचनात्मक आम सहमति और समर्थन का अनुरोध करता हूं। हम विश्व को यह जताते हुए कि भारतीय जनतंत्र सही अर्थों में अपनी अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं का सम्मान करता है, भारत को प्रगति के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक को इस महान सभा के समक्ष रखता हूं और जैसाकि यह एक राष्ट्रीय प्रयास है, इसलिए मैं अपील करता हूं कि सदस्य इसे पार्टी लाइन से हटकर इसका समर्थन करें।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि पेटेंट अधिनियम, 1970 राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): सभापति महोदय, मैं कई वर्षों से इस मसले से जुड़ा हुआ हूं। जब मैंने पहली बार डंकल प्रस्तावों से जुड़े मसले के बारे में गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प में इस मुद्दे को उठाया था, तो उस समय शायद ही हम लोग उन प्रस्तावों में निहित सभी खतरों से अवगत थे।

जैसाकि आप जानते हैं कि डब्ल्यूटीओ समझौते का ट्रिप्स भाग तो बाद में आया और अब जबकि सवाल उठ रहे हैं कि ट्रिप्स को कैसे और क्यों डब्ल्यूटीओ का अंग बनाया जाए। मैं उस विषय के विस्तार में नहीं जा रहा हूं क्योंकि इस संबंध में वाद-विवाद और चर्चाएं विशेषज्ञों के बीच में हो रही है। डब्ल्यूटीओ समझौते का एक जटिल दस्तावेज होने के कारण यह किसी भी तरह के लोगों के लिए कतई संभव नही है कि वे सभी जटिलताओं बल्कि रहस्यों और पर्दे के पीछे चल रही चालबाजी और गुप्त एजेण्डे, जो भी ाप इसका नाम दें, को सुलझा सके। जब हम न केवल डब्ल्यूटीओ, बल्कि ट्रिप्स के भी कई प्रावधानों पर सरसरी निगाह डालते हैं, तो हम पाते हैं कि उन प्रावधानों की व्याख्या के मामले में जो षडयंत्र चल रहे हैं वे साफ हैं।

महोदय, प्रारंभ में कहा गया था कि ट्रिप्स समझौता डब्ल्यूटीओ समझौते का हिस्सा है। यह स्वास्थ्य वैज्ञानिक अनुसंधान, कृषि उत्पादन, प्रौद्योगिकी के आदान-प्रादन और हस्तांतरण के क्षेत्र में बेहतर अवसर प्रदान करेगा, किन्तु आज हम पाते हैं कि प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ। विकसित देश आज भी उतने ही अनिच्छुक हैं जितने कि वे पहले भी रहे हैं और हम ही लोग घाटे में हैं। हम लोग आगे भी घाटे में रहेंगे। डब्ल्यूटीओ के साथ-साथ ट्रिप्स भी विश्व के विकासशील और निर्धन देशों के प्रति बुरी तरह से पूर्वाग्रह से ग्रसित व्यवस्था है। दोहा में हमें मिली अल्प उपलब्धि के बावजूद भी इस पर एक बार पुन: जोर दिया गया है। हालांकि, मैं इस उपलब्धि को कम करके आंकना

[श्री रूपचन्द पाल]

नहीं चाहता हूं, फिर भी आज जो कुछ भी कहा गया है, उसकी व्याख्या अलग तरीके से की जा सकती है। एक जगह कहा गया है कि हम ट्रिप्स समझौते से सहमत हैं। यह जन स्वास्थ्य के रक्षार्थ उपाय करने से सदस्यों को नहीं रोक सकेगा। किन्तु, फिर दूसरी जगह यह कहा जा रहा है कि डब्ल्यूटीओ के सदस्यों के पास ट्रिप्स समझौते के प्रावधान का उपयोग करने का पूरा अधिकार है। ट्रिप्स समझौते में कहा गया है कि जन स्वास्थ्य के हितों की रक्षा के लिए कदम उठाए जा सकते हैं, किन्तु बार-बार ऐसे प्रावधान बनाये जा रहे हैं जो दरअसल भारत और अन्य विकासशील देशों जैसे निर्धन देशों को स्वास्थ्य परिचर्या मुहैया कराने के अधिकार से विमुख कर देते हैं।

महोदय, जैसाकि आप जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्तरों पर वाद-विवाद और चर्चाएं हुई हैं। यहां जानेमाने विधिवेत्ताओं, अर्थशास्त्रियों, अफसरशाहों और डब्ल्यूटीओ तथा ऐसे ही अन्य सभी मामलों के विचार-विमर्श से संबद्ध लोगों सहित कई लोगों द्वारा तैयार की गई उद्घोषणा का खामुखा हवाला दिया गया है। श्री वी.आर. कृष्ण अय्यर का एक पत्र है जिसमें उन्होंने सभासदों को संबोधित किया है। पत्र में कहा गया है:

> "भारत की परिस्थितियों के अनुकूल एक नया पेटेंट अधिनियम बनने तक खाद्य पदार्थ, औषधि और दवा संबंधी किसी पेटेंट आवेदन को मंजूरी प्रदान करने से पेटेंट नियंत्रक पर प्रतिबंध लगाने से देश में क्या स्थिति थी।"

आखिरकार, 1970 के अधिनियम के रूप में हमने लक्ष्य को हासिल कर ही लिया जो पूरे विश्व में एक आदर्श अधिनियम के रूप में जाना गया। हम 1970 के उस अधिनयम से विचलित हो रहे हैं जिसमें न केवल हमारी स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी जरूरतों बल्कि हमारे फार्मास्युटिकल उद्योग को भी रक्षा प्रदान करने की कोशिश की गई थी। अब हम देख रहे हैं कि हमारा अपना फार्मास्युटिकल उद्योग संकट में होगा और असमान प्रतिस्पर्द्धा का सामना करेगा। मैंने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं जिन्हें मैं नीचे दे रहा हूं। ये उन मुद्दों के बारे में हैं जिन पर समुचित तरीके से चर्चा नहीं की गई है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण मसलों पर संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में और तत्पश्चात जब हम लोग मंत्री जी से मिले थे तो उनके साथ भी चर्चा हुई है, तथापि मैं मानता हूं कि अनिवार्य रूप से अनुज्ञप्ति प्रदान करने की संकल्पना और भारत सरकार के अधिकार पर पर्याप्त रूप से चर्चा नहीं हुई है, जैसाकि फ्रांस में की गई है।

जैसाकि आपने नोट किया है, मैंने विमत टिप्पण के रूप में स्थायी समिति के प्रतिवेदन में कतिपय अन्य चीजों का उल्लेख किया है। यह अधिकार संबंधी अनुज्ञप्ति से ताल्लुकात रखती है और यदि कोई भारत जैसे विशेष देश में विद्यमान विशिष्ट स्थिति की जरूरतों को पूरा करते हुए इस तरह की अनुज्ञप्ति जारी नहीं करता है, तो क्या होगा? मैं एक संशोधन लाना चाहता हूं और मैं मानता हूं कि इस मुद्दे पर उचित रीति से चर्चा नहीं की गई है, मैं चाहता हूं कि एक विशेष अवधि तक इंतजार करने के बाद सरकार के पास अधिकार होगा और ट्रिप्स में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं हो सकेगा। यदि फ्रांस कतिपय व्यवस्था कर सकता है, यदि अर्जेन्टीना कई अन्य चीजों को कर सकता है, यदि ब्राजील अपने स्वयं के राष्ट्रीय हितों की बात कर सकता है, तो हम क्यों नहीं इसे कर सकते हैं। मेरी इच्छा कठोर बनने की नहीं है, किन्तु ट्रिप्स अनुपालन के नाम पर कभी-कभी हमने देखा है कि जब हमारे देश को कतिपय अधिकारों का अनुपालन करने को कहा गया है, वह भी उन अधिकारों पर विचार करने से पहले ही हमने आत्मसमर्पण कर दिया है और बाद में जब इसकी महत्वपूर्ण तबके—विशेषज्ञों और अन्य लोगों की ओर से आलोचना हुई है, तो इस स्थिति को बचाने की कोशिश की गई है, किन्तु उस समय इसे नहीं बचाया जा सका। नुकसान तो पहले ही हो चुका था। हमारे दिमाग में जो बातें थीं, वे अन्य लोगों के दिमाग में भी थी। कभी-कभी यह कहा जाता है कि यदि हम यह चीज करते हैं, यदि हम वह चीज करते हैं, तो राष्ट्रमंडली में हमारी बदनामी होगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसने ट्रिप्स के कई प्रावधानों की जांच नहीं की है। उसका एकमात्र लक्ष्य इस बात को बताना है कि वह ट्रिप्स का अनुपालन करने वाला है। कौन ट्रिप्स के प्रावधानों की परवाह कर रहा है? क्या अमेरिका ऐसा कर रहा है? बताइए, इस्पात के मामले में या कई अन्य मसलों के मामले में मैं इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं—वह इन सब चीजों की व्याख्या अपनी इच्छा, अपने कानून के अनुसार कर रहा है। वह व्यापार में बहुपक्षीयता पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। वह केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की पहल पर काम कर रहा है। मुझे पेटेंट के धारण की शर्तों पर गंभीर आपत्ति है, और मेरा विमत टिप्पण कुछ वैसे अन्य महत्वपूर्ण मामलों जिन पर राष्ट्रीय स्तर पर विशेषज्ञों, अन्तर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा चर्चा हो चुकी है, के अलावा विशेषकर इस मामले पर भी है।

आखिर वह क्या था? यह पेटेंट संरक्षण की अवधि से जुड़ा मसला था। पेटेंट संरक्षण की अवधि पेटेंट संबंधी आवेदन दायर करने की तिथि से 20 वर्षों की या पेटेंटकृत होने की तिथि से आठ या दस वर्षों की या इनमें से जो भी कम हो वही इसकी अवधि होगी। यही मेरी संकल्पना थी। यही मेरा विमत टिप्पण था। सरकार की क्या आपत्ति है? मुझे इसके स्पष्टीकरण की जरूरत है, हालांकि लोग इससे जुड़े रहे हैं। कौन मुझे बताना चाहता था कि यह नहीं हो सकता है। मैंने पेटेंट कानूनों को जो पारित हो चुके हैं, जो पारित होने की प्रक्रिया में हैं और भविष्य में पेटेंट के दायरे

में लाए जाने वाले देशों के बारे में पढ़ा था। बहुत से देशों ने अपने-अपने रुख अख्तियार किए हैं। फिर भारत क्यों नहीं कर सकता? मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप उन्हीं के पदचिन्हों पर चलें या उसी रणनीति को अपनाएं जिसे कई देशों ने अपनाया है। किन्तु ऐसा नहीं किया जा रहा है। मंत्री जी ने इन चीजों की अधिकांश बार अपने तरीके से व्याख्या करने की कोशिश की है, किन्तु मैं उससे बिल्कुल आश्वस्त नहीं था।

उदाहरण के लिए, मैं अनिवार्य रूप से अनुज्ञप्ति दिए जाने पर, विशेषकर खंड 84 पर बात करना चाह रहा हूं। यदि सीधे पेटेंटी से अनिवार्य अनुज्ञप्ति प्राप्त करने का असफल प्रयास होता है..." अनिवार्य रूप से अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि यह नितान्त राष्ट्रीय आपात स्थिति के मामले में होगा। किन्तु ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं जो हमारी घरेलू स्थिति से सीधे जुड़ी हुई नहीं भी हो सकती है। मैं ऐसी समस्याओं के बारे में उल्लेख कर रहा हूं, अर्थात् आतंकवाद यदि पानी को प्रदूषित कर दें इसमें कीटाणु या कुछ ऐसी अन्य चीजें मिला देती। ऐसी स्थिति में विशेष, दवाइयां उपयोग में लाई जाएंगी। इस स्थिति में क्या होता है? भारत में कुछ कम्पनियां इस तरह की विशेष दवा का निर्माण करती रही हैं और आप को पता होगा कि इसकी मांग कितनी हो सकती है। अर्थात् यह राष्ट्रीय आपात स्थिति नहीं है। क्या इस स्थिति में अनिवार्य रूप से अनुज्ञप्ति दिए जाने की अनुमति नहीं होगी? उस स्थिति में क्या होगा, जब देश के किसी भाग में अपूर्वानुमेय स्वास्थ्य संबंधी कोई विशेष समस्या उत्पन्न होती है? ऐसा विश्व के कई भागों में हुआ है।

दक्षिण अफ्रीका में एचआईवी एड्स के बारे में क्या हुआ? उसने कहा, "नहीं, हम इससे सहमत नहीं होंगे।" वहां प्रदर्शन हुए। वहां की सरकार ने कहा कि वह इस पेटेंट व्यवस्था से सहमत नहीं होगी। हम ऐसी स्थिति पैदा करना नहीं चाहते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर हम यह चाहते हैं कि सरकार के हाथ में अधिक से अधिक आजादी और अधिकार हों क्योंकि ट्रिप्स समझौते में यह सर्वत्र वर्जित है कि नीतियों का निर्धारण उस राष्ट्र विशेष की संप्रभु संसद द्वारा किया जाना है। हम एक संप्रभु संसद हैं। हमने राष्ट्रहित में कोई विशेष निर्णय लिया है। हमने अपनी संप्रभुता के साथ केवल इसलिए समझौता नहीं किया क्योंकि हम विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गए हैं, केवल इसलिए कि हमने किसी विशेष दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि अन्य देश अपने राष्ट्रीय हित में किसी विशेष मार्ग का अनुसरण कर सकता है तो, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं अपने संशोधनों को पढ़ रहा हूं। यह अत्यंत विस्मयकारी है कि आज प्रात: ही हमें विधेयक प्राप्त हुआ है और ऐसा ही हुआ है। इसका उल्लेख प्रात: किया गया है। इसलिए, मैं इसे दोहरा नहीं रहा हूं। परन्तु केवल आज ही, वह भी प्रात: काल में हमें नया विधेयक प्राप्त हुआ है और हमें संशोधनों के लिए अपराह्न 2 बजे तक का समय दिया गया है, परन्तु इसी बीच, मैंने यथासंभव पूर्व में पुर:स्थापित विधेयक के आधार पर ही अपने संशोधनों को प्रस्तुत कर दिया है। खण्डों को व्यवस्थित करने और कुछ ऐसी ही गंभीर समस्याएं इसमें विद्यमान हैं। लोक सभा सचिवालय इस पर गौर कर रहा है संशोधन अभी आने हैं।

परन्तु मेरा संशोधन क्या है? मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि इस विधेयक पर अन्य सदस्यों को भी बोलना है। मुझे अपने संशोधनों को प्रस्तुत करने के समय भी बोलने की अनुमति दी जाए। यह आपके विचारार्थ है, परन्तु उसके पहले, मैं अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त करने के असफल प्रयास के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। जहां किसी आवेदक के व्यक्तिगत गुणों का निर्धारण नियंत्रक द्वारा पेटेंट किए गए आविष्कार के उपयोग के लिए किया गया है और यह कि संभावित उपयोगकर्त्ता ने उचित व्यावसायिक नियम एवं शर्तों पर पेटेंट के उपयोग के पेटेंट कराने वाले से अधिकार प्राप्त करने हेतु प्रयास किए हैं, और उक्त प्रयास उपयुक्त समयावधि के अन्दर सफल नहीं रहे हैं तो सरकार क्या करे?

यदि कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी किसी उत्पाद पर आधिपत्य जमाए बैठी है, और किसी विशेष स्थिति में हमारे देश की जनता को उक्त विशिष्ट औषधि की आवश्यकता है, तो सरकार क्या करे? मेरा सुझाव यह है कि नियंत्रक पेटेंट को प्रमाणीकृत किए जाने के बाद से तीन वर्ष बीतने के बाद किसी भी समय संभावित उपयोगकर्त्ता को ऐसे नियमों एवं शर्तों पर जिसे वह उचित समझता हो, अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करेगा। यह नियंत्रक का अधिकार है। मेरे द्वारा प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से उन्हें यह शक्ति दी जानी चाहिए। जहां तक उपयुक्त अवधि का संबंध है, मैंने बस दिनों की संख्या और ये सब बातें बताई थी, परन्तु मैं इसका उल्लेख नहीं करने जा रहा।

अब, मैं जन स्वास्थ्य से संबंधित किसी उत्पाद के संबंध में अनिवार्य लाइसेंस जारी करने के नियंत्रक के अधिकार की बात करता हूं। मैं धारा 92 के पश्चात कुछ नया जोड़ना चाहता हूं। इसके अनुसार:

> "पेटेन्ट के मुद्रांकन किए जाने के पश्चात् किसी भी समय नियंत्रक को सरकार द्वारा जनहित में राजपत्र में अधिसूचित किए गए अनुसार, सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी पेटेन्ट युक्त उत्पाद पर उन निबंधन और बातों के अधीन जो वह उचित समझे, अनिवार्य लाइसेंस/लाइसेंसों को जारी करने का अधिकार होगा।"

[श्री रूपचन्द पाल]

मैंने रायल्टी के बारे में भी उल्लेख किया है कि हमें कितने का भुगतान करना चाहिए। उपयुक्त नियम एवं शर्तें या तो एकमुश्त क्षतिपूर्ति के रूप में हों अथवा रायल्टी हो? यहां मैंने विगत वर्षों के अनुभव के आधार पर, वैश्विक अनुभव के आधार पर सीमा निर्धारित की है, जो कि पेटेंट की शेष अवधि के लिए पेटेंट कराने वालों को देय निवल कारखाना बाह्य वार्षिक बिक्री के चार प्रतिशत से अधिक नहीं है।

महोदय, पेटेंट के प्रति मेरी दूसरी आपत्ति जीव-अवस्था के पेटेंटीकरण के बारे में है। मेरे विचार से सूक्ष्म-जीव से संबंधित मुद्दा। जैसा कि कहा गया है, एक नैतिक मुद्दा है। जीव-अवस्था की परिभाषा क्या है? 'जहां जीवनहीनता का अंत होता है, और जीवन का उद्भव होता है यही इसकी परिभाषा है। ये सभी मुद्दे, आनुवंशिकी जीव-विज्ञान, जैव विज्ञान की नवीन शाखाओं के नवीन क्षेत्रों से संबंधित हैं, और मैं इनका उल्लेख नहीं करने जा रहा। परन्तु क्लोनिंग की संकल्पना के पश्चात न केवल पौध बीजों एवं ये सारी चीजें, बल्कि मानव क्लोनिंग भी, ऐसी सूचनाएं मिली हैं कि गुप्त रूप से ऐसी मानव क्लोनिंग कुछ प्रयोगशालाओं में की गई है—मैं यह अपील करता रहा हूं कि किसी जीव अवस्था का किसी भी रूप में पेटेंटीकरण इस तरीके से किया जाये कि इससे किसी पौधे, प्रजाति, पशु, जाति के हितों के विरुद्ध क्लोनिंग के दुरुपयोग की कोई संभावना न देता हो, जिनसे अंततः पर्यावरणीय असंतुलन पैदा होता है।

मैंने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में भी चिंताएं हैं। अतएव, मैं खण्ड 157 के पश्चात एक संशोधन का सुझाव दूंगा। स्वास्थ्य सुरक्षा सुरक्षा का ही एक भाग है, और दोहा घोषणा-पत्र में आंशिक रूप से इसका ध्यान रखा गया है। जैवीय सुरक्षा एक अलग सुरक्षा है, और फिर आर्थिक एवं भूभागीय सुरक्षा की बात आती है। मैं सूक्ष्म जीव से संबंधित एक उदाहरण दूंगा।

अपराह्न 3.00 बजे

समिति के समक्ष विश्व स्तर के एक बड़े ही प्रतिष्ठित विशेषज्ञ साक्ष्य के लिए आए। मैं नहीं जानता कि उनको उद्धृत किया जाना उचित होगा, यद्यपि समिति का प्रतिवेदन सौंपा जा चुका है। महासागर के अंतर्गत हमारे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में ढेर सारे तत्व, पौधे एवं जड़ी-बूटियां मौजूद हैं। यदि महासागर के अन्दर पाए गए सूक्ष्म-जीवों से जुड़ी मृदा निकाली जाती है अथवा इसके उपादानों को एक दूसरे से पृथक किया जाता है—जैसाकि हल्दी, करेला एवं नीम के मामले में किया गया है—और इसका पटेंट कराने का प्रयास किया जाता है तो हमारे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के पारिस्थितिकीय संतुलन, संपदाओं का संरक्षण किए जाने की आवश्यकता है। हमारे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव हमारी भविष्य की संपदा हैं और जैसा कि कुछ वैज्ञानिकों द्वारा संकेत दिया गया है, ये रोगों के उपचार में सहायक हो सकते हैं। इसलिए, मेरी अपील है कि जब हम सुरक्षा की बात करें, तो यह भू-भागीय अथवा जैवीय सुरक्षा की ही बात नहीं है, बल्कि सभी मामलों में सुरक्षा की बात है। हमारा देश जैव-विविधता में सम्पन्न है। जैव-विविधता में सम्पन्न होने में ही हमारी शक्ति निहित है। परन्तु राज्यसभा द्वारा यथा पारित विधेयक में अभी भी सुधार करने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता होगी यदि इस विधेयक के सभी प्रावधानों पर पूर्ण सहमति हो। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि इस विधेयक में कुछ अस्पष्ट क्षेत्र हैं। फ्रांस, अर्जेन्टीना, ब्राजील एवं अन्य लोगों ने स्वतंत्र रूप से अपना मत रखा है। परन्तु हमारे देश के मामले में, यह किसी व्यक्ति विशेष पर आरोप नहीं है, जब हमें थोड़ा झुकने के लिए कहा गया था तब हमने रेंगना शुरू कर दिया। विश्व व्यापार संगठन और ट्रिप्स (टी आर ई पी एस) के मामले में यही हुआ है। परन्तु अभी भी मेरा विचार यह है कि कुछ सुधार किया गया है और कुछ चिंताओं का समाधान किया गया है परन्तु दोहा सम्मेलन के बाद स्थिति में निश्चित रूप से सुधार नहीं आया है बल्कि यह और भी जटिल हो गई है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी हमारी चिंताओं पर गौर करेंगे और हमारी भावनाओं को राज्यमंडली में प्रसारित करेंगे।

महोदय, तीसरा संशोधन वर्ष 2004 में होने की संभावना है और मेरे पास अणुओं का पेटेंट करने का विषय है। यह अणुओं का उपयोग कर खुराक में वृद्धि करने और खुराकों में संशोधन करने के बारे में है। अणुओं की खुराकों के संयोजन का उपयोग एच आई वी एड्स के उपचार के लिये किया जा सकता है और अणुओं की खुराकों के लिए विभिन्न संयोजन का उपयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जा सकता है। इसलिए, अणुओं के पेटेंटीकरण के मामले में आविष्कार की संकल्पना को समुचित रूप से केन्द्र में रखा जाये, अन्यथा खुराकों में परिवर्तन से एक गंभीर स्थिति पैदा होगी। मैं इस चरण में इस संबंध में अपने संशोधनों के लिए दबाव नहीं दे रहा हूं परन्तु मैं माननीय मंत्री से अपनी इस इस चिंता का समाधान चाहूंगा जब वर्ष 2004 में अगले संशोधन होंगे।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करने से पहले मैं माननीय मंत्री को उनके साहसिक प्रयासों एवं दोहा सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के बावजूद अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के परिणामों के लिए धन्यवाद देता हूं।

जैसाकि माननीय मंत्री जी ने सही कहा है कि इस विधेयक पर गहन विचार-विमर्श किया गया है। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा इसे पारित किये जाने के बाद भी वह प्रत्येक चरण में सदस्यों के

साथ विचार-विमर्श करते रहे हैं। यह दर्शाता है कि वे यह सुनिश्चित करने के रवैये में वह कितने उदार हैं कि एक समुचित संशोधन विधेयक सामने रखा जाये ताकि इस देश और इस देश की जनता को किसी भी अवस्था में संकट न डाला जाए।

श्री रूपचन्द पाल, अपने प्रशिक्षणों एवं विचारों से हमेशा ही जीवन के निराशा पहलुओं को ही देखते हैं। आज उन्होंने ज्यादा अंधेरा नहीं देखा था, उन्होंने केवल अस्पष्ट मुद्दों को देखा। कभी वह आधा भरा गिलास देखते हैं और कभी बेकार की बात करते हैं। उनका अंतिम वाक्य बहुत अच्छा था।

मेरे जैसे आम आदमी के लिए पेटेंट समाज और आविष्कारक के बीच एक अनुबंध है। चूंकि आविष्कारक को अपने आविष्कार का अधिकार अथवा फल मिलना होता है, उसे इसे बेचने, उपयोग करने अथवा किसी को नि:शुल्क दे देने का अधिकार होना चाहिए। बेचने, उपयोग करने, नि:शुल्क सहायता करने, अथवा इसे किसी विशेष प्रयोजन से देने पर भी थोड़ा नियंत्रण करने की आवश्यकता होती है। जब थोड़ा-बहुत नियंत्रण होता है, तब इस पर केवल एक देश में विचार नहीं होता बल्कि अन्य देशों में भी होता है।

विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत किए गए ट्रिप्स (टी आर आई पी एस) समझौते में बौद्धिक संपदा अधिकारों के सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। हमने ट्रेड मार्क्स अधिनियम, डिजाईन अधिनियम, द प्लांट वेराइटीज प्रोटेक्शन एक्ट और कापी राईट अधिनियम बनाये हैं। यह अंतिम था। गत दो वर्षों में यह भ्रूणावस्था में ही था। अब यह परिपक्व हो गया है।

श्री रूपचन्द पाल ने ऐसा कहा था और मैं भी आंशिक रूप से इससे सहमत हूं, कि जब हम पेटेंट अधिनियम के विषय में सोचते हैं तो इसे अनन्य संशोधन नहीं होना चाहिए। जब हम प्रक्रिया का क्रियान्वयन शुरू करेंगे तब हमें अपने आपको परिस्थितियों के अनुरूप ढालना होगा, किसी भी समय अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकतायें पैदा हो सकती हैं; और नए संशोधनों की आवश्यकता पड़ सकती है।

यह रुचिकर विषय है कि 20वीं शताब्दी में अव्यवहार्य वस्तुएं भी व्यवहार्य पदार्थों की तरह खरीदी और बेची जा रही हैं। ट्रिप्स समझौते में हम व्यवहार्य से अव्यवहार्य की ओर बढ़े हैं। एक बार जब हम व्यवहार्य से अव्यवहार्य की ओर बढ़ते हैं तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, हमें कतिपय पद्धति बनानी पड़ती है। जब हम पद्धति बनाते हैं तो हमें उन्हें परिभाषित करना पड़ता है। हमें अव्यवहार्य वस्तुओं की ओर उन व्यक्तियों को जो इन चीजों की व्याख्या करेंगे, उनको परिभाषित करना होगा। यह विधेयक इससे शुरू होता है।

सबसे पहले, हमने धारा 2 में दी गयी परिभाषा में संशोधन से शुरुआत की है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें काफी समय लगेगा। जब हम परिभाषा की बात करते हैं तो हमें सोचना है कि पेटेंट क्या है, पेटेंट कैसे कराएं। इसके अनुसार, इसे नया होना चाहिए, इसमें आविष्कारी कदम होना चाहिए, इसको औद्योगिक उपयोगक्षम होना चाहिए और इसे अप्रच्छन्न होना चाहिए। इन चीजों को ध्यान में रखकर परिभाषाओं में उचित प्रकार से संशोधन किया गया है। जब परिभाषाओं में संशोधन किया गया है तो पद्धति में भी संशोधन करना आवश्यक है। यदि धारा 3 में किया गया है जहां यह उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार की वस्तुओं का पेटेंट नहीं कराया जा सकता।

श्री रूपचन्द पाल मालिक्यूल्स और अन्य वस्तुओं के विषय में सोच रहे थे। एक परिभाषा दी गयी है। संशोधन उन वस्तुओं को दर्शाते हैं जिनका पेटेंट नहीं कराया जा सकता। जब हम पेटेंट कराने वाले के विषय में सोचते हैं तो इसकी चर्चा हमें धारा 48 में ले जाती है।

जैसाकि, मैंने कहा है कि मैं इन धाराओं के विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा।

जब हम पेटेंट कराने वाले के अधिकारों के विषय में सोचते हैं तो अगली बात जो आती है वह लाइसेंस की है। वे अनिवार्य लाइसेंसिंग के विषय में बात कर रहे थे। धारा 84, 85, 87 इत्यादि उसमें हैं। हमें धारा 84 को अलग से नहीं देखना चाहिए। हमें धारा 84 और 85 को धारा 87 और 88 के साथ देखना चाहिए। जब हम अनिवार्य लाइसेंसिंग और पेटेन्ट्स नियंत्रक की शक्तियों के विषय में सोचते हैं तो हमें धारा 87 और 88 को ध्यान में रखना होगा।

अत्यन्त स्पष्ट रूप से, इन सभी तथ्यों को संशोधन वाले प्रावधानों में दिखाया गया है जिससे किस प्रकार की अनिवार्य लाइसेंसिंग होनी चाहिए, किस प्रकार की बाध्यता होनी चाहिए और पेटेंट कराने वाले के क्या अधिकार होने चाहि, इस विषय में कोई अस्पष्टता नहीं रहे।

अब, यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है। ट्रिप्स समझौते को ध्यान में रखकर हम इन प्रावधानों में संशोधन करते रहे हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि दुनिया इतनी छोटी हो रही है कि हमें विभिन्न देशों की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा।

महोदय, आप पायेंगे कि पेटेंट संबंधी अनुच्छेद 27 के अंतर्गत बड़ी संख्या में देशों ने ट्रिप्स पर हस्ताक्षर किए हैं। अनुच्छेद 31

[श्री अनादि साहू]

में संबद्ध देश की सरकारों को काफी सहूलियतें दी गई हैं जिससे कि उन्हें उनके देशवासियों को कोई असुविधा न हो और उन्हें उनके आगे शर्मिंदा व महसूस होना पड़े। मैं पुन: इसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। भारत सहित बड़ी संख्या में देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अत: हमें इस बात पर किसी प्रकार की शंका नहीं होनी चाहिए कि हमें बाद में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि सभी तथ्यों पर विचार किया गया है।

क्योंकि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय समझौते का प्रश्न है, इसलिए धारा 133 के अंतर्गत प्रावधानों की उचित व्याख्या की गयी है और व्याख्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। धारा 133 के अंतर्गत इस संशोधनात्मक प्रावधान में यथा संशोधित व्याख्या इस प्रकार है: 'इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए ''देश'' में देशों का समूह या संघ अथवा अन्तर-शासनात्मक संगठन सम्मिलित है। अंतिम कुछ शब्द अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, यथा, 'अन्तर-शासनात्मक संगठन'। यह जरूरी नहीं हैं कि वह देश ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि हम अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए अन्य संगठनों के साथ भी समझौता कर सकते हैं। अत:, जब भी हम अन्य देश या एक अन्यत्र सरकारी संगठन के साथ समझौते के विषय में सोचेंगे तो हमें धारा 138 में दिए गए संशोधनकारी प्रावधानों के विषय में सोचना होगा। धारा 138(ग) में एक खण्ड भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रख कर अन्त:स्थापित किया गया है जिसके अनुसार:

> ''भारत को अभिहित करने वाली पेटेन्ट सहकारिता संधि के अधीन फाइल किए गए किसी अन्तर्राष्ट्रीय आवेदन का, यथास्थिति धारा 7, धारा 54 और धारा 135 के अधीन पेटेन्ट के लिए आवेदन फाइल किए जाने का प्रभाव होगा।...''

इन सभी तथ्यों पर ध्यान दिया गया है। जब हम अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के विषय में सोचते हैं तो हमें राष्ट्रीय हित के विषय में सोचना होता है और जब हम राष्ट्रीय हित के विषय में सोचते हैं तो हमें कमियों के विषय में भी सोचना होगा। हमें सोचना होगा कि पेटेंट विधेयक या पेटेंट फार्मूला से हमें क्या नुकसान होने वाला है।

सबसे पहले, दवाओं के विषय में, जिसका उल्लेख श्री रूपचन्द पाल ने भी किया था, हां, दवा और भेषज उद्योग को विकसित देशों द्वारा किये अनुसंधान और विकास के कारण कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमारे पास इन बातों के विस्तार में जाने के लिए पैसा या समय नहीं है। इससे हमें आरम्भिक अवस्था में समस्या हो सकती है। किन्तु हम इनसे बाद में उबर सकते हैं।

अपराह्न 3.14 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

मैं मंत्री महोदय से निश्चित रूप से अनुरोध करूंगा कि हम किस प्रकार दवा और भेषज संबंधी पहलू से निबटें या हमारे पास किस प्रकार की उपलब्धता होगी—इसके विषय में बताएं।

इसके बाद एवरग्रीनिंग प्रक्रिया है। पेटेंट में एवर ग्रीनिंग क्या है? पेटेंट का एक हिस्सा लेकर और विकसित देश या संस्थान कह सकते हैं: ''हमारे पास दूसरा नया पेटेंट है।'' वे अनन्त काल तक उसे जारी रखेंगे। अत: 20 वर्ष की अवधि के बजाए, जो उपलब्ध कराया गया है, हमारे लिए एवरग्रीनिंग समस्या खड़ी रहेगी। हमें इसके विरुद्ध सावधान रहना होगा। यह विधेयक एवरग्रीनिंग पहलू को उचित रूप से संबोधित नहीं करता है। अत: यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हम किस प्रकार एवरग्रीन पहलू का सामना कर सकते हैं।

इस, एवरग्रीनिंग पहलू के साथ एक बोलट शंका भी है। बोलट अमरीका के सीनेट सदस्य थे। उन्होंने किसी न किसी उपाय से 20 वर्ष के बाद भी पेटेंट जारी रखने का सुझाव दिया था। मैं नहीं जानता, हम किस प्रकार इस बोलट शंका से निपटेंगे।

जब हम विधेयक में आगे संशोधन करेंगे, जिसकी संभावना है तब इस पर विचार किया जाना चाहिए। एक बार इसे क्रियान्वित किया जाना चाहिए। एक बार इसे क्रियान्वित किया जाएगा तो स्वभावत: कई चीजें सामने आयेंगी।

राष्ट्रीय हित अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसके लिए विधेयक में एक प्रावधान है। इसके साथ ही, हमारे पास यह भी होना चाहिए—जब हम राष्ट्रीय हित के विषय में सोचते हैं तो हमें यह भी दिमाग में रखना होगा। बल्कि हमें इसकी व्याख्या मूल अधिनियम के धारा 36 के अंतर्गत नियमों और धारा 157क, धारा 36 के अंतर्गत करनी होगी जिसमें अब संशोधन किया जा रहा है या जिसे प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इसके अनुसार, ''इस प्रश्न पर कि क्या कोई आविष्कार, जिसकी बावत धारा 35 के अधीन निर्देश दिया गया है, रक्षा प्रयोजनों के लिए सुसंगत बना हुआ है, केन्द्रीय सरकार द्वारा पुन: विचार किया जायेगा।''

हमने केन्द्र सरकार को अधिकार दिए हैं। यह अत्यन्त आवश्यक है। प्रत्येक चरण पर राष्ट्रीय हित सर्वाधिक महत्व का विषय है। इसीलिए, प्रत्येक चरण में, केन्द्र सरकार को अधिकार दिया जाना चाहिए। ये विधेयक में दिए गए हैं।

मैं सावधान करना चाहूंगा। ऐसा हो सकता है कि हम विकसित देशों के जाल से निकल नहीं पाएं यद्यपि हमारे मंत्री महोदय

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारे मामले को दृढ़तापूर्वक रख रहे हैं। हमें यहां सावधान रहना होगा।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं हेनली की प्रसिद्ध कविता, 'द इन्विक्टिक्स' से उल्लेख करूंगा। इसके अनुसार,

इन द फुल क्लच ऑफ एर्कमटान्स,
आइ हैवन्ट विन्सड नॉर क्राइड अलाउड।
अंडर द ब्लजेवनिंग्स ऑफ चान्स
माई हेड इज ब्लडी, बट अनबोर्ड।''

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन मैं ऐसा भारी मन से कर रहा हूं क्योंकि 32 वर्ष पहले जब इस सभा द्वारा 1970 में पेटेन्ट विधेयक पारित किया गया था तो मैं श्री मुरासोली मारन के पूर्ववर्ती स्वर्गीय श्री दिनेश सिंह के निजी सचिव की हैसियत से सभा में सरकारी अधिकारियों के बैठने के स्थान पर मौजूद था। इसके अलावा इस अवसर पर सभा के सरकारी अधिकारियों के बैठने के स्थान पर उपस्थित होना भी उस विधेयक के निर्माण के वक्त सभा में उपस्थित होना था जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1970 में पारित कराकर के तीन से भी अधिक दशकों तक इस देश की सेवा की और भारतीयों को दुनिया भर के विकासशील देशों के समक्ष एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जिसका दुनिया के विकासशील देश अनुकरण करेंगे और इसी विधान के जरिए हमें दुनिया के इतिहास में पहले शायद ही कभी जाने वाली कुशल जन स्वास्थ्य प्रणाली प्रदान हुई है जिसके जरिए हमने इस देश के लोगों को औषधियां, भेषज अथवा दवाएं उपलब्ध कराई हैं।

अत: यह उपयुक्त तो नहीं है लेकिन बड़े अनमने ढंग से हमारे समक्ष रखे गए पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक जो दूसरा संशोधन विधेयक है पर कोई तो सहमत हो ही सकता है। ऐसा कहते हुए मुझे यह बात तो माननी पड़ेगी कि माननीय मंत्री जी जब यह कह रहे थे तो उनकी बात बिल्कुल सही थी कि जिस संयुक्त समिति ने मौलिक विधेयक का अध्ययन किया था, उसने कड़ी मेहनत की थी और 1970 की व्यवस्था में हमने जो किया था उससे हमें बचाने के लिए इसने बड़ा प्रयास किया था यद्यपि दुनिया आगे बढ़ गई है। हमें ''ट्रिप्स'' संगतता नामक जो चीज हमारे सामने है, से प्रतिस्पर्धा करनी होगी।

ऐसा करते हुए हमने पूरे अध्याय-16 का पुन: लेखन किया। अध्याय-16 को लिखते हुए मैं नहीं समझता हूं कि संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य, उन असाधारण रूप से सक्षम अधिकारियों पर भारी पड़ते जिनको श्री मारन इस समिति में हमारा विरोध करने के लिए लाये थे।

हमें जो सफलता मिली उसका कारण यह था कि स्वास्थ्य मंत्रालय में बैठे अधिकारीगण समान रूप से सक्षम अधिकारी थे जिन्होंने अपनी सरकार और मंत्री श्री मारन को आगाह कर दिया था कि वे जिस रास्ते पर जा रहे हैं वह रास्ता तब तक भारत के जन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक रहेगा जब तक कि इसका विस्तृत रूप से पुनरीक्षण नहीं किया जाता। मैं जिस बात पर बल देना चाहता हूं वह यह है कि अध्याय-16 का दोहा से पहले विस्तृत रूप से पुनरीक्षण कर लिया गया था। इसे दोहा के परिणामस्वरूप पूरा नहीं किया गया था।

जे पी सी की अब तक की आंतरिक कहानी यही थी लेकिन अब जे पी सी की रिपोर्ट हमारे सामने है और मुझे इस सच्चाई को उजागर करने में कोई संकोच नहीं है। आज सुबह के अखबार में यह सशक्त रूप से दावा किया गया है कि अध्याय-16 को दोहा के परिणामस्वरूप पुन: तैयार किया गया था जबकि वास्तव में इस पूरे अध्याय को हमारे सामने तैयार किया गया था। वास्तव में जब हम दोहा के बाद जे पी सी के सामने आए और हमने यह पूछा कि हमारे द्वारा पहले किये कार्यों के विस्तृत सुधार के संबंध में दोहा के दौरे से हमें किस प्रकार सहायता मिली तो हमें अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि दोहा हमारे सुविधा के स्तर को बढ़ा सकता है लेकिन यह लिखे हुए में एक शब्द भी परिवर्तित नहीं कर सकता और यह वास्तव में कुछ दिनों पहले मंत्री के कक्ष में हुई बैठक के परिणामस्वरूप हुआ था और हम इसमें छ: शब्द डाल सकते थे जिनसे हमारा स्तर और बढ़ जाता।

मैं यह सब इसलिए कह रहा हूं कि मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि इसे सभा के कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाए ताकि जब न्यायालयों में इस मुद्दे संबंधी विधि सम्मत विषयों पर निर्धारण हो तो यह न्यायालयों को उपलब्ध कराया जा सके। यह हमारी इच्छा अथवा अभिलाषा नहीं है कि हम 1970 के अधिनियम में संशोधन करें। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के परिणामस्वरूप करना पड़ रहा है और ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कतिपय उन व्यावसायिक हित साधकों द्वारा थोपे गये हैं जिनका कतिपय भारतीय कम्पनियों की तुलना में कहीं ज्यादा लाभ है और जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलने की संभावना है।

यह तो मैं मानता हूं कि मैं मंत्री के प्रारंभिक वक्तव्य को सुनकर थोड़ा सा विचलित हुआ क्योंकि वे औषध और भेषज क्षेत्र में उन भारतीय कम्पनियों के हितों की जोर-शोर से चर्चा कर रहे थे जिन्होंने विश्व के औषध और भेषज क्षेत्र के साथ नई उपलब्धियों

[श्री मणिशंकर अय्यर]

में प्रतिस्पर्धी बनने के लिए अपने पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के साथ-साथ घरेलू प्रौद्योगिकी के संबंध में लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। लेकिन हमारे अधिकांश औषध और भेषज उत्पादक वे हैं जिन्होंने पश्च प्रविधि (रिवर्स इंजीनियरिंग) के लाभ उठाए हैं। महोदय, मेरा कहना है कि पश्च प्रविधि (रिवर्स इंजीनियरिंग) अपने आप में कलंकित करने का मामला नहीं है क्योंकि यदि यह ऐसा साधारण सा मामला होता तो इसे विश्व का प्रत्येक देश अपना लेता। यह भारत की बुद्धिमता है कि हमारे पास उत्पाद लेने, पुन: कार्य करने, उस प्रौद्योगिकी का पता लगाने जिसके द्वारा यह बनी हुई है, की क्षमता है तो फिर यह हम अपने उन उत्पादकों को बता सकते हैं जो हमारी लघु इकाइयों में सैकड़ों की तादाद में हैं, वे फिर विभिन्न रूपों में उसी प्रौद्योगिकी को प्रयुक्त करके वही औषध बनाएंगे जिसकी पश्च इंजीनियरिंग की प्रक्रिया के जरिए पता लगा था। इसलिए पश्च प्रविधि (रिवर्स इंजीनियरिंग) हेतु भारतीय बुद्धिमता को नई इंजीनियरिंग के लिए भारतीय मेधाओं द्वारा निष्प्रभ नहीं किया जाना चाहिए। दोनों की संभावनाएं हैं।

हमें अपनी प्रौद्योगिकी को आगे ले जाने की प्रक्रिया में अग्रणी बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेटेन्ट प्रणाली का लाभ उठाने की आवश्यकता है लेकिन इसके साथ ही हमें इस बात को भी जानने की आवश्यकता है कि हमारी मृत्यु दर इतनी कम हो जाये जितनी कि यह 1970 और 2002 के बीच रही है, यदि 1970 और 2002 के बीच इस देश में महामारियां नहीं आई और अनेक बीमारियां नहीं फैली हैं और गम्भीर बीमारियां कम हुई हैं तो यह सब 1970 के पेटेन्ट अधिनियम के कारण हुआ है। यदि हम भरसक कोशिश नहीं करते हैं तो यह खतरा है कि एच आई वी एड्स अथवा कुछ अन्य स्थानिक बीमारी के संदर्भ में हम भारत में अपने आपको उसी स्थिति में पाएंगे जिस स्थिति में दक्षिण अफ्रीका ने अपने आपको पाया था और वह भी बहुत पहले नहीं।

मैं यह भी समझता हूं कि हमारे लिए बात को याद रखना भी आवश्यक है जिसके बारे में हमें श्री रूपचन्द पाल ने बताया है कि विकसित देश पूरी तरह बेधड़क होते हैं जो भी जब भी उचित लगता है अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को एक तरफ रख देते हैं और ऐसा करने में वे जरा भी नहीं झिझकते हैं।

जब आतंकवाद की इस बीमारी ने 11 सितम्बर, 2001 को एकाएक अमरीका को आ घेरा तो वह "ट्रिप्स" को बिल्कुल भूल गया उसने इसे एक तरफ फेंक दिया और कहा आइये अपने आपको बचाने के लिए जिस सब की जरूरत है, वे पायें चाहे वह हमें पश्च प्रविधि (रिवर्स इंजीनियरिंग) वाले देश भारत से ही क्यों न मिलता हो।

आइये हम यह न भूलें कि यदि व्यावसायिक हित जो "ट्रिप्स" के उद्देश्य रहे हैं इसी तरह बढ़ते रहे जिस तरह से ये कई महीनों से बढ़ रहे थे तो दक्षिण अफ्रीका में एड्स को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। दक्षिण अफ्रीका का एड्स का संक्रमण पूरे महाद्वीप में फैल गया होता और हमारे इस समेकित भूमंडलीकृत संसार से यह बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से हमारे देश में अब तक पहुंच गया होता। तो आइये हम "ट्रिप्स" की बाध्यताओं को उसी रचनात्मक विश्वास के साथ मानें जिसके साथ विकसित देश मानते हैं। हमें जो जानना है वह यह है कि "ट्रिप्स" बाध्यताएं उपायों के एक पैकेज के रूप में हमारे सामने आयें। इस संबंध में जो कुछ हमने सोचा वह राष्ट्रीय हित में था लेकिन जब तक हम अपनी आंखें और कान खुला नहीं रखेंगे तब तक इसकी विशिष्टता का भारत पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। वहां सबसे बड़ी बात यह है कि जो शब्द हमने श्री मुरासोली मारन से 7 नवम्बर, 2001 तक सुने वह अचानक 14 नवम्बर, 2001 को बदल गये। वे हमारे लिए लड़े और जिस तरह वे लड़े उसकी मैं प्रशंसा करता हूं, मैं यह कह रहा हूं कि 14 नवम्बर 2001 की जो भ्रांतियां थीं उसके लिए हम चाहेंगे कि वे अनवरत रूप से विश्व व्यापार संगठन में "ट्रिप्स" में हमारे लिए यूं ही लड़ते रहें। हम ऐसा तभी कर सकते हैं बशर्ते कि हम 14 नवम्बर, 2001 को दोहा में हमारी स्थिति के महत्व को ध्यान में रखे न कि दोहा में हमारी बचाव की स्थिति को। श्री साहू ने ऐसा करने का प्रयास किया लेकिन भारत के मौलिक हितों की वापसी तो श्री मारन के दोहा में दिए गए आरंभिक वक्तव्य से ही हुई। विशेषकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मंत्री महोदय ने सभा में क्या कहा वह कार्यवाही-वृत्तांत का अत्यन्त महत्वपूर्ण भाग है और जब उच्चतम न्यायालय इस अधिनियम की व्याख्या करेगा तो मंत्री जी द्वारा सभा ने कही गई बातों का महत्व होगा और इस सभा में पीछे बैठने वाले कुछ लोगों की दबी आवाज का भी उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने में महत्व होगा कि जब इस सभा ने अधिनियम पारित किया तो सचमुच में इसका यही मकसद था।

मैं कुछ मुद्दों पर विशेष रूप से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं तथा उनके माध्यम से उन मुद्दों पर सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिनके बारे में सभा में पहले ही चर्चा हो चुकी है। प्रथमत: खंड 4 और खंड 5 के स्पष्टीकरण के संबंध में जहां जैव-प्रौद्योगिकीय और सूक्ष्मजीवी को शामिल करने के लिए रासायनिक प्रक्रियाओं को परिभाषित किया गया है और मैं उन्हें इस सभा में पुन: जोर देकर कहना चाहूंगा कि जब हम खंड 5 में रासायनिक प्रक्रियाओं की बात करते हैं तो हम वैसी प्रक्रियाओं को शामिल कर रहे हैं जो सामान्यत: रासायनिक कहलाती हैं। क्योंकि वे जैव-रासायनिक अथवा जैव-प्रौद्योगिकीय अथवा सूक्ष्मजीवी हैं। यह मामला न्यायालय में जायेगा

तो मैं समझता हूं कि उनके जोर देने से विधि शास्त्र की सही परिभाषा समझने में इससे सहायता मिलेगी।

महोदय, इस तरह इस संबंध में श्री रूपचन्द पाल द्वारा उठाई गई बातों पर मैं जोर देकर कहना चाहूंगा कि सम्पूर्ण आनुवंशिकीय प्रौद्योगिकी क्रम विकास के ऐसे शुरुआती दौर में है जो हम सभी को 19वीं शताब्दी की मैरी शैली के फ्रैंकेनस्टीन नामक उपन्यास को पढ़ने की सलाह देती है। उस समय अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से मैरी शैली उस वैज्ञानिक को भी देख सकती थी जो दैत्य पैदा कर देता और उस पर कोई नियंत्रण नहीं था।

यही बातें आनुवंशिकी प्रौद्योगिकी के साथ हो सकती है।

आज हम बी टी कॉटन के ऊपर विवाद को देख रहे हैं जहां एक और तुरंत मिलने वाला आर्थिक लाभ इतना हर्षित करने वाला है कि हम बी टी कॉटन का सौदा करना चाहते हैं जबकि इसी समय विश्व के किसी कोने से प्रौद्योगिकी संबंधी मिल रहा विवेकपूर्ण परामर्श यह चेतावनी देता है कि यह अल्पकालिक लाभ दीर्घकालिक गम्भीर पर्यावरणीय नुकसान की कीमत पर होगा। अत: मुझे यह विश्वास है यह श्री मुरासोली मारन और उनके उत्तराधिकारियों का कर्तव्य है क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि यह सरकार कितने दिन चलेगी और पेटेन्ट के प्रभारी मंत्री सामान्यत: विश्व व्यापार संगठन की 'ट्रिप्स' परिषद में यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत ही आक्रामक होंगे कि आनुवंशिकी प्रौद्योगिकी को मात्र लाभ के उद्देश्य से नहीं देखे और जैसे-जैसे 'ट्रिप्स' व्यवस्था में आगे बढ़ेगी और शायद आनुवंशिकी प्रौद्योगिकी और इसके प्रभावों का आकलन होगा तो हमें दूसरे सामाजिक महत्वों, इसके विकास परिणामों, इसके पर्यावरणीय नुकसानों पर पूर्णत: विचार करना पड़ेगा।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे स्वदेशी ज्ञान से संबंधित खंड 18 और 31 की शब्द रचना के महत्व पर अपनी समापन टिप्पणी में विशेष बल दें। हमें पता है कि विकसित देशों में प्राइवेट उद्यमियों द्वारा भारत जैसे देशों की परम्परागत ज्ञान पर कब्जा करने का पूर्णत: गलत प्रयास किया गया है और वे इसे किसी प्रकार के घटक के रूप में तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिस पर कि वे प्रभावी रूप से अपना पेटेंट अधिकार जमा कर सकते हैं। उन्होंने हल्दी के संबंध में ऐसा प्रयास किया और यहां तक कि बासमंती चावल के संबंध में भी ऐसा ही प्रयास किया। सौभाग्य से अभी तक कोई प्रतिकूल बात नहीं हुई है। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि मंत्री महोदय खंड 18 और 31 के हमारे प्रावधानों पर बल दें ताकि भविष्य के कानूनों में इस महत्व के बारे में कोई संदेह न रहे जो हम अपने स्वदेशी ज्ञान, परम्परागत ज्ञान को पेटेंट न किये जाने को देते हैं और जैसे टिप्स प्रणाली विकसित हो रही है, इस तरह के परम्परागत ज्ञान के लिये भविष्य में और अधिक सुरक्षोपाय अंतर्निहित रहेंगे।

खंड 63 जो रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, के संबंध में मुझे नहीं लगता कि मैं कोई गोपनीयता प्रकट कर रहा हूं यदि मैं कहूं कि समिति में हमें बताया जाता है कि रक्षा मंत्रालय ने इस तरह की भाषा को मंजूरी दे दी है और इस प्रकार इस भाषा को अपनाकर आगे बढ़ने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अन्य संस्थाओं विशेषकर रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़ी संस्थाओं को इस बारे में गंभीर आपत्ति थी कि क्या यह भाषा उपयुक्त है या नहीं। हम रक्षा मंत्रालय को उससे संबद्ध संस्थाओं के बारे में अपनी टिप्पणी करने की अनुमति देते हैं। लेकिन यह ऐसा मामला है, जिस पर लगातार हमें अपना ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है, विशेषकर इसलिए क्योंकि खंड 63 में विशेषरूप से विखंडनीय सामग्री का उल्लेख किया गया है। हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में 'विखंडनीय सामग्री व्यवस्था' हम पर थोपने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। कम से कम जब हम अपनी विदेश नीति के साथ जब इसका संबंध था, तब हमने इसका विरोध किया। जहां तक वर्तमान सरकार की मजबूती का प्रश्न है, मुझे नहीं पता कि वे कब तक इसका विरोध कर पायेंगे। लेकिन यह आवश्यक है कि चूंकि 'विखंडनीय सामग्री' शब्द विशिष्ट रूप से खंड-63 में दर्शाया गया है, तो इसकी किसी भी मामले में इस प्रकार व्याख्या नहीं की जा सकती, जिससे कि विखंडनीय सामग्री के उत्पादन और इसके श्रेष्ठतम उपयोग के संबंध में हमारे अधिकार पर कोई प्रतिबंध लगे।

जहां तक अध्याय-16 का संबंध है, मैंने पहले ही इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि इसका अधिकांश भाग, वास्तव में संसदीय कार्य मंत्री के कक्ष में परिवर्तन किए गए अंशों को छोड़कर सब कुछ 'दोहा' के पूर्व लिखा गया था मैं इस पर बल देना चाहता हूं। इसलिए दोहा में ट्रिप्स दूसरा जनस्वास्थ्य उद्घोषणा में हमें दी गई अतिरिक्त छूट की भारतीय व्याख्या के संबंध में मंत्री महोदय का जो विचार, उसे मैं उनकी समापन टिप्पणियों में सुनकर जवाब दूंगा। इससे यह बात साबित होगी कि ट्रिप्स के जनस्वास्थ्य दस्तावेज के संबंध में यह भारत की सम्प्रभु व्याख्या है। जनस्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज जो इससे संबंधित जानकारी हमारी स्वदेशी कानून व्यवस्था को देता है और यदि विश्व में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, जो इस बात पर मंत्री महोदय श्री मारन को चुनौती देता है, तो मुझे विश्वास है कि हम जिनेवा में भी इस तर्क पर जमें रहेंगे।

लेकिन यहां मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक है कि अर्थशास्त्रियों या अन्य व्यक्तियों के वक्तव्यों का केवल उद्धरण देने के बजाय, जिसमें दोहा में जन स्वास्थ्य के संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धियों की प्रशंसा की गई है, हमें वास्तव में कई पृष्ठों के प्रश्नोत्तर के बजाय मंत्री महोदय से केवल यह उत्तर चाहिये कि हमने दोहा में क्या अतिरिक्त छूट हासिल की है।

[श्री मणिशंकर अय्यर]

विशेषतौर पर मैं मूल्यों के संबंध में ''रीजनेबली अफर्डेबल'' शब्द के बारे में उल्लेख करता हूं। इसका उल्लेख खंड-83 और 90 में किया गया है तो फिर हमारी समिति में ही इस पर काफी बहुस हुई और मैं यह भी मानता हूं कि जब इस तरह का कोई विशुद्ध शब्द अंग्रेजी भाषा में आता है तो मैं यह मानता हूं कि रीजनेबल अफर्डेबल शब्दों का व्याकरण के हिसाब से भी रीजनेबली अफर्डेबल शब्द की अपेक्षा काफी बड़ा अर्थ होता है। इसके पीछे क्या है? इसके अर्थ के पीछे जो है वह यह है कि ''ट्रिप्स'' यह कहता है कि मूल्य तर्कसंगत होने चाहिए और डब्ल्यू.एच.ओ. ने ये कहा है कि मूल्य वहनीय होने चाहिये और हमने अपने कानून में इस प्रकार का सामंजस्य बिठाया है हमें इसे रीजनेबली अफर्डेबल प्राइस के रूप में लिखना चाहिए। यदि अन्य सभी खंड इस समझौते में शामिल कर लिये जाते हैं तो कोई भी उच्चतम न्यायालय वास्तव में रीजनेबली अफर्डेबल शब्द की गैर-तार्किक ढंग से व्याख्या नहीं करता अथवा उन मूल्यों को हम पर नहीं थोपता जो वहनीय नहीं हैं।

लेकिन जब तक सरकार और सरकार के वकील इस मुद्दे पर अत्यंत सतर्क नहीं रहे और निर्धनतम भारतीय उपभोक्ता न कि सर्वाधिक धनी भारतीय उपभोक्ता की रक्षा के लिए उद्यत नहीं रहते, तब तक यह खतरा बना रहता है कि पूरा ध्यान रखने के बावजूद हमें व्याकरण के नियमों को विपरीत शब्द का अर्थ निकालना होगा और फिर हो सकता है कि हमें हानि उठानी पड़े। इसीलिए मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है कि मंत्री महोदय और उनके उत्तराधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उच्चतम न्यायालय में जाने वाला सार्वजनिक स्वास्थ्य का कोई भी मामला राष्ट्रीय हित के मामले के रूप में लिया जाये न कि स्थगन आदेश और कुछ समय पाने के लिए सरकारी वकील जिस तरह मामले निपटाते हैं उन्हें इस पर चौकन्ना रहने की जरूरत है। इस महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखते हुये मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस बारे में तुरन्त अध्ययन और शोध हो ताकि हम एक व्याख्या निकाय की स्थापना में सक्षम हो सकें, जो ''रीजनेबली अफर्डेबल प्राइसेस'' अभिव्यक्ति के संबंध में उच्चतम न्यायालय के माध्यम से न्यायशास्त्र संबंधी निकाय बन सके। राज्य सभा में हमारे दबाव पर जो संशोधन आप लाये हैं, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

मैं समझता हूं कि हमें यह तैयारी करने की आवश्यकता रहेगी कि हम बता सकें कि इस शब्दावली का अर्थ क्या है ताकि यदि कभी इस संबंध में उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाये, जैसाकि मुझे लगता है होगा ही, तो हम यह सुनिश्चित कर पायें कि न्याय विचार में हमारी व्याख्या इंगित हो, न कि किसी और की, जो कि इस पर अपनी व्याख्या देने की कोशिश करें।

इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरे विचार से चार चीजें किये जाने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम, मेरे विचार से यह जरूरी है कि माननीय मंत्री महोदय सभा में यह आश्वासन दें कि दोहा में ट्रिप्स सार्वजनिक स्वास्थ्य घोषणापत्र की जो भी उपलब्धि हो, वे विशेषकर सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र, ट्रिप्स परिषद और विश्व व्यापार संगठन में भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के लिए प्रयास करते रहेंगे-और यह करने हेतु उन्हें स्वास्थ्य मंत्री की सहायता की भी जरूरत चाहिये होगी। यह थोड़ी परेशानी की बात है कि हमें स्वास्थ्य मंत्रालय के मित्रों से गुप्त कानाफूसी सुनने की मिलती है। मेरे विचार से इस सरकार में अधिकांश मामलों में संबद्धता का अभाव है, लेकिन जब इस तरह के राष्ट्रीय हित का मामला आता है तो यह सुनिश्चित करने हेतु कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लाभ अधिकतम हो और नुकसान न्यूनतम हो, उद्योग मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को परस्पर समन्वय के साथ काम करना चाहिये।

दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि अन्य विकासशील देशों के साथ हमारे संबंधों में पहले वाली प्रगाढ़ता नहीं रही। एक समय हमारा 77 देशों का मजबूत ग्रुप था। लेकिन पिछले वर्षों में इस ग्रुप की प्रकृति में काफी बदलाव आया है ग्रुप 77 देशों के कई सदस्य सिंगापुर की तरह विकसित देश बन चुके हैं। उनके हित हमारे जैसे नहीं हो सकते। अत: हमें ग्रुप 77 पर पुनर्विचार करने की जरूरत है और मुझे लगता है कि माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं समान विचार वाले देशों को अनौपचारिक समूह की स्थापना की दिशा में प्रमुख कदम उठाया।

ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समान विचार वाले देश अधिकांश समय तक विकासशील रहेंगे। लेकिन कुछ विकसित देश भी होंगे आप लटके पक्षियों और स्वानों के बारे में जानते ही हैं—जैसे फ्रांस और ब्रिटेन कुछ मामलों में हमारे साथ आ जात हैं समान विचारधारा वाले देश ट्रिप्स प्रणाली में और सुधार हेतु प्रयास करेंगे मैं अपनी घरेलू प्रणाली की बात नहीं कर रहा हूं—जिससे हमारे स्वदेशी विधायन 1970 के विधेयक की तरह होंगे न कि वे 21वीं सदी के खतरों से निपटने में सक्षम होंगे। इस दिशा में तीसरी बात मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय कृपया 'लाइसेंस आफ राइट' के प्रश्न की पुनर्जांच करें। महोदय हमारी समिति में उनके अधिकारियों का इस बात पर अड़ियल रुख था कि वे 'लाइसेंस आफ राइट' अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते। जब हमने इस बात को उठाया कि यह अभिव्यक्ति प्राट्रिप्स ब्रिटेन के कानूनों में विद्यमान है, तो हमें बताया गया कि लाइसेंस आफ राइट' अभिव्यक्ति को इंग्लैण्ड में उसी तरह से प्रयोग किया जाता था जैसा कि भारत में 'कम्प्लसरी लाइसेंस' का प्रयोग किया जाता था। हमें कई ऐसे संदर्भ मिले हैं, जैसे कि माननीय श्री रूपचंद पाल ने बताया कि फ्रेंच शासन में दवाइयों के लिए 'लाइसेंसेस आफ राइट' की

अवधारणा कैसी होती थी। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से चाहूंगा, जिन्होंने उचित ही 'लाइसेंस आफ राइट' की ओर से दिमाग बंद कर दिया है, कि जब तक हम पेटेंट द्वितीयक (संशोधन) विधेयक पारित नहीं कर देते, तब तक हम पेटेंट तृतीय (संशोधन) विधेयक पर आने से पूर्व औषधियों और भेषजों की अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रणाली में 'लाइसेंस ऑफ राइट' कैसे लायें, यह देखें।

चौथी बात पेटेंट्स तृतीय (संशोधन) विधेयक की है। मुझे इस बात पर निराशा हुई कि अपने शुरुआती वक्तव्य में मंत्री महोदय ने यह आश्वासन नहीं दिया कि औषधियों और भेषजों हेतु उत्पाद पेटेंट लाते समय पेटेंट तृतीय (संशोधन) विधेयक लाया जायेगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि इस विधेयक में औषधियों और भेषजों हेतु लागू होने वाले सभी पेटेंट संबंधी उल्लेख प्रक्रिया पेटेंट के हैं, न कि उत्पाद पेटेंट के। श्री साहू की कुछ टिप्पणियों से लगता है कि इस विधेयक में औषधियों हेतु लागू होने वाले उत्पाद पेटेंट को लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है।

श्री अनादि साहू: मूल अधिनियम की धारा 53 में संशोधन से उत्पाद और प्रक्रिया पेटेंट के बीच कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर खंड (1) में ध्यान दिया गया है।

श्री मणिशंकर अय्यर: सभापति महोदय, मैं श्री साहू के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता। श्री साहू के साथ बयान करने का काम मैं श्री मारन पर छोड़ता हूं।

अब तक एक प्रमुख उपलब्धि यह रही है कि किसी विशेष क्षेत्र की दवा और भेषज का केवल प्रक्रियात्मक पेटेंट होता है। औषधियों और भेषजों हेतु उत्पाद प्रणाली पर हमें अभी तो नहीं, परन्तु 2005 तक आना होगा। उस चरण में हमारे लिए 'सदाबहार' रहने से जुड़ी समस्याओं, बोलर संशोधन से संबधित समस्याओं और औषधि निर्माण के क्षेत्र में आण्विक संरचना तथा विभिन्न रोगों हेतु विभिन्न खुराकों को तय करने संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

अत: मैं औषधि और भेषज क्षेत्र की इस आशंका की ओर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि वर्ष 2005 में एक प्रकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा औषधियों और भेषजों हेतु उत्पाद पेटेंट शुरू किया जायेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसा दुबारा नहीं होगा और हम सभी को संभवत: संयुक्त संसदीय समिति के माध्यम से औषधियों और भेषजों के उत्पाद पेटेन्ट की सावधानीपूर्वक जांच करने का अवसर मिलेगा और इसके लिए वह भी उतना ही समय लेगी जितना इसने लिया है, मंत्री जी हमें यह आश्वासन दे रहे हैं कि औषधि और भेषज के उत्पाद पेटेन्ट के संबंध में जिस तिथि को ट्रिप्स व्यवस्था हमारे लिए लागू हो जाएगी, उस तिथि को अथवा उससे पहले वह अथवा उनके उत्तराधिकारी इस सभा में पेटेन्ट तृतीय (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

श्री मुरासोली मारन: इसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। संभवत: मैंने ऐसा कहा है। ...*(व्यवधान)* मैं इसका जवाब दूंगा।

श्री मणिशंकर अय्यर: हो सकता है कि मैंने गलत सुना हो। जो कुछ मैंने सुना, उसमें इस बात का कोई विशेष आश्वासन नहीं दिया गया था कि पेटेन्ट (तृतीय संशोधन) विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा जानता हूं कि माननीय मंत्री जी का इरादा एक ऐसा ही विधेयक लाने का है। मुझे भय है कि जब यह कार्य करना होगा वह मंत्री पद से हट जायेंगे। इसीलिए, यह बहुत आवश्यक है कि वह हमें अभी इस सभा में इसका आश्वासन दें। इसी बीच, यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की यह व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय में चला जाता है कि इसमें औषधियां और भेषजों का प्रक्रिया पेटेन्ट शामिल है, तो उच्चतम न्यायालय उस व्यक्ति से यह कहेगा कि इसमें यह बात शामिल नहीं है और औषधियां और भेषजों के उत्पाद पेटेन्ट के संबंध में हमारे कदम उठाए जाने तक उसे पेटेन्ट (तृतीय संशोधन) विधेयक की प्रतीक्षा करनी होगी।

दो छोटी व्याकरण संबंधी त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित करके मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं जिन्हें दूर किये जाने की आवश्यकता है। इसमें अंग्रेजी संस्करण के खंड 4, पृष्ठ 3, पंक्ति 11 में है। ''टू'' शब्द गलती से कट गया है। इसे जोड़ दिया जाना चाहिए। इस शब्द की आवश्यकता है। कथन इस प्रकार होना चाहिए: ''कॉन्टरेरी टू पब्लिक आर्डर''। यहां पर ''कोन्टरेरी पब्लिक आर्डर'' लिखा है। तो, स्पष्ट रूप से शब्द ''टू'' गलती से छूट गया है। मैं यह अनुरोध करूंगा कि इसे शुद्धिपत्र में ठीक कर दिया जाना चाहिए।

इसी प्रकार, खंड 10, पृष्ठ 6, पंक्ति 21 में एक कोमा है जो ''स्पेसीफिकेशन'' शब्द से पहले लगाया जाना चाहिए। लेकिन इस समय वह नहीं है। शुद्धिपत्र के रूप में इसकी भी आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): सभापति महोदय, सदन में पेटेंट विधेयक पर चर्चा चल रही है। पेटेंट-लॉ चाहिए या नहीं, यह एक बहुत ही स्पैसिफिक विषय है और चर्चा का विषय हो

[श्री सुबोध मोहिते]

सकता है। इन्टरनेशनल आब्लिगेशन में हमारी मजबूरी है और इसको ध्यान में रखकर ही हमने इस कानून को इन्ट्रोड्यूस किया है और प्रमोट कर रहे हैं। पेटेंट-लॉ के पीछे धारणा यह है कि इस कानून से किनता फायदा होगा या कितना नुकसान होगा। इसलिए यह एक चर्चा का विषय बन सकता है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह चर्चा का विषय इसलिए भी बन सकता है, क्योंकि अधिकांश आविष्कारकर्त्ता बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। राज्य सभा में दिए गए एक भाषण में कहा गया है—कुल पेटेन्ट के 80 प्रतिशत भाग पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने कब्जा कर लिया है। इसलिए चिन्ता की बात यह है कि देश को पेटेंट लॉ से कितने फायदे होंगे और कितने नुकसान होंगे। यह मैं पहले ही कह चुका हूं कि पेटेंट लॉ एक अलग विषय है। आज जो हम जिन्दगी जी रहे हैं, वह जिन्दगी किस तरह से मल्टीनेशनल्स पर डिपेंडेंट है, उसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मैं सच्चाई आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं कि मल्टीनेशनल्स किस तरह से हमारी जिन्दगी पर हावी हो गए हैं। आमतौर पर व्यक्ति सात बजे उठने के बाद सबसे पहले टूथ-ब्रश करता है। वह टूथ-ब्रश मल्टीनेशनल कम्पनी का होता है। इसके बाद टूथ-पेस्ट जो हम प्रयोग में लाते हैं, कॉलगेट या फॉरहैन्स, वह भी मल्टीनेशनल कम्पनी का होता है।

आठ बजे जब हम चाय पीते हैं, वह भी मल्टीनेशनल कम्पनी की लिप्टन या ब्रुकबोंड होगी। नौ बजे हम नाश्ता करते हैं, उसमें भी मल्टीनेशनल कम्पनी की मेगी या अन्य कुछ खायेंगे। एक बजे के खाने में जो नमक खाएंगे, वह भी मल्टीनेशनल कम्पनी का होगा, क्योंकि हमारे देश में हमारी कम्पनी नमक नहीं बना सकती। आप टी.वी. पर एक एडवरटिजमेंट देखते होंगे कि-"लिखते-लिखते लव हो जाए रोटोमैक कम्पनी का पैन।" इस प्रकार से हम अपनी जिन्दगी में जो चीजें लेते हैं, उनमें से ज्यादातर मल्टीनेशन कम्पनी की ही होती हैं। चार बजे जब हम पार्लियामेंट में पेप्सीकोला पीएंगे, वह भी मल्टीनेशनल कम्पनी का ही होगा। आठ बजे घर पहुंचने के बाद टी.वी. पर मनोरंजन की चीजें देखेंगे तो उसमें भी 90 प्रतिशत चैनल मल्टीनेशनल ही होंगे। कपड़ा भी हम इम्पोरटेड ही पहनेंगे।

महोदय, मैं यहां एक उदाहरण दे रहा हूं, जो पेटेंट लॉ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मल्टीनेशनल कम्पनी के ऊपर हमारी जिन्दगी कैसे डिपेंडेट हो गई है, उसका मैं एक यूनिक उदाहरण आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। इस पेटेंट लॉ से मुझे जो सबसे भयंकर खतरा नजर आ रहा है, सबसे अहम् बात है, वह लाइफ सेविंग ड्रग्स और एड्स की सबसे महत्वपूर्ण बात है। यहां मैंने सबसे महत्वपूर्ण बात यह नोट की कि जो गेम प्लान चल रहा है, आप देखेंगे कि आज जो प्रोबल्म ऐरियाज हैं, आप जब इंटरनेशनल लेवल और आब्लीगेशन की बात कर रहे हैं तब एक खास बात यहां सब लोग नोट करेंगे कि जो प्रोब्लम ऐरियाज हैं, वे डेवलपिंग कंट्रीज हैं। सबसे ज्यादा प्रोब्लम डेवलपिंग कंट्रीज हैं और इस प्रोब्लम का जो सोल्यूशन है, वह डेवलप कंट्रीज के पास है। मैं इस पर दूसरे शब्दों में बोलना चाहूंगा, विकासशील देश पूरी तरह से विकसित देशों पर निर्भर हैं। इस सिचुएशन और बैकग्राउंड में हम यह बिल पास करने जा रहे हैं। मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि जो सिचुएशन डे टू डे लाइफ की रखी है, जो प्रोब्लम प्रोन और सोल्यूशन ऐरियाज हैं, उन्हें किस तरीके से डिफाइन किया है। इस सिचुएशन और बैकग्राउंड में यह लॉ हमें कितनी एडवांटेज या डिसएडवांटेज देगा, यह एनालाइसिस करने की बात है। मैंने मुरासोली मारन की स्पीच राज्य सभा की भी पढ़ी। उन्होंने कुछ प्वाइंट दिए हैं, उन्हें मैं आगे बताऊंगा। ये सब बातें ध्यान में रखते हुए लॉ में यह प्रोविजन होना जरूरी है। हम यहां पेटेंट लॉ के अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं। मैं यहां छः क्रिटिकल प्वाइंट रखना चाहता हूं। अगर ये छः प्वाइंट हमें पेटेंट लॉ के हिसाब से लाभ दे सकते हैं तो यह लॉ सही मायने में हमारे नेशन की सिचुएशन को फेवर करेगा, ऐसा मुझे लगता है। पहला प्वाइंट यह है, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक हित, राष्ट्रीय महत्व, जैव-संसाधनों का संरक्षण, लोक स्वास्थ्य और गरीब लोगों की खाद्य सुरक्षा।

महोदय, मैं इन सातों प्वाइंट्स पर ज्यादा इलेबोरेट नहीं करना चाहूंगा, अगर चाहूं तो कर सकता हूँ। अगर ये सातों प्वाइंट लॉ में पूरी तरह से कवर होते हैं तो मुझे लगता है कि हम संसद में पेटेन्ट कानून को पारित करने में सफल होंगे। मैंने जैसे कि पहले भी बोला कि यह बड़े वाद-विवाद का डिबेट का मुद्दा हो सकता है। पेटेंट लॉ के एडवांटिज और डिसएडवांटेड, पेटेन्ट कानून एक पेचीदा विषय है जिसमें भारतीय समाज के वृहत निहितार्थ हैं। मैं इस पर ज्यादा भाषण नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जो रिकार्ड देखा है, इस पर कंट्री लेवल पर बहुत से सेमिनार हुए हैं। इसके ऊपर काफी वर्कशॉप, कंसलटेशन हुए हैं। एमपीज की कमेटी में भी बहुत सारे विचार-विमर्श यहां रखे गए हैं। कई मुद्दों पर यूनिफाइड स्ट्रेटजी भी हुई हैं। यहां जो कंसेसस रखे गए हैं, वे सामने आएंगे ही, मैं यहां एक खास बात बोलना चाहूंगा, हमारी पहली प्रायोरिटी यह है, मैंने जो ओवरआल पिक्चर बताई कि इसमें सात प्वाइंट कवर होने चाहिए। उसमें जो पहली प्रायोरिटी है, मैं उसे फर्स्ट एंड फोरमोस्ट प्रायरटी कहूंगा, वह ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल की है। यह मणिशंकर जी ने कहा है, फर्स्ट प्रायरटी ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल की है। आप लास्ट ईयर या लास्ट मंथ में देखिए, एड्स का जो रेट ऑफ ग्रोथ है वह एलारमिंग रेट से भी कहीं ज्यादा है।

लास्ट वीक प्रधान मंत्री जी भी बहुत चिंतित थे और उन्होंने एक सेमिनार में कहा कि मैं एक प्लॉन बनाऊंगा और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि

[अनुवाद]

"उचित मूल्य पर औषधियों और दवाइयों की उपलब्धता मानवाधिकार का एक प्रश्न है।"

[हिन्दी]

इस वाक्य में उन्होंने सब कुछ कह दिया है और हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी की कमिटमेंट इसमें दिखाई देती है। मैं समझता हूं कि लाइफ-सैविंग्स ड्रग्स की बॉटम-लाइन प्राइस के मुताबिक फिक्स होनी चाहिए। कानून में भी यह प्रावधान है। इस तरह की अपेक्षाएं पेटेंट लॉ में होनी चाहिए। यहां पर कुछ कॉमन केंसेंसस पर हम आये हैं जिसमें सबसे पहला मुद्दा यह है कि पेटेंट लाइफ 20 वर्ष की होनी चाहिए। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कमिट किया है कि 20 वर्ष की पेटेंट लाइफ रिड्यूस करने के लिए डब्ल्यूटीओ के स्तर पर हम प्रयास करेंगे।

दूसरी बात कई सदस्यों ने उठाई है कि रॉयल्टी-रेट 3 प्रतिशत, 4 प्रतिशत या 10 प्रतिशत होनी चाहिए। लेकिन इसमें एक बात और भी है कि मल्टी-नेशनल्स इसको 20 प्रतिशत करके 100 प्रतिशत भी कर सकती हैं। एक कंसेंसस अच्छा हुआ है कि फिक्स रेट करने के बजाए

[अनुवाद]

अलग-अलग दरें हैं। अलग-अलग दरों का प्रावधान है जिस पर पेटेन्ट नियंत्रक द्वारा प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

[हिन्दी]

मुझे लगता है कि ये जो दो प्रावधान हैं ये अच्छे हैं। मेरा आखिरी निवेदन है कि हम जो बिल पास कर रहे हैं और इसकी जो भावना है वह पेपर पर ही नहीं रहनी चाहिए और इसमें हमें बड़ी सावधानियां लेनी पड़ेंगी। पेटेंट लॉ सिस्टम की कमियों को हमें पूरी तरह से मॉनिटर करना पड़ेगा और उन्हें दूर करना पड़ेगा, जिससे सही मायने में गरीब जनता को स्वास्थ्य सिक्योरिटी, आर्थिक सिक्योरिटी और इंटिलैक्चुअल सिक्योरिटी मिले। भविष्य में इनके प्रति भी महें सावधानी रखनी होगी। यही निवेदन माननीय मंत्री जी से करते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, यह जो विधेयक लाया गया है इसको पूरी तरह देखने के बाद एक भी शब्द इसमें नहीं मिलता है जिससे कहा जा सके कि यह एक अच्छा विधेयक है। लगता ऐसा है कि यह इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है, हमने दस्तखत कर दिये हैं और इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और ट्रिप्स वाला जो क्लॉज है, इसलिए हमें इसे मानना है। कितना भी कोई पक्ष में बोले लेकिन यह दावा नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान के लोगों को इस विधेयक से लाभ है। यही कहा जा सकता है कि लाचारी है और हम ट्रिप्स या डब्ल्यूटीओ के चक्कर में पड़ गये हैं। महोदय, यह बहुत भारी साजिश है। इसमें कोई कहे कि 1970 का जो पेटेंट कानून है वह दुनियाभर में आदर्श कानून है, कोई नहीं कह सकता। उसके चलते सारे संसार में दवा की खपत सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में है। उसमें भी सबसे ज्यादा खपत बिहार में है और बिहार में भी सबसे ज्यादा खपत उत्तरी बिहार में है। हिंदुस्तान में 4 करोड़ 80 लाख लोग मधुमेह से पीड़ित हैं, 4 करोड़ लोग दमा से और 4 करोड़ लोग हैपीटाइटिस-बी से पीड़ित हैं। विकसित आबादी से ज्यादा लोग तो हमारे यहां बीमारियों से पीड़ित हैं। उनसे हमारी तुलना क्यों करते हैं? अब पाकिस्तान में दवा कितनी महंगी हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

अमेरिका में दवाइयां बहुत महंगी हैं। जब कोई एनआरआई यहां आता है तो हम उससे कहते हैं कि यहां से अनाज, चना ले जाओ लेकिन वह कहता है कि मैं यहां से दवाइयां ले जाऊंगा। दुनिया भर के मुल्क, मल्टीनेशनल कम्पनियां और विकसित देश मिल कर षडयंत्र कर रहे हैं। वे सोचते हैं कि हिन्दुस्तान में कैसे दवाइयां सस्ती मिलती हैं जबकि हिन्दुस्तान गरीब मुल्क है। आज गरीब आदमी महंगी दवाइयां खरीद नहीं सकता है। सरकार लाचारी में यह कह रही है कि इंटरनेशनल ऑबलिगेशन्स हैं। कहीं-कहीं सरकार यह दावा कर रही है कि डब्ल्यूटीओ पर दस्तखत करने से जो खराबी पैदा होने जा रही थी, उससे हम बचाव करने जा रहे हैं। इसे लाने की क्या आवश्यकता है? आपने इस पर जो दस्तखत किए जबकि हिन्दुस्तान के लोगों को इस बारे में पूरा पता नहीं है। दोहा में इस पर बहुत बहस हुई। आगे भी इस पर बहस होगी। इससे कोई राहत नहीं मिलेगी। पहले एक जनवरी 1995 को, फिर एक जनवरी 2000 को इस पर दस्तखत किए गए। अब अगली एक जनवरी 2005 को आप इस पर दस्तखत करेंगे। तीन स्टेजेस में इसे लाया गया जो कि एक खतरनाक बात है।

महोदय, मैं देख रहा हूं कि इस पर सभी माननीय सदस्य बड़े मुलायम तरीके से बोल रहे हैं जबकि इससे बहुत खतरा है। हाल में दुनिया के दूसरे मुल्क इसे बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। ब्राजील इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। हिन्दुस्तान को चाहिए कि वह सामान्य स्थिति के मुल्कों को एकजुट करके इसके खिलाफ फाइट करे। मल्टीनेशनल कम्पनियां और सम्पन्न मुल्क हिन्दुस्तान को देख कर जलते हैं।

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह]

हिन्दुस्तान को चाहिए कि वह उनके षडयंत्र को विफल करे। आपको ऐसा विधेयक यहां नहीं लाना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए। लाचारी इसका कारण बता कर देश का अहित होगा जो उचित नहीं है।

हमने एक बार सुना कि बासमती का पेटेंट हो गया। हमें इसे लेकर लड़ना पड़ा लेकिन उन्होंने बासमती को नाम बदल कर टैक्समती कर दिया। इसके पीछे भी बहुत भारी षडयंत्र है। हमारे यहां आंवला, हरड़, बहेड़ा, हल्दी नीम आदि जड़ी बूटियां हैं। जब लक्ष्मण को बाण लगा, उस समय भी हमें लगा कि पेटेंट जैसी कोई बात थी। रावण के यहां सुषेण वैद्य थे, हनुमान से कहा गया कि वह सुषेण वैद्य को ले आएं। वह उन्हें उठा कर ले आए। उसने कहा कि धौलगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी है, उसे लेकर आ जाएंगे तो वह बच जाएंगे। वहां से संजीवनी बूटी लाई गई और वह बच गए। उस समय भी लगा कि उन्होंने उसे पेटेंट करा कर रखा था और भेद बता दिया। बाणभट्ट, चरक, निघंटु में जड़ी-बूटियों का वर्णन है। इसकी सुरक्षा कैसे होगी? हिन्दुस्तान में गन्ने की खेती शुरू हुई। दुनिया के मुल्कों ने इसके बारे में हम से सीखा। राजा इक्ष्वांकु ने ब्रह्मा जी से इस बारे में मांगा तो उसका नाम ऊख, ईख पड़ा। शूगर केन तो इसका बनावटी नाम है। इसका कोई दूसरा नाम नहीं मिला और शूगर केन नाम रख दिया जबकि केन के मायने छड़ी होता है। जहां से शूगर निकले, इसलिए उसका नाम शूगर केन रख दिया। हमारे पुरखों ने गन्ने की खेती शुरू की। अब इसे विभिन्न नामों जैसे कितयारी, कुशयारी, ऊख, ईख, गन्ना आदि नामों से पुकारा जाता है।

उसी तरह से आम और लीची है। हमने सुना है कि नीम का पेटेंट हो रहा है तथा विभिन्न जड़ी-बूटियां हैं। इन नामों का पेटेंट हो रहा है। इस खतरे से बरी करने के लिए सरकार के पास क्या इलाज है? गांवों में हमारी ट्रेडीशनल मैडिसिन्स हैं जिससे करोड़ों ग्रामीण लोग अपनी बीमारी का इलाज जड़ी-बूटियों से कराते हैं। हमारे यहां कढ़ी बनाते हैं जो दही और बेसन से तैयार होती है। हमने सुना है कि जापान उसे पेटेंट करा रहा है। इस तरह से यह षडयंत्र चल रहा है। यह बात सब लोगों को मालूम है लेकिन हम लाचार हो गये हैं। महाभारत में दुर्योधन की सभा में पांचों पांडव बैठे हुये थे, जुल्म हो रहा था क्योंकि लाचारी थी। लेकिन आज क्या लाचारी है? आज जनता के हित की ट्रेडिशनल कल्चर की वे चीजें हैं जिस में वे कैसे दखल देकर षडयंत्र कर लेंगे?

सभापति महोदय, हमारे यहां पहले पेटेंट कानून, 1970 था जिसमें यह अवधि 5 से 7 वर्ष तक की है, लेकिन अब सुना है कि उसे 20 वर्ष किया जा रहा है। ऐसा भारी जुल्म क्यों किया जा रहा है जिससे हमारी सॉवरैंटी पर हमला हो रहा है। हमारे यहां प्रोडक्ट पेटेंट था जिसे अब प्रोसीजरल पेटेंट कराया जायेगा, इससे कितना भारी खतरा होगा। 5-7 साल की अवधि वाला कानून 20 वर्ष के लिए कराया जा रहा है। फर्ज कीजिए किसी दवा कंपनी या वैज्ञानिक या फार्म्युसिटिकल कम्पनी ने अनुसंधान किया और उसे 5-7 साल तक पेटेंट करा लिया तो 5-7 साल तक उसकी मोनोपोली रहेगी। वह कम्पनी ऊंची कीमत पर मनमाने ढंग से दवा बेचेगी और लोग खरीदेंगे। जब फ्री हो जाती है तो विभिन्न कम्पनियां बनाना शुरु करती हैं और कम्पीटीशन करने के बाद भाव कम हो जाता है। इसी तरह मियादी बुखार के लिए क्लौरोमाइसिटिन एक कैमिकल ग्रुप बनाता है। पहले मियादी बुखार 21 दिन या 51 दिन तक रहा करता था लेकिन जब पेटेंट कानून शुरु हुआ तो उसकी एक गोली 76 रुपये में आती थी लेकिन जब पेटेंट से फ्री हुयी तो उस गोली का दाम केवल एक रुपया रह गया। इस तरह उसका लाभ होता है। सरकार कहती है कि विदेशी पेटेंट कानून हमारे यहां 20 सालों तक के लिए पेटेंट हो जायेगा। 20 वर्षों में तो हमारे यहां गरीब आदमी मर जायेगा।

सभापति महोदय, आज देश में 4 करोड़ लोग हैपेटाइटिस-बी के कीटाणुओं से पीड़ित हैं। उसकी एक सुई का दाम 1600 रुपये है जो रोज लगातार 4 महीने तक लेनी पड़ती है। गरीब आदमी तो भगवान भरोसे ही है, वह इसका दवा कहां खरीद सकता है। यदि वह 50 साल तक भी रहता है तो सरकार से कुछ मदद ले सकता है और गरीब आदमी को बचाया जा सकता है। यह इस तरह का एक खतरनाक विधेयक है लेकिन आप कह रहे हैं कि ठीक है, इंटरनैशनल औब्लिगेशन है। अगर कोई लिखकर जायेगा कि देश गुलाम हो जायेगा तो क्या हम मान लेंगे? पुराने जमाने में यदि राजा हार जाता था तो देश हार जाता था लेकिन अब वह युग नहीं रहा। आज जनता है, जनतंत्र है। हम लोग हार मानने वाले नहीं हैं। यदि ये लोग दस्तखत कर देंगे तो हम नाजायज बात मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि वह मामला साफ करे।

सभापति महोदय, ब्राजील और कई देशों ने मांग की है कि इस पेटेंट कानून को पब्लिक हैल्थ के नाम पर फ्री कर दिया जाये ताकि दवा महंगी न हों और अमरीका की तरह पाकिस्तान तथा हमारे यहां गरीब आदमी उससे इलाज करा सके। इसलिए हमें गारंटी चाहिए कि हमारी ट्रेडीशनल प्रोडक्ट्स वैसे ही रहेंगे।

सभापति महोदय, दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां एक भेड़ एक बार में दो-तीन बच्चे देती हो। वह सिर्फ हिन्दुस्तान है जहां एक बार में एक भेड़ दो या तीन बच्चे देती है। उसका जर्म प्लाज्म यहां से चुराकर ले गए और अमरीका में उसे पेटेंट करा दिया। इसी प्रकार इस देश में बकरियों की ऐसी-ऐसी नस्ल पाई जाती हैं जो एक बार में तीन-चार बच्चे देती हैं। किसी दूसरे

मुल्क में ऐसी ब्रीड नहीं पाई जाती है, लेकिन उसका भी जर्म प्लाज्म चुराकर ले गए। इसी प्रकार हमारे गुजरात की जाफराबादी भैंस है, जो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं पाई जाती है, लेकिन उसका भी जर्म प्लाज्म चुराकर ले गए और वहां पेटेंट करा दिया।

महोदय, हमारी सब पुरानी और बढ़िया चीजों के जर्म प्लाज्म वे यहां से चुराकर ले जाते हैं और अमरीका में पेटेंट करा देते हैं, यह ठीक नहीं है। जितनी भी हमारी पुरानी और जैविक चीजें हैं, जो हमारी ओरिजिनल चीजें हैं, जो हमारे पुरखों ने अनुसंधान कर के पैदा कीं, जिनकी नस्ल सुधारी और उन्हें उन्नत किस्म की बनाया, उन सबको अमरीका वाले यहां से चुरा-चुरा कर ले जा रहे हैं और वहां पेटेंट करा रहे हैं। बासमती चावल का पेटेंट, हल्दी का पेटेंट, आंवला, हर्र, बहेड़ा, सुखंड, गुडीज, वनकाशा आदि अनेक ऐसी जड़ी-बूटियां हैं, जो यहां पैदा होती हैं, दुनियां में कहीं पैदा नहीं होतीं, लेकिन उन्हें यहां से वहां ले जाकर उनका पेटेंट अपने यहां करा लिया। इस प्रकार की बातें सुनकर हम आश्चर्य चकित हो जाते हैं।

महोदय, हमारे यहां जो ज्यादा होशियार आदमी हैं, वे अपनी राय देते हैं। देश-विदेश के लोगों से इनके बारे में सुनकर हम आश्चर्य चकित रह जाते हैं कि हमारी पुरानी चीजों के, दवाओं के, जड़ी-बूटियों के जर्म-प्लाज्म यहां से ले जाकर वहां पेटेंट करा लिए जाएं, यह घोर अन्याय है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पुरानी चीजों की सुरक्षा होनी चाहिए।

महोदय, पेटेंट पहले से था, लेकिन अब इस विधेयक के माध्यम से प्रासीजर को पेटेंट किए जाने का कानून बनाया जा रहा है। हम पहले से ही कह रहे हैं कि कुछ इधर, कुछ उधर कर, नई दवाओं का निर्माण किया जाता है। अब किस तरह से दवा बनी है, इसका पेटेंट हो जाएगा। मल्टी-नैशनल्स की मौनोपोली हो जाएगी। वह प्रासीजर खरीद लेगा, दवा बनाएगा और हम से दवाओं के मनमाने दाम वसूलेगा। लाइफ सेविंग ड्रग्स, एच.आई.वी. या एड्स जैसी अनेक बीमारियों में काम आने वाली दवाएं भी हमें नहीं मिलेंगी। विदेशियों की इसी साजिश की वजह से देश में एड्स और एच.आई.वी. की बीमारियां अंधाधुंध बढ़ रही हैं।

महोदय, जिस प्रकार से मुरासोली मारन साहब ने दोहा में लोहा लिया और भिड़े थे, वैसे ही हमारा निवेदन है कि यहां भी हम पूरी ताकत के साथ उनका विरोध करें। हम दुनिया का छठा भाग है। हमारे बिन दुनिया में कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। इस ताकत के साथ वहां पर गरजने का काम करिए। हम लोग आपके साथ हैं। भारत के हितों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। गरीब आदमी के हितों से कोई समझौता नहीं हो सकता। जो हमारी ट्रैडीशनल और पुरानी चीजें हैं, जो हमारी कल्चरल चीजें हैं, उन्हें हम छोड़ने को तैयार नहीं हैं। उन्हें हम किसी को नहीं देना चाहते हैं। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 4.13 बजे

गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

नवासीवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, यदि सदन की अनुमति हो, तो एक रिपोर्ट छूट गई है, मैं इसे ले लेता हूं। आइटम नंबर 13।

[अनुवाद]

डा. बिक्रम सरकार (पंसकुरा): महोदय, मैं कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2001 के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के नवासीवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 4.14 बजे

पेटेन्ट (संशोधन) विधेयक—*जारी*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, मैं माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री जी को ऐसा उत्कृष्ट विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं।

पेटेन्ट विधेयक संबंधी संयुक्त संसदीय समिति का मैं भी एक सदस्य था। हमने डेढ़ वर्ष से अधिक समय तक इस विधेयक पर विचार-विमर्श किया। अंततः, मैं पूरी स्पष्टता और विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है जो इस देश के हितों के विरुद्ध जाएगा।

जिस तरह से कुछ माननीय सदस्य तर्क कर रहा हैं, ऐसा लगता है मानो पेटेन्टीकरण बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आवश्यकता है।

पेटेन्ट केवल विदेशियों की आवश्यकता है।

[श्री खारबेल स्वाइं]

महोदय, क्या हमें भारतीय लोगों के लिए पेटेन्ट विधेयक की आवश्यकता नहीं है? क्या हमें अपने वैज्ञानिकों के लिए एक अच्छे पेटेन्ट विधेयक की आवश्यकता नहीं है? क्या हमें रेड्डी की प्रयोगशालाओं के लिए एक पेटेन्ट विधेयक की आवश्यकता नहीं है? क्या हमें रैनबैक्सी जैसी भारतीय कंपनियों के लिए आवश्यकता नहीं है जिन्होंने अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए और नयी भारतीय औषधियों के आविष्कार के लिए काफी धन खर्च कर चुकी हैं? यदि हम एक अच्छा पेटेन्ट कानून बनाकर इसकी रक्षा नहीं कर सकते, तो विदेशी ही अल्प समय में इसकी नकल उतार लेंगे। तब हमारा क्या होगा? हमेशा यही सोचते रहना कि हम गरीब हैं, कि हमारे पास विदेशियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की बुद्धि नहीं है। मैं समझता हूं कि यह मानसिक अभिवृत्ति गरीबी से सनी हुई है। हमें इससे छुटकारा पाना होगा।

महोदय, हमें इसकी जरूरत है। श्री मणिशंकर अय्यर ने 'रिवर्ज इंजीनियरिंग' के संबंध में बढ़-चढ़कर कहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक प्रकार की बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, जो केवल भारतीय लोगों में है। मैं कुछ सीमा तक इसका समर्थन करता हूं। लेकिन क्या हम यह कह सकते हैं कि 'रिजर्व इंजीनियरिंग' बहुत बड़ी चीज है तथा अनुसंधान और विकास आविष्कार और नयी खोज कुछ नहीं है।

महोदय, अंग्रेजी भाषा में 'इम्प्रोवाइजेशन' एक शब्द हैं। मैं जानता हूं कि भारतीय लोग इसमें माहिर होते हैं। लेकिन 'इम्प्रोवाइजेशन' उत्कृष्टता नहीं है। भारत को विश्व शक्ति बनने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वह उत्कृष्टता है, न कि काम चलाऊ व्यवस्था। काम चलाऊ व्यवस्था चालू माल है जिससे आप किसी-न-किसी भांति व्यवस्था को चला लेते हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्था में आप यह सिद्ध नहीं कर सकते कि आप सर्वोत्तम हैं। इसलिए, हमें इस कानून की आवश्यकता है।

महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि यह एक ट्रिप्स शिकायत विधेयक है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने पहले कहा था, या तो आप इसे अपना लें अथवा इसका परित्याग कर दें। आप यह नहीं कह सकते कि हम विधेयक के इस भाग को अपनाएंगे और उस भाग को छोड़ देंगे क्योंकि हम उसे पसंद नहीं करते। ट्रिप्स (टी.आर.आई.पी.एस.) समझौते के संबंध में वह पहले ही कह चुके नहीं कि आप इसमें राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन कर सकते हैं। हमने ऐसा ही किया है। हमने अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था को लागू किया है। यदि इस विधेयक को अस्वीकार किया जाता है, यदि आपातकाल की घोषणा की जाती है, यदि प्रतिस्पर्धारोधी मूल्य निर्धारित किया जाता है और यदि सरकार इसका उपयोग गरीब लोगों के लिए करना चाहती है, यदि पेटेन्ट कार्य नहीं कर रहा है अथवा वह पर्याप्त नहीं है तो ऐसी दशा में सरकार अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था किसी अन्य व्यक्ति को दे सकती है। वे समानान्तर आयात कर सकते हैं और वे स्वदेशी उत्पादन भी कर सकते हैं। सब कुछ किया जा सकता है। अत: ऐसी बात नहीं है कि देश के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया है। इसका ध्यान रखा गया है। हम कहते हैं कि हम इसे 20 वर्षों का समय क्यों दे रहे हैं। हम सिर्फ यह कहते हैं कि पेटेन्ट 20 वर्षों के लिए है, लेकिन वास्तव में यह 20 वर्षों के लिए नहीं है। जिस दिन आप पेटेन्ट के लिए आवेदन करते हैं, कभी-कभी तो पेटेन्ट अधिकारों को प्राप्त करने में 10 से 12 वर्ष लग जाते हैं। किसी पेटेन्ट धारक अथवा किसी पेटेन्ट आवेदक को उसके पेटेन्ट का फल मिलने में मुश्किल से आठ वर्ष का समय लगता है। आप जिस दिन एक अणु को विकसित करते हैं और उसका उस दिन पेटेन्ट कराते हैं तो इसमें लगभग दस वर्ष लग जाते हैं। विकसित किए गए 1000 अणुओं में से केवल दो या तीन ही अंतत: एक औषधि के रूप में सफल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि प्रत्येक अणु का विकास औषधि के रूप में हो जाये। लेकिन यदि आप एक अणु का पेटेन्ट कराते हैं तो अंतत: यह औषधि ही बनता है।

महोदय, मैं केवल यह कह सकता हूं कि इस विधेयक में हमने कई प्रावधान किए हैं।

खंड 4 में, राष्ट्र हित में हमने प्रकृति में पायी जाने वाली प्रत्येक सजीव अथवा निर्जीव वस्तु का पेटेन्ट न करने का प्रावधान किया है। हमने इसमें पौधों को नहीं रखा है, सम्पूर्ण रूप में अथवा इसके भाग के रूप में सूक्ष्म जीवों को छोड़कर पशुओं को भी हमने पेटेन्टीकरण से अलग रखा है। हमने पारंपरिक ज्ञान, मौखिक परंपरा को भी पेटेन्ट क्षेत्र से अलग रखा है। यदि किसी गांव में मौखिक परंपरा है तो उसका पेटेन्ट नहीं कराया जा सकता। लेकिन यदि अन्य देशों में कहीं हम हल्दी अथवा नीम का पेटेन्ट करने के प्रश्न को उठाते हैं तब क्या होता है? ये भारतीय लोग हैं जो अमरीका में बस गये हैं। उन्होंने बस यही समझा है कि हल्दी क्या है और नीम क्या है और वे उनका पेटेन्ट करा लेते हैं। बासमती अथवा हल्दी अथवा नीम का पेटेन्ट करते समय वे क्या कहते हैं? कभी वे यह कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से इसका स्रोत मिला है, हमें नेपाल से इसका स्रोत मिला है, हमें बंगलादेश से इसका स्रोत मिला है। बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान क्योंकि एक ही भौगोलिक क्षेत्र में है इसलिए कभी-कभी वे धोखा देने का भी प्रयास करते हैं। बासमती चावल की पैदावार न केवल भारत में होती है बल्कि पाकिस्तान में भी होती है। सी.एस.आई.आर. के निदेशक श्री माशेलकर ने बताया था कि जब अमरीका में हल्दी

का पेटेन्ट किया गया था तब हम अपीलीय न्यायाधिकरण में गये थे और जब अमरीकियों को यह बताया गया कि हल्दी वास्तव में एक भारतीय पारंपरिक ज्ञान है और वे कैसे इसका पेटेन्ट दे सकते हैं तो उन्होंने कहा था कि उन्हें पता नहीं था।

आपके पास डाटा बेस क्यों नहीं है? आपके पास हमारे पारंपरिक ज्ञान का डाटा बेस होना चाहिए था। आप इसे कंप्यूटर में डालें, इंटरनेट में डालें ताकि जब भी कोई इसके लिए आवेदन करे, तो हम कंप्यूटर पर इसकी जांच कर लें, हम उस डाटा बेस का अध्ययन कर सकते हैं और यदि वह उसमें है तो हम पेटेन्ट नहीं देंगे। तो गलती हमारी है कि हम अपने पारंपरिक ज्ञान का एक डाटा बेस तैयार नहीं कर पाये हैं। अब सरकार यह कार्य कर रही है और मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वह इसके लिए प्रयास करें। अत: मैं इसका पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

अंत में मैं लाइसेंस अधिकार के मुद्दे के संबंध में बोलूंगा। मुझे पता है कि माननीय मंत्री जी को जाना है इसलिए मैं अपनी बात एक मिनट के भीतर पूरी करूंगा।

मेरी अंतिम बात लाइसेंस के अधिकार के संबंध में है। उचित लाइसेंस अधिकार का प्रावधान वर्ष 1970 के मौलिक अधिनियम में उपलब्ध था। इसे हटा दिया गया है क्योंकि यह ट्रिप्स के अनुरूप नहीं है और यह भेदभावपूर्ण है क्योंकि जब आप किसी को अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने हैं तो यह प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर होना चाहिए। लेकिन हमारे पास के लाइसेंस अधिकार में क्या-क्या प्रावधान हैं? यह ऐसा है कि तीन साल बाद बिना किसी पूछताछ के, आप किसी और को लाइसेंस का अधिकार प्रदान कर सकते हैं जिसने उसका आविष्कार किया ही नहीं।

मुख्य बात यह है कि कोई किसी चीज का आविष्कार क्यों कर रहा है। वह इसका आविष्कार इसलिए कर रहा है क्योंकि वह इसका व्यावसायिक उपयोग करना चाहता है। वह अपना निवेश वापस प्राप्त करना चाहता है। इसलिए यदि हम कुछ भी पूछे बिना किसी को भी लाइसेंस अधिकार देते हैं, यदि हम किसी को भी लाइसेंस अधिकार देते हैं तो पेटेंट अधिकार का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। इसलिए, यह बहुत अच्छा है कि उसे हटा दिया गया है और इसके स्थान पर अनिवार्य लाइसेंसिंग की व्यवस्था की गई है।

इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी को ऐसा विधेयक, जो राज्य सभा में पहले ही पारित हो गया है, प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। मैं इस सभा के सभी सदस्यों से इसे आम सहमति से पारित करने की अपील करता हूं क्योंकि इस विधेयक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो राष्ट्र के हितों के प्रतिकूल हो।

[हिन्दी]

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द): सभापति महोदय, वैसे मैं हिन्दी में बोलना पसन्द करता हूं लेकिन आज के विषय में यह बहुत ही आवश्यक है कि मंत्री जी हमारी बातों को अच्छी तरह समझें। यद्यपि अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन जरूर होगा, फिर भी मैं अंग्रेजी में बोलूंगा। हमारे दोनों हाउसेज की एक ज्वाइंट कमेटी थी।

[अनुवाद]

उन्होंने लगभग 23 बैठकों तक कार्य किया है। उन्होंने प्रत्येक खण्ड, जो कि नए विधान में प्रस्तावित था पर विस्तार से विचार किया है। आदर्श स्थिति वह होती कि हम कोई संशोधन ही नहीं लाये होते क्योंकि जहां तक हमारे राष्ट्रीय हितों का संबंध है हमारा 1971 का अधिनियम बहुत व्यापक और बहुत सम्पूर्ण है। वर्तमान विधान इसलिए लाया गया है क्योंकि हमने विश्व व्यापार संगठन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और हमसे ट्रिप्स (टी आर आई पी एस) समझौते का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

अब, इस सम्पूर्ण विधान के संबंध में संयुक्त संसदीय समिति में हुई हमारी लम्बी चर्चा में तीन चिंताएं सबसे प्रमुख थी। पहली थी स्वदेशी परम्परागत ज्ञान की रक्षा करना क्योंकि एक बार यह अधिनियम लागू हो जाता है तो अमरीका का पेटेंट हमारे देश में भी प्रभावी हो जायेगा। यह पहली बार है कि हमारे देश में ऐसा विधान होगा जिसमें हम विदेशी नागरिकों को अधिकार दे रहे हैं। नई व्यवस्था में ऐसा प्रावधान है। नई परिस्थितियों में सम्प्रभुता की पुरानी संकल्पना का पूरी तरह पालन क्यों नहीं किया जा सकता। परन्तु हमें सतर्क रहना होगा कि हमें कहां तक धकेला जा सकता है। हम एक सम्प्रभु राष्ट्र हैं। यह संसद् सम्प्रभु है। हमें ट्रिप्स (टी आर आई पी एस) के बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं जब तक विश्व व्यापार संगठन हमारे बुनियादी राष्ट्रीय हितों को अधिक प्रभावित नहीं करता तब तक हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए।

अब, इस देश का परम्परागत ज्ञान सर्वविदित है और सम्पूर्ण विश्व चिकित्सा की वैकल्पिक पद्धतियों अर्थात आयुर्वेदिक चिकित्सा को अपना रहा है। आयुर्वेदिक चिकित्सा का ज्ञान हजारों वर्ष पुराना है। इसलिए, हमारा प्रयास था कि इस ज्ञान का लाभ अमरीका में बसे हुए व्यक्ति द्वारा यह कहते हुए नहीं उठाया जाना चाहिए कि उन्होंने ज्ञात दवाओं में से कुछ कोलाइड अलग कर लिया है। अब, हाल ही में हमने एक समाचार पत्र में लेख पढ़ा है कि योगराज गुग्गुल का विश्लेषण किया गया है और इसे कालेस्ट्राल कम करने में बहुत प्रभावी पाया गया। अब, गुग्गुल का हमारे देश

[श्री श्यामाचरण शुक्ल]

में वेदव्यास द्वारा और हजारों वर्षों से आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया गया है। अब, वे कह सकते हैं कि यह वैज्ञानिक भाषा में है और उन दिनों में कोलेस्ट्राल का पता नहीं था तथा कोलेस्ट्राल की माप नहीं की जाती थी और वे केवल रोगियों की नब्ज पर उंगली रखते थे और जान देते थे कि क्या हो रहा है। इसलिए, यदि वे ऐसी बातों का लाभ उठाते हैं और पेटेंट लेते हैं तो हमें इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा यद्यपि यह योगराज गुग्गुल का व्युत्पन्न है। उन्होंने केवल कुछ कोलाइड को अलग किया है. ज्ञात पादप अथवा औषधि में दो अथवा तीन कोलाइड हो सकते हैं। इसलिए मुझे खुशी है कि राज्य सभा में इस विधेयक पर चर्चा में माननीय मंत्री जी कतिपय संशोधनों, जिनके द्वारा परम्परागत ज्ञान की दृष्टि से ध्यान दिया गया है, पर सहमत हो गए हैं परन्तु मेरा सुझाव है कि यदि आप पूरी तरह स्थिति से निपटना चाहते हैं तो प्रस्तावित खण्ड में अंतर्विष्ट भाषा में संशोधन किया जाना चाहिए। मैंने उस खण्ड जिसमें परम्परागत चिकित्सकों की सुरक्षा करने हेतु मूल अधिनियम की धारा 3 में कुछ जोड़ने की मांग की गई है, मूल अधिनियम की धारा 3 में एक उपधारा (त) जोड़े जाने का प्रस्ताव है, जिसमें कहा गया है:

> ''कोई भी आविष्कार-जो वस्तुत: पारंपरिक ज्ञान है या जो पारम्परिक रूप से ज्ञात संघटक या संघटकों के ज्ञात गुण का संकलन है''

यह उसके शब्द हैं। यदि यह कहा जाता है कि ''कोई आविष्कार जो वस्तुत: पारम्परिक ज्ञान है या जो पारम्परिक रूप से ज्ञात संघटक या संघटकों के ज्ञात गुण का संकलन है'' तब इसमें कोई ऐसा पेटेंट लिए जाने की संभावना पूर्णतया समाप्त हो जाती है जिस पर हम दावा करते हैं क्योंकि हमारे अपने विधेयक में पेटेंट की नई परिभाषा, जिसे ट्रिप्स (टी आर आई पी एस) समझौते के कारण अपनाया गया है, यह है कि कोई भी अधिकारशील कदम उस व्यक्ति को पेटेंट का पात्र बना देता है।

अत: किसी आयुर्वेदिक पादप अथवा ज्ञात चिकित्सा में कतिपय कोलाहड को अलग करना एक आविष्कार कदम होना कहा जा सकता है। इस स्थिति का निराकरण करने के लिए मेरा सुझाव है कि हमारे माननीय मंत्री दो शब्दों 'से लिया गया' (डिराइवड फ्रॉम) का अंत:स्थापन करने पर सहमत हो जाना चाहिए। मैं नहीं समझता कि इससे हमारे ट्रिप्स (टी आर आई पी एस) समझौते अथवा अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पूरा करने में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। यदि माननीय मंत्री उस पर सहमत हों तो यह सरलता से किया जा सकता है।

अब, दूसरा मुद्दा जिसके बारे में हमें बहुत चिंता करनी पड़ेगी वह है पुराना अधिनियम जो श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में पारित किया गया था। इसने औषधियों अथवा उन उत्पादों, जिनकी स्वास्थ्य देखरेख हेतु आवश्यकता होती है, के मामले में अपवाद रखा गया था। उन्होंने पेटेंट की अवधि जिस पर यह लागू है, कम कर दी थी-औषधियों के मामले में सात वर्ष; लागू होने की तिथि से और अधिक समय तक अर्थात् लगभग 12 वर्ष, परन्तु वर्तमान विधान, जो संसद के सामने है, में ट्रिप्स (टी आर आई पी एस) समझौते के अनुसार यदि आवश्यक हो तो यह अवधि 20 वर्ष तक बढ़ा दी गई है। यह बहुत घृणित प्रावधान है। मेरे विचार से यह शोषणकारी है; और यह पूर्णतया अंतर्राष्ट्रीय भेषज उपयोग के दबाव के कारण है कि सात वर्ष की बजाय सभी औषधियों के संबंध में अवधि बढ़ाकर बीस वर्ष कर दी गई है। यदि हम ट्रिप्स (टी आर आई पी एस) समझौते की परवाह करनी ही है तो हम इस 20 वर्ष की अवधि को बहाल रख सकते हैं परन्तु औषधियों के मामले में एक अपवाद रखें। एक शब्द अंतर्विष्ट कर सकते हैं अथवा एक संशोधन किया जा सकता है कि साधारणत: एक पेटेंट का काल 20 वर्ष होगा परन्तु औषधियों के मामले में यह सात वर्ष, आठ वर्ष अथवा इस वर्ष होगा। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस मुद्दे को भी शामिल करेंगे ताकि हम वास्तव में अपनी सुरक्षा कर सकें।

अब, तीसरा मुद्दा जिस पर काफी चर्चा हुई थी वह था लाइसेंस का अधिकार अथवा अनिवार्य लाइसेंस। इसमें अवधि को 20 वर्ष तक बढ़ाने से उत्पन्न कठिनाई को शामिल करने का प्रयास किया गया है। यदि एक पेटेंट की वर्तमान अवधि 20 वर्ष है, तब भी यदि हमारे पास अनिवार्य लाइसेंस की व्यवस्था है तो इससे स्थिति का मुकाबला हो सकेगा। लाइसेंस के अधिकार का प्रावधान निकाल दिया गया है। मैं संयुक्त संसदीय समिति में दलील देता रहा कि हमें इसे निकालने की जरूरत नहीं है। ब्रिटेन तथा फ्रांस जैसे देश यदि इसे ट्रिप्स समझौते के अनुकूल पाते हैं तो कोई कारण नहीं कि हम भी ब्रिटेन तथा फ्रांस, जहां विशेष परिस्थितियों में लाइसेंस अधिकार नियंत्रक अथवा सरकार को दिया जाता है, की भांति लाइसेंस के अधिकार के बारे में एक धारा तैयार नहीं कर सकते हों। इस वर्तमान कानून के खण्ड 84(1) में अनिवार्य लाइसेंस की प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि:

> ''कोई भी हितबद्ध व्यक्ति पेटेन्ट के मुद्रांकन की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी भी समय नियंत्रक को निम्नलिखित में से किन्हीं आधारों पर पेटेन्ट के संबंध में अनिवार्य अनुज्ञप्ति किए जाने के लिए आवेदन कर सकेगा, अर्थात्:

(क) पेटेंटकृत आविष्कार की बाबत जनता की युक्तियुक्त अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है; या

(ख) पेटेन्टकृत आविष्कार युक्तियुक्त रूप से वहनीय कीमत पर जनता को उपलब्ध नहीं है,

यह प्रावधान विस्तार से चर्चा करने के पश्चात किया गया था। परन्तु कतिपय परिस्थितियों में कतिपय औषधियों जो आम जनता को वहनीय मूल्य पर उपलब्ध नहीं हो भी सकती हैं और यदि किसी को तीन वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है तो हजारों लोग औषधियां मिलने से पहले ही मर सकते हैं।

महोदय, खण्ड 92 के प्रावधानों में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय अथवा संकट के समय और गैर-व्यावसायिक उपयोग के मामले में अनिवार्य लाइसेंस दिया जाएगा। गैर-व्यावसायिक उपयोग का तात्पर्य उन औषधियों से हैं जो व्यावसायिक उपयोग के बावजूद सरकार द्वारा वितरित की जाती हैं परन्तु बाजार में नहीं बेची जाती हैं। वहनीय मूल्य पर जीवन रक्षक औषधियां आम लोगों के लिए आवश्यक है। यदि हम विधेयक में दिए गए खण्ड 84 के प्रावधानों का लाभ उठाना चाहते हैं और यदि हम आम जनता को अथवा लाभ देना चाहते हैं तो औषधियों का वहनीय मूल्यों पर गैर-व्यावसायिक उपयोग उपलब्ध कराने के लिए खण्ड 92 में अंतर्विष्ट प्रावधानों में तदनुसार सशोधन करना पड़ेगा। या तो खण्ड 92 में संशोधन करना पड़ेगा अथवा खण्ड 84 में संशोधन करना पड़ेगा जिसमें तीन वर्ष की अवधि को समाप्त किया जा सकता है और इस खण्ड के प्रावधानों को तत्काल लागू किया जा सकता है।

महोदय, यही तीन चिंताएं थीं जो गत कुछ वर्षों से हमारे मस्तिष्क को आंदोलित कर रही थीं। मैं कहता हूं कि श्री मारन का बहुत सहयोग रहा है और उन्होने हमारे दृष्टिकोण को इसमें शामिल करने का प्रयास किया। हम उसका समर्थन करते हैं और हमें आशा है कि विशेषकर जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जमकर संघर्ष करना जारी रखेंगे। मुझे यह भी आशा है कि यदि वह मेरे द्वारा सुझाए गए संशोधनों को स्वेच्छा से स्वीकार करने पर सहमत हो जाते हैं तो जन स्वास्थ्य के बारे में हमारी चिंता का पूरी तरह निराकरण हो जाएगा।

महोदय, मुझे आशा है कि वर्ष 2005 तक, जब हम शायद उत्पाद पेटेंट करने हेतु एक कानून अंगीकार करने के लिए बाध्य होंगे-हमारा वर्तमान कानून केवल प्रक्रिया पेटेंट करने हेतु है न कि उत्पाद पेटेंट करने के लिए। वर्ष 2005 तक आम चुनाव हो चुके होंगे और एक नई सरकार बन चुकी होगी और क्योंकि उत्पाद पेटेंट करना हमारे हितों के लिए हानिकारक होगा इसलिए उस समय शासन करने वाली सरकार उत्पाद पेटेंट करने पर अंतर्राष्ट्रीय शर्तों की अवज्ञा करने है पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वर्ष 2005 के पश्चात भी प्रक्रिया पेटेंट व्यवस्था जारी रहे। हम इसके लिए केवल आशा करेंगे और प्रार्थना करेंगे।

डा. नीतिश सेनगुप्ता (कोन्टाई): सभापति महोदय, यद्यपि मैं नहीं जानता कि आप मुझे कितनी देर तक बोलने का समय देंगे फिर भी मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी का शुभकामनाओं के साथ अपनी बात आरम्भ करूंगा। बातचीत के इन दो से तीन वर्षों की दुरुह अवधि के दौरान प्रत्येक बात को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और इस प्रकार उन्होंने अपने उदार दृष्टिकोण का परिचय दिया। मैंने यह पाया कि जब संयुक्त समिति इस विधेयक पर विचार कर रही थी उस समय उचित मांगों के प्रत्युत्तर में कई मामलों में बदलाव को स्वीकार कर अपनी उदारता का परिचय दिया और ऐसा ही राज्य सभा में इस विधेयक पर चर्चा के दौरान हुआ।

महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि यहां उपस्थित मेरे अधिकांश साथियों ने, चाहे वह किसी भी पार्टी से संबंधित हो, वे अंतत: इस विधेयक का समर्थन किया। नि:सदेह मेरे विशिष्ट मित्र डा. रघुवंश प्रसाद सिंह भी हैं जो मैं समझता हूं इस अधिनियम के संबंध में उन सभी पारंपरिक पूर्वाग्रहों और भय का प्रतीक हैं जो विभिन्न सरकारी स्तरों पर डब्ल्यू.टी.ओ. और ट्रिप्स पर चर्चा करते समय महसूस किए गए थे। कई लोगों ने इसे समझे बगैर इस पर चर्चा की। मुझे याद है एक अन्तर्संसदीय बैठक में जहां मैं उपस्थित था वे सरकारी सेवा में मेरे अंतिम वर्ष थे, एक प्रतिष्ठित मंत्रालय के एक प्रतिष्ठित प्रतिनिधि ने कहा कि वह ट्रिप्स का समर्थन करते हैं क्योंकि उन्होंने यह महसूस किया कि हम सभी को सुव्यवस्थित होना चाहिए। इस प्रकार की अज्ञानता थी।

सभापति महोदय, मैं तो यह कहूंगा कि यह एक अति परिष्कृत क्षेत्र का परिष्कृत कानून है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने वर्ष 1970 में खाद्य और औषध उत्पादों के लिए पेटेन्ट एकाधिकारों को समाप्त कर दिया था। एक प्रकार से, यह एक हितकर प्रयास था जैसा कि इतिहास ने बाद में यह दिखा दिया कि हम आम आदमी के लिए अच्छी दवाइयों को ऐसे मूल्य पर उपलब्ध करा सकते हैं जिसे वह वहन कर सकें और हम एक बहुत ही कुशल जन स्वास्थ्य प्रणाली ला सकते हैं। हरित क्रांति उससे पहले आंशिक रूप से आरंभ हुई थी। यही वह समय था जिसके पश्चात्

[डा. नीतिश सेनगुप्ता]

हरित क्रान्ति ने अपना पूरा प्रभाव दिखाया। वर्ष 1994 में भारत ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के दबाव में और शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय निगमों के दबाव में ट्रिप्स समझौते पर हस्ताक्षर किए और अनिवार्य लाइसेंस व्यवस्था के माध्यम से कतिपय सुरक्षा उपायों के अधीन खाद्य और औषध उत्पाद पेटेन्टों को पुन: प्रदान करने के लिए सहमत हो गया। यह एक अद्योगामी विकास था जैसा कि इस बात से प्रकट हुआ कि कई औषधियां गायब हो गयीं, कई औषधियां महंगी हो गयीं और इसके पश्चात् राष्ट्र को इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ा।

अपराह्न 4.41 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन हुए*]

अब डब्ल्यू.टी.ओ. आ गया है। यह एक अपरिहार्य और सतत प्रक्रिया है। यदि आपको आधुनिक विश्व में रहना है, तो आपको डब्ल्यू.टी.ओ. की व्यवस्था स्वीकार करनी होगी। इसके कतिपय लाभ भी हैं। मैने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि आज ब्रिटेन में भारतीय आमों की भरमार है। डब्ल्यू.टी.ओ. की व्यवस्था के बिना यह संभव नहीं हो पाता। दूसरी ओर, भारतीय बासमती का निर्यात हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश जैसे देश को निर्यात किया जा रहा है। आज मैं यह देख रहा हूं कि चीन भी बांग्लादेश को बासमती का निर्यात कर रहा है। वास्तव में चीन बांग्लादेशी बाजार को चीनी बासमती से पाट रहा है जिसका मूल्य भारतीय मूल्य से बहुत कम है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हम अपने किसानों को मूल्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। चीन को ऐसा कभी नहीं करना पड़ा। हमारा श्रमिक वर्ग बहुत मांगे करता है- मजदूर संघ के मेरे मित्र इसका उत्तर अवश्य दें-और लागत में वृद्धि होती रहती है। चीन में कोई श्रम कानून नहीं है। चीन में इस प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। वे अपने श्रमिकों पर किसी प्रकार का दबाव डाल सकते हैं और उनसे विश्व के अन्य भागों में प्रचलित मूल्य से बहुत कम मूल्य पर वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन वह भी अपरिहार्य है। जब डब्ल्यू.टी.ओ. आया *...(व्यवधान)*

दूसरी ओर, डब्ल्यू.टी.ओ. के दबाव में कई बार हम डब्ल्यू.टी.ओ. की व्यवस्था में सहायता करने के लिए अपनी सीमाओं को पार कर जाते हैं यहां मैं श्री रूपचन्द पाल जी द्वारा उपयुक्त अभिव्यक्ति का उल्लेख कर रहा हूं। जब हमसे झुकने को कहा जाता है तब हम रेंगने लगते हैं। वर्ष 1997 से 1999 की अवधि के दौरान, तत्कालीन वित्त मंत्रियों ने किसी न किसी प्रकार से डब्ल्यू.टी.ओ. अनुसूची से पहले ही शुल्क घटा दिये और कभी-कभी डब्ल्यू.टी.ओ. द्वारा निर्धारित शुल्कों से भी काफी कमी शुल्क कर दिये। आज मांग में जो इतनी कमी है वह उसी का परिणाम है। भारतीय उद्योग उस मूल्य पर वस्तुओं का उत्पादन और सेवाएं प्रदान नहीं कर पा रहा है जिस पर चीन कर रहा है। हिमालय के पार से द्वितीय आक्रमण में चीनी लोग हमारे बाजारों को सभी प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं से पाट रहे हैं। इसके लिए निसन्देह डब्ल्यू.टी.ओ. व्यवस्था की निंदा की जानी चाहिए।

इससे भी अधिक मुझे यह कहना है कि उन वर्षों में वित्त मंत्रियों ने डब्ल्यू.टी.ओ. अनुसूची से आगे चले गये और उन्होंने लागू की गयी शुल्क दरों के मामले में डब्ल्यू.टी.ओ. अनुसूची में निर्धारित दरों से भी शुल्क दरें काफी कम कर दी। इसके परिणामस्वरूप, कई क्षेत्रों में, विशेषकर उपभोक्ता वस्तु क्षेत्र में, भारतीय वस्तुओं को चीनी वस्तुओं ने मूल्य के आधार पर बाहर कर दिया। हमारा उद्योग एक अभूतपूर्व मंदी का सामना कर रहा है। मुझे यह कहते हुए दु:ख होता है कि सरकार अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है और हमारे उद्योग के सामने आ रहे इस बड़े खतरे को नियंत्रित करने का कोई प्रयास नहीं किया है और यह खतरा मांग की मंदी का है।

मुझे श्री मारन जी के वक्तव्य में उनके अंतिम शब्दों के लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, "आओ हम भारत को आगे ले चलें हालांकि विश्व को यह बता दें कि भारतीय लोकतन्त्र अपनी अन्तर्राष्ट्रीय वचनबद्धता का पूर्ण सम्मान करता है।" इसमें मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा, "और भारत को अपने राष्ट्रीय हितों और राष्ट्रीय बाध्यता की चिंता भी है।" किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रीय हित की उपेक्षा नहीं की जा सकती इसलिए ऐसा कह कर उल्लेख अवश्य होना चाहिए।

एक तरह से सीएटल बहुत बड़ी असफलता था। फिर भी, मैं खुश हूं कि श्री मारन के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सीएटल में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए एक मजबूत पश्चवर्ती कार्रवाई की। दोहा एक बड़ी घटना थी। मुझे विश्वास है कि इसके पश्चात् आये सभी समझौतों में भारत के उचित हित को ध्यान में रखा जाएगा।

इस समय उपलब्ध लचीलापन और अधिकारों को भारतीय पेटेन्ट कानून में उचित रूप से बनाये रखने और उसमें संशोधन किये जाने की आवश्यकता है ताकि उन्हें सांविधिक रूप दिया जा सके।

महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं। पहला सुझाव संयुक्त समिति द्वारा संशोधित किया गया पिछला पेटेन्ट (दूसरा संशोधन) विधेयक के संबंध में है। इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित कराना हमारा कर्तव्य है कि माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा दोहा में जिन भावनाओं को व्यक्त किया गया था और बाद में जो उद्गार संसद

में व्यक्त किये गये थे उन्हें विधेयक में पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है। कई मामलों में यह सब किये जाने की आवश्यकता है।

पेटेन्ट (द्वितीय संशोधन) विधेयक के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं (क) पेटेन्ट धारकों को दिये जाने वाले प्रस्तावित एकाधिकारों की तुलना में लोक हित अथवा लोक स्वास्थ्य की रक्षा करने की सरकार की अपर्याप्त शक्तियाँ; (ख) पेटेन्ट किये जाने वाले आविष्कार की फूलप्रूफ परिभाषा का अभाव ताकि झूठे दावेदार 20 साल से ज्यादा समय तक पेटेन्ट का एकाधिकार नहीं रख सकेंगे।

इसके पश्चात्, जब भी लोक हित की बात आए, आपको सामानान्तर आयात की अवधारणा को इस प्रकार परिभाषित करना होगा कि जब आवश्यकता हो उसकी रक्षा की जा सके।

अंत में, उन्हें जनवरी, 2005 में उत्पाद पेटेन्ट को पुनः लागू करने का प्रस्ताव करना चाहिए।

मुझे खुशी है कि श्री मारन जी ने यह आश्वासन तो दिया कि वर्ष 2005 के आस-पास जब उत्पाद पेटेन्ट लागू किया जायेगा तब एक अन्य संशोधन विधेयक लाया जायेगा।

इस पेटेन्ट विधेयक में उचित संशोधन करके इस स्तर पर इसे ठीक किया जा सकता है।

इसके पश्चात् मैं धारा 5 (ग) के उप-पैरा पर आता हूँ जो यह कहता है:

> "पूर्ण विनिर्देश का दावा या दावे एकल आविष्कार या उससे जुड़े हुए आविष्कार के समूह से संबंद्ध होंगे जिससे एकल आविष्कारिक संकल्पना बन सके, स्पष्ट और संक्षिप्त होंगे तथा विनिर्देश में प्रकट किए गए विषय पर निष्पक्ष रूप से आधारित होंगे।"

इसी प्रकार, खंड 9 की धारा 11क के अनुसार:

> "पेटेन्टों के लिए आवेदन, फाइल किए जाने की तारीख या पूर्विकता की तारीख से, जो भी पहले हो, अठारह मास की अवधि के लिए जनता के लिए खुले नहीं रखे जाएंगे।"

महोदय, मुझे यह समझ नहीं आता कि 18 महीनों का क्या विशेष महत्व है? यह अवधि 25 महीने अथवा 18 महीने से कम क्यों नहीं हो सकती? मैं समझता हूं 18 महीने का समय न्यायोचित नहीं है।

महोदय, अब मैं फ्रांसीसी पेटेन्ट कानून से कुछ पंक्तियाँ को उद्धृत करूँगा जो इस प्रकार है:

> "जन स्वास्थ्य की मांग के हितों के मद्देनजर औद्योगिक संपत्ति हेतु जिम्मेदार मंत्री के आदेश से जनता को अपर्याप्त मात्रा में अथवा गुणवत्ता के तौर पर अथवा असामान्य दर पर उपलब्ध करायी गयी ऐसी औषधियों की दशा में औषधियाँ प्राप्त करने की प्रक्रिया हेतु पेटेन्ट की जाने वाली औषधियों के संबंध में पदेन लाइसेंस दिये जायें।"

मैं समझता हूं हमें कुछ ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि लोक हित की संकल्पना मजबूत हो सके।

अंत में, सभापति महोदय, अब मैं उत्पाद पेटेन्ट पर आता हूं। दोहा घोषणा पत्र यह कहता है कि सबसे कम विकसित देशों को भेषज उत्पादों के लिए अतिरिक्त सक्रान्ति अवधि दी जाती है जो उत्पाद पेटेन्ट के भाग-II की धारा 5 और 7 के संबंध में है।

भारत की एक बिलियन जनसंख्या का 70 प्रतिशत भाग क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे है और प्रति व्यक्ति आय 100 डॉलर के अमरीकी मानक से बहुत कम है, मैं समझता हूं कि यह अच्छा होगा यदि भारत की 10 वर्ष और प्रदान किये जाए। भारत को इन 10 वर्षों की मांग करनी चाहिए क्योंकि इससे हमें मदद मिलेगी।

सब यही कहते हैं कि भूमंडलीकरण अपरिहार्य है और उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। लेकिन बात यह है कि हमें बहुत सावधानीपूर्वक कदम रखने चाहिए ताकि हम स्वयं को इस प्रक्रिया में असफल न पाये। मैं समझता हूं, कुछ समय और चाहिए। अतः भारत को इन 10 वर्षों की मांग करनी चाहिए। आखिरकार, हमें उत्पादों के संबंध में जो पूर्वाग्रह हैं उन्हें दूर करना ही होगा।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने, जब वे विपक्ष में थे और निष्पक्ष नहीं थे, उस समय उन्होंने ऐसे बहुत से स्वदेशी उत्पादों के संबंध में आशंकाएं व्यक्त की थी जिनका अब विदेशों में पेटेन्ट किया जा रहा है। हम स्वयं ही उनका पेटेन्ट क्यों नहीं कर सकते? वस्तुतः, पेटेन्ट बिल के संबंध में एक सूचना स्पष्ट रूप से गूँजनी चाहिए और वह यह कि हमें लोगों को बहुत-से स्वदेशी उत्पादों का पेटेन्ट लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि जब भी विश्व प्रतिस्पर्धा हो, हम स्वयं को असफल न पाएं और हम अपने दम इसका सामना कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं।

श्री सुरेश कुरुप (कोट्टायम): महोदय, 1970 के पेटेंट अधिनियम संबंधी यह संशोधन विधेयक कई महीनों की चर्चा के पश्चात् लाया गया है।

संयुक्त संसदीय समिति ने समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया है और विस्तृत रिपोर्ट दी है।

जैसा कि सभी जानते हैं, पेटेंट आविष्कृत वस्तु का सीमित समय तक विनिर्माण करने हेतु प्रदत्त विशेष अधिकार का नाम है। यह आविष्कारक को उसके बौद्धिक प्रयास के लिए आर्थिक पुरस्कार देने और उसके द्वारा किए गए निवेश पर लाभ सुनिश्चित करने का एक साधन है।

पेटेंट अधिनियम 1970 में भारत में पेटेंट देने की अवधि को 14 वर्ष निर्धारित किया गया है। ट्रिप्स समझौते के अनुसार इस अवधि को बढ़ाकर 20 वर्ष करना होगा। इस विधेयक की एक मुख्य विशेषता वह खण्ड है जिसके द्वारा 14 वर्ष की इस अवधि को 20 वर्ष किया जा रहा है। जैसा कि पहले बोलने वाले कई सदस्यों द्वारा उल्लेख किया जा चुका है कि यह वस्तुत: बड़ी विचित्र बात है क्योंकि नित्य नवीन प्रौद्योगिकीय आविष्कारों की तेजी से बदलती इस दुनिया में एक उत्पाद या प्रक्रिया 20 वर्ष से पहले ही अपरिहार्य रूप से पुरानी और अप्रासंगिक हो जाती है। अत: 14 वर्ष की यह अवधि कम की जानी चाहिए। लेकिन इसे बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया। अत: अन्तत: इस अधिनियम द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों की हमारे देश पर पकड़ बढ़ती जाएगी।

मैं इस बात से सहमत हूं कि माननीय मंत्री जी ने दोहा सम्मेलन में दृढ़ रवैया अपनाया था और वे अल्प विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के पक्ष में कुछ परिवर्तन करा सके। लेकिन तथ्य यह है कि विश्व व्यापार संगठन और ट्रिप्स समझौते का सारा बल अमीर देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पक्ष में है। मात्र दोहा घोषणा में ही कतिपय हल्के-फुल्के परिवर्तन किए जा सके।

ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 31 के निबंधन और शर्तों की व्याख्या के संबंध में बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित करना विकासशील देशों के हित में होगा। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि संगत धारा में 'पर्याप्त अवधि जिसके पश्चात् प्रस्तावित प्रयोक्ता नियंत्रक के पास अनिवार्य लाइसेंस के लिए जा सकते हैं का अलग से विशेष उल्लेख किया जाना चाहिए।

पेटेंट अधिनियम 1970 का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारत आज एक सशक्त भेषज उद्योग और अपेक्षाकृत सस्ती दवाओं पर उचित रूप से गर्व कर सकता है। लेकिन जब यह संशोधन विधेयक एक कानून का रूप ले लेगा तो पेटेंट धारक को पर्याप्त संरक्षण दिया जाएगा और आम आदमी पेटेंट धारक अर्थात् बहुराष्ट्रीय कंपनियों की दया पर निर्भर हो जाएंगे। वस्तुत: इससे साधारण आदमी की दवाओं और जीवनरक्षक महत्वपूर्ण दवाओं तक पहुंच बाधित होती है। आई.पी.आर. द्वारा संरक्षित कई उत्पादों की कीमतें उत्पादन लागत से कई गुणा अत्यधिक बढ़ायी गयी हैं क्योंकि पेटेंट धारक निगम प्रतियोगिता को रोक सकते हैं। भेषज दवाएं इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण हैं और दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि जीवन रक्षक दवाओं विशेषत: एड्स की दवाओं को लेकर किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां लोगों के जीवन से खेल रही हैं।

यद्यपि ट्रिप्स समझौता राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में पेटेंट अधिकार को निलम्बित करने के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रावधान के प्रयोग तथा उत्पाद के उत्पादन और आयात की अनुमति देता है तथापि जब दक्षिण अफ्रीका ने एड्स की दवाओं के मामले में इस प्रकार का विधान बनाया तो 30 बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने उस पर मुकदमे दायर कर दिए।

ट्रिप्स समझौते के लगभग सभी प्रावधान बहुराष्ट्रीय कंपनियों का संरक्षण करते हैं और उन्हें दुनिया के गरीब लोगों को लूटने में मदद करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें बढ़ाएंगी तो उन्हें नियंत्रित करने के लिए इस विधेयक में क्या प्रावधान है। विकासशील देशों में आम आदमी के हितों की रक्षा केवल एक अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से ही की जा सकती है। हाल के समय में विश्वव्यापी चर्चा अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से आम आदमी की दवाओं तक पहुंच को सुनिश्चित करने के रास्ते खोजने पर केन्द्रित रही है।

नयी दवाएं, जो पेटेंट संरक्षण में लम्बें समय तक रहेगी वे मुश्किल से उपलब्ध होंगी। वर्तमान दवाओं के मामले में जिनका आविष्कारी प्रक्रियाओं द्वारा निर्माण किया जाएगा, उनके साथ भी यही समस्या होगी। बहुराष्ट्रीय कंपनियां कीमतों में अतिशय वृद्धि कर सकती हैं। इस समस्या से निपटने के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रणाली को उपयुक्त रूप से विकसित करना होगा। ट्रिप्स समझौता एक विदेशी पेटेंट धारक को पेटेंट कराए गए उत्पाद को उस देश में आयात करने की अनुमति देता है जो उसे पेटेंट अधिकार प्रदान करता है। उन्हें स्थानीय तौर पर इसका उत्पादन करने की आवश्यकता नहीं है। यह भारत जैसे विशाल देश में निश्चित रूप से समस्या खड़ी करेगा और हमारे लिए घरेलू उद्यमों के माध्यम से ही उत्पादन करना होगा। केवल घरेलू उत्पादन से ही लोगों में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकती है।

पेरिस संधि और ट्रिप्स समझौते में उपलब्ध अवसरों का अनिवार्य लाइसेंस देने में पूर्णत: इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जब पेटेंट उत्पाद की उपलब्धता अपर्याप्त है तब अनिवार्य लाइसेंस लागू

किया जा सकता है। जब पेटेंट धारक एकाधिकारात्मक कीमतें वसूलने लगें तब अनिवार्य लाइसेंस लागू किया जा सकता है। धारा 84 में संशोधन करते समय इन पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। दोहा घोषणा में उन परिस्थितियों को निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई है जिनमें अनिवार्य लाइसेंस प्रदान किए जा सकते हैं। दोहा घोषणा को ध्यान में रखकर पेटेंट अधिनियम की धारा 86, 87 और 88 को बरकरार रखना चाहिए। वर्ष 1970 के अधिनियम की मूल धारा 86, 87 और 88 को बनाए रखना चाहिए।

महोदय, जब हम इस विधेयक के विरुद्ध की गयी पूर्व आलोचनाओं का अध्ययन करते हैं तो कोई भी यह समझ सकता है कि चिन्ता का मुख्य विषय दवाओं की उपलब्धता और उनकी कीमतें हैं। मैंने इस विधेयक का समर्थन किया होता यदि जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता और उनकी कीमतों को आम आदमी की पहुंच के भीतर रखने को सुनिश्चित करने वाले पर्याप्त रक्षोपाय इसमें किए गए होंगे। विश्व व्यापार संगठन के मानदण्डों के भीतर ही दोहा घोषणा में इस प्रकार के उपायों के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया है। लेकिन यह विधेयक इस पहलू का भी उपयोग करने में असफल है।

केवल पर्याप्त राजनीतिक इच्छा शक्ति रखने वाली सरकार ही ऐसा कर सकती है। यह सरकार जो पोखरन के विषय में बड़ी-बड़ी बातें करती है, वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सामने खड़ी होने में विफल रही है। जब जीवनरक्षक दवाओं का प्रश्न उठता हैं तो विकासशील देशों के समक्ष ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण है, भारत का नहीं। हमारी सरकार ने आम आदमी के लिए जीवन रक्षक दवाओं के संबंध में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध लड़ने का साहस कभी नहीं किया है और न कभी करेगी। लोग यह आशा करते हैं कि श्री नरेन्द्र मोदी जैसे व्यक्ति को बचाने में सरकार ने जो ताकत दिखाई है कम से कम वैसे ही ताकत आम आदमी को जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराने में दिखाया जाए। मैं चाहता हूं कि सरकार अपनी प्राथमिकताएं बदले और अल्पसंख्यकों से लड़ने में अपनी ताकत लगाने के स्थान पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों से लड़ने में अपनी ताकत लगाए।

अन्तिन बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विधेयक में सिएटल के बाद पूरी दुनिया की सामान्य स्थिति पर विचार नहीं किया गया है। सिएटल ने यह दिखाया है कि विकसित देशों के लोग विश्व व्यापार संगठन और ट्रिप्स के विरुद्ध सामने आ रहे हैं। उन्होंने दोहा को सम्मेलन स्थल के लिए क्यों चुना? क्योंकि वे एक आज्ञाकारी देश और आज्ञाकारी लोग चाहते थे जहां कोई विरोध न हो। अत: हमारी सरकार को यह समझना चाहिए कि विकासशील देशों के बीच एकता बन रही है। भारत को इस एकता की अगुवाई करनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश सिएटल के बाद विकासशील देशों में उभर रही एकता जो दोहा में भी स्पष्ट थी, कि अगुवाई करने के लिए भारत उपस्थित नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय, मेरा एक विनम्र निवेदन है। आज जम्मू में जो घटना घटी, उसमें आतंकवादियों के हमले से सिविलियन फैमिलिज के परिवार मौत के शिकार हुए। हमें टेलीविजन द्वारा इसकी जानकारी मिली है। मेरी दरख्वास्त है कि आज आधे घंटे की चर्चा है और होम मिनिस्टर का यहां इंटरवैंशन है। इसलिए सदन उठने से पहले होम मिनिस्टर तैयारी के साथ सदन में आए और सूचित करें कि यह घटना कैसे हुई? इस पर आज ही बयान होना चाहिए। यदि इस बारे में आपकी तरफ से आदेश हो जाएगा तो हम संतुष्ट होकर बयान सुनने का इंतजार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता, उत्तर-पश्चिम): यह अत्यन्त गंभीर विषय है। सदन को जानकारी दी जानी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आज आधे घंटे की चर्चा है और होम मिनिस्टर यहां आएंगे लेकिन वह तैयारी के साथ आएं ताकि इस बारे में बयान दे सकें।

अपराह्न 5.00 बजे

ऐसा कोई उत्तर सरकार की तरफ से आना चाहिये क्योंकि यहां दो-दो मंत्री बैठे हुये हैं।

सभापति महोदय : यह सवाल पहले उठा था। संभव है कि स्टेट होम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर आ जायें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सभापति जी, सरकार सदन को सूचित करे।

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, इस विषय को कई माननीय सदस्यों ने सुबह भी उठाया है और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने पहले ही इसको नोट कर लिया है। मेरे ख्याल से, अब तक उन्होंने वरिष्ठ मंत्री को सूचना दे दी होगी। अत: किसी भी समय वे आ सकते हैं *...(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, यह सरकार के लिए अत्यन्त शर्मनाक बात है कि वो संसद सदस्यों को सारी बातें प्रेस से जानने के लिए छोड़ दे। हमें तथ्य जानने का अधिकार है। उन्हें अपने वरिष्ठ सहयोगी तक यह बात पहुंचानी चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, वे श्री आडवाणी तक बात पहुंचा सकते हैं और वे सदन उठने के पूर्व वक्तव्य दे सकते हैं।

[हिन्दी]

हाउस उठने से पहले सदन को सूचित किया जाए और बयान दिया जाये ताकि जब हम डिबेट में हिस्सा लेंगे तो हमें संतोष होगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): सभापति महोदय, इस दुखद दुर्घटना की जानकारी सभी को हो गयी है। सरकार पूरी तरह से सक्रिय है। मैं पूरी स्थिति की जानकारी लेकर कोशिश करूंगा कि सदन उठने से पहले आप सब को सूचना मिल सके।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): सभापति महोदय, पेटेण्ट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2002 हमारे जैसे देश द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों को आंशिक रूप से दूर कर सकता है किन्तु यह उन समस्याओं को पूर्ण रूप से दूर नहीं कर सकता। स्वयं माननीय मंत्री के शब्दों में हमारी कुछ अन्तरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं है और हमें उन्हें पूरा करना है। भारतीय प्रजातंत्र अपने दायित्वों को ठीक ढंग से समझता है। किन्तु इस अधिनियम में ही अनेक दुरुहताएं हैं। साधारणतया यह बौद्धिक सम्पदा अधिकार अधिनियम के समान है जिसे समझना भी कठिन है। यह विषयों से निपटने का एक परिष्कृत तरीका है।

मैं इस बात की सराहना करता हूं कि दोहा में भारत को कुछ आधार मिला था और वह वहां अपना तथा अन्य विकासशील देशों का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण ढंग से रखने में सफल हुआ। ट्रिप्स का अनुपालन करना बहुत कठिन है किन्तु भिखारी चयनकर्ता नहीं हो सकते। हमारे पास अत्यंत सीमित क्षेत्र है क्योंकि जन स्वास्थ्य विकासशील देश में बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण होता है। जिन से औषधियां हम प्रयोग करते हैं वे सामान्य औषधियां है और बहुत जरुरत की हैं। किन्तु यदि इन औषधियों की आपूर्ति ज्यादा गरीब देशों को की जाए तो विकसित देशों को इन बातों से निपटने के लिए एक लचीला रवैया अपनाना चाहिए क्योंकि इन्हीं देशों में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों से संबंधित मुद्दे उठते हैं। ज्यादा गरीब देश आविष्कारों पर अपना धन नहीं लगा सकते। भले ही हम इनमें से कुछ औषधियां बना भी लें किन्तु उन्हें सदैव अमेरिका में चुनौती दी जाती है। हाल ही में हैदराबाद के हमारे कुछ औषधि विनिर्माताओं को अमेरिका में अपनी औषधियों का विपणन करते समय अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। कोई प्रतिकार नहीं है। इन चीजों में कोई पारस्परिक व्यवस्था नहीं है।

वे सदैव महसूस करते हैं कि बौद्धिक सम्पदा उनका अपना अधिकार है। मैंने नाम का उल्लेख नहीं किया; लेकिन यह डा. रेड्डी की प्रयोगशाला का है। उन्होंने अनेक समस्याओं का सामना किया है। किन्तु अन्ततः वह बड़ी कठिनाई से इसका प्रबंध करने में सफल हो सके। यह एकल अथवा वियुक्त घटना नहीं है। हमारे जैसे देश में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की अनेक घटनाएं हैं। इस स्थिति से अलग ढंग से निपटना होगा किन्तु खंड 84, 85 और 86 के अन्तर्गत कुछ संरक्षण हैं कि किसी पेटेंट की तीन वर्ष की सीमा समाप्त होने के बाद कोई सम्बद्ध व्यक्ति अनिवार्य लाइसेंस के देने के लिए नियंत्रक को आवेदन कर सकता है। यह अनिवार्य लाइसेंसिंग उपयोग किए जाने वाला प्रपत्र नहीं है। यह केवल अन्तिम आश्रय है। अन्यथा हम अपने दायित्वों में असफल हो जाएंगे। यदि हम इसका उपयोग शुरू में ही अथवा प्रति तीन वर्षों में करें तो कौन हमारे देश का विश्वास करेगा? कोई भी हमारे देश का विश्वास नहीं करेगा। हमने इसे बीस वर्ष कर दिया है - पेटेण्ट अधिकारों का उपयोग बौद्धिक सम्पदा के लिए किया जाना है। सामान्य स्थिति में इसका सम्मान करना होगा। हम खंड 84, 85 और 86 के तहत बहाना नहीं कर सकते। हमारा देश सदैव इन औषधियों को बनाने के लिए अनिवार्य लाइसेंस दे सकता है और आम जनता को इन्हें उपलब्ध करा सकता है। आप यह कार्य एक बार कर सकते हैं। लेकिन आप यह सभी वस्तुओं के लिए नहीं कर सकते। अगर यह स्थिति है तो हम इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? इसे स्पष्ट किया जाना है। यह तो एक स्थिति है जिसका पूर्वाभास मैं कर सकता हूं। यह बिना किसी डर अथवा पक्षपात और औचित्य के किया जाना है। इस अधिनियम के संशोधन के लिए जितनी बार भी जरूरी होगा, हमें प्रयास करना चाहिए।

यह भी आवश्यक है कि हमें नियमित अंतराल पर बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की समीक्षा करनी होगी। हमें औषधियों के क्षेत्र में होने वाली घटनाओं के बारे में भी सचेत रहना चाहिए। हम इस समस्या को किस प्रकार सुलझाएंगे, इसकी जांच करनी होगी। जब तक यह कार्य किया जाए, हमें औषधियां पेटेण्ट करने की अवधि में अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा।

एक दूसरी बात यह है कि अनिवार्य लाईसेंसिंग के बहाने के तहत कोई देश जनतांत्रिक मूल्यों के प्रति ज्यादा दायित्वों के बिना अनिवार्य रूप से कह सकता है कि हम इन औषधियों का निर्माण निर्यात हेतु करेंगे। वे उन औषधियों का निर्माण कर सकते हैं। वे उस नियम में ढील दे सकते हैं। यदि वे अन्य देशों को इसका निर्यात करते हैं तो पेटेन्टी (एकस्वी) अपनी अच्छाइयां खो देगा और उसे नुकसान होगा। इसे निर्यात से कैसे जोड़ा जाएगा, इसकी भी जांच करनी होगी। अनेक देश भारत में आ सकते हैं और हमारे पेटेण्ट्रों को खराब कर देंगे और इसी प्रकार हम भी अन्य देशों में ऐसा कर सकते हैं। इस अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रपत्र का उपयोग यदा कदा ही किया जाना चाहिए। किन्तु सामान्य स्थितियों में सामान्य दृष्टि से हमें अपनी प्रतिबद्धताओं के पूरा करना चाहिए। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां माननीय मंत्री जी को बहुत सावधान रहना होगा।

यहां उत्पाद पेटेन्ट संरक्षण है जिसे 2005 में होना है। इससे पूर्व भारत जैसे देश में इसकी नकल करना बेईमान लोगों के लिए अधिक सरल है। इसीलिए उत्पाद को पेटेन्ट करना भी आवश्यक है। यह एक आवश्यक बुराई है जो हमारे जैसे देश में आ जाएगी। हमें इस तरफ देखना है। हमें इस ओर नहीं देखना चाहिए कि उत्पाद का पेटेण्ट करने से देश को नुकसान होने जा रहा है। इससे तो देश का हित होने जा रहा है। इसे 2005 में आना है और मुझे आशा है कि हमारे माननीय मंत्री इन सभी बातों पर आवश्यक सुरक्षा करेंगे।

कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि औषधियों की अधिक कीमत के कारण जन स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। आज कुछ औषधियां ऊंची कीमतों पर उपलब्ध है। यदि संसद अथवा उन कम्पनियों द्वारा जहां वे काम कर रहे हैं, इनकी प्रतिपूर्ति नहीं होती तो आज ये औषधियां प्राप्त करना बहुत कठिन है। यकृतशोध और विषाणु ज्वर के मामलों में औषधियों की कीमत बहुत अधिक है। इन मूल्यों पर औषधियां उपलब्ध होती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप आम आदमी को किस प्रकार औषधियां उपलब्ध कराएंगे। आप आम आदमी के स्वास्थ्य को कैसे सुरक्षित करेंगे? इस देश के गरीब लोगों को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि औषधियां केवल धनी लोगों को ही उपलब्ध है। प्रत्येक जीवन अमूल्य है। गरीब लोगों का जीवन की रक्षा की जानी है। आप इस देश के आम लोगों को ये महंगी औषधियां कैसे उपलब्ध कराएंगे? इस बात को माननीय मंत्री द्वारा स्पष्ट किया जाए ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : यह आपके समर्थन से है ...*(व्यवधान)*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : यदि इससे समस्या हल हो सकती है तो हम यह कार्य करेंगे। लेकिन इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। इस समस्या को अलग ढंग से देखना होगा और अलग ढंग से इसका हल निकालना होगा। मुझे विश्वास है कि श्री मारन जैसे अनुभवी मंत्री देश के आम आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए आधुनिकतम पेटेण्ट औषधियों की उपलब्धता की ओर ध्यान देंगे। यह बहुत आवश्यक है। कृपया उन पहलू की ओर देखें। महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): शुरू में ही हमारे माननीय मंत्री ने 'ट्रिप्स' करार और अन्य अन्तरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के प्रति हमारे दायित्व की याद दिलाई। इससे हमें असहाय के तत्व का भी पता चलता है। उन्होंने असहायता की वकालत की कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के कारण हम कुछ नहीं कर सकते। हम जब भी ऐसा कानून बनाएंगे तो राष्ट्र और इस देश के आम लोगों के हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

वर्ष 1970 में पहला पेटेण्ट विधेयक पुर:स्थापित किया गया था और यह आदर्श कानून था जिसके अन्तर्गत हमारा भेषजीय उद्योग आगे बढ़ा और औषधियों की कीमतें संसार के अन्य देशों की तुलना में सबसे कम थी। जब वर्ष 1999 में पहला संशोधन लाया गया था तो देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों अर्थशास्त्रियों और वैज्ञानिकों ने इस संशोधन के प्रतिकूल प्रभावों की चेतावनी दी थी। केवल यही नहीं, विधि आयोग ने भी सरकार को चेतावनी दी थी और पूछा था कि यह जरूरी है अथवा नहीं। उसके बाद क्या हुआ? बौद्धिक सम्पदा अधिनियम के नाम पर हमारी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने जीवन रक्षक औषधों के मूल्यों में वृद्धि कर दी थी। ये औषधियां देश के आम लोगों की पहुंच से परे हैं।

मैं मंत्री जी सारे देश में सर्वेक्षण कराने का अनुरोध करता हूं ताकि वह वर्तमान स्थिति, 1999 से पहले की स्थिति और 1999 के बाद की स्थिति का मूल्यांकन कर सकें।

मैंने संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ी है। और मैं इस रिपोर्ट को पढ़कर बहुत अधिक निराश हुआ हूं। इसमें ''वहनीय और उचित मूल्य'' की बात कही गई है। ''वहनीय मूल्य क्या होता है?'' जिस मूल्य पर गरीब आदमी इन औषधियों को खरीद सकता है, वही वहनीय मूल्य है, लेकिन अब क्या स्थिति है?

महोदय, हमारे देश में संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य और वे लोग जो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं और जो लोग ऊंचे पदों पर है, उन्हें चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं। उन्हें प्रतिपूर्ति की सुविधा भी प्राप्त है। लेकिन आम लोगों के पास क्या सुविधा है?

[श्री अजय चक्रवर्ती]

आम जनता को क्या सुविधा है; कृषि कामगारों, असंगठित क्षेत्र के कामगारों; शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब लोगों को क्या सुविधा है जिनकी जनसंख्या देश की जनसंख्या का अस्सी प्रतिशत है? उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही हैं? क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि आपने इन जीवन रक्षक औषधों के मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिए इस संशोधन में क्या सुरक्षा उपाय किये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि धनी लोग तो औषधों को ऊंची कीमतें वहन कर सकते हैं। किन्तु देश के आम लोगों, अधिक गरीब लोगों और आम जनता की स्थिति क्या है? वे औषधियों की आकाश को छूने वाली कीमतों को कैसे वहन कर सकते हैं। अत: मेरा अनुरोध है कि बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के नाम पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां लूट रही हैं। वे हमारे देश के लोगों को लूठ रही हैं।

मंत्री जी ने अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के प्रति हमारे दायित्व के बारे में हमें स्मरण कराया। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुआ? उन्होंने ऐसा कानून बनाया है जिसके अनुसार यदि अमेरिका कोई अन्तराष्ट्रीय करार अथवा समझौता करता है, यदि वह करार अमेरिका के लोगों के हित के विरुद्ध है, यदि अमेरिकी कानून और अन्तरराष्ट्रीय कानून के मध्य कोई द्वन्द्व होता है तो अमेरिकी कानून प्रभावी होगा जो अमेरिका के लोगों के हित में होगा। उन्होंने ऐसा कानून बनाया है। श्री सुरेश कुरुप पहले ही यह कह चुके हैं। अमेरिका, यूरोप के किसी देश अथवा किसी लैटिन अमेरिकी देश में सम्मेलन नहीं हुआ। उन्होंने आम लोगों के प्रदर्शन से बचने के लिए सम्मेलन का स्थान दोहा कर दिया। पहले आपने दोहा में संघर्ष किया। किन्तु अन्तत: आप दबाव के आगे झुक गए। लेकिन अमेरिका ने यह कहकर कानून बनाया है कि उनके कानून और अन्तराष्ट्रीय कानून में द्वन्द्व होने पर अमेरिकी कानून प्रभावी होगा। हमें अपने मन में देश का हित, आम लोगों का हित, गरीब लोगों का हित भी रखना चाहिए। औषधियों की मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कठोर प्रावधान होना चाहिए जिनका सेवन हमारे देश के आम लोग करते हैं।

महोदय, हमें यह विधेयक आज प्रात: लिफाफे में प्राप्त हुआ है। मैंने कुछ संशोधन प्रस्तुत किए हैं। किन्तु उन संशोधनों को परिचालित नहीं किया गया है। मैं माननीय मंत्री से अपने संशोधनों को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। अथवा, मैं माननीय मंत्री जी को अनुगृहीत नहीं कर सकता क्योंकि यह हमारे देश के गरीब वर्गों से संबंधित लोगों के जीवन और मूल्य का प्रश्न है। अत: मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री मुरासोली मारन : सभापति महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस विधेयक पर रचनात्मक सहयोग दिया। कांग्रेस के उपनेता यहां उपस्थित हैं। मैं कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उनके सहयोग के बिना यह विधेयक कभी भी पारित नहीं हो सकता था।

मैं संयुक्त संसदीय समिति (जे.पी.सी.) के प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और तहे-दिल से इसका समर्थन करता हूं। दरअसल, इसने अध्याय 16 का प्रारूप दुबारा तैयार किया था। इसने सभी प्रावधान दुबारा तैयार किये थे। आज का दिन मेरे लिए शुभ है। वह इस अर्थ में कि मेरे बन्धु श्री मणिशंकर अय्यर व्याज निन्दा कर रहे थे। शायद इसका कारण है कि वह संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों में से थे। इसलिए वह इस विधेयक का प्रारूप तैयार करने वालों में से हैं। परसों जब हम उनसे मिले थे तो उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण संशोधन का सुझाव दिया था। इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। यह शुभ संकेत है।

पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विधेयक निम्नलिखित स्तम्भों पर आधारित हैं: जनहित, जनस्वास्थ्य और पोषण राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय सुरक्षा, पारम्परिक ज्ञान और पर्यावरण की रक्षा। धारा 3 में वही बात कही गई है जो आविष्कार से संबंधित नहीं है। इसलिए मूल अधिनियम की धारा 3(क) से लेकर 3(झ) में जो कुछ कहा गया है वह एक परीक्षण प्रक्रिया थी। अब यह जटिल हो गयी है। संयुक्त संसदीय समिति ने इसे हटा दिया है। संयुक्त संसदीय समिति ने इसमें सात और चीजें जोर दी है। इनमें से एक का मतलब जनता की नैतिकता से है जिसका मानव जीवन, प्राणि जगत या पादप जगत या स्वास्थ्य या पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यह संयुक्त संसदीय समिति द्वारा सृजित एक नया परिशिष्ट है।

फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात किसी सजीव या निर्जीव पदार्थों के आविष्कार है। उन्हें पेटेंट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, विश्व में या इसके किसी भी भाग में सूक्ष्म जीवी के अतिरिक्त वनस्पति और जीव जन्तु का पेटेंट नहीं किया जा सकता है क्योंकि आप हार्वर्ड माउस या उस जैसी चीजों का सृजन तो कर नहीं सकते हैं। इसीलिए, हमने इस पर रोक लगा दी है।

फिर, जहां तक पारंपरिक ज्ञान या ज्ञान का समूहन या द्विगुणीकरण या पारंपरिक रूप से घटको का संबंध है, प्रतिबंध लगा दिया गया है। इनका पेटेंट नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही सुरक्षित प्रावधान हैं।

मैं पारंपरिक ज्ञान से शुरू करता हूं। धारा 3 के अनुसार यह बिल्कुल पेटेंट योग्य नहीं है। फिर, धारा 64 भी है। यदि कोई चीज हमारे ध्यान से उतर जाती है और पेटेंट हुआ होता है, तो हम उसे वापस ले सकते हैं। फिर धारा 25(1)(क) से लेकर

(ट) तक है। यहां स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। कोई भी आम नागरिक नियंत्रक के समक्ष इस चीज का विरोध कर इसे चुनौती दे सकता है। ये सब हमारे परंपरागत ज्ञान के विशेष सुरक्षोपाय हैं। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीम कैसे बच गया। नीम एक प्रसिद्ध वृक्ष है जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही है। यह अपने कई गुणों के लिए जाना जाता है। यह घावों को भरता है। उसे चुनौती दी गई। यूरोप में उस समय की महान हस्ती डब्ल्यू.आर. ग्रेस ने इसका पेटेंट किया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। श्री अभय फड़के नाम के दिल्ली के एक निर्माता जो 25 वर्षों तक नीम के पेड़ से संबंधित व्यवसाय से जुड़ा रहा है, अदालत में वादियों की ओर से बुलाए गए गवाहों में से एक थे। श्री फड़के ने कानूनी अदालत को बताया था कि उसने बहुत पहले 1985 में ही नीम के तेल को कीटनाशक दवा के रूप में बनाने का तरीका ईजाद कर लिया था। श्री फड़के ने यह तरीका अपनी नंगी आखों से अपने हाथों से ईजाद किया था। आश्चर्य की बात है कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि श्री डब्ल्यू.आर. ग्रेस ने इसे अपने बौद्धिक सम्पदा के रूप में पेटेंट किया था। इसलिए, इसे हटा दिया गया। इस पेटेंट को नकार दिया गया। इसे पेटेंट की सूची से निकाल दिया गया। हम सूक्ष्म जीवी का पेटेंट नहीं कर रहे हैं। इस विधेयक में सूक्ष्म जीवी का पेटेंट नहीं किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार, सजीव या निर्जीव से विकसित चीजों को विशेष रूप से पेटेंट की सूची से अलग रखा जा रहा है क्योंकि स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली सूक्ष्म जीवी कहीं भी पेटेंट योग्य नहीं हैं। अब चूंकि पेटेंट वाले उत्पादों को पुर:स्थापित नहीं किया जा रहा है, किन्तु हमें इन्हें 1.1.2005 से पहले पुर:स्थापित करना होगा। कृत्रिम रूप से विकसित किए गए सूक्ष्म जीव भी पेटेंट योग्य नहीं होंगे। यहां मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। भारत वर्ष में हमारी गृहिणियां एक प्रक्रिया द्वारा दूध से दही बनाती है।

यह सूक्ष्म जीवी से ही संभव है। इसमें 8 से 10 घंटे का समय लगता है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोई अन्य सूक्ष्म जीवी का आविष्कार करता है जो 2 घंटे में दही बना दे, तो उस उत्पाद सूक्ष्म जीवी का पेटेंट नहीं हो सकता है। अर्थात् सूक्ष्मजीवी का पेटेंट नहीं हो सकेगा। ऐसा प्रावधान है। किन्तु जिस तरीका से सूक्ष्म जीवी को विकसित किया गया है उसे पेटेंट किया जा सकता है बशर्ते कि वह आविष्कार के मानदंड को दूर करता हो। यह एक अच्छा उदाहरण है।

महोदय, मेरे कई मित्र विशेषकर श्री श्यामा चरण शुक्ल और श्री मणि शंकर अय्यर ने अधिकार संबंधी अनुज्ञप्ति के बारे में एक सवाल उठाया था। मैं उन्हें यह सूचित करना चाहूंगा कि यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति के पास तकरीबन दो वर्षों तक पड़ा रहा था। वहां इसके एक-एक शब्द पर चर्चा हुई। किन्तु, वहां इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता महसूस ही नहीं की गई। पुनर्याचिका की कीमत पर मैं यह बताना चाहूंगा कि अधिकार संबंधी अनुज्ञप्ति क्या है। यह एक सामान्य वाणिज्यिक अनुज्ञप्ति है। इसलिए, यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो यह अनुमोदन अनुज्ञप्ति प्रदान करने की लोगों की स्वेच्छात्मकता का प्रतीक है। पर इस विषय को क्यों हटा दिया गया और हमने क्यों नहीं इसमें उसको स्थान दिया? इस कारण है कि हमने इस अधिनियम की धारा 92 के अन्तर्गत एक बहुत ही शक्तिशाली प्रावधान बना रखा है। ब्रिटेन में अधिकार संबंधी दो तरह की अनुज्ञप्तियां हैं। एक विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के देशों के लिए है और दूसरी उन देशों के लिए हैं जो विश्व व्यापार संगठन में शामिल नहीं है किन्तु उन देशों ने भी वर्ष 1999 में अपने कानून में संशोधन किए हैं।

अत:, हमारे कानून की धारा 92 बहुत ही शक्तिशाली है। यह अधिकार संबंधी सभी तथाकथित अनुज्ञप्तियों का विलोप कर देती है। अधिकार संबंधी अनुज्ञप्ति के संबंध में मैं एक विख्यात लेखक डेविड बेनब्रिज को उद्धृत करना चाहूंगा। फाइनेन्सियल टाइम्स द्वारा प्रकाशित अपनी पुस्तक ''इन्टिलेक्चुअल प्रोपर्टी'' (बौद्धिक सम्पदा) में जो उन्होंने कहा है वह इस प्रकार है-

> ''इस उपबंध का उपयोग उस प्रोप्राइटर के द्वारा किया जा सकता है जो अपने पेटेंट का उपयोग बेहतर परिणाम के लिए करने में सक्षम नहीं रहा है।''

उनका कहना है कि केवल वे ही लोग इस प्रावधान का उपयोग कर सकेंगे जो अपने पेटेंट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अत: रजिस्टर में इस बात की प्रविष्टि करना की अनुज्ञप्तियां अधिकार के रूप में प्राप्य संपत्ति हैं, का कोई महत्व नहीं रह जाता है क्योंकि यदि कोई आविष्कार या उपलब्धियां वाणिज्यिक रूप से प्रथम दृष्टया आकर्षक होती है, तो प्रोप्राइटर को किसी कार्य या विशिष्ट अनुज्ञप्ति के अंतर्गत इन उपलब्धियों का भरपूर उपयोग करने वाले संगठन कम्पनी बनाने में कठिनाई नहीं होगी। यदि मांग बढ़ी, तो वह इस अनुज्ञप्ति को बेच भी सकेगा। किन्तु, जब इसकी व्यावसायिक दृष्टिकोण से मांग नहीं हुई तो वह इस प्रकार की अनुज्ञप्ति को अपने उपयोग के लिए रखेगा। जैसाकि उनका कहना है कि अधिकार संबंधी अनुज्ञप्ति एक नि:शुल्क विज्ञापन है तो इस तरह के नि:शुल्क विज्ञापन के अलावा उसे एक और फायदा भी है। यह प्रोप्राइटर के लिए अतिरिक्त बोनस है, क्योंकि उत्तरोत्तर नवीकरण फीस कम हो जाती है। बस, यही अंतर है। अब हमने इसे हटा दिया है। बदले में, हमने एक अत्यधिक शक्तिशाली अध्याय 16 जोड़ा है।

महोदय, कई माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया है कि क्यों हमने तीन साल का समय दिया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि

[श्री मुरासोली मारन]

तीन साल के समय की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मूल अधिनियम की धारा 100 के अनुसार सरकार इसका कभी भी उपयोग कर सकती है। इसकी कोई समय सीमा नहीं है। बस, हमें केवल इसकी अधिसूचना जारी कर इसका उपयोग करना है। फिर धारा 47 में कहा गया है कि पेटेंट कतिपय शर्तों पर ही दिया जा सकता है। धारा 102 में आविष्कार का अधिग्रहण और केन्द्र सरकार द्वारा पेटेंट की बात कही गई है। केन्द्र सरकार क्यों पेटेंट कर दवा का अधिग्रहण करेगी तो वह ऐसा केवल जनस्वास्थ्य प्रणाली के हित में ही कर सकती है। वह इसे खरीदकर अस्पतालों को बेच सकती है, या किसी तीसरे पक्ष को दे सकती है। इसलिए, ये सभी प्रावधान मौजूद हैं।

मैं श्री सुरेश कुरूप को सूचित करना चाहूंगा कि यह कोई जरूरी नहीं है कि हम तीन सालों तक प्रतीक्षा करते रहें। यदि सरकार चाहे, तो वह कभी भी 47, 100 और 102 धाराओं के अन्तर्गत इन सभी प्रावधानों को लागू कर सकती है। ये प्रावधान कभी भी लागू किए जा सकते हैं और पेटेंट धारी का अधिकार छीना जा सकता है। इसलिए अब जो महत्वपूर्ण है वह है अध्याय 16 जिसमें अनिवार्य अनुज्ञप्ति के बारे में कहा गया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : साढ़े पांच बजे हैं और इस समय "आधे घन्टे की चर्चा" पर विचार होना है। सभा की सहमति हो, तो इस विधेयक के निष्पादन के बाद माननीय गृह मंत्री जी का जम्मू व कश्मीर में हुई घटना के बारे में वक्तव्य होगा और उसके बाद आधे घन्टे की चर्चा की जाएगी।

[अनुवाद]

श्री मुरासोली मारन : यहां एक सामान्य प्रक्रिया है। हमें सरकार को अधिसूचना जारी करनी पड़ती है। हमें विपक्ष का आह्वान करना पड़ता है। हमें सुनवाई करनी पड़ती हैं। वे सभी चीजें होती हैं। परसो जब हम लोग मिले थे, तो हमने पुरजोर शब्दों में कहा था कि राष्ट्रीय आपात स्थिति या नितांत आवश्यक स्थिति में या जनता के गैर-व्यावसायिक उपयोग की स्थिति में सामान्य प्रक्रिया लागू नहीं होगी। अधिसूचना के जरिए सरकार इसे सीधे पेटेंट धारी से या कम्पनी से खरीदकर इसका वितरण कर सकती है। यह बहत ही महत्वपूर्ण चीज है।

अब इस बात का निर्णय कौन करेगा कि राष्ट्रीय आपात की स्थिति है? यह कौन बताएगा कि नितांत आवश्यक स्थिति है? कौन यह बताएगा कि यह जनता के गैर-वाणिज्यिक उपयोग के लिए है? वह एक मात्र सरकार है जो इन सब चीजों को बताएगी। इस तरह की व्यवस्था दोहा घोषणा में उपलब्ध है। अत: धारा 92 का प्रथम इस प्रकार है:-

> "यदि केन्द्र सरकार का समाधान हो जाता है..... तो वह घोषणा कर सकती है।"

यदि वह घोषणा करती है, तो ठीक है। हम किस चीज से विमुख हो रहे हैं? हम सामान्य प्रक्रिया से विमुख हो रहे हैं और धाराओं 83, 87, 88, 89 और 90 के प्रावधान लागू होंगे।

अब हम देखेंगे कि ये हैं क्या। यहां एक सूची है। धारा 83 में आम सिद्धांतों की सूची दी गई है। आम सिद्धांत क्या है? यह आविष्कार वाणिज्यिक स्तर पर भारत में होना चाहिए। इसे और कहीं नहीं किया जा सकता है। इसे यही किया जाना चाहिए। अर्थात् इसे या तो आयात किया जाना चाहिए या फिर यही इसे किया जाना चाहिए।

धारा 83(ग) में कहा गया है:-

> "(ग) कि पेटेन्ट अधिकारों का संरक्षण और प्रवर्तन, प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तन के संवर्धन और प्रौद्योगिकी के अंतरण और प्रसार, प्रौद्योगिकी ज्ञान के प्रस्तुतकर्ताओं और उपयोगकर्त्ताओं के पारस्परिक फायदों के लिए योगदान देते हैं।"

इससे प्रौद्योगिकी-अंतरण में सहायता होगी।

फिर, इसमें कहा गया है:

> "(घ) अनुदत्त पेटेण्ट जनस्वास्थ्य और पोषण की संरक्षण में बाधा नहीं डालें और विशेष रूप से भारत के सामाजिक-आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास के लिए अधिक महत्व वाले सैक्टरों में जनता के हित को बढ़ाने के लिए सामान के रूप में कार्य करें।"

यह और अधिक महत्वपूर्ण बात है।

अंतत: भाग (ङ) में कहा गया है:

> "अनुदत्त पेटेण्ट किसी रूप में केन्द्रीय सरकार को जनस्वास्थ्य की संरक्षा के लिए उपाय करने के प्रतिषिद्ध नहीं करते हैं।"

अत:, इसमें केन्द्र सरकार को भी व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं।

फिर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पेटेण्टों को इसीलिए दिया जा रहा है जिससे कि पेटेण्टीकृत आविष्कारों का लाभ जनता को उचित वहनीय मूल्य पर उपलब्ध कराया जा सके।

श्री अय्यर ने एक प्रश्न पूछा: "उचित वहनीय मूल्य क्या होंगे - इसका निर्णय कौन करेगा?" हमें ही यह निर्णय करना होगा। सरकार को यह निर्णय करना होगा। नियंत्रक प्राधिकारी को ही इसका निर्णय करना होगा। श्री अय्यर ने साफ कहा कि इन सभी बातों को सीधे ही विश्व व्यापार संगठन में नहीं ले जाया जायेगा। इन पर पहले उच्चतम न्यायालय में निर्णय होगा।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : तीन साल बाद?

श्री मुरासोली मारन : नहीं, तत्काल। कृपया यह श्री अय्यर से पूछिए। वे ही यह संशोधन लाए हैं। तत्काल एक अधिसूचना जारी करके यह किया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए इनको खबर करनी पड़ेगी। इसकी खबर किये बिना भी ऐसा हो सकता है। यही कारण है कि हमने इस मांग को अभी छोड़ दिया है।

फिर, अनिवार्य अनुज्ञप्ति दिये जाने के सामान्य प्रयोजन भी हैं। ये प्रयोजन क्या हैं? भारत में आविष्कार का पेटेण्ट प्राप्त करते ही अविलंब उसका वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेटेण्ट प्राप्त कर लिया और उसे रखे रहे, या कृत्रिम मांग पैदा कर दी या उस पर एकाधिकार जमा लिया। ऐसा करना बिल्कुल औचित्यपूर्ण ढंग से व्यावहारिक है। अब औचित्य क्या है - इसका निर्धारण सरकार करेगी। नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा इसका निर्णय किया जाएगा। फिर, भारत में पेटेण्ट प्राप्त करके कोई आविष्कार या अनुसंधान करने में, कम से कम अभी तो, किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर डा. रेड्डी की प्रयोगशाला में कोई वस्तु तैयार की गई। डा. रेड्डी के अनुसंधान कार्य में कोई व्यवधान उत्पन्न करने की हरकत अब नहीं की जा सकेगी। इसलिए यह प्रावधान रखा गया है कि पेटेण्टीकृत वस्तु को उचित मूल्य पर सर्वसुलभ कराया जाए।

और फिर, लाइसेंस देने के पीछे मूल प्रयोजन यही है कि इन वस्तुओं की आपूर्ति भारतीय बाजार में हो सके। इसका अर्थ यह है कि स्थानीय बाजार की आवश्यकता की पूर्ति के पश्चात् फिर उसका निर्यात भी किया जा सकता है। ये प्रावधान इसमें किए गए हैं। इन प्रावधानों से अब पूर्व की सारी बातों का निराकरण हो गया है। इसके प्रावधान से पूर्व, अधिकार अनुज्ञा के नाम पर क्या था? कुछ भी नहीं। यही कारण है संयुक्त संसदीय समिति ने सोच-विचार करके इन्हें हटा दिया है। इसलिए, अधिकार अनुज्ञा जैसी चीज की आवश्यकता अब नहीं है।

मैं समझता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था तो केवल किसी अधिनायकत्ववादी प्रणाली में ही हो सकती है। मामले की तथ्यात्मकता और परिस्थितियों पर ही यह निर्भर है। प्रतीक्षा कीजिए और देखिए कि उच्चतम न्यायालय में इस पर किस प्रकार विधि-विचार होता है।

प्रावधानों की हमने बात की। समय कम है। मैं यही कहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति 1970 के अधिनियम की बात कर रहा था। श्री दिनेश सिंह मंत्री थे, तब भी श्री अय्यर, जो उस समय दीर्घा में बैठे थे, ने यह बात कही थी। मैं इससे भी पहले की बात करूंगा। वास्तव में यह पंडित नेहरू की सोच थी। उन्होंने न्यायमूर्ति राजगोपालन अयंगर समिति का गठन किया था। उस समिति ने सुझाव दिया था कि क्यों न अर्थव्यवस्था के विकास की दृष्टि से प्रक्रिया पेटेण्ट हेतु कुछ प्रावधान रखा जाए। यह एक बड़ी उपलब्धि थी। बड़ी दूरदर्शिता से, बहुत सोच-समझकर अयंगर समिति ने सिफारिशें की थी, मुझे एक टिप्पणी याद है: "पेटेण्ट अधिनियम, 1970 कोई अचानक बन गया विधान नहीं है, बल्कि राष्ट्र-तंत्र की एक सुबद्ध अभिव्यक्ति है।" हमने यह अभिव्यक्ति की है। परिणाम क्या है? उस समय के हिसाब से नीति, उपाय इत्यादि नहीं थे, लेकिन, अब हमें नये जमाने के हिसाब से अपनी तैयारी करनी होगी।

आज, देखिए हम औषधियां बनाते हैं। भारत इस मामले में विश्व भर में पहले स्थान पर है। सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर तथा बौद्धिक क्षमता मूलक उद्योगों में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप चाहें तो मैं सूची दे सकता हूं। हमारे उक्त उद्योग नयी-नयी खोजें कर रहे हैं।

आज ही मैंने एक लेख में पढ़ा कि डा. रेड्डी की प्रयोगशाला में कैंसर के लिए एक नयी औषध की खोज की गई है। हर दिन ही कुछ न कुछ नया हो रहा है। इसका अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ सह-विपणन, सह-विकास किया जा रहा है। यह एक नये युग का सूत्रपात है। यही समय है जबकि हमें प्रतिक्रम-प्रविधि का रवैया छोड़कर अनुसंधान एवं विकास की ओर उन्मुख होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस विधेयक से इसका रास्ता खुलेगा।

मैं पुन: सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं।

श्री मणिशंकर अय्यर : माननीय मंत्री को यह कहना चाहिए कि वे पेटेण्ट तीसरा (संशोधन) विधेयक ला रहे हैं।

श्री मुरासोली मारन : ये विद्वान व्यक्ति हैं, भारतीय विदेश सेवा में रहे हैं। यह होता रहेगा, चाहे इस जगह कोई भी रहे।

श्री मणिशंकर अय्यर : माननीय मंत्री जी केवल यही बात कहनी चाहिए।

श्री मुरासोली मारन : यह आवश्यक नहीं है। वह विधेयक आएगा, 1.1.2005 के पहले इसे लाया जाना ही है। यदि इसमें विलम्ब होगा तो फिर कोई न कोई विश्व व्यापार संगठन के पास चला जाएगा।

श्री श्यामाचरण शुक्ल : माननीय मंत्री जी केवल प्रतिक्रम-प्रविधि कहकर ही विषय का समापन न करें। यह काम नये मार्ग ढूंढ़ने जैसा है, जैसे आप एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ रहे हैं तो चाहे आप दक्षिणी ध्रुव से जाएं या उत्तरी ध्रुव से, चीन का बीच में पड़ना नियत ही है, रास्ता कुछ भी हो सकता है। हमारे इंजीनियर और वैज्ञानिक औषधि अनुसंधान के नये-नये तरीके खोज रहे हैं। यह प्रतिक्रम-प्रविधि नहीं है।

श्री मुरासोली मारन : मैं कह रहा हूं कि हमारे पास नव-प्रवर्तनकारी प्रविधियां हैं। इसलिए प्रतिक्रम-प्रविधि कहने की बजाय, इन्हें अनुकारी प्रविधियां कहना उचित होता। अब मैं नव-प्रवर्तनकारी प्रविधियां ही कहूंगा। ये लोग विशेषत हैं। उनके पास करने को काफी कुछ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 90 प्रतिशत औषधियां प्रजाति विशेषमूलक औषधियां हैं।

श्री अय्यर जानना चाहते थे कि क्या इसमें नवाचार की संभावनाएं रहेंगी। काफी रहेंगी। बल्कि इसके लिए तो नब्बे प्रतिशत स्थान उपलब्ध रहेगा चूंकि जैसा आपको ज्ञात होगा किसी नयी औषधि को विकसित करने में साधारणतया लगभग पांच सौ मिलियन डॉलर का खर्च आ जाता है। दस में से तीन हिस्सा अनुसंधान एवं विकास लागत को निकालने में लग जाता है। दस प्रतिशत परीक्षण के चरण में व्यय हो जाता है। अत:, नव प्रवर्तन या प्रतिक्रम-प्रविधि के लिए सदैव संभावनाएं रहेंगी।

मैं सभी माननीय सदस्यों को उनके सहयोग के लिए पुन: धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि पेटेन्ट अधिनियम, 1970 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

खंड 2

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

धारा 2 का संशोधन

सभापति महोदय : श्री रूपचन्द पाल - उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4

धारा 3 का संशोधन

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:- पृष्ठ 2, पंक्ति 25 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए:

(च क) खंड (झ) में उपखंड (*i*) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:

(1) भेषज पदार्थों में औषधि रासायनिक एन्टिटी, या औषधीय औषधि या औषिध अणु या बल्क औषधि सम्मिलित है; जिनमें आविष्कारी कदम अंतर्वलित होता है। (6)

सभापति महोदय : श्री रूपचन्द पाल - उपस्थित नहीं।

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, मैं अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 14,-

''सूक्ष्म जीवों से भिन्न संपूर्ण पौधे और पशु या उनके कोई भाग किंतु''

के स्थान पर

''संपूर्ण पौधे और पशु या उनके कोई भाग''

प्रतिस्थापित किया जाए। (10)

सभापति महोदय : श्री रूपचन्द पाल के संशोधन संख्या 11 प्रस्तुत करना है - उपस्थित नहीं। श्री श्यामाचरण शुक्ल, क्या आप अपना संशोधन सं. 43 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री श्यामाचरण शुक्ल : मंत्री महोदय के उत्तर के मद्देनजर मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : मैं अब श्री अजय चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत संशोधनों सं. 6 और 10 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन सं. 6 और 10 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5

धारा 5 का संशोधन

सभापति महोदय : श्री रूपचन्द पाल - उपस्थित नहीं।

श्री अजय चक्रवर्ती : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 3, पंक्ति 26 से 29 के *स्थान* पर

निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए:

''5. मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

'5. भेषज पदार्थों सहित किसी भी आविष्कार के लिए पेटेंट उपलब्ध होगा चाहे उत्पाद या प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों से हो बशर्ते वे नई हों, उनमें आविष्कारी कदम अंतर्वलित होता हो और वे औद्योगिक अनुप्रयोग में सक्षम हो।

स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'आविष्कारी कदम' और 'औद्योगिक अनुप्रयोग' शब्दों को 'स्पष्ट नहीं' और 'उपयोगी' शब्दों का पर्याय माना जाये।' (12)

सभापति महोदय : मैं अब श्री अजय चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत संशोधन सं. 12 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन सं. 12 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 8

धारा 10 का संशोधन

सभापति महोदय : श्री रूपचन्द पाल : उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

''कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9

अध्याय IV का संशोधन

सभापति महोदय : श्री रूपचन्द पाल - उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

''कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 10 से 20 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 21

नई धारा 39 का अंत:स्थापन

सभापति महोदय : श्री रुपचन्द पाल — उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 22 से 24 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 25

धारा 48 के स्थान पर नई धारा को प्रतिस्थापन

सभापति महोदय : श्री रुपचन्द पाल संशोधन का प्रस्ताव करेंगे - उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 25 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 27

धारा 53 का संशोधन

सभापति महोदय : श्री रुपचन्द पाल - उपस्थित नहीं।

प्रश्न यह है:

"खण्ड 27 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 27 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 28 से 38 विधेयक में जोड़े गए।

खण्ड 39

अध्याय 16 के स्थान पर नए अध्याय का प्रतिस्थापन

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 27-29 - श्री रुपचन्द पाल — उपस्थित नहीं।

श्री अजय चक्रवर्ती, क्या आप संशोधन संख्या 30 का प्रस्ताव कर रहे हैं?

श्री अजय चक्रवर्ती : हां, मैं संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 13, पंक्ति 22,-

'पेटेंटधारी को अनुज्ञप्ति अनुदत्त करने के लिए निदेश देता है।'

के स्थान पर

अनुज्ञप्ति अनुदत्त करता है 'प्रतिस्थापित किया जाए' (30)

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 31 एवं 32 - श्री रुपचन्द पाल और श्री बसुदेव आचार्य यहां नहीं हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती, क्या आप संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री अजय चक्रवर्ती : जी हां, मैं संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 14, पंक्ति के पश्चात् अंत:स्थापित किया जाए।

"84क सीधे पेटेंटधारी से अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त करने का असफल प्रयास-

(1) जहां पेटेंटकृत आविष्कार का उपयोग करने के लिए आवेदक की व्यक्तिगत प्रतिभाओं का निर्धारण नियंत्रक द्वारा किया गया है और यह कि प्रस्तावित उपभोक्ता ने युक्तियुक्त वाणिज्यिक शर्तों पर पेटेंट का उपयोग करने हेतु पेटेंटधारी से प्राधिकार प्राप्त करने का प्रयास किया है तथा यह कि ऐसे प्रयास युक्तियुक्त समयावधि के भीतर सफल नहीं रहे हैं, वहां नियंत्रक, पेटेन्ट मुद्रांकन की तिथि से तीन वर्षों की समाप्ति के बाद, प्रस्तावित उपयोक्ता को उन शर्तों पर अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करेगा जो वह आवश्यक समझे;

(2) युक्तियुक्त अवधि, जिसके उपरांत प्रस्तावित उपभोक्ता नियंत्रक के पास पहुंच सकेगा, वह पेटेन्टधारक के पास उसके पहुंचने की तिथि से 150 दिन से कम नहीं होगी। प्रस्तावित उपभोक्ता द्वारा पेश किए गए वाणिज्यिक निबंधन और शर्तों को नियंत्रक द्वारा तब युक्तियुक्त समझा जाएगा

यदि उसके द्वारा पेश की गई कोई रायल्टी तथा अन्य पारिश्रमिक निवल कारखाना-द्वार कीमत पर वार्षिक बिक्री कारोबार के चार से आठ प्रतिशत के बीच होगी। लाइसेंस की अवधि पेटेंटधारक को उपलब्ध अवधि के सहविस्तारी होगी। (33)

सभापति महोदय : संशोधन संख्या 34 से 41 – श्री रुपचन्द पाल यहां उपस्थित नहीं हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती, क्या आप संशोधन संख्या 42 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री अजय चक्रवर्ती : जी हां, मैं संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 18, पंक्ति 21 के *पश्चात्* निम्नलिखित *अंत:स्थापित किया जाए।*

''92 क. जनहित में अनिवार्य अनुज्ञप्तियां

(1) पेटेन्ट के मुद्रांकन किए जाने के पश्चात् किसी भी समय, नियंत्रक को, सरकार द्वारा जनहित में राजपत्र में अधिसूचित किए गए अनुसार, सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित किसी भी पेटेन्ट युक्त उत्पाद पर उन निबंधन और शर्तों के अधीन जो वह उचित समझे, अनिवार्य लाइसेंस/लाइसेंसों को जारी करने का अधिकार होगा।

(2) उचित निबंधन और शर्तों एकमुश्त क्षतिपूर्ति राशि अथवा रायलटी होगी तथा अन्य पारिश्रमिक पेटेन्ट की शेष अवधि के लिए पेटेन्टधारक को देय निवल कारखाना-द्वार वार्षिक बिक्री के चार प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा।'' (42)

सभापति महोदय : मैं अब श्री अजय चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 30, 33 और 42 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 30, 33 और 42 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

''कि खण्ड 39 विधेयक का अंग बने।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 39 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 40 से 46 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री अब प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री मुरासोली मारन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मुरासोली मारन : यहां, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री मणिशंकर अय्यर ने उत्पाद पेटेंट के बारे में इच्छा व्यक्त की है। यदि वे और उनका दल माननीय प्रधान मंत्री की अनुमति और मंत्रिमंडल के अनुमोदन से हां कहते है तो मैं एक विधेयक ला सकता हूं जो 2005 में लागू होगा।

श्री मणिशंकर अय्यर : जी नहीं।

1970 के मूल अधिनियम की धारा 4, जिसमें औषधि एवं भैषजों के उत्पाद पेटेंट को शामिल नहीं किया गया था, में इस विधेयक द्वारा संशोधन नहीं किया गया है। यही स्थिति बनी रहनी चाहिए। इस बीच, श्री मुरासोली मारन को विश्व व्यापार संगठन एवं ट्रिप्स परिषद में संघर्ष करना चाहिए। उनके जीतने अथवा हारने के बाद या उन्हें हटाये जाने के बाद हम पेटेंट (तीसरा संशोधन) विधेयक पर विचार कर सकते हैं।

अपराह्न 5.49 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

जम्मू जिले में कालूचक में बस यात्रियों और सैनिक शिविर पर आतंकवादी हमला

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ इस सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि लगभग 6.15 बजे जम्मू जिले में पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर कालूचक के नजदीक एक गंभीर आतंकवादी घटना हुई। सेना से मिलती-जुलती वर्दी में तीन आतंकवादी पठानकोट से जम्मू के

बीच विजयनगर से हिमाचल सड़क परिवहन की एक बस में सवार हुए। जैसे ही बस कालूचक पुल पर पहुंची, आतंकवादियों ने यात्रियों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं। उसके बाद वे बस से उतर गए और बस की तरफ एक ग्रेनेड फेंका। उसके बाद वे सैनिक शिविर कालूचक की तरफ भागे। तीनों उग्रवादी सैनिक शिविर की फैमली लाइन में घुसे जहां उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाना और ग्रेनेड फेंकना जारी रखा, जिसमें कुछ सैनिक और उनके परिवार के सदस्य मारे गए और कुछ जख्मी हो गए।

ताजा रिपोर्टों के अनुसार, हालांकि मुठभेड़ में तीनों उग्रवादी मारे गए, तथापि इस घटना में हताहत हुए व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार से है:-

सेना के तीन कार्मिक, सेना के कार्मिकों के परिवारों के 8 सदस्य और 19 अन्य सिविलियन मारे गए। मारे गए इन 30 व्यक्तियों में 11 महिलाएं और 10 बच्चे थे।

घायल हुए 47 व्यक्तियों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और एक व्यक्ति को जम्मू मेडिकल कालेज अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है।

सेना के वरिष्ठ अधिकारियों, जम्मू से सिविलियन अधिकारियों, दिल्ली से जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, जम्मू और कश्मीर, गृह राज्य मंत्री, जम्मू और कश्मीर और श्रीनगर से पुलिस महानिदेशक, जम्मू और कश्मीर ने घटनास्थल का दौरा किया और स्थिति की समीक्षा की। वे अस्पताल में घायलों से भी मिले।

पाक-अधिकृत कश्मीर में रह रहे लश्कर-ए-तैयबा के प्रवक्ता अबू उसामा ने श्रीनगर में एक समाचार एजेंसी को फोन कर यह दावा किया है कि घटना में लश्कर-ए-तैयबा द्वारा बनाए गए नए गुट अल-मन-सुरेन का हाथ है। जमाएत-उल-मुजाहिद्दीन ने भी इस घटना की जिम्मेवारी ली है। घटना से यह भी पता लगता है कि "आतंकवाद के विरुद्ध संपूर्ण विश्व के संगठित होने के बावजूद" आतंकवादी भयभीत नहीं हुए हैं। यह मात्र संयोग नहीं है कि घटना ऐसे समय में हुई है जब अमरीकी स्टेट विभाग की एक वरिष्ठ अधिकारी देश में दौरे पर हैं।

इस बात को पुनः दोहराया जाता है कि सरकार जम्मू और कश्मीर के भीतर आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और सुरक्षा बल आतंकवादियों के विरुद्ध आसूचना पर आधारित अभियान चला रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप इस कैलेंडर वर्ष के प्रथम चार महीनों के दौरान 601 आतंकवादी, सुरक्षाबलों के हाथों मारे गए जिनमें 190 भाड़े के विदेशी सैनिक हैं।

घटना की गंभीरता को देखते हुए, श्री आई.डी. स्वामी गृह राज्य मंत्री और विशेष सचिव, श्री भंडारी आज जम्मू के लिए रवाना हो रहे हैं।

अपराह्न 5.52 बजे

आधे घंटे की चर्चा

मदरसों का विदेशों द्वारा वित्त पोषण

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब यह सभा मद संख्या 23 - आधे घंटे की चर्चा करेगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): सभापति महोदय, जिस चर्चा को अभी सूचीबद्ध किया गया है वह इस सभा में दिए गए तारांकित प्रश्न के उत्तर से उत्पन्न हुई है। मैं इस चर्चा की अनुमति प्रदान करने के लिए आपका आभारी हूं जो राष्ट्र के लिए इस घड़ी में उन सभी प्रकार की आशंकाओं को दूर करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्हें न केवल मुसलमानों के बीच फैलाया जा रहा है, बल्कि सभी प्रकार की संस्थाओं, चाहे वह हिन्दू हो अथवा बौद्ध हो अथवा मुस्लिम हों, जहां सामान्य शिक्षा के अलावा मानवता पर आधारित धर्म की शिक्षा दी जाती है, में व्यापक रूप से फैलाया जा रहा है।

महोदय, देश में जिस प्रकार से शिक्षा दी जा रही है अर्थात् केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राज्य स्तरीय माध्यमिक शिक्षा, मिशनरी संस्थानों और उनके अंग्रेजी माध्यम से विद्यालय, रामकृष्ण मिशन और उसके विद्यालय तथा महाविद्यालय, गुरुकुल विद्यालय, मदरसा बोर्ड के अन्तर्गत मदरसा शिक्षा वह निचले स्तर पर हमारे देश की शिक्षा प्रणाली की नियमित विशेषताएं हैं।

6-10 एवं 10-16 वर्ष के आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए देश में अपेक्षित संस्थाओं की संख्या बहुत कम थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना के पूरा होने के बावजूद, प्राथमिक जूनियर स्कूल और हाई स्कूल माध्यमिक विद्यालय की प्रतिपूर्ति शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, स्वयंसेवकों, गैर-सरकारी संगठनों की निजी रूप से संगठित पहल के द्वारा संबंधित राज्य सरकार द्वारा किसी उचित तिथि को मान्यता की आशा के साथ असंगठित विद्यालयों एवं संस्थाओं का आयोजन करने के लिए होता है। ऐसे संस्थाएं भी हैं जिन्हें न्यासियों द्वारा चलाया जाता है।

जहां तक मदरसा शिक्षा का संबंध है, इसके दो प्रकार है। जिनमें से एक राज्य स्तरीय माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम के अनुसार मान्यताप्राप्त मदरसा है और ये मदरसा बोर्ड द्वारा अनुमोदित है तथा दूसरे असंगठित मदरसा है और इनका संचालन तीन प्राइमरी, जूनियर हाई एवं सीनियर हाई मदरसा स्तरों पर किया जाता है।

जहां तक निजी मदरसों का संबंध है, इन्हें खारोजी मदरसा कहा जाता है, जिनका वित्तपोषण अपनी निजी समझ पर इस्लाम में विश्वास के आधार पर जकात, फितरा, कुरबानी और अन्य तरीकों से किया जाता है। पश्चिम बंगाल, राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित जिलों में विद्यार्थियों को प्रवेश देने के लिए अनेक मदरसे हैं। यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि बंगाल के विशेषकर मान्यता प्राप्त मदरसों में दोनों ही समुदायों के छात्र हैं, और दोनों ही समुदायों के शिक्षक हैं जो राज्य के माध्यमिक बोर्ड द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ा रहे हैं। मैंने स्वयं एक मदरसे का दौरा किया था, जिसका नाम जाकुआ मदरसा है। वहां मैंने देखा कि 45 प्रतिशत विद्यार्थी एवं अध्यापक हिन्दू हैं और शेष मुस्लिम हैं। इसी प्रकार का पाठ्यक्रम मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र समसी के मोतीगंज मदरसा में पाया। यद्यपि यह मदरसा मान्यता प्राप्त नहीं हैं लेकिन वहां पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम पश्चिम बंगाल सरकार की माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम है।

जब हम शिक्षा के आधुनिकीकरण एवं आधुनिक शिक्षा चुनिंदा तरीके से प्रदान करने की बात करते हैं तो यह कहना ठीक नहीं है कि केवल मदरसों का आधुनिकीकरण नहीं किया गया है। सरकार द्वारा संचालित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों के उदाहरण हैं जहां विद्यालयों की छत नहीं हैं और विद्यार्थियों को बैठने एवं अध्ययन करने के लिए स्थान नहीं मिलता है। उन क्षेत्रों में अध्यापकों की उपस्थिति भी नियमित नहीं है।

धर्म का अध्ययन केवल मदरसों तक ही सीमित नहीं है। प्राचीन काल से हमारे ऋषियों, मुनियों के समय से ही सर्वोच्चतम शिक्षा की शुरूवात वेदों, उपनिषदों, पुराणों और सभी प्रकार की धार्मिक परम्पराओं के अध्ययन से हुई। गुरूदेव टैगोर ने भी अपनी अनेक रचनाओं में कहा है कि पुराने समय में प्राथमिक शिक्षा उपनिषदों की शिक्षाओं पर आधारित हुआ करती थी। आज भी हमारे देश में ऐसे स्कूल, कालेज एवं विश्वविद्यालय हैं जहां वेदों से पुराणों उपनिषदों, रामायण एवं महाभारत के उपदेशों का अध्ययन किया जाता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के आधुनिक भाषाएं विभाग की स्नातकोत्तर कक्षाओं में बंगाली साहित्य का अध्ययन हिन्दू एवं मुसलमान दोनों करते हैं जिसमें 'भगवान कृष्ण के उपदेश' और वैष्णव धर्म अनिवार्य विषय हैं जिसका गहराई से अध्ययन करना होता है। इसलिए शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में धर्म का अध्ययन अपराध नहीं है और इसका विरोध एकदम नहीं किया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में अधिकार संविधान से प्राप्त होते हैं। जब हम रामकृष्ण मिशन के किसी विद्यालय में जाते हैं तब हमें 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधित:' कहना होता है। जब हम किसी ईसाई विद्यालय में जाते है तो हमें ईसा मसीह के सन्देशों को पढ़ना होता है। जब हम किसी हिन्दू विद्यालय जिन्हें 'गुरुकल' कहा जाता है में प्रवेश लेते हैं तो वहां हमें सर्वप्रथम गायत्री मंत्र ''ऊं भूर्भुव: स्व: तत् सवितुर्वेरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योन: प्रचोदयात्'' पढ़ाया जाता है। किसी भी मदरसा में चाहे वह प्राथमिक स्तर का ही हो - वहां बच्चों को प्राथमिक स्तर पर ही पवित्र कुरान का वास्तविक सन्देश अरबी और फारसी भाषाओं में पढ़ाया जाता है जिनके अंतर्गत पवित्र कुरान में मुस्लिमों के विश्वास के मूल सिद्धान्त अनुस्युत हैं जैसे कि हिन्दू भी महसूस करते हैं कि कुछ मंत्र जैसे कि गायत्री मंत्र केवल संस्कृत में ही उच्चरित किए जाएं। यह अत्यन्त अद्भुत एवं रूचिकर तथ्य है कि इससे हमारे विश्वास एवं राष्ट्र की एकता मजबूत होती है। इसलिए, यह प्रचार करना कि विदेशी अनुदान लेकर मदरसे धर्म की शिक्षा देते हैं और वह धर्म हिंसा भड़का रहा है, एकदम सच नहीं है।

जब यह बहस हमारे राज्य में शुरू हुई जहां कि अन्य किसी भी राज्य की तुलना में मदरसों की संख्या अधिक है तो मैंने 120 मदरसों का दौरा किया और पाया कि उन 120 मदरसों में से 70 से अधिक मान्यता प्राप्त नहीं हैं और वहां विद्यार्थी रात को एक ही कमरे में रहते हैं, उन्हें मच्छर काटते हैं, और उन्हें खाना मुस्लिमों के सहयोग से मिलता है जिसे वे कुरबानी, फितरा और जकात के रूप में जुटाते हैं। अध्यापक जिन्हें मौलवी कहा जाता है, उन्हें 75 रुपये से 100 रुपये, अधिक से अधिक 200 रुपये तक बच्चों की देखभाल करने का पारिश्रमिक मिलते है। यह सच है कि देश आतंकवाद से लड़ने को प्रतिबद्ध है, देश सीमा पार से आतंकवाद को समाप्त करने को दृढ़संकल्प है। हमने देखा है कि आज जम्मू में क्या हुआ है जैसा कि गृह मंत्री ने सूचना दी है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में चाहे वह जहां भी हो जिस भी प्रकार का हो - पूरी संसद सरकार के साथ है।

सायं 6.00 बजे

महोदय, लेकिन आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के नाम पर हम देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था का विरोध इस प्रकार न करें कि सभी आतंकवादी ही बन जाएं। यदि किसी स्कूल या कालेज का कोई प्रोफेसर या विद्यार्थी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हो - जैसे प्रोफेसर जिलानी को संसद पर आक्रमण के संबंध में गिरफ्तार किया गया है - तो उसे पकड़े, गिरफ्तार करें लेकिन शिक्षा प्रणाली पर दोषारोपण न करें।

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

महोदय, जब नक्सलवादी आन्दोलन शुरू हुआ था तो अधिकांश नक्सलवादी नेता पश्चिम बंगाल स्थित प्रेसीडेन्सी कालेज से पैदा हुए और महत्वपूर्ण नेता भी प्रेसीडेन्सी कालेज से पैदा हुए। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रेसीडेन्सी कालेज और शिक्षा प्रणाली से नक्सलवादी पैदा हुए हैं। महोदय, एक समय लिट्टे के कुछ अनुयायी भी श्रीलंका या भारत के कतिपय विश्वविद्यालयों से आए। इसका यह अर्थ नहीं कि विश्वविद्यालय अपराधी पैदा कर रहे हैं। यदि कोई अध्यापक जैसे कि दिल्ली के प्रो. जिलानी, या कोई छात्र किसी मस्जिद, मंदिर, किसी के घर या मदरसा में शरण लेता है तो उसे गिरफ्तार किया जाए। इस संबंध में हमारे विचार भिन्न नहीं हैं। लेकिन इस मामले में सभी मदरसों पर सामान्य रूप से यह आरोप लगाना गलत है कि वे विदेश से वित्तपोषित हो रहे हैं और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि विदेश से धन विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त किया जाता है और इस कानून को लागू करना एवं निगरानी का कार्य गृह मंत्रालय का है। इस कानून के माध्यम से केवल मुस्लिम संस्थाओं या मदरसों को बल्कि पूरे देश में ईसाई मिशनरियों के विद्यालयों, हिन्दूओं के धार्मिक न्यासों द्वारा संचालित विद्यालयों और गैर-सरकारी संगठनों के विद्यालयों को भी सहायता मिलती है। मैं उन गैर मुस्लिम संगठनों की सूची दे सकता हूं जो कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत विदेश से अभिदान प्राप्त कर रहे हैं। यदि सरकार को पता चले कि विदेश से प्राप्त अभिदान का प्रयोग राष्ट्र विरोधी गुप्त कार्यों के लिए किया जा रहा है तो चाहे वे हिन्दू संस्थाएं हों या मुस्लिम संस्थाएं हों, सरकार को उनके साथ कड़ाई से पेश आना चाहिए और हम इसका समर्थन करेंगे लेकिन सामान्य तौर पर शिक्षा प्रणाली ही पर दोषारोपण करना, मदरसा और भदरसा बोर्डों पर दोषारोपण करना, इस प्रतिकूल समय में उचित नहीं होगा।

इसलिए मेरे प्रश्न अत्यन्त सीमित है। मेरा प्रश्न है कि क्या मंत्री महोदय के पास विशेषकर पश्चिम बंगाल के उन मदरसों की सूची है जो कि पश्चिम बंगाल सरकार की सूचना के अनुसार राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, यदि हां तो क्या उसे ध्यान में लाया गया है और सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार संबंधित राज्य सरकारों को समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को अविलम्ब मान्यता प्राप्त करने की सलाह देगी और इस बात पर ध्यान देगी कि वे मदरसे मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के मुकाबले अपनी धार्मिक शिक्षा के साथ ही प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर राज्य द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रमों को लागू करे। तीसरे मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या संबंधित राज्यों के मदरसा बोर्डों को पूरे देश में वर्तमान मदरसों में अनुकूल वातावरण बनाने और शिक्षा प्रदान करने के लिए आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था हेतु उनका निर्माण, पुनर्निर्माण, नवीनीकरण या पुनर्वास करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता दी जाएगी।

महोदय, मुझे गुजरात के श्री मुफ्ती अहमद देहलवी द्वारा प्रकाशित पुस्तिका को पढ़ने का अवसर मिला। वह गुजरात के मजलिस-ए-तहबीब मदरसों के महासचिव हैं।

महोदय, यद्यपि मैं उनके द्वारा वर्णित बहुत सी बातों से सहमत नहीं हूं लेकिन कुछ बातें अत्यन्त उचित हैं और मैं महसूस करता हूं कि वे मेरे लिए भी संदेश हैं। उनका कहना है विदेश से प्राप्त अभिदान एवं अन्य राशि के उपयोग से उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा के अन्तर्गत बातें सम्मिलित है (क) छोटे बच्चों को पवित्र कुरान का संदेश देना और ईस्लाम की मान्यताओं को समझना (ख) व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा, जीवन के नैतिक मूल्यों से संबंधित सामाजिक आदतें एवं व्यवहार, और (ग) सामाजिक सुधारों और मानव जीवन के आधुनिक मूल्यों, शैक्षणिक व्यवसाय या शिक्षाएं।

अन्त में, उन्होंने उल्लेख किया है कि देश के महान स्वतन्त्रता सेनानी शौकत अली और मोहम्मद अली जो मदरसा शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षित थे, ने भी हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को समझने में पर्याप्त योगदान दिया है। दुर्भाग्य से आज हमारे राज्य में मैं गुजरात और राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं - यह संदेश गया है कि मदरसा गलत कार्य कर रहे हैं, वे राष्ट्र-विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं। महोदय, मैंने 120 मदरसों की यात्रा की और एक मदरसे में विशेष रूप से छह घंटे तक यह जानने के लिए रूका रहा कि वास्तव में वे क्या पढ़ा रहे हैं। महोदय, मैं अरबी और फारसी भाषाएं नहीं जानता। मैंने अपने साथ एक विशेषज्ञ रखा लेकिन उसकी पहचान गुप्त रखी। जब प्रार्थना पूरी हो गई तो मैंने उससे उनके द्वारा पढ़ाए गए पाठ का अनुदान करने को कहा। वहां मैंने संदेश सुना, "बहादुर बनो, ईमानदार बनो, देशभक्त बनों, संकट में मानवता एवं लोगों का सहयोग करों।" यह अनुवाद सुनकर मुझे प्रेरणा मिली। उसके बाद मैंने बच्चों से बात की और उनसे पूछा कि मौलाना ने उन्हें क्या पढ़ाया है। उन्होंने बताया कि उसने वही पढ़ाया। वे मुझसे बंगाली में बोले। यदि मेरे साथ दुभाषिया नहीं रहता तो मेरे ऊपर गलत प्रभाव पड़ता कि संभवत: वे हिंसा फैलाने का आह्वान कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। इसलिए सरकार का कर्तव्य है कि भ्रम को दूर करे।

हम चाहते हैं कि बच्चों को देश के सभी धर्मों की शिक्षाओं से परिचित कराया जाए चाहे वे रामकृष्ण मिशन के विद्यालय में पढ़ रहे हों, या क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल अथवा मदरसों में पढ़ते हों। यदि कोई गलती करता है तो उस के विरुद्ध कानून अपना कार्य करे। कृपया सम्पूर्ण पद्धति पर सामान्य रूप से दोषारोपण न

करें। यदि किसी संस्था में विदेश से प्राप्त धन का दुरूपयोग किया जा रहा है तो उनको पकड़ा जाए, मुझे इस पर आपत्ति नहीं है। यदि आप इन संस्थाओं को लेखापरीक्षा, धन के उपयोग की जांच और इसी प्रकार के सभी उपायों द्वारा कठोर कदम उठाकर विनियमित करना चाहते हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। तथापि, इस गलत छवि को हटाया जाए कि मदरसा राष्ट्र विरोधी भावनाएं पैदा कर रहे हैं और आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं।

मुझे नहीं पता कि पश्चिम बंगाल सरकार ने गृह मंत्री को कोई पत्र भेजा था या नहीं। यदि उन्होंने हमारे राज्य, खासतौर पर मुर्शिदाबाद, मालदा और दिनाजपुर-जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूं - जिलों में चल रहे किसी मदरसा विशेष के कामकाज के बारे में कोई विशेष टिप्पणी की हो, तो कृपया हमें बताएं। हम इस स्थिति को ठीक करने में आपके और राज्य सरकार के साथ सहयोग करेंगे। यह किये बगैर, यदि आप बस आरोप ही लगाते रहेंगे और देश भर में इस मुद्दे को गरमाते रहेंगे तो यह विकट स्थिति होगी। वे सभी युवा इस देश में अलग-थलग पड़ गया महसूस करेंगे। वे सोचेंगे कि उनके बारे में बात करने वाला कोई भी नहीं है। इससे उन लोगों के लिए गलत संदेश जाएगा जो किसी फैसले के लिए अंततः सरकार के दृष्टिकोण और समझ पर ही आश्रित हैं।

महोदय, मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से हूं, उसकी सीमा से लगता हुआ निर्वाचन क्षेत्र श्री शाहनवाज हुसैन का है। आप स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते और मेरे आंसुओं की भाषा नहीं समझ सकते। मैं स्वयं को बड़ा अपराधी अनुभव करता हूं कि 50 वर्षों में भी हम उनके लिए कुछ नहीं कर सके। मैं अपना दोष मानता हूं। वे छोटे-छोटे मुसलमान बच्चे बस एक लुंगी और कमीज में, छह घण्टे के कामकाज के बाद, रात में एक थाली हाथ में लेकर थोड़ा सा चावल पाने के इंतजार में खड़े रहते हैं। उनके मौलाना भी उन्हीं के साथ खाते हैं। सुबह उन्हें नाश्ते में चने मिल जाते हैं, जिन्हें खाकर वे पानी पी लेते हैं। मैंने देखा कि उन्हें 15 मिनट तक कुरान-शरीफ का पाठ कराया जाता है, लगभग बीस मिनट तक उनके धर्म के बारे में बताया जाता है और फिर तीन घण्टे तक गणित, भूगोल और इतिहास पढ़ाया जाता है। सुबह नाश्ते में केवल चने फाँककर वे इन सब चीजों को सीख रहे हैं और हम उन्हें आतंकवादी बता रहे हैं - यह बिल्कुल गलत बात है। सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि सारी गलतफहमियों को दूर करके यह जतलाए कि मदरसा-शिक्षा अनिवार्यतः राष्ट्र विरुद्ध नहीं है। यदि कोई विदेश से प्राप्त धनराशि का दुरुपयोग करे, तो सरकार को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

इन शब्दों और सवालों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, गृह मंत्री जी ने प्रश्न संख्या 223 का जो उत्तर दिया है उससे यह प्रकट होता है कि जैसे विदेशी अभिदाय अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है। सरकार केवल इसीलिए यह परिवर्तन करने जा रही है क्योंकि उसे लगा कि विदेशी अभिदाय अधिनियम के सारे प्रावधान अधिक प्रभावी नहीं हैं।

महोदय, मैं माननीय प्रियरंजन दासमुंशी की बात से पूरी तरह सहमत हूं जिन्होंने स्वानुभव से बताया कि मदरसों में शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों को कैसी पाठ्यचर्या के अन्तर्गत शिक्षा दी जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत भर में ऐसी ही स्थिति है। जहां-जहां इन्होंने जाकर देखा, वहां यह स्थिति हो सकती है; लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि यही स्थिति भारत भर में सर्वत्र है। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। करीब दो हफ्ते पहले के 'इंडिया टुडे' पत्रिका के संस्करण में राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के बारे में एक आलेख छपा था। उसमें यह कहा गया था कि शुरूआत में तो राजस्थान के इन सीमावर्ती जिलों में हिन्दू-मुसलमान की पहचान करना ही कठिन था क्योंकि दोनों ही समुदाय के लोग एक ही प्रकार की वेशभूषा और पगड़ी धारण करते थे।

लेकिन धीरे-धीरे आजकल यह हो रहा है कि उन क्षेत्रों के मुसलमान दूसरे तरीके की वेशभूषा धारण करके स्वयं को हिन्दुओं से अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वे पगड़ी पहनने की बजाय टोपी पहनने लगे हैं और पारंपरिक मुस्लिम-वेशभूषा धारण करते हैं। इस परिवर्तन का कारण यह बताया गया कि उन सीमावर्ती जिलों में कुछ मदरसे खुल गए हैं। यही बात उत्तर प्रदेश के और नेपाल की सीमा से लगे जिलों में देखी गई। इस पर विभिन्न समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में भी काफी आलेख छपे हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से दो-तीन सवाल पूछना चाहूंगा। क्या सरकार मदरसों की पाठ्यचर्या के संबंध में किसी प्रकार का नियंत्रण रख सकती है। अथवा मदरसे स्वयं ही उसे तय करेंगे? मैं मानता हूं कि चूंकि मदरसे निजी संस्थाएं हैं, अतः सरकार का उन पर नियंत्रण नहीं है। लेकिन भारत में और भी तो निजी संस्थाएं हैं। अतः, सरकार कम से कम मदरसों के शैक्षिक पक्ष की ओर तो नियंत्रण कर ही सकती है और उनकी पाठ्यचर्या के बारे में निर्णय ले सकती है। माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी ने एक बार कहा था कि मदरसों में विज्ञान की पढ़ाई कराई जानी चाहिए और इसके लिए वे धनराशि मुहैया कराने को भी तैयार थे। ऐसे में, क्या अब सरकार मदरसों की पाठ्यचर्या के विषय में किसी प्रकार का नियंत्रण रखेगी?

[श्री खारबेल स्वाइं]

महोदय, मेरी दूसरी बात वित्त के बारे में है। यह एक अलग विषय है कि आबंटित धनराशि का उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग, लेकिन चिंतनीय प्रश्न यह है कि मदरसों के वित्तपोषण का स्रोत अब तक क्या रहा है? यह एक जानी बात है कि उन्हें विदेश से धन प्राप्त हो रहा है लेकिन आखिरकार इन मदरसों को किस प्रयोजन से धन दिया जा रहा है? क्या सरकार यह पता लगायेगी?

महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न यह है कि सरकार विदेशी अभिदाय अधिनियम में संशोधन कब करेगी? क्या सरकार का इस अधिनियम में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो इस अधिनियम में संशोधन कब तक किया जायेगा?

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुंबई दक्षिण मध्य): एक क्वश्चन मुझे भी पूछना है।

सभापति महोदय : टाइम नहीं है और नियम भी इजाजत नहीं देता।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, मैंने भी इस विषय पर बोलने का नोटिस दिया है। मैंने इसे लिखित में दिया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : नियम के अनुसार चार नाम ही स्वीकृत हुए हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह महत्वपूर्ण इश्यू है। सदा ही चेयर की तरफ से ऐसा होता है।

श्री मोहन रावले : आप दो-दो मिनट दे दीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, लेकिन दो-दो मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक मुद्दा है। कृपया मुझे केवल दो मिनट बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : ठीक है, कृपया आसन ग्रहण कीजिए।

श्री ई. अहमद (मंजेरी): महोदय, वास्तव में मुझे खुशी है कि मदरसों से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण मुद्दा इस चर्चा में उठा है।

महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहूंगा कि मदरसों के बारे में अनेक भ्रांतियां और गलतफहमियां हैं। मदरसों के विरुद्ध जो अभियान छेड़ा गया है वह वस्तुत: देश के एक समुदाय विशेष के विरुद्ध फैलाई जा रही नफरत का ही एक हिस्सा है। सत्तापक्ष के मेरे माननीय मित्र कह रहे थे कि सरकार को मदरसों की पाठ्यचर्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा कि यदि सरकार अन्य समुदायों द्वारा चलाए जाने वाले अन्य धार्मिक संस्थानों के सम्बन्ध में भी यही कदम उठाए तो कैसा रहे? देश में ऐसे भी संस्थान हैं, जिन्हें संघ परिवार-बहुसंख्यक समुदाय के एक वर्ग द्वारा चलाया जाता है। मैं किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। क्या सरकार उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगी जो एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने में लगे हैं? मदरसों की खिलाफत का यह अभियान वस्तुत: एक अतिवादी अभियान है। तथ्यात्मक रूप से मुझे मदरसों की कार्यप्रणाली का अच्छी तरह से पता है, वहां विद्यार्थियों को अरबी भाषा पढ़ाई जाती है। उन्हें कुरान-शरीफ से कायदा सिखाया जाता है और नैतिक मूल्यों एवं देशभक्ति का पाठ पठाया जाता है। देशभक्ति मुस्लिम धर्म, मुसलमानों का एक अभिन्न तत्व है। मदरसों में यही पढ़ाया जाता है।

वहां विद्यार्थियों को यह सिखाया जाता है कि देश के प्रति अनुराग रखा जाये। लेकिन कोई इस बात को नहीं समझ रहा। वहां नैतिकता की भी शिक्षा दी जाती है। मदरसों के खिलाफ यह अभियान अब अतिवादी हो चला है।

मेरे मित्र, माननीय गृह मंत्री श्री विद्यासागर राव इसी साल 9 अप्रैल को भारतीय युवा जनता मोर्च के प्रतिनिधियों की बैठक का उद्घाटन करने मेरे नगर-कोजीकोड-आए थे। 10 अप्रैल, 2002 के 'द हिन्दू' समाचारपत्र में यह समाचार "मदरसाज़ पोजिंग थ्रैट टु केरलस् सिक्योरिटी" शीर्षक से छपा था। मैं कहना चाहूंगा कि केरल देश का एकमात्र राज्य है, जिससे देश के किसी अन्य हिस्से को कोई खतरा नहीं है। जहां तक केरलवासी मुस्लिमों का सम्बन्ध है, मैं साधिकार कह सकता हूं कि वे हमेशा से देश में अतिवाद और आतंकवाद के विरुद्ध रहे हैं।

10 अप्रैल के 'हिन्दू' समाचारपत्र में प्रकाशित उस रिपोर्ट में श्री विद्यासागर राव ने कहा कि केरल में आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं। मैं पूरी तरह से इसका विरोध करता हूं। फिर उन्होंने कहा, "धर्म प्रचार के नाम पर इन मजहबी संस्थाओं का फलना-फूलना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है।" इसी वर्ष 19 मार्च को श्री के. येरननायडू द्वारा पूछे गये एक प्रश्न के

उत्तर में माननीय मंत्री ने इसी सभा में कहा कि इस प्रकार का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, इन्हीं मंत्री ने भारतीय युवा जनता मोर्चा को दिए गए संशोधन में कहा, "निस्संदेह सभी मदरसों को इस कोटि में कहीं रखा जा सकता। लेकिन इनमें से बहुतों की गतिविधियां संदिग्ध हैं?" मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि उन्होंने उन 'बहुत से' मदरसों के विरुद्ध कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जिनसे खतरा था। मैं बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देश के मेरे मुस्लिम भाई और मेरा दल 'इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग' इस देश की सुरक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को मुसलमानों और मदरसों के विरुद्ध घृणा का अभियान छोड़ने के लिए बढ़ाया-चढ़ाया गया है। देश के एक वर्ग के लोगों को मुसलमान, मदरसा और मस्जिद नाम अभिशाप की भांति लगते हैं।

मैं मंत्री जी से इस पर अपना दृष्टिकोण अभी भी व्यक्त करने का आग्रह करता हूं।

श्री नरेश पुगलिया (चन्द्रपुर): महोदय, भा.ज.पा. में केवल एक ही मुस्लिम है। वह वर्तमान में मंत्री हैं और यही बैठे हुए हैं। उन्हें इस पर अपना दृष्टिकोण बताना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य): वे जवाब देने वाले नहीं हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कितने मदरसे हैं। मैंने बीच में पढ़ा था कि माननीय मंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में मंत्रि समूह को आंतरिक सुरक्षा समिति की स्थापना की गई थी, उस कमेटी की क्या रिपोर्ट है और उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन हुआ है? हमने पढ़ा था, मैं सारे मदरसों के बारे में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ मदरसों के बारे में ऐसा पढ़ा था कि वहां मदरसों में पढ़ाई की आड़ में आतंकवादियों की सुरक्षा की जा रही है, उनकी रक्षा की जा रही है, आतंकवादी वहां से बाहर निकलते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कितने आतंकवादियों के बारे में आपको ऐसा पता चला है और उनके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की है? मेरे पास बुक है, उस बुक में मैंने बहुत से ऐडीटोरियल पढ़े हैं, उसमें मैंने सुना है कि वहां सिर्फ इस्लाम धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती है। वहां किसी को पता नहीं है कि हमारे देश का राष्ट्रपति कौन है। उनको लादेन के बारे में पता है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में पता नहीं है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बाहर से जो फंडिंग होती है, वह फंडिंग किस-किस की होती है? जैसे पाकिस्तान में जेहादियों को मदरसों में ट्रेनिंग दी जा रही थी तो उसके लिए वहां रजिस्ट्रेशन किया गया तो क्या सरकार की तरफ से यहां भी आप रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं? वहां इस्लाम धर्म का शिक्षण दिया जाता है, हमें किसी धर्म के शिक्षण के बारे में आपत्ति नहीं है, लेकिन उसके साथ जैसे पाकिस्तान में एजुकेशन के बारे में चल रहा है कि एडवांस्ड टैक्नोलॉजी के बारे में महिलाओं को शिक्षा दी जाती है, वैसे ही शिक्षा देने की सुविधा आप करवाने के लिए कुछ कोशिश करने वाले हैं क्या? पाकिस्तान ने उन पर पाबन्दी लगाई है। पाकिस्तान के जरिये वे सब अफगान और कश्मीरी ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : पाकिस्तान खुद टैरेरिस्ट्स पैदा करता है, इसलिए करता है। हिन्दुस्तान टैरेरिस्ट्स पैदा नहीं करता। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : लेकिन दबाव आने के बाद उन्होंने रजिस्ट्रेशन करने के लिए मजबूर किया है। क्या वैसे ही आप भी मजबूर करने वाले हैं? आपने जो इंटरनल सिक्योरिटी की कमेटी बनाई है, उसके बारे में भी बताएं?

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): सभापति महोदय, मेरे मित्र श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने मदरसों और उनकी गतिविधियों के बारे में सविस्तार उल्लेख किया है। मदरसों पर सरकार के पक्ष को लेकर देश भर में गलतफहमी है।

मेरे अच्छे और नौजवान मित्र श्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने भी तो बचपन में किसी मदरसे में ही शिक्षा पाई होगी। फिर यह कैसे हुआ कि वे एक मंत्रालय के प्रमुख हैं? यह एक गलतफहमी है। मुझे नहीं मालूम कि उनके जीवन-वृत्त की भलीभांति जांच की भी गई या नहीं। यदि यही सही है और यदि इन्हें मंत्रालय में लिया जा सकता है तो फिर कोई कारण नही कि अन्य लोग, जो विभिन्न मदरसों में शिक्षा पा रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं प्राप्त कर सके?

महोदय, एक उदाहरण की मुझे जानकारी है। मैं केवल सत्यापन हेतु ही नाम दे रहा हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बसकंडी मदरसा नामक एक मदरसा है। दंगे हुए, तो वहां कोकराझार के 92 बच्चों को संरक्षण में लिया गया। मुख्यमंत्री ने मदरसे के लोगों से उनकी देखरेख करने का अनुरोध किया। अब न केवल ये लोग इन बालकों के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, बल्कि उन्हें कम्प्यूटर-शिक्षा भी दे रहे हैं। मैं उन्हें कम्प्यूटर उपलब्ध करा रहा हूं; मैंने उन्हें अपनी संसद-सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से कम्प्यूटर दिलवाए हैं। इसलिए यह कहना कि सभी मदरसे खराब हैं - दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पूरे तंत्र के लिए ही ऐसा कह देना ठीक नहीं। ऐसा देश के हित में है, मानवता के हित में है और हिंदुओं और मुसलमानों - दोनों के हित में है। अतः, यही समय है कि सरकार यह पहचान करे कि फलां मदरसे राष्ट्रविरोधी और

[श्री संतोष मोहन देव]

समाजविरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। यदि ऐसे कोई मदरसे मिलते हैं, तो हमें बताएं। हम उनका बहिष्कार करेंगे।

लेकिन, ऐसा कहना ठीक नहीं है कि सभी मदरसे खराब हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए और न ऐसा हो सकता है।

महोदय, माननीय मंत्री जी केरल गए थे और उन्होंने वहां कुछ वक्तव्य दिया था। मंत्री के नाते उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए प्रयास करें। हमने देखा है कि असम में रहने वाले मुसलमान भी देश के अन्य स्थानों में रहने वाले मुसलमानों जितने ही देशभक्त हैं। सालों से वे वहां रह रहे हैं। चुनावों के समय मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में जाकर इन्होंने मेरे खिलाफ भाषण दिये। राजनीतिक रूप से इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन, उन्हें सुना किसने? इन्हीं मदरसों के लड़कों-बच्चों ने! वोटों के लिए तो इन्हें उनकी मदद चाहिए। यहां बैठे-बैठे ये उन पर टीका-टिप्पणी करते हैं और हंसते हैं। इन्हें चाहिए कि उन्हें संरक्षण प्रदान करें और उनकी बात सुनें, ताकि समस्या उत्पन्न ही न हो।

उस पक्ष के मेरे माननीय मित्र ने भी एक अच्छा मुद्दा उठाया हो। इसे स्पष्ट कर लिया जाय। कई विद्यालय सहायता पा रहे हैं। अब तो कई हिंदू संगठन तक लंदन से सहायता ले रहे हैं। जब मैं मंत्री था तो वहां एक मंदिर में गया था, जिसका उद्घाटन श्री आडवाणी ने स्वयं किया था। वहां उन्होंने मुझे बताया कि वे लोग प्रतिमास भारतीय स्थित संस्थाओं को धन भेजते हैं जिसका उपयोग धार्मिक नहीं, बल्कि विभिन्न अन्य बातों की शिक्षा देने में किया जाता है। इसमें तो कुछ गलत नहीं है।

अंत में, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे ठीक-ठीक और तथ्यपरक उत्तर दें। उसमें भ्रामकता नहीं होनी चाहिए।

नागर विमानन मंत्री (श्री सैयद शाहनवाज हुसैन): सभापति जी, मेरा नाम लिया गया है इसलिए मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। हमारी तालीम भी मदरसे में हुई है। हमारी सरकार ने कभी मदरसों के खिलाफ कोई इस तरह की बात नहीं कही है। पिछली बार भी यह मामला उठा था। पूरे देश के प्रमुख मुस्लिम नेताओं ने प्रधान मंत्री जी के साथ मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि मदरसे ईल्म का चश्मा हैं। जो लोग मदरसों से तालीम लेकर आए हैं, उन्होंने जंगे आजादी में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। मौलाना हसन मौहानी और मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सभी लोग मदरसों से पढ़कर ही आए हैं। मौजूदा बी.जे.पी. की सरकार में मैं मंत्री हूं, मैं भी मदरसे से पढ़कर आया हूं। हमारी सरकार मदरसों को कभी शक की निगाह से नहीं देखती। लेकिन हर बार जब हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो हमारा जो काम करने का तरीका है, वह पसंद नहीं आता इसलिए ऐसा लगता है कि शक कर रहे हैं। विद्यासागर राव जी ने या आदरणीय गृह मंत्री ने या सरकार ने कभी ऐसा नहीं कहा। संसद में प्रधान मंत्री जी कह चुके हैं कि हम मदरसों को इज्जत की निगाह से देखते हैं। सारे मदरसों को एक नजर से देखते हैं, कहीं पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो बात आपने बताई है, मैं भी इनके क्षेत्र में गया हूं और मदरसे में भी जाकर आया हूं, सबको पूरा कांफिडेंस है। हम विश्वास दिलाते हैं कि मदरसों के खिलाफ सरकार नहीं है।

श्री नरेश पुगलिया : सभापति जी, दो दिन पहले जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, उस ट्रेन एक्सीडेंट में ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप आसन ग्रहण करिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : श्री शाहनवाज हुसैन का यह कथन स्वागत योग्य है। उन्हें उन लोगों से भी यह कहना चाहिए जिन्हें गलतफहमियां हैं ...*(व्यवधान)*

श्री ई. अहमद : महोदय, मैंने केवल मंत्री जी की जानकारी में तथ्य लाना चाहा था ताकि वे उन पर स्पष्टीकरण दे सकें ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी): सभापति जी, मदरसों को विदेशों द्वारा वित्त पोषण के बारे में 19 मार्च, 2002 को लोक सभा तारांकित प्रश्न के उत्तर में उल्लिखित विवरण के बारे में चर्चा है। मैं माननीय मंत्री जी से स्पेसिफिकली यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने अपने लिखित उत्तर में जो उत्तर दिया है कि विदेशी अधिनियम, 1976, इस समय जिस रूप में संगठनों द्वारा विदेशी धन प्राप्त करने तथा उनके उपयोग को नियंत्रित करने के संबंध में समुचित सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा है, ऐसा मंत्री जी का उत्तर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह जो अधिनियम 1976 का है, इसमें संशोधन कब ला रहे हैं? मेरा दूसरा सवाल है कि विदेशी धन के उपयोग को नियंत्रित करने वाला ठोस कानून बनाने के लिए सरकार वर्तमान विदेशी अधिनियम के स्थान पर एक नया कानून इस सदन में लाएगी, ऐसा मंत्री जी ने कहा है। यह कानून कब तक संसद में लाएगी और कब तक पारित होगा? ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): सभापति जी, ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप आसन ग्रहण करिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीएच. विद्यासागर राव): महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने इस कार्य में भाग लिया।

यह चर्चा तारांकित प्रश्न संख्या 223 से शुरू हुई है। यह उस दिन दिए गए उत्तरों से स्पष्ट हो जाता है। प्रश्न पूछा गया था:

"(क) क्या सरकार ने देश के सीमा क्षेत्रों में चल रहे मदरसों के विदेशों द्वारा वित्तपोषण के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है – जैसाकि 24 फरवरी, 2002 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और उक्त सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या इन मदरसों का वित्तपोषण विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना कराची स्थित एक न्यास द्वारा किया जाता है।"

(क), (ख) और (ग) का उत्तर 'नहीं' में दिया गया।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के सम्बन्ध में हमने सकारात्मक उत्तर दिया क्योंकि हम इस अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं।

आज की पूरी चर्चा तीन प्रश्नों पर केंद्रित रही; क्या मदरसों को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता मिल रही है; क्या इससे विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है; और, क्या वे अवैध ढंग से गैर-कानूनी गतिविधियों को पोषित कर रहे हैं। मैं इस बहस से यही समझ पाया हूं।

श्री दासमुंशी ने देश के विभिन्न धर्मों के बारे में स्पष्टतापूर्वक कहा। चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म, या सिख हो या बौद्ध धर्म, सरकार भले ही केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारें - के पास देश के अधिकांश निर्धन विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए संरचना बनाने हेतु पर्याप्त धनराशि नहीं है। यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक संस्थाएं सामने आई हैं; उन्हें विदेश से धन प्राप्त हो रहा है और देशवासी शुभचिंतकों से भी। मदरसे इन्हीं के द्वारा चलाए जा रहे हैं।

मैं श्री दासमुंशी के तर्कों से पूरी तरह सहमत हूं, उनके सभी सुझावों को भी मैं स्वीकार करता हूं। इस पर कोई विवाद नहीं है। उस दिन दिया गया उत्तर बिलकुल स्पष्ट था। मैं उसे आगे और स्पष्ट करना चाहूंगा। श्री दासमुंशी मदरसों के संबंध में किसी पुस्तक या वक्तव्य का जिक्र कर रहे थे। मैं 'मदरसा-शिक्षा के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट से उद्धरण दे रहा हूं। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कथन है।

> "भारत सरकार अरबी और फारसी सहित भारतीय प्राचीन भाषाओं के महत्व, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, तथा सामाजिक व राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के प्रति सचेत है। शताब्दियों से मदरसे और मकतबे जैसे पारंपरिक संस्थान अरबी और फारसी भाषाओं के संरक्षण में बहुत सार्थक भूमिका निभाते रहते हैं और देश की सांस्कृतिक विरासत इस्लामी परंपराओं के समन्वित सूत्रपात से समृद्धि हुई है।"

भारत सरकार द्वारा 1980 में स्थापित अल्पसंख्यक सम्बन्धी उच्च-स्तरीय पैनल ने, मदरसा-शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करते हुए, इसके आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर बल दिया है। उसने कहा है:

> "मकतबा और मदरसा जैसे धार्मिक संस्थान अपने विद्यार्थियों को सामान्य एवं प्राथमिक तकनीकी शिक्षा प्रदान करने में उपयोगी भूमिका अदा कर सकते हैं।"

मेरे माननीय मित्र ने कहा कि वे स्वयं भी मदरसा-शिक्षा प्रणाली से पढ़े हैं। यह सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण में सहायता करने का प्रयास भी कर रही है। फिर ये संस्थान चाहे इस्लाम धर्म से जुड़े हों, ईसाई धर्म से जुड़े हों, सिख धर्म के हों या हिन्दू या जिस भी धर्म से जुड़े हों। इसमें कोई पक्षपात नहीं होगा। निर्णय किया गया है कि मदरसों को उनकी पाठ्यचर्या में विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय शामिल करने के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जायेगी। कम्प्यूटर लगाने के लिए भी प्रोत्साहन देने का निर्णय किया गया है। आखिरकार, पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ भी तो मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए कितने कदम उठा रहे हैं।

श्री ई. अहमद : वे पाकिस्तान में कुछ भी करें, उससे हमें क्या?

श्री सीएच. विद्यासागर राव : मैंने बस एक सामान्य संदर्भ में कहा। श्री ई. अहमद ने ठीक ही कहा कि, खासतौर पर सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित कुछ उपासना-स्थलों और धार्मिक संस्थाओं

[श्री सीएच. विद्यासागर राव]

के बारे में इस आशय की रिपोर्टें मिली हैं कि उनका उपयोग राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के संचालन के लिए किया जा रहा है। जैसा मेरे विद्वान मित्र ने कहा, मंत्रि-समूह ने इस रिपोर्ट को मंजूर करके इस हेतु निदेशित भी किया है कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सतत निगरानी की जाये। यह एक सच्चाई है कि सीमापार से आने वाले अधिकांश आतंकवादी उन क्षेत्रों में स्थित मदरसों के जरिये ही भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। अत: हमें इन पर निगरानी रखनी ही होगी। सीमा सुरक्षा बल और अन्य अतंर-राज्यीय सुरक्षाबल इस कार्य में लगे हैं।

मेरे वक्तव्य के बारे में एक और आशंका व्यक्त की गई है। मेरे कथन को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, मुझे इस पर काफी क्षोभ है। भा.ज.पा. सरकार का एक मंत्री होने के नाते, मैंने केरल में इनके निर्वाचन-क्षेत्र में एक बयान दिया। यह सही है कि काफी समाचारपत्रों में वह प्रकाशित हुआ। मदरसों के बारे में मैंने जो कहा, उस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य के समक्ष स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। हमारे दल के युवा मोर्चा के एक सम्मेलन में बोलते हुए मैंने स्पष्ट रूप से यही कहा था कि कुछ मदरसों के बारे में शंका है। मैंने भा.ज.पा. कार्यकर्त्ताओं के समक्ष जो कहा था, उसे ही दोहरा रहा हूं - न कि वह, जो कई समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ था। गृह राज्य मंत्री के रूप में यह वक्तव्य देते समय मैंने बिलकुल स्पष्टता बरती और मैं पूर्णत: सजग था। मैंने यही कहा था कि कुछ मदरसों के बारे में शंका है। साथ ही, माननीय सदस्य ने दूसरे कथन को भी स्पष्ट कर दिया। यदि कुछेक मदरसों में इस तरह की गतिविधयां हो रही हैं तो भी हमें सभी मदरसों पर संदेह नहीं करना चाहिए।

श्री ई. अहमद : समाचारपत्रों में तो यह छपा था कि इससे केरल की सुरक्षा को गंभीर खतरा है।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : मैंने यह बिल्कुल नहीं कहा। मैं तो आतंकवाद की बात कर रहा था। यह सम्मेलन भी आतंकवाद के बारे में था, फिर चाहे वह मुस्लिम आतंकवाद हो, पाकिस्तानी संगठनों की दुस्साहसी गतिविधियां हों या नक्सलियों की हरकतें। मैंने तो अपने दल के कार्यकर्ताओं को सामान्य रूप से आतंकवाद के प्रति आगाह किया था। हरेक राजनैतिक दल का यह कर्तव्य है, कांग्रेस और अन्य दलों का भी - कि वह ऐसा करे।

श्री ई. अहमद : मुझे खुशी है कि माननीय मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : जहां तक उस रिपोर्ट में भारत में रहने वाले मुसलमानों तथा यहां के मदरसों के विषय में मेरी कुछ टिप्पणियों पर उठी आशंकाओं का सम्बन्ध है, यह कह देना संगत होगा कि इस मुद्दे को इसकी व्यापकता में देखा जाना चाहिए और कतिपय कट्टर-इस्लामी संगठनों की विश्व भर में चल रही गतिविधियों के असर से भारतीय मुसलमानों और उनके द्वारा संचालित संस्थाओं के आचार तथा परंपराओं की संरक्षा करने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रयासों का नकारात्मक असर पड़ना एक संभव बात है। इसके लिए केंद्र सरकार पहले से ही कदम उठा रही है।

इसी संदर्भ में मैं मानव संसाधन विकास मंत्री के कथन की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। माध्यमिक व उच्च शिक्षा विभाग देश में स्थित मदरसों के आधुनिकीकरण के मुद्दे पर पहले ही कार्रवाई कर रहा है।

वर्ष 2001-2002 के दौरान इस प्रयोजनार्थ 6.6 करोड़ रु. की अनुदान राशि जारी की गई है, जबकि वर्ष 1996-97 में यह राशि 2.41 करोड़ रु. थी। विगत पांच वर्षों में इस हेतु कुल 22.1 करोड़ रु. की राशि जारी की गई। भारत सरकार यह धनराशि जारी कर रही है और इसने मदरसों का आधुनिकीकरण करने तथा उनकी पाठ्यचर्या में, गणित, विज्ञान और कम्प्यूटर-विज्ञान जैसे विषय शामिल करने का निर्णय किया है। अत:, श्री दासमुंशी ने जिस तरह की आशंका जाहिर की है, इसका प्रश्न ही नहीं है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : चूंकि मंत्री जी ने माना है कि मंत्रि-समूह द्वारा सीमा सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षागत निगरानी-एजेंसियों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई है, अत: क्या वे सीमावर्ती क्षेत्रों के संसद्-सदस्यों को यह बतायेंगे कि किन-किन मदरसों पर संदेह है और वे शंका के घेरे में हैं, ताकि हम ऐसे मदरसों को धनराशि की सहायता न दें? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उन्हें संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से धनराशि दे रहे हैं। कम से कम मैंने बीस मदरसों को धनराशि दी है। यदि आप ऐसे मदरसों के बारे में सीमावर्ती क्षेत्रों के संसद सदस्यों को बता सकें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी।

श्री सीएच. विद्यासागर राव : हम यह पहले ही माननीय सदस्यों को प्रस्तुत कर चुके हैं। मैंने यह बात पहले भी कई बार कही है। माननीय सदस्य मुझे अलग करने का प्रयास कर रहे थे *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि कहीं राष्ट्र को हमारे बारे में यह गलतफहमी न हो जाये कि हम गलत मदरसों को अनुदान दे रहे हैं। यही मेरी बात है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मंत्री जी को पहले अपनी बात पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री ई. अहमद : माननीय मंत्री को चाहिये कि वे इस सदन को विश्वास में ले। यदि कोई ऐसा मदरसा है जिस पर उन्हें संदेह है तो वे उसके बारे में हमें बतायें। हम भी ऐसे मदरसों का समर्थन नहीं करेंगे। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): मैंने आपको छोटा करने के लिए नहीं बोला। *...(व्यवधान)* मैंने कहा कि अगर आप हमें सजेस्ट करें कि फलां मदरसे को पैसा मत दो, हम नहीं देंगे, हम तो आपकी मदद करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास सूचना नहीं होगी तो क्या हम बी.एस.एफ. से जाकर पूछेंगे कि इसे देंगे या नहीं देंगे। *...(व्यवधान)*

श्री सीएच. विद्यासागर राव : बी.एस.एफ. ने कोई भी इंटेलिजेंस को ऐसा जवाब नहीं दिया।

[अनुवाद]

हमने श्री दासमुंशी और अन्य उन संसद सदस्यों पर आपत्ति नहीं जताई है जो संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से मदरसों को धन दे रहे हैं। हम इस पर बिल्कुल आपत्ति नहीं जता रहे हैं। किन्तु इसके उत्तर का जवाब देने के लिए कुछ मदरसों का उल्लेख करना बहुत कठिन है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत मदरसों का सामान्य सर्वेक्षण करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अत: हमें ऐसे प्रावधान की वहां जरूरत है जहां हमें यह आशंका है कि कुछेक मदरसे असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त हो रहे हैं और उन्हें हवाला चैनल के माध्यम से देश के बाहर से भी पैसा मिल सकता है। कुछ मदरसे शक के घेरे में हैं। इस पर कार्रवाई की जा रही है और यह मामला प्रक्रियाधीन है। किन्तु सभी मदरसों के विरुद्ध स्पष्ट आरोप लगाना ठीक नहीं है। अधिकतर मदरसे पहले से ही काम कर रहे हैं। हम उन मदरसों के बारे में निश्चित रूप से सतर्क हैं जो देश में अग्रणी केन्द्र हैं *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): महोदय, गुजरात सीमावर्ती प्रदेश है। उसमें बनासकांठा, कच्छ, भुज तथा कुछ ऐरियाज में मदरसा आए हैं। *...(व्यवधान)* क्या उसका सर्वे आप निश्चित समय में कर पाएंगे?

सायं 6.39 बजे

बीमा (संशोधन) विधेयक – *जारी*

[हिन्दी]

श्री किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): सभापति महोदय, कल इंश्योरेंस बिल की चर्चा में भाग लेते समय मैंने कहा था, *...(व्यवधान)* मैंने जैसा प्रारम्भ में कहा कि कोई भी सैक्टर में प्राईवेट सैक्टर का अगर सहभाग होता है तो उसके दो परिणाम होते हैं। पहला यह कि जो गवर्नमेंट मोनोपोलिस्टिक सैक्टर होता है, उसका बहुत ही नुकसान होता है या अपने आपको कम्पीटिशन में फेस करने के लिए ज्यादा सक्षम बनाता है। मैंने उदाहरण देते हुए कल कहा था कि लाइफ-इंश्योरेंस कोरपोरेशन ने पिछले दो सालों में जो 15 से 20 प्रतिशत ग्रोथ किया अब वह 63 प्रतिशत हो गया है। इस बिल के तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक यह है कि इंश्योरेंस सैक्टर में आई.आर.डी.ए. ने प्रपोज यह किया है कि जो मॉड्रन-टैक्नोलॉजी है जो आईटी सैक्टर है उसका उपयोग करना है यानी क्रैडिट-कार्ड से पेमेंट करना या दूसरे सिस्टम से पेमेंट करना।

दूसरा बिंदु है कोरपोरेट एजेंसी सिस्टम एंड इंटर-मीडियरी। तीसरा हिस्सा है सहकारी कंपनियों को व्यापार करने देना। बीमा क्षेत्र में सहकारी कंपनियों को प्रवेश करने देना। इसमें जो पहले मुद्दा है क्रैडिट-कार्ड और मॉड्रन-टैक्नोलॉजी का उपयोग करना - इसका हमें स्वागत करना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी इस विषय पर एक दम आगे जाकर इंश्योरेंस सैक्टर में मॉड्रन टैक्नोलॉजी का उपयोग करने की अनुमति देकर इस क्षेत्र में ज्यादा निपुणता लाने की कोशिश की है। दूसरे मुद्दों में एक है कोरपोरेट एजेंसी सिस्टम। मैं माननीय मंत्री जी को याद दिलाना चाहूंगा कि पिछली बार इसी प्रकार का एक बिल यहां आया था और हमने एल.आई.सी. के सात-आठ लाख एजेंटों की तरफ से उनका ध्यान आकर्षित किया था। जो इंश्योरेंस रैगूलेटरी अथॉरिटी थी उन्होंने यह प्रावधान किया था, प्रपोज किया था कि जो एल.आई.सी. का एजेंट होगा उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन लेनी होगी, उसे नये सिरे से ट्रेनिंग प्राप्त करनी पड़ेगी। लेकिन जो लोग दस, बीस, तीस साल से इस सैक्टर में हैं उनको भी ट्रेनिंग लेनी आवश्यक होने वाली थी लेकिन हमने माननीय वित्त मंत्री जी से विनती की थी और उसको उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन अगर स्वीकार नहीं किया होता और वह बिल वैसे ही पास हो जाता तो क्या चित्र खड़ा होता? चित्र यह निर्मित होता कि एल.आई.सी. का जो टोटल

[श्री किरीट सोमैया]

बिजनैस एजेंटों के द्वारा आता है वह ठप्प हो जाता है तथा पुन: उन एजेंटों को ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता। उनमें से आधे से ज्यादा एजेंट जिनकी उम्र 50-60 साल की होती, उनका क्या हाल होता, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। हमने उस समय यह मुद्दा रेज किया था कि यह आई.आर.डी.ए. किसके लिए काम करता है? क्या आई.आर.डी.ए. निजी कम्पनियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए ही काम कर रही हैं? जो इंश्योरेंस सैगमेंट में आये उनके लिए या यह सभी कंपनियों के लिए समान अवसर सृजित कर रही है। कभी-कभी आई.आर.डी.ए. के काम करने के ढंग के बारे में समझ में नहीं आता है। आप वित्तीय क्षेत्र के सभी खंडों को खोलते हैं। लेकिन याद रखना पड़ेगा कि 30-40 साल में जो सिस्टम डेवलैप हुआ है, जो सरकारी पीयूसीज डेवलैप हुई हैं उनको एक ही झटके में खत्म करने की कोशिश मत करो। उनको भी थोड़ा सी सांस लेने की जगह दो। यह जो नया बिल आया है उसमें भी उन्होंने इसी प्रकार का प्रावधान किया है। मैंने माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दिया है कि उन्होंने हाउस में खड़े होकर हमारी बात को मान्य किया कि यह जो अमेंडमेंट है वह नये एजेंटों को लागू होगी और जो एग्जिस्टिंग एजेंट्स हैं उन पर लागू नहीं होगी जिसके कारण सात-आठ लाख परिवारों ने चैन की सांस ली। इस विधेयक में भी इन को लिया गया है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि एल.आई.सी. या कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को अपनी मार्किटिंग करने के लिए, अपना डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए क्या करना चाहिए। उन्हें निर्णय करने दीजिए। अगर यह कोरपोरेट एजेंसी सिस्टम है तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? इस बिल का एक ही मकसद है कि क्रैडिट कार्ड के लिए बिल लाने की आवश्यकता नहीं थी, वह तो होल्डर्स के द्वारा क्रेडिट कार्ड स्वीकार किए जाते। प्रचार यह किया जाता है कि क्रैडिट कार्ड और नयी मॉड्रन टैक्नोलॉजी को लाने के लिए आई.आर.डी.ए. ने यह बिल इंट्रोड्यूस किया है। मुझे संदेह है। वास्तव में प्राइवेट सैक्टर की जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वह साल भर से यह प्रयत्न कर रही हैं कि कारपोरेट एजेंसी लाओ। आई.सी.आई.सी.आई. बैंक्स और कोरपोरेट एजेंसीज ओपन करो। बाकी जो प्राइवेट कम्पनियां हैं, जैसे बजाज एलान्यस हैं वे प्राइवेट कारपोरेट को एजेन्ट नियुक्त करेंगे। वह बड़े-बड़े लोगों को एजेंट एप्यान्ट करेंगे। वे क्या करेंगे? वे शहरी क्षेत्रों और महानगरों पर ही ध्यान देंगे। वे लाभ-प्रद व्यवसाय पर ही ध्यान देंगे। उसका दूसरा परिणाम क्या होगा? बड़ा-बड़ा बिजनेस इनके हाथ में है। वह बड़ी-बड़ी और नई-नई कम्पनियों के हाथ में जाएगा। आज एल.आई.सी. के साढ़े सात लाख एजेंट हैं यानी लगभग 40 लाख लोगों का क्या होगा? क्या आप कभी इस बारे में सोचेंगे? मैंने आई.आर.डी.ए. के साथ कई बार इस पर चर्चा की है। वित्त समिति ने भी इस पर उनके साथ कई बार चर्चा की। उन्होंने कहा कि आपको इतनी क्या जल्दी है? प्राइवेट बीमा कम्पनियों और निगमों को बाजार में उतरने दीजिए। उन्हें स्वयं को सिद्ध करने दीजिए। उन्हें परिणाम दर्शाने दीजिए। अभी-अभी प्राइवेट इंश्योरेंस सैक्टर ओपन हुआ है। उसे ओपन हुए डेढ़ साल हुए हैं। डेढ़ साल बाद उनको सब कुछ चाहिए। उन्हें दो या तीन वर्ष काम करने दीजिए। उन्हें अपने काम पर ध्यान देने दें। उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में जाने दे। उन्हें दबे कुचले लोगों तक पहुंचने दें। उन्हें नए उत्पाद लाने दें। उन्हें स्वयं को, अपनी सत्यनिष्ठा, अपने समर्पण को सिद्ध करने दें और तत्पश्चात् नए सुझाव प्रस्तुत कीजिए।

मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप जो नया सैक्टर ओपन करने जा रहे हैं, उसके बारे में फाइनेन्स कमेटी ने कहा कि उन्हें कारपोरेट एजेन्सी प्रणाली को अनुमति देने से पूर्व कुछ समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए।

वित्त समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा:

"समिति उन समस्याओं से अवगत है जब बीमा क्षेत्र में बिचौलियों के आने के बाद वर्तमान जीवन बीमा ऐजेन्टों को उनका सामना करना होगा। अत: वे सरकार से इन एजेन्टों को आवश्यक सुरक्षोपाय प्रदान करने का अनुरोध करते हैं।"

मैं वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपको सेफगार्डस प्रोवाइड करने चाहिए लेकिन वे किस प्रकार के हो सकते हैं? सेफगार्ड्स में यह हो सकता है सामान्य बीमा व्यापार में कारपोरेट एजेन्सी प्रणाली की अनुमति दीजिए। क्योंकि आज जनरल इंश्योरेंस बिजनेस अनएक्सप्लॉयटिड है और उसमें बहुत स्कोप है। जब चार गवर्नमैंट कम्पनियां थी, उनकी मॉनॉपली होने के कारण और प्रतियोगिता न होने के कारण इन्होंने नए क्षेत्रों का दोहन नहीं किया है। इसलिए जनरल इंश्योरेंस में कारपोरेट एजेंसी सिस्टम आने दीजिए। जनरल इंश्योरेंस में इंटर-मीडियरिज आने दीजिए, जनरल इंश्योरेंस आने दीजिए, जनरल इंश्योरेंस में ब्रोकर्स को आने दीजिए। उनसे कहिए कि तीन साल काम करके दिखाइए। परिणाम दिखाइए। इसे एक्सपैंड करो। वित्तीय सेवा आवश्यक है। किन्तु सीधे जीवन बीमा क्षेत्रों में क्यों? वे पहले तीन साल काम करें। प्रैजेंट लाइफ इंश्योरेंस में जो एजेंट्स नियुक्त करने का सिस्टम है, ऐसे में उनके ध्यान में आ जाएगा कि तीन साल के बाद यह सैक्टर कारपोरेट एजेंट्स के लिए खुला होगा। कारपोरेट एजेन्ट्स का क्या अर्थ है? कोई भी लिमिटेड कम्पनी होगी, कोई भी बैंक होगा, कोई भी इस प्रकार की कारपोरेट कम्पनी या एजेंसी होगी जिसका मार्किटिंग नैटवर्क होगा और वह एजेंट्स नियुक्त करेंगे। उससे एल.आई.सी. एजेंट्स का पता लगेगा कि हमें तीन साल में ओपन मार्किट में जाना पड़ेगा। वह अपने को तैयार करेंगे। वह नए-नए नाम और साधन प्राप्त कर लेगा। तीन साल के बाद अगर ऐसा लगता है कि कारपोरेट एजेंट या इंश्योरेंस कम्पनी या प्राइवेट

कम्पनी ने ईमानदारी से काम किया है फिर आप उनकी नियुक्ति करें। मंत्री जी को चालीस लाख लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए।

रिफॉर्म्स के नाम पर कितने नए रोजगार उपलब्ध कर पाएंगे? एक ऑग्यूमैंट यह होती है कि जो बैंकिंग में काम करते हैं, जो नए कारपोरेट एजेंट्स होंगे, उनको नए रोजगार मिलेंगे लेकिन वह कहां से मिलेंगे? क्या वे नए लोगों को नियुक्त करने जा रहे हैं? नहीं। जो एग्जिस्टिंग बैंक हैं, कारपोरेट्स हैं, कम्पनियां हैं, उन्हें यहां एप्यान्ट करने वाले हैं। नए किसी को एप्यान्ट करने वाले नहीं हैं। इससे नए रोजगार उपलब्ध नहीं होने वाले हैं। जो रोजगार में लगे हैं, वे बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए रिफार्म्स का मतलब यह नहीं होता कि रोजगार बंद करो, बेरोजगार का निर्माण करो, जिनकी 10 हजार रुपए इनकम है या 25 हजार रुपए इनकम है, उनकी इनकम 35 हजार हो जाए। हमने स्टैंडिंग कमेटी में एल.आई.सी. के चेयरमैन को बुलाया था। उन्होंने फाइनेंस कमेटी के सामने जो कहा, वह मैं पढ़कर सुनाता हूं। हमने पूछा था कि क्या यह पद्धति इस समय किसी अन्य देश में चल रही है। तो उन्होंने वक्तव्य दिया:

[अनुवाद]

> "कुछ देशों में यह पद्धति सफल रही है। उदाहरणार्थ, फ्रांस में बैंक बीमा बहुत सफल है। नीदरलैंड में यह पर्याप्त रूप से सफल है।"

उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम में वही निजी एजेन्ट पद्धति चलती है। हमने यह प्रश्न पूछा था: भारतीय जीवन बीमा निगम के मौजूदा व्यवसाय, और भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेन्टों के भविष्य और उनके परिवार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उन्होंने बताया:

> "वास्तव में मुश्किल से ही ऐसा कोई बड़ा ग्राम अथवा कस्बा होगा जहां हमारा एजेन्ट नहीं है। स्वाभाविक है कि कारपोरेट एजेन्ट और दलाल कम से कम शुरू में शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों पर ध्यान देंगे।"

उन्होंने यह भी बताया:

> "किन्तु निश्चित रूप से मेरे एजेन्टों और विकास अधिकारियों ने जो आभास मुझे कराया है वह यह है कि इससे असुविधा होगी। और यदि उन्हें असुविधा होती है तो स्वाभाविक है इससे उनके कार्यनिष्पादन पर प्रभाव पड़ेगा।"

[हिन्दी]

इसलिये, चेयरमैन साहब, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की कारपोरेट एजेंसी सिस्टम लाने के लिए प्रयत्न हो रहा है। उसके बारे में थोड़ी सावधानी लेनी पड़ेगी। मैं एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जब हम एल.आई.सी. सिस्टम ओपन कर रहे हैं, उस समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हमने पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर और नैटवर्क डेवलेप कर लिया है? यह कहा गया है: "आई.आर.डी.ए. बहुत अच्छा प्राधिकरण है। यह इस पर ध्यान दे रही हैं और इसे नियंत्रित कर रही है। यह बीमा व्यवसाय को नियंत्रित करेगा।" हमने आई.आर.डी.ए. से क्वैश्चन पूछा था कि जो अनक्लेम्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रीमियम इनकम होती है, उसकी क्या स्थिति है क्योंकि "भारतीय संविधान के अनुसार बिना दावा वाली आय, अवितरित आय भारत सरकार की निधि में जमा अथवा उसके नाम की जानी होती है। लेकिन उन्होंने कहा :"हमने निर्णय नहीं लिया है और हमने कोई विनियमन तैयार नहीं किये हैं।" हमने जब दूसरा प्रश्न पूछा कि जब अलग-अलग कम्पनियां आ रही हैं और अलग-अलग बिजनैस लेकर आ रही हैं तो उनकी क्या स्थिति है? क्या आपके पास कोई प्रणाली है? किस प्रकार की एक्सपैंशन होगी? मैं आपको एक एडवरटाइजमेंट दिखाना चाहता हूं। आपने अनेक अखबारों में इस एडवरटाइजमेंट को देखा होगा। एक विज्ञापन आया था- संयोग से जीवन बदल सकता है। आपका भी, मेरा भी। यह एक विज्ञापन है। यह विज्ञापन किस कम्पनी द्वारा दिया गया है? यह विज्ञापन टाटा ए.आई.जी. द्वारा दिया गया है। विज्ञापन में कहा गया है: "टाटा ए.आई.जी. शांति प्रदान करता है।" यह एक करोड़ रुपये प्रदान करता है। क्या हम कम्पीटीशन के नाम पर इस प्रकार के विज्ञापन मंजूर करेंगे? टाटा ए.आई.जी. के विज्ञापन में कहा गया है: व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा। 99 रुपए प्रतिमाह के लिए एक करोड़ रुपए तक का बीमा (प्रीमियम वार्षिक रूप से देय)"। अगर आप हमारी एक्सीडेंटल पॉलिसी निकालेंगे तो मालूम होगा कि एक महीने का खर्च 99 रुपये है और एक करोड़ रुपया मिलेगा। यह पूर्ण रूप से गुमराह करने वाला विज्ञापन है। आपको पूरे वर्ष का प्रीमियम देना पड़ेगा। प्रीमियम साल भर का भरना पड़ेगा। आप मिसलीड कर रहे हैं क्योंकि एक करोड़ रुपया कब मिलेगा? नीचे बारीक अक्षरों में लिखा हुआ है "यह एक दुर्घटना पॉलिसी है। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस को हो जाती है तो उसे एक करोड़ रुपए मिलेंगे। यह कुछ नहीं है। अगर आप 26 जनवरी या 15 अगस्त को मरोगे तो आपको एक करोड़ रुपया मिलेगा और टाटा ए.आई.जी. देगी। आई.आर.डी.ए. ने क्या किया? नो एक्शन। क्या यही इसका रेगुलेटरी सिस्टम है? मैं आपसे कहना चाहूंगा कि रेगुलेटर की किसी प्रकार की अकाउन्टेबिलटी नहीं है।

[श्री किरीट सोमैया]

चाहे वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, सेबी हो या कोई भी हो।

सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि एश्योर्ड रिटर्न स्कीम किसी भी इंश्योरेंस कम्पनी की मेन सोर्स ऑफ इन्कम होती हैं। वे कैसे निवेश करते हैं? वे कहां निवेश करते हैं। लाभ क्या है। और प्रतिबद्धताएं क्या है? मैंने एल.आई.सी. से सवाल पूछा कि आपकी इतनी इन्कम बढ़ी है, जरा बताइये यह कैसे बढ़ी है। आपको आश्चर्य होगा कि एल.आई.सी. की नॉर्मल इंश्योरेन्स पालिसी का ग्रोथ 35 परसेन्ट है। उनका टोटल 63 परसेन्ट ग्रोथ आने का कारण क्या है, वह मैं आपको बता रहा हूं। पेंशन नीति 1092 प्रतिशत तक बढ़ी है। तत्पश्चात् एकल प्रीमियम नीति 990 प्रतिशत तक बढ़ी है। उसका अर्थ क्या हुआ, वन टाइम प्रीमियम भरो और दस-बीस के बाद इतना एश्योर्ड रिटर्न आपको मिलेगा। क्या एल.आई.सी. और इंश्योरेंस कंपनी का काम म्युचुअल फंड बनना है। उन्होंने एश्योर्ड रिटर्न पालिसी 11.5 परसेन्ट से शुरू की। जब हम चिल्लाये कि यू.टी.आई. का क्या हुआ। यू.टी.आई. ने 1997 से 1999 तक 22 एश्योर्ड रिटर्न मंथली इंकम प्लान अनाउंस किये। परंतु स्थिति क्या है, 30 अप्रैल को पहला मेच्योर हुआ और लगभग 475 करोड़ का नुकसान हुआ। वह नुकसान कौन भर रहा है, यह हाउस वह नुकसान भर रहा है। 8,400 करोड़ का घाटा कौन भरेगा, यह संसद भरेगी। भारत सरकार डेफिसिट पे करेगी। ऑफ कोर्स उन्होंने यह 1997 में शुरू किया। 1991 की पहली एम.आई.पी. के बदले में प्रारम्भ किया। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हम आई.आर.डी.ए. को कहेंगे कि इनवैस्टमैन्ट के लिए आपने क्या नॉर्म्स बनाये हैं। एश्योर्ड रिटर्न स्कीम एक के बाद एक डिक्लेयर हो रही हैं कि आपको 10, 15 या 20 साल के बाद इतना पैसा मिलेगा। आपको पता है कि प्लान्टेशन स्कीम की बीच में एक योजना आई थी। उसमें पांच हजार से दस हजार करोड़ रुपये के बीच में डूब गये। प्लान्टेशन स्कीम वाले पब्लिक को क्या बता रहे थे - टी.वी. पर दो साल की बच्ची और एक छोटा सा पौधा। आप आज सिर्फ दस हजार रुपये भरिये, 19 साल के बाद आपकी बच्ची 21 साल की हो जायेगी और यह पौधा एक बड़ा पेड़ बन जायेगा। आपकी बच्ची की शादी के लिए तब 20 लाख रुपये मिलेंगे। वह प्लान्टेशन स्कीम भी नहीं हैं और न प्लान्टस का कुछ पता है। जब ये बीमा कंपनियां ऐसी सुनिश्चित लाभ योजनाओं के साथ आ रही हैं तो उनका क्या होगा?

मैं एक दूसरी बात की ओर आपकी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मल्होत्रा कमेटी का काफी बार जिक्र हुआ है। कमेटी ने स्पष्ट कहा है कि एल.आई.सी. एजेन्ट्स के लिए प्रोपर सेफगाड्र्स होने चाहिए। मैं आपकी जानकारी में एक और बात लाना चाहता हूं। हमने आर.बी.आई. से सवाल पूछा था - बीमा कम्पनियों अथवा कारपोरेट घरानों में निवेशकों के लिए निवेश हेतु क्या नियम और मानदंड हैं। उन्होंने कहा कि आई.आर.डी.ए. इसके लिए गाइडलाइंस बनायेगा। लेकिन इसमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एश्योर्ड रिटर्न स्कीम वाली बात है, उसी प्रकार से म्युचुअल फंड इंडस्ट्रीज की क्या हालत हुई। 1998 से 2001 तक अनहैल्दी कम्पिटीशन प्रारम्भ हुआ और यू.टी.आई. का कितना घाटा हुआ। आप जानते हैं 22 हजार करोड़ का घाटा हुआ और उसी प्रकार से प्राइवेट म्युचुअल फंड का दस हजार करोड़ रुपये का घाटा हुआ। इसमें किसका नुकसान हुआ, इसमें स्माल डिपाजिटर्स और इन्वैस्टर्स का नुकसान हुआ।

सभापति महोदय, हम इंश्योरेन्स सैक्टर को ओपन करना चाहते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि इसे धीरे-धीरे ओपन करो, ताकि हैल्दी ग्रोथ हो। अगर हम एकदम ओपन कर देंगे तो क्या होगा। इसकी भी वही हालत होगी जो म्युचुअल फंड की हुई।

मैं कोऑपरेटिव सैक्टर की ओर माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें तीसरे बिन्दु में कहा गया है कि कोऑपरेटिव सैक्टर को ओपन करना चाहिए।

[अनुवाद]

सहकारी क्षेत्र में क्या हो रहा है? कपूर समिति की रिपोर्ट है। श्री कपूर जो वर्ष 1999 में भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे उन्हें सहकारी बैंकों के कार्यकरण के बारे में विस्तार से जांच करने हेतु नियुक्त किया गया था। आप सहकारी बैंकों की दोहरी जवाबदेही और दोहरे नियंत्रकों से अवगत हैं। एक नियंत्रक तो राज्य सरकारों का सहकारिता विभाग है और दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक।

सायं 7.00 बजे

[हिन्दी]

क्या पोजीशन है रिजर्व बैंक को पूछो तो कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। स्टेट गवर्नमेंट को पूछो तो कहते हैं कि रिजर्व बैंक करता है। महाराष्ट्र का जो नया स्कैम हुआ है उसकी क्या स्थिति है मैं बताना चाहता हूं। आज पांच डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक बंद होने के कगार पर हैं। महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव बैंक की हालत इतनी खराब है कि कब वह दीवाला निकाल दे पता नहीं। हमें किसी को नियंत्रित नहीं करना है। दोनों एक दूसरे की ओर अंगुली दिखाते हैं। जब आपने बैंकिंग सैक्टर कोआपरेटिव के लिए ओपन किया, वहां पर आपका रिजर्व बैंक कहता है नई शाखा खोलने हेतु किसी रोधित बैंक को अनुमति देने से पूर्व हमें कठोर नियम बनाने चाहिए। और आप इन्श्योरेन्स सेक्टर नया सेक्टर ओपन कर रहे हैं। पैसा किसका जाएगा? कौन पैसा भरेगा? किसका नुकसान होगा? यह इन्होंने आगे लिखा है:

[अनुवाद]

अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय सहकारी बैंकों में वसूली कार्यनिष्पादन संतोषजनक नहीं रहा। चूंकि जून, 1999 के अंत में 12 एस.सी.बी. (42.8 प्रतिशत), 164 डी.सी.सी.बी. (44.7 प्रतिशत) और 11 एस.सी.ए.आर.डी.बी. (57.9 प्रतिशत) का वसूली स्तर 60 प्रतिशत से कम था।

[हिन्दी]

आपने बैंकों के द्वारा देश को और दुनिया को बहुत लूटा, अब हम आपको एक नया दरवाजा खोलकर देते हैं आओ, बीमा क्षेत्र में जाओ। लूटो, मौज करो। क्यों आई.आर.डी.ए. से पूछने से पहले मैं माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध करूं। पहले अगर यह फूलप्रूफ सिस्टम नहीं है तो मत खोलो। क्योंकि हम जानते हैं कि विनियामक किसी के प्रति जवाबदेह नहीं हैं। दो साल, तीन साल, एक साल रेगुलेटर रहते हैं, चले जाते हैं। पैसे हम भरते हैं, नुकसान हमारा होता है।

[अनुवाद]

यह भी कहा गया है:

"30 जून, 1999 को एस.सी.बी. और डी.सी.सी.बी. के स्तर पर उनकी लम्बे समय से कुल बकाया धनराशि 1095 करोड़ रुपए और 2074 करोड़ रुपए का क्रमशः 41 प्रतिशत और 24 प्रतिशत है।"

[हिन्दी]

आगे उन्होने एन.पी.ए. के बारे में इसी प्रकार से फिगर्स दी हैं। मैं सब आंकड़े पढ़ना नहीं चाहता हूं।

[अनुवाद]

यह भी उल्लेख किया गया है:

"वर्ष 1998-99 के दौरान 7 एस.सी.बी., 123 डी.सी.सी.बी, 9 एस.सी.ए.आर.डी.बी. और 517 पी.सी.ए.आर.डी.बी. को घाटा हुआ।"

वर्ष 1998-99 के अंत में ये घाटे 40 प्रतिशत से अधिक थे।

[हिन्दी]

माननीय सभापति जी, जो महाराष्ट्र में हुआ, यह क्यों हो रहा है, इसके प्रति मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज मैं आपको एक पेपर की कटिंग दिखाना चाहता हूं -इंडियन एक्सप्रैस के 14 मई की। "प्रमुख बैंकों ने अर्बन कोआपरेटिव बैंकों के साथ लेन देन बंद कर दी है।" यह अवस्था है महाराष्ट्र की। और उसमें बैंक की सूची दी है कि वहां पर बैंकिंग सैक्टर में, दूसरे अर्बन कोआपरेटिव बैंक के साथ डीलिंग बंद कर दी गई है। क्या अवस्था होगी? आज मैं माननीय वित्त मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप इस पर भी हमें जानकारी दीजिए कि महाराष्ट्र में नागपुर कोआपरेटिव और बाकी कोआपरेटिव बैंक का जो घोटाला हुआ है, वह कितने करोड़ रुपये का है। 14 अलग-अलग एजेन्सीज हस्तक्षेप कर रही हैं। कोई मुख्य अन्वेषक नहीं है।

हमने मांग की है कि सी.बी.आई. को जांच दो। आर.बी.आई. को कोआर्डिनेट करने के लिए बताया। सेबी, पूना स्टाक एक्सचेन्ज, बॉम्बे स्टाक एक्सचेन्ज, गुजरात इकोनॉमिक ऑफिन्स विंग, महाराष्ट्र इकोनॉमिक ऑफिन्स विंग, गुजरात कोआपरेटिव डिपार्टमेंट, महाराष्ट्र कोआपरेटिव डिपार्टमेंट, 14 अलग-अलग एजेन्सीज इसमें इंटरवीन हो रही हैं और इसलिए मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप कोआपरेटिव्स को अलाऊ करने से पहले दो बार सोचें कि हमने क्या अनुभव किया है। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि इस बिल का हम स्वागत जरूर करें लेकिन साथ में जो अनुभव हमें नागपुर कोआपरेटिव बैंक और बाकी कोआपरेटिव बैंक के जो घोटाले हुए हैं, उनके द्वारा जो अनुभव हुए हैं, उसके लिए अंत में दो-चार बात करके अपनी बात समाप्त करूंगा।

मैं सबसे पहले पुनः प्रार्थना करूंगा कि आप मॉडर्न टैक्नोलॉजी जरूर लाइए, हम स्वागत करते हैं। आपको जो भी एक्सपेरीमैंट करना है हमें सामान्य बीमा क्षेत्र में प्रयोग करने दीजिए। कारपोरेट एजेंट करो, इंटरमीडिएट्री करो, ब्रोकर्स करो। इसे होने दीजिए। फाइनेंस कमेटी ने कहा है, एल.आई.सी. एजेंट एसोसियेशन ने कहा है और एल.आई.सी. ने कहा है तीन वर्ष प्रतीक्षा कीजिए फिर दूसरा कीजिए।

तीसरी बात यह है कि मैंने जो बिन्दु आपके पास रखा है सहकारी कम्पनियों के लिए बीमा क्षेत्र शुरू करना। पहले कोआपरेटिव्स को मजबूत करिये। हमारे पास एकल विनियामक हो अथवा यह लीड विनियामक हो सकता है। आप तय करिये। स्टेट्स के साथ बात करिये। यह या तो भारतीय रिजर्व बैंक हो सकता है अथवा यह राज्य सहकारी सोसायटियों द्वारा हो। इसकी कोई समस्या नहीं है किन्तु एक तो हो, लक्ष्य निर्धारित कीजिए। जवाबदेही निर्धारित कीजिए। पहले सब कचरा तो क्लीयर करिये तब तक कोआपरेटिव्स को इंश्योरेंस सैक्टर के लिए ओपन मत करिये। कोआपरेटिव्स के लिए महाराष्ट्र के लोगों ने बहुत मांग की थी। महाराष्ट्र में घोटाला हुआ, सबसे बड़ा घोटाला हुआ। इसमें 700 करोड़ रुपये से ज्यादा रुपये जाने वाले हैं। जब तक यह

[श्री किरीट सोमैया]

क्लीयर नहीं होता तब तक आप कोआपरेटिव्स को इंश्योरेंस सैक्टर में एलाऊ मत करिये। मुझे विश्वास है कि पिछली बार माननीय वित्त मंत्री जी ने हमारी भावनाओं की कद्र करके एल.आई.सी. एजेंट के परिवारों को तथा आई.आर.डी.ए. एवं बड़ी-बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस कम्पनीज के साथ जो बर्बाद होने जा रहे थे, उन्हें रोका था।

इसी प्रकार मैं एक और प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश मेरी समझ में आना कठिन है। हमें इनकी सर्विसेस बढ़ानी पड़ेगी। फाइनेंशियल सैक्टर में, पब्लिक सैक्टर में, सर्विसेस सैक्टर में बहुत स्कोप है। आपको एक बात यह भी कहनी पड़ेगी जैसे आज आपने कहा कि इंश्योरेंस सैक्टर में विदेशी निवेश 26 प्रतिशत तक है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि 26 प्रतिशत क्यों? पहले भारतीयों को प्रवेश की अनुमति दीजिए। आप एक साथ दोनों के लिए नया क्षेत्र क्यों खोल रहे हैं? पहले इंडियन्स को आने दो। दो-चार साल में आ जायेंगे। जब 50 साल हमने वेट की तो आइये हम तीन चार वर्ष प्रतीक्षा करें। ठीक अब आपने 26 प्रतिशत किया है किन्तु कृपया इससे अधिक करने की अनुमति न दें, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इसे 26 प्रतिशत तक सीमित किया जाए। क्योंकि कम्युनिकेशन सैक्टर में हमने 26 परसेंट रखा फिर 49 परसेंट पर गये, अभी कम्युनिकेशन सैक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 49 प्रतिशत हो सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन सैक्टर में अगर कम्पनीज में जिसके 49-51 परसेंट पार्टिसिपेशन है, उस दशा में एफ.आई.आई. पार्टीसिपेट कर सकती है, तो उस 51 परसेंट सैक्टर में 49 परसेंट के लिए एफ.डी.आई. आ सकता है। हम परोक्ष रूप से कम्यूनिकेशन सैक्टर में 74 प्रतिशत से अधिक निवेश की अनुमति दे रहे हैं। क्या इंडिया के पास ऐसे-ऐसे लोग नहीं हैं। अगर इंडिया इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी के सैक्टर में दुनिया में अपना नाम, अपनी बुद्धि, अपने इंजीनियर को एक्सपोर्ट करता है तो क्या फाइनेंशियल सैक्टर सर्विसेस में नहीं कर सकता है। हम यह कर सकते हैं। हमारे पास उस तरह की विशेषज्ञता हो। लिमिटेड रखिये। आप फॉरनेर को कहिये कि आप कोर सैक्टर में आओ, पावर सैक्टर में आओ, इन्फ्रास्ट्रक्चर में आओ। आप उन्हें आकर्षक क्षेत्र, उपभोक्ता क्षेत्र में आने की मांग क्यों कर रहे हैं?

मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय वित्त मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करें कि 26 परसेंट क्रॉस नहीं करेंगे। विदेशी संस्थागत निवेश की किसी की भी कोई परोक्ष भागीदारी न हो। मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री जी हमारी बात को ध्यान में रखकर इन सब भावनाओं की कद्र करेंगे और एल.आई.सी. एजेंट के परिवार के भविष्य को तीन साल के लिए सुरक्षित करेंगे।

मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री ए. ब्रह्मनैया (मछलीपट्नम): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे जो अवसर दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं बीमा (संशोधन) विधेयक, 2001 के पुर:स्थापन का स्वागत करता हूं।

भारतीय जीवन बीमा निगम के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इसके कार्यकलापों में भारी वृद्धि हुई है। देश में एकमात्र बीमा कम्पनी होने के कारण इसमें काफी वृद्धि हुई है।

अनेक लोगों ने बीमा कराया और भारतीय जीवन बीमा निगम निवेश के लिए प्रचुर धनराशि जुटा पाया। हमारे देश के विकास के लिए करोड़ों रुपये का निवेश हुआ। दिसम्बर, 1999 में संसद ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 पारित किया जिसके द्वारा बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा कम्पनी अधिनियम, 1956 और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 में संशोधन हुआ और जीवन और साधारण बीमा कारबार करने वाली राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों का एकमात्र विशेषाधिकार समाप्त हो गया।

महोदय, हमारी अर्थव्यवस्था के उदार होने, हमारे देश की उदारीकृत नीति होने और देश की नई आर्थिक नीति होने के कारण, बीमा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। बीमा क्षेत्र में निजी और विदेशी बीमा कम्पनियों के प्रवेश के कारण कुछ फायदे तो कुछ नुकसान भी हुए हैं। प्रतिस्पर्द्धा से भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रोत्साहन मिला है और इसका कार्यकरण भी सुचारू ढंग से चलने लगा है, लेकिन अनर्हक कम्पनियों द्वारा बीमा क्षेत्र में प्रवेश कर जाने से खतरा बढ़ गया है। हाल ही में, विधेयक में दिये गये ब्यौरे और इसके कथन में दिये गये उद्देश्यों और कारणों के अनुसार बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने हाल ही में 12 कम्पनियों को प्रवेश करने के लिए लाइसेंस दिए हैं।

हमारे जैसे देश में निजी क्षेत्र की कम्पनियों के प्रवेश से बहुत से खतरे पैदा हो गये हैं। हम नवप्रवेशकों के गुणावगुणों के बारे में नहीं जानते हैं। हमारा मानना है कि ये कम्पनियां बड़े समूह वाली कम्पनियों की ही इकाइयां हैं और ये टिकाऊ भी अवश्य होंगी। हम यह भी मानते हैं कि विदेशी कम्पनियां सुव्यवस्थित हैं और इनके पास विशाल परिसंपत्तियां भी अवश्य होगी और ये कभी असफल भी नहीं होंगी। लेकिन यह तो कोई कारण नहीं है। ऐसी कम्पनियां असफल भी हुई है। उदाहरण के लिए एनरॉन को ही लीजिये जो कई वर्षों तक बड़ी बिजली कम्पनी के रूप में मानी जाती थी और जिसकी विश्व भर में कम्पनियां थीं। लेकिन महाराष्ट्र

में डाभोल विद्युत परियोजना के मामले में क्या हुआ? तो हमें पता चला कि इसके बारे में यह सब झूठी बातें थीं और कम्पनी के पास पर्याप्त परिसंपत्तियां अथवा अच्छी प्रबन्धन नहीं थी। इस प्रकार की कम्पनी की असफलता हमें यह अहसास करा देती हैं कि बीमा विनियामक और विकास अधिकरण को अपने देश में निजी कम्पनियों को अनुमति देते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। इस संबंध में विदेशी कम्पनियों को अनुमति देते समय बीमा विनियामक और विकास अधिकरण को कुछ सावधानियां बरतनी होंगी।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या बीमा कारोबार में नवप्रवेशकों की जांच करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने सभी कदम उठाए हैं। यह मात्र भारत में कारोबार के क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व कम्पनी की जांच करने का प्रश्न नहीं है, जिस बात की आवश्यकता है वह यह है कि विदेशी कम्पनियां की अनवरत निगरानी की जानी चाहिये कि वे अपने देश में कैसे कार्य कर रही हैं और क्या हमारे देश में इनकी सहायक कम्पनियों को कोई खतरा है।

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पास केवल आवेदनों की जांच हेतु एक तंत्र होना चाहिए बल्कि निगरानी करने के संबंध में भी एक अनवरत प्रक्रिया होनी चाहिए। अन्यथा भारतीयों को अपनी बचत से हाथ धोना पड़ सकता है और उनकी आर्थिक स्थिति असफल बीमा कम्पनियों के कारण खतरे में पड़ सकती।

विधेयक में एक दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान जिस पर मैं जोर देना चाहूंगा वह बीमा क्षेत्र में सहकारी समितियों के प्रवेश से संबंधित है। मेरे साथी श्री किरीट सोमैया ने बीमा क्षेत्र में सहकारी समितियों के प्रवेश के बारे में कई मुद्दे उठाए थे। हमारे देश में लगभग पांच लाख प्राथमिक सहकारी समितियां है जिनमें से एक लाख क्रेडिट समितियां हैं। ऐसी कई समितियों के सामने अत्यधिक देयों के कारण वित्तीय समस्याएं आ रही है। सहकारी समितियों को अनुमति देने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में बीमा सुविधा पहुंचाने से है और ग्रामीण लोगों को बीमा की पेशकश से है। यह बहुत ही अच्छा उद्देश्य है लेकिन मैं उन सुरक्षोपायों के बारे में चिंतित हूं जिन्हें उनके स्थान पर रखा जाना है। यहां इस बात का बड़ा खतरा है कि कुछ सहकारी समितियां असफल हो जाएंगी। इसका सरकार को खाका तैयार करना होगा। सहकारी समितियों को पंजीकरण प्रमाणपत्र देने से ही काम नहीं चलेगा। एकबार उन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र दे दिया जाता है तो लोग समझते है कि इस समिति को सरकारी अनुमोदन प्राप्त है जबकि यह प्रमाणपत्र मात्र संबंधित व्यवसाय में प्रवेश से संबंध रखता है। इसलिए बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण को सहकारी समितियां कैसे कार्य करें, के लिए मार्गनिर्देश तैयार करने होंगे।

बीमा क्षेत्र के पास अपार सम्भावना है। यह इस कारण नहीं कि आय बढ़ रही है और परिसंपत्तियां भी बढ़ रही हैं, बल्कि इसलिए भी कि प्रणाली का महत्व बढ़ रहा है, हम अधिक जोखिमपूर्ण और दुविधा वाले विश्व में जी रहे हैं। ऐसे में लोगों और व्यवसायों द्वारा वहन किए जाने वाले जोखिम को घटाने में बीमा को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ेगी। इन उभरती परिस्थितियों में, बीमा उद्योग को उत्पाद नवपरिवर्तन, उपयुक्त मूल्य तथा दावों के शीघ्र निपटान पर ध्यान देना होगा। बीमा का दृष्टिकोण बदलते समयानुसार होना चाहिए।

अन्त में, मैं इस विधेयक का स्वागत और समर्थन करता हूं। मेरी एक यही इच्छा है कि माननीय वित्त मंत्री श्री यशवंत सिन्हा पॉलिसीधारकों के हित में मेरे सुझावों पर विचार करे और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण निजी कम्पनियों के पॉलिसीधारकों के हितों के सुरक्षोपाय सुनिश्चित करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): माननीय सभापति महोदय, मैं बीमा संशोधन विधेयक, 2001 का समर्थन करता हूं, क्योंकि इसमें मुख्य रूप से कोआपरेटिव सैक्टर को भी बीमा कारोबार करने के लिए अनुमति देने का प्रावधान किया गया है।

मेरे पूर्व माननीय सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त की हैं। हम सब चाहते हैं कि बीमा क्षेत्र सारे देश में विस्तारित हो और अधिकांश लोग बीमे के क्षेत्र में जो कारोबार हो रहा है, उससे सम्बन्धित होकर योजना का लाभ लें। इस बिल के माध्यम से कोआपरेटिव सैक्टर को इसमें प्रवेश देने की व्यवस्था की गई है। उसके बारे में शंकाएं व्यक्त की गई हैं, यह कहा गया है कि बहुत सारी सहकारी समितियां घाटे में चली गई हैं, फेल हो गई हैं, इस कारण यह प्रावधान नहीं करना चाहिए। यह जो प्रावधान किया जा रहा है, उसमें स्पष्ट है कि ऐसी बहुराज्यीय सहकारी समितियां, जो बैंकिंग एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होंगी, धनराशि के लेनदेन का कारोबार करती हैं, उनको ही अनुमति दी जाएगी। इसके साथ-साथ इसमें यह भी कहा गया है कि जो सोसाइटी होगी, उसकी 100 करोड़ रुपए कम से कम समादत्त राशि होगी, अर्थात् उसकी

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

टर्नओवर है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए की धनराशि जिसके पास उपलब्ध होगी, ऐसी सोसाइटी को ही बीमा क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जा सकेगी। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यह सुझाव दिया जा सकता है, यह कहा जा सकता है कि 100 करोड़ रुपए के बजाय 200 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए या 500 करोड़ रुपए की समादत्त पूंजी रखने वाली सोसाइटी को अनुमति दी जाए, क्योंकि कम पूंजी होने की स्थिति में विपरीत परिस्थिति में आने पर जो बीमाधारी होंगे या उसका अमला होगा, उसको किसी प्रकार का नुकसान हो सकता है। जब जी.आई.सी. की स्थापना हुई थी, उस समय उसके कारोबार की शुरूआत देखें तो शायद वह भी जो यह हम 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने जा रहे हैं, लगभग उसके आसपास ही उसकी पूंजी रही होगी। उसके बाद बीमा से जो राशि प्राप्त की, उस राशि से ही उसने अपनी संस्था को सुदृढ़ किया और लोगों के जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से वह निरंतर आगे बढ़ रही है।

1999 में बीमा विनियामक विधेयक प्रस्तुत हुआ था। उस समय भी हमारे विरोधी दलों के माननीय सदस्यों ने अनेक शंकाएं व्यक्त की थीं। कुछ शंकाएं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी व्यक्त की थीं। यह कहा था कि विनियामक विधेयक पास होने के बाद एल.आई.सी., जी.आई.सी. चौपट हो जाएगी। उसके कारण से जो कारोबार उनका हो रहा है, वह बर्बाद होने से लोगों को नुकसान होगा। परंतु पिछले तीन-चार साल का रिकार्ड हम देखें तो मैं कह सकता हूं कि इन वर्षों में इन बीमा कम्पनीज ने अपने कारोबार में तेज गति से वृद्धि की है और बहुत अच्छा मुनाफा भी कमाया है।

10 मई को मैंने एक प्रश्न पूछा था, उसके जवाब में मंत्री जी ने कहा था कि बीमा क्षेत्र के कारोबार में पिछले समय में अधिक मात्रा में वृद्धि हुई है। उन्होंने आंकड़े भी दिए थे, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता। अभी भाई किरीट जी ने आंकड़े प्रस्तुत किए थे। यह 10 मई का प्रश्न है। विलास मुत्तेमवार जी और मेरे नाम से यह प्रश्न था। उसका उत्तर शायद सभी सदस्यों ने नहीं देखा होगा, वे चाहें तो देख सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की 490वीं वार्षिक बैठक में उसके चेयरमैन ने विस्तार से अपने अध्यक्षीय भाषण में इसका उल्लेख किया है। अगर इस पुस्तक में से कुछ रैफरेंस मैं कोट करूं, तो समय काफी लगेगा, परंतु जब वह विनामयक विधेयक पास हुआ और सन् 2000 से लागू हुआ, बोर्ड का भी गठन हो गया, 26 प्रतिशत निजी क्षेत्र में देकर बीमा कम्पनीज को कारोबार की अनुमति देने की व्यवस्था उसमें थी, उसका उन्होंने अनेक जगह उल्लेख किया है। एक जगह उत्तर में यह भी बताया है कि 26 प्रतिशत पूंजी निवेश लगाकर 12 संस्थाओं ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया है। इन सब परिस्थितियों के बाद भी भारतीय जीवन बीमा निगम पर कहीं भी विपरीत असर नहीं पड़ा। न एल.आई.सी. पर पड़ा और न ही जी.आई.सी. और उसकी चार कम्पनीज पर पड़ा, जिनको अलग करने का विधेयक परसों ही हमने पारित किया है। उन सभी बीमा कंपनियों में किसी प्रकार का कोई विपरीत असर नहीं पड़ा है और उन्होंने काफी प्रगति की है। उनकी आय बढ़ी है और जो बीमाधारी लोग हैं, उनको ज्यादा लाभ हुआ है। अब उसमें आंकड़े देते हैं, जैसे यहां हैं कि इनकी पूंजी में कितनी वृद्धि हुई है, जैसे नये व्यवसाय में वृद्धि : 1996-97 में 56993.94 करोड़ रुपये थी और 2000-2001 में जाकर 1,24,950.63 करोड़ रुपये हुई। ऐसे में उनको क्लेम दिये गये हैं। उन क्लेमों की संख्या में भी वृद्धि हुई है, धनराशि में भी वृद्धि हुई है और इन सब बीमा कंपनियों की पेड-अप कैपिटल में भारी मात्रा में वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर यह जो बिल लाया गया है, उसका उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक लोगों को बीमा कंपनियों के माध्यम से बीमा कंपनियों की योजनाओं के जरिये लाभ मिले और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को इनका लाभ मिले लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रचार-प्रसार नहीं हुआ है। शहरी क्षेत्रों में व्यापारी या उद्योगपति या अन्य पढ़े-लिखे कर्मचारी जो इन योजनाओं को समझ गये हैं, वे इनका लाभ अच्छी तरह से ले रहे हैं। कई बार तो हमने यह भी देखा है कि इनका दुरुपयोग करके जितना नुकसान होता है, उससे ज्यादा भी लाभ ले लेते हैं परंतु ग्रामीण क्षेत्र में इन योजनाओं की महती आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनका लाभ ज्यादा से ज्यादा मिले, इस दृष्टि से विधेयक में जो संशीधन ला रहे हैं, निश्चित रूप से आप और हम चाहेंगे कि इस देश के ग्रामीण अंचलों में इन बीमा कंपनियों अंचलों में इन बीमा कंपनियों का प्रचार-प्रसार हो। जो को-आपेटिव सोसायटीज हैं, इनकी जो शाखाएं गांव-गांव में फैली हैं, अगर वे किसी राज्य विशेष में किसी मुख्यालय में हैं या दो राज्यों के बीच दो जगह पर या एक जगह पर हैं और जो उनके कर्मचारी हैं, वे सर्किल वाइज, पटवारी राज्य वाइज जो गांव-गांव से जुड़े हुए हैं, वे वहां कारोबार करते हैं और जो एजेंट हैं, वे ज्यादा से ज्यादा इंटीरियर के गांवों में जाकर इन बीमा कंपनियों का लाभ इनको दिला सकेंगे, ऐसा प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में इसका विरोध करने का प्रश्न नहीं उठता है और पहले 1979 में विधेयक के पास करते समय जो माननीय सदस्यों ने शंका-कुशंका व्यक्त की थी तथा अब ढाई-तीन साल व्यतीत हो गये हैं और वे शंका-कुशंका जितनी थी, वे अब व्यर्थ सिद्ध हो गई हैं और यह सिद्ध हो गया है कि यह सरकार बीमा

कारोबार के क्षेत्र में ईमानदारी से, कर्तव्य-निष्ठा से लोगों को लाभ दिलाने के लिए योजनाएं बना रही है और इस दिशा में अग्रसर हो रही है। मेरे कुछ और भी प्वाइंट्स थे लेकिन आप मेरी तरफ देख रहे हैं, इसलिए मैं और कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता हूं। आप यदि घंटी न बजाएं तो मैं एक बात कह दूं कि सरकार जो यह विधेयक ला रही है, यह जनहित में है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के हित में है। जो प्राकृतिक आपदाएं या अन्य प्रकार की आपदाएं आती हैं, उनसे जीवन सुरक्षा को खतरा होता है। उस स्थिति में यह संशोधन विधेयक लोगों को लाभ दिलाने में सक्षम हो सकेगा और इसका लाभ सबको होगा।

इसमें कुछ और भी विशेषताएं हैं। बीमे की किश्तें देने के जो पुराने तरीके थे, उनके क्लेम पास करने के जो तरीके थे, उनमें भी सुधार किया है। आप और हम जानते हैं कि सारे देश में और विश्व में आधुनिकतम उपकरण हैं। सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से भी इसमें काफी प्रावधान किये गये हैं, जैसे किश्त लेने के जो पुराने तरीके थे, उनको भी आधुनिक बना रहे हैं। अब व्यक्ति को किश्त जमा कराने के लिए ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे किश्त जमा कराने का प्रावधान हो जाएगा। जो कार्ड योजना बना रहे हैं, उसके माध्यम से भी किश्त जमा कराई जा सकेगी, नगद भेजने की जरूरत नहीं है, खुद जाने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर इसमें जो बीमाधारी लोग होंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की योजना के लिए मैं इसका समर्थन करता हूं और सदन से अपील करता हूं कि इस विधेयक को सर्वानुमति से पारित करने में अपना समर्थन दें।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर): महोदय, बीमा (संशोधन) विधेयक 2001 पर चर्चा में भाग लेने हेतु मुझे अवसर प्रदान करने के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, मैंने माननीय सदस्य, श्री किरीट सोमैया के भाषण को सुना है। मैंने सोचा कि वह विधेयक का विरोध करेंगे। उन्होंने कई मुद्दे उठाए, विधेयक में कई खामियां निकालीं और कई आशंकाएं जताई तो मैंने सोचा कि विधेयक का विरोध करना तर्कसंगत होगा। लेकिन मैं उन मुद्दों या उस आधार के बारे में नहीं जान सका जिन पर उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया था।

महोदय, यह हम सभी को पता है कि भारतीय जीवन निगम ने अत्यधिक वृद्धि दर्ज की है और श्री किरीट सोमैया ने ठीक ही कहा है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के कारोबार में 63 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसलिए, हमें भारतीय जीवन बीमा निगम पर गर्व है। इस समय यह आशा की जा रही है कि हमारी सरकार भारतीय जीवन बीमा निगम को मजबूत करने हेतु आगे आएगी। लेकिन मेरा मत है कि इस विधेयक से स्वयं भारतीय जीवन बीमा निगम को ही हानि होगी। यह हम सब जानते हैं और माननीय मंत्री जी तो और अच्छी तरह जानते होंगे कि भारतीय जीवन बीमा निगम के कारोबार में लगभग आठ लाख जीवन बीमा एजेंट कार्यरत हैं। ये लोग अधिकतर बेरोजगार युवा है। ये सरकार से वेतन नहीं पा रहे है, उन्हें कमीशन मिलता है और इससे उनकी आजीविका चलती है। मुझे लगता है कि इस विधेयक से उन्हें हानि होगी और इस विधेयक से उन पर सीधा प्रहार हुआ है। वे लोग कहां जाएंगे?

मैं विशेष रूप से धारा 8क पर जोर दे रहा हूं और इसका विरोध करता हूं। इससे निश्चित रूप से कारपोरेट एजेंसियों, बिचौलियों यानि कॉरपोरेट एजेन्सियों और सहकारी क्षेत्र की सहकारी समितियों के लिए सम्भावनाएं बढ़ जाएगी। कॉरपोरेट क्षेत्र को आमंत्रित करके हम भारतीय जीवन बीमा निगम को कमजोर करना नहीं चाहते हैं। हम ऐसा करके ऐसे महत्वपूर्ण उद्योग को कमजोर करना नहीं चाहते है, इसलिए, मैं इसका विरोध करता हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि यदि वे सहकारी समितियों पर विचार करते है तो उन्हें लघु सहकारी समितियों पर ही विचार करना चाहिए। एक माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि वे उन सहकारी समितियों को अनुमति दे रहे हैं जिनके पास 100 करोड़ या इससे अधिक पूंजी है। इसलिए, लघु सहकारी समितियां और मझली सहकारी समितियां किस प्रकार लाभान्वित होंगी।

हम ग्रामीण लोगों के हितों की बातें कर रहे हैं। हम गरीब किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा की बातें कर रहे हैं। महोदय, यह सच है कि हमारे देश में 8 प्रतिशत बीमा किये जाने वाले लोगों का बीमा नहीं किया गया है।

इनमें से अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं। यदि 100 करोड़ रुपये या अधिक पूंजी वाली सहकारी समितियों को ही बीमा कारोबार की अनुमति है तो ग्रामीण गरीबों और गांवों में किसानों को किस तरह लाभ मिलेगा? इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर विचार किया जाए।

इस संबंध में, कृपया जहां तक बीमा कारबार में सहकारी समितियों को अनुमति देने का संबंध है, मुझे मल्होत्रा समिति की सिफारिशों का उल्लेख करने की अनुमति दी जाए। मल्होत्रा समिति

[श्री प्रबोध पण्डा]

ने 100 करोड़ की सिफारिश नहीं की है अथवा सीमा नहीं रखी है। इसने तो बस इतना ही कहा है कि यह इससे कम हो सकता है, मेरा मानना है कि इस विधेयक को लाने का विचार कॉरपोरेट और निजी एजेन्सियों के लिए यह क्षेत्र खोलने का है। वे इस प्रतिस्पर्द्धात्मक बाजार में प्रवेश करेंगी और भारतीय जीवन बीमा निगम पीछे छूट जाएगा। भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट जिनकी संख्या आठ लाख है वे कहीं के नहीं रहेंगे और हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या और बढ़ जाएगी। उन्हें गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ेगा। यही कारण है कि मैं इस विचार का विरोध करता हूं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस पर विचार किया जाए। कृपया, भारतीय जीवन बीमा निगम को नुकसान न पहुंचाये लेकिन कृपया इसे सुधारने की कोशिश करें। इसका पुनर्गठन आवश्यक है और मैं इसका विरोध नहीं करता। लेकिन भारतीय जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन किए जाने का क्या उद्देश्य है? क्या यह भारतीय जीवन बीमा निगम को मजबूत करने के लिए है या उसे कमजोर करने के लिए। क्या इससे गरीब लोग और भारतीय जीवन बीमा निगम के एजेंट लाभान्वित होंगे या नहीं?

महोदय, मैं और कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं पुनः आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इन मुद्दों पर विचार करें और भारतीय जीवन बीमा निगम जैसे हमारे सबसे बड़े बीमा उद्योग को कमजोर न करें।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आज के वक्ताओं की सूची अब समाप्त हो चुकी है। इसलिए सदन की कार्यवाही 15 मई, 2002 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.38 बजे

तत्पश्चात्, लोक सभा बुधवार 15 मई, 2002/25 वैशाख, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी.एल.एस.–48.25.37/2002 (एन०)
280

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।